पंचदश माला, खंड 3, अंक 20

बुधवार, 29 जुलाई, 2009
7 श्रावण, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे. पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

राकेश कुमार
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाए सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2009/1931 (शक)]

अंक 20, बुधवार, 29 जुलाई, 2009/7 श्रावण, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 363	2–33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 364 से 380	33–64
अतारांकित प्रश्न संख्या 3384 से 3613	64–528
सभा पटल पर रखे गए पत्र	528–535
अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 120वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल की भागीदारी पर प्रतिवेदन	535–536
नियम 377 के अधीन मामले	536–547
(एक) तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस. एस. रामासुब्बू	536–537
(दो) पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती संतोष चौधरी	537
(तीन) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, बाराबंकी और अन्य समीपस्थ जिलों में 'नील गाय' के कारण फसलों की क्षति से सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. निर्मल खत्री	538
(चार) दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यकरण में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता	
श्री के. पी. धनपालन	538
(पाच) देश में बिजली के कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन. एस. वी. चित्तन	538–539
(छह) मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में रसायन विनिर्माता इकाइयों द्वारा उत्सर्जित गैसों और जनित प्रदूषण जो मानव जीवन तथा पर्यावरण के लिए गम्भीर खतरा है, पर नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रेमचन्द गुड्डु	539
(सात) मध्य रेल के मण्डल कार्यालय को मुम्बई से नागपुर स्थानातरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	540
(आठ) उत्तर-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कालोनियों को नियमित करने तथा अनिवार्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	540–541
(नौ) विभिन्न दवा निर्माता कम्पनियों द्वारा विभिन्न ब्राण्ड नाम के जरिए बेची जा रही कॉमन जेनरिक दवाओं के मूल्यों में अन्तर पर नियन्त्रण किए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेश सिंह	541–542
(दस) राजस्थान को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	542–543

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

(ग्यारह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल 543-

(बारह) गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वीरवाडा रेलवे स्टेशन को गम्भोई में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 543

(तेरह) उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले में रेल उपरि पुलों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री रामकिशुन 543-544

(चौदह) उत्तर प्रदेश के सूखा-प्रभावित बलिया और देवरिया जिलों के किसानों को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री रमाशंकर राजभर 544

(पन्द्रह) बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर रेल पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री विश्व मोहन कुमार 544-545

(सोलह) चेन्नई, तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 545

(सत्रह) उड़ीसा को त्वरित बिजली विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन निधि शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 545-546

(अठारह) आंध्र प्रदेश में पलर नदी पर पुल के निर्माण को रोक दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस. सेम्मलई 546

(उन्नीस) डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने तथा उन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री इन्दर सिंह नामधारी 546-547

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में 547-550

सदस्य द्वारा निवेदन

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर, दादरी में गैस आधारित विद्युत परियोजना शुरू किए जाने के बारे में 551-556

नियम 193 के अधीन चर्चा 557

प्रधानमंत्री के हाल के विदेश दौरों से उत्पन्न मुद्दे 557

श्री यशवंत सिन्हा 558-575

श्री पी. सी चाको 575-582

श्री मुलायम सिंह यादव 582-588

श्री शरद यादव 588-595

डॉ. मनमोहन सिंह 595-607

श्रीमती सुषमा स्वराज 607-608

श्री बसुदेव आचार्य 609-611

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 621-

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 622-628

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 629

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 630

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

पी.एल.एस.–48/3/20/2009 (एन.)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 29 जुलाई, 2009/7 श्रावण, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुई*]

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः अध्यक्ष महोदया, आप हमारी बात सुनने की कृपा करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मुलायम सिंह, आप कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः आज पूरे उत्तर भारत में बिजली का संकट है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः गाजियाबाद में वर्ष 2003 में 7,350 मेगावाट बिजली की योजना की स्थापना की गयी, उसका शिलान्यास किया, लेकिन वहां बिजली नहीं बन पा रही है। वहां केन्द्र सरकार गैस क्यों नहीं दे रही है? पेट्रोलियम मंत्री गैस नहीं दे रहे हैं। ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः ....*(व्यवधान)* जब हाई कोर्ट से जीत गए...*(व्यवधान)* यह दूसरा मामला है।...*(व्यवधान)* भारत सरकार ने कोई पैरवी नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया, ...*(व्यवधान)*...सरकार अंडगा लगा रही है। दो मंत्रालयों के बीच के झगड़े से एनटीपीसी को तीस हजार करोड़ रुपये का घाटा होने जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मुलायम सिंह जी, कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः यह बड़ा गम्भीर सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह पैरवी कर रहे हैं। इस बात के लिए हम कहेंगे...*(व्यवधान)* माननीय जोशी जी, यह गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइए।

श्री मुलायम सिंह यादवः बहुत घाटा हो रहा है...*(व्यवधान)* इससे पूरी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए बिजली की आपूर्ति हो जाती। आखिर गैस क्यों नहीं दी जा रही है?...*(व्यवधान)* चाहे कोई उद्योगपति हो...*(व्यवधान)* क्या उत्तर प्रदेश में अंधेरा बना रहे, उत्तर प्रदेश में कोई उद्योगपति आने न पाए?...*(व्यवधान)* सरकार यहां बताए कि गैस क्यों नहीं दी जा रही है? इससे 7,350 मेंगावाट बिजली पैदा होगी। पेट्रोलियम मिनिस्टर स्थिति स्पष्ट करें...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्या 361, श्री एकनाथ महादेव गायकवाड।

ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का प्रभाव

***361. श्री + एकनाथ महादेव गायकवाडः**

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्यवार कुल कितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) पर्यावरण और मानव जाति पर ग्रीन हाउस गैस के प्रतिकूल प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फसलों और उनके अवशिष्टों से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक की गई कार्यवाही का क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही सहित इनके उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं/किए जा रहे है?

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत की ओर से यू एन एफ सी सी सी (एन ए टी सी ओ एम) को 1994 में भेजे गए प्रथम राष्ट्रीय पत्र में दिए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन की मात्रा 1228 मिलियन टन सीओ2 के बराबर थी। राज्यवार आंकड़े एकत्र नहीं किए गए हैं। तथापि ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन का सेक्टर-वार विवरण इस प्रकार है:-

ऊर्जा (विद्युत, परिवहन और उद्योग)	– 744 मी. टन सीओ2 के बराबर
औद्योगिक प्रक्रिया	– 103 मी. टन सीओ2 के बराबर
कृषि	– 344 मी. टन सीओ2 के बराबर
भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन एवं वानिकी	– 14 मी. टन सीओ2 के बराबर
अन्य (नगरीय ठोस अपशिष्ट सहित)	–23 मी. टन सीओ2 के बराबर
योग	–1228 मी. टन सीओ

(ख) जलवायु परिवर्तन पर अन्त:सरकारी पैनल (आई पी सी सी सी) की 2007 में प्रकाशित चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वायु और समुद्र के औसत तापमान में वृद्धि होने के साथ-साथ बर्फ के व्यापक पैमाने पर पिघलने तथा विश्व में समुद्र का औसत स्तर बढ़ने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। बदलते मौसम प्रतिमानों उदाहरणत: निरन्तर प्रचण्ड और उग्र मौसमी घटनाएं होने से तथा अप्रत्यक्ष रूप से जल, वायु, खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता पदार्थो की गुणवत्ता और मात्रा, पारितंत्रों, कृषि और अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों से मानव जाति पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है।

(ग) और (घ) देश के कुल ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र का केवल 28 प्रतिशत भाग है। उद्योगों में बिजली और भाप पैदा करने संबंधी बायोमास कोजेनेरेशन परियोजनाओं में कृषि अपशिष्टों के उपयोग से कृषीय फसल के अपशिष्टों से होने वाले उत्सर्जनों में कमी आएगी। भारत ने स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) के अंतर्गत 'बायेमास' को शामिल करते हुए 334 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। यदि इन परियोजनाओं को सीडीएम एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा पंजीकृत कर दिया जाता है तो इनमें 2012 तक 88 मिलियन टन सीओ2 के बराबर मात्रा को कम करने की क्षमता है।

(ङ) भारत ने जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और इसके क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत भारत की ग्रीन हाउस गैस उपशमन संबंधी कोई प्रतिबद्धताएं नहीं है फिर भी भारत ने इस संबंध में कई नीतियों और कार्यक्रमों का अनुसरण किया है। इनमें ऊर्जा की कार्यक्षमता में सुधार और संरक्षण करना, तथा ब्यूरों ऑफ एनर्जी एफीशिएंसी की स्थापना करना, पावर सेक्टर में सुधार करना हाइड्रो और नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना, कोल वाशिंग और कोयले का कुशलता पूर्वक उपयोग करना, वनीकरण और वनों का संरक्षण करना, गैस फ्लेयरिंग को कम करना, परिवहन के लिए स्वच्छतर और कम कार्बनयुक्त ईंधन का प्रयोग करना, मास रेपिड ट्रांसपोर्ट प्रणालियों और पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रबंधन को प्रोत्साहित करना शामिल है। इन उपायों से जलवायु परिवर्तन का सहलाभ के तौर पर समाधान करने के साथ-साथ ऊर्जा बेहतर ढंग से उपयोग करने में मदद मिलती है।

भारत ने जून, 2008 में जलवायु परिवर्तन पर अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना इस दृष्टिकोण से भी जारी की है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन सुनिश्चित करने तथा भारत के विकास क्षेत्रों की परिस्थितिकीय सतता को बढ़ाने के लिए अग्रिम तौर पर कार्रवाई की जा सके।

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: महोदया, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आज युद्धस्तर पर काम करने की आवश्यकता है। हमें अपने किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाना होगा अन्यथा हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री से प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या आप प्रदूषण मानकों को और अधिक सख्त बनायेंगे और राष्ट्रीय कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी कृपया उत्तर दीजिए।

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, पिछले वर्ष जून, 2008 में भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की थी और इस जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्ययोजना के विभिन्न घटक थे। इसमें भारत के जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए आठ भिन्न मिशन थे और 24 अहम कदम उठाये गये थे। इन मिशनों में से पांच मिशन जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन से संबंधित हैं और दो मिशन ग्रीन हाऊस गैसों जिसमें कार्बन डाई आक्साइड सबसे महत्वपूर्ण है, के प्रभावों को कम करने से संबंधित है, ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: ये मिशन कार्यान्वित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि इन मिशनों को अंतिम रूप दिया जायेगा और वर्ष 2009 के अंत तक इनका कार्यान्वयन प्रारंभ हो जायेगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: अध्यक्ष महोदया, लॉ कमीशन ने वर्ष 2003, में अपनी 176वीं रिपोर्ट में पर्यावरण कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि क्या सरकार ने पर्यावरण कोर्ट स्थापित करने का निर्णय ले लिया है? यदि हां, तो क्या ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वालों को इस कोर्ट के दायरे में लाया जाएगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पिछले सप्ताह ही पर्यावरण और वनों से संबंधित मामलों के निपटान हेतु एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक को स्वीकृत किया। हम इसी सत्र में इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की प्रक्रिया में है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: यह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और इसी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के माध्यम से पर्यावरण और वनों संबंधी विभिन्न कानूनों के कार्यन्वयन से उत्पन्न पर्यावरण के महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय दिए जायेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: केवल जो मंत्री जी कह रहे हैं, वही रिकार्ड में जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री जयराम रमेश: मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि विधेयक के पुन: स्थापित होने की प्रतीक्षा करें। इस विधेयक को पुन:स्थापित करने के बाद यह संबंधित स्थायी समिति के पास जायेगा। हमें आशा है कि इस संसद के शीतकालीन सत्र तक राष्ट्रीय हरित प्रधिकरण अस्तित्व में आ जायेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अभी प्रश्न काल चलने दीजिए। हमने आपकी बात सुन ली है।

...*(व्यवधान)*

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने प्रश्न के 'ड' भाग का उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न के 'ड' भाग में पूछा गया है कि सरकार द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मानदण्डों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मुझे इसका उत्तर नहीं मिला है।

मेरा दूसरा प्रश्न है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप एक ही प्रश्न पूछिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर: महोदया, उसका पूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर: महोदया, अभी प्रश्न नहीं पूछा है, सिर्फ प्रश्न के उत्तर में जो कमी है, वह बताई गई है...*(व्यवधान)*

क्लाइमेट चेंज अर्थात् जलवायु परिवर्तन दुनिया के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ रहा है। इन सब आपदाओं का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हाल ही में इटली में सम्पन्न हुई जी-8 राष्ट्रों की बैठक में भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सहमति दी है। क्या यह सच है? मेरा प्रश्न है कि यदि भारत ने इस प्रकार की सहमति दी है तो हम किस सीमा तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएंगे एवं इसका भारत की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, जब तक माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के उत्तर की बात है वर्तमान में ऐसा कानून नहीं है जो ग्रीन हाउस गैसों मुख्यत: कार्बनडाइ आक्साइड के उत्सर्जन पर नियंत्रण रखे। यहां उल्लंघन का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। अगले कुछ वर्षो में जब भी इस मामले पर चर्चा होगी हम उत्सर्जनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं। परन्तु, अभी भारत सरकार की नीति कार्बन डाई आक्साइड, जोकि सीएचजी उत्सर्जनों का लगभग 65 प्रतिशत है, के उत्सर्जन की किसी सीमा या रोक लगाने की नहीं है।

अब, जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, यह सही है कि इसी में एल-एक्विला में हुई जी-8 बैठक में एक वक्तव्य जारी किया गया था। इस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। इसमें एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, जिसका इस वक्तव्य में उल्लेख किया गया था कि सभी देश-जिनका इस मंच पर प्रतिनिधित्व है-वर्ष 2050 तक ग्लोबल तापमान को केवल 2° सेंटीग्रेड वृद्धि तक सीमित करना चाहेंगे। यह लक्ष्य नहीं है और यह प्रचालनात्मक उद्देश्य भी नहीं है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। परन्तु आप तीन या चार पृष्ठ के दस्तावेज से केवल एक वाक्य लेकर यह नहीं कह सकते कि भारत ने इस पर समझौता किया है। भारत ने समझौता नहीं किया है क्योंकि इस वक्तव्य में भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास था अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे 2° से सीमा का लक्ष्य केवल एक महत्वकांक्षी लक्ष्य है, जिसके लिए सीमा देश प्रयास करेंगे और इसे पूरा करेंगे।

इसलिए, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत इस मुद्दे पर झुका नहीं है; भारत ने समझौता भी नहीं किया है; और भारत ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी स्थिति को कमजोर भी नहीं किया है। हम अभी या आगे उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर कानूनी तौर पर किसी सीमा को स्वीकार नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे इस पर पूरे सदन को चर्चा करनी चाहिए। पूरे प्रश्न को देखकर लगता है कि एग्रीकल्चर में एमिशन्स को रोकने के लिए बात कही जा रही है। यह हमारे देश की कृषि के लिए बहुत घातक होगा अगर आप यह कहें कि धान से निकलने वाली मिथेन गैस और ग्रीन हाउस गैसों आदि को रोक दिया जाए यानी धान की खेती को रोक दिया जाए या यह कहा जाए कि जो ऐनीमल्स से मिथेन निकलती है, उसे रोक दिया जाए, इसलिए देश के कैटल स्टॉक को खत्म कर दिया जाए। आप हमें पहली बात यह बताएं कि एग्रीकल्चर के एमिशन के बारे में सरकार की क्या नीति है और वह नीति आप किस हद तक कारगर करवा रहे है? क्या एग्रीकल्चर के एमिशन को रोकने का सरकार का कोई इरादा है या इस एमिशन का देश सदुपयोग कर सके, उसके लिए कोई कार्यक्रम का इरादा है? क्या एग्रीकल्चर वेस्ट से पैदा होने वाली गैसेज को यूटीलाइज का कोई इरादा है? क्या आपकी ऐसी कोई स्कीम है?

दूसरा, क्या आप क्लाइमेट चेंज के संबंध में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम कम्प्रीहैनसिव दृष्टि से सदन के सामने रखेंगे? ग्लेशियर्स का पिघलना, गैसेज का रुकना और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को इंटिग्रेटेड कम्प्रीहैनसिव प्लान के तहत आप कैसै करना चाहते हैं? क्या आप उसका खाका सदन के सामने बताएंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है।

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न पूछे है। मैं इनमें से प्रत्येक का उत्तर देने का प्रयास करुंगा। इनके द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न कि क्या भारत हमारी कृषि से मिथेन के उत्सर्जन पर कोई सीमा स्वीकार करने जा रहा है। मैं इस बात को स्पष्टत रूप से और विशेष रुप से दोहराता हूँ कि भारत उर्वरकों के प्रयोग के प्रति प्रतिबद्ध है भारत अपनी कृषि

कार्यनीति के लिए प्रतिबद्ध है, और ऐसा प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं उठता है कि आदानों के प्रयोग पर कोई सीमा निर्धारित की जाए। जिससे मिथेन का उत्सर्जन हो। इसका वास्तव में प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं माननीय सदस्य को पुनः आश्वस्त करता हूं कि जब हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के नियंत्रण की बात करते हैं तो हम मुख्यतः कार्बन डाई आक्साइड को कम करने या इसका नियंत्रण करने के संबंध में ही बात कर रहे हैं और यह हमारे उर्जा केन्द्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से तुलनात्मक दृष्टि से आसान भी है।

जहां तक कृषि का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा और इस बात से अवगत भी है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में जिसे अधिकतर सदस्यों से देखा होगा, माननीय सदस्य ने भी निःसंदेह देखा होगा, आठ मिशनों में से एक राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन है। हमें रासायनिक उर्वरकों के विकल्पों पर केवल इसीलिए नहीं देना है, क्योंकि विश्व हमें ऐसा करने को कह रहा है बल्कि हमें इसकी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा राज्यों में उत्पादन स्तर एक निश्चित सीमा तक पहुंच चुके हैं क्योंकि उर्वरकों के प्रयोग से मिलने वाला उत्पादन चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में, जहां लगभग 40 प्रतिशत कीटनाशक की खपत है, माननीय सदस्य इतनी अधिक मात्रा में कीटनाशकों के प्रयोग के सामाजिक परिणामों से भी भली-भांति अवगत हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है जहां जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है और इसमें रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के विकल्प के नए तरीकों का प्रयोग किया जाता है। मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आंध्र प्रदेश में इस वर्ष राज्य में कुल जोत क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत गैर कीटनाशक प्रयोग के अंतर्गत आएगा, जैविक कृषि के अंतर्गत आएगा, जिसका राज्य में कपास खेती पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

हम सतत कृषि की ओर बढ़ रहे इसलिए नहीं कि विश्व हमें मिथेन उत्सर्जन कम करने के लिए कह रहा है बल्कि इसलिए कि हम सतत कृषि की ओर देख रहे हैं जोकि हमारे हित में है और इससे किसानों को उपलब्ध सकल लाभों में भी वृद्धि होती है।

अंत में, अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने इसके प्रभावों से निपटने से संबंधित व्यापक प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी, मेरा विचार है कि केवल एक अनूपूरक प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मैंने देखा है कि सदस्य एक प्रश्न में ही अनेक भाग पूछ रहे हैं। जिससे यह काफी लम्बा हो जाता है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदया, मैंने जो प्रश्न पूछा है वह इससे संबंधित है।

श्री जयराम रमेश: महोदया, मैं एक जवाबदेह मंत्री हूं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैं भी एक उत्तरदायी सदस्य हूं।

श्री जयराम रमेश: मुझे इस विषय पर विस्तृत चर्चा कराने की सहमति से कोई संकोच नहीं है। मुझे कोई वास्तव में संकोच नहीं है। जब भी आप इस पर चर्चा करने का निर्णय लेंगे, मैं तैयार रहूंगा।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: क्या आप जैविक कृषि को कुछ प्रोत्साहन देंगे?

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदया, आपकों बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इटली में 'गैस' पर भारत की तरफ से कोई आवश्वासन नहीं दिया गया है। लेकिन यदि हम उसका टैक्स्ट देखें, तो भारत ने कहा है कि हम गैस कम करेंगे और कार्बन डाइआक्साइ कम करेंगे। आपने मेथेड बताया है कि इरन्युिअल एनर्जी हाइड्रो पावर ऑफ क्लीन कोल का इस्तेमाल उसमें होगा।

मान्यवर, क्ली कोल के लिए आपने क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनायी है, जिससे उसमें कार्बन डाइआक्साइड का कम से कम इमिशन हो? अभी जो एग्जीस्टिंग पावर हाउसेज हैं और जो नये खुल रहे हैं, उसमें क्या इसका इस्तेमाल होगा? क्या आपने इसे मेनडेटरी किया है और यदि नहीं किया है, तो आप इसे कब तक करेंगे?

श्री जयराम रमेश: यह कहना बिल्कुल गलत है कि जी-8 स्टेटमेंट में हमने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि हम कार्बन डाईआक्साइड एमिशन को घटाएंगे। इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। मैं यह स्टेटमेंट अगर माननीय सदस्य चाहें, उनकों दे सकता हूं, वे खुद देख सकते हैं कि वहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई आश्वासन हिन्दुस्तान की ओर से नहीं दिया है कि हम कार्बन डाईआक्साइड या ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करेंगे। उस मीटिंग में जो लोग शामिल हुए थे, जी-8 और चार अन्य देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, का बयान यही कहता है कि वर्ष 2050 तक हमारा यह प्रयास होगा कि जो अधिक टेंप्रेचर होगा, वह दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहे। यह एक एस्पिरेशनल उद्देश्य है, कोई टारगेट नहीं है, यह कोई सीमा नहीं है, कोई जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता

हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जी-8 स्टेटमेंट में मंजूरी दी है, वह एक सामूहिक, ग्लोबल स्टेटमेंट है और उसमें हिन्दुस्तान की जिम्मेदारियों का कोई जिक्र नहीं है। हमारी जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत होगी जिसकी घोषणा पिछले साल की गयी थी। उस कार्ययोजना के तहत जैसा कि मैंने पहले कहा है, आठ मिशन्स का जिक्र हुआ है और 24 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जिनमें जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, क्लीन कोल एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे कोयला मंत्री जी यहां बैठे हैं, पावर सेक्टर में हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पावर स्टेशन्स की एफिशिएंसी और बढ़ाई जाए। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारी कार्बन डाईआक्साइड की एमिशन घटेगी। हिन्दुस्तान का पहला सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट अगले साल गुजरात को मुंदरा में कमीशन होगा और आने वाले सालों में आप देखें कि एनटीपीसी और प्राइवेट कंपनियों द्वारा जो बिजली घर लगाएं जाएंगे, उनमें ज्यादातर सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे उनमें कार्बन डाईआक्साइड एमिशन घटेगा। माननीय सदस्य ने कोल गैसीफिकेशन की बात की, हिन्दुस्तान का पहला कोल गैसीफिकेशन पर आधारित बिजली घर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आ रहा है। अगले तीन साल में उसकी कमीशनिंग की गुंजाइश है और जब ऐसा होगा तो हिन्दुस्तान दुनिया के ऐसे तीन या चार देशों में शामिल होगा जहां पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है।

(अनुवाद)

कोयले का उत्पादन

+*362. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भूमिगत और खुली मुहाने वाली खानों से कोयले का प्रतिवर्ष सहायक कंपनी-वार, गुणवत्ता-वार और मात्रा-वार औसतन कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या भूमिगत खानों से कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में योजना की रूपरेखा क्या है; और

(घ) कम लागत वाली तकनीकों को अपनाकर कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 2008-09 में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) की ओपनकास्ट (ओसी) खानों से प्रतिवर्ष प्रत्येक से औसतन उत्पादन 2.32 मिलियन टन (एमटीवाई) प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार, सीआइएल की भूमिगत खानों (यूजी) से प्राप्त औसतन उत्पादन 0.15 मिलियन टन (एमटीवाई) और एससीसीएल के मामले में यह 0.34 मिलियन टन (एमटीवाई) था। वर्ष 2008-09 के दौरान ओसी तथा यूजी खानों से कुल कोयला उत्पादन क्रमश: 434 मिलियन टन और 59 मिलियन टन था।

2008-09 के दौरान कोल इंडिया तथा एसीसीएल की भूमिगत खानों एवं ओपनकास्ट खानों से कच्चे कोयले का उत्पादन सहायक कंपनी-वार गुणवत्ता-वार नीचे दिया गया है:

1. भूमिगत, ओपनकास्ट तथा 2008-09 के लिए कच्चे कोयले का कुल उत्पादन

आंकड़े मिलियन टन में (एमटीवाई)

कंपनी	कुल भूमिगत	कुल ओपनकास्ट	कुल (यूजी+ ओसी)
ईसीएल	8.39	19.74	28.13
बीसीसीएल	4.13	21.38	25.51
सीसीएल	1.56	41.68	43.24
एनसीएल	0.00	63.65	63.65
डब्ल्यूसीएल	10.11	34.59	44.7
एसईसीएल	17.57	83.58	101.15
एमसीएल	2.15	94.19	96.34
एनईसी	0.05	0.96	1.01
सीआईएल	43.96	359.77	403.73
एससीसीएल	12.08	32.46	44.54

2. 2008-09 के लिए ग्रेड-वार कंपनी-वार उत्पादन के आंकड़े संलग्न **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) 10वीं योजना के अंतिम वर्ष (2006-07) के दौरान सीआईएल का समग्र भूमिगत उत्पादन 43.32 मिलियन टन था। 11वीं योजना के दस्तावेज में अंतिम वर्ष (2011-12) के दौरान सीआईएल की भूमिगत खानों से 54.56 मिलियन टन के

उत्पादन का अनुमान लगाया गया है जो 4.72% के संचयी औसत वृद्धि दर को परिलक्षित करता है। मौजूदा परिस्थितियों में भूमि अधिग्रहण की बढ़ती समस्या तथा उथली गहराई में भंडारों के घटने की वजह से भूमिगत उत्पादन को बढ़ाने हेतु नए सिरे से प्रेरणा देना अनिवार्य हो गया है।

इस परिदृश्य में सीआईएल ने अपनी भूमिगत खानों से उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक तीन सदस्यीय उच्चाधिकार कार्यबल (एचपीटीएफ) का गठन किया। इस समिति ने 11वीं योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) तक उत्पादन के स्तर को 54.56 मिलियन टन से बढ़ाकर 66.63 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने अर्थात 12.07 मिलियन टन प्रतिवर्ष की वृद्धि हेतु एक रूपरेखा तैयार की है।

उपर्युक्त उत्पादन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सीएमपीडीआई को संबंधित सहायक कंपनियों के परामर्श से एक कार्य योजना तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रमुख क्रियाकलापों पर विचार किया गया है:

1. उपयुक्त स्थानों पर व्यापक उत्पादन तथा लांगवाल प्रौद्योगिकी को लागू करना।
2. एसडीएल/एलएचडी की तैनाती करके मैनुअल लेडिंग को बदलना और जहां व्यवहार्य हो, परिवहन पद्धति को पुनर्गठित करना।
3. अतिरिक्त शाफ्ट और इन्क्लाइन/ड्रिफ्टों को लगाकर निकासी क्षमता में बढ़ोतरी करना।
4. अतिरिक्त कोयला विनिंग उपकरण की तैनाती।

उपर्युक्त कार्यकलापों को कार्यान्वित करने हेतु 11वीं योजना अवधि के दौरान लगभग 5200 करोड़ रु. की अतिरिक्त पूंजी के निवेश पर विचार किया गया है।

2008-09 के दौरान एससीसीएल की ओपनकास्ट तथा भूमिगत खानों से क्रमशः 32.45 मिलियन टन प्रतिवर्ष और 12.08 मिलियन टन प्रतिवर्ष कायले का कुल उत्पादन हुआ। कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एससीसीएल ने 11वीं योजना अवधि के दौरान 1478.24 करोड़ रु. के परिव्यय से 9.193 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता की 6 भूमिगत परियोजनाओं के निर्माण की योजना तैयार की है।

(घ) सतत खनिकों तथा लांगवाल की तैनाती करके व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों का उद्देश्य भूमिगत खानों में उन्नत सुरक्षा एवं उत्पादकता के साथ आर्थिकियों के पैमाने को प्राप्त करना है। इसी प्रकार ओपनकास्ट खानों के मामले में भू-खनन परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए तैनात किए जाने वाले उपकरण के प्रकार का निर्णय आर्थिकियों के पैमाने के साथ उत्पादन के अनुकूलतम स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजना स्तर पर लिया जाता है।

सीआईएल में लागत प्रभावी तकनीकियों को अपनाकर भूमिगत खानों में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं/ किए जाना प्रस्तावित है:

1. उपकरणों की खरीद, जनशक्ति को गतिशील बनाने एवं नए उपकरणों के विशिष्ट प्रचालनों के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने जैसे सभी स्तरों पर विलंब को दूर करना।
2. उपकरण की तैनाती से पहले मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ अनुरक्षण एवं मरम्मत ठेका (एमएआरसी) लागू करना।
3. जोखिम-लाभ शेयरिंग आधार पर सिद्धांत रूप में विभिन्न नयी प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग।
4. भूमिगत खानों के लिए वायरलेस मल्टी मीडिया संचार।
5. ओटोमेशन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देना।

उपर्युक्त के अलावा निजी/सार्वजनिक प्रचालकों को बड़ी संख्या में कोयला ब्लाकों का आबंटन करके कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु सरकार ने भी पहल की है।

अनुबंध

2008-09 के ग्रेड-वार, कंपनी-वार उत्पादन आंकड़े

आंकड़े लाख टन में

क्र.सं.	ग्रेड	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	एसईसीएल	एमसीएल	एनईसी	कुल सीआईएल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	एस-1		0.76							0.76
2.	एस-2		9.60							9.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	एस.सी.-1	0.23					1.46			1.69
4.	डब्ल्यू-1		2.26	0.05						2.31
5.	डब्ल्य-2		8.09	1.13		7.30				16.52
6.	डब्ल्य-3		2.97	27.13						30.10
7.	डब्ल्य-4		111.14	20.89						32.03
	उप-जोड़ धातुकर्मीय कोकिंग (1 से 7)	0.23	34.82	49.20		7.30	1.46			93.01
9.	डब्ल्यू-1									
10.	डब्ल्यू-2		0.03							0.03
11.	डब्ल्यू-3	0.25	0.69	76.18						0.94
12.	डब्ल्यू-4		5.02							81.20
13.	एसएलवी		0.09							0.09
14.	उप-जोड़ अन्य-कोकिंग (9 से 13)	0.25	5.83	76.18						82.26
15.	एनएलडब्ल्यू-1		0.87							0.87
16.	एनएलडब्ल्यू-2		0.46							0.46
17.	एनएलडब्ल्यू-3		35.20							35.20
18.	एनएलडब्ल्यू-4		53.62							53.62
19.	उप-जोड़ एनएलडब्ल्यू (15 से 18)		90.15							90.15
20.	उप-जोड़ गैर-धातुकर्मीय कोकिंग (14+19)	0.25	95.98	76.18						172.41
21.	उप-जोड़ कोकिंग (8+20)	0.48	130.80	125.38		7.30	1.46			265.42
22.	ए	9.34					26.05		10.09	45.48
23.	बी	106.24	0.76	4.68	8.45	6.00	98.61	2.32		227.06
24.	सी	37.06	43.94	21.85	168.21	22.94	95.78	2.33		392.11
25.	डी	16.57	59.20	1.99	47.20	163.86	44.43	16.86	350.11	
26.	ई	5.05	20.44	224.80	412.64	246.90		77.46		987.29
27.	एफ	106.61		53.66			745.17	864.39		1769.83
28.	उप-जोड़ गैर-कोकिंग (22 से 27)	280.87	124.34	306.98	636.50	439.70	1010.04	963.36	10.09	3771.88
	समग्र (21+28)	281.35	255.14	432.36	636.50	447.00	1011.50	963.36	10.09	4037.30

2008-09 में एससीसीएल में ओपनकास्ट और भूमिगत के ग्रेड-वार उत्पादन

(आंकड़े लाख टन में)

	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	भूमिगत	जोड़
ओपनकास्ट उत्पादन	0	0	40.39	41.00	112.88	120.42	8.88	0.99	324.59
भूमिगत उत्पादन	0	7.51	30.13	39.12	30.37	11.89	1.82	0	120.87
कुल-उत्पादन	0	7.51	70.52	80.12	143.25	132.31	10.70	0.99	445.46

श्री अनंत कुमार हेगड़े: महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रत्येक देश एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहता है और इम्पोर्ट कम करना चाहता है, लेकिन अपने देश में आंकड़े थोड़े अजीब से दिखते हैं। इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है और एक्सपोर्ट की बात छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बराबर नहीं है। वर्ष 2004-05 में इम्पोर्ट 38 प्रतिशत था, टोटल प्रोडक्शन के आधार पर वह लगातार वर्ष 2005-06 में बढ़कर 38.57 प्रतिशत हो गया, वर्ष 2006-07 में 45 प्रतिशत हो गया, वर्ष 2007-08 में 49 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2008-09 में शायद इसके 50 प्रतिशत पार करने की संभावना है। यह अजीब स्थिति है।

इसके साथ-साथ अण्डरग्राउण्ड माइनिंग के बारे में मैंने जो प्रश्न पूछा था, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन 27 जुलाई 2009 को इसी सदन में उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्ष 2008-09 में 492.94 मिलियन टन प्रोडक्शन था, लेकिन वर्ष 2009-10 के लिए हमने 345 मिलियन टन का टारगेट रखा है। हम एक ओर कहते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा करने की हमारी सोच है, लेकिन आपके ही आंकड़े कहते है कि जो टारगेट हमने वर्ष 2008-09 में एचीव किया था, वह टारगेट भी हम वर्ष 2009-10 के लिए नहीं रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछें।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: प्रश्न ही पूछ रहा हूं। प्रोडक्टिविटी, तंत्र ज्ञान और ओवरहैड्स के बारे में कहना चाहता हूं कि दुनिया भर में जो प्रोडक्टिविटी है, हमारे देश में बहुत कम प्रोडक्टिविटी है। ओवरहैड्स भी जो मुख्य निर्यातक देश है, उनके मुकाबले 35 प्रतिशत ज्यादा है। मैं तंत्र ज्ञान और माइनिंग का जिक्र नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो श्री डी इमेंजिंग है और बाकी जो तंत्र ज्ञान है खासकर अभी पर्यावरण के बारे में, ग्रीन हाउस के बारे में सवालों के जवाब दिए जा रहे थे, उसे अपनाकर और हाई पावर सोलर लेजर एनर्जी का यूज करके पाल्यूशन फ्री माइनिंग की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदया: आपके प्रश्न की भूमिका बहुत लम्बी हो गई है। अब आप प्रश्न पूछें।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या टार्गेट होगा, कैसे हम उसे एचीव कर पाएंगे? ये जो आंकड़े हैं, इनमें आपस में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अंडरग्राउंड माइनिंग में इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में क्या बढ़ोत्तरी होगी और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि दूसरे देशों में आयात की मात्रा घटती जा रही है और हमारे देश में बढ़ रही है। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि आज से 30-40 साल पहले जब कोल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय हमारे देश में उद्योग की स्थिति क्या थी और आज क्या है? आज के समय में जितनी तेजी से उद्योग बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से कोयले की मांग भी बढ़ी है। हमारे मुल्क में 55 प्रतिशत कोयले द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। इससे उद्योगों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। ऐसी सूरत में यह कहना कि दूसरे देशों में आयात की मात्रा घट रही हैं हमारे देश में बढ़ रही है, उचित नहीं है। लेकिन बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकताओं को देखते हुए और बढ़ते हुए उद्योगों को देखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर कोई विदेश से कोयला मंगाना चाहता है तो हम उसे अलाऊ करें। हालांकि वह हमारे देश के कोयले से दोगुनी कीमत पर मिलता है, लेकिन उन्हें अगर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दोगुनी कीमत पर करके उद्योग चलाने हैं, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जहां तक कोयले के उत्पादन की बात है, वह आठवीं योजना में 289.32 मिलियन टन था, नौवीं योजना में 327.79 मिलियन टन था, दसवीं योजना में 433.83 मिलियन टन हो गया। इसलिए यह कहना कि कोयले का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, यह उचित नहीं है। यह हो सकता है कि हम आवश्यकताओं के अनुरूप कोयले का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पा रहे, जितनी तेजी से बढ़ाना चाहिए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: ये सरकार के ही आंकड़े हैं, मेरे नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया मंत्री जी को जवाब देने दें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: जहां तक अंडरग्राउंड माइनिंग की बात है, जिस समय कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय अंडरग्राउंड माइनिंग ज्यादा हो रही थी। वह धीरे-धीरे कम हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ओपन-कास्ट माइनिंग में कोयले का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है, जितनी तेजी से हमारे देश में मांग बढ़ रही थी। इसमें देखा गया है कि अगर हम ओपन-कास्ट माइनिग तेजी से करेंगे तो हम सुविधाजनक तरीके से अपने देश में कोयले का उत्पादन करके उसकी आसानी से आपूर्ति कर पाएंगे। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब सरकार यह सोच रही है कि हम अंडरग्राउंड माइनिंग को भी तेजी से बढाएं। उसके लिए एक सर्वेक्षण कराया है। उसकी रिपोर्ट के अनुकूल हम अंडरग्राउंड माइनिंग को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बजट भी एलोकेट किया गया है। अंडरग्राउंड माइनिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि इसे शुरू करने में ही चार-पांच साल लग जाते हैं, जबकि ओपन-कास्ट माइनिंग छः महीने में ही शुरू हो जाती है और यह ज्यादा सुविधाजनक भी है तथा उत्पादक भी है। इसके अलावा यह सस्ती भी पड़ती है। इसलिए ओपन-कास्ट माइनिंग पर अभी ज्यादा ध्यान दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसोर्सेज कम हो रहे हैं इसलिए अंडरग्राउंड माइनिंग को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी होगी, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले तीन-चार साल में वह कर देंगे। इससे हमारे देश में अंडरग्राउंड माइनिंग से भी काफी उत्पादन हो जाएगा।

श्री अंनत कुमार हेगड़े: अध्यक्ष महोदया, मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब यूएस डिप्लोमेट हिलेरी क्लिंटन यहां आई थी तो "ड्रॉप डिपेंडेंसी ऑन कोल" की बात कही गयी। इसका प्रोडक्शन पर क्या असर होगा? अगर असर होगा तो कितनी मात्रा में होगा और नहीं होगा तो आप हिलेरी क्लिंटन की प्रस्तावना को अस्वीकार करते हैं? अगर अस्वीकार करते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा? यह जानकारी मुझे चाहिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैडम स्पीकर, कोयले के उत्पादन से, कोयले द्वारा थर्मल पावर स्टेशन चलाने से पर्यावरण का नुकसान होता है, पर्यावरण का क्षरण होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस मामले में दुनिया के तमाम पर्यावरणविदों ने चिंता व्यक्त की है, हम भी चिंतित हैं, लेकिन हम अपने प्रोडक्शन को घटा नहीं सकते हैं, हम अपने इंडस्ट्रालाइजेशन को कम नहीं कर सकते हैं। दुनिया के दूसरे देश इसके लिए चिंता कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत नहीं मिल जाते हैं, तब तक हम कोयले के उत्पादन को कम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उसे बढ़ाते जाएंगे। जैसा अभी माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने आपको और सदन को आश्वस्त किया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया के विकसित देश कितने चिंतित हो रहे हैं। हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम हर कीमत पर कोशिश करेंगे। इसका असर अगर दुनिया के पर्यावरण पर विपरीत होता है तो दुनिया के देश हमें बताएं कि हमारे पास वैकल्पिक स्रोत क्या हैं? जब तक वैकल्पिक स्रोत हम विकसित नहीं कर लेंगे, तब तक हम अपने इस स्रोत को यूं ही जारी रखेंगे, जिससे कि हमारे देश का उत्पादन कम न होने पाए।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:** धन्यवाद महोदया, अभी पहले प्रश्न के उत्तर माननीय मंत्री जी ने विस्तार से यह बताने का प्रयास किया कि पिछले तीस-चालीस वर्षो में, औद्योगिकरण होने के कारण, जो कोयले की मांग बढ़ी है, उसके कारण इन्हें आयात करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस तर्क में कोई दम है। हमारे पास कोयले का पर्याप्त भण्डार है और अगर हमारी मांग 30 वर्षो से बढ़ती रही तो उसके अनुरूप हमें उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमने उसे बढ़ाया नहीं। माननीय मंत्री जी का एक बयान हमने अखबार में देखा, जिसमें जो आयतित कोयला है, उसे सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। इन्होंने कहा कि जो आयातित कोयला है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है। मैडम स्पीकर, कोयले की गुणवत्ता का अच्छा होना उसको अच्छी तरह वाश करने पर निर्भर करता है। वाशरी का इस्तमोल आप जितना करेंगे, उतना ही कोयले की गुणवत्ता में सुधार होगा। आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, आयातित कोयले को प्रमाण-पत्र दे रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि यह उचित है। माननीय मंत्री जी, हमारे पास कोयले का पर्याप्त भण्डार है और जितनी मांग हमारे देश में है, उतनी पूर्ति हम कोयले की कर सकते हैं, अगर हम उत्पादन को बढ़ाए। माननीय मंत्री जी इस सच्चाई को जानते होंगे कि कोयला सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कई लोग, कई तरह की एजेन्सियां लगी हुई हैं, माफिया लोग कोयले से हीरा निकलाने का काम कर रहे हैं और कोयले की बड़ी मात्रा में चोरी हो रही है। आप उस चोरी पर नियंत्रण करें तो बहुत हद तक यह समस्या दूर हो सकती है। लेकिन माननीय मंत्री जी ही यह बता सकेंगे कि वे उस पर कितना नियंत्रण कर पाएगें? हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि भूमिगत कोयला खदान है, क्या सरकार ने कोई आकलन किया कि उन खदानों में कोयले की कितनी मात्रा उपलब्ध है और मांग और आपूर्ति में जो गैप है उसे पूरा करने के लिए आप उत्पादन का लक्ष्य रख रहे हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदया, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इम्पोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कोयले का पूरा उत्पादन नहीं कर पाते हैं। आशिंक रूप से माननीय सदस्य

की बात सही है कि हम उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जितनी हमारे देश में डिमांड है। यह बात भी सत्य है कि हमारे देश में ए, बी, सी ग्रेड के कोयले का रिजर्व बहुत कम है। ज्यादातर डी, ई, एफ, जी ग्रेड के कोयले का ही उत्पादन होता है, जो कि थर्मल पावर स्टेशन्स में काम आता है और जो स्पंज आयरन वाली इण्डस्ट्रीज हैं या सीमेंट प्लांट्स हैं, उन्हें अच्छे कोयले की आवश्यकता होती है। हमारे देश में कोकिंग कोल का उत्पादन कुल रिजर्व केवल 9 परसेंट है, बाकी सब ओर्डनरी कोल हैं, इसमें ऐश कन्टेंट ज्यादा होता है। विदेशों से जो कोयला इम्पोर्ट किया जाता है, उसमें ऐश कन्टेंट कम होता है। उसकी उत्पादकता ज्यादा होती है उसकी हीट पावर ज्यादा होती है। इसलिए जो लोग इंडस्ट्रीज को चलाना चाहते हैं, हमने उन्हें लिबर्टी दी है कि यदि वह चाहे तो विदेशों से कोयला मंगवा सकते हैं। जहां तक उत्पादन बढ़ाने की बात है, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। इसका हमारी मिनिस्ट्री ने एक्शन प्लान बनाया है। आने वाले समय में हमारे देश में कोयला का उत्पादन भी बढ़ेगा। जहां तक कोयला चोरी की बात है, माननीय सदस्य बिहार से आते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से माफियाओं ने कोल सैक्टर पर कब्जा किया हुआ है। इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवालः अब नहीं है, लेकिन जिस समय की आप बात कर रहे हैं, आपको हम से ज्यादा जानकारी बिहार और झारखण्ड के बारे में होगी क्योंकि झारखण्ड से 4-6 साल पहले तक आपके साथ था। ...*(व्यवधान)* माफियाओं ने जिस तरीके से कोल सैक्टर पर कब्जा किया हुआ है और कोल सैक्टर में जो करप्शन है, कोयले की चोरी होती है, इसे घटाने की और इस पर अंकुश लगाने की कोशिश हमारी सरकार खास तौर से नयी सरकार इस को पूरे तरीके से सैंट्रलाइज कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले महीने सीबीआई की दो रेड पड़ी है। एक डब्ल्यूसीसीएल और दूसरी सिंगरौली में पड़ी है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कोयले की चोरी को रोक सकें और देश में कोयले के उत्पादन को बढ़कार अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

श्री मदन लाल शर्माः अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सी रियासतें हैं, लेकिन हमारी रियासत जम्मू-कश्मीर, खास तौर से मेरे क्षेत्र में जम्मू-पूंछ में कालाकोट कोयले की खान है, लेकिन अरसादराज से मैं यह देख रहा हूं कि तसल्ली बख्श काम नहीं हो रहा है और जरूरत के मुताबिक वहां से कोयला नहीं मिल रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक वहां महीने में 15 सौ टन कोयला निकलता है और एक हजार के करीब मजदूर काम करते हैं। वर्ष 1965 में कालाकोट पावर थर्मल प्लांट लगा था, लेकिन वर्ष 1980, पिछले बीस वर्षो से वह बंद पड़ा है। क्योंकि उस खान से जरूरत के मुताबिक कोयला नहीं निकाला जाता है। मैं समझता हूं कि पैसा लगाकर जो पावर थर्मल प्लांट लगाया गया था, वह भी बंद है। रियासत जम्मू-कश्मीर बैकवर्ड स्टेट है। वहां बेरोजगारी बहुत है। मुझे मिनिस्टर साहब से पहले मिलने को मौका मिला, अधिकारी यहां तशरीफ रखते हैं। शायद इस विभाग को यह जानकारी भी नहीं थी कि हमारी रियासत और कालाकोट में कोई खान है।

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पूछिए।

श्री मदन लाल शर्माः मैं मंत्री जी से यकीन चाहता हूं कि वे फुर्सत निकाल कर कालाकोट का दौरा करें, वहां मौके का जायजा लें। जो-जो परेशानियों और दिक्कते हैं, उन्हें दूर करने का क्या मंत्री जी यकीन दिलाते हैं?

श्री श्रीप्रकाश जयसवालः महोदया, माननीय सदस्य ने जम्मू की जिस कोयला खान के बारे में जिक्र किया हैं, इसका कोल इंडिया से कोई लेना-देना नहीं है। वह जो कोयला प्रोडयूज करती है, उसका लोकल यूज होता है। उसमें ऐश कन्टेंट इतना ज्यादा है कि वह थर्मला पावर स्टेशन में काम नहीं आ सकता है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 17 हजार टन है, जो कि वहीं के लोकल कंजम्पशन के काम आ जाता है। अगर इससे पावर प्लांट चलाने की कोई बात की जाए, तो इस बात की फिजीबिलिटी देखी गई थी कि क्या इससे पावर प्लांट चल सकता है। लेकिन यह पाया गया कि इससे पावर प्लांट नहीं चलाया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जीः अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। रानीगंज और इससे लगे क्षेत्रों जैसे अदल, जमूरिया जैसे स्थानों जो पश्चिम बंगाल राज्य के आसनसोल सब-डिवीजन के आते हैं, में दशकों से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन का काम जारी है। इस प्रकार अवैध खनन वाले कोयले की खुलेआम बिक्री जारी है जिसके बारे में सबको पता है। बहुत कम मामलों में ही पुलिस ने इस क्षेत्र में इस प्रकार के अनाधिकृत कोयला खनन को रोकने के लिए कदम उठाया है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल राज्य विशेषकर आसनसोल सब डिवीजन जो ईस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड के सीधे नियंत्रण में है, में इस प्रकार के अनधिकृत

कोयला खनन को रोकने के बारे में क्या सरकार वास्तव में गंभीर है। इस बात की भी सूचना है कि ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड के अधिकारी भी इस प्रकार के अनधिकृत कोयला खनन की गतिविधि में संलिप्त है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने आसनसोल के जिन कोल माइन्स का जिक्र किया है, मैंने पहले ही बताया कि इललीगल कोल माइनिंग माफियाओं के सहयोग से क्षेत्रीय लोगों का एक पेशा बन गया है। माफिया उनकों उकसाते हैं कि आप लोग इललीगल माइनिंग करिए और इललीगल माइनिंग करके हमें कोयला दीजिए। वे उनसे औने-पौने दाम पर कोल खरीद लेते हैं और बाद में बाजार में दुगने-तिगुने दामों पर बेचते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने जब से चार्ज सम्भाला है, मैं पश्चिम बंगाल गया, पश्चिम बंगाल में मैं मुख्य मंत्री जी से मिला और उनसे अनुरोध किया कि आपकी नाक के नीचे इललीगल माइनिंग हो रही है जो हमारे लिए शर्म की बात है और आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए क्योंकि इललीगल माइनिंग तब तक नहीं रोकी जा सकती जब तक कि राज्य सरकारों का सहयोग न प्राप्त हो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि लॉ एण्ड ऑर्डर और पुलिस ये स्टेट सबजेक्ट्स हैं। अगर राज्य सरकार हमें पूरी तरह से सहयोग करे तो हम इललीगल माइनिंग को भी रोक सकते हैं और पिलफ्रेज को भी रोक सकते हैं। जिस समस्या की ओर हमारे माननीय सदस्य ने ध्यान दिया है हमारा प्रयास है और हमें पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जी ने यह एश्योर किया कि अगर आप वास्तव में इतने गंभीर हैं तो हम इललीगल माइनिंग रोकने के लिए वे सारे कड़े कदम उठाएंगे जितने कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद इललीगल माइनिंग पर अंकुश लगेगा।

श्री उदय सिंह: झारखण्ड में राष्ट्रपति शासन है, क्या वहां इन्होंने रोक दिया?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: क्या आप उत्तर देना चाहते है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, मैं उत्तर देना चाहता हूं। पिलफ्रेज और इललीगल माइनिंग, जिन स्टेट में कोयला पैदा होता है, वहां बराबर हो रही है चाहे वह झारखण्ड हो या पश्चिम बंगाल हो या छत्तीसगढ़ हो। कम से कम इस मामले में हमारे माननीय सदस्य पॉलिटक्स नहीं करेंगे तो हम समझते है कि बहुत कुछ इसे रोकने में कामयाबी मिल सकती है और झारखण्ड में भी जब मैं गया था तो झारखण्ड के गवर्नर से मिला था।

[अनुवाद]

श्री बंस गोपाल चौधरी: माननीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल का नाम लिया है न कि झारखण्ड का...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदया जी, आपको सब बातों का जवाब नहीं देना है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: वह धनबाद के हैं। उन्होंने धनबाद की बात कहीं। आप झारखण्ड के हैं। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम सब मिलकर अगर इस गंभीर समस्या का निदान खोजेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाल ही में आप इस विभाग के मंत्री बने हैं, क्याक आपको इस बात की जानकारी है कि देश भर में सबसे बड़ा स्टॉक और बैस्ट क्वॉलिटी का कोल धनबाद के झरिया में पाया जाता है? वहां वर्षो से पूरे इलाके के अंदर आग लगी हुई है। वहां आग का धुंआ, आग की लौ निकलती रहती है। फिर उसके गड्ढ़ों को भरने के लिए कितना पैसा बालू पर खर्च किया जाता है और कोल का बहुत बड़ा स्टॉक है। हम इन चीजों पर ध्यान न देकर इम्पोर्ट पर ज्यादा ध्यान देते है जिसमें देश का पैसा बाहर जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रकाश में लाया गया है? यहां मिथेन गैस अंदर भरी हुई है।

हम इससे और पावर पैदा कर सकते थे और आग को बुझा सकते थे।

श्री अनंत कुमार: वे वॉल्केनों के ऊपर बैठे हैं।

श्री लालू प्रसाद: हां, ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं। इसके कारण धनबाद और झरिया का इलाका खतरे में है क्योंकि यह वाल्केनों के ऊपर बसा हुआ है। सरकार और आपके महकमें ने आग को बुझाने के लिए क्या उपाय किए हैं? हम लोगों ने कई बार इस सवाल को उठाया है कि मिथेन गैस के कारण कोयले का स्टॉक समाप्त हो रहा है जिससे हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय वरिष्ठ सांसद ने बात उठाई है और कहा है कि अब तो आपको प्रभार मिल गया है। मेरा कहना है कि आभार भी आपका है आपके आभार से हमें प्रभार मिला हैं, मैं आपका आभारी हूं। माननीय सदस्य ने झरिया की जिस कोल फिल्ड की बात उठाई है, इसमें

शक नहीं है कि पिछले 40 वर्षो से इस कोल फील्ड में आग लगी हुई है। जब भी प्रयास किया गया कि वहां की बस्ती का रिहोबिलिटेशन कर दिया जाए, तब किसी न किसी कारण से विस्थापन का कार्य पूरा नहीं हो पाया, मैं किसी सरकार या किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहता हूं। अभी बिहार में झरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई हैं। इस अथॉरिटी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वहां की बस्तियों को पुनर्वासित करे। बीसीसीएल के पास लगभग 4000 क्वार्टर्स हैं और वह इसे देने को तैयार हैं। बीसीसीएल ने पुनर्वास योजना बनाई है और वह इसके लिए सारा पैसा देने को तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि झरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इस काम को जल्दी से जल्दी लोकल प्रशासन के सहयोग से अंजाम देगी बीसीसीएल को सारा खर्चा करना है। झारखण्ड और पश्चिम बंगाल सरकार को फोर्स, ताकत, अधिकारी और समर्पण की भावना दिखानी होगी जिससे पुनर्स्थापना का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। सौ दिन का एक्शन प्लान बनाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि शायद तीन या चार महीने में ही विस्थापन का कार्य हो जाएगा। जब तक विस्थापन का कार्य पूरा नहीं होता तब तक हम वहां न तो माइनिंग कर सकते हैं और न आग बुझा सकते हैं।

[अनुवाद]

टीकों की कमी

***363. +श्री महाबल मिश्राः**
श्री अनंत कुमारः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में देश में बैसिलस कैलमेट गुएरिन (बीसीजी), डिप्थीरिया परट्यूसिस एंड टेटनेस (डीपीटी), खसरा, पोलियों और अन्य टीकों की कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में इन टीकों की कमी का पता लगा है; और

(ग) देश में इन टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। अप्रैल से अक्टूबर, 2008 के दौरान कुछ राज्यों में डिप्थीरिया-परट्यूसिस-टेटनेस (डीपीटी), टेटनेस टोकसाइड (टीटी) और डिप्थीरिया टेटनेस (डीटी) की कुछ कमी थी। तथापि, बेसिलस कालमेट ग्युरिन (बीसीजी), खसरा और पोलियों वैक्सीन की कोई कमी नहीं थी।

सरकार और प्राइवेट विनिर्मताओं ने कुछ राज्यों में समय पर अपनी सुपुर्दगी न करके आपूर्ति में चूक की थी। बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि कुछ राज्यों में स्टौक एक माह के स्तर तक गिर गया था लेकिन चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता और करनाल के सरकारी चिकित्सा सामग्री आपूर्ति डिपों में बफर स्टोक पूरा था और स्टोक समाप्त की स्थिति नहीं आई क्योंकि अक्टूबर 2008 में तत्काल आपूर्ति तेज हो गई थी।

वैक्सीन निर्माण में 3-6 माह का समय लगता है तथा प्रयोगशाला परीक्षण में 21 दिन और लगते हैं। आपूर्ति आदेश जुलाई, 2008 में किए गए थे। सरकार ने विनिर्मिताओं पर समय सीमा को कम करने और राज्यों को वैक्सीन प्रदान करने के लिए दबाव डाला था। इसलिए यह फर्क केवल अस्थाई था और इस प्रकार कार्यक्रम में कोई बाधाा नहीं आयी थी।

(ग) वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयों तथा स्वदेशी प्राइवेट क्षेत्र की इकाइयों से निविदाएं आमंत्रित करके प्रतिस्पर्धी दरों के आधाार पर वैक्सीन की खरीद की जा रही है। वैक्सीनों की उपलब्धता में कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

श्री महाबल मिश्राः माननीय अध्यक्ष महोदया, में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वैक्सीन बनाने के तीन यूनिट बंद हुए हैं? इसका क्या कारण है? क्या भविष्य में कोई यूनिट चालू कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदीः महोदया, यह लम्बा उत्तर है जो मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि इस वैक्सिन यूनिट को बंद करने बारे में इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। वस्तुतः यह उचित नहीं होगा यदि मैं कहूं कि ये यूनिट बंद है। वास्तव में ये यूनिट बंद नहीं है। केवल लाइसेंस खत्म किया गया है और यह संबंधित मंत्रालय के अधीन है और यह स्वतंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। इनकी संख्या तीन है। एक हिमाचल प्रदेश में सी आर आई, कसौली है, दूसरी, तमिलनाडु में बी. सी. जी. वैक्सिन लेबोरेट्री है और तीसरा, कन्नूर में पी. आई. आई. है। इन यूनिटों से मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे यू. आई. पी. कार्यक्रमों के अर्थात् सर्वेप्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए हमें वैक्सिन प्राप्त होते रहे हैं।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि और प्रसाधन नियम, 1945 ही संबंधित अधिनियम और नियम है। जो औषधि और प्रसाधन सामग्री दोनों के आयात विनिर्माण बिक्री और वितरण को विनियमित करते हैं।

अध्यक्ष महोदया, 2001 में नियम की अनुसूची 'क' का संशोधन किया गया संशोधन के अनुसार जिन्हें श्रेष्ठ विनिर्माण पद्धति कहते हैं संक्षेप में इसे जी. एम. बी. पी. कहते हैं शुरू की गई। जी एम. पी. लागू होने के बाद सभी विनिर्माण यूनिटों को अपने यूनिटों को अद्यतन कराने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि वे जी. एम. पी. का अनुपालन कर सके। अधिकांश यूनिटों का निरीक्षण किया जा चुका है।

ये सभी तीन यूनिटें विभिन्न मामलो में हमारी यूनिटों की तरह ही थीं। अगस्त, 2004 से कई निरीक्षण तथा अन्य कार्य शुरू किए गए हैं। तीन निरीक्षण हुए हैं। वर्ष 2004 में पहला तथा अगस्त, 2007 में दूसरा निरीक्षण हुआ था। डब्ल्यू. एच. ओ का दल, हमारे अपने विशेषज्ञ आदि जैसे विभिन्न दल वहां यह देखने के लिए गए थे कि इन यूनिटों में जी. एम.पी. का पालन हो रहा है अथवा नहीं। जी. एम. पी. के अंतर्गत, भवनों के निर्माण, विनिर्माण प्रक्रिया जैसी अवसंरचना आती है चाहे यूनिटों के पास पर्याप्त विशेषज्ञता, स्टाफ हो अथवा नहीं। जी एम. पी. में ये सभी सम्मिलित है। दुर्भाग्य से हमारी यूनिटें, विभिन्न कारणों से, जी. एम. पी. का पालन नहीं कर सकीं।

मेरे पास ब्यौरे हैं। यदि आप चाहे तो मैं उन्हें पढ़कर सुना सकता हूं। अध्यक्ष महोदया, यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं ब्यौरे-वार बता सकता हूं कि हमारी मान्यता क्यों समाप्त की गई।. ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्यगण संक्षेप में उत्तर चाहते है। मुझे नहीं पता की संक्षेप और विस्तृत क्या है, लेकिन मुझे वस्तुस्थिति रखनी है।

तत्पश्चात, निरीक्षण के बाद यह पाया गया कि कुछ यूनिटों में भवन उचित ढंग से नहीं बने थे, अन्य में निर्धारित श्रमशक्ति से कम श्रमशक्ति थी। परिमाणतः हमारा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विनियमन प्राधिकरण, ने कहा कि हम वैक्सीन की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम दवाओं की गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते क्योंकि ये ही यूनिटें हैं जो वैक्सिन का निर्माण करती हैं और जो अन्ततः बच्चों को दी जाती हैं। परिणामतः प्राधिकरण बहुत सख्त था और उसने कहा "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वे हमारी अपनी यूनिटें क्यों न हों, बच्चों के लिए वैक्सीन को दाव पर रखने की बजाए हमें उन्हें बंद कर देंगे। यही कारण है कि हमारे अपने ही विनियमन प्राधिकरण में लाइसेंस रद्द कर दिया। अतः यह वास्तविक रूप में बंद नहीं हुआ है। लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यही कारण है कि ये इस समय कोई उत्पादन नहीं कर रही हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं यह जल्दी से बताना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदीः अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महामहिम राष्ट्रपति ने 4 जून को संसद में अपने अभिभषण में भी कहा था कि सरकार इन सभी यूनिटों को खोलने जा रही है। अतः सरकार इस बात को पूरा करेगी और ये यूनिटें अन्ततः चालू हो जाएंगी और इस संबंध में कई परियोजना रिपोर्ट है... *(व्यवधान)*

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदयाः माननीय मंत्री महोदय, आप तब तक जवाब नहीं देंगे जब तक मैं आपका नाम न पुकारूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री महाबल मिश्राः अध्यक्ष महोदया, देश में आज तरह-तरह की बीमारियां आ रही है, जिनके बारे में जानकारी नहीं हैं। क्या

सरकार भविष्य में ऐसा कोई वैक्सीन बनाने जा रही है, क्या सरकार की ऐसी कोई सोच है और देश में कितने वैक्सीन हैं और उनका नाम क्या है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय, कृपया संक्षेप में उत्तर दीजिए।

श्री दिनेश त्रिवेदी: महोदय, मुझे सभी वैक्सीनों का इतिहास बताने में समय तो लगेगा...*(व्यवधान)* वे विभिन्न बीमारियों के बारे में पूछ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदया मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य को इनका इतिहास पता होगा। आप संक्षेप में प्रासंगिक उत्तर दें।

श्री दिनेश त्रिवेदी: उन्होंने बीमारियों के बारे में पूछा है। हमारे पास बी. सी. जी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री महाबल मिश्रा: बहुत छोटा सा क्वैश्चन हैं।

श्री दिनेश त्रिवेदी: आपने छोटे से क्वैश्चन में पूरी रामायण मांगी है। हमारे यहां बी.सी.जी है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया धैर्य रखें। कृपया शांति से सुने और उन्हें एक मौका दे। मंत्री महोदय, आप जारी रखे।

श्री दिनेश त्रिवेदी: हमारे पास बी. सी. जी. का वैक्सीन है जो मूलत: क्षयरोग के लिए है जैसा कि हम सभी जानते हैं। हमारे यहां डिप्थिरिया की बीमारी है। हमारे यहां परयूसीस जिसे कुकुरखांसी कहते हैं, की भी बीमारी पाई जाती है जो बच्चों में होती है। फिर यहां टीटी अर्थात टिटनस टैक्साइड है—टेबल टेनिस नहीं। टी. टी का मतलब टिटनस टेक्साइड होता है। हमारे पास पोलियों की वैक्सीन है। हमारे यहां खसरे का टीका है। सारे प्रतिरक्षण कार्यक्रम वास्तव में 1900 में शुरु किए गए थे जबकि, यदि आपको याद हो स्माल पॉक्स और टायफायड नामक बीमारियां फैलती थीं। पुन: 1962 में बी. सी. जी. कार्यक्रम शुरु किया गया।

महोदया, जहां तक नए टीके की बात है, यह सतत प्रक्रिया है। इस समय मंत्रालय का सारा ध्यान स्वाइन फ्लू पर है। अभी तक स्वाइन फ्लू का टीका नहीं आया है। हम स्वाइन फ्लू पर अनुसंधान कर रहे हैं। वर्तमान में 'पेन्टावालेन्ट' एक ऐसा टीका वैक्सीन है, जिस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है और अनेक निर्णय लिए जा चुके हैं। भविष्य में हमारे पास यह पेन्टावालेन्ट टीका होगा जिसे शुरु किया जाएगा ताकि इसे लगाना ज्यादा आसान हो सके और इसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा बीमारियां शामिल की जा सकें।

श्री अनंत कुमार: महोदया, देश में टीकों की अत्यधिक कमी है। टीकों का सीधा संबंध शिशु मृत्यु से है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 मिलियन बच्चों का जन्म होता है, जिसमें से 2.7 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उनकी उनके पहले जन्म दिवस से पहले ही मृत्यु हो जाती है। स्थिति यह है। दुर्भाग्य से, 17 जनवरी 2008 से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों से जीवन-रक्षक टीकें खरीदना बंद कर दिया है। वे कुल खरीद के 80 प्रतिशत की आपूर्ति करते थे। एक बड़े टीके घोटाले का आरोप लगाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका डाली गयी है। वस्तुत: अब ये टीके इन सरकारी क्षेत्र के इन तीन उपक्रमों से खरीदने के बजाए ग्रीन सिगनल बायों-फार्मा और वाटसन बायो-फार्मा से खरीदे जा रहे हैं। अत: माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मेरा सीधा प्रश्न यही है यदि घोटला हुआ है, तो संप्रग सरकार इसको उजागर करने के लिए किस प्रकार की जांच करा रही है?

दूसरे वह कौन से सुधारात्मक उपाय करने जा रही है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया केवल एक प्रश्न पूछें।

श्री अनंत कुमार: मैं केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूं। यह प्रश्न का भाग (ख) है।

अध्यक्ष महोदया: केवल एक प्रश्न पूछें।

श्री अनंत कुमार: उन्हें दवाओं की आपूर्ति बहाल करनी होगी। वस्तुत: माननीय मंत्री ने स्वयं इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि 14 राज्यों में जीवन-रक्षक टीकों की कमी है उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और विभिन्न अन्य राज्यों में 35-36 मिलियन टीकों की कमी के आंकड़ें दिए हैं। उनका यही उत्तर है। जहां शिशु मृत्यु दर इतनी अधिक है वहां टीकों की आपूर्ति बहाल करने के लिए उनकी क्या कार्य-योजना है?

श्री दिनेश त्रिवेदी: यदि कोई उत्तर को देखे तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि टीकों की कोई कमी नहीं है अत: वस्तुत: मुझे खेद है कि कुछ महीनों से आपूर्ति में कोई कमी नहीं थी।

लेकिन आपूर्ति कम थी और यही कारण हैं कि मैंने काफी लम्बा उत्तर दिया क्योंकि मैंने सोचा था कि सभी अनुपूरक प्रश्नों

को शामिल कर सकूं। यही उद्देश्य था। जैसा कि आप जानते हैं कि टीकों की आपूर्ति सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों द्वारा की जाती है...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः महोदया, देश में अब भी दवाओं की भारी कमी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं, अब उन्हें उत्तर देने दें।

श्री दिनेश त्रिवेदीः महोदया, सामान्यतः दो माह का भण्डार रखा जाता है और यदि भण्डार एक माह की आपूर्ति से कम हो जाता है, तकनीकी रूप से हम केवल तभी कहते हैं कि आपूर्ति नहीं है। जीवन की सच्चाई यह है कि चाहे सरकारी क्षेत्र का उपक्रम हो, मंत्रालय की इकाई हो अथवा निजी क्षेत्र हो... *(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः महोदया, उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि सरकारी और निजी विनिर्माता कुछ राज्यों में आपूर्ति में विलंब करके चूक कर रहे हैं। यही उत्तर दिया गया है...*(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदीः मैं यही बता रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः यदि आपमें धैर्य है, तो मेरी बात सुनें। ये सभी विनिर्माता इकाईयां चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों अथवा निजी क्षेत्र में, अपनी क्षमता को बढ़कार बताती हैं और हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिस समय हम आदेश देते हैं उसके बाद तीन माह की आवश्यकता होती है और 21 दिन जोड़े जाते हैं

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः महोदया, मेरा प्रश्न सीधा था। टीका घोटाले का क्या हुआ निजी कंपनियों से खरीद के बारे में क्या स्थिति है? वे मेरे सीधे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः यह संवाद जारी नहीं रह सकता। कृपया उन्हें उत्तर देने हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री जी, मैं समझती हूं कि आपने काफी विस्तृत उत्तर दे दिया है। क्या अब आप और कुछ कहना चाहते हैं?

श्री दिनेश त्रिवेदीः महोदया मुझे क्रमवार उत्तर देना है। मेरे पास क्रमवार उत्तर है...*(व्यवधान)*

मुझे क्रमवार उत्तर देने दें...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः महोदया, यह एक सीधा प्रश्न है। मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः केवल मंत्री महोदय का वक्तव्य ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री दिनेश त्रिवेदीः महोदया, दूसरी सभा में...*(व्यवधान)* मुझे उत्तर देने दें...*(व्यवधान)* यदि आप बैठे जाएं तो मैं उत्तर दूंगा। मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देना है।...*(व्यवधान)* यदि आप बैठे जाएं तो मैं उत्तर दूंगा। आपका समय समाप्त हो रहा है... *(व्यवधान)* मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः क्या आप उन्हें उत्तर देने देंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदीः यदि आप बैठ जाएं तो मैं उत्तर दूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

मुझे उत्तर देने दें। आपका समय समाप्त हो रहा है। ...*(व्यवधान)* मुझे उत्तर देने दें।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदया, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं थी। वैसे भी वैक्सीन जितनी पॉपुलेशन के लिए खरीदे जाते हैं, दुर्भाग्य से उनका पूरा उपयोग नहीं होता है। कई राज्यों में वैक्सीन की जितनी संख्या दी जाती है, उनका आधा भी खर्च नहीं होता। वैक्सीन की कमी तो तब आएगी, जब 100 प्रतिशत वैक्सीन दिया और 120 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो गया, 80 प्रतिशत वैक्सीन दिया और वैक्सीनेशन 100 प्रतिशत हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि प्रोडक्शन में कमी है, प्रोडक्शन और फील्ड में फर्क है, प्रोडक्शन में और फील्ड में कमी है। जहां तक फील्ड में कमी की बात है, वहां वैक्सीनेशन की कमी नहीं है...*(व्यवधान)* एक मिनट सुनेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अंनत कुमार: महोदया उनकी अपनी रिपोर्ट के अनुसार ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया नहीं।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चों के मामलों में वृद्धि

***364. श्री महेश जोशी:**
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षो में देश में एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चों के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार बच्चों सहित एचआईवी/एड्स के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं/औषधियां उपलब्ध कराती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) देश में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अत्याधुनिक अस्पतालों/क्लिनिकों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है तथा एचआईवी/एड्स से प्रभावित मरीजों विशेषकर बच्चों के उपचार में उनकी क्या भूमिका परिकल्पित की गई हैं;

(च) विशेषरुप से बच्चों में इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए है; और

(छ) इनके परिणामस्वरूप क्या सफलता हासिल हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद): (क) से (छ) एकीकृत परामर्श और परीक्षण केन्द्रों की संख्या 1476 से बढ़ाकर 5155 करने तथा उपचार हेतु सुविधा केन्द्रों की संख्या 52 से बढ़ाकर 217 करने से पता लगाए गए एच आई वी पाजिटिव बच्चों की संख्या नवम्बर, 2006 में 2253 से बढ़कर मई, 2009 में 52,973 के संचयी योग तक हो गई है। एच आई वी पजिटिव बच्चों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विभिन्न सरकारी सहायता प्राप्त सुविधा केन्द्रों में एच आई वी/एड्स के सभी रोगियों को प्रयोगशाला जांचे और उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस समय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (चरण-III) के अन्तर्गत 7,58,698 एच आई वी़ व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

217 चिकित्सा सुविधा केन्द्रों में एड्स के अग्रिम रोगियों के लिए निःशुल्क जांच और उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां पर 2,32,908 रोगियों का रिट्रोवायरल रोधी औषधों से उपचार किया जा रहा है जिनमें से 14,474 रोगी बच्चे हैं।

पहली पंक्ति की रिट्रोवायरल-रोधी औषधों के प्रतिरोधी 460 रोगियों को दूसरी पंक्ति का रिट्रोवायरल रोधी उपचार प्रदान करने के लिए 10 उत्कृष्ट केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों में एड्स के जटिल रोगियों का उपचार करने के लिए 7 क्षेत्रीय बाल रोग चिकित्सा केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। रिट्रोवायरल रोधी केन्द्रों और उत्कृष्ट केन्द्रों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में उच्च जोखिम वाले वर्गो के लिए लक्षित कार्यकलाप, रक्त जोखिम वाले वर्गो के लिए लक्षित कार्यकलाप, रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, यौन संचारित संक्रमणों का उपचार, एकीकृत परामर्श और परीक्षण सेवाएं, माता-पिता से बच्चे में संचरण का

निवारण, कन्डोम को बढ़ावा देना और जन जागरुकता कार्यक्रम शामिल हैं।

बच्चों में संक्रमण का मुख्य स्रोत उनकी पाजिटिव गर्भवती माता से शिशु को एचआईवी विषाणु संचरण के माध्यम से है। इस प्रवत्ति को रोकने के लिए वर्ष 2002 से माता-पिता से बच्चे में संचरण निवारण कार्यक्रम (पी पी टी सी टी) कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला को परामर्श और शिशु को खिलाने-पिलाने से संबंधित सुरक्षित विधियों सहित अल्पकालिक रोग निरोधक औषधि उपचार और सुरक्षित प्रसव पद्धतियों से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2008 में कुल 41 लाख गर्भवती महिलाओं को परामर्श दिया गया और उनका परीक्षण किया गया जिनमें से 19,986 महिलाएं पाजिटिव पाई गई और 10,179 माता-शिशु जोडों को माता से शिशु से संरचरण की रोकथाम करने के लिए रोग निरोधक उपचार प्राप्त हुआ।

व्यापक निवारक, परिचर्या और उपचार सेवाओं से एचआईवी महामारी का स्थिरीकरण हो गया है। एचआईवी की व्याप्तता दर वर्ष 2002 में 0.45 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2007 में 0.34 प्रतिशत हो गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कुछ उच्च व्याप्तता दर वाले राज्यों ने भी एचआईवी दरों में कमी दर्शाई है।

विवरण I

पता लगाए गए नए एचआईवी+बच्चे और एचआईवी परिचर्या के लिए पंजीकृत बच्चे

क्र.सं.	राज्य	नवम्बर, 2006	नवम्बर, 2007	नवम्बर, 2008	मई, 2009
1	2	3	4	5	6
1.	तमिलनाडु	620	3883	2446	2651
2.	महाराष्ट्र	453	5502	4714	1269
3.	आंध्र प्रदेश	99	6460	3807	748
4.	कर्नाटक	79	3613	2452	356
5.	मणिपुर	157	1143	387	87
6.	नागालैण्ड	14	237	109	42
7.	दिल्ली	310	690	592	76
8.	चंडीगढ़	114	188	44	19
9.	राजस्थान	58	390	482	88
10.	गुजरात	65	594	979	347
11.	पश्चिम बंगाल	35	215	208	95
12.	उत्तर प्रदेश	74	407	667	144
13.	गोवा	-	0	206	25
14.	केरल	86	343	99	74
15.	हिमाचल प्रदेश	-	65	59	34
16.	पांडिचेरी	5	38	55	8

1	2	3	4	5	6
17.	बिहार	78	168	355	39
18.	मध्य प्रदेश	4	234	461	1
19.	असम	1	39	39	23
20.	अरुणाचल प्रदेश	–	2	1	0
21.	मिजोरम	–	37	39	22
22.	पंजाब	–	310	273	116
23.	सिक्किम	1	1	0	0
24.	झारखण्ड	0	97	104	72
25.	हरियाणा	–	139	111	47
26.	उत्तराखण्ड	–	45	24	19
27.	त्रिपुरा	–	0	2	6
28.	जम्मू व कश्मीर	–	32	27	38
29.	उड़ीसा	–	105	216	142
30.	छत्तीसगढ़	–	0	153	36
31.	मेघालय	–	0	5	3
	कुल	2253	24977	19116	6627
	संचयी योग				52973

विवरण II

रिट्रोवायरल रोधी केन्द्र और उत्कृष्ट केन्द्र

रिट्रोवायरल रोधी केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	चल रहे रिट्रोवायरल रोधी केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	तमिलनाडु	31
2.	महाराष्ट्र	40
3.	आंध्र प्रदेश	31
4.	कर्नाटक	32
5.	मणिपुर	6
6.	नागालैण्ड	4
7.	दिल्ली	9
8.	चंडीगढ़	1
9.	राजस्थान	4
10.	गुजरात	9
11.	पश्चिम बंगाल	6
12.	उत्तर प्रदेश	7
13.	गोवा	1

1	2	3
14.	केरल	6
15.	हिमाचल प्रदेश	1
16.	पांडिचेरी	1
17.	बिहार	4
18.	मध्य प्रदेश	4
19.	असम	3
20.	अरुणाचल प्रदेश	1
21.	मिजोरम	1
22.	पंजाब	3
23.	सिक्किम	1
24.	झारखण्ड	2
25.	हरियाणा	1
26.	उत्तराखण्ड	1
27.	त्रिपुरा	1
28.	जम्मू व कश्मीर	2
29.	उड़ीसा	2
30.	छत्तीसगढ़	1
31.	मेघालय	1
	कुल रिट्रोवायरल रोधी केन्द्र	217

उत्कृष्ट केन्दों की सूची

1. राजकीय गांधी सामान्य अस्पताल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
3. मौलाना आजाद चिकित्सा महाविद्यालय, नई दिल्ली
4. बैराम जी जीजीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, नई दिल्ली
5. बेरिंग व लेडी कर्जन अस्पताल, बंगलौर, कर्नाटक
6. कोलकाता, ट्रापिकल मेडिसिन स्कूल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
7. सर जे.जे. अस्पताल, मुम्बई, महाराष्ट्र
8. राजकीय थोरेसिक मेडिसिन अस्पताल, ताम्बरम, चेन्नई, तमिलनाडु
9. बनारस हिन्दू विश्वद्यिालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
10. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल, मणिपुर

क्षेत्रीय बाल रोग चिकित्या केन्द्र

1. इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान, बंगलौर
2. एलटीएमजी, सिओन हास्पिटल, मुम्बई
3. जवाहर लाल नेहरु हास्पिटल, इम्फाल
4. कलावती सरन हास्पिटल, नई दिल्ली
5. चिकित्सा महाविद्यालय, कोलकाता
6. नीलोफर, हास्पिटल, हैदराबाद
7. बाल स्वास्थ्य संस्थान चेन्नई

[अनुवाद]

मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं

***365. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राज्यों में सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केरल सहित राज्य सरकारों से अपने राज्यों में सरकारी मेडिकल कालेजों और अस्पतालों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) सरकार राजकीय चिकित्सा कालेजों/अस्पतालों में आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं (सिविल कार्य एवं उपकरण प्रापण) में सुधार लाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सहित विभिन्न केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सरकारी अस्पतालों में आपाती सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण संबंधी परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है। ब्यौरे निम्नलिखत हैं:–

(i) सम्पूर्ण देश को कवर करते हुए वर्ष 2005 में शुरु किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों/जिला अस्पतालों में जन स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए अपने संबंधित पीआईपी में प्रस्ताव भेजती हैं। इनसे संबंधित राज्यों के लिए आबंटित संसाधन सहायता के आधार पर राज्य सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है।

(ii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (प्रथम चरण) के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 10 राज्यों के 13 मौजूदा सरकारी चिकित्सा संस्थाओं को उन्नत किया जा रहा है। चिकित्सा कालेज/अस्पताल संस्थाओं के आधारभूत ढांचे के उन्नयन में मौजूदा विभागों के सुदृढ़ीकरण/ सुपर स्पेशियलिटी खण्डों, नर्सिंग कालेजों, ओपोड़ी खण्डों आदि की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्नयन का कार्य 12 संस्थाओं में शुरु हो चुका है और शेष 01 संस्था नामत: आरआईएमएस, रांची में कार्य अगस्त, 2009 में शुरू किया जाएगा। अधिकतर संस्थाओं में सिविल निर्माण कार्य वर्ष 2009 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (चरण-ii) के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अंतर्गत मौजूदा 6 सरकारी चिकित्सा कालेजों/अस्पतालों को उन्नत करने का निर्णय लिया गया है। उन्नत किए जाने के लिए प्रस्तावित चिकित्सा कालेजों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(iii) "राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित राज्य सरकार के अस्पतालों की आपाती सुविधाओं का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण" परियोजना के अंतर्गत राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और केन्द्र सरकार ने आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए प्रत्येक अस्पताल हेतु अधिकतम 1.50 करोड़ की सहायता के अधीन रहते हुए वर्ष 2007-08 में 26 सरकारी अस्पतालों/चिक्त्सिा कालेजों: वर्ष 2008-09 में 55 सरकारी/चिकित्सा कालेजों, को वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा वर्ष 2009-10 में 15 सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा कालेजों का अनुमोदन किया गया है।

जहां तक केरल राज्य का संबंध है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-10) और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-2 के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पतालों के उन्नयन/नए निर्माण के लिए 100.9 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (प्रथम चरण) स्कीम के अंतर्गत 120 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से उन्नयन के लिए तिरुवनन्तपुरम चिकित्सा कालेज को लिया गया है, जिसमें भारत सरकार से 100 करोड़ रुपाये और राज्य सरकार से 20 करोड़ रुपये का योगदान मिलना है। उन्नयन कार्य अंतिम चरण में है और दिसम्बर, 2009 तक पूरा होने की संभावना है।

विवरण

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चिकित्या कालेज संस्थाओं का उन्नयन

पहला चरण

क्र.सं.	राज्य	संस्था का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	निजाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान, हैदराबाद श्री बेंकटेश्वर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, तिरूपति
2.	गुजरात	श्री बी. जे. चिकित्सा कॉलेज, अहमदाबाद
3.	जम्मू और कश्मीर	राजकीय चिकित्सा कॉलेज, जम्मू राजकीय चिकित्सा कॉलेज, श्रीनगर
4.	झारखण्ड	राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रांची
5.	कर्नाटक	राजकीय चिकित्सा कॉलेज, बैंगलूर
6.	केरल	राजकीय चिकित्सा कॉलेज, तिरूवनन्तपुरम
7.	महाराष्ट्र	ग्रांट्स चिकित्सा कॉलेज, मुम्बई
8.	तमिलनाडु	मोहन कुमार मंगलम राजकीय चिकित्सा कॉलेज, सलेम
9.	उत्तर प्रदेश	संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बी. एच. यू. वाराणसी
10.	पश्चिम बंगाल	कोलकता चिकित्सा कॉलेज, कोलकाता
दूसरा चरण		
1.	हरियाणा	पं. बी. डी. शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक

1	2	3
2.	हिमाचल प्रदेश	राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टांडा
3.	महाराष्ट्र	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नागपुर
4.	पंजाब	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, अमृतसर
5.	तमिलनाडु	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, मदुरई,
6.	उत्तर प्रदेश	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

[हिन्दी]

पाकिस्तान में सिख/हिन्दु परिवारों का विस्थापन

***366. श्री रमेश बैस:**
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान में रह रहे सिखों और हिन्दुओं को 'जजिया' देने के लिए मजबूर करने और अपने स्थानों/घरों को छोड़ने के लिए बाध्य करने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): (क) से (ङ) ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं कि पाकिस्तान में सिख परिवारों को उनके घरों से निकाला जा रहा है और उनके ऊपर जजिया एवं इसी तरह के अन्य कर लगाए जा रहे हैं। ऐसी सूचनाओं की जानकारी मिलने पर भारत सरकार ने यह मामला 1 मई, 2009 को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया था। इसके उत्तर में पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता से 2 मई, 2009 को यह टिप्पणी प्राप्त हुई कि पाकिस्तान में बसे सिख पाकिस्तानी नागरिक हैं और इसलिए भारत का उनसे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान सरकार को इस स्थिति की पूरी जानकारी है और वह अपने सभी नागरिकों खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के प्रति सजग हैं।

वन्यजीवों और वनों पर विकास संबंधी कार्यकलापों का प्रभाव

***367. श्री यशवंत लागुरी:**
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन क्षेत्र में खनन, औद्योगिक और विकास संबंधी कार्यकलाप देश के वन्यजीवों और आरक्षित वन क्षेत्रों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वन्यजीवों और वनों पर इन कार्यकलापों के प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कार्यकलापों से वन्यजीवों, वन और परिस्थितिकी की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) वनों और उनके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी खनन, औद्योगिक और विकास कार्यो का, वनों को हानि, वन्यजीवों को व्यवधान, पर्यावास का विखंडन और प्रदूषण के रूप में प्रभाव पड़ता है। तथापि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं वन मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 सहित कानूनों के मौजूदा उपबंधों के अंतर्गत कड़ी जांच करने के बाद तथा आवश्यक प्रशामक उपायों और सुरक्षा उपायों को शामिल करके और यह सुनिश्चित करने के बाद कि ऐसे कार्यो से वनों और वन्यजीवों को कोई खतरा नहीं होगा, ऐसे प्रस्तावों पर पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करता है।

(ग) और (घ) परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत ऐसी परियोजनाएं, जो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत आती हैं, उनके संबंध में मंत्रालय द्वारा मंजूरी के लिए विचार किए जाने से पूर्व उनका पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कराना

अनिवार्य है। इसके अलावा, मंत्रालय ने कतिपय मामलों में वनों और वन्यजीवों पर विकास कार्यो से पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए अध्ययन भी किए हैं। ऐसे प्रभाव आकालनों/अध्ययनों के निष्कर्षों का निर्णय प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई दुष्प्रभाव हों, तो उन्हें कम करने की बात को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) विकास कार्यो के दुष्प्रभावों से वन्यजीवों, वनों और परिस्थितिकी को बचाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है:-

1. वनों और वन्यजीवों सहित पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं, जैसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, वन्यजीव (संरक्षण), अधिनियम, 1972 और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 आदि।

2. वनों में और उनके आस-पास के क्षेत्रों में खनन, औद्योगिक कार्यो तथा विकास कार्यो से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे कार्यो से वनों और वन्यजीवों को कोई खतरा न हो, व्यापक कार्य विधियां और कार्य तंत्र निर्धारित किए गए हैं।

3. विकास कार्यो से संबंधित पर्यावरणीय मंजूरी के लिए कार्यतंत्र का विवरण देने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 (समय-समय पर संशोधित) और तटीय जोन विनियमन अधिसूचना, 1991 जारी की गई है।

4. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो के लिए उपयोग करने से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अंतर्गत वन सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

5. संरक्षित क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यो के मामले में राज्य के वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संबंधी स्थायी समिति के साथ-साथ माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति अपेक्षित है।

6. सरकार ने समूचे देश में स्थित अपने छह क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय/वन मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की मानीटरिंग करने के लिए एक कार्य तंत्र की व्यवस्था भी की है।

7. वन्यजीवों और उनके पर्यावासों का संरक्षण करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। वनों और वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात, एकीकृत वन संरक्षण' वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', बाघ परियोजना और हाथी परियोजना आदि के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

पैथोलॉजीकल लैबोरेटरीज के लिए मानदंड/दिशानिर्देश

***368. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजीकल लैबोरेटरीज के असंतोषजनक कार्यकरण के संबंध में हाल ही में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में पैथोलॉजीकल लैबोरेटरीज के कार्यकरण हेतु मानदंड/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं अथवा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निम्नस्तरीय पैथोलॉजीकल लैबोरेटरीज के कार्यकरण की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, यह सूचना स्तर पर नहीं रखी जाती है। जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, इन अस्पतालों में पैथोलोजिकल प्रयोगशालाओं के असंतोषजनक कार्यकरण के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सभी एकक मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, विभिन्न श्रेणी के जिला, उप-जिला स्तरीय जन स्वास्थ्य केन्दों हेतु भारतीय जन स्वास्थ्य मानक नामक मानकों का एक सेट विकसित किया गया है ताकि इन जन स्वास्थ्य केन्दों में प्रयोगशाला सेवाओं सहित परिचर्या सहित परिचर्या की गुणवत्ता के स्वीकार्य मानकों को प्राप्त किया जा सके और उन्हें बनाए रखा जा सके।

इसके अतिरिक्त, भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा पैथोलोजिकल प्रयोगशालाओं सहित प्रयोगशालाओं की जांच एवं उनकी दक्षता को

मान्यता देने के लिए एक स्वायत्त निकाय अर्थात् नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एन. ए.बी. एल.) की स्थापना की गई है। ये मान्यताएं हालांकि स्वैच्छिक होती हैं।

देश में नैदनिक प्रयोगशालाओं समेत नैदानिक स्थापना केन्द्रों हेतु न्यूनतम मानक विकसित करने के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाना इस मंत्रालय की प्राथमिकता है।

[हिन्दी]

अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों पर हमलों की घटनाएं

***369. योगी आदित्यनाथ:**
श्री एस. एस. रामासुब्बू:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों द्वारा आतंकवादी हमलों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के मारे जाने अथवा घायल होने के समाचार हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान हुई इस प्रकार की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अफगानिस्तानी प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अफगानिस्तानी प्राधिकारियों ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) अफगानिस्तान में कार्य कर रहे भारतीयों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): (क) और (ख) नवम्बर 2005 से अफगानिस्तान में आतंकवादी घटनाओं के परिणामस्वरूप दुर्घटना में 13 भारतीय मारे गए हैं, जिनमें पिछली दुर्घटना फरवरी 2009 में हुई थी।

(ग) और (घ) जी हां। अफगान सरकार, अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों की संरक्षा और सुरक्षा संबंधी हमारी चिंताओं का पूर्ण रूप से समर्थन करती रही है तथा उसने आतंकवादी हमलों को विफल करने के लिए सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती सहित समय-समय पर आवश्यक एहतियाती और निवारक उपाय किए हैं।

(ङ) भारतीय दूतावास, विशेषकर जब उसे आसन्न खतरे संबंधी सूचना प्राप्त होती है, अफगानिस्तान स्थित भारतीय राष्ट्रिकों को सुरक्षा एहतियात और अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखने की सलाह देते हुए नियमित आधार पर उनको सुरक्षा संबंधी सलाह भेजता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत चलाई जा रही परियोजनाओं हेतु अफगान सरकार की संबंधित एजेंसियों के साथ कारगर और नियमित संपर्क बनाया जाता है जो प्रांतीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए परियोजना कार्मिकों को अपेक्षित सुरक्षा और समर्थन उपलब्ध करवाती है।

[अनुवाद]

नर्मदा कार्ययोजना

***370. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:**
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नर्मदा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए गंगा कार्ययोजना की तर्ज पर नर्मदा कार्ययोजना शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने नदी की सफाई करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) सरकार ने प्रमुख नदियों के अभिनिर्धारित क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए कार्रवाई की है। इस दिशा में नदी संरक्षण के प्रयास वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना (जी ए पी) चरण-1 की शुरुआत के साथ आरंभ हो गए थे। गंगा कार्य योजना चरण-1 में गंगा नदी की सहायक नदियों को शामिल करने के लिए उसे 1993-96 के दौरान विभिन्न चरणों में गंगा कार्य योजना चरण-2 के रूप में विस्तारित किया गया था। वर्ष 1995 में सरकार ने अन्य प्रदूषित नदियों के अभिनिर्धारित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन आर सी पी) आरंभ की थी। एन आर सी पी के अंतर्गत इस समय 20 राज्यों में फैले 166 शहरों में 37 नदियों के प्रदूषित भू-भाग शामिल किए गए है। एन आर सी पी के अंतर्गत शामिल की गई नदियों में नर्मदा भी एक है। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दो शहरों अर्थात् जबलपुर और होशंगाबाद को नर्मदा नदी के प्रदूषण उपशमन कार्यो के लिए शामिल किया गया है। जबलपुर में योजना के अंतर्गत 1.445 करोड रु. की लागत से 100% केन्द्रीय निधियन के आधार पर पांच प्रदूषण उपशमन स्कीमें मंजूर की गई हैं। इस

राशि में से 1.36 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध करा दी गई है और तब से चार परियोजनाएं पूरी हो चूकी हैं। होशंगाबाद में मंजूर की गई स्कीमों की लागत भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 70:30 की लागत हिस्सेदारी के आधार पर 12.99 करोड़ रु. है। केन्द्रीय सरकार ने होशंगाबाद की स्कीमों के लिए अपने 9. 10 करोड़ रु. के हिस्से में से अब तक 5.30 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 3.89 करोड़ रु. हिस्से में से 2.06 करोड़ रु. की राशि जारी की है। ये स्कीमें अपने कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन

***371. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**
श्री बलीराम जाधव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बायो-मेडिकल अपशिष्ट के निपटान में ये दिशानिर्देश किस प्रकार सहायक होंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार किये गये थे और राज्यों तथा संघ राज्य को मार्च, 2002 में परिचालित किये गये थे। ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित के संदर्भ में अस्पताल अपशिष्ट के पृथक्करण, एकत्रण, ट्रीटमेंट, अपशिष्ट वाहन द्वारा लाने ले जाने और उसके निपटान के लिए व्यापक योजनाएं तैयार करके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियमावली, 1998 को कार्यान्वित करने हेतु अस्पतालों की मदद के लिए तैयार किये गये हैं:

- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का पृथक्करण, एकत्रण, भण्डारण, उसे वाहन द्वारा लाना ले जाना, उसका ट्रीटमेंट और निपटान करना।
- नुकीले औजारों विशेष रूप से ऑटो-डिसेबल सिरींजों का प्रहस्तन और निपटान करना।
- संक्रमण नियंत्रण और वैयक्तिक सुरक्षा उपाय।
- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन में दक्षताओं में सुधार करने के लिए अनुवीक्षण, मूल्यांकन जागरूकता, व्यवहार परिवर्तन और प्रशिक्षण।

मातृ-मृत्यु

***372. श्री मोहन जेना:**
श्री रामकिशुन

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व की एक चौथाई मातृ-मृत्यु भारत में होती है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में मातृ-मृत्यु दर अत्यधिक है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार मातृ-मृत्यु दर दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में मातृ-मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) "मैटरनल मोर्टेलिटी इन 2005" नामक रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यूएनएफपीए और विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात के नवीनतम अनुमानों के अनुसार उस वर्ष में विश्व में मातृ मौतों की संख्या 536,000 थी। उसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उस वर्ष से मातृ मौतों की पूर्ण संख्या 117,000 थी जिससे यह पता चलता था कि विश्व में होने वाली कुल मातृ मौतों में से एक चौथाई से कम भारत में हुई।

भारत के महापंजीयक (नमूना पंजीकरण प्रणाली) 2001-03 के अनुसार मातृ मौतों के मुख्य कारण रक्त स्राव (38%) सैप्सिस (11%), गर्भपात (8%) उच्च रक्तचाप संबंधी विकार (5%), अवरुद्ध प्रसव (5%) और अन्य कारण (34%) हैं।

यह मंत्रालय भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा आवधिक पर्यावेक्षणों के जरिए नमूना पंजीकरण प्रणाली से दिए गए मातृ मृत्यु अनुपात के आंकड़ों पर भरोसा करता है। आरजीआई-एसआरएस के अनुमानों के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 2001-03 के वर्षो में 100,000 जीवित जन्मों पर 301 से कम होकर 2004-06 के वर्षो में 100,000 जीवित जन्मों पर 254 हो गया है। इससे भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2.6 करोड़ जीवित जन्मों में से लगभग 67,000 मातृ मौतें होने का पता चलता है।

2001-03 के वर्षो में उच्च मातृ मृत्यु अनुपात वाले राज्यों सहित अधिकांश बड़े राज्यों ने भी इस अवधि के दौरान मातृ मृत्यु अनुपात में भारी कमी दर्शायी। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात के राज्य वार ब्यौरे संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और इसके छत्र के अधीन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आरम्भ किए गए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-2 में कमजोर जनस्वास्थ्य संकेतकों और कमजोर अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण जनसंख्या को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उलब्धता और पहुंच में सुधार करने का प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं–

* संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना, एक नकद लाभ योजना जिसमें गरीबी रेखा से नीचे और अनूसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
* दिन-रात (24 × 7) सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम रेफरल यूनिटों के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन।
* विभिन्न दक्षता आधारित जैसे दक्ष जन्म परिचर्या; जीवन रक्षक संवेदनाहरण दक्षताओं और सीजेरियन सेक्शन सहित आपाती प्रसूति परचिर्या में एमबीबीएस डॉक्टरों के प्रशिक्षण द्वारा दक्ष कार्मिक शक्ति की उपलब्धता को बढ़ाना।
* गर्भावस्था और स्तनपान कराने के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों के अनूपूरण द्वारा रक्ताल्पता की रोकथाम और उपचार सहित प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था।
* आंगनवाड़ी केंन्द्रों में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित करना।
* गर्भवती महिलाओं सहित समुदाय द्वारा परिचर्या सेवाओं की सुलभता को सुकर बनाने के लिए प्रत्यासित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति और जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेद्रों जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।
* उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फ्लेक्सी निधियों के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पद्धतियों का सुदृढ़ीकरण।

विवरण

मातृ मृत्यु अनुपात

भारत और राज्यवार

(स्रोत: आरजीआई, (एसआरएस), 2001-03, 2004-06)

प्रमुख राज्य	एमएमआर (2001.03)	एमएमआर (2004.06)
कुल भारत*	301	254
असम	490	480
बिहार/झारखण्ड	371	312
मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़	379	335
उड़ीसा	358	303
राजस्थान	445	388
उत्तर प्रदेश/ उत्तरांचल	517	440
आंध्र प्रदेश	195	154
कर्नाटक	228	213
केरल	110	95
तमिलनाडु	134	111
गुजरात	172	160
हरियाणा	162	186
महाराष्ट्र	149	130
पंजाब	178	192
पश्चिम बंगाल	194	141
अन्य	235	206

*अन्य शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव

***373. श्री नामा नागेश्वर राव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन के जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव और इस समस्या से निपटने के लिए देश की तैयारी का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार का विचार हितधारियों के साथ संयुक्त सहयोग करके स्थानीय विशिष्ट अनुकूलन उपाय विकसित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रमुख नदियों और बेसिनों सहित देश के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए समय-समय पर अध्ययन कराये गए हैं। "इन्डियाज इनिशियल नेशनल कम्युनिकेशन टू यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेनशन ऑन क्लाइमेट चेंज" में एक अध्ययन के निष्कर्षों का संक्षेपण किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जलवैज्ञानिक चक्र, जोकि जलवायु का एक आधारभूत घटक है, में जलवायु परिवर्तन के कारण बदलाव आने की संभावना है और प्रारंभिक आकलनों से पता चला है कि भारत के विभिन्न भागों में सूखे की गम्भीरता एवं बाढ़ की तीव्रता में तेजी आने की सम्भावना है। इस रिपोर्ट में आगे यह कहा गया है कि अनुमानित जलवायु परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप ऊष्मन, समुद्र स्तर में वृद्धि और ग्लेशियर पिघल जाते हैं, से भारत के विभिन्न भागों में जल संतुलन और तटीय मैदानों के किनारे भूजल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्षा एवं वाष्पन में बदलाव आने के कारण जलवायु परिवर्तन से भूजल प्रभावित होने की संभावना है। समुद्र का स्तर बढ़ जाने से तटीय और अन्तर्देशिय जलभृतों में लवणीय जल का प्रवेश बढ़ सकता है जबकि बाढ़ की तीव्रता और गंभीरता से कछारी जलभृतों से भूजल गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अत्यधिक वर्षा से अधिक अपवाह हो सकता है और संभवतः इसके कारण पुनर्भरण कम हो सकता है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलौर के माध्यम से अनुसंधान अध्ययन भी कराये गए है। एनआईएच द्वारा कराये गए अध्ययन से ग्लेशियर के घटने एवं उनके क्षेत्र विस्तार में कमी प्रदर्शित हुई है। यह भी देखा गया है कि अपवर्तन अवधि के दौरान, तापमान में वृद्धि के साथ-साथ हिमगलन अपवाह में वृद्धि होती है। आईआईएससी ने यह पाया है कि जलवायु परिवर्तन प्रभाव आकलन में कई अनिश्चितताएं विद्यमान हैं। इसके महत्व और इसकी नितांत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड और राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रेक्षित आंकड़ों के आधार पर गहन अध्ययन प्रारम्भ किए गए हैं। इन अध्ययनों में प्रख्यात शैक्षणिक संस्थापनों को सक्रियता पूर्वक लगाया गया है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना में आठ राष्ट्रीय मिशन प्रारम्भ करने की योजना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "राष्ट्रीय जल मिशन" शामिल है। जल संसाधन मंत्रालय ने राज्यों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, व्यवसायिकों, विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मिशन दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया है। मिशन दस्तावेज के प्रारूप में अनुकूलन उपायों सहित जलवायु परिवर्तन के जल संसाधनों पर प्रभाव से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए कई उपाय सुझाव दिए गए हैं। राष्ट्रीय जल मिशन के मुख्य उद्देश्यों में जल का संरक्षण, जल की बरबादी में कमी लाना और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बाहर और भीतर दोनों में जल का अधिक से अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना शामिल करना शामिल है। इस मिशन दस्तावेज के प्रारूप में उल्लिखि राष्ट्रीय जलमिशन के पांच लक्ष्य हैं: (क) सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक जल आंकड़ा आधार एवं जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव; (ख) जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए नागरिकों और राज्य की ओर से किए जाने वाले कार्यो को बढ़ावा देना; (ग) अतिदोहित क्षेत्रों के प्रति क्षेत्रों के प्रति अधिक ध्यान देना; (घ) 20% तक जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना और (ङ) बेसिन स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।

नकली चिकित्सक

***374: श्री के. सुगुमारः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में नीम हकीमों/नकली चिकित्सकों की गतिविधियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) राज्य आयुर्विज्ञान परिषदें जो चिकित्सकों को पंजीकरण प्रदान करती हैं, नीम-हकीमों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकार-सम्पन्न है। गैर-अर्हताप्राप्त/अपंजीकृत आयुर्विज्ञान चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956, भारतीय चिकित्सा केंन्द्रीय अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में उपबंध विद्यमान हैं। उपबंधों का उल्लंघन करते हुए कार्य करने वाले व्यक्ति को संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी जा सकती है। चूकि सार्वधिक उपबंधों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है, इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा नीम-हकीमों के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। केन्द्र सरकार के अंतर्गत, डाक्टरों की डिग्री का सत्यापन, जब कभी अपेक्षित हो, उनकी नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड में कथित भ्रष्टाचार

***375. श्री कौशलेन्द्र कुमार:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान सहायक कंपनी-वार और वर्ष-वार प्राप्त शिकायतों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो सहायक कंपनी-वार इसके क्या परिणम निकले;

(ङ) उन अधिकारियों का सहायक कंपनी-वार ब्यौरा क्या है जिनके विरूद्ध जांचकर्ता एजेंसिया ने आरोप दर्ज किए और जिन्हें इसके फलस्वरूप दण्डित किया गया अथवा दोषमुक्त किया गया; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं।

प्राप्त शिकायतों की संख्या

कोयला कंपनी के नाम	2006.07 शिकायतों की सं.	2007.08 शिकायतों की की सं.	2008.009 शिकायतों की सं.	2009.10 शिकायतों की सं.	कुल
1	2	3	4	5	6
ईस्टर्न, कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	262	218	367	102	949
भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल)	510	499	445	104	1558
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	219	518	458	137	1332
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	129	91	98	08	326
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)	40	131	177	75	423

1	2	3	4	5	6
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	476	374	129	20	999
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	08	15	14	06	43
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल)	02	08	06	02	18
कोल इंडिया लि. (सीआईएल)	13	38	31	02	84
कुल	1,659	1,892	1,725	456	5,732

(ग) जी, हां।

(घ) जांच के बाद जहां कहीं आवश्यक था, वहां विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और जांच के निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त दंड दिया गया था। सहायक कंपनी-वार तथा वर्ष-वार निष्कर्ष निम्नवत है:

कोयला कंपनी के नाम	2006.07		2007.08		2008.09		2009.10	
	भारी दंड	लघु दंड	भारी दंड	लघु दंड	भारी दंड	लघु दंड	भारी दंड	लघु दंड
ईस्टर्न् कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	11	26	22	29	11	03	10	03
भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल)	27	38	12	30	05	33	06	08
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	03	75	00	66	01	18	00	01
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	00	00	04	31	05	18	02	03
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)	08	03	03	05	03	10	03	05
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	02	02	08	06	04	02	00	00
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	09	12	01	20	00	17	00	00
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल)	00	00	00	05	00	07	00	01
कोल इंडिया लि. (सीआईएल)	01	03	00	06	00	00	00	00
कुल	61	159	50	198	29	108	21	21

(ङ) अधिकारियों के विरूद्ध जांच अभिकरणों अर्थात केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आरोप लगाए गए थे और उनके परिणामस्वरूप जिन्हें सजा दी गई अथवा निर्दोष ठहराया गया, उनके सहायक कंपनी-वार ब्यौरे निम्नवत हैं:

कोयला कंपनी के नाम	2006.07			2007.08			2008.09			2009.10		
	पंजीकृत	सजा दी गई	निर्दोष ठहराया गया	पंजीकृत	सजा दी गई	निर्दोष ठहराया गया	पंजीकृत	सजा दी गई	निर्दोष ठहराया गया	पंजीकृत	सजा दी गई	निर्दोष ठहराया गया
ईस्टर्न, कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	00	00	00	00	00	00	01	00	00	01	00	00
भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल)	00	00	00	02	00	00	03	00	00	05	00	00
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	06	00	00	08	00	00	03	00	00	02	00	00
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	00	00	00	02	00	00	00	00	00	02	00	00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)	05	00	00	04	00	00	05	00	00	01	00	00
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	03	00	00	02	00	01	00	00	00	00	00	00
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	00	00	00	05	00	05	00	00	00	00	00	00
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
कोल इंडिया लि. (सीआईएल)	00	00	00	01	00	00	01	00	00	00	00	00
कुल	14	00	00	24	00	06	13	00	00	11	00	00

(च) इस संबंध में कोयला कम्पनियों द्वारा किए गए उपाय निम्नवत है:

1. इन्टेग्रिटी पैक्ट का कार्यान्वयन।
2. प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाकर, वेबसाइट का प्रभावी उपयोग करके पादर्शिता को बढ़ाकर कदाचार को रोकना तथा जनता के बीच कार्य के निर्वहन में उत्तरदायित्व निर्धारित करके सतर्कता प्रशासन में सुधार लाना।
3. इन्टेग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने एवं निगरानी रखने के लिए सीवीसी के परिपत्र के अनुसार कोल इंडिया तथा सहायक कम्पनियों के लिए स्वतंत्र बाहय मानीटरों की नियुक्ति हेतु कार्रवाई की गई।
4. संवेदनशील पदों पर कार्यस्त कार्मिकों के स्थानान्तरण के बारे में सीवीसी के निर्देशों के प्रभावी अनुपालन हेतु संवेदनशील पदों की पहचान की गई है।

5. सहमत सूची तैयार करना।

6. सन्दिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची को अद्यतन करना।

7. सीबीआई के साथ नियमित बातचीत।

8. सीआईएल तथा सहायक कंम्पनियों एवं केन्द्रीय सतर्कता अधिकारियों और सीवीसी के उच्च पदों वाले अधिकारियों के बीच अन्तर-सक्रिय सत्र का आयोजन करना।

9. आईआईसीएस, रांची में सूचना के अधिकार अधिनियम के सत्र के दौरान कार्रवाईयों में पारदर्शिता को उजागार किया गया।

10. मौजूदा संविदा प्रबंध मैनुअल को युक्तियुक्त बनाना।

11. मुख्य तकनीकी परीक्षक की जांच हेतु मामलों को भेजना।

12. दण्डात्मक सतर्कता कार्रवाई से उत्पन्न न्यायकि मामलों की मानिटरिंग करना।

13. प्रणाली में सुधार के लिए अध्ययन करना।

[अनुवाद]

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य निर्माण

***376. श्री उदय सिंह:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा व्यापक कथित सैन्य अवसंरचना का निर्माण करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): (क) से (ग) सरकार को यह जानकारी है कि चीन तिब्बत झिनी जियांग स्वायत्तशासी क्षेत्रों में भारत के साथ वाले सीमा क्षेत्रों में अवसरंचना का विकास कर रहा है। इसमें झिगेज एवं निंगछी तक प्रस्तावति विस्तार सहित किंघाई-तिब्बत रेल लाईन तथा सड़क एवं विमानपत्तन सुविधाओं का विकास शामिल है। सरकार चीन के साथ लगे सीमा क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास पर सावधानीपूर्वक व विशेष ध्यान दे रही है, ताकि हमारी सामरिक एवं सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया जासके तथा साथ ही इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी सुविधाजनक बनाया जा सके। इसमें जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल हैं।

प्रवेश हेतु एकल संयुक्त मेंडिकल प्रवेश परीक्षा

***377. श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने यह सिफारिश की है कि देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु एकल संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश भी इस प्रस्तावित परीक्षा के माध्यम से होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने देश के निजी तथा सरकारी कॉलेजों को शामिल करते हुए चिकित्सा पाठयक्रम में प्रवेश के लिए एक एकल सामान्य प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव किया है। ऐसी परीक्षा से अनेक परीक्षाएं देने वाले छात्रों की समस्याएं ही समाप्त नहीं होंगी अपितु उक्त पाठयक्रम में छात्रों के चयन में होने वाला कदाचार भी कम होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है और इसके लिए राज्य सरकारों से परामर्श करना अपेक्षित होगा।

पुनर्प्रसंस्करण समझौते के लिए वार्ता में विलम्ब

***378. श्री मनीष तिवारी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-अमरीका असैनिक परमाणु समझौते के तत्वाधान में पुनर्प्रसंस्करण समझौते के लिए वार्ता निर्धारित समय के अनुसार हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि कोई विलंब है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस पुनर्प्रसंस्करण समझौते में विलंब के कारण रूस, जापान और फ्रांस से समान प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में सरकार के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अमरीका के साथ पुनर्प्रसंस्करण समझौता शीघ्र करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): (क) से (ङ) भारत और अमरीका के बीच शांतिपूर्ण द्विपक्षीय परमाणु सहयोग समझौते के अनुच्छेद 6 (III) के अनुसार 21-22 जुलाई, 2009 को वियना में भारत और अमरीका के बीच आयोजित बैठक के साथ ही पुनर्प्रसंस्करण व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के संबंध में विचार-विमर्श आरम्भ हो गये हैं। वार्ताओं में कोई विलम्ब नहीं हुआ है और न ही अंतिम रूप दी जाने वाली व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का भारत और अन्य देशों के बीच असैनिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में होने वाले समझौतों से कोई संबंध है।

आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की कमी

***379. श्री जी. एम.सिद्देश्वर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(हिन्दी)

प्राणी उद्यानों के लिए मास्टर प्लान

***380. श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्राणी उद्यानों के प्रबंधन और विकास के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) देश में प्राणी उद्यानों के सुधार और विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश के चिड़ियाघरों के भावी विकास के लिए "विजन 2002" नामक एक दस्तावेज तैयार किया है। तदनुसार सभी चिड़ियाघरों को अपने भावी विकास के लिए दीर्घावधिक मास्टर प्लान्स तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मास्टर प्लान्स तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और फॉमेंट भी परिचालित किए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा देश में चिड़ियाघरों के विकास के लिए धन उपलब्ध करा रहा है। पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान चिड़ियाघरों के विकास के लिए दी गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	चिड़ियाघरों को दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि (लाख रुपए में)
1.	2006-2007	1841.68
2.	2007-2008	1466.45
3.	2008-2009	1390.91
4.	2009 से आज की तारीख तक	143.86

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार खोलना

3384. श्री पूर्णमासी राम:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और दिल्ली से बाहर खोली गई केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर (सीजीइसीसीएस) केन्द्रीय भण्डार खोले जाने को विनियमित करने वाले नियमों/आदेशों के वर्तमान उपबंध क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भण्डार नियमों/आदेशों का अक्षरशः पालन करता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गत तीन वर्षो के दौरान केन्द्रीय भण्डार के बोर्ड द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट सौंपी गई है;

(च) इस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गयी है; और

(छ) स्टोर द्वारा अपने उपनियमों के अनुसार कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) दिल्ली और दिल्ली से बाहर खोली गई केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं की सूची विवरण I और II के रूप में संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय भण्डार ने मार्च, 2000 में अपने खुदरा भण्डार खोलने के लिए एक मापदण्ड अपनाया था। इनमें, अन्य बातों के साथ, यह बात भी शामिल है कि वह कालोनी जहां स्टोर खोला जाना है वहां कम-से-कम 600 रिहायशी आवास होने चाहिए; भण्डार के स्थान का आवंटन प्रतिमाह 1 रुपये के नाममात्र किराये पर होना चाहिए; भण्डार अधिमानतः एक मुख्य मार्ग पर होना चाहिए, जहां पहुंचने में आसानी हो; भण्डारों इत्यादि की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। तथापि, चूंकि सम्पदा निदेशालय केन्द्रीय भण्डार के लिए कोई स्थान आवंटित नहीं कर रहा है, अतः यह कार्यकारी समिति के अनुमोदन से मामला-दर-मामला आधार पर व्यवहार्य जगह पर पट्टा आधार पर स्थान का अधिग्रहण करके अपनी शाखाएं खोले जाने पर विचार करता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि नियमों/आदेशों का पालन किया जाता है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय भण्डार अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे सरकार को प्रस्तुत करता है। ये दस्तावेज संसद के दोनों सदनों में रखे जाते हैं।

(छ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अपनी उप-विधि के अनुसार कार्य करे, केन्द्रीय भण्डार बोर्ड में तीन निदेशकों को नामित किया है।

विवरण I

दिल्ली में केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं की सूची

1. आराम बाग
2. एण्ड्रयूज गंज
3. एएसआई
4. एशिया हाऊस
5. ए. वी. नगर
6. बीबीएम डिपो
7. भविष्य निधि
8. सीजीओ कॉम्पलैक्स
9. सी. आर. पार्क
10. कर्जन रोड
11. सी. आर. बिल्डिंग
12. डीआईजेड एरिया
13. दिल्ली विश्वविद्यालय
14. दिल्ली सचिवालय
15. गुलाबी बाग
16. गीता कालोनी
17. हरि नगर
18. आईएआरआई पूसा
19. आईएएआई महिपालपुर
20. आईएनए
21. आईआईटी हौजख़ास (I)
22. आईआईटी शोपिंग काम्पलैक्स

23. जाम नगर हाऊस
24. जेएनयू
25. जेएनयू शोपिंग काम्पलैक्स
26. जल विहार
27. जामिया मिलिया
28. जामिया हमदर्द
29. काली बाड़ी
30. कस्तूरबा नगर
31. कृषि विहार
32. कालकाजी डीटीसी डिपो
33. कृषि कुंज
34. कल्यानवास
35. लोधी रोड
36. लोधी रोड (एम)
37. महादेव रोड
38. मिण्टो रोड
39. मोती बाग-1
40. मोती बाग-2
41. मोती बाग (एन. डब्ल्यू.)
42. माल रोड
43. मैट्रो विहार
44. नेताजी नगर
45. नैरोजी नगर
46. नॉर्थ ब्लाक
47. एनसीईआरटी
48. एनटीपीसी
49. पण्डारा रोड
50. पेशवा रोड
51. प्रगति विहार
52. पंचवटी
53. पप्पनकलां
54. पटेल धाम
55. पटपडगंज
56. पीतमपुरा
57. पुष्प भवन
58. पुष्प विहार-1
59. पुष्प विहार-4
60 पुष्प विहार (मार्किट)
61. क्यू. ब्लॉक
62. आर. के. पुरम-1
63. आर. के. पुरम-2
64. आर. के. पुरम-3
65. आर. के. पुरम-4
66. आर. के. पुरम-5
67. आर. के. पुरम-6
68. आर. के. पुरम-7
69. आर. के पुरम (पश्चिम)
70. आर. के. पुरम-9ए
71. आर. के. पुरम-9बी
72. सादिक नगर
73. एस. नगर बी. ब्लॉक
74. एस. नगर एच. ब्लॉक
75. श्रीनिवास पुरी
76. सेंट स्टीफन अस्पताल
77. शालीमार बाग (एनडीपीएल)
78. तिमारपुर
79. तिमारपुर-2
80. उद्योग भवन
81. बसंत विहार
82. वसंत विहार (इंडि. एअर.)
83. विद्युत विहार
84. योजना भवन

विवरण II

दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं की सूची

महाराष्ट्र

1. एंटोप हिल, मुम्बई

तमिलनाडु

1. ओर्डनेंस एस्टेट, ट्रिचि
2. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क काम्प, कौंयम्बटूर

आंध्र प्रदेश

1. युसूफगुड़ा, हैदराबाद
2. तिरूपति
3. विशाखापटनम

पाण्डिचेरी

1. जिपमेर

कर्नाटक

1. कोरमंगलम, बैंगलूर

केरल

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कालेक्टोरेट, कोचीन
2. पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन

दमन

1. आर्टिलेरी बिल्डिंग, मोती दमन

गोवा

1. पणजी

गुजरात

1. गांधी नगर

हरियाणा

1. एनएचपीसी, सेक्टर-41, फरीदाबाद
2. केन्द्रीय विहार, गुड़गांव
3. जल वायु टावर, गुड़गांव
4. पावर ग्रिड टाऊनशिप

चण्डीगढ़

1. सेक्टर-17
2. सेक्टर-37 सी

पंजाब

1. रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला

उत्तर प्रदेश

1. नोएडा सेक्टर-36
2. एचएएल काम्पलैक्स, लखनऊ
3. जीएसआई कालोनी, लखनऊ
4. केन्द्रांचल कालोनी, लखनऊ
5. आईआईएम, लखनऊ
6. आकांक्षा कालोनी, लखनऊ
7. नोएडा, सेक्टर-82
8. नोएडा, सेक्टर-51
9. इलाहाबाद (नैनी)
10. मंकापुर

उत्तरांचल

1. प्रशासन अकादमी, मसूरी
2. मोहित नगर काम्पलैक्स, देहरादून

मध्य प्रदेश

1. ग्वालियर

राजस्थान

1. जयपुर

पश्चिम बंगाल

1. कोलकाता

झारखण्ड

1. रांची

भूटान से निकलने वाली नदियों से बाढ़

3385. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूटान की तरफ से निकलने वाली नदियों के समीपवर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खनन के कारण भारत में बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने भूटान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं/ उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) भारत और भूटान के एक संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) ने अप्रैल, 2005 में रेठी, दिमदिमा, तीती, जैवंती तथा पुगली नदियों में अवसाद भार तथा इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए निरीक्षण किया था। दल ने पाया कि कुछ नदियों में बिना योजना के रेत और बजरी का खनन किया गया था जो भारत की नदियों में गाद जमने से बाढ़ आने का एक कारण हो सकता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच नई दिल्ली में दिनांक 26-27 फरवरी, 2008 की बाढ़ प्रबंधन पर हुई संयुक्त विशेषज्ञ दल (जेजीई) की दूसरी बैठक में बिना योजना रेत और बजरी के खनन संबंधी मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किया गया था। बैठक में भूटान की ओर से सूचित किया गया है कि भूटान की शाही सरकार द्वारा आवश्यक कारवाई प्रारम्भ कर दी गई थी।

[हिन्दी]

स्वान नदी बाढ़ प्रबंधन हेतु प्रस्ताव

3386. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को स्वान नदी से नहर निकालने/इस पर तटबंध बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है और इस परियोजना हेतु कितनी राशि संस्वीकृत की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच पाला): (क) से (ग) जी, हां। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय हिस्सा-90%: राज्य का हिस्सा-10%) प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम संबंधी अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ 184.27 करोड़ रुपये की राशि की "स्वान नदी बाढ़ प्रबंधन एवं एकीकृत भूमि विकास परियोजना (चरण-ii)" नाम एक स्कीम प्रस्तुत की है। इस स्कीम पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 10 जुलाई, 2009 को आयोजित इसकी बैठक के दौरान विचार किया गया है।

[अनुवाद]

आरटीआई एक्ट के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराने सम्बन्धी शिकायतें

3387. श्री के. एस. राव:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान आरटीआई एक्ट के अंतर्गत प्राप्त तथा निपटाए गए आवेदनों की मंत्रालय/विभाग-वार संख्या और प्रकृति क्या है;

(ख) क्या सरकार को आरटीआई एक्ट के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा मांगी गयी कई जानकारियों को उपलब्ध नहीं कराए जाने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस अवति के दौरान सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को दोषी पाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) आवेदकों को कितने मामलों में रिकार्ड की अनुपलब्धता के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है; और

(छ) इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकयत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा मुहैया काराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमश: 24436, 171404 और 263261 थी। वर्ष 2008-09 और चालू वर्ष के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 100411 आवेदनों का निपटान किया गया परन्तु अन्य वर्षो के सम्बन्ध में आवेदनों के निपटान के बारे में और प्राप्त आवेदनों के बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम में यह व्यवस्था है कि आवेदक जिन्हें मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती है, वे केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष शिकायत या अपील कर सकते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम में शिकायतों का निपटान करने के लिए एक अन्तर्निहित क्रियाविधि है। इस आयोग को वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान 18803 शिकयतें और अपील प्राप्त हुईं।

(घ) और (ङ) आयोग ने कई लोगों को दोषी पाया और 200 से अधिक मामलों में शास्ति लगाई गई।

(च) सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में वनों का संरक्षण

3388. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषत: उत्तर-पूर्वी राज्यों में वनरोपण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा अपने क्षेत्र में वन संरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रवर्तन में की गयी कोताही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के सम्बन्ध में देश में विशेषत: उत्तर-पूर्वी राज्यों के सन्दर्भ में कार्यान्वयन हेतु परिकल्पित विशिष्ट पारिस्थितिकी विकास संरक्षण योजनाएं क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय, देश में अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों में वन विकास अभिकरण (एफ डी ए) के द्वि-स्तरीय विकेन्द्रित मेकेनिज़्म के माध्यम से वन प्रभाग स्तर पर और संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों (जे एफ एम सी) के माध्यम से ग्राम स्तर पर एक राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) कार्यान्वित कर रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2009 तक, 34,717 जे एफ एम सी के माध्यम से 1.58 मिलियन हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र को कवर करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में 139 परियोजनाओं सहित 28 राज्यों में 795 एफ डी ए परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वनीकरण/वृक्षारोपण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) देश में मौजूदा चार पारि-कृतिक बल (ई टी एफ) बटलियानों को सहायता देने के अलावा असम में अवक्रमित क्षेत्रों की पारिबहाली मंत्रालय द्वारा दो नए पारि-कृतिक बल बटलियन प्रचलित किए गए हैं।

(ii) मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थान, ग्राम/पंचायत वन योजना को शामिल करते हुए वनीकरण की नई स्कीम पर विचार किया गया है।

(iii) भारत सरकार के अन्य मंत्रालय, जिनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय उल्लेखनीय है, की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत वृक्षारोपण अनुमति गतिविधि है।

(iv) पर्यावरण और वन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वनीकरण और सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के कन्वर्जेन्स दिशानिर्देश और एन ए पी जारी किए गए हैं।

(v) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर घोषित राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत, 'हरित भारत' के लिए राष्ट्रीय मिशन पर, आठ मिशनों में से एक मिशन के रूप में विचार किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वनीकरण कार्यकरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में सहायता करना शामिल है।

(vi) वर्ष 2009-10 के संघ बजट में 500.00 करोड़ रुपये के आवंटन से एक नई राज्य योजना स्कीम प्रस्तुत की गई है, अर्थात वन आवरण की पुन:प्राप्ति और पुनरुद्धव के त्वरित कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।

(ख) राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा वन संरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के सम्बन्ध में हाल ही में किसी उत्क्रमण की सूचना मंत्रालय को नहीं दी गई है।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय निम्नलिखित प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पारिविकास और सुरक्षा उद्देश्य शामिल है:

1. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एम ए पी)
2. समेकित वन सुरक्षा स्कीम (आई एफ पी एस)
3. वन्यजीव वास-स्थलों का समेकित विकास
4. बाघ परियोजना
5. हाथी परियोजना
6. नमभूमियों, कच्छ वनस्पति और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण और प्रबंधन
7. जैव मण्डल रिजर्व

ऑटिज्म ग्रस्त लोग

3389. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहुत से लोग ऑटिज्म से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में इससे पीड़ित बच्चों के लिए काम कर रहे संगठनों के नाम क्या हैं; और

(घ) उक्त लोगों को समुचित उपचार और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सामूहिक शब्द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) के अन्तर्गत शामिल ऑटिज्म तंत्रिका विकास से सम्बन्धित एक विकार है। ऑटिज्म राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 की धारा 2(क) के अन्तर्गत कवर होता है।

भारत में ऑटिज्म की गणना का कोई रिकार्ड नहीं है। न तो एनएसएसओं और न ही जनगणना सर्वेक्षण में ऑटिज्म को एक पृथक श्रेणी के रूप में कवर किया गया है। इसलिए देश में ऑटिज्म से पीड़ित लोगों की संख्या की पुष्टि करना कठिन है।

(ग) संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत परिचर्या प्रदायक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आदि जैसे कई कार्यकलाप किए जाते हैं।

ऑटिज्म के बारे में कई प्रारम्भिक उपाय कार्यक्रम वापस एण्ड मिशन, मुम्बई के सहयोग से किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रस्ट के राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र ने सरकारी अस्पतालों में प्रारम्भिक उपाय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, राष्ट्रीय ट्रस्ट के पंजीकृत संगठनों द्वारा देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

देश भर में राष्ट्रीय ट्रस्ट कई स्कीमें जैसे कि समर्थ (आवासीय केन्द्र), निरमय (स्वास्थ्य बीमा स्कीम), एस्पीरेशन (दिवस परिचर्या केन्द्र), ज्ञान प्रभा (छात्रवृत्ति स्कीम), उद्यम प्रभा (ब्याज रियायत स्कीम) चलाता है।

भारत की पुनर्वास परिषद ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों से ग्रसित व्यक्तियों के प्रबंधन में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम चलाने हेतु केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है।

ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्तियों के समुचित उपचार में सर्वप्रथम इसके लक्षणों की पहचान करना और इसका निदान करना शामिल है। प्रबंधन का प्रमुख आधार प्रशिक्षण है। मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवसायी वाक् एवं भाषा थिरौपिस्ट, विशेष प्रशिक्षक आदि कम संख्या में उपलब्ध है और इसलिए ऐसे कार्मिक की नितांत आवश्यकता है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक घटक, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की समुदाय आधारित परिचर्या अपनाई है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मनोचिकित्सक के नेतृत्व में एक मानसिक स्वास्थ्य दल जिले में तैनात किया जाता है जो सेवाएं प्रदान करता है, सामान्य मानसिक रोगों की पहचान एवं उपचार करने के लिए सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिक को प्रशिक्षण प्रदान करता है और जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप करता है।

देश में स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा और स्कूलों एवं कालेजों में परामर्श सेवाओं के घटकों को शामिल करते हुए और अधिक जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की पुन: कार्यनीति तैयार करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अर्हता प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायियों की कमी को पूरा करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण विभाग और मानसिक स्वास्थ्य में उत्कृष्टता वाले केन्द्रों की स्थापना करने हेतु जनशक्ति विकास स्कीमें 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अनुमोदित की गई है।

विवरण

ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के साथ काम कर रहे उल्लिखित सरकारी कार्यालयों/गैर-सरकारी संगठनों के पते

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार
आफिस: शास्त्री भवन, लोग नायक भवन,
फैक्स: 011-2333849, 23385180
बेबसाइट-www.socialijustice.nic.in

नेशनल ट्रस्ट, भारत सरकार
16बी, बड़ा बाजार मार्ग
ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-60
फैक्स: 011-43187881
बेबसाइट-www.thenationaltrust.in

भारतीय पुनर्वास परिषद,
बी-22 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016
दूरभाष संख्या-011-26532816/26534287/26532384
फैक्स: 011-26534291
ई-मेल-rehabstd@nde.vsnl.net.in

मुख्य आयुक्त, विकलांगता
भारत सरकार,
सरोजनी, भवन, 6 भगवान दास रोड, नई दिल्ली
सचिव, समाज कल्याण विभाग,
जम्मू व कश्मीर सरकार, सिविल सचिवालय,
जम्मू तवी-190001

सचिव, समाज कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार, सचिवालय एनेक्सी,
लखनऊ-226001
सचिव, समाज कल्याण विभाग,
बिहार सरकार,
पटना

आन्ध्र प्रदेश
ऑटिज्म केन्द्र
विद्यारणय स्कूल,
सचिवालय के सामने
हैदराबाद।
दूरभाष: 9848546504 (सम्पर्क-माधवी)

अनोखी आशा
जुबली हिल्स,
पदमा गुडी, मंदिर के पास,
हैदराबाद
मोबाइल-9989730004

उपचारी कार्यकलाप सेवा संस्थान
8-2-616/बी/2/डी, मार्ग संख्या 11,
बंजारा हिल्स,
हैदराबाद 34

लेखादीप
श्री बी रामाजोगा राव,
सी-49, एजी स्टाफ क्वाटर्स कालोनी,
यूसुफगुड़ा, हैदराबाद-45
ई-मेल-into@navdisha.org

राष्ट्रीय मानसिक रूप से विकलांग संस्थान,
मनोविकास नगर बोवेनपेल्ली,
सिकन्दराबाद
ई-मेल-into@navdisha.org

आपरेशन माबीलाइजेशन इंडिया
पो. बा. नम्बर. 2014, सिकन्दराबाद-3

पीएएसी (ओस्टिक बाल अभिभवक संघ)
सुश्री लक्ष्मी
प्लाट 4-118/136
साईबाबा आफीसर कालोनी,
सैनिक पुरी,
सिकन्दराबाद-94
मोबाइल-9247165760

साई मनो थेजा मानसिक विकलांग सोसाइटी
पीवी कालोनी, पीवी औषधालय के पास
मनुगुरू (एम), खम्मम-507125,
आंध्र प्रदेश,
मोबाइल-9440564221
ई-मेल-saimanotejamhs@yahoo.com

संदीपनी (वाल्डआफ ग्रुप)
डॉ. लक्ष्मी प्रसन्ना
टीएसनगर, 10-2-289/120/33, फूड वर्ड के पास,
मसाब टैंक हैदराबाद
मो. 9440774807

श्रद्धा असाधारण बाल विशेष केन्द्र,
मार्ग संख्या 10,
बंजारा हिल्स, हैदराबाद

डॉ. श्रीनिवास,
वाक् चिकित्सक,
मेहदीपट्टनम, हैदराबाद,
मो. 9848063416

असम

सचिव
समाज कल्याण विभाग
असम सरकार, बाल भवन,
पूजन बाजार,
गुवाहाटी–781001

असम ऑटिज्म प्रतिष्ठान
5 दिनेश ओझा पथ, राजगढ़
गुवाहाटी-781005
असम,
मो. 786402792
ई-मेल-autismassam@sify.com

असम शिशु सारथी स्पेस्टिक्स सोसाइटी,
राम किशन मिशन रोड के सामने,
बिरूबरी, गुवाहाटी
ई-मेल-shishu.sarothi@yahoo.com

डॉ. शबीना अहमद,
विकासीय बाल चिकित्सक,
असम ऑटिज्म प्रतिष्ठान,
गुवाहाटी

छत्तीसगढ़

आकांक्षा लायंस मानसिक विकलांग स्कूल,
लायंस बेन, जल विहार,
रायपुर-492007,
छत्तीसगढ़

दिल्ली

समाज कल्याण विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार,
जीएलएनएस परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002,
दूरभाष-011-23319119
ई-मेल-dsw@nic.in

ओपन डोर
से.-5, जसोला विहार, साईं निकेतन के पीछे,
नई दिल्ली 110002,
दूरभाष 001-40540991/2
ई–मेल-autism@vsnl.com

तमन्ना संघ
डी-6, वसंत विहार,
नई दिल्ली 57
दूरभाष 26143853/26151572

प्रेरणा केन्द्र
एजी-123-डी
विकास पुरी,
नई दिल्ली 18

मनोविकास,
वृहद पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र,
पो. बा.- 9540,
दिल्ली-95
मो. 9868807772/9911107772

प्रेरणा केन्द्र,
सामुदायिक सुविधा, परिसर
मलिन बस्ती एवं जेजे विभाग,
बारहवां खण्ड, तिलक नगर,
नई दिल्ली-18
दूरभाष: 25991035

डिसएबिलिटी इंडिया नेटवर्क
बाल विकास सोसाइटी,
कॉटेज-15, ओबेराय अपार्टमेंट,
2-श्यामनाथ मार्ग, दिल्ली-54
ई-मेल-webmaster@disabilityindia.org

एक्सन फार ऑटिज्म,
सेक्टर-5, जसोला, इंस्टीटूयूशनल एरिया,
साईं निकेतन के पीछे, नई दिल्ली-25
दूरभाष 55347422/30964730
ई-मेल-autism@vsnl.com

स्कूल आफ होप,
सीपीडब्ल्यूडी परिसर,
चेनमया स्कूल के पास,
बसंत विहार, नई दिल्ली-57
दूरभाष 26143853/26151572
ई-मेल-tamanna@mantramail.com
(मार्फत तमन्ना)

नई दिशा वोकेशनल सेंटर, श्री कृष्ण प्रताप,
सी-10/8, वसंत विहार,
नई दिल्ली-57
दूरभाष 26151587/26148269

स्कूल एण्ड रिसर्च सेंटर फार चिल्ड्रेन विद ऑटिज्म एण्ड मल्टीपल डिसएबिलिटी,
सीबीआई कालोनी के पास,
बसंत विहार, नई दिल्ली-57
दूरभाष 26153474

सक्षम (एक क्लीनिक फार कम्प्रीहेंसिव एसेसमेंट)
डा. रमा कुमार, बी2 ए-1, जनक पुरी,
नजफगढ़ रोड़,
नई दिल्ली-58
दूरभाष 5534260/5506069
ई-मेल-brkumar@del2.vsnl.net.in

बाल चिकित्सक
डा. सुनन्दा कोली,
विकास बाल चिकित्सक,
केयर निधी, दिल्ली

डॉ. मोनिका जुनेजा,
बाल चिकित्सा प्रोफेसर,
मौलाना आजाद मेडिकल कालेज,
नई दिल्ली,

केनियोसेकरल, थेरेपिस्ट,
डॉ. संदीप,
दिल्ली,
मो. 9818704499

गोवा

चबी चीक्स (शिक्षा सहित)
स्प्रिंग वैली हाईस्कूल,
पिलेमे-बारडेज, गोवा

होली क्रास हाईस्कूल (शिक्षा सहित),
सतपुरूष मंदिर के पीछे,
बस्तोरा, मापूसा
गोवा,
दूरभाष 2278950/3106743

ज्योति सोसाइटी
सरकारी आईटीआई,
कुरतरकर, रेजीडेंसी,
दुकान सं.-4, बड़ोदा-मारगोवा,
गोवा,
दूरभाष 2765097

संगठ सेंटर (बाल विकास केन्द्र),
दिविल डे केयर सेंटर,
विद्युत केन्द्र के पीछे,
परवरीम, गोवा,
दूरभाष 2414916/2417914

गुजरात

दिशा चेरिटेबल ट्रस्ट,
319-320, रेसकोर्स टावर,
गोत्री रोड, बड़ोदरा-390007
Email-dishgtrus@igara.net

एकलव्य स्कूल, मैसर्स माना मल्होत्रा प्रसाद,
ग्राम-सन्थल, डाकघर-सरखेज,
अहमदाबाद-6
Email-eklavya@adl.vsnl.net.in

विकलांग संस्कार तीर्थ ट्रस्ट,
407 शहाजहांनांद ट्रेड सेंटर,
कथवला फ्लैट के सामने, प्रीतम नगर, एलीसब्रिज,
अहमदाबाद-6
Email-vstt@vsnl.net

हरियाणा

अपर्ण मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का संस्थान,
गांधी नगर, रोहतक-124001
Email-arpanimhca@yahoo.co.in

औरकिड्स,
35 गुलमोहर मार्ग
डीएलएफ-2, गुड़गांव,
हरियाणा-122002

औरकिड्स,
पंचकूला, चंडीगढ़ के पास,
एससीएफ-25, सेक्टर-15,
पंचकूला-चंडीगढ़
Email-info@ordidsped.com

सरकारी मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का संस्थान
सेक्टर-32, चंडीगढ़

खशबू वेलफेयर सोसायटी
लायन्स स्कूल के निकट,
सेंटर फार चिल्ड्रेन विद मल्टीपल डिसेलिटिज,
सेंक्टर-10 ए, गुडगांव-122001

बाल रोग चिकित्सक
डॉ. प्रतिभा सिंघी
प्रो. बाल रोग,
पीजीआईएमईआर,
चंडीगढ़

झारखण्ड

दीपशिखा
आर्यसमाज मन्दिर
स्वामी शंकरानन्द मार्ग,
रांची

कर्नाटक

आयुक्त
अशक्त व्यक्तियों के संबंध में राज्य आयुक्त कार्यालय
40, थम्बूचेटी रोड, कोक्स टाउन, बंगलौर-5
Email-discom@vsnl.net

भारतीय आउटिज्म सोसायटी,
60, विट्टल मलाय रोड,
बंगलौर-1
Website-www-autismoscetyofindia.org.

आउटिज्म ग्रस्त बाल विद्यालय
गम्भीर रूप से विकलांग एवं आउटिज्म ग्रस्त बाल अकादमी
एल-76/ए, एचबीसीएस किर्लोस्कर कालोनी, ।।। स्टेज, ।।/ब्लाक,
बश्वेश्वर नगर, बंगलौर-79
Emial-info@ashafaraguitsm.com
Website-www.ashafarguitsm.com

आशा किरण स्पेशल नीड स्कूल
15, 7वां मेन, दूसरा स्टेज, इन्द्रा नगर,
बंगलौर-38
मोबाइल: 9341272237 (सम्पर्क-श्रीमती रीता जेम्स)

बाल ज्योति विकलांग केन्द्र
25, बाल ज्योति, दूसरा मेन, एस के गार्डन,
बेन्सन टाउन, बंगलौर-46

बब्लस-लर्निंग एण्ड एक्टिविटी सेंटर 'आउटिज्म एवं अन्य विकासात्मक विलम्ब)
1279, के एच बी कालोनी, गोविन्दराज नगर, बंगलौर-79

द काम-डियाल ट्रस्ट
नं. 47, हचीन्स रोड, दूसरा क्रास,
सर्वजननगर (कूक्स टाउन)
बंगलौर-84

आउटिज्म केन्द्र (अपूर्व)
माफत लायन्स क्लब ऑफ सरक्की
फस्ट क्रास, 21 मैन, मरेना हल्ली,
जेपी नगर, फस्ट फेज, बंगलौर-78
मोबाइल: 9243195154
Email-atoora@sajautismcentre.org.

आउटिज्म ग्रस्त बच्चे (सुश्री नीलम कल्ला)
द किरयेशन फाउंडेशन
39/3 नेताजी रोड, फैजर टाउन,
बंगलौर-5

दीपिका (आउटिज्म से अत्यधिक ग्रस्त बच्चों को स्वीकार करती है)
संख्या 9, पहला क्रास, शंकरापुरम, बंगलौर-4

नव चेतना-स्कूल 4 मेंटली चेलेंज,
संख्या 464, एमएलए कम्पाउंड, पहला तल, नौवा मैन,
बी एस के-2-स्टेज,
बंगलौर-70
Email-vijay@navchetanatrustorganistion.com

तन्मया आत्मा
आत्मा शक्ति विद्यालय,
113, मधुबन कालोनी, हुली माहू विलेज,
बनेरीघाटा,
बंगलौर-76

रेनबो सेन्टर फार आटिज्म,
31, पांचवां क्रास,
5 मैन, इन्द्रा नगर, फस्ट स्टेज,
बंगलौर-38

सोफिया अपोर्चूनिटी स्कूल,
70 प्लेस रोड,
बंगलौर-1

सनसाइन आटिज्म ट्रस्ट
280, छठा क्रास, दमलूर लेआउट,
बंगलौर-71
Email-sunhshimeautism@vsnl.net

आशा सेंटर फार डवलपमेंट डिसवेलिटीज,
के. एंड. के सब एरिया, कब्बन रोड,
बंगलौर-1

नैदानिक सेवाएं
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान,
होसुर रोड,
बंगलौर-29

सेंट जोन्स मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल
बंगलौर-34

स्पास्टिक सोसायटी ऑफ कर्नाटक,
नैदानिक और अनुसंधान केन्द्र,
31, पांचवां क्रास,
5 मैन, इन्द्रा नगर, फस्ट स्टेज,
बंगलौर-38

सेंटर फार चाइल्ड डवलपमेंट एण्ड डिसेवेलिटीज,
(स्कूम्भ बिट ट्रस्ट का एक यूनिट)
6, ग्रांउड फलोर, चित्रपुर भवन,
8 मैन, 15वां क्रास, मालेश्वरम,
बंगलौर-55
Email_lochrc@airtelbroadband.in

एसआरसी इन्स्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग
हेनूर रोड, बंगलौर-84

परिज्मा न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर
बीटीएस डिपो रोड, आफ डबल रोड
विन्स्टन गार्डन, बंगलौर-27

ट्रेनिंग एण्ड सपोर्ट सर्विस
कर्नाटका पैरेन्टस एशोसिएशन फार मेन्टली रिटार्टेड सिटीजन
एएमसी कंपाउण्ड, हासूर रोड,
नियर किदवई मेमोरियल हास्पीटल
बंगलौर-29

स्पाटिक्स सोसायटी आफ कर्नाटक
डायग्नोस्टि एण्ड रिसर्च सेंटर
31, पांचवां क्रास, पांचवां मेन रोड, इन्दिरानगर, फर्स्ट स्टेज,
बैंगलौर-38

आशा-अकादमी आफ सेवेयर हैंडीकैप एण्ड आस्टिम
एल76/ए, एचबीसीएक किरलोसकर कालोनी, III स्टेज, IV ब्लाक
वास्वेस्वरनगर, बंगलौर-79
Email-info@ashafarorautism.com
Website: www.ashaforautism.com

इन्फार्मेशन एण्ड रिसोर्स सेंटर
नं. 9, फर्स्ट क्रास, शंकरापुरम, बासववनागुड़ी, बंगलौर-4

व्यावसाविक सहायता
मनोचिकित्सक
बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा विभाग
निम्हांस, हासूर रोड, बंगलौर-29

डॉ. शोभा श्रीनाथ
प्रो. एवं विभागाध्यक्ष बाल एवं किशोर मनश्चिकित्सा विभाग
डॉ. शेखर शेषाद्रि
डॉ. सतीश गिरिमाजी
डॉ. मुकेश
निम्हांस, हासूर रोड, बंगलौर,

डॉ. एम. वी. अशोक
सहायक प्रोफेशर एवं परामर्शदाता बाल मनोरोग चिकित्सक मनश्चिकित्सा विभाग, सेंट जान मेडिकल कालेज एवं हास्पीटल
बंगलौर-34

डॉ. यशोसनी
स्पास्टिक्स सोसायटी आफ कर्नाटक
31, पांचवां क्रास, पांचवां मेंन, इन्दिरा नगर
पहला स्टेज, बंगलौर-38

बाल रोग चिकित्सक
डॉ. नन्दिन मुंदकर
बंगलौर चिल्ड्रन हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर
6, चित्रपूर काम्लेक्स, आठवां मेन, पन्द्रहवां क्रास
मालेस्वरम, बंगलौर-56

डॉ. निखिल चिनप्पा
मनिपाल हास्पीटल

डॉ. हरीराम
सागर अपोलो हास्पीटल

डॉ. रंजन पेजावर
नियोन्यूटोलाजिस्ट
के. आर. हास्पीटल, बंगलौर

तंत्रिका रोग विज्ञानी
डा. एम एस महादेव्या
स्पास्टिक्स सोसायटी आफ कर्नाटक
31, पांचवां क्रास, पांचवां मेन, इन्दिरा नगर
पहला स्टेज, बंगलौर-38

डा. सुरेश अरूर
परिजमा न्यूरो-डायग्नोस्टिक एवं रिहैबिलेशन सेंटर
बीटीएस डिपो रोड आफ डबल रोड
विल्सन गार्डन, बंगलौर-27

मनोरोग विज्ञानी

डा. सुलता शेनॉय
परिजमा न्यूरो-डायग्नोस्टिक एवं रिहैबिलेशन सेंटर
बीटीएस डिपो रोड आफ डबल रोड
विल्सन गार्डन, बंगलौर-27
टेली: 080-22238534

डा. गायत्री कृष्णा
एजूकेशनल साइकोलोजिस्ट
वृंदावन साइको-एजूकेशनल सोसायटी
45, नवां ए मेन रोड, दूसरा ब्लाक
जयानगर, बंगलौर-11
टेली: 080-26567311

डा. उमा हरासेव
मनोरोग विभाग
निम्हांस, हासूर रोड,
बंगलौर-29

स्पीच एवं लैंगुएज पाइथेलोजिस्ट
सुश्री नियाश्रा महेश
स्पास्टिक्स सोसायटी आफ कर्नाटक
31, पांचवां क्रास, पांचवां मेन, इन्दिरा नगर
पहला स्टेज, बंगलौर-38
टैली: 080-25280935

डा. प्रतिभा करांत
एसआरसी इन्स्टीट्यूट आफ स्पीच एवं हियरिंग
हेनूर रोड, बंगलौर-84
टेली: 080-25470037

साथ ही
द कॉम-डियल ट्रस्ट
न. 47 हच रोड, दूसरा क्रास
सर्वजन नगर (कुकस टाउन) बंगलौर-84
टेली: 080-2580826
Email% infor@communicationdeall.org
Website:www.communicationdeall.org

डा. एन शिवशंकर
विभागाध्यक्ष
स्पीच पैथालाजी एवं आडियोलाजी विभाग
निम्हांस, हासूर रोड, बंगलौर-28*

सुश्री राधिका पुवैइया
बंगलौर मोबाइल 09845018302

आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट
सुश्री शुभांगी धुरू
बंगलौर
टेली: 080-25527085 एवं 9900597551
Email: shubha4dhuru@yahoo.co.in

श्री आर. इंगरसोल
प्रेमजी आक्यूपेशनल थेरेपी एण्ड रिहैबिटेशन सेंटर
नं. 137/3, रामास्वामी पालिया कामनाहल्ली मेन रोड
बंगलौर-560033
Email: occupationaltherepy@gmail.com

मि. सेन्थिल कुमार
सेंट जान्स मेडिकल कालेज, बैंगलोर

सपोर्ट सर्विसेज
मदर्स सपोर्ट ग्रुप,
60 विठ्ठल माल्या रोड,
बैंगलोर-560021
टेलीफोन: 080-22213670
Email: autismsociet@gmail.com & vhmathias@yahoo.co.in

मैसूर

आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग,
मयमिशम कैंपस, मानस गंगोत्री,
मैसूर-570006
टेलीफोन: 0821-2514449/251515410/2515805-180
Website: www.aiishmysore.com

स्वाहेय समुच्चय पैरेंटस ऑरगेनाइजेशन
ऑफ एम आर एण्ड सी पी
38, आठवां मेन, कमाक्सी हॉस्पिटल रोड
मैसूर
दूरभाष: 0821-2540035

केरल

सेक्रेटी,
डिपार्टमेंट आफ सोशल वेलफेयर,
गवर्नमेंट आफ केरल, गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट,
तिरूवनन्तपुरम-695001

आदर्श चैरिटेबल ट्रस्ट,
श्री नीलकंठन/श्री महादेवन,
17/298, अंचेरी मडोम, एल्मना रोड,
त्रिपुनीथुरा-682301
टेलीफोन: 9447221900/2784842

बालविकास इन्स्टीट्यूट,
बाल विकास बिल्डिंग, गांधी मार्ग,
हिन्दुस्तान लेटेक्स के सामने, प्रुकड्डा,
तिरूवनन्तपुरम
टेलीफोन: 433646, 4333628

नवज्योति आस्टिम प्रोजेक्ट,
डा. सीता लक्ष्मी जार्च,
सुश्री फैन्नी जे. पी.
नवज्योति चाइल्ड साइकेट्री सेंटर,
कुसुमागिरि पोस्ट, कक्कना,
कोच्चि-682030
0484-2422215/2422160

रीच स्वासराया,
सुश्री शांता मेनन,
पीओ कुथ्थुर, त्रिचुर
केरल-680013
Email- swasraya@sancharnet.in

मध्य प्रदेश

कंपोजिट रीजनल सेटर फार पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज,
नियर नूतन कालेज, लिंक रोड नं. 2, शिवाजीनगर,
भोपाल-462016
टेलीफोन: 2578073

मणिपुर

आल मणिपुर मेन्टली हैडीकैप्टड पर्सन्स वेलफेयर आर्गनाजेशन,
केशमाथांग टाप, लर्क, इम्फाल-795008
टेली: 223537

महाराष्ट्र

मुम्बई
सेकेट्री,
डिपार्टमेंट आफ सोशल वेलफेयर,
गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र मंत्रालय,
मुम्बई-400032

फोरम फार आस्टिम
सेकण्ड फ्लोर, ब्लाक-ए, जेष्टाराम पार्क,
डा. अम्बेडकर रोड, दादर,
मुम्बई-400014
formforautism@hotmail.Com

एनआईएमएच रीजनल सेंटर
ए वाई जे एन आई एच एच कैपस,
के सी मार्ग ब्रान्द्रा रीक्लेमेशन,
मुम्बई
टेलीफोन: 022-6442880
Email:nimhrcm@vsni.net

सोपान
ए-4 सिल्वर आर्चण, रामनगर,
बोरीवली वेस्ट,
मुम्बई-400092
टेली: 022-28064443/28864183

उम्मीद चाइल्ड डेवेलपमेंट सेंटर
ग्राउंड फ्लोर, मंत्री प्राइज,
1-बी-1/62, एन एम जोशी मार्ग,
सुभाष नगर नियर चिंचपोकली स्टेशन,
लोअर परेल मुम्बई-400011
टेली: 65528310, 65564054, 23002006, 23001144
Email: ummeed@vsnl.net

आशियाना
नित्यानंद म्युनिसिपल स्कूल,
सहारा रोड, अंधेरी ईस्ट,
मुम्बई
टेली: 022-26845062, 26125742

कम्युनिकेशन डेल,
चारनी रोड, मुम्बई

चाइल्ड डेवेलपमेंट क्लीनिक,
वीर सावरकर मार्ग,
मुम्बई
दिशा अर्ली इंटरवेंशनन सेंटर,
विले पार्ले वेस्ट, मुम्बई

अली यावर जंग इंस्टीट्यूट,
बांद्रा वेस्ट, मुम्बई

इंस्टीट्यूशन फार एक्सेप्शनल चिल्ड्रन
म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिग,
टोपीवाला लेन, गिरगांव
मुम्बई
टेली: 23868501

लाइन्स जुहू सेंटर फार दी चिल्ड्रन इन नीड आफ स्पेशल केअर
गुजरात रिसर्च सोसायटी
रामकृष्ण मिशन मार्ग,
खार वेस्ट, मुम्बई-400055
टेली: 26462691

प्रेरणा-सेंटर फार आस्टिम एण्ड रिलेटेड डिस्आर्डर
कोलाबा, मुम्बई

मानव सेवा संघ,
सायन, मुम्बई

दक्षिण्य स्पेशल एजूकेशन सेंटर एण्ड स्कूल फार आस्टिम
ए-32/250, ओल्ड सिद्धार्थ नगर
रोड नं. 10, बिहाइंड आदर्श विद्यालय
गोरेगांव वेस्ट
मुम्बई-400062
टेली: 9819023790

प्रियांज स्पेशल स्कूल,
239/1905, मोतीलाल नगर नं. 1
अच्युत बेहरे मार्ग
नियर गणेश मंदिर, रोड नं. 4, गोरे गांव वेस्ट
मुम्बई-400104
टेली: 022-28753880/9821098325
Email: priyanjschool@yahoo.co.in

एस ए आई
173, रामकृष्णा, सेकेंड फ्लोर
टेंथ रोड, खार वेस्ट, मुम्बई-400052
टेली: 022-26007267
Email: kamini108@rediffmail.com

साईराम आस्टिम
केअर आफ जय वकील स्कूल
सेवारी हिल्स, सेवारी रोड
मुम्बई-400033
टेली: 022-24701129/24702285

समर्पण
एम जी रोड म्युनिसिपल स्कूल
पार्ले विद्या तिलक मंदिर के सामने
थर्ड फ्लोर, एवब मराठी मीडियम स्कूल
नियर केसरेकेर गार्डन
विले पार्ले ईस्ट, मुम्बई-400057
टेली: 022-26336537/56043998

श्रीमती राधाबाई जमनादार ठक्कर आस्टिक सेंटर
श्री मानव सेवा संघ
255-257, सायन रोड, सायन वेस्ट
मुम्बई-400022
टेली: 24092266/24077350/ 24077327
Email: smss@bomb8.vsnl.com

एसपीजी साधना स्कूल
डा. रोसेन्दो रिबेरो चिन्ड्रन्स काम्प्लेक्स
सोफिया कालेज कैम्पस
भुलाभाई देसाई रोड,
मुम्बई-400026

सी ए आर डी (सेंटर फार आस्टिम एण्ड रिलेटेड डिसआर्डर्स)
सुश्री प्रेरणा एण्ड पारूल कुम्फथा
काफी परेड, मुम्बई
टेली: 022-22164110/ 30949595

सनसाइन स्कूल
प्रमीता मजूमदार
नियर अबाट होटल, सेक्टर-2
वासी, नवी मुम्बई-400701
टेली: 022-27894786/27821731/09930530543/9869489545

पीडियाट्रीशियन

डा. माधुरी कुलकर्णी
प्रोफेशर आफ पीडियाट्रिक्स
सायन हास्पीटल, मुम्बई

डा. विधा कृष्णामूर्ति
डेवेलपमेंट पीडियाट्रिशन
उम्मीद चाइल्ड डेवेलपमेंट सेंटर, मुम्बई

डा. ब्रजेश उदानी
हिन्दुजा हास्पीटल
मांटुगा रोड, मुम्बई
टेली: 4451515/4452222

अदर सिटिज इन महाराष्ट्र

आस्टिम सेंटर
केअर आफ प्रसन्ना हास्पीटल, डेक्कन जिमखाना
पुणे-411004
टेली: 020-2562246
Website: www.rasannaautim.org
Email: infor@prasannaautism.org

भारतीय समाज सेवा केन्द्र
बर्था वरादा, सिक्स लेन
प्लाट नं. 373, कोरेगांव पार्क
पुणे-411001
020-26128002/26055332
Email: bssk@bsskindia.org

प्रिज्म फाउन्डेशन
डा. पदमजा गोडबोले
प्रसन्ना आस्टिम सेंटर
895, शिवाजी नगर
डेक्कन जिमखाना, पुणे-411004

साधना विलेज
1. प्रियांकित, लोकमान्य कालोनी
अपो. वनाज, पोड रोड
पुणे-411038
टेली: 020-25380792/25171223/22960224
Email: ranjana@sadhana-village.org
Adm&sadhana-village.org
Website: www.sadhana-villageorg

स्वीकार
एसोशिएशन आफ पैरेन्टस आफ मेंटली रिटार्टट चिल्ड्रन
रु 85, आरएमएस कालोनी, नागपुर-13
टेली: 580350

मेघालय

द्वार झिंक्यारमेन स्कूल फार चिल्ड्रन इन स्पेशन एजूकेशन
स्टोनीलैंड, शिलांग-793003
टेली: 0364-221226
Email: dwar_jingkyrmen@hotmail.com

उड़ीसा

विकास
डी-2/7 इन्डस्ट्रीयल इस्टेट
रसूलगढ, भुवनेश्वर
उड़ीसा-751010
टेली: 0674-582006/585220
Email: vikashbsr@hotmail.com

राजस्थान

जयपुर

एडीशनल कमिश्नर (डिसएबिलिटी)
अम्बेडकर भवन, बिहाइंड पंथ कृषि भवन
भगवान दास रोड
जयपुर-302005
टेली: 0141-2383641

संभव
बी-4/24 चित्रकुट
अजमेर रोड, जयपुर
टेली: 09214350987

तमिलनाडु

चेन्नई
अकादमी आफ स्पेशल एजूकेशन
मि. जान मुरूगशेलवन
37, नयनार नदार रोड
मिलापुर, चेन्नई-600004
टेली: 044-2460046
Email: jms_hope@eth.net

अक्या
न्यू नं. 7, ओल्ड नं. 1/1
भागीरथी अम्मल स्ट्रीट
राजा अन्नामलाइपुरम
चेन्नई-600028
टेली: 044-24938443/24993892/9840057975
Website: aikya.org

ब्राइट-दि लर्निंग सेंटर
प्लाट नं. 1419, थिरुवल्लूवर नगर
अन्ना नगर वेस्टएण्ड एक्सटेंशन
मोगाप्पेयर, चेन्नई-37
टेली: 044-65126644/65197703/26610405/9283127274
Email: contact@austsmbright.com
Web: www.autismbright.com

चेन्नई होलिस्टिक हेल्थ सेंटर फार आस्टिम
प्लाट नं. 218, पल्कलाई नगर
पलवक्कम, चेन्नई-600041
टेली: 044-24511670
Email: ism_chhc@hotmail.com
Website www.autismchennai.in

मारूति सेवा
मि. रामलिंगम वी एस
188डी पप्पामल 12थ स्ट्रीट
जीकेएम कालोनी
चेन्नई-82
टेली: 25500410
Email: marutisavatgrust@hotmail.com

मधुराम नारायनन सेंटर फार एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन
मिसेज जया कृष्णास्वामी
126, जीएन चैट्टी रोड, टी नगर
चेन्नई-17
टेली: 044-8281042, 8267568

नवदिक्षा मांटेसरी स्कूल
सुश्री मनीमेकलाई कुमार
कल्कि नगर, थर्ड क्रास स्ट्रीट
नियर एजीएस कालोनी
सिक्थ मेन रोड, वालाचेरी
चेन्नई-42
टेली-044-20022823

स्पास्टिक्स सोसायटी आफ तमिलनाडु
टीटीआई इन फ्रान्ट आफ तारामनी रोड
चेन्नई
टेली: 044-2541133/2541651
Email: spastn@vsnl.net.in

स्वबोधिनी
सुश्री राधा गणेश एण्ड सुश्री रामायनी रवि
नं. 21, राजगोपालन, सेकण्ड स्ट्रीट
फर्स्ट सी वार्ड रोड, वाल्मिकी नगर
चेन्नई-41
टेली: 044-24452485

संकल्प लर्निंग सेंटर
क्यू-9, न्यू नं. 41, सिक्थ एवेन्यू,
चेन्नई+ 40
टेली: 044-42113947
Email: sulata.sankalp@airtelbroadband.in

स्वाभिमान ट्रस्ट
प्लाट नं. 218, पल्कलाई नगर
पलवक्कम, चेन्नई-41
टेली: 044-24511670
Email: infor@autismchennai.in

श्री नारायण चाइल्ड एण्ड टीन केअर
वादापालानी
चेन्नई
कान्टेक्स डा मनु नारायणन, पीडियाट्रिशियन
टेली: 09841410680
Email: srinarayanachild@yahoo.com

सृष्टि (आरती श्रुति मेमोरेबल ट्रस्ट)
बी-4, जे जे नगर ईस्ट
चेन्नई-50
टेली: 9444010099

वी ओएक्सेल एजूकेशनल ट्रस्ट
1, नारटन स्ट्रीट
मंडावली, चेन्नई-600028
Email: infor@v-excel.org
Web: www.v-excel.org

वसंथम
सुश्री अतली मरूगेशन
पीपी 10/4 ईस्ट मोगाप्पर
चेन्नई-37
टेली: 26560662/9840059403

वी कैन ट्रस्ट
उं. 4/2 पार्श्न रिवियेरा
फोर्थ मेन रोड
रोड एक्सटेंशन
कोट्टापुरम, चेन्नई-85
टेली: 044-24464655/24473136
Email: wecantrust@rediffmail.com

रिर्सास सेंटर:
4'370, साऊथ फर्स्ट मेन रोड
कल्पलीस्वरार नगर
नीलांगराय, चेन्नई-41
टेली: 55461010

कोयम्बटूर

संजीवनी हेल्थ केअर ट्रस्ट
506, टीचर्स कालोनी
एसएम पल्यम रोड, जी एन मिल्स पी ओ
कोयम्बटूर-641029
टेली: 0422-2643636
Web: www.sanjeevanihealtghcaretrust.org

सीवेश आस्टिम सेंटर
नं. 9, के के नगर
आवारामपालायम रोड
कोयम्बटूर-44
टेली: 0422-4389504/9894960485 (कांटेक्ट गीता राजा)

विद्याविकासिनी अपार्चूनिटी स्कूल फार मेंटली चैलेन्जड
कोयम्बटूर
Email: ssjayam@yahoo.com

अदर सिटिज आफ तमिलनाडु
सुश्री आरती राजारत्नम
क्लीनिकल साइक्लोजिस्ट
नं. 14 (ओल्ड नं. 10) सेट एक्स्टेंशन
सलेम-636007
टेली: 9894077022

डा. एम सी मैथ्यूज
डेवेलपमेंटल न्यूरोजिस्ट
सीएमसी वेल्लोर

मि. संजीव पाडनकट्टी
आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट
सीएमसी वेल्लोर

एम एस चेलमुमुथु ट्रस्ट
मुदुरै

पश्चिम बंगाल

कोलकाता
आस्टिम सोसायटी वेस्ट बंगाल
22 अंजुमन आरा बेगम रो
कोलकाता-700033
टेली: 033-24730706/24170860
Email: autismsocietywb@gmail.co.in

दिक्शान
22 अंजुमन आरा बेगम रो
कोलकाता-33
टेली: 033-24730706/24170860
Email: indrani_basu55@yahoo.co.in

प्रदीप सेंटर फार आस्टिम
डा. मलाइका बनर्जी
फ्लैट नं. 4-लेकव्यू कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी
पी-203/बी, ब्लाक बी
कोलकाता-89
टेली: 033-25341832/25748503
Email: mailib@hotmail.com

बेहला बोधयान स्पेशन स्कूल एण्ड रेजीडेंसियल केअर
48/3, सरसुआ मेन रोड,
कोलकाता-700061

एसोशिएशन फार सेफटी आफ ह्यूमन राइट्स एंड मॉनीटरिंग
कोलकाता
टेली: 9331054265 (मि. तमल दास)

पीडियाट्रिशियन
डा. मोनीदीपा बनर्जी
(वर्क्स विद नम्बर आफ एनजीओज एण्ड हैज अण्डरस्टैंडिंग आफ आस्टिम कंडीशन-सोर्स आस्टिम इंडिया)
कोलकाता

चन्द्र अभियान की तस्वीरें गुम होना

3390. श्री रूदमाधव राय: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान प्रयोगशाला से '69 चन्द्र अभियान' की तस्वीर गुम हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच हेतु एक समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी/किये जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) अमरीकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अपने दौरे के अवसर पर परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संस्थान टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर), को दिया गया वर्ष 1969 के चन्द्र अभियान का चित्र इस समय मिल नहीं पा रहा है।

(ग) से (ङ) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है, समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

केन्द्रीय स्वायत्त विनियामक निकाय

3391. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भेषज प्राधिकरण हेतु प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा प्रस्ताव पहले भी रखा गया था और मशेलकर समिति ने भी बढ़ते भेषज चिकित्सा उपकरणों तथा नैदानिक परीक्षण घटकों के साथ समन्वित डायनामिक ट्रांसपोर्टिंग प्रणाली हेतु वकालत की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भेषज उत्पादों के बढ़ते निर्यात हेतु रणनीति सुझाने हेतु एक कृतक बल गठित किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत मुख्य बिन्दु क्या हैं और सरकार ने उन पर कितना विचार किया है/ उनका कितना कार्यान्वयन किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (ङ) सरकार ने वर्ष 2003 में देश में विनियामक प्रणाली और नकली औषधों इत्यादि की समस्या की समीक्षा करने के लिए डा. आर. ए. मशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। मशेलकर समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, एक राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना करने, विशिष्ट तौर से चिकित्सीय युक्तियों' को परिभाषित करने और उनके उपयुक्त विनियमन के लिए संगत नियम और दिशानिर्देश बनाने, विशिष्ट चिकित्सा युक्ति प्रभाग की स्थापना करने, देश में नैदानिक अनुसंधान नकली और घटिया औषधों की सीमा का मूल्यांकन करने सहित औषधि विकास में भारतीय अध्ययन विषयों की सुरक्षा के लिए उपाय और इस समस्या से निपटने के लिए उपाय करने इत्यादि समेत केन्द्र और राज्यों में औषधि विनियामक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उपायों की संस्तुति अधिनियम, 1940 को पहले ही संशोधित किया जा चुका है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत नकली और घटिया औषधों से सम्बन्धित अपराधों और इनको संज्ञेय तथा गैर-जमानती इत्यादि बनाने के लिए और अधिक दण्डों की व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त, राज्य सभा में 21 अगस्त 2007 को एक विधेयक अर्थात औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन), विधेयक 2007 को, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण को सृजित करने, विशिष्टतौर से औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में चिकित्सीय युक्तियों को परिभाषित करने, नैदानिक परीक्षणों इत्यादि को विनियमित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान करने की दृष्टि से लाया गया है।

(घ) जीं, हां। वाणिज्य विभाग ने भेषजीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के बारे में एक कार्यदल का गठन किया है। फार्मास्युटीकल्स विभाग ने इस कार्यदल की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य दल का भी गठन किया है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

3392. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो और चालूवर्ष के दौरान राज्यों की प्रति व्यक्ति आय, की तुलना में राज्य-वार राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विकसित शहरी क्षेत्रों और मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों के बीच प्रति व्यक्ति आय में कोई विषमता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) पिछले तीन वर्षो 2005-06 से 2007-08 के दौरान प्रति व्यक्ति आय की तुलना में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति एनसडीपी) का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ख) और (ग) विकसित शहरी क्षेत्रों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय के संबंध में आंकड़ें अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

चालू मूल्यों पर राज्यों का प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद

(रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	26226	29582	34063
2.	अरुणाचल प्रदेश	22335	25639	27398
3.	असम	18378	19857	21464
4.	बिहार	7864	9817	11135
5.	झारखण्ड	16267	18474	19928
6.	गोवा	78612	87501	105582
7.	गुजरात	32991	37532	एन ए
8.	हरियाणा	41997	50488	58531
9.	हिमाचल प्रदेश	33954	36781	40134
10.	जम्मू व कश्मीर	20799	22426	24214
11.	कर्नाटक	29185	30847	35555
12.	केरल	32450	36906	41814
13.	मध्य प्रदेश	15466	16875	18051
14.	छत्तीसगढ़	19501	21822	25360
15.	महाराष्ट्र	36048	41144	47051
16.	मणिपुर	17770	18393	19258
17.	मेघालय	22852	24766	26636
18.	मिजोरम	24029	25682	27501

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	21083	एन ए	एन ए
20.	उड़ीसा	17707	20805	23403
21.	पंजाब	36277	39860	44923
22.	राजस्थान	17997	20507	23053
23.	सिक्किम	26628	29788	33553
24.	तमिलनाडु	31663	37190	40757
25.	त्रिपुरा	25700	27777	एन ए
26.	उत्तर प्रदेश	13315	14663	16060
27.	उत्तरांचल	24870	27800	एन ए
28.	पश्चिम बंगाल	24533	28073	31722
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36984	42561	एन ए
30.	चंडीगढ़	89034	99262	110676
31.	दिल्ली	60951	70238	78690
32.	पांडिचेरी	50900	57596	63524
	अखिल-भारत प्रति व्यक्ति एन एन पी	26003	29524	33283

स्रोत: क्रम सं. 1-32 के लिए-संबंधित सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, और अखिल भारत के लिए-केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

एन ए-उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

जल संसाधन संबंधी तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन

3393. श्री राजैया सिरिसिल्ला: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जल संसाधन संबंधी तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन विषय पर हाल ही में राज्य सरकारों के साथ कोई बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इस बैठक का निष्कर्ष क्या रहा है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/किये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति 98वीं बैठक 9 जुलाई, 2009 को आयोजित की गई थी जिसमें इसके समक्ष प्रस्तुत की गई परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने के बारे में विचार किया गया। समिति ने 14 परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी जिसमें 4 नई परियोजनाएं, 8 संशोधित लागत अनुमान तथा 2 बाढ़ सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

हिमालय में रडार स्थापना

3394. श्री ई. जी. सुगावनम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इसरों का विचार हिमालय में बर्फबारी, वर्षा तथा अन्य घटनाओं की निगरानी के लिए रडार लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रडारों को कब तक लगाए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरों) का, डीआरडीओं के हिम तथा हिम-स्खलन अध्ययन संस्थान के सहयोग से, बर्फबारी/वर्षा तथा मौसम पैरामीटरों की निगरानी के लिए हिमालय क्षेत्र में दो डॉप्लर मौसम रडार लगाने का विचार है।

(ग) दोनों रडारों का संस्थापन, वर्ष 2011 की तीसरी तिमाही में पूरा करने की योजना है।

केन्द्रीय भंडार द्वारा कम्प्यूटरों की खरीद/बिक्री

3395: श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय भण्डार के विरुद्ध बढ़े मूल्य पर कम्प्यूटरों की खरीद/बिक्री के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं

(ङ) इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारत्मक कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। कम्प्यूटरों की आपूर्ति के लिए महानिदेशालय, गुणवत्ता आश्वासन और मंत्रिमण्डल सचिवालय इत्यादि से अधिक दाम वसूल करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय भण्डार पर आरोप लगे थे।

(ग) और (घ) तक केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को एक जांच सौंपी गई थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्रीय भण्डार के तत्कालीन सचिव के विरुद्ध संसद प्रश्न के उनके उत्तर में सही परिप्रेक्ष्य को चित्रित करते हुए सही तथ्यपरक रिपोर्ट नहीं भेजने के लिए और तत्कालीन मुख्य लेखा अधिकारी के विरुद्ध डीलर से 86,098/- रुपये वसूल नहीं करने के कारण नियमित विभागीय कार्रवाई और लघु शास्ति लगाए जाने की सिफारिश की।

(ङ) केन्द्रीय भण्डार के निदेशक मण्डल ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग का अनुमोदन/सहमति लेने के पश्चात् तत्कालीन सचिव को, उस पर लगाए गए आरोप से दोषमुक्त कर दिया। मुख्य लेखा अधिकारी पर उस डीलर जिसने चूक की थी, से वसूली नहीं करने के कारण केन्द्रीय भण्डार द्वारा निंदा की शास्ति लगाई गई।

(च) केन्द्रीय भण्डार द्वारा इसके विभिन्न प्रभागों के अध्यक्षों को इस आशय के निदेश दिए गए हैं कि वे उनके अंतर्गत आने वाले अनुभागों के कार्यकरण की आवधिक रूप से निगरानी/जांच करें और प्रबंधन को इसकी रिपोर्ट दें।

बाढ़ प्रबंधन पर संयुक्त तकनीकी दल

3396. श्रीमती ऊषा वर्मा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाढ़ प्रबंधन पर एक संयुक्त विशेषज्ञ समूह तथा एक संयुक्त तकनीकी दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भूटान के दक्षिणी फुटहिल और भारत में इसके साथ लगे मैदानों में बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव के संभावित कारणों और प्रभावों पर चर्चा करने और इनका आकलन करने के लिए और दोनों सरकारों के लिए उपयुक्त एवं दोनों को परस्पर स्वीकार्य सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए भारत और भूटान के बीच बाढ़ प्रबंधन संबंधी संयुक्त विशेषज्ञ समूह (जेजीई) का गठन किया गया है।

संयुक्त विशेषज्ञ समूह की प्रथम भूटान में 1 से 5 नवम्बर, 2004 तक आयोजित की गई थी। संयुक्त विशेषज्ञ समूह ने कई बार चर्चा की और कुछ प्रभावित क्षेत्रों, जिनमें भूस्खलन प्रवण एवं डालोमाइट माइनिंग क्षेत्र शामिल थे, के फील्ड दौरे भी किये। चर्चाओं के आधार पर संयुक्त विशेषज्ञ समूह ने महसूस किया कि एक अधिक विस्तृत तकनीकी जांच की आवश्यकता है और इसी के अनुसार सदस्य (पी आई डी), उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में एक संयुक्त तकनीकी दल (जे टी टी) का गठन किया गया था।

संयुक्त तकनीकी दल ने अपनी प्रथम बैठक अप्रैल, 2005 में आयोजित की ओर अवसाद भार के कुछ श्रोतों, भूस्खलनों की प्रकृति के संबंध में अध्ययन किया और संयुक्त तकनीकी दल द्वारा सिफारिश किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों को निर्धारित करने के लिए शुरू किये जाने वाले आगे के अध्ययन और मानचित्रों को तैयार करने का सुझाव दिया था। संयुक्त तकनीकी दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में निम्न अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सुधारात्मक उपायों की सिफारिश भी की।

(i) भारत और भूटान के साझा लघु एवं वृहद वाटरशेडों की रूपरेखा प्रस्तुत करना और सूची बनाना।

(ii) संभावित जोखिम क्षेत्र की पहचान और क्षेत्रीय मानचित्रों का प्रस्तुतीकरण।

(iii) ऊपरी खण्डों में अवक्रमण का प्रभाव आकलन और उत्तरी बंगाल की नदियों के फ्लूवियल डाइनेमिक्स पर प्रभाव।

(iv) भूमि उपयोग पद्धति का प्रभाव आकलन।

(v) भूटान और उत्तरी बंगाल के साथ लगे क्षेत्रों में गंभीर घटनाओं (वर्षा तूफानों) की आवृति और अवधि।

संयुक्त विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 26-27 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई थी। बैठक में संयुक्त तकनीकी दल की प्रारंभिक रिपोर्ट, भूटान में साटिचु झील पर भारत-भूटान विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त दौरे (दिसम्बर, 2006) की रिपोर्ट, मथानगुडी के नजदीक मानस नदी पर बुलहेडों (केजड डिफ्लक्टर) के निर्माण के लिए भूटान की शाही सरकार (आर जी ओ बी) की स्वीकृति और भूटान में जलविद्युत परियोजनाओं से जल को अचानक जारी करने से भारतीय क्षेत्र में आने वाली बाढ़ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। विस्तृत चर्चा के बाद सुधारात्मक उपायों के लिए आये अध्ययनों/सिफारिशों के लिए संयुक्त तकनीकी दल के फील्ड दौरे के आधार पर इसके द्वारा पहचाने जाने वाली भूटान से असम की ओर से प्रवाहित होने वाली कुछ नदियों/धाराओं को शामिल करने हेतु संशोधित विचारार्थ विषयों (टी ओ आर) के साथ संयुक्त तकनीकी दल का पुनर्गठन किया गया था। संयुक्त विशेषज्ञ समूह द्वारा यह सिफारिश भी की गई कि संयुक्त तकनीकी दल को नदियों के लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक अवसाद आकलन के लिए आवश्यक विशेष अध्ययनों की सिफारिश करनी चाहिए। संयुक्त तकनीकी दल की रिपोर्ट में दर्शाए गए अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपायों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त तकनीकी दल इसकी समीक्षा कर सकता है और विशेष सिफारिशें दे सकता है। इसके अतरिक्त बैठक के दौरान 2008 में भूस्खलन बांध (साटिचु) स्थल पर भारत और भूटान विशेषज्ञ दलों द्वारा एक और संयुक्त दौरा किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह सिफारिश भी की गई की संयुक्त विशेषज्ञ समूह की बैठक वर्ष में दो बार होनी चाहिए।

संयुक्त विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, शिलांग को भारतीय पक्ष का नेतृत्व होने के साथ संयुक्त तकनकी दल का पुनर्गठन किया गया है।

[हिन्दी]

निजी मेडिकल और डेण्टल कालेजों का कार्यकरण

3397. श्री लालजी टन्डन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्यरत निजी मेडिकल और डेण्टल कालेजों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन मेडिकल कालेजों में से कुछ में प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कालेजों में पर्याप्त और समुचित प्रयोगशाला सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) इस समय देश में 158 निजी चिकित्सा कालेज और 252 दंत चिकित्सा कालेज हैं। राज्य-वार सूची सलंग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) देश में चिकित्सा शिक्षा का मानक बनाए रखने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा चिकित्सा कालेजों का निरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षण संकाय, नैदानिक सामग्री और आधारभूत ढांचे के संबंध में पर्याप्त सुविधाओं वाले चिकित्सा कालेजों को नए चिकित्सा कालेज स्थापित करने या नया पाठ्यक्रम शुरू करने या प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान करने या अनुमति का वार्षिक नवीनीकरण प्रदान करने या अनुमति का वार्षिक नवीनीकरण प्रदान करने और साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत चिकित्सा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसाएं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा की जाती हैं। ऐसे चिकित्सा कालेजों, जो विनियमों के अनुसार अपेक्षाओं को पूरा करते नहीं पाए जाते हैं, को कमियां दूर करने का अवसर दिया जाता है। उसके बाद अनुपालन रिपोर्ट के सत्यापन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद इन कालेजों का दोबारा निरीक्षण करती है।

विवरण

दिनांक 15.7.2009 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक देश में चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेजों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्यों के नाम	निजी चिकित्सा कालेजों की संख्या	निजी दंत चिकित्सा कालेजों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20	18
2.	असम	-	-
3.	बिहार	3	6
4.	चंडीगढ़	-	-
5.	छत्तीसगढ़	-	5
6.	दमन	-	1
7.	दिल्ली	1	-
8.	गोवा	-	-
9.	गुजरात	8	8
10.	हरियाणा	2	9
11.	हिमाचल प्रदेश	-	4
12.	जम्मू व कश्मीर	1	1
13.	झारखण्ड	-	3
14.	कर्नाटक	29	42
15.	केरल	16	20
16.	मध्य प्रदेश	5	13
17.	महाराष्ट्र	22	32
18.	मणिपुर	-	-
19.	उड़ीसा	3	4
20.	पांडिचेरी	7	2
21.	पंजाब	5	12
22.	राजस्थान	4	13
23.	सिक्किम	1	-
24.	तमिलनाडु	16	27
25.	त्रिपुरा	1	-
26.	उत्तर प्रदेश	11	27
27.	उत्तराखंड	2	3
28.	पश्चिम बंगाल	1	2
	कुल योग	158	252

चम्बल घड़ियाल क्षेत्र

3398. श्री अशोक अर्गल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश के चम्बल घड़ियाल क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क)से (ग) खनन क्षेत्र से संबंधित पांच परियोजनाओं को जोकि घड़ियाल जिलें में है; पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई

और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार एक परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रोसेस किया गया है।

[अनुवाद]

कोयला आयात

3399. श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान कोयले के आयात पर कितना व्यय हुआ है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयातित कोयले की तुलनात्मक दरें कितनी हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) कोयले का आयात ओपन जनरल लाइसेन्स (ओजीएल) के अधीन है और उपभोक्ता सामान्यतया इसका सीधे आयात करते हैं। पिछले तीन वर्षो के दौरान न तो कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने और न ही सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. (एससीसीएल) ने कोयले का सीधे आयात किया है। तथापि, पिछले तीन वर्षो के दौरान आयतित कोयले का मूल्य निम्नवत है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आयात
2006-07	16689
2007-08	20738
2008-09 (जनवरी, 2009 तक)	32691

(ख) सीआईएल स्रोतों से खरीदे गए स्वदेशी कोयले (सभी सांविधिक लेवी सहित) का मूल्य 625 रु. प्रतिटन (एमसीएल का एफ ग्रेड कोयला) से 2713 रु. प्रतिटन (एनईसी का ए ग्रेड कोयला) के बीच है। सीआईएल द्वारा पिछली बार दिनांक 12.12.07 को मूल्य संशोधित किया गया था। 12.12.2007 को मूल्य संशोधन से पहले सीआईएल स्रोतों से कोयले का मूल्य 556 रु. प्रतिटन (एमसीएल का एफ ग्रेड कोयला) से 2338 रु. प्रतिटन (ईसीएल/रानीगंज का ए ग्रेड कोयला) के बीच था।

ए ग्रेड (सर्वोत्तम ग्रेड) के लिए एससीसीएल में उत्पादित कोयले का मौलिक मूल्य 2607 रु. पीएमटी से 2841 पीएमटी के बीच तथा न्यूनतम ग्रेड जी के लिए मूल्य 503 रु. से 653 रु. पीएमटी के बीच है।

2007-08 के दौरान कुल मात्रा 49.79 मि. टन की विभिन्न देशो से आयात की गयी थी जिसका मूल्य 20738.4 करोड़ रु. था। इसमें से 8635.8 करोड़ कीमत का 27.76 मि. टन नान-कोकिंग कोयला तथा 5123.1 करोड़ रु. कीमत का 4.2 मि. टन कोक था। इस वर्ष के दौरान 22.02 मि. टन कोकिंग कोयला भी आयात किया गया था, जिसका मूल्य 12102.5 करोड़ रु. था। 2006-07 के दौरान, कुल 43.08 मि. टन विभिन्न देशों से आयात किया गया था, जिसका मूल्य 16688.6 करोड़ रु. था इसमें से कोकिंग कोयला, नान-कोकिंग कोयला तथा कोक 17.87 मि. टन 25.20 मि. ट., तथा 4.68 मि. टन था, जिसका मूल्य क्रमशः 10180.6 करोड़ रु. , 6508.0 करोड़ रु. और 4021.1 करोड़ रु. था।

नैदानिक परीक्षण और नई दवाओं के लिए स्वीकृति

3400. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नैदानिक परीक्षणों और नई दवाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या दस महीने से लेकर दो वर्षो तक से अधिक अवधि से विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नैदानिक परीक्षण स्वीकृति और नई दवा स्वीकृति हेतु बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सिस्टम के उन्नयन के बावजूद अधिकारिक वेबसाइट पर फाइल करने तथा स्वीकृति की नियत तिथि प्रदर्शित नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) नैदानिक परीक्षण और नई औषधों के लिए अनुमोदन से संबंधित मार्ग निर्देश एवं अपेक्षाएं औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची वाई और नियम 122ए, 122बी, 122डी, 122डीए, 122डीएए एवं 122ई में विनिर्दिष्ट है। नैदानिक परीक्षण एवं नई औषध अनुप्रयोगों का मूल्यांकन जिसमें मानव में औषध की सुरक्षा एवं प्रभावकारिता स्थापित करना सर्वोपरि है, एक

जटिल प्रक्रिया है जो अणु/औषध, प्रकाशित आंकड़ा और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। इसमें रासायनिक एवं भेषजीय सूचना, पशु फार्मेकोलोजिकल एवं टाक्सीकोलोजिकल आंकड़ा, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता के नैदानिक, प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आदि की जांच शामिल है। आवेदन की प्रकृति के आधार पर परीक्षण संबंधी नई औषध (अर्थात विश्व में कहीं भी मानव पर जांच नहीं किए गए औषध अणु) के अनुमोदन के लिए अपेक्षित सभी चरणों के परीक्षण पूरा करने के लिए आवेदक के लिए औसतन 3 से 5 वर्ष: कहीं पहले ही अनुमोदित लेकिन पुष्टिकारक नैदानिक परीक्षण की अपेक्षा वाली औषध के पहली बार अनुमोदन के लिए कम से कम 1-3 वर्ष, और पहले ही अनुमोदित नई औषधों के लिए बाद के आवेदनों हेतु लगभग 2-3 महीने लग सकते हैं। तथापि, औषधि एवं प्रसाधन नियमावली की अनुसूची वाई के उपबंधों के अनुसार यह सभी अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। पिछले 2 वर्षो के दौरान औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय में नैदानिक परीक्षणों और नई औषधों के अनुमोदन के लिए लगभग 4000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें परीक्षण संबंधी नई औषधें, नई औषध अणु वैक्सीन, जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद, निश्चित खुराक मिश्रण, परवर्ती अनुमोदन, नए खुराक फार्म, नए संकेत, आदि शामिल हैं। उक्त अवधि के दौरान नई औषधों एवं नैदानिक परीक्षणों की विभिन्न श्रेणियों के लिए लगभग 2700 अनुमोदन जारी किए गए है। शेष आवेदन मूल्यांकन नामत: नैदानिक परीक्षण, बायोक्यूवायलेंस अध्ययन स्थिरता अध्ययन परीक्षण, आवेदकों से आगे और सूचना प्राप्त करने आदि की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है।

(घ) से (च) चूंकि नई औषधों और नैदानिक परीक्षणों के अनुमोदन के लिए अपेक्षित समय, श्रेणियों, औषध/रोगों आदि की प्रकृति जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, आवेदन जमा करने की सही तारीख के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं और अनुमोदन से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है।

[हिन्दी]

नर्सिंग कॉलेजों हेतु मानदण्ड

3401. श्री राकेश सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नर्सिंग परिषद को मध्य प्रदेश में कुछ नर्सिंग कॉलेजों द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूरा नहीं करने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कॉलेजों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) भारतीय उपचर्या परिषद को भारतीय उपचर्या परिषद के मानदण्डों के अनुपालन के बिना ही 39 नर्सिग कालेजों को अनुमोदन देने के बारे में राज्य सरकार के निर्णय के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों से संबंधित लोक आयुक्त कार्यालय, भोपाल से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है। इन कालेजों की सूची में दी गई है। भारतीय उपचर्या परिषद की ओर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है क्योंकि संलग्न विवरण समुचित निरीक्षण के बाद ही इन 39 संस्थाओं को अनुमोदन दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	नर्सिग कालेजों के नाम
1	2
1.	अमरज्योति नर्सिग विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, विन्ध्याचल, महिला विकास एवं कल्याण सोसाइटी, 637, राइट टाउन, जबलपुर-482002
2.	अनुश्री नर्सिग कालेज 314 लीमा गार्डेन, गोहालपुर, जबलपुर-482002
3.	अरविन्दो नर्सिग कालेज, प्लाट नं. 5, सुधा फार्म सूरज नगर, एसर पोर्ट रोड, लालघटी, भोपाल, मध्य प्रदेश
4.	बीआईएमआर नर्सिग कालेज, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च कैम्पस, रेजीडेंसी, सूर्य मंदिर रोड, मोरार, ग्वालियर-474005
5.	चैत राम नर्सिग कालेज, चैतराम अस्पताल, पो. बो. नं. मानिक बाग रोड, इंदौर-452014
6.	क्रिश्चियन मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर, नर्सिग कालेज, पो. बो. नं. 131, मारुतल, दमोह-470661, मध्य प्रदेश
7.	नर्सिग विज्ञान एवं अनुसंधान कालेज, वायु नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
8.	फलोरेंस नाइटिंगल नर्सिग कालेज, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर मध्य प्रदेश
9.	ग्रंथम नर्सिग विज्ञान एवं अनुसंधान कालेज, मोदी खेरिया, मऊ रोड, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर-474011 मध्य प्रदेश

1	2
10.	ग्वालियर नर्सिंग कालेज, साक्षी परिसर, शबद प्रताप आश्रम रोड, उरवल गेट, ग्वालियर-474012
11.	इंदोर नर्सिंग कालेज, 3 सम्पत फार्म, सम्पूर्ण हास्पिटल बिल्डिंग, मयंक ब्लू वाटर पार्क के सामने गांव बिचौली मर्दाना, इंदौर-452018
12.	नर्सिंग विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान, गुरू कृपा कैम्पस थिथौली रेलवे स्टेशन के सामने एनएच-75, झांसी रोड, ग्वालियर-475001
13.	जय नर्सिंग एवं अनुसंधान केन्द्र संस्थान, शक्ति भवन चौहान प्याऊ, खाटीपुर, मोरार, ग्वालियर-474011
14.	जबलपुर नर्सिंग विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हितकारिणी सभा परिषद जोनेसगंज जबलपुर-482001
15.	वे एस. नर्सिंग कालेज एवं अनुसंधान केन्द्र, गुडी का नाका, लस्कर ग्वालियर-474001
16.	कस्तूरबा नर्सिंग कालेज, भेल शिक्षा मण्डल, हबीबगंज, भोपाल-472023
17.	कुशभाऊ ठाकरे नर्सिंग कालेज, बदवई, न्यू जेल रोड, करोद, भोपाल-462001
18.	महात्मा गांधी नर्सिंग संस्थान, नीमखेडा, मारबल राक स्कूल के सामने, जबलपुर, मध्य प्रदेश
19.	मानसरोवर नर्सिंग कालेज, मानसरोवर कैम्पस, एचपी पेट्रोल पम्प के पीछे, कोलार रोड, भोपाल-462012
20.	नवल किशोर शिवहरे नर्सिंग कालेज, भिण्ड ग्वालियर रोड, ददोहा भिण्डा-477001, मध्य प्रदेश
21.	ओजश्वनी नर्सिंग विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, मलैया मिल, परिसर, दमोहा-470661 मध्य प्रदेश
22.	ओजश्वनी नर्सिंग कालेज, वृंदावन तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश
23.	पीपुल्स नर्सिंग कालेज, पीपुल्स कैम्पस, भानपुर, बाइपार रोड, भोपाल-402010
24.	स्नातकोत्तर नर्सिंग कालेज, जन विकास न्यास, कैंसर हिल्स, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

1	2
25.	प्रज्ञान नर्सिंग कालेज, प्रो. बा. 575 पो. आ. रविशंकर नगर, भोपाल-462016 मध्य प्रदेश
26.	आरडी मेमोरियल नर्सिंग कालेज, स्कीम नं. 54, स्याजी विकास नगर के पास, इंदौर-452010
27.	आरडी मेमोरियल नर्सिंग कालेज, श्री चित्रगुप्त शिक्षा प्रसार समिति, जोन-1 एमपी नगर, भोपाल-462011
28.	आरएससी नर्सिंग कालेज, श्री चित्रगुप्त शिक्षा प्रसार समिति, जोन-1 एमपी नगर, भोपाल-462011
29.	रक्समनीबेन दीप चंद गार्डी नर्सिंग कालेज, चंद्रिकाबेन, रश्मिकांत गार्डी अस्पताल, आगर रोड, सुरासा, उज्जैन, मध्य प्रदेश।
30.	एसडीपीएस नर्सिंग कालेज, खण्डवा रोड, बिलावाली टेंक के सामने, इंदौर, मध्य प्रदेश
31.	संजीवनी नर्सिंग कालेज, बाराघाट, झांसी रोड, ग्वालियर-474001 मध्य प्रदेश
32.	शिवनाथ सिंह नर्सिंग कालेज चिरूवई नाका, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर-474004 मध्य प्रदेश
33.	श्री गुरू कृपा नर्सिंग कालेज, कोतावली संतार, मोरार, ग्वालियर-474006
34.	श्री रावतपुरा सरकार नर्सिंग कालेज, पीली कोठी, ठण्डी सड़क, दतिया-475661 मध्य प्रदेश
35.	शुभ दीप नर्सिंग कालेज, 11 प्रेस कम्पलेक्स, आगरा-बाम्बे रोड, इंदौर-452010
36.	सोफिया नर्सिंग कालेज, सिटी सेंटर, महल गांव, आरएलएल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सामने, ग्वालियर-474002
37.	श्री अरविन्दों आयुर्विज्ञान संस्थान, सी/एन, इंदौर, उज्जैन राज्य राजमार्ग, ग्राम भानव्राशाल, तहसील सानवेर, जिला इंदौर
38.	अकादमी आफ नर्सिंग साइंसेज एंड हास्पिटल, आर्यन 1 कि. मी. स्टोन, नई दुनिया प्रेस के पास, पिपरोली रोड, केदारपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
39.	बिसाली वाते मेमोरियल नर्सिंग कालेज, ई-14, कोत्रा, इनकमटैक्स कालोनी के सामने, भोपाल-462003

[अनुवाद]

हाइड्रोलॉजी परियोजनाएं

3402. श्री एल. राजगोपाल: क्या **जल संसाधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में हाइड्रोलॉजी परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों/योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनओं की स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने देश में दो चरणों में जलविज्ञान परियोजना शुरू की हैं अर्थात जलविज्ञान परियोजना-I (एचपी-I) और जलविज्ञान परियोजना-II (एचपी-II) 1 जलविज्ञान परियोजना-I और जलविज्ञान परियोजना-II में शुरू किये गये कार्यक्रमों/स्कीमों का ब्यौरा एवं उनकी स्थिति नीचे दी गई है:

जलविज्ञान परियोजना-I

परियोजना को दिसम्बर, 1995 में शुरू किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) की 90.1 मिलियन के विशेष आहरण अधिकार, जिसे बाद में घटाकर 75.1 मिलियन का विशेष आहरण अधिकार कर दिया गया, की सहायता से दिसम्बर, 2003 में इसे पूरा किया गया। नीदरलैंड सरकार ने परामर्शी सेवाओं और समुद्रपार प्रशिक्षणों के लिए एक द्विपक्षीय भारत-डच समझौते के अंतर्गत तकनीकी सहायता (टीए) के रूप में 14.84 मिलियन यूरो की अनुदान सहायता दी थी। जलविज्ञान परियोजना-I (एचपी-I) को नौ राज्यों और छ: केन्द्रीय अभिकरणों में कार्यान्वित किया गया था। ये राज्य हैं (1) आंध्र प्रदेश, (2) तमिलनाडु, (3) केरल, (4)महाराष्ट्र, (5) गुजरात, (6) मध्य प्रदेश (7) छत्तीसगढ़, (8) उड़ीसा, और (9) कर्नाटक जबकि केन्द्रीय अभिकरण हैं (1) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), (2) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच), (3) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, (सीजीडब्ल्यूबी), (4) भारतीय मौसमविज्ञान विभाग (आईएमडी0, (5) केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला (सीडब्ल्यूपीआरएस), और (6) जल संसाधन मंत्रालय में परियोजना समन्वय सचिवालय (पीसीएस)।

सभी राज्यों और केन्द्रीय कार्यान्वयन अभिकरणों में शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप थे:

* जल-मौसम वैज्ञानिक प्रेक्षण और आंकड़े एकत्रित करने के लिए उपयुक्त नदी प्रवाह प्रेक्षण नेटवर्क का उन्नयन और स्थापना करना और सतही जल प्रयोगशाला सुविधाओं में सुधार/स्थापना करना।
* आंकड़े एकत्रित करने के लिए उपयुक्त भूजल प्रेक्षण नेटवर्क का उन्नयन और स्थापना करना और भूजल प्रयोगशाला सुविधाओं में सुधार करना।
* आंकडों के प्रक्रमण, भंडारण और अंतरण/संचार सुविधाओं/नेटवर्क सहित आंकड़ा प्रबंधन सुविधाओं का उन्नयन।
* परियोजना के माध्यम से निर्मित अवसंरचना के प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए अतिरिक्त जनशक्ति एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से संस्थागत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
* आवश्यक औपचारिक प्रशिक्षण और कार्यस्थलीय प्रशिक्षण आयोजन करना।
* अन्य संबंधित क्रियाकलाप जैसे अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप, उपकरणों की प्राप्ति आदि।

एचपी-I के दौरान विश्वसनीय, व्यापक एवं समयबद्ध जलवैज्ञानिक एवं मौसम वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराने वाली एक एकीकृत जलवैज्ञानिक सूचना प्रणाली (एचआईएस) की स्थापना की गई थी। इसमें सतही जल एवं भूजल दोनों के गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं के संबंध में आंकड़ें एकत्रित करने के लिए 916 नदी गेज केन्द्र, 7889 प्रेक्षण कुंए, 258 जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं और 436 जल मौसम वैज्ञानिक केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ों के प्रक्रमण, भंडारण एवं आंकड़ों के विश्वसनीय संप्रेषण के लिए विशेष हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर वाले 390 आंकड़ा केन्द्रों और 28 आंकड़ा भंडारण केन्द्रों की स्थापना की गई थी। जलवैज्ञानिक सूचना प्रणाली से संबंधित कार्यो और प्रयोक्ता की सहायता के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षण दिया गया था। परियोजना ने इसके परिकल्पित विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था।

जलविज्ञान परियोजना-II

जलविज्ञान परियोजना-II (एचपी-II) को अप्रैल, 2006 से जल विज्ञान परियोजना-I के अनुवर्तन के रूप में शुरू किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) के सहयोग से 13 राज्यों और 8 केन्द्रीय अभिकरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना को जून, 2012 तक 6 वर्षो की अवधि

में क्रियान्वित किया जाना है। परियोजना की कुल लागत 631.83 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें 104.98 मिलियन यूएस डालर का आईबीआरडी ऋण शामिल है। एचपी-I में कार्यरत रहे सभी अभिरण एचपी-II में भी कार्यरत हैं। पुराने एचपी-I अभिकरणों के अतिरिक्त चार नए राज्यों अर्थात पंजाब, गोवा, पांडिचेरी और हिमाचल प्रदेश और दो नए केन्द्रीय अभिकरण अर्थात भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) परियोजना से जुड़ गए हैं।

परियोजना को तीन घटकों में विभाजित किया गया है। अर्थात (1) संस्थागत सुदृढ़ीकरण (II) ऊर्ध्वाधर विस्तार एवं (III) क्षैतिज विस्तार I इन घटकों के अंतर्गत क्रियाकलापों का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति निम्न पैरा में दी गई है:

I. संस्थागत सुदृढ़ीकरण-इस घटक को भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के अतिरिक्त परियोजना के सभी अभिकरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस घटक के निम्न उप-घटक हैं:

I. क. विद्यमान राज्य में एचपी-I का सुदृढ़ीकरण।

II. ख. जागरूकता बढ़ाना, प्रसारण एवं ज्ञान का प्रसार।

III. ग. कार्यान्वयन सहयोग।

परियोजना के संस्थागत सुदृढ़ीकरण घटक में परियोजना के चरण-I के दौरान पहले ही किए जा चुके कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को सहयोग देने और जल मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों के उपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इसमें पूरक प्रशिक्षण, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का उन्नयन और जलमापी उपकरण और जागरूकता के लिए बेवसाइटें बनाना शामिल है।

कार्यान्वयन अभिकरण परियोजना के इस घटक के अंतर्गत बेवसाइटों को बनाने और इनके आधुनिकीकरण के अतिरिक्त अपने को प्रशिक्षण दे रहे हैं, कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों का उन्नयन कर रहे हैं।

II. ऊर्ध्वाधर विस्तार-इस घटक का क्रियान्वयन एचपी-I के सभी अभिकरणों और साथ ही दो नए अभिकरणों अर्थात केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में भी किया जा रहा है। इस घटक के निम्न उप-घटक हैं:

I. क. जलवैाानिक डिजाइन सहायता का विकास

II. ख. निर्णय सहायक प्रणाली का विकास (आयोजना एंव वास्तविक समय)

III. ग. उद्देश्य प्रेरित अध्ययनों का कार्यान्वयन।

इस घटक में उन क्रियाकलापों की परिकल्पना की गई है जिससे 9 एचपी-I राज्यों और 6 केन्द्रीय अभिकरणों में सृजित जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के उपयोग में वृद्धि होगी। इन क्रियाकलापों में डिजाइन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए जल वैज्ञानिक डिजाइन सहायता और निर्णय सहयोग प्रणाली का विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त, जल से संबंधित सार्वजनिक हित की स्थानीय एवं विशिष्ट समस्याओं का सामना करने के लिए विशेष अध्ययनों (उद्देश्य प्रेरित अध्ययन) का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय जल आयोग प्रामाणिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य पद्धतियों का उपयोग करते हुए जल वैज्ञानिक सहायता के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्शियों को अनुबंधित करने की प्रक्रिया में है। इस डिजाइन सहायता से न केवल जल वैज्ञानिक डिजाइन सुविधाजनक होगा बल्कि इससे राज्यों के बीच और राज्य एवं केन्द्रीय अभिकरणों के बीच भी दृष्टिकोण की एकरूपता आएगी।

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने नवम्बर, 2008 में निर्णय सहयोग प्रणाली (आयोजना) के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। यह प्रणाली जल संसाधन आयोजना एवं प्रचालनात्मक नीतियों के संबंध में निर्णय लेने में सहयोग के लिए उपयोगी होगी। नौ एचपी-I राज्यों ने अपने संबंधित नदी बेसिनों की पहचान कर ली है जहां निर्णय सहयोग प्रणाली का कार्यान्वयन परामर्शदाताओं की सहायता से किया जाएगा।

भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने नवम्बर, 2008 में निर्णय सहयोग प्रणाली (वास्तविक समय) के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। यह जलाशयों के इष्टतम प्रचलन सहित वास्तविक-समय पूर्वानुमान और प्रबंधन में उपयोगी होगी।

देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक हित से जुड़ी जल संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा तकनीकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से तैंतीस उद्देश्य प्रेरित अध्ययन शुरू किए गए हैं।

III. क्षैतिज विस्तार-इस घटक का कार्यान्वयन पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी के सभी नए राज्य अभिकरणों में और सीजीडब्ल्यूबी में भी किया जा रहा है। इस घटक के निम्न उप-घटक हैं:

III. क. आंकड़ों को एकत्रित करने संबंधी नेटवर्क का उन्नयन।

III. ख. आंकड़ों के प्रक्रमण एवं प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन।

III. ग. उद्देश्य प्रेरित अध्ययन।

IV. घ. प्रशिक्षण।

इस घटक के अंतर्गत परियोजना 4 नए राज्यों को उनके आंकड़ा एकत्रीकरण नेटवर्क के उन्नयन में सहायता करेगी। उप-घटक के अंतर्गत वित्तपोषित किये जाने वाले क्रियाकलाप है:

* नए एवं नवीकृत नदी गेज केन्द्र एवं उपयुक्त उपकरण

* नए एवं क्रमोनत भूजल एवं जलभृत्त मानीटरी प्रणालियां (पीजोमीटर, स्वचालित एवं डिजिटल जल स्तर रिकार्डर, अन्वेषणात्मक/प्रेक्षण बोरहोल सहित)

* नए एवं क्रमोनित मौसम वैज्ञानिक केन्द्र
* नई जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं
* आंकड़ा एकत्रीकरण केन्द्रों को स्थापित करने में सभी सिविल कार्य एवं उपकरणों को सहयोग दिया जाएगा।
* स्टाफ लागत एवं प्रचालन एवं रखरखाव लागत में वृद्धि

राज्य आंकड़ा केन्द्र बनाने के लिए निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब और पांडिचेरी के राज्यों में प्रक्रियाधीन है। सतही जल, भूजल एवं मौसम वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने के लिए नेटवर्क को अंतिम रूप दे दिया गया है और अभिकरण विभिन्न स्थलों पर उपकरणों के संस्थापन की प्रक्रिया में है। नए कार्यान्वयन अभिकरणों में कार्मिकों को आंकड़ा एकत्रीकरण वैधीकरण, भंडारण एवं प्रसार में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभिकरणों ने परियोजना के चरण-I के अंतर्गत विकसित विशिष्ट साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए उनके पुराने आंकड़ों को कंप्यूटरीकृत करना शुरू कर दिया है। अभिकरण शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से उद्देश्य प्रेरित अध्ययन भी कर रहे हैं।

जलविज्ञान परियोजना चरण-II के अंतर्गत मार्च, 2009 तक 59.6 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। प्रत्येक केन्द्रीय एवं राज्य अभिकरण के लिए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ प्रभावी समन्वय के लिए जल संसाधन मंत्रालय में एक परियोजना समन्वय सचिवालय बनाया गया है। परियोजना समन्वय सचिवालय ने कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी सहयोग देने और परियोजना कार्यान्वयन की मानीटरी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निमंत्रण के आधार पर फरवरी, 2009 में तकनीकी एवं प्रबंधन परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। सरकार ने केन्द्र में सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक राष्ट्र स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है। राज्य स्तर पर परियोजना को मानीटर एवं निर्देशित करने के लिए प्रत्येक राज्य में संचालन समितियों की स्थापना की गई है।

विवरण

31 मार्च, 2009 तक विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जलविज्ञान परियोजना-II पर किया गया व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	अभिकरण	परियोजना कार्यान्वयन योजना में अभिकरणवार प्रावधान	31 मार्च, 2009 तक कुल संचयी व्यय
1	2	3	4
1.	भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड	2423	149
2.	केन्द्रीय जल आयोग	2490	94
3.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	2796	380
4.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1670	55
5.	भारतीय मौसमविज्ञान विभाग	3164	8
6.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	4845	552
7.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	370	30

1	2	3	4
8.	परियोजना समन्वय सचिवालय (जल संसाधन मंत्रालय)	4334	553
9.	आंध्र प्रदेश-एसडब्ल्यू	700	121
10.	आंध्र प्रदेश-जीडब्ल्यू	1080	103
11.	तमिलनाडु-एसडब्ल्यू	871	299
12.	तमिलनाडु-जीडब्ल्यू	1194	191
13.	महाराष्ट्र-एसडब्ल्यू	981	254
14.	महाराष्ट्र-जीडब्ल्यू	1303	216
15.	गुजरात-एसडब्ल्यू	944	117
16.	गुजरात-जीडब्ल्यू	1044	125
17.	केरल-एसडब्ल्यू	755	205
18.	केरल-जीडब्ल्यू	1080	219
19.	छत्तीसगढ़-एसडब्ल्यू	844	51
20.	छत्तीसगढ़-जीडब्ल्यू	922	103
21.	कर्नाटक-एसडब्ल्यू	909	146
22.	कर्नाटक-जीडब्ल्यू	1444	127
23.	मध्य प्रदेश-एसडब्ल्यू	821	3
24.	मध्य प्रदेश-जीडब्ल्यू	1204	4
25.	उड़ीसा-एसडब्ल्यू	1012	151
26.	उड़ीसा-जीडब्ल्यू	1123	223
27.	गोवा	1871	182
28.	हिमाचल प्रदेश	4950	981
29.	पंजाब	4095	264
30.	पांडिचेरी	1319	54
	वास्तविक आकस्मिक व्यय	3468	
	मूल्य आकस्मिक व्यय	7155	
	कुल	63183	5961

सहयोग, अनुसंधान और नैदानिक अध्ययनों के लिए समझौता ज्ञापन

3403. श्री तथागत सत्पथी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध) अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) तथा उत्कल विश्वविद्यालय ने सहयोग, अनुसंधान और नैदानिक अध्ययनों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) आयुर्वेद और सिद्ध की परम्परागत पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) समझौते ज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

* औषध योगों, औषधों की प्रभावकारिता, निदान पद्धतियों की स्थापना के क्षेत्रों और आधारभूत चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञानों से संबधित अन्य क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को आयुष विभाग सहित विभिन्न वित्त पोषण अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से निष्पादित किया जाना है।
* औषध विकास (नैदानिक पूर्व और नैदानिक), और साहित्य अनुसंधान तथा उत्कल विश्वविद्यालय में नमित पीएचडी स्कॉलरों को इन केन्द्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराने विषयक मामले पर अपरिहार्य ध्यान सकेंद्रण के साथ पीएचडी करने के लिए सीसीआरएएस मुख्यालय और परीधीय संस्थानों द्वारा मान्यता प्रदान करना।
* सीसीआरएएस द्वारा उत्कल विश्वविद्यालय के परीजा पुस्तकालय में संरक्षित आयुर्वेदिक पांडुलिपियों का अंकीकरण और इसके बाद आयुष स्कीम के अनुसार उनका संयुक्त प्रकाशन।
* दोनों संगठनों द्वारा आयोजित संयुक्त संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं/अल्पावधि रेफ्रेशर पाठ्यक्रमों का संचालन करना और उसमें शामिल होना।
* पारस्परिक हितों वाले विषयों पर अल्पावधि एवं दीर्घावधि विकास कार्यक्रम।
* पारस्परिक हितों से संबंधित चिकित्सीय एवं तकनीकी परामर्शदात्री क्रियाकलाप।
* अतिथि व्याख्यानों और परीक्षकों के लिए संकाय का आदान-प्रदान।
* सीसीआरएएस और उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जैव उत्पादों के लिए पूर्व नैदानिक विष विज्ञान, और फार्माकोकीनेटिक्स/नैदानिक, परीक्षण सुविधाओं/परीक्षणों के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करना।
* दोनों संस्थानों में छात्रों और संकाय के लिए पारस्परिक आधार पर पुस्तकालय और ज्ञानार्जन संबंधी सुविधाओं में भागीदारी को सुसाध्य बनाना।

(ग) आयुर्वेद और सिद्ध को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा **संलग्न विवरण में** दिया गया है।

विवरण

विभाग आयुर्वेदिक और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है। स्कीम के ब्यौरे विभाग की वैबसाईट www.indianmedicine.nic.in पर प्रस्तुत हैं और इस संबंध में उठाए गए विशेष कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) आयुर्वेद और सिद्ध के प्रचार एवं संवर्धन के लिए निम्नलिखित विषयों पर राष्ट्रीय अभियान शुरू किए गए हैं:-

(क) गुदाजन्य विकारों के लिए क्षारसूत्र (अल्पतम आधार पर आयुर्वेदिक अर्ध शल्य चिकित्सा व्यवस्था)।

(ख) आयुर्वेद और सिद्ध के माध्यम से जरा चिकित्सा परिचर्या।

(ii) स्वर्णिम त्रिभुज भागीदारी (जीटीपी) परियोजना:

स्वर्णिम त्रिभुज भागीदारी स्कीम चिन्हित रोग दशाओं के लिए शास्त्रीय/शास्त्रीय आधारित आयुर्वेदिक उत्पादों के वैज्ञानिक विधिमान्यकरण हेतु स्थापित किया गया एक ऐसा समेकित प्रौद्योगिकी मिशन है जिसके लिए आयुष विभाग/सीसीआरएएस, सीएसआईआर और आईसीएमआर जैसे तीन सर्वोच्च संगठनों ने आपस में हाथ मिलाया है।

स्कीम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(1) चिन्हित रोग दशाओं के लिए सुरक्षित प्रभावी और मानकीकृत आशु (आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी और यूनानी) उत्पादों को लाना।

(2) राष्ट्रीय/वैश्विक महत्व की रोग दशाओं में प्रभावी नए आयुर्वेदिक/सिद्ध/यूनानी/होम्योपैथिक उत्पादों को विकसित करना। यह उत्पाद ऐसी रोग दशाओं के लिए बाजार में उपलब्ध उत्पादों से बेहतर होना चाहिए।

(3) श्रेष्ठ गुणवत्ता, सुरक्षित और प्रभावी उत्पादों के लिए उचित मानदंड बनाए जाएंगे। इस संबंध में ऐसा कार्यतंत्र बनाया जाएगा जिसके तहत घरेलू बाजार के लिए वहननीय उत्पादों को उलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।

(4) एकल और बहु जड़ी-बूटीय उत्पादों के विकासार्थ समुचित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये उत्पाद वैश्विक आधार पर स्वीकार्य हो।

(5) आधुनिक चिकित्सा/आधुनिक विज्ञान संस्थानों के साथ आयुष पर सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यो को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इस स्कीम के अंतर्गत:

(क) आठ रोग दशाओं के लिए 38 औषध योगों को चिन्हित किया गया है जिनमें से 20 औषध योगों को पूर्व नैदानिक अध्ययन के लिए सीएसआईआर को दिया गया है। सीएसआईआर ने 10 औषध योगों नामत: 1 तगरादी क्वाथ (इनसोमनिया), 2. मेधिया-6 (एडीएचडी), 3. अश्वगंधा चूर्ण (एंग्जाइटी न्यूरोसिस), 4. हरितकयादी चूर्ण (डाइस्लीपिडेमिया), 5. जीटीपी-एचएन-I (हाइपरटेंशन), 6. ब्रहीघृत (एडीएचडी), 7. गोक्षुरादी गुग्गुलू (बीपीएच), 8. लक्षादि गुग्गुलू (ओस्टियोपोरोसिस-रसायन), 9. निर्गुड़ी तेल (आमवात-जोड़ संबंधी विकार), 10. सिंहनाद गुग्गुलू (आमवात-जोड़ संबंधी विकार) की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत है।**

(ख) मलेरिया "परिजात घन वटी" के लिए औषध विकास—यह कार्य सीएसएमडीआर आई ए एंड एस, चेन्नई में शुरू कर दिया गया है।

(ग) चिन्हित 8 रसयोगों के तीन बैच को सीसीआरएएस के पर्यवेक्षण के अंतर्गत महर्षि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार करके मानकीकरण एवं सुरक्षा/विषाक्तता अध्ययनों हेतु विस्तृत एसओपी के साथ आईआईसीटी, हैदराबाद भेज दिया गया है। 8 रसयोगों के सभी तीन बैचों का रसायनिक विश्लेषण, तीव्र तथा उप-तीव्र विषाक्तता अध्ययनों को पूरा कर लिया गया है। तीव्र विषाक्तता अध्ययन (90 दिन) प्रक्रियाधीन है।

(घ) निम्नलिखित नयाचारों संबंधी सूचनाओं को सीसीआरएएस द्वारा तैयार करके इसे उपेक्षित उत्तरोत्तर संशोधन हेतु आईसीएमआर को उपलब्ध कराया गया है।

(i) हाईपरटेंशन

(ii) डिस्लीपेडेमिया

(iii) एचआईवी/एड्स

(iv) ओस्टियोपोरोसिस

(v) रूमाटाइड अर्थराईटिस

(ङ) सीसीआरएएस ने एचआईवी/ एड्स रोगियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए कूटीकृत औषध आयुष क्यूओएल-2ए विकसित किया है। इस संबंध में मानकीकरण और पूर्व नैदानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है। इस औषध की रूपरेखा नैदानिक परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ आईसीआरएम के हवाले कर दी गई है।

(च) निम्नलिखित पांच रोगों के लिए नयाचार

(i) बिनाइन प्रोटेस्ट हाईपरट्रॉफी, ओस्टियापोरोसिस, हाईपरटेन्शन, डाईस्लीपीडेमिया, एचआईवी/एड्स को आईसीएमआर द्वारा डिजाइन किया गया है।

(iii) बहिर्वर्ती अनुसंधान (ईमआर) स्कीम

लक्ष्य एवं उद्देश्य:

1. आयुष औषधिओं और उपचारों की प्रभाविकारिता के संबंध में साक्ष्य आधारित सहायता विकसित करना;
2. आयुष उत्पादों और चिकित्साभ्यासों हेतु सुरक्षा, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर आंकड़े तैयार करना;
3. प्रासंगिक और उदयमान चिकित्साभ्यासों और पारंपरिक स्वास्थ्य चिकित्सकों के कौशल संबंधी विधिमान्यकरण को सरल बनाना एवं जनता के लाभार्थ उनकी उपयोगिता को उत्तरोत्तर विकसित करना;
4. आयुष संबंधी दुर्लभ प्राचीन साहित्य और ऐतिहासिक पहलुओं का पता लगाकर उनका पुनरूत्थान करना;
5. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के मौलिक सिद्धान्तों का अन्वेषण करना;

6. आयुष चिकित्साभ्यासों के विविध पहलुओं पर डाटाबेस तैयार करना;

7. कच्ची औषधियों एवं तैयारकृत एएसयू एंड एच औषधियों पर भारी धातुओं, कीटनाशक अवशेषों, सूक्ष्मजैवीय भार, सुरक्षा/विषाक्तता आदि के संबंध में आंकड़े तैयार करना;

8. एकल एवं बहु-जड़ी-बूटीय खनिज उत्पादों के विकास हेतु समुचित प्रोद्योगिकियों का उपयोग करना ताकि इसे वैश्विक रूप से स्वीकार्य बनाया जा सके;

9. राष्ट्रीय/बहु-राष्ट्रीय दवाई कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयोजनार्थ आईपीआर विशेषता रखने वाले उत्पादों को विकसित करना;

10. आयुष चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित वैज्ञानिक अभिवृत्ति और विशेज्ञता को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए मानव संसाधन विकास कार्य करना;

आयुर्वेद एवं सिद्ध पर इएमआर के अंतर्गत 26 परियोजनाएं चल रही हैं।

IV. आयुर्वेदिक भेषजसंहिता समिति निम्नलिखित कार्य कर रही है:-

* एकल औषधों और सम्मिश्रित औषधयोगों के भेषजसंहिता मानक विकसित करना।
* मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) अथवा संपाक पद्धति (एमओपी) को विकसित करना।
* आयुर्वेद और सिद्ध औषधों से संबंधित शेल्फ जीवन का अध्ययन करना।

अब तक 540 एकल औषधों और 101 सम्मिश्रित औषधयोगों के लिए मानक निर्धारित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

अस्पतालों का निरीक्षण

3404. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इनके अथवा इनके पूर्ववर्ती द्वारा दिल्ली में किसी सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निरीक्षण के दौरान कौन-सी खामियां/कमियां पायी गयी हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) पूववर्ती माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के साथ 18.6.2004 को सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया था। अपने दौरे/निरीक्षण के दौरान पूर्ववर्ती माननीय मंत्री ने प्रेस में एक समाचार का हवाला दिया कि सफदरजंग अस्पताल के भण्डार में पर्याप्त मात्रा में एंटीबायोटिक नहीं है। तथापित, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सफदरजंग अस्पताल ने स्पष्ट किया कि समाचार के विपरीत सफदरजंग अस्पताल में एंटीबायोटिक्स का पर्याप्त भण्डार है।

[अनुवाद]

कार्य-योजनाओं का मूल्यांकन

3405. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्रों में यथा परिकल्पित कार्य-योजनाएं तैयार करने वाले मंत्रालयों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन कार्य-योजनाओं का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) निम्नलिखित मंत्रालयों और विभागों ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अंतर्गत उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्य योजनाएं तैयार की हैं।

1. पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
2. माइक्रो, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय
3. पृथ्वी विज्ञान विभाग
4. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय
5. गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंध)
6. आयुष विभाग (राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
8. पंचायती राज मंत्रालय

9. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
10. कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय
11. आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
12. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
13. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय
14. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष विभाग
15. युवा कार्य मंत्रालय
16. भू संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
17. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

(ख) और (ग) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा तैयार स्कीमें और कार्यक्रम उनकी संबंधित वार्षिक योजना में दर्शाए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति प्रबल विभिन्न मंत्रालयों की क्षेत्रीय विकास योजनाओं में उचित रूप से एकीकृत की जाती हैं। स्कीमों और कार्य योजनाओं की मानीटरिंग आकलन एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को अपनी स्कीमों के कार्यान्वयन और उनके मूल्यांकन में पर्यावरण और वन मंत्रालय का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अध्ययन कर रहे छात्रों पर व्यय

3406. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अध्ययन कर रहे लगभग सभी छात्र नौकरी के लिए विदेश चले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक छात्र पर सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) एम्स में अध्ययन करने के पश्चात विदेश जाने वाले विद्यार्थियों का कोई भी रिकार्ड एम्स में नहीं रखा जाता है।

(ग) एम्स में स्नातक करने वाले एमबीबीएस विद्यार्थियों के प्रशिक्षण पर होने वाली लागत की समीक्षा करने के लिए एम्स ने दो विशिष्ट अध्ययन किए हैं अर्थात ट्रेडिशनल कास्टिंग और टाइम ड्राइवन एक्टीविटी बेस्ड कास्टिंग। इन दो अध्ययनों के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रति विद्यार्थी पर क्रमश लगभग 172.20 लाख रुपये और 98.80 लाख रुपये की लागत आती है।

[अनुवाद]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन

3407. श्री समीर भुजबल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में जीएसआर (43) संशोधन का ब्यौरा क्या है तथा किस प्रकार प्रमुख लाभ तथा लघु उद्यमियों को दिए जा रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे संशोधन अंतिम रूप से अधिसूचित कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत कानूनी समिति अर्थात केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की सिफारिशों पर लोक टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में संशोधन हेतु कुछ मसौदा नियम अधिसूचना जीएसआर संख्या 43(ई) दिंनाक 22.1.2009 के तहत प्रकाशित किए गए थे। ये मसौदा नियम विभिन्न खाद्य पदार्थो में खाद्य सामग्रियों के प्रयोग से संबंधित हैं जिन्हें मध्यम एवं लघु स्तरीय निर्माताओं द्वारा भी बनाया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मसौदा संशोधन नियमों पर प्राप्त सुझावों/आपत्तियों की जांच की प्रक्रिया के पूरा होने पर इन अधिसूचनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है।

सतत आधार पर प्राकृतिक संसाधन

3408. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सतत आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सतत आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) विभिन्न नीति विवरण जैसे कि राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन्यजीवन कार्ययोजना, राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्ययोजना, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, वैधानिक उपाय, जैसे कि पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम, वन्यजीवन सुरक्षा अधिनियम, जैस विविधता अधिनियम और संयुक्त वन प्रबंधन तथा वनीकरण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय निर्णय लेने में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को एकीकृत किया गया है।

इन नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में रेखांकित सतत उपयोग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों की अंतर-निर्भरता को स्वीकार किया गया है, और दीर्घवधिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मौजूदा संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

आवश्यकताओं और स्थानीय स्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों को वनावरण के अंतर्गत लाकर, पर्यावरणीय अनुकूल प्रतिस्थानकों को प्रोत्साहित करके ऊर्जा के बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने के उपायों को प्रोत्साहित करके स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए पारि-सुधार कार्यक्रमों के जरिए अवक्रमित क्षेत्रों का सुधार करके और पनरूद्धार के लक्ष्य से चलाए जा रहे संयुक्त वन प्रबंधन के कार्यो से तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वन संसाधनों का सतत उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों से होने वाले दबावों को डायवर्ट किया जाता है।

प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए आर्थिक रूप से प्रभावी और सामाजिक रूप से व्यवहार्य पहलें अपनाने के लिए काष्ठ विकल्पों का उपयोग, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जल संचयन और प्रदूषण उपशमन उपाय जैसी रणनीतियां कार्यान्वित की गई हैं।

टेम्स तथा सीन नदियों का अध्ययन

3409. श्री मिलिंद देवरा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के एक शिष्टमण्डल ने सफाई कार्यो का तत्स्थानिक अध्ययन करने के लिए टेम्स तथा सीन नदियों का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अध्ययन के परिणाम क्या रहे; और

(ग) अध्ययन रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय से किसी भी प्रतिनिधिमंडल ने हाल के वर्षो में नदी सफाई कार्यो की सफाई के मौके पर अध्ययन करने के लिए टेम्स नदी और सीन नदी का दौरा नहीं किया है। तथापि, प्रशिक्षण, नदी संरक्षण कार्यक्रमों का एक अभिन्न भाग है तथा प्रतिनिधिमंडलों द्वारा जिनमें केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारी होते हैं, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भाग के रूप में विदेशों के दौरे भी किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य अन्य देशों में नदियों की सफाई से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जैसे नदी मुहाना प्रबंधन उपचार पद्धतियों का अंगीकरण, जल गुणवत्ता मानीटरी, नदी तटों का सुधार आदि से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझना है।

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता

3410. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) प्रत्येंक योजना के लिए राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई तथा व्यय की गई;

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य को वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षो से आन्ध्र प्रदेश सरकार के कौन-कौन से प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ङ) विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गो के लाभ के लिए प्रस्तावित योजनाओं को कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सामाजिक क्षेत्र की मुख्य-मुख्य स्कीमों/कार्यक्रमों (आठ फ्लैगशिप स्कीमों) के संदर्भ में वर्ष 2007-08 और 2008-09 और 2009-10 (ब. अ.) के बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय संबंधी ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है जबकि, जेएनएनयूआरएम के तहत निधियां वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती हैं, वहीं अन्य फ्लैगशिप स्कीमों के लिए निधियां इन स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी की जाती हैं। यद्यपि, इन स्कीमों के लिए संवितरित/उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पास उपलब्ध

हैं, तथापि समयानुक्रम (टाइम सिरीज) आंकड़ों का किसी भी एकल एजेंसी द्वारा किसी एक केन्द्रीय स्थान पर रख-रखाव नहीं किया जाता।

(ग) राज्य विशेष को सीएसएस के तहत निधियों के आबंटन संबंधी मापदण्ड को राज्य सरकारों और योजना आयोग से परामर्श करके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना को वित्तीय सहायता मुहैया कराने और इसका सीएसएस के रूप में अन्य राज्यों में विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। वर्तमान नीति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा राज्यों की पहल से शुरू की गई स्कीमों को स्वतंत्र रूप से निधिकरण करने की कोई संभावना नहीं है।

विवरण

फ्लैगशिप कार्यक्रम

(करोड़ रुपये में

क्र.सं.	कार्यक्रम	मंत्रालय/ विभाग	2007-08		2008-09		2009-10 नियमित बजट
			ब.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.
1.	सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)	विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता	10671.00	11295.56	13100.00	12639.22	13100.00
2.	मध्याहन भोजन (एमडीएम)	विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता	7324.00	5632.23	8000.00	6530.48	8000.00
3.	राजीव गांधी पेयजल मिशन	पेय जल आपूर्ति	6500.00	6031.51	7300.00	7396.46	8000.00
4.	पूर्ण सफाई अभियान	पेय जल आपूर्ति	1060.00	940.69	1200.00	1189.78	1200.00
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11011.00	10436.94	12110.00	11385.55	14187.00
6.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	महिला एवं बाल विकास	5293.00	5193.21	6300.00	6932.74	6705.00
7.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा)	ग्रामीण विकास	1200.00	12589.81	16000.00	29950.08	39100.00
8.	जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	शहरी विकास व आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	5500.00	5507.81	6890.00	10467.99	12887.00
	कुल फ्लैगशिप स्कीमें		59359.00	57627.76	70900.00	86492.30	103179.00

वन्य पक्षियों की संख्या में कमी

3411. श्री आर. ध्रुवनारायणः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो संगणनाओं के दौरान तुलनात्मक आंकड़ों सहित देश में वन्य पशुओं तथा पक्षियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वन्य पशुओं के गायब होने कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) वन्य पशुओं और पक्षियों (बाघ, हाथी आदि जैसी फ्लैगशिप प्रजातियों को छोड़कर) का विस्तृत और राष्ट्र-व्यापी

गणना का आंकलन केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नहीं किया गया है। मिलान नहीं किया गया है। वर्ष 2001-02 के दौरान प्रारम्भिक कार्य पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया अखिल भारतीय बाघ आंकलन के साथ वर्ष 2006 और 2008 के बीच किए गए अखिल भारतीय बाघ आंकलन का ब्यौर क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिया गया है। तथापि अपनाई गई परिष्कृत कार्यपद्धति के कारण नवीनतम आकलन की प्रारम्भिक आंकलन से तुलना नहीं की जा सकती है। इसी के अनुरूप, वर्ष 2002 और 2007-08 में देश में जंगली हाथियों की अखिल भारतीय गणना का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

(ख) और (ग) वन्यजीवन और उनके वास-स्थालों का प्रतिदिन प्रबंधन और सुरक्षा मुख्यत संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के पास निहित है जिसके पास ऐसे संसाधनों का वास्तविक स्वामित्व है। राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों ने वन्यजीवन अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की है और जब भी ऐसे मामलों की सूचना मिली है, जहाँ लागू हो, वहाँ अधिकारियों पर कर्तव्य पालन में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी निर्धारित की है। तथापि, ऐसी सूचना का केन्द्रीय स्तर पर मिलान नहीं किया जाता है।

विवरण I

बाधों की अनुमानित संख्या (प्रारम्भिक कार्यपद्धति का उपयोग करते हुए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2001-02
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	192
2.	अरुणाचल प्रदेश	61
3.	असम	354
4.	बिहार/झारखण्ड	110
5.	गोवा/दमन व दीव	5
6.	कर्नाटक	401
7.	केरल	71
8.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	937
9.	महाराष्ट्र	238
10.	मेघालय	47
11.	मिजोरम	28
12.	नागालैण्ड	23
13.	उड़ीसा	173
14.	राजस्थान	58
15.	तमिलनाडु	60
16.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	535
17.	पश्चिम बंगाल	349
	कुल	3642

विवरण II

परिष्कृत कार्य पद्धति के अनुसार बाधों की अनुमानित संख्या

राज्य	बाधों की संख्या		
	सं.	निम्नतर सीमा	उच्चतर सीमा
1	2	3	4
शिवालिंक गंगा के मैदानी लैंडस्केप काम्प्लैक्स			
झारखंड	178	161	195
उत्तर प्रदेश	109	91	127

1	2	3	4
बिहार	10	7	13
शिवलिंक गगिय क्षेत्र (कुल)	297	259	335
मध्य भारतीय लैंडस्केप काम्प्लैक्स और पूर्वी घाट लैण्डस्केप			
आंध्र प्रदेश	95	84	107
छत्तीसगढ़	26	23	28
मध्य प्रदेश	300	236	364
महाराष्ट्र	103	76	131
उड़ीसा	45	37	53
राजस्थान	32	30	35
झारखण्ड*		मूल्यांकन नहीं किया गया	
मध्य भारतीय (कुल)	601	486	718
पश्चिम घाट लैंडस्केप काम्प्लैक्स			
कर्नाटक	290	241	339
केरल	46	39	53
तमिलनाडु	76	56	95
पश्चिम घाट (कुल)	412	336	487
पूर्वोत्तर पहाड़िया और ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान			
असम*	70	60	80
अरुणाचल प्रदेश*	14	12	18
मिजोरम*	6	4	8
पश्चिमोत्तर बंगाल*	10	8	12
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र (कुल)	100	84	118
सुन्दर वन		मूल्यांकन नहीं किया गया	
बाधों की कुल सं.	1411	1165	1657

* संख्या का अनुमान बाधों द्वारा वासित क्षेत्र में उनकी संभावित संख्या पर आधारित है, न कि डबल सैपलिंग आधार पर

** ये आंकड़े बाधों की संख्या के अनुमान के अनुसार नहीं थे। लेकिन लैंडस्केप के बारे में उपलब्ध सूचनाएं यह संकेत करती हैं कि इस क्षेत्र में बाधों की संख्या 0.5 से 1.5 प्रति 100 वर्ग किमी. तक कम हो रही है।

विवरण III

जंगली हाथियों की अनुमनित संख्या

क्षेत्र	राज्य	हाथियों की संख्या	
		2002	2007–08
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	1607	1690
	असम	5346	5281
	मेघालय	1868	1811
	नागालैण्ड	145	152
	मिजोरम	33	12
	मणिपुर	12	शून्य
	पश्चिम बंगाल (उत्तर)	292	300.350
पूर्वोत्तर के लिए कुल		9243	9305-9355
पूर्व	पश्चिम बंगाल (दक्षिण)	36	25
	झारखण्ड	772	624
	उड़ीसा	1841	1862
	छत्तीसगढ़	–	122
पूर्व के लिए कुल		2649	2633
उत्तर	उत्तराखंड	1582	1346
	उत्तर प्रदेश	85	380
उत्तर के लिए कुल		1667	1726
दक्षिण	तमिलनाडु	3052	3867
	कर्नाटक	5838	4035
	केरल	3850	6068
	आंध्र प्रदेश	74	28
	महाराष्ट्र	–	7
दक्षिण के लिए कुल		12814	14005
द्वीपसमूह	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40	उपलब्ध नहीं है
समग्र योग		26413	27669-27719

भेषज शिक्षा के मानक

3412. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषादः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भेषज शिक्षा के मानक विभिन्न विकसित देशों द्वारा अपनाए गए मानकों के समतुल्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भेषज शिक्षा के मानक में उन्नयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय आवश्यकताओं के समतुल्य फार्मास्युटिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम निम्नलिखित है:-

(i) डी फार्मा (दो वर्षीय पाठ्यक्रम और तीन महीने का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण)

(ii) बी फार्मा (चार वर्षीय पाठ्यक्रम)

(iii) फार्मा डी (12वीं के बाद 6 वर्षीय पाठ्यक्रम)

भारतीय फार्मेसी परिषद ने फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मसी का व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत योग्यता के रूप में 6 वर्ष की अवधि वाला फार्मा डी पाठ्यक्रम आरम्भ किया है। इसके पाठ्यक्रम के घटकों में सामुदायिक फार्मेसी, नैदानिक टाक्सिकोलाजी, फार्माकोथेराप्यूटिक, नैदानिक अनुसंधान अस्पताली फार्मेसी और फार्मास्टयूटिकल अनुसंधान पर बल दिया गया है जो न केवल राष्ट्रीय आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं बल्कि अंतराष्ट्रीय मानकों के समतुल्य भी है।

[हिन्दी]

झील खोदने हेतु नीति

3413. श्री भरत राम मेघवालः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा झील खोदने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नीति की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें अपने राज्य में इस नीति में समर्थित नियमों की अनदेखी करके झील खोद रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जल संसाधन मंत्रालय ने "राज्य सरकारों द्वारा झीलों की खुदाई के लिए कोई नीति" तैयार नहीं की है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हिरणों की संख्या

3414. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हिरणों की राज्यवार तथा अभयारण्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में हिरणों की संख्या घट रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हिरणों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/ किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) देश में हिरणों की विविध प्रजातियों की कोई व्यवस्थित राष्ट्र-व्यापी आंकलन नहीं किया गया है। ऐसी कोई वैज्ञानिक रिपोर्टो नहीं है, जो यह दर्शाए कि देश में कश्मीरी स्टैग (हांगुल) को छोड़कर हिरण की प्रजातियों की संख्या में कमी आई है। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1965 में कश्मीरी में कश्मीरी स्टैग (हांगुल) की संख्या 180-250 से वर्ष 2006 में 117-119 तक कम हो गई है। वास-स्थलों में अवक्रमण/कमी, चराई भूमि की कमी, प्रीडेशन/प्रतिद्वन्दता, अवैध शिकार जैसे घटक, हांगुल की संख्या में कमी आने के मुख्य कारण है।

(घ) हिरण सहित वन्यजीवन के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:

1. हिरण की संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल करके उन्हें उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।
2. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को समय-समय पर संशोधित करके वन्यजीव, अपराधों के विरुद्ध और अधिक सख्त बनाया गया है।
3. हिरण सहित वन्यजीव और उनके वास-स्थलों को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।
4. वन्यजीव और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार की जांच करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों स्थापित किया गया है।
5. राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को फील्ड फॉरमेशन सुदृढ़ बनाने और वन्यजीव प्रचुर क्षेत्रों में और उसके आस-पास गहन रूप से गश्त लगाने के लिए निवेदन किया गया है।
6. राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामशः "वन्यजीव वास स्थलों का समेकित विकास, बाघ परियोजना' और हाथी परियोजना के अंतर्गत हिरण सहित वन्यजीव के बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।
7. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-'संवेदनशील रूप से संकटापन्न प्रजातियों और उनके वास-स्थलों के लिए पुनः प्राप्ति कार्यक्रम' शुरू करने के लिए एक नया घटक जोड़ा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष (2008-09) के दौरान, जम्मू और काश्मीर राज्य को हांगुल के संरक्षण के लिए इस घटक के तहत 99.00 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। इसी के अनुरूप, चालू वित्त वर्ष (2009-10) के दौरान, मणिपुर राज्य को ब्रो एन्टलेर्ड डियर के संरक्षण हेतु 33.96 लाख रुपये भी धनराशि जारी की गई है।
8. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, दुर्लभ और संकटपन्न हिरण की प्रजातियों के बाह्य-स्थाने संरक्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

व्यय नहीं की गई संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधि

3415. श्री मिथिलेश कुमार: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौदहवीं लोक सभा तथा राज्य सभा के कुछ संसद सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की पूरी राशि का उपयोग नहीं कर पाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येंक संसद सदस्य के कार्यकाल के दौरान कितनी राशि व्यय की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत, प्रत्येंक संसद सदस्य अपनी वार्षिक पात्रता तक, कार्यों की अग्रिम अग्रिम सिफारिश कर सकता है। नोडल जिला प्राधिकारी संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित पात्र कार्यो की जांच करते हैं और उन्हें स्वीकृत करते हैं तथा एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों एवं निष्पादित किए जा रहे कार्य की प्रगति के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी को निधि जारी करते हैं। इस प्रकार, लोक सभा/राज्य सभा के किसी सांसद के कार्यकाल के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधि आनुक्रमिक लोक सभा/राज्य सभा अवधि के दौरान खर्च की जा सकती है, क्योंकि यह अव्यपगत निधि है।

[अनुवाद]

एचआईवी/एड्स विधेयक

3416. श्री अधलराव पाटील शिवाजी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एचआईवी/एड्स बीमारी पर विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो विधेयक पारित करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त विधेयक की वर्तमान स्थिति के संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी, हां। इस समय विधि मंत्रालय (विधायी विभाग) में एचआईवी/एड्स पर विधेयक की प्रक्रिया चल रही है।

स्नातकोत्तर छात्रों की परीक्षा नहीं लेना

3417. श्री एम. के. राघवन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कालेज ऑफ मेडिसीन एण्ड होमियोपैथिक फार्मेसी ने परीक्षा नहीं आयोजित की है तथा छात्रों को स्नातकोत्तर डिग्रियां इन पाठयक्रमों की समाप्ति के बाद दे दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) केरल सरकार ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 12 क के अधीन उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना 2005 में तिरूवनन्तपुरम और कोझीकोड स्थित राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में मेडीसिन अभ्यास एवं होम्योपैथी फार्मेसी में स्नातकोत्तर पाठयक्रम शरू किए थे। चूंकि इस संबंध में संबंधित सांविधिक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए, विश्वविद्यालय को सलाह दी गई कि वे इन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान न करें। इसी कारण इन पाठयक्रमों की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी। उक्त पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त कुछ छात्रों ने केरल के उच्च न्यायलय में रिट याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायलय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वे होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेजों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पत्र पर विचार करते हुए इन पाठयक्रमों को पूर्व दिनांक से अनुमोदन प्रदान करें। केन्द्र सरकार ने प्रभाग न्यायपीठ में उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी और बाद में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में भी एक विशेष अवकाश याचिका दायर की गई थी। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए इस मामले को केरल उच्च न्यायलय में इन अनुदेशों के साथ संप्रेषित किया था कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही अपील पर फैसला करें। यह मामला केरल उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। इस मामले के निपटान पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अवक्रमित वन क्षेत्र को पुनः हरित बनाना

3418. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 55 प्रतिशत भाग अवक्रमित है तथा वन-रोपण के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अवक्रमित वन के कितने क्षेत्रफल को गत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान पुनः हरित किया गया है; और

(घ) देश के वन क्षेत्र में वन रोपण तथा संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) अवक्रमित वन क्षेत्र और रोपण के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र का पृथक आकलन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ एस आई) के अध्ययन के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और

कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखण्ड राज्यों में 4000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1,83,135 वर्ग कि. मी. क्षेत्र पाया गया है जहां जलवायु और एडफिक स्थितियां वृक्ष वृद्धि को सीमित करते हैं और वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध नहीं है।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय, देश में अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों में वन विकास अभिकरण (एफ डी ए) के द्वि-स्तरीय विकेन्द्रित मेकेनिज़्म के माध्यम से वन प्रभाग स्तर पर और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे एफ एम सी) के माध्यम से ग्राम स्तर पर राष्ट्री वनीकरण कार्यक्रम (एन ए जी) कार्यान्वित कर रहा है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (22.7.2009 तक) के दौरान उपचार करने हेतु अनुमोदित परियोजना क्षेत्र क्रमश: 6,66,496 हेक्टेयर और 26,634 हेक्टेयर हैं।

(घ) भाग (ग) के अतिरिक्त, वनीकरण/वृक्षारोपण और सुरक्षा हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) देश में मौजूदा चार परिक-कृतक बल (ई टी एफ) को सहायता देने के अलावा असम में अवक्रमित क्षेत्रों की पारिबहाली मंत्रालय द्वारा दो नए पारि-कृतक बल प्रचालित किए गए हैं।

(ii) मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थान, ग्राम/पंचायत वन योजना को शामिल करते हुए वनीकरण की नई स्कीम पर विचार किया गया है।

(iii) भारत सरकार के अन्य मंत्रालय, जिनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृर्षि मंत्रालय उल्लेखनीय है की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत वृक्षा रोपण अनुमित गतिविधि है।

(iv) पर्यावरण और वन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वनीकरण और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के कन्वर्जेन्स दिशानिर्देश और एन ए पी जारी किए गए हैं।

(v) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर घोषित राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत, 'हरित भारत' के लिए राष्ट्रीय मिशन पर, आठ मिशनों में से एक मिशन के रूप में विचार किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वनीकरण कार्यकरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में सहायता करना शामिल है।

(vi) वर्ष 2009-10 के संघ बजट में 500.00 करोड़ रुपये के आवंटन से एक नई राज्य योजना स्कीम प्रस्तुत की गई है, अर्थात् वन आवरण की पुन:प्राप्ति और पुनरुदव के त्वरित कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।

(vii) वन क्षेत्रों की सुरक्षा और प्रबंधन, राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय प्रायोजित समेकित वन सुरक्षा स्कीम (अब वन प्रबंधन का तीव्रीकरण स्कीम के रूप में नामोल्लिखित) के अंतर्गत, दावालन नियंत्रण और प्रबंधन, अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, वर्किंग योजनाओं की तैयारी और अन्य सुरक्षा संबंधित उपायों को वित्तीय सहायता उलब्ध कराई गई है।

(viii) इसके अतिरिक्त राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारें राज्य/संघ शासित योजना आदि की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण/वृक्षारोपण और सुरक्षा उपाय भी अपनाते हैं।

आदिवासी/ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञात बीमारियां

3419. श्री पी. बलराम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी/ग्रामीण क्षेत्रों में कतिपय विचित्र और अज्ञात बीमारियों के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

गुड़गांव में औषधालय के निर्माण का प्रस्ताव

3420. श्री गणेश सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुड़गांव में सीजीएचएस औषधलय के निर्माण का योजना परिव्यय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) को अनुमोदन हेतु भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हुडा से अनुमोदन प्राप्त हो गया है;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है तथा इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि विनिर्दिष्ट की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार गुड़गांव में होमियोपैथिक औषधालय शुरू करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार लाभार्थियों के लाभ हेतु कम से कम सप्ताह में एक बार प्रत्येक सीजीएचएस औषधालय में एक होमियोपैथिक चिकित्सक भेजने की सोच रही है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुड्डा) ने औषधालय के निर्माण के लिए अपने अनुमोदन की सूचना अभी तक नहीं भेजी है।

(ग) निर्माण कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी नहीं।

(छ) यह एक एलोपेथिक औषधालय है जिसमें होमयोपैथी का ढांचा नहीं है।

[हिन्दी]

आयुष के लंबित प्रस्तावों की स्थिति

3421. श्री कैलाश जोशी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के अंतर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त लंबित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान तथा कार्य के पूर्ण होने वाले संभावित समय तक भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के अधीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त लंबित प्रस्ताव की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	कॉलेज/संस्थान का नाम	प्रस्ताव प्राप्त करने का वर्ष	लंबित होने के कारण	वह समय जब प्रस्ताव को संभावित रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा
1.	पं. शिवनाथ शास्त्री (ऑटो) राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेज, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	2007	प्रस्ताव अधूरा था और पूर्व अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित था।	निर्धारित समय इंगित करना संभव नहीं है क्योंकि यह पूर्व अनुदानों से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति पर निर्भर है।
2.	राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा कॉलेज, उज्जैन, मध्य प्रदेश	2007	10वीं योजना के दौरान निर्मुक्त 328.60 लाख रु. के अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त लंबित थे।	निर्धारित समय इंगित करना संभव नहीं है क्योंकि यह पूर्व अनुदानों सें संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति पर निर्भर है।
3.	राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा कॉलेज, रीवा, मध्य प्रदेश	2007	10वीं योजना के दौरान निर्मुक्त 26.46 लाख रु. के अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं हुआ है। इस संबंध में केवल खर्च न की गई शेष राशि ही प्राप्त हुई है।	निर्धारित समय इंगित करना संभव नहीं है क्योंकि यह संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति पर निर्भर है।
4.	राजकीय होम्यो, चिकित्सा कॉलेज, भोपाल, मध्य प्रदेश	2008	1. मॉडल घटके के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु संस्थान के पास कम से कम 5 स्नातकोत्तर विभाग होने चाहिए। वर्ष 2005-06 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कॉलेज को 150.00 लाख रु. निर्मुक्त किए गए थे तथापि आज तक ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। जिससे यह मालूम हो सके कि 5 सनतकोत्तर पाठयक्रम शुरू कर दिए गए है। उपर्युक्त अनुदानों के बावजूद स्कीम के स्नातकपूर्व घटक के अंतर्गत 62.00 लाख रु. भी निर्मुक्त किए गए थे। 2. पूर्व अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अब भी लंबित है।	निर्धारित समय इंगित करना संभव नहीं है क्योंकि यह संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति पर निर्भर है।
5.	शिवंग होम्यों, चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश	2008	प्रस्ताव अपूर्ण अवस्था में प्राप्त हुआ था।	निर्धारित समय इंगित करना संभव नहीं है क्योंकि यह संबंधित अपेक्षित दस्तावेजो की प्रस्तुति पर निर्भर है।

राजस्थान में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र

3422. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील अधिसूचित किया है/ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 7 मई, 1992 के के का. आ. 319 (अ)के तहत अधिसूचना जारी करके अरावली रेंज के विनिर्धारित क्षेत्रों में पर्यावरणीय अवक्रमण पैदा करने वाली कतिपय गतिविधियों पर रोक लगा हैं और उसे प्रदत्त शक्तियों को दिनांक 29 नवम्बर, 1999 के का. आ. 1189 (अ) के तहत राजस्थान राज्य सरकार को प्रत्यायोजित किया है। सरकार ने दिनांक 26 जून, 2009 के का. आ. 1545 (अ) के तहत एक अधिसूचना जारी की है जिसमें माउंट आबू और उसके आसपास के क्षेत्र को पारि-दृष्टि से संवेदनशील अंचल के रूप में घोषित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'हिमाचल प्रदेश में पेड़ों का काटना'

3423. डॉ. राजन सुशान्त: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में खैर इत्यादि जैसे हरे पेड़ों को काटने पर आंशिक प्रतिबंध हटाने के संबंध में निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की एक समिति ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति के निष्कर्ष क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने टी.एन गोदावर्मन शिरूमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपने दिनांक 8 मई, 2009 के आदेश के तहत रिटपिटीशन (सिविल) सं. 202/1995 में आई. ए. सं. 2370 में केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति (सीईसी) की निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

1. वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत गैर-वानिकी उपयोग के लिए अनुमोदित वन क्षेत्र से पेड़ों की कटाई को लगातार स्वीकार्य बनाए रखा जाए।

2. उपर्युक्त पांच हेक्टेयरों के कम्पैक्ट वुडेड ब्लॉक्स, जिन्हें अन्यथा वन के रूप में अधिसूचित/रिकॉर्ड नहीं किया गया है, उनको वन संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य से अधिसूचित/रिकॉर्ड नहीं किया गया है, उनको वन संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य से "वन" माना जाए। ऐसे क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई और उनका गैर वन कार्यो के लिए उपयोग वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मंजूरी लेने के बाद ही स्वीकार्य होना चाहिए।

3. भूमि परिरक्षण अधिनियम, 1978 के उपबंधों के अनुसार गैर वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को कठोरता से विनियमत किया जाना चाहिए, और

4. राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के पेड़ों की कटाई अथवा गैर-वन कार्यो के लिए उनका उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि इसके लिए माननीय न्यायालय द्वारा इसके लिए विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो।

गैर वन के क्षेत्रों के खैर वृक्षों के मामले को छोड़कर सीईसी की सिफारिश को पूरे हिमाचल प्रदेश में विस्तारित किया गया है।

(ग) और (घ) इस संबंध में केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की किसी भी समिति ने हिमाचल प्रदेश का दौरा नहीं किया है।

[अनुवाद]

मूलभूत अधिकार के रूप में स्वास्थ्य

3424. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य को लोगों के मूलभूत अधिकार के रूप में दर्जा देने पर योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) स्वास्थ्य को लोगों के मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किए जाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षण विधेयक

3425. श्री टी. आर. बालू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण संबंधी विधेयक की तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु अलग आरक्षण विधेयक पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्य, ई. एस.एस. नाचिआपन की अध्यक्षता वाली कार्मिक संबंधी संसदीय समिति 2005 की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. हेतु आरक्षण के संबंध में सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण विधेयक पुर: स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) संसदीय समिति ने इस तरह की सिफारिशें की, जैसे कि-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए अलग-अलग विधेयक, विधेयक में उपयुक्त दण्ड-प्रावधान का शामिल किया जाना: पदोन्नति में अन्य पिछड़ें वर्गो को आरक्षण देना: संविधान की नौवीं अनुसूची में आरक्षण विधेयक का शामिल करना इत्यादि।

(ङ) और (च) एक मंत्रिदल की सिफारीश पर सरकार ने अलग-अलग विधेयक-एक विधेयक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए और दूसरा विधेयक अन्य पिछड़े वर्गो के लिए प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में असफल रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध दण्ड के प्रावधान को शामिल करना इत्यादि संबंधी सिफारिशें स्वीकार की हैं।

[हिन्दी]

झारखंड में जल संचयन क्षमता

3426. श्री अर्जुन मुण्डा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड में अच्छी वर्षा के बावजूद पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से सिंचाई हेतु अपेक्षित मात्रा में जल का संचयन नहीं किया जाता सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू परियोजनओं द्वारा कुल कितनी जल-संचयन क्षमता सृजित की गयी है और कितनी किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में जल संचयन क्षमता को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी निधियां आबंटित और जारी की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) झारखण्ड में वार्षिक औसत 1329 एम एम है। झारखण्ड सहित विभिन्न कृष्य-जलवायु उप क्षेत्रों में वर्षा का औसत 1246 एम एम से 1600 एम एम के बीच रहता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सृजित संचयन क्षमता लगभग 2472 मिलियन घन मीटर तथा चालू परियोजनाओं की अनुमानित संचयन क्षमता लगभग 6878 मिलियन घन मीटर है।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वृहद और माध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई स्कीमों (भूमि जल और सतही जल दोनों से) के तहत सिंचाई विकास और प्रबंधन संबंधी अनेक उपाय किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) तथा जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्वार संबंधी स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षो (2006-07 से 2008-09) के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा ए आई बी पी के अंतर्गत 14.23 करोड़ रुपये तथा जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्वार की स्कीम के अंतर्गत 5.87 करोड़ रु. की अनुदान राशि जारी की गई है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान पर व्यय

3427. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी. वी. सी., सी.बी.आई. आदि के रेड अलर्ट नोटिस और छापों जिन पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, के बावजूद भ्रष्टाचार अभियान अर्थहीन साबित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में उपरोक्त एजेन्सियों के अन्तर्गत एजेन्सीवार कितना व्यय हुआ है; और

(घ) पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान इन एजेन्सियों को कितने मामले सौंपे गए और कितने मामलों में समय सीमा के अंदर कार्रवाई की गयी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) भ्रष्टाचार निरोधी अभिकरणों द्वारा मारे गए छापों के परिणामस्वरूप निवारक प्रभाव पड़ने के साथ आपराधिक मामले दर्ज होते हैं और प्रभावी अभियोजन और दोषसिद्धि के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र होता है।

(ग) इस बारे में हुए खर्च का अलग से कोई रिकार्ड, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को संवैधानिक न्यायालयों द्वारा और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 5 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा भी सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहमति से मामले सौंपे जाते हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार और संवैधानिक न्यायालयों द्वारा सौंपे गये मामलों सहित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	मामलों की संख्या		दर्ज किए गए नियमित
	सरकार द्वारा सौंपे गए मामले	संवैधानिक न्यायालयों द्वारा सौंपे गए मामले	मामले/ की गई प्रारम्भिक जांच की कुल संख्या
2006	22	220	1156
2007	34	114	940
2008	42	89	991

मामलों के निपटान के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों सभी मामलों में अन्वेषण को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास करता है।

विज्ञान क्षेत्र में घटती अभिरूचि

3428. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास की वजह से विज्ञान क्षेत्र में अभिरूचि घटी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विज्ञान को बढ़ावा देने और विज्ञान क्षेत्र में अभिरूचि पुन: बहाव करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) विज्ञान को बढ़ावा देने और अनुसंधान में कैरियर अपनाने हेतु प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए संघ सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इन्सापायर) नाम एक कार्यक्रम को पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी है। यह स्कीम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13 दिसम्बर, 2008 को प्रारम्भ की गई थी।

इन्सपायर का मूल उद्देश्य प्रतिभाओं को उनकी प्रारम्भिक अवस्था से ही विज्ञान का अध्ययन करने तथा अनुसंधान में कैरियर अपनाने के लिए आकर्षित और अभिप्रेरित करना तथा देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान और विकास आधार को सुदृढ़ करने तथा इनका विस्तार करने के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण मानव संसाधान समूह का निर्माण करने में सहायता प्रदान करना है। दूरदर्शिता से युक्त यह एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है।

इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं। अर्थात् (i) विज्ञान के प्रति प्रतिभाओं के प्रारंभिक आकर्षण की स्कीम (एसईएटीएस), (ii) उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (एसएचई) तथा (iii) अनुसंधान कैरियरों के लिए सुनिश्चित अवसर (एओआरसी) जिसमें 10-32 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थी शामिल हैं।

(i) विज्ञान के प्रति प्रतिभाओं के प्रारंभिक आकर्षण की स्कीम (एसईएओएस) का उद्देश्य (क) इन्सपायर पुरस्कार के रूप में प्रति विद्यार्थी 5000 रुपये का निवेश कर 10-15 वर्षों के आयु वर्ग में प्रतिभावना विद्यार्थियों को नवोन्मेषों के उत्साह का अनुभव करने के लिए आकर्षित करना; तथा (ख) इन्सपायर इंटर्नशिप के माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई करने वाले कक्षा XI के 50,000 से अधिक विद्यार्थियों का विज्ञान के क्षेत्र में विश्वस्तरीय हस्तियों के साथ विचार-विनिमय करना।

(ii) उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (एसएचई) का उद्देश्य प्रतिभावना युवाओं को छात्रवृत्तियां प्रदान कर तथा कार्यशील अनुसंधानकर्ताओं के साथ ग्रीष्मकालीन सम्पर्क कार्यक्रम के आयोजन द्वारा परामर्श प्रदान कर विज्ञान गहन कार्यक्रमों के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिभावना युवाओं की रूचि में वृद्धि करना। है। इस स्कीम के माध्यम से 17-22 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभावान युवाओं के लिए प्राकृतिक और मौलिक विज्ञान में अण्डरग्रैजुएट तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए 0.80 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर पर प्रत्येंक वर्ष 10,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। इस स्कीम की एक अन्य विशेषता मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना है जिसकी योजना इन्सापायर छात्रवृत्ति के माध्यम से प्रत्येक छात्र के लिए तैयार की जा रही है।

(iii) अनुसंधान कैरियरों के लिए सुनिश्चत अवसर (एओआरसी) स्कीम में डॉक्टरल डिग्री प्राप्त करने के लिए इंजीनियरी और चिकित्सा-शास्त्र सहित मौलिक और अनुप्रयुक्त, दोनों विज्ञानों में 22-27 वर्ष के आयु वर्ग में प्रत्येक वर्ष 1000 डाक्टरल 32 वर्ष के आयु वर्ग 1000 पोस्टडॉक्टरल अनुसंधानकर्ताओं को मौलिक और अनुप्रयुक्त, दोनों विज्ञानों में 5 वर्षो के लिए संविदात्मक और कार्य पदावधि प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष एक अवसर भी प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण

3429. श्री जोस के. मणि: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला और सरकारी नौकरियां हासिल करने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु संविधान संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मलिन बस्तियों के अनुरक्षण हेतु धनराशि

3430. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के अनुरक्षण और शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी और कौन-कौन से अन्य विकास कार्य और योजना शुरू तथा क्रियान्वित किए गए;

(ख) इस संबंध में राज्यवार विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा राज्यवार किन-किन योजनाओं के अंतर्गत राज्य के सरकारों को धनराशि आवंटित की गई तथा कितनी निधियां व्यय की गईं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. वी. नारायणसामी): (क) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) के अंतर्गत 65 मिशन शहरों के शहरी क्षेत्रों, एकीकृत आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत शेष शहरी क्षेत्रों तथा राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान मलिन बस्तियों के अनुरक्षण हेतु आबंटित की गई निधियां निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये में)

जेएनएनयूआरएम के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
बीएसयूपी	908.78	1322.34	1656.54	2168.94
आईएचएसडीपी	500.00	488.04	611.38	1108.86
आरएवाई	--	--	--	150.00

(ख) मलिन बस्ती के लोगों के लिए कोई राज्यवार आवंटन, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं किया जाता है।

(ग) अब तक बीएसयूपी के अंतर्गत 967.66 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों द्वारा 187.43 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन

3431. श्री पी. सी गद्दीगौदर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना हेतु कितनी निधियां निर्धारित की गयी हैं;

(घ) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई है कि मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी योजनाओं के लाभ उचित लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमें तथा प्रत्येक स्कीम के लिए निर्धारित निधियाँ संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वर्ष 2009-10 के दौरान कुल आबंटन
1	2	3
1.	मंच, साहित्य तथा प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम	850.00
2.	विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता	2050.00
3.	स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान	1010.00
4.	अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे, साहित्य, कला तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों के लम्ब-प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता	545.00
5.	राष्ट्रीय कलाकार कल्याण निधि का सृजन	500.00

1	2	3
6.	बहु-उद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना	400.00
7.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को सहायता	500.00
8.	हिमालयी कला तथा संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता	120.00
9.	जनजातीय/लोक कला तथा संस्कृति के संवर्धन तथा प्रसार के लिए सहायता	120.00
10.	सांस्कृतिक कार्यकलापों में संलग्न स्वयंसेवी संगठन को अनुसंधान समर्थन के लिए वित्तीय सहायता	160.00
11.	मानवता की अमूर्त विरासत के परिरक्षण तथा संर्वधन के लिए सहायता	160.00
12.	सांस्कृतिक स्रोत प्रबंधन केन्द्र*	100.00
13.	अमूर्त विरासत तथा सांस्कृतिक विविधता के क्षेत्र में सुरक्षा तथा अन्य रक्षात्मक उपाय (यूनेस्को सम्मेलन से उत्पन्न)	10.00
14.	भारतीय संस्कृति तथा विरासत के बारे में जागरूकता का संवर्धन तथा प्रसार*	160.00
15.	सांस्कृतिक विरासत स्वयंसेवी (सी एच वी) स्कीम*	160.00
16.	सांस्कृतिक उद्योगों के लिए पायलट स्कीम	100.00
17.	ज्ञान संस्थानों में सुविधाजनक ढंग से संलिप्तता के लिए विद्वानों को अध्येतावृत्ति*	100.00
18.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्ति	
19.	बौद्ध/तिब्बती संस्थानों के विकास के लिए सहायता।	560.00
20.	राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, परिणामस्वरूप जिससे आगे चलकर आयोग का गठन*	400.00
21.	जलियाँवाला बाग स्मारक का विकास	100.00
22.	राष्ट्रीय स्मारकों का अनुरक्षण	200.00
23.	क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों का सवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण	1684.00
24.	महानगरों में संग्रहालयों का आधुनिकीकरण	1000.00
25.	शताब्दी तथा वर्षगांठ समारोहों के लिए स्कीम	200.00

*ये स्कीम अभी तक सुचलित नहीं है।

[हिन्दी]

नदियों को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया जाना

3432. श्री शैलेन्द्र कुमारः
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लाः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश की किसी नदी को राष्ट्रीय विरासत के रूप में घोषित किया गया है अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन नदियों के नाम क्या हैं;

(ग) इसके परिणमस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जल संसाधन मंत्रालय ने देश की किसी नदी को राष्ट्रीय विरासत के रूप में घोषण करने का कोई प्रस्ताव नहीं बनाया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य क्षेत्र को करावकाश

3433. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के बीच विद्यमान भारी अंतर को पाटने हेतु टीयर-एक और टीयर-दो कस्बों में अस्पताल स्थापित करने हेतु निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को पांच वर्ष का करावकाश स्वीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) नॉन मेट्रो शहरों में अस्पतालों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त अधिनियम 2008 ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-1बी में उपधारा (11सी) प्रविष्ट की है। उपर्युक्त नई उपधारा में किसी उपक्रम को विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन क्षेत्रों को छोड़कर भारत में कही पर भी स्थित अस्पतालों को चलाने और उसके रख-रखाव के व्यवसाय से होने वाले लाभों पर शुरूआती मूल्यांकन वर्ष से लेकर लगातार 5 वर्षो के लिए करावकाश की व्यवस्था है। धारा 80-1बी की उपधारा (11सी) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्था है:

(i) अस्पताल चलाने और उसके रख-रखाव के व्यवसाय से होने वाले लाभ के संबंध में शुरूआती मूल्यांकन वर्ष से लगातार 5 मूल्यांकन वर्षो तक कर लाभ दिया जाएगा।

(ii) कर का लाभ उस अस्पताल को दिया जाएगा जो 1 अप्रैल, 2008 के शुरू से लेकर 31 मार्च, 2013 को समाप्ति के दौरान किसी भी समय विनिर्मित और शुरू हुआ है अथवा उसने कार्य करना शुरू किया है।

(iii) अस्पताल में कम से कम रोगियों के लिए 100 बिस्तर होने चाहिए।

(iv) बाहरी क्षेत्र में ग्रेटर मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर और अहमदाबाद की शहरी आबादी, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गांधी नगर जिले और सिकन्दराबाद शहर शामिल होंगे।

(v) शहरी आबादी के क्षेत्र में 2001 की जनगणना के आधार पर ऐसे शहरी आबादी वाले क्षेत्रों शामिल होंगे।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ

3434. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार मीणा जनजाति सहित अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोगों हेतु पदों का आरक्षण किए जाने के परिणामस्वरूप ये किस हद तक लाभन्वित हुए हैं;

(ख) उनके लिए लागू आरक्षण लाभ की अवधि कम समाप्त होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जनजातियों के लोगों हेतु आरक्षण की समय-सीमा को अगले दस वर्षो के लिए बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके लिए आरक्षण की अवधि कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) आरक्षण के उपबंध के फलस्वरूप, सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता 01.01.1965 की स्थिति के अनुसार 2.25 से बढ़कर 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार 6.73% हो गई है।

(ख) ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियुक्ति

3435. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित प्रोफेसर मेनन समिति ने बताया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण बोर्डो (एसपीसीबी) में प्रमुख पदों पर नियमित रूप से आईएस अधिकारी और नौकरशाह काबिज हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रबंधन को सुधारने हेतु प्रो. मेनन समिति की सिफारिशों के अनुरूप सीपीसीबी में अधिकारियों को नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित प्रोफेसर मेनन सीमिति ने उल्लेख किया है कि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो में अध्यक्षों और सदस्य सचिवों के पदों पर मुख्यत: गैर:तकनीकी व्यक्ति आसीन हैं, उपलब्ध सूचना के अनुसार 28 राज्यों और 6 प्रदूषण नियंत्रण समितियों में से, अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की पृष्ठ-भूमि निम्न प्रकार से है:

(i) अध्यक्ष: भा. प्र. से.-14; भा. व. से.-6; तकनीकी-10; अन्य-3; रिक्त-1

(ii) सदस्य सचिव: भा. प्र. से.-4; भा.व.से.-14; तकनीकी-13; अन्य-2; रिक्त-1

(ख) जल (प्रदूषण निवरण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अध्यक्ष और सदस्य सचिव के रूप में तकनीकी अर्हता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया है।

[हिन्दी]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से निधियों को जारी किए जाने को रोकना

3436. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी) से निधियों को जारी करना रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी महाराष्ट्र सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निधियां कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) वर्ष 2009-10 के लिए त्वरित सिंचाई कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत निधि जारी करने संबंधी कोई प्रस्ताव अब तक नहीं रोका गया है। एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्तावों को प्रक्रियाबद्ध किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एआईबीपी के अंतर्गत निधि जारी की जाती है यदि निधि जारी करने संबंधी प्रस्ताव कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप होते हैं।

[अनुवाद]

भारत निर्माण कार्यक्रम हेतु राज्यवार लक्ष्य

3437. श्री एंटो एंटोनी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारत निर्माण योजना के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान वर्षवार, राज्यवार और घटकवार कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं और कितना व्यय हुआ है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) देश में भारत निर्माण योजना के लक्ष्य और विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न I विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विगत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान राज्य/वर्ष/घटक वार आबंटित निधि और किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

विवरण I

भारत निर्माण घटक-ग्रामीण विद्युतीकरण-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

(क) मार्च 2009 तक अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की राज्य/वर्ष वार वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	365	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	0	0	140	0	50	84	959	651
4.	बिहार	1600	1600	10097	8415	6000	3347	5249	3098
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	50	0	117	50
6.	गुजरात	0	0	0		0	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	झारखण्ड	0	0	1918	0	2150	1259	8228	4933
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0	10	0	0	0	103	46
11.	कर्नाटक	35	47	0	0	0	0	34	11
12.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0	100	0	50	15	100	69
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मणिपुर	0	0	30	0	0	36	150	57
16.	मेघालय	0	0	10	0	0	0174	90	
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	100	0
18.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	12	0
19.	उड़ीसा	0	0	500	0	350	0	2672	1427
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	124	230	1250	765	500	633	367	158
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	16	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	48	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	7355	7503	21956	16620	4000	2862	1964	695
26.	उत्तराखंड	230	87	850	798	350	341	198	175
27.	पश्चिम बंगाल	656	352	3240	2108	1500	724	769	596
	कुल	10000	9819	40101	28706	15000*	9301	21625**	12056

*बाद में संशोधित करके 9500 कर दिया गया

**19000 के एमओयू लक्ष्य को हासिल करने के लिए आन्तरिक लक्ष्य

भारत निर्माण घटक-ग्रामीण विद्युतीकरण-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

(ख) मार्च 2009 तक राज्य/वर्ष वार बीपीएल कनेक्शन

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश		-		226654		606750		945368
2.	अरुणाचल प्रदेश		-		-		-		-
3.	असम		-		-		-		32718
4.	बिहार		487		2724		64609		474277
5.	छत्तीसगढ़		-		-		15302		75592
6.	गुजरात		-		10373		67944		116310
7.	हरियाणा		-		-		6907		16930
8.	हिमाचल प्रदेश		-		-		-		392
9.	जम्मू और कश्मीर		-		-		4062		3924
10.	झारखण्ड		-		-		2826		243830
11.	कर्नाटक		12268		107047		255421		226046
12.	केरल		-		-		6596		3394
13.	मध्य प्रदेश		-		-		1099		76026
14.	महाराष्ट्र	शून्य	-	शून्य	-	4000000	56287	500000	145715
15.	मणिपुर		-		-		1300		2056
16.	मेघालय		-		-		-		1264
17.	मिजोरम		-		-		-		-
18.	नागालैण्ड		-		-		-		-
19.	उड़ीसा		-		-		72		144056
20.	पंजाब		-		-		-		-
21.	राजस्थान		-		9236		246142		237727
22.	राजस्थान		-		-		-		-
23.	तमिलनाडु		-		-		-		296
24.	त्रिपुरा		-		-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	उत्तर प्रदेश		4060		251628		191576		251575
26.	उत्तराखंड		–		21539		61642		50111
27.	पश्चिम बंगाल		–		26572		32647		37181
	कुल		16815		655773		1621182		33084788

भारत निर्माण घटक-ग्रामीण सड़कें-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

(क) मार्च, 2009 तक नई कनेक्टिविटी, आवास स्थलों के संबंध में राज्य/वर्षवार वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	11	0	4	0	0	2	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	22	0	65	3	67	19	25	19
3.	असम	421	346	1988	804	2701	656	1800	1210
4.	बिहार	896	0	2062	1183	3214	174	1120	842
5.	छत्तीसगढ़	478	497	1310	632	2007	648	2000	1154
6.	गोवा	0	2	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	230	212	246	264	251	249	180	222
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	127	98	209	145	166	168	260	172
10.	जम्मू और कश्मीर	57	3	352	16	593	41	175	187
11.	झारखण्ड	526	101	1295	108	901	97	400	363
12.	कर्नाटक	0	1	0	4	0	2	10	10
13.	केरल	0	6	0	19	0	12	25	13
14.	मध्य प्रदेश	768	929	1760	1345	2399	1916	2300	2361
15.	महाराष्ट्र	0	46	0	135	0	10	82	60
16.	मणिपुर	11	37	48	0	48	0	45	41
17.	मेघालय	35	13	30	4	31	6	10	7
18.	मिजोरम	12	7	39	1	39	11	10	6
19.	नागालैण्ड	9	7	10	0	10	5	5	7
20.	उड़ीसा	493	361	874	322	1087	321	1450	2205
21.	पंजाब	0	7	0	43	0	0	0	0
22.	राजस्थान	743	753	1252	1222	1225	889	145	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	राजस्थान	22	35	30	18	31	7	60	16
24.	तमिलनाडु	0	46	0	0	0	3	25	30
25.	त्रिपुरा	66	12	183	53	248	52	200	164
26.	उत्तर प्रदेश	1236	944	1533	979	1323	1023	600	787
27.	उत्तराखंड	95	16	106	15	257	46	125	115
28.	पश्चिम बंगाल	787	970	2738	960	3473	685	1600	1314
	कुल	7034	5460	16130	8279	20071	7040	12654	11395

भारत निर्माण घटक-ग्रामीण सड़कें-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

(ख) मार्च, 2009 तक नई कनेक्टिविटी, लंबाई किलोमीटर संबंधी राज्य/वर्षवार वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	514.00	0.00	476.58	0.00	40.55	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	162.5	86.90	637.50	128.17	646.88	213.61	671.88	112.59
3.	असम	605.9	487.70	2864.06	1552.51	3889.85	1141.00	5793.46	1985.11
4.	बिहार	1665.8	594.50	3928.75	240.74	6121.43	235.70	7230.31	1458.93
5.	छत्तीसगढ़	1501.4	1986.40	4367.61	2645.37	6450.64	2562.33	8255.18	2299.24
6.	गोवा	0	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	गुजरात	403	619.60	429.72	473.41	438.68	449.86	438.68	483.98
8.	हरियाणा	0	43.80	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	464.6	1361.70	795.83	797.87	638.54	717.42	479.17	692.81
10.	जम्मू और कश्मीर	170	20.80	1059.49	48.59	1781.87	132.08	1405.10	450.70
11.	झारखण्ड	1051.8	491.60	2594.39	308.37	1812.30	273.55	2319.31	996.75
12.	कर्नाटक	0	59.60	0.00	11.9	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0	46.50	0.00	41.41	0.00	37.30	0.00	1.95
14.	मध्य प्रदेश	2602.1	2759.30	6162.45	3788.51	8326.85	5231.80	10470.17	7893.72
15.	महाराष्ट्र	0	264.60	0.00	450.00	0.00	29.00	0.00	205.00
16.	मणिपुर	100	111.00	460.71	146.611	464.29	224.97	719.05	67.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	123.6	75.10	135.97	24.50	140.09	27.17	144.21	24.80
18.	मिजोरम	82.7	174.40	274.82	146.38	277.88	141.17	306.50	192.03
19.	नागालैण्ड	93.3	317.30	104.53	22.00	109.51	156.00	114.49	73.30
20.	उड़ीसा	1056	1359.30	1985.61	1601.93	2524.02	1398.04	4427.77	2064.18
21.	पंजाब	0	96.90	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	2153.6	2401.90	3629.52	3939.93	3554.22	3671.93	2123.49	312.41
23.	राजस्थान	75	165.80	104.04	324.11	108.04	135.00	132.05	156.02
24.	तमिलनाडु	0	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.49
25.	त्रिपुरा	94.8	3.60	261.74	175.60	354.70	59.51	447.66	361.28
26.	उत्तर प्रदेश	1966.4	2202.80	2390.63	2383.26	2059.21	2657.01	1378.70	1552.73
27.	उत्तराखंड	380.6	87.40	422.01	105.89	1025.64	799.45	1020.30	645.60
28.	पश्चिम बंगाल	739.4	1220.00	2572.77	1508.14	3265.31	1567.31	3643.36	1886.51
	कुल	15492.4	18054.30	35182.15	21422.85	43989.93	21901.76	51520.83	24026.36

भारत निर्माण घटक-ग्रामीण सड़कें-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

(ग) मार्च, 2009 तक उन्नयन, लंबाई किलोमीटर में संबंधी राज्य/वर्षवार वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1821	891.00	2258.65	2131.79	2258.65	2732.48	2990.00	3042.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
3.	असम	0	0.00	2005.71	0.00	2269.81	0.00	630.00	613.46
4.	बिहार	0	194.90	2393.62	585.78	3510.64	704.81	3600.00	1186.35
5.	छत्तीसगढ़	0	18.70	1986.06	298.88	3240.42	1939.33	750.00	127.71
6.	गोवा	190.1	0.00	190.11	0.00	190.11	0.00	15.00	0.00
7.	गुजरात	0	33.10	1557.97	1528.9	1557.97	1997.32	1167.00	3465.25
8.	हरियाणा	229.4	278.90	1146.79	1016.76	1146.79	1222.41	1250.00	1474.44
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	1515.92	1095.71	1694.27	1115.53	900.00	1377.18
10.	जम्मू और कश्मीर	0	4.40	1007.58	4.00	920.91	274.75	750.00	348.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	झारखण्ड	0	0.00	2108.43	476	2123.49	0.00	300.00	0.00
12.	कर्नाटक	2573.5	742.50	2573.53	1973.58	2573.53	3582.83	3000.00	2090.01
13.	केरल	524.1	0.00	628.93	0	524.11	226.06	667.00	692.25
14.	मध्य प्रदेश	0	0.00	5189.54	5756.91	6614.38	0.00	2250.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	4334.4	107.90	4334.37	3664.00	4334.37	4300.41	6600.00	6730.00
16.	मणिपुर	0	171.60	0.00	52.94	0.00	35.95	50.00	18.34
17.	मेघालय	0	13.00	587.58	0.00	587.58	0.00	50.00	0.00
18.	मिजोरम	0	0.00	258.00	0.00	258.00	0.00	50.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0	38.50	246.91	21.00	246.91	105.57	400.00	116.00
20.	उड़ीसा	0	135.10	4438.57	970.43	4663.14	1400.16	1800.00	2079.34
21.	पंजाब	423.7	0.00	1483.05	1498.1	1483.05	1095.45	1675.00	1355.63
22.	राजस्थान	0	986.90	4764.54	2147.00	4653.74	5406.26	10833.00	8918.90
23.	राजस्थान	0	26.20	196.85	0.00	137.80	0.00	50.00	0.00
24.	तमिलनाडु	1297.7	0.00	2824.43	4825.00	2824.43	6215.05	1473.00	1793.52
25.	त्रिपुरा	0	0.00	373.74	0.00	383.84	0.00	50.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0	250.10	7158.96	16259.87	6956.03	24602.52	10610.00	13040.13
27.	उत्तराखंड	0	5.30	889.45	0.00	1283.35	1182.00	200.00	200.00
28.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	2549.94	0.00	2878.97	6.50	560.00	0.00
	कुल	11394.4	3898.10	54669.26	44306.65	59316.28	58145.39	52720.00	48668.82

भारत निर्माण घटक-ग्रामीण टेलीफोनी

मार्च, 2009 तक ग्रामीण टेलीफोनी की राज्य/वर्षवार वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	179	227	375	190	68	68	409	10
3.	असम	1725	2879	2675	5117	358	352	277	118
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	झारखण्ड	326	-22	500	668	740	740	3244	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात (दमन दीव, दादरा और नगर हवेली सहित)	603	1079	1250	1144	688	691	100	13
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	200	234	300	572	121	64	132	94
9.	जम्मू व कश्मीर	317	70	525	873	416	231	412	125
10.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	केरल (लक्ष्यद्वीप सहित)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	1869	4928	3550	4088	223	238	91	31
13.	छत्तीसगढ़	975	1544	1500	1143	526	471	1718	53
15.	पूर्वात्तर-1 (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा)	409	-37	600	147	836	249	1688	130
	मेघालय				141		170		113
	मिजोरम				4		56		17
	त्रिपुरा				46		23		0
16.	पूर्वोत्तर-11 (नागालैण्ड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश	304	9	450	187	901	511	815	121
	अरुणाचल प्रदेश				52		187		63
	मणिपुर				167	310		61	
	नागालैण्ड				5		14		-3
17.	उड़ीसा	980	0	1450	515	2669	1037	3347	1368
18.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	राजस्थान	2263	4840	3700	3996	1550	1283	1194	627
20.	तमिलनाडु पांडिचेरी सहित)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	0	0	0	0	0	
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	उत्तराखंड	754	248	1175	1087	1178	715	1720	201
24.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	11905	17392	20000	22282	10894	7188	12665	3024

भारत निर्माण घटक-ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना

मार्च, 2009 तक राज्य/वर्षवार वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समग्र लक्ष्य	उपलब्धि			
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2		3	4	5	6 7
1.	आंध्र प्रदेश	राज्यवार लक्ष्य नहीं। देश का लक्ष्य 60 लाख आवास है।	132521	146403	194861	266654
2.	अरुणाचल प्रदेश		5327	4600	6422	7236
3.	असम		104353	125441	150776	112706
4.	बिहार		331651	349053	430864	484197
5.	छत्तीसगढ़		26578	20818	30093	30023
6.	गोवा		615	1115	735	586
7.	गुजरात		65602	65195	110908	122412
8.	हरियाणा		9743	10375	13398	13302
9.	हिमाचल प्रदेश		3031	3317	4029	4518
10.	जम्मू और कश्मीर		8231	10667	15361	13211
11.	झारखण्ड		75403	57246	45936	56180
12.	कर्नाटक		56944	49088	39990	87051
13.	केरल		36413	30817	37094	53133
14.	मध्य प्रदेश		59420	54544	60222	74651
15.	महाराष्ट्र		94274	78427	126117	118611
16.	मणिपुर		4962	3460	3379	514
17.	मेघालय		6678	4183	2271	5619
18.	मिजोरम		2182	2178	1918	5179
19.	नागालैण्ड		7949	6321	7491	24717
20.	उड़ीसा		87070	81345	140853	62447
21.	पंजाब		7868	8250	17992	11700
22.	राजस्थान		38471	33397	42517	52654
23.	सिक्किम		1296	1554	1533	1774

1	2		3	4	5	6 7
24.	तमिलनाडु		66434	27919	103379	94675
25.	त्रिपुरा		11902	10612	12945	26389
26.	उत्तर प्रदेश		185541	165469	264296	267543
27.	उत्तरांचल		21722	17239	18766	11874
28.	पश्चिम बंगाल		99259	128838	107575	123910
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		90	62	297	124
30.	दादरा और नगर हवेली		101	77	121	41
31.	दमन व दीव		6	8	12	0
32.	लक्षद्वीप		48	88	97	190
33.	पांडिचेरी		238	261	101	52
	कुल	6000000	1551923	1498367	1992349	2133873

भारत निर्माण घटक-सिंचाई

जुलाई, 2009 तक राज्य/वर्षवार वास्तविक प्रगति

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समग्र लक्ष्य	उपलब्धि			
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2		3	4	5	6 7
1.	आंध्र प्रदेश	1566.490	70.790	231.275	271.433	225.764
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.390	4.377	3.324	7.000	4.350
3.	असम	73.050	3.314	4.747	15.212	34.504
4.	बिहार	1699.790	279.451	199.600	31.750	15.950
5.	छत्तीसगढ़	191.030	53.261	40.955	36.273	36.957
6.	गोवा	27.020	1.224	1.233	6.384	3.740
7.	गुजरात	945.730	184.993	153.370	119.632	47.461
8.	हरियाणा	57.830	21.890	12.564	10.356	19.601
9.	हिमाचल प्रदेश	77.880	7.557	4.423	5.845	1.730

1	2		3	4	5	6 7
10.	जम्मू और कश्मीर	110.550	15.559	25.355	19.443	0.000
11.	झारखण्ड	334.360	14.847	23.710	8.482	36.860
12.	कर्नाटक	386.820	74.563	135.325	51.735	49.767
13.	केरल	37.770	12.382	5.996	7.064	9.072
14.	मध्य प्रदेश	773.720	81.350	103.550	126.200	0.000
15.	महाराष्ट्र	821.810	128.200	210.000	179.000	120.000
16.	मणिपुर	67.450	एन.आर.	0.000	12.000	0.000
17.	मेघालय	14.930	1.727	2.554	0.932	5.056
18.	मिजोरम	10.960	0.628	0.003	3.031	3.632
19.	नागालैण्ड	16.120	2.590	2.058	4.195	3.872
20.	उड़ीसा	331.940	24.590	43.750	63.427	105.808
21.	पंजाब	60.900	49.665	36.439	26.202	25.192
22.	राजस्थान	419.840	164.580	99.590	93.590	66.880
23.	राजस्थान	7.030	0.800	1.214	1.080	0.797
24.	तमिलनाडु	23.550	5.917	23.877	16.730	178.600
25.	त्रिपुरा	81.180	4.788	3.985	2.706	0.270
26.	उत्तर प्रदेश	977.240	432.236	533.707	544.503	377.770
27.	उत्तरांचल	38.290	32.177	35.310	29.506	3.743
28.	पश्चिम बंगाल	699.510	3.460	5.432	7.683	12.396

एन.आर-सूचना प्राप्त नहीं

*2008-09 के लिए सभी राज्यों से अक्तूबर, 08 से मार्च 09 अवधि की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

भारत निर्माण घटक-पेयजल आपूर्ति (वास स्थलों की कवरेज)

जून, 2009 तक राज्य/वर्षवार वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समग्र लक्ष्य	उपलब्धि			
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2		3	4	5	6 7
1.	आंध्र प्रदेश	33794	3294	5198	8716	19697
2.	अरुणाचल प्रदेश	3420	325	245	1049	1306

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	26130	2428	2491	18174	23770
4.	बिहार	48373	1625	15430	15306	35233
5.	छत्तीसगढ़	24028	10329	8230	4465	12586
6.	गोवा	6	1	1	1	4
7.	गुजरात	13142	1034	2361	6748	8207
8.	हरियाणा	2867	415	768	1074	1164
9.	हिमाचल प्रदेश	16199	1950	3694	4510	5529
10.	जम्मू और कश्मीर	6398	463	549	747	1899
11.	झारखण्ड	17393	2100	1982	7370	7007
12.	कर्नाटक	27435	3883	2686	12487	13820
13.	केरल	8861	2149	1505	1194	9627
14.	मध्य प्रदेश	42650	10390	13344	13915	6803
15.	महाराष्ट्र	33104	2806	6152	11824	26128
16.	मणिपुर	117	80	178	218	115
17.	मेघालय	4752	472	1118	1286	1209
18.	मिजोरम	409	130	134	237	46
19.	नागालैण्ड	1090	125	123	219	178
20.	उड़ीसा	47154	11509	8425	18943	38403
21.	पंजाब	9271	1701	875	1791	2453
22.	राजस्थान	77052	13346	7990	20969	32650
23.	राजस्थान	857	120	138	375	27
24.	तमिलनाडु	49654	8338	7156	11145	13235
25.	त्रिपुरा	7682	204	570	2670	4751
26.	उत्तर प्रदेश	24948	14366	10947	4431	4302
27.	उत्तरांचल	7839	484	1896	2117	1332
28.	पश्चिम बंगाल	68692	2945	3039	8734	65215
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	128	63	31		26
30.	दादरा और नगर हवेली	60	36	9	21	0

1	2		3	4	5	6 7
31.	दमन व दीव					
32.	दिल्ली					
33.	लक्षद्वीप	10	0			
34.	पांडिचेरी	124	104	85	52	103
35.	चंडीगढ़					
	कुल	603639	97215	107350	180788	336825

भारत निर्माण घटक-ग्रामीण विद्युतीकरण-राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

जुलाई, 2009 तक वितरित की गई राज्य/वर्षवार राशि

राशि करोड़ रुपए में

क्र.सं.	राज्य का नाम	2006-07	2007-08	200-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	94.35	265.44	76.07	5.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	179.83	95.22	13.36
3.	असम	39.21	64.99	514.15	57.61
4.	बिहार	470.14	747.02	700.43	21.27
5.	छत्तीसगढ़	36.19	50.91	113.89	35.35
6.	गुजरात	13.19	17.93	52.65	13.44
7.	हरियाणा	12.32	24.64	37.44	0.03
8.	हिमाचल प्रदेश	7.48	0.00	80.00	35.12
9.	झारखण्ड	285.24	598.96	1001.71	132.69
10.	जम्मू और कश्मीर	19.59	29.82	182.80	141.15
11.	कर्नाटक	87.36	324.91	68.46	7.35
12.	केरल	5.14	0.00	0.83	5.39
13.	मध्य प्रदेश	104.68	157.26	185.87	13.57
14.	महाराष्ट्र	10.02	16.60	140.61	58.62
15.	मणिपुर	13.53	5.03	39.62	0.01
16.	मेघालय	0.00	19.94	12.24	3.04

1	2	3	4	5	6
17.	मिजोरम	0.00	0.00	78.76	0.00
18.	नागालैण्ड	4.23	5.57	59.84	0.00
19.	उड़ीसा	62.41	177.17	998.91	0.00
20.	पंजाब	0.00	0.00	57.37	0.00
21.	राजस्थान	87.19	180.56	277.21	15.71
22.	राजस्थान	0.00	0.00	43.97	0.00
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	24.45	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	100.77	17.72	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	1543.82	563.84	86.84	0.00
26.	उत्तराखंड	278.29	133.05	78.62	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	204.71	81.12	629.00	107.27
	कुल	3379.27	3745.36	5654.68	666.31

*निधियों का राज्यवार और वर्षवार अपफण्ट आवंटन नहीं है।

भारत निर्माण घटक-ग्रामीण सड़क-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

मई, 2009 तक पीएमजीएसवाई की राज्य/वर्षवार वित्तीय प्रगति

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	265.27	105.00	381.89	105.00	494.47	31.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.00	64.15	57.00	131.76	57.00	152.01	15.90
3.	असम	176.00	461.66	181.00	608.75	181.00	1007.05	151.51
4.	बिहार	332.00	458.36	337.00	580.68	337.00	1067.54	162.03
5.	छत्तीसगढ़	235.00	652.01	240.00	932.50	240.00	863.34	218.05
6.	गोवा	5.00	0.00	50.00	0.00	5.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	60.00	109.51	65.00	156.99	65.00	255.26	27.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	हरियाणा	25.00	136.52	30.00	216.51	30.00	313.09	34.96
9.	हिमाचल प्रदेश	82.00	288.59	87.00	281.98	87.00	240.51	33.86
10.	जम्मू और कश्मीर	60.00	35.24	65.00	105.09	65.00	190.71	19.34
11.	झारखण्ड	170.00	56.76	175.00	63.18	175.00	211.47	35.57
12.	कर्नाटक	105.00	132.52	110.00	349.12	110.00	550.37	165.46
13.	केरल	25.00	25.19	30.00	61.32	30.00	84.41	8.72
14.	मध्य प्रदेश	435.00	1007.69	440.00	1358.73	440.00	2198.06	211.98
15.	महाराष्ट्र	140.00	218.75	145.00	637.33	145.00	929.98	186.97
16.	मणिपुर	28.00	13.42	33.00	64.28	33.00	37.97	4.86
17.	मेघालय	40.00	16.75	45.00	15.59	45.00	12.64	0.49
18.	मिजोरम	27.00	37.85	32.00	59.47	32.00	54.55	9.34
19.	नागालैण्ड	25.00	32.63	30.00	20.42	30.00	87.31	9.54
20.	उड़ीसा	268.00	582.81	273.00	677.41	273.00	1163.01	216.39
21.	पंजाब	30.00	79.94	35.00	366.95	35.00	269.02	58.42
22.	राजस्थान	229.00	1228.89	234.00	1455.44	234.00	1695.54	74.69
23.	राजस्थान	25.00	43.86	30.00	88.81	30.00	103.99	18.16
24.	तमिलनाडु	85.00	68.09	90.00	108.65	90.00	127.87	67.74
25.	त्रिपुरा	35.00	40.82	40.00	155.60	40.00	315.77	42.76
26.	उत्तर प्रदेश	370.00	709.93	375.00	1201.04	375.00	2000.07	263.70
27.	उत्तरांचल	95.00	67.00	100.00	99.73	100.00	152.79	13.92
28.	पश्चिम बंगाल	221.00	470.06	226.00	439.47	226.00	583.18	67.58
	कुल	3480.00	7304.27	3615.00	10618.69	3615.00	15161.98	2150.88

*आवंटन संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी 1- आबंटन सैस से आबंटित फण्ड हैं (डीजल)।

टिप्पणी 2- जारी की गई निधियों में एशियन विकास (एडीबी) तथा विश्व बैंक से प्राप्त सहायता तथा नाबार्ड से लिया गया लोन भी शामिल है। (कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक)

भारत निर्माण घटक-ग्रामीण टेलीफोनी

जून, 2009 तक ग्रामीण टेलीफोनी का राज्य/वर्षवार वित्तीय प्रगति

(करोड़ रुपये)

		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
क्र.सं.	राज्य/सेवा क्षेत्र	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश		0.75		0.18		0.11		0.02
3.	असम		10.66		4.33		0.73		0
4.	बिहार		0		0		0		0
5.	छत्तीसगढ़		4.42		1.85		0.89		0
6.	गुजरात (दमन दीव, दादरा और नगर हवेली सहित)		1.62		3.52		0.72		0.01
7.	हरियाणा		0		0		0		0
8.	हिमाचल प्रदेश		1.28		0.58		0.67		0
9.	जम्मू और कश्मीर		1.57		1.58		0.67		0
10.	झारखण्ड		0.32		1.05		0.02		0.01
11.	कर्नाटक		0		0		0		0
12.	केरल (लक्ष्यद्वीप सहित)		0		0		0		0
13.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)		10.02		4.38		1.29		0
14.	मध्य प्रदेश		14.79		8.45		3.38		0
15.	पूर्वोत्तर-1 (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा सहित)		0.12		0.38		1.18		0
16.	पूर्वोत्तर-11 (नागालैण्ड, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश सहित)		0.36		0.2		0.36		0.04
17.	उड़ीसा		0		3.33		4.29		0
18.	पंजाब		0		0		0		0
19.	राजस्थान		9.49		10.23		3.2		0
20.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)		0		0		0		0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)		0		0		0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)		0		0		0		0
23.	उत्तरांचल		0		4.69		0.85		0
24.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)		0		0		0		0
	कुल	55.40	55.40	44.73	44.73	18.65	18.65	55	0.32

टिप्पणी-1 निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं है

टिप्पणी-2 यूएसओ सब्सिडी दावों का निपटान सीसीए कार्यालय द्वारा सेवा क्षेत्रवार किया जाता है तदनुसार जारी की गई राशि/व्यय संबंधी आंकड़े सेवा क्षेत्रकवार प्रस्तुत किये गये हैं।

टिप्पणी-3 यह कार्यक्रम अंडमान व निकोबार, बिहार, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, पंजाब, यूपी (ई), यूपी (डब्ल्यू) और पश्चिम बंगाल पर लागू नहीं

भारत निर्माण घटक-ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना

जनू, 2009 तक राज्य/वर्षवार वित्तीय प्रगति

(लाख रुपये में)

		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
क्र.सं.	राज्य/सेवा क्षेत्र	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	25939.14	33784.76	36027.75	46838.96	50434.77	89937.81	75900.82	37426.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	1018.68	1023.40	1395.30	1332.72	1954.81	2835.43	2935.66	179.79
3.	असम	22525.46	36388.66	30853.66	43346.70	43225.67	62704.10	64914.87	18996.28
4.	बिहार	76565.57	124880.49	106344.49	149428.60	148870.28	215436.08	224039.39	85553.96
5.	छत्तीसगढ़	4011.28	5334.44	5571.39	7913.32	7799.32	10733.47	11737.44	2174.73
6.	गोवा	159.77	196.06	221.90	109.81	310.64	398.37	467.49	75.80
7.	गुजरात	12721.14	15443.63	17668.82	24229.87	24734.35	33836.84	37223.48	7073.05
8.	हरियाणा	1786.06	2707.97	2480.72	3666.61	3472.72	5357.24	5226.21	1593.71
9.	हिमाचल प्रदेश	629.95	907.53	874.96	1150.25	1224.84	2329.51	1843.31	284.57
10.	जम्मू और कश्मीर	1956.67	2381.15	2717.68	2957.88	3804.44	3938.54	5725.42	338.28
11.	झारखण्ड	6829.31	11782.16	9485.46	11861.43	13278.58	16379.73	19983.33	3400.85
12.	कर्नाटक	9993.64	12140.71	13880.51	13473.46	19431.14	21783.70	29242.52	7885.68
13.	केरल	557.39	7062.58	7718.85	10186.83	10805.52	15190.55	16261.55	2749.81
14.	मध्य प्रदेश	7977.69	13024.53	11080.48	15072.08	15511.42	40829.83	23343.61	5532.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	महाराष्ट्र	15643.12	24512.90	21727.25	35597.33	30415.70	54559.10	45773.50	10089.32
16.	मणिपुर	884.26	784.14	1211.19	803.66	1696.87	425.40	2548.30	0.00
17.	मेघालय	1540.07	1189.73	2109.47	598.18	2955.34	2642.64	4438.24	118.70
18.	मिजोरम	328.20	410.53	449.55	494.30	629.81	1528.75	945.84	134.20
19.	नागालैण्ड	1019.11	1069.52	1395.90	1338.66	1955.65	5498.61	2936.92	1325.18
20.	उड़ीसा	15042.66	21534.98	20893.26	34394.63	29248.20	25709.24	44016.50	2173.98
21.	पंजाब	2208.83	1932.32	3067.91	3699.49	4294.73	4429.98	6463.27	952.40
22.	राजस्थान	6392.56	9351.73	8878.84	11330.47	12429.38	20453.65	18705.35	4670.44
23.	राजस्थान	194.91	387.85	266.97	320.14	374.02	685.60	561.69	42.92
24.	तमिलनाडु	10385.44	20434.91	14424.69	20091.19	20192.94	33943.24	30388.96	17923.14
25.	त्रिपुरा	1984.31	2531.71	2717.96	5361.62	3807.83	6343.68	5718.48	2086.87
26.	उत्तर प्रदेश	34390.12	42750.32	47765.59	69977.30	66866.42	107097.03	100629.31	24427.58
27.	उत्तरांचल	1724.11	3221.45	2394.68	3654.45	3352.28	4242.68	5044.94	594.82
28.	पश्चिम बंगाल	20750.10	28051.07	28820.51	27092.16	40345.46	45394.67	60717.10	11305.15
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	328.99	12.87	456.94	52.65	639.67	74.30	962.66	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	54.82	25.92	76.13	2.16	106.58	16.65	160.40	0.00
31.	दमन और दीव	24.52	1.86	34.06	0.56	47.68	0.00	71.75	0.00
32.	लक्षद्वीप	21.26	34.88	29.54	34.64	41.34	73.54	62.21	1.93
33.	पांडिचेरी	163.86	45.36	227.59	42.19	318.60	24.37	479.48	3.95
	कुल	2290753.00	425342.45	403270.00	546454.30	564577.00	834834.33	849470.00	249115.91

भारत निर्माण घटक-सिंचाई त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)

एआईबीपी के अंतर्गत जारी केन्दीय सहायता (सीए) अनुदान के राज्य/वर्षवार ब्यौरे जुलाई, 2009

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	843.4220	987.7692	855.1800	662.6610
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.0000	47.1800	33.9580	0.0000

1	2	3	4	5	6
3.	असम	30.2685	77.3380	405.9540	116.8989
4.	बिहार	3.2300	62.2400	109.7029	18.6300
5.	छत्तीसगढ़	10.7050	96.9640	193.0402	60.8853
6.	गोवा	1.9100	32.4800	39.2300	0.0000
7.	गुजरात	121.8885	585.7200	258.6100	0.0000
8.	हरियाणा	3.1700	0.0000	0.0000	0.0000
9.	हिमाचल प्रदेश	3.9300	114.0500	119.3178	0.0000
10.	जम्मू और कश्मीर	37.7716	199.2251	393.0661	0.0000
11.	झारखण्ड	1.2900	9.2244	3.7200	0.0000
12.	कर्नाटक	160.3729	349.9000	442.4190	182.7980
13.	केरल	16.6468	0.0000	0.9045	3.8120
14.	मध्य प्रदेश	48.3100	500.3450	473.7824	446.7544
15.	महाराष्ट्र	465.5213	972.2500	2257.8318	1.9785
16.	मणिपुर	156.3042	103.9870	221.6733	0.0000
17.	मेघालय	0.7500	1.1600	24.8009	0.0000
18.	मिजोरम	14.2354	34.3434	50.7176	0.0000
19.	नागालैण्ड	10.5995	40.5100	48.5979	0.0000
20.	उड़ीसा	133.8846	624.3590	724.4387	201.7852
21.	पंजाब		13.5000	9.5400	0.0000
22.	राजस्थान	11.6000	156.5300	178.6200	8.1100
23.	राजस्थान	3.3236	3.2400	0.0000	0.0000
24.	त्रिपुरा	22.5131	8.1000	43.1750	0.000
25.	तमिलनाडु		0.0000	0.0000	0.0000
26.	उत्तर प्रदेश	81.8954	150.6900	315.4732	9.0000
27.	उत्तराखंड	84.7298	265.6500	371.6580	35.5032
28.	पश्चिम बंगाल	6.7000	8.9500	22.8100	0.9144
	कुल	2301.9722	5445.7051	7598.2213	1749.7309

भारत निर्माण के सिंचाई घटक के लिए अलग से आवंटन नहीं किया गया।

भारत निर्माण घटक-पेयजल आपूर्ति (आवास कवरेज)

जून, 2009 तक राज्य/वर्षवार वित्तीय प्रगति

(लाख रुपये में)

		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10*
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	20084.08	27221.88	29530	30524	39453	39505.49	13492.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	10299	13663.78	11241	11241	14612	16246.35	5475
3.	असम	17369	11372.37	18959	18959	24644	18756.8	9173.67
4.	बिहार	18571	13006.65	27937	16968.5	42538	45238	14624.67
5.	छत्तीसगढ़	6549	6549	9595	9595	13042	12525.5	4484
6.	गोवा	253	127	331	165.5	398	0	0
7.	गुजरात	13161.56	14033.08	20589	20589	31444	36944	10927.49
8.	हरियाणा	6045.63	6372.63	9341	9341	11729	11729	4068.08
9.	हिमाचल प्रदेश	9706.86	15620.86	11746	13042	14151	14151	5503.71
10.	जम्मू और कश्मीर	26324.79	23314.67	32992	32992	39786	39649	11261
11.	झारखण्ड	7261	3631	11388	8445.51	16067	8033	0
12.	कर्नाटक	19502.4	24336	27851	28315.24	47719	47784.57	16040.33
13.	केरल	6216	6216	8293	8425.08	10333	10697	3552.33
14.	मध्य प्रदेश	18797	19733.4	25162	25162	37047	38047	12736.67
15.	महाराष्ट्र	36152	36152	40440	40440	57257	64824.49	19685
16.	मणिपुर	3379	1689.5	3859	4559	5016	4522.91	1873.67
17.	मेघालय	4073	5104.59	4446	5529	5779	6338	2141.33
18.	मिजोरम	2920	4271.39	3188	3888	4144	5419.26	1533
19.	नागालैण्ड	2998	2998	3272	3974.57	4253	4253	1581.67
20.	उड़ीसा	10332	9722.58	16885	17194.55	29868	29868	10268.67
21.	पंजाब	4098	4098	5291	5179.91	8656	8656	2976
22.	राजस्थान	41489.68	31466.3	60672	60672	97013	97182.66	33273.18
23.	राजस्थान	1229	1630.77	1342	2013	1745	3245	657

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	तमिलनाडु	12057	12496.22	19090	19090	24182	28782	8313.67
25.	त्रिपुरा	3613	4577.89	3943	5443	5125	4100.8	1898
26.	उत्तर प्रदेश	27990	28389.4	40151	40151	53974	61577.55	18556.33
27.	उत्तरांचल	7523	8329.36	8930	8930	10758	8586.83	3698.67
28.	पश्चिम बंगाल	15806	17118.4	19137	19137	38939	38939	14387.33
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32.73	0	0	0	0	0	0
30.	दादरा और नगर हवेली	5.92	0	37.5	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	13.53	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	31.25	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	3.64	0	0	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	38.72	0	31.25	0	0	0	0
35.	चंडीगढ़	5.46						
	कुल	353900	353242.72	475701	469966.86	689672	705602.21	232183.2

[हिन्दी]

गुजरात विश्वविद्यालयों में धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध

3438. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्ड लॅन्ग फाउण्डेशन ने गुजरात के विश्वविद्यालयों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाने हेतु कोई परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के अस्पतालों में भी ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऐसी कोई परियोजना विचारधीन नहीं हैं। भारत सरकार ने जीएसआर संख्या 417 (इ) दिनांक 30 मई, 2008 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 को अधिसूचित किया है जिन्हें 2 अक्टूबर 2008 को लागू किया गया और जिनके तहत अस्पतालों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर सख्त प्रतिबन्ध है।

[अनुवाद]

मुला-मुथा नदियों को साफ किया जाना

3439. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गंगा परियोजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में मुला-मुथा नदियों की सफाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सर्वेक्षण करेगी; और होने वाले व्यय का आकलन करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(घ) क्या किसी बाहरी एजेंसी ने नदयों की सफाई हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और भविष्य के लिए इसकी क्या योजनाएं हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) महाराष्ट्र में मुला-मुथा नदियां राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कवर नहीं होती है। तथापि, पर्यावरणीय पुन: स्थापन/पुणे में मुला-मुथा नदियों के संरक्षण की एक परियोजना सितम्बर, 2006 में 99.96 करोड़ रु. की लागत से जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई है। अब तक 23.09 करोड़ रु. खर्च किए गए है और परियोजना के जून, 2011 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(घ) इन नदियों की सफाई के लिए मंत्रालय को किसी बाहरी एजेंसी से वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नियंत्रण रेखा में व्यापारियों हेतु यात्रा परमिट

3440. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में काफी संख्या में भारतीय व्यापारी यात्रा परमिट उपलब्ध नहीं होने की वजह से अपना व्यापार शुरू नहीं कर सके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को नियंत्रण रेखा क्षेत्रों में कार्य करने के लिए मल्टीपल परमिट जारी करने हेतु व्यापारियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) से (ग) नियंत्रण रेखा के आर-पार 21 अक्टूबर, 2008 को व्यापार शुरू हुआ। 89 भारतीय व्यापारियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पार करने के लिए प्रवेश परमिट हेतु आवेदन 20 नवम्बर 2008 को मुजफ्फराबाद में निर्दिष्ट प्राधिकारी को सौंप दिए गए हैं। उस प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त होनी है।

(घ) और (ङ) नियंत्रण रेखा के आर-पार यात्रा करने के लिए तीन बार प्रवेश परमिट का लाभ उठाया जा सकता है। अभी तक किसी भी व्यापारी ने श्रीनगर में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास आवेदन नहीं किया है।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु दिशा-निर्देश

3441. श्री जगदम्बिका पाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियां के कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण कोटा के संबंध में दिशा-निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पदोन्नति में उक्त आरक्षण कोटे का उल्लघन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों के कमचारियों को अनावश्यक विलम्ब से पदोन्नति दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण क्रमश: 15% की दर से दिया जाता है। गैर-चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति के मामले में पदों के सभी समूहों में आरक्षण प्रदान किया जाता है और चयन पद्धति के मामले में, आरक्षण समूह 'क' के निम्नतम (सबसे निचले) स्तर तक दिया जाता है।

(ख) आरक्षण संबंधी अनुदेश सरकार की सभी स्थापनाओं द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र का योगदान

3442. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षो से देश के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर में वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र का योगदान घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के योगदान सहित तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि के बीच भिन्नता, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर में वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र के योगदान को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07 और 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर में बाजार मूल्यों पर वाणिज्य क्षेत्र का योगदान (चालू मूल्यों पर वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात मूल्य के रूप में आकलित) क्रमशः 37-74%, 13.91% और 34.62% रहा है। इसी अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर में उद्योग क्षेत्र (खनन, विनिर्माण, विद्युत और निर्माण) का योगदान (स्थिर 1999-2000 मूल्यों पर आकलित) क्रमशः 29.77%, 23.99% और 15.31% रहा है।

(ग) से (ङ) सरकार सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर में वाणिज्य तथा उद्योग क्षेत्र के योगदान के संबंध में लक्ष्य निर्धारित नहीं करती हैं।

कोयला कम्पनियों में कार्यरत ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

3443. डॉ. चरण दास महन्त: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कोयला कम्पनियों के ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सहित सभी कोयला कम्पनियों द्वारा उक्त निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अथवा ऐसे अन्य विधान अथवा अवार्ड के अधीन न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से संबंधित सभी सांविधिक प्रावधानों अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का सभी कोयला कम्पनियों द्वारा अनुपालन करना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) कोल इण्डिया लि. (सीआईएल) ने सूचित किया है कि उपर्युक्त सभी सांविधिक प्रावधान और उसके अधीन दिए गए निदेशों को साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि. सहित सीआईएल और उसकी सहायक कोयला कम्पनियों द्वारा अनुपालन किया जाता है।

[अनुवाद]

सिंधु जल सन्धि

3444. डॉ. मिर्जा महबूब बेग:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बैठक के क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने सिन्धु जल संधि के परिणामस्वरूप उससे होने वाली हानियों के बदले केन्द्र सरकार से किसी मुआवजे का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) ने अपनी 103वीं बैठक मई-जून 2009 में दिल्ली में आयोजित की। पीआईसी की वार्षिक रिपोर्ट तथा 102वीं तथा 103वीं बैठक के अभिलेखों को अंतिम रूप दिया गया और उन पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2009-10 के दौरान पीआईसी के दौरों और

बैठकों के कार्यक्रमों पर सहमति जताई गई। कार्यसूची की अन्य मदों पर दोनों पक्षों द्वारा विचार विनिमय किया गया।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकार की ओर से जल संसाधन मंत्रालय में ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई सेना द्वारा हमला

3445. श्री सी. शिवासामी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं में कितने भारतीय मछुआरे पकड़े अथवा मारे गये हैं;

(घ) क्या सुरक्षोपाय रूप में मछुआरों को सेटेलाइट फोन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे हमलों से मछुआरों को बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर किए गए तथाकथित हमलों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है: वर्ष 2006 में 5 घटनाओं की सूचना मिली थी जिसमें कोई मारा नहीं गया; वर्ष 2007 में 5 घटनाओं की सूचना थी जिनमें 4 लोगों मारे गए; वर्ष 2008 में 9 घटनाओं की सूचना थी जिनमें 5 लोग मारे गए थे और वर्ष 2009 में 1 घटना की सूचना मिली है जिसमें कोई मारा नहीं गया। इन सभी घटनाओं में श्रीलंका की नौसेना ने उत्तरदायित्व से इंकार किया है।

(घ) जी नहीं

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार ने श्रीलंका की सरकार के साथ हमेशा भारतीय मछुआरों पर कथित रूप से सभी हमले अथवा गोलीबारी की घटनाओं को जोरदार ढंग से उठाया है और श्रीलंका की नौसेना द्वारा संयमपूर्वक कार्रवाई करने, हमारे मछुआरों पर गोलीबारी करने से बचने और उनके साथ मानवोचित व्यवहार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस मसले के मानवीय एवं आजीविका संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार वास्तविक भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने संबंधी व्यावहारिक व्यवस्था करने के लिए श्रीलंका की सरकार के साथ 26 अक्टूबर, 2008 को एक सहमति पर पहुंची है। इन व्यवस्थाओं के भाग के रूप में मछली पकड़ने वाले भारतीय पोतों पर कोई गोलीबारी नहीं की जाएगी और श्रीलंका की सरकार द्वारा अपने तटीय क्षेत्रों के किनारे निर्दिष्ट किये गए संवेदनशील क्षेत्रा में मछली पकड़ने वाले भारतीय पोत नहीं जाएंगे। इसके अलावा सरकार मछली पकड़ने वाले भारतीय पोतों को भटक कर श्रीलंका के जल क्षेत्रों में चले जाने से रोकने के लिए मछुआरों को शिक्षित करने और चेतावनी देने सहित विभिन्न उपाय करती है।

चेक डैम हेतु प्रस्ताव

3446. श्री गजानन घ. बाबर:
श्री ओमप्रकाश यादव:
श्री अशोक अर्गल:
श्री भरत राम मेघवाल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मौजूदा बंधों के राज्यवार नाम क्या हैं तथा उनके निर्माण पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या सरकार को चेक डैम के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को चेक डैम के लिए राज्यवार कितनी निधियां स्वीकृत की गयी हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जल राज्य के विषय हैं तथा बांधों की आयोजना, क्रियान्वयन, वित्त पोषण तथा रखरखाव संबंधित राज्य सरकार/बांध मालिकों के कार्यक्षेत्र में आता है। बांधों का निर्माण विभिन्न प्रयोजनों जैसे सिंचाई, घरेलू/औद्योगिक जल आपूर्ति, जल विद्युत निर्माण, बाढ़ सुरक्षा इत्यादि के लिए किया जाता है। एक आकलन के अनुसार देश में 5100 बड़े बांध हैं जिनमें से 4710 बांधों को पूरा किया

जा चुका है तथा 390 बांध निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा उनके पास अन्य बांध विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों के वास्तें हैं। देश के बड़े बांधों का ब्यौरा केन्द्रीय जल आयोग की बेवसाईट-www.cwc.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कुनो वन्यजीव अभ्यारण्यों हेतु निधियां

3447. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वन्जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने गिर सिंहों के लिए द्वितीय आश्रय के रूप में मध्य प्रदेश में कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित करने की अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुनो अभयारण्य के अन्दर काफी संख्या में स्थित गांवों का पुनर्वास किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां स्वीकृत जारी और खर्च की गयी हैं; और

(च) कुनो अभ्यारण्य कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 1993 के दौरान एशियाई शेरों के वैकल्पिक निवास के दौरान एशियाई शेरों के वैकल्पिक निवास के लिए तीन संभावित स्थलों यथा दाराह जवाहर सागर (राजस्थान), सीतामाता (राजास्थान) और कुनो पालपुर (मध्य प्रदेश) का व्यवहार्यता अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला कि 344,686 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र के साथ सिंहों के पुन: प्रवेश के लिए कुनों वन्यजीव अभ्यारण्य सर्वोत्तम संभावित स्थल हैं। तदनुसार, सिंहों के पुन: प्रवेश से पहले पर्यावास को बेहतर बनाने के लिए अभ्यारण्य में अनेक प्रबंधकीय हस्तक्षेप किए गए जिनमें अभ्यारण्य से गावों का पुनर्वास, सुरक्षा सुदृढ़ करना और पर्यावास सुधार आदि शामिल है।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य में 24 राजस्व ग्रामों से परिवारों के पुनर्वास और पुन:बहाली के लिए वर्ष 2007-08 तक 1545 लाख रु. पहले ही स्वीकृत और जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से 1453 लाख रु. की राशि 24 राजस्व ग्रामों से 1543 परिवारों को अभ्यारण्य से पुनर्वासित करने पर खर्च कर दी गई है।

(च) कुनो पालपुर एक वन्यजीव अभ्यारण्य पहले से ही है। इसे वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्रदत्त सभी तरह की सुरक्षा प्राप्त है।

[अनुवाद]

वाहनों की बढ़ रही संख्या का पर्यावरण पर प्रभाव

3448. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाहनों की बढ़ती हुई संख्या शहरों विशेषकर देश के महानगरों में पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वाहनों की बढ़ती हुई संख्या का पर्यावरण, विशेषकर महानगरों में पढ़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां, वाहनों की बढ़ती संख्या शहरों विशेषकर देश के महानगरों, वायु ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि का एक मुख्य कारण है। भारतीय सड़कों का यातायात पैटर्न बहुत ही विषमजातीय है तथा उच्च ताहनीय प्रदूषण के साथ-साथ परिवहन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए भी उत्तरदायी है। इसके

अतिरिक्त, 23 महानगर देश के कुल वाहनों के 35 प्रतिशत का योगदान देते हैं।

(ग) और (घ) वायु प्रदूषण के श्रोत और उसका आकलन करने के लिए 6 शहरों अर्थात् दिल्ली, बैंगलूर, पुणे, कानपुर, मुम्बई और चेन्नई में एक श्रोत प्रभाजन अध्ययन कराया गया डाटा का विश्लेषण दर्शाता है कि परिवेशी वायु में अंत:श्वसनीय निलंबित विविक्त पदार्थ के स्तर काफी अधिक है तथा इन उच्च स्तरों के लिए मुख्य योगदान वाहनों का है।

(ङ) यातायात प्रबंधन तथा वाहनीय प्रदूषण को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विविध कदमों का उल्लेख नीचे किया गया है;

* 01.04.2005 से चौपहिया वाहनों के लिए भारत चरण III उत्सर्जन मानदण्ड 11 बड़े शहरों अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, बैंगलूर, अहमदाबाद, हैदाराबाद, सिंकदराबाद, कानपुर, पुणे, सूरत और आगरा में लागू किए गए हैं जबकि देश के शेष भागों में दुपहियों और तिपहियों के लिए भारत चरण II उत्सर्जन मानदण्ड लागू किए गए हैं।
* 01.10.2004 से प्रयोग में आ रहे वाहनों के लिए प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए मानदण्डों को और अधिक कड़ा किया गया है।
* अवसंरचना का संवर्धन जैसे कि पुलों, बांधों सड़क नेटवर्क और मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना।
* उल्लंघना का पता लगाने हेतु आधुनिक उपकरण प्रणाली जैसे वाहनीय गति का पता लगाने वाले कैमरे आदि की खरीद।
* बस लेन प्रणाली और टोल-रोड पर चलने वाली बसों हेतु स्वचलित टोल एकत्रण का क्रियान्वयन।
* जन परिवहन प्रणाली, कार पुलिंग और ईधन बचत टिप्स को बढ़ावा देने के लिए जन जागरुकता कार्यक्रम का नियमित आयोजन।
* समयबद्ध ढंग से पूरे देश में मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एम आर टी एस) का संवर्धन।

[हिन्दी]

वायु और जल प्रदूषण

3449. श्री के. सी. सिंह 'बाबा': क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वायु एवं जल प्रदूषण को रोकने हेतु किए गए उपायों के परिणाम का अध्ययन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वायु एवं जल की गुणवत्ता के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विहित मानदण्डों/मानकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन मानकों को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन मानकों को कब तक प्राप्त कर लेने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) देश में वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए किए गए उपायों के परिणाम पर ऐसा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो (एस पी सी बी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों साथ, राष्ट्रीय वायु मॉनीटरी कार्यक्रम (एन ए एम पी) और राष्ट्रीय जल मॉनीटरी कार्यक्रम (एन डब्ल्यू एम पी) के अंतर्गत नियमित रूप से परिवेशी वायु और जल की गुणवत्ता की मॉनीटरी की जा रही है। परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता की मॉनीटरी तथा इसमें निवर्चित डाटा वायु और जल प्रदूषण अपनाए गए विविध उपायों के परिणामों को व्यापक रूप से निर्धारित करने में मदद करता है।

पिछले तीन वर्षो के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता डाटा से पता लगा है कि सल्फर डाईआक्साइड (एस $ओ_2$) के संबंध में परिवेशी मानक वायु गुणवत्ता के भीतर है। तथापि, कोलकाता, हावड़ा और दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों में 8 स्थलों पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NOx) का स्तर परिवेशी वायु गुणवत्ता से अधिक हो रहा है तथा 2008 के दौरान मानीटर किए गए 125 शहरों में से 86 में अंतर्श्वसनीय विविक्त कण पदार्थ (आर एस पी एम) के स्तर मानदण्डों गए 125 शहरों में से 86 में अंतश्वसनीय विविक्त कण पदार्थ (आर एस पी एम) के स्तर मानदण्डों से अधिक हो रहे हैं। पिछले 03 वर्षो के जल गुणवत्ता डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि जल निकायों में आर्गेनिक और बेक्टेरियल संदूषण सतत रूप से गंभीर बना हुआ है। देश में 150 प्रदूषित नदी के स्ट्रैच अभिज्ञात किए गए हैं।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के अधिदेश में परिवेशी वायु गुणवत्ता और पेय-जल गुणवत्ता के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देश शामिल है, जो कि समय-समय पर जारी किए जाते है, तथा क्रमश: परिवेशी वायु हेतु 2005 में तथा पेयजल हेतु 2008 में अद्यतन दियाा-निर्देश जारी किए गए हैं। डब्ल्यू एच ओ दिशा-निर्देश भी प्रकृति में वैश्विक हैं तथा इसमें स्थानीय स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। भारतीय पेजल मानक-विशिष्टियां: (आई एस 10500:1991) डब्ल्यू एच ओ दिशा-निर्देशों और स्थानीय स्थितियों पर आधारित हैं। स्थानीय स्तर पर, पेय जल गुणवत्ता विशिष्टयां विभिन्न नगर पालिकाओं, जल स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों/ जल बोर्डो, केटोनमेंट बोर्ड आदि के द्वारा अनुसरण किया जाता है।

(घ) और (ङ) वायु और जल प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए सरकार में विविध उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उद्योगों के लिए अधिसूचित उत्सर्जन और बहि-स्राव मानकों का क्रियान्वयन शामिल है। 16 शहरों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु कार्य-योजना का क्रियान्वयन शुरू किया जा रहा है। गम्भीर रूप से प्रदूषित 24 क्षेत्रों में कार्य-योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

नए और प्रयोग आ रहे वाहनों हेतु उत्सर्जन मानकों का क्रियान्वयन तथा रोड मैप की आटो फ्यूल नीति के अनुसार ईधन गुणवत्ता, जन परिवहन में स्वच्छ ईधन की शुरुआत तथा जन परिवहन का सुदृढ़ीकरण प्रक्रियाधीन है।

अंतरराज्य नदी गुणवत्ता की मॉनीटरी, नदी कार्य योजना केन्द्र क्रियान्वयन सहित गंगा कार्य योजना और उद्योगों के बहिस्राव हेतु साझा बहस्राव शोधन 66 संयंत्र (सीईटीपी) की स्थापना की जा रही है।

(च) डब्ल्यूएचओ के उक्त वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों की प्राप्ति हेतु समय-सीमा तय करना कठिन है।

[अनुवाद]

ग्राम पंचायत वन योजना

3450. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्राम पंचायत वन योजना शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गैर-वन भूमि पर वनीकरण करने के लिए पंचायती राजस्थानों को शामिल करनते हुए नई योजना "ग्राम/पंचायत वन योजना" पर विचार किया है।

उल्फा प्रमुख की गिरफ्तारी

3451. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उल्फा प्रमुख श्री परेश बरूआ को बांग्लादेश के प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें विचारण के लिए भारत वापस लाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): (क) और (ख) हमें बांग्लादेश सरकार द्वारा उल्फा प्रमुख परेश बरुआ की गिरफ्तारी के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। सरकार बांग्लादेश के साथ विभिन्न सुरक्षा संबंधी मसलों को नियमित तौर पर उठा रही है, जिनमें बांग्लादेश में भारतीय उपद्रवी समूहों (आईआईजी) की मौजूदगी, बांग्लादेश में कथित तौर पर रह रहे भारतीय उपद्रवी समूह के नेताओं को भारत भेजने और भारत के लिए विद्वेषपूर्ण गतिविधियों के लिए बांग्लादेश के भूक्षेत्र का दुरुपयोग शामिल है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे बांग्लादेश के भूक्षेत्र को भारत के लिए शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं देगे। सरकार बांग्लादेश के साथ इन मुद्दो को सक्रियता से उठाती रहेगी।

[हिन्दी]

कोयला ब्लॉकों का आवंटन

3452. श्री चंदूलाल साहू:
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में कोयला ब्लॉकों के आवंटन हेतु आवेदन किया है;

(ख) गत तीन वर्षो एवं चालू वर्ष के दौरान उन्हें राज्य-वार, कम्पनी-वार और वर्ष-वार कितने कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार को कोयला ब्लॉकों के आवंटन नहीं करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार, कंपनी-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसके कारण क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉकों के आवंटन हेतु कोई तंत्र बनाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लंबित आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) सरकार ने अपने नियन्त्रणाधीन केन्द्रीय/ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकारी कम्पनी वितरण के अन्तर्गत 27 कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए 7 नवम्बर, 2006 को राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से आवेदन आमंत्रित किए थे। छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा प्रत्येक से 14 आवेदनों सहित देश भर से कुल 183 आवदेन प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार, सरकार ने केप्टिव वितरण (जांच समिति मार्ग) के अन्तर्गत 13 नवम्बर, 2006 को 38 केप्टिव कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। छत्तीसगढ़ में स्थित ब्लाकों के लिए 493 आवेदन तथा उड़ीसा में स्थित ब्लाकों के लिए 189 आवेदनों सहित सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कम्पनियों से कुल 1422 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न सार्वजनिक/निजी कम्पनियों की आबंटित कोयला ब्लाकों की राज्य-वार, कम्पनी-वार, कम्पनी-वार, तथा वर्ष-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) विभिन्न क्षेत्रों से सामान्य प्रकृति के अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। ऐसे अभ्यावेदनों की जांच की जाती है और जहां भी आवश्यकता होती है, विधिवत जवाब दिया जाता है। जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर से देखा जा सकता है, प्राप्त आवेदनों की संख्या पेशकश किए गए कोयला ब्लाकों की संख्या से कहीं अधिक थी। इसलिए, प्रत्येक आवेदक की मांग को पूरा करना सम्भव नहीं था।

(ङ) और (च) कोयला ब्लाकों के उत्तरोतर आबंटन के साथ, आबंटन के लिए उपलब्ध कोयला ब्लाकों की संख्या घट रही है जबकि प्रति ब्लाक आवेदकों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि कोयले की मांग बढ़ती रहती है। इसने पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी के आधार पर किसी ब्लाक के लिए आवेदक के चयन को कठिन तथा आलोचना के प्रति संवेदनशील बना दिया है। इसलिए चयन की ऐसी प्रक्रिया लागू करने की तीव्र आवश्यकता है जो न केवल निष्पक्ष हो बल्कि स्पष्ट तौर पर पारदर्शी भी हो। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नीलामी ऐसी ही एक स्वीकार्य चयन प्रक्रिया है। तदनुसार, विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोगों में केप्टिव उपयोग हेतु पेशकश किए गए कोयला ब्लाकों के लिए प्रतियोगी बोली के माध्यम से नीलामी करने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2008 संसद में पेश कर दिया गया है।

विवरण

क्र.स.	पार्टी का नाम	आबंटन की तारीख	आबंटित ब्लाक	राज्य
1	2	3	4	5
		2006-07		
1.	एस्सार पावर लि.	12.04.2006	महान	मध्य प्रदेश
2.	हिंडालकों इंडस्ट्रीज	12.04.2006	महान	मध्य प्रदेश
3.	रूंगटा माइन्स लि.	25.04.2006	बुन्दु	झारखण्ड
4.	रूंगटा माइन्स लि.	25.04.2006	राधिकापुर (वेस्ट)	उड़ीसा
5.	ओसीएल इण्डिया लि.	25.04.2006	राधिकापुर (वेस्ट)	उड़ीसा
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	02.08.2006	परसा	छत्तीसगढ़

1	2	3	4	5
8.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि.	02.08.2006	गारे-पालमा, सेक्टर-1	छत्तीसगढ़
9.	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम	02.08.2006	गारे-पालमा, सेक्टर-II	छत्तीसगढ़
10.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	02.08.2006	गारे-पालमा, सेक्टर-II	छत्तीसगढ़
11.	मध्य प्रदेश राज्य माइनिंग निगम लि.	02.08.2006	मोरगा-I	छत्तीसगढ़
12.	गुजरात खनिज विकास निगम	02.08.2006	मोरगा-II	छत्तीसगढ़
13.	एमएमटीसी	02.08.2006	गोमिया	झारखण्ड
14.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि.	02.08.2006	पिनदरा-देबीपुर-खोवटांड	झारखण्ड
15.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम	02.08.2006	सारिया कोइयाटांड	झारखण्ड
16.	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	02.08.2006	सजबर ई एण्ड डी	झारखण्ड
17.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	02.08.2006	बनहारडीह	झारखण्ड
18.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि.	02.08.2006	लातेहार	झारखण्ड
19.	मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि.	02.08.2006	डोंगरी ताल-II	मध्य प्रदेश
20.	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम	02.08.2006	मरकी-जरी-जमानी-अदकोली	महाराष्ट्र
21.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र दिल्ली	02.08.2006	मारा II महान	मध्य प्रदेश
22.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लि.	02.08.2006	मारा II महान	
23.	उड़ीसा खनन निगम	02.08.2006	नवगांव तेलीशाही	उड़ीसा
24.	आंध्र प्रदेश खनिज विकास	02.08.2006	नवगांव तेलीशाही	उड़ीसा
25.	पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं ट्रेडिंग निगम	02.08.2006	इच्छापुर	पश्चिम बंगाल
26.	पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं ट्रेडिंग निगम	02.08.2006	कुलटी	पश्चिम बंगाल
27.	विद्युत वित्त निगम उड़ीसा यूएमपीपी	13.09.2006	मीनाक्षी	उड़ीसा
28.	विद्युत वित्त निगम उड़ीसा यूएमपीपी	13.09.2006	मीनाक्षी बी	उड़ीसा
29.	विद्युत वित्त निगम उड़ीसा यूएमपीपी	13.09.2006	मीनाक्षी की डीप साइड	उड़ीसा
30.	विद्युत वित्त निगम उड़ीसा यूएमपीपी	13.09.2006	मोहेर	मध्य प्रदेश
31.	विद्युत वित्त निगम उड़ीसा यूएमपीपी	13.09.2006	मोहर अमलोहरी विस्तार	मध्य प्रदेश
32.	विद्युत वित्त निगम उड़ीसा यूएमपीपी	26.10.2006	छत्रसाल	मध्य प्रदेश
33.	चमन मैटलिक्स लि.	20.02.2007	कोसर डोंगरगावं	महाराष्ट्र
34.	बंकुरा डीआरआई माइनिंग मैनुफ्रैक्चरिंग कं. प्रा. लि.	20.02.2007	बिहारीनाथ	पश्चिम बंगाल
35.	एम्सार पावर जनरेशन लि.	20.02.2007	चकला	झारखण्ड

1	2	3	4	5
36.	जिंदल स्टील एण्ड पावर लि.	20.02.2007	जीतपुर	झारखण्ड
37.	भाटिया इन्टरनेशनल लि.	20.02.2007	वरोरा वेस्ट (नार्थ)	महाराष्ट्र
38.	आन्ध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लि.	20.02.2007	अनेस्तीपाली	आन्ध्र प्रदेश
39.	आन्ध्र प्रदेश उत्पादन निगम लि.	20.02.2007	पुंकुला-चिल्का	आन्ध्र प्रदेश
		2007-08		
40.	स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि.	11.04.2007	सीतनाला	झारखण्ड
41.	आन्ध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लि.	29.05.2007	पेंगाडप्पा	आन्ध्र पदेश
42.	प्रिज्म सीमेंट लि.	29.05.2007	सिआल घोघरी	मध्य प्रदेश
43.	एसकेएस इस्पात लि.	29.05.2007	रावनवारा नार्थ	मध्य प्रदेश
44.	यूपीआरवीयूएनएल	25.07.2007	चेंदीपादा एवं चेंदीपादा-II	उड़ीसा
45.	सीएमडीसी	25.07.2007	चेंदीपादा एवं चेंदीपादा-II	उड़ीसा
46.	महाजेनको	25.07.2007	चेंदीपादा एवं चेंदीपादा-II	उड़ीसा
48.	उड़ीसा गहाइड्रों पावर जनरेशन	25.07.2007	बैतरणी वेस्ट	उड़ीसा
49.	गुजरात पावर जनरेशन	25.07.2007	वैतरणी वेस्ट	उड;ीसा
50.	असम खनिज विकास निगम	25.07.2007	मंदाकिनी बी	उड़ीसा
51.	मेघालय खनिज विकास निगम	25.07.2007	मंदाकिनी बी	उड़ीसा
52.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, चेन्नई	25.07.2007	मंदाकिनी बी	उड़ीसा
53.	उड़ीसा खनन निगम	25.07.2007	मंदाकिनी बी	उड़ीसा
54.	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी)	25.07.2007	छटी बरियातू साउथ	झारखण्ड
55.	दामोदर घाटी निगम	25.07.2007	साहारपुर जमरपानी	झारखण्ड
56.	उड़ीसा पावर जनरेशन कार्पोरेशन	25.07.2007	मनोहरपुर	उड़ीसा
57.	उड़ीसा पावर जनरेशन	25.07.2007	डीपसाइड मनोहरपुर	उड़ीसा
58.	गुजरात खनिज विकास निगम	25.07.2007	नैनी	उड़ीसा
59.	पाण्डिचेरी प्रमोशन डेवलमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि.	25.07.2007	नैनी	उड़ीसा
60.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	25.07.2007	ऊरमा पहाड़ीटोरा	झारखण्ड
61.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	25.07.2007	ऊरमा पाहड़ीटोरा	झारखण्ड
62.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम	25.07.2007	पतरातू	झारखण्ड

1	2	3	4	5
63.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम	25.07.2007	राबोडीह ओसीपी	झारखण्ड
64.	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कार्पो.	25.07.2007	जगन्नाथपुर ए	पश्चिम बंगाल
65.	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कार्पो.	25.07.2007	जगन्नाथपुर बी	पश्चिम बंगाल
66.	आन्ध्र प्रदेश खनिज विकास निगम	25.07.2007	सुलियारी	मध्य प्रदेश
67.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	मरकी बरका	मध्य प्रदेश
68.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि.	25.07.2007	शंकरपुर बीएचटी II	छत्तीसगढ़
69.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लि.	25.07.2007	मोरगा III	छत्तीसगढ़
70.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लि.	25.07.2007	मोरगा IV	छत्तीसगढ़
71.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि.	25.07.2007	सोन्धिया	छत्तीसगढ़
72.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	सेमरिया/पीपरिया	मध्य प्रदेश
73.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25.07.2007	शाहपुर ईस्ट	मध्य प्रदेश
74.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25.07.2007	शाहपुर वेस्ट	मध्य प्रदेश
75.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	बिचारपुर	मध्य प्रदेश
76.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	माण्डला साउथ	मध्य प्रदेश
77.	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम लि.	25.07.2007	अगरजारी	महाराष्ट्र
78.	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम लि.	25.07.2007	वरोरा	महाराष्ट्र
79.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	25.06.2007	परसा ईस्ट	छत्तीसगढ़
80.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	25.06.2007	कान्ता बासन	छत्तीसगढ़
81.	पुष्प इस्पात एवं माइनिंग लि.	16.07.2007	ब्रहमपुरी	मध्य प्रदेश
82.	विद्युत वित्त निगम तलइया यूएमपीपी झज़रखण्ड	20.07.2007	केरनदारी बीसी	झारखण्ड
83.	हिण्डलको	01.07.2007	तुबेड	झारखण्ड
84.	टाटा पावर लि.	01.08.2007	तुबेड	झारखण्ड
85.	जयप्रकाश एसोसिएट लि.	17.09.2007	माण्डला नार्थ	मध्य प्रदेश
86.	एस्सार पावर लि.	06.11.2007	अशोक करकत्ता सेन्ट्रल	झारखण्ड
87.	भूषण विद्युत एवं इस्पात लि.	06.11.2007	पत्तल ईस्ट	झारखण्ड
88.	एईएस छत्तीसगढ़ एनर्जी प्रा. लि.	06.11.2007	सयांग	छत्तीसगढ़
89.	डीबी विद्युत लि.	06.11.2007	दर्गापुर II/सारया	छत्तीसगढ़
90.	बाल्को	06.11.2007	दगापुर II/ताराईमर	छत्तीसगढ़
91.	अदनी पावर लि.	06.11.2007	लोहारा वेस्ट विस्तार	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
92.	सोवा इस्पात लि.	06.12.2007	अर्धग्राम	पश्चिम बंगाल
93.	जयबालाजी स्पंज लि.	06.12.2007	अर्धग्राम	पश्चिम बंगाल
94.	पश्चिम बंगाल खनिज विकास ट्रेडिंग निगम	27.12.2007	सीतारामपुर	पश्चिम बंगाल
95.	मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लि.	09.01.2008	मंदाकिनी	उड़ीसा
96.	जिंदल फोटो लि.	09.01.2008	मंदाकिनी	उड़ीसा
97.	टाटा पावर कंपनी लि.	09.01.2008	मंदाकिनी	उड़ीसा
98.	आर्सेलर मित्तल इण्डिया लि.	09.01.2008	सेरेगढ़	झारखण्ड
99.	जीवीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लि.	09.01.2008	सेरेगढ़	झारखण्ड
100.	जस इंफ्रास्ट्रचर लि.	09.01.2008	माहुआगढ़ी	झारखण्ड
101.	जैश इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्रा. लि.	09.01.2008	माहुआगढ़ी	झारखण्ड
102.	जिंदल इस्पात एवं विद्युत लि.	17.01.2008	अमरकोण्डा	झारखण्ड
103.	गगन स्पंज आयरन प्रा. लि.	17.01.2008	अमरकोण्डा मुर्गादंगल	झारखण्ड
104.	स्टरलाइट एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	उड़ीसा
105.	जीएमआर एनर्जी (आईपीपी)	17.01.2008	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	उड़ीसा
106.	आर्सेलर मित्तल इण्डिया लि. (सीपीपी)	17.01.2008	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	उड़ीसा
107.	लेन्को ग्रुप लि. (आईपीपी)	17.01.2008	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	उड़ीसा
108.	नवभारत विद्युत प्रा. लि. (आईपीपी).	17.01.2008	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	उड़ीसा
109.	रिलायंस एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	उड़ीसा
110.	जेएलडी यवतमाल एनर्जी लि.	23.01.2008	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़
111.	आर के. एम. पावरजेन प्रा. लि.	23.01.2008	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़
112.	वीसा विद्युत लि.	23.01.2008	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़
113.	ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	23.01.2008	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़
114.	वंदना विद्युत लि.	23.01.2008	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़
115.	एसकेएस इस्पात एवं विद्युत लि.	06.02.2008	फतेहपुर	छत्तीसगढ़
116.	प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.	06.02.2008	फतेहपुर	छत्तीसगढ़
		2008-09		
117.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि.	11.04.2008	जोगोश्वर एवं खास जोगेश्वर	झारखण्ड
118.	रूंगटा माइन्स लि.	14.05.2008	चोरीटांड तालिया	झारखण्ड
119.	सनफ्लेग आयरन स्टील लि.	14.05.2008	चोरीटांड तालिया	झारखण्ड

1	2	3	4	5
120.	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	05.06.2008	रोहने	झारखण्ड
121.	भूषण पावर एण्ड स्टील लि.	05.06.2008	रोहने	झारखण्ड
122.	जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लि.	05.06.2008	रोहने	झारखण्ड
123.	मुरली इण्डस्ट्रीज लि.	27.06.2008	लोहरा (ईस्ट)	महाराष्ट्र
124.	ग्रेस इण्डस्ट्रीज लि.	27.6.2008	लोहरा (ईस्ट)	महाराष्ट्र
125.	महाजेनको (मैं. औरांगाबाद कम्पनी लि. एसपीवी)	17.07.2008	भिवकुण्ड	महाराष्ट्र
126.	राठी उद्योग लि.	05.08.2008	कसला नार्म	छत्तीसगढ़
127.	बिहार स्पंज आयरन लि.	05.08.2008	मचरकोण्डा	झारखंड
128.	मिडईस्ट इण्टीग्रेटिड स्टील्स लि.	05.08.2008	टांडसी-III एवं टांडसी-III (विस्त.)	मध्य प्रदेश
129.	बिरला कारपोरेशन लि.	12.08.2008	बिक्रम	मध्य प्रदेश
130.	बिनानी सीमेंट लि.	05.09.2008	दातिमा	छत्तीसगढ़
131.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	10.09.2008	तेनुघाट-झिरकी	झारखण्ड
132.	गोवा इण्डस्ट्रीयल विकास निगम	12.11.2008	गारे-पालमा सेक्टर III	छत्तीसगढ़
133.	मुकुन्द लि.	20.11.2008	राजहरा नार्थ (सेन्ट्रल एवं ईस्टर्न)	झारखण्ड
134.	विनी आयरन एण्ड स्टील उद्योग लि.	20.11.2008	राजहरा नार्थ (सेन्ट्रल एवं ईस्टर्न)	झारखण्ड
135.	महाराष्ट्र सीमलेस लि.	21.11.2008	गोंदखारी	महाराष्ट्र
136.	धारीवाल इफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि.	21.11.2008	गोंदखारी	महाराष्ट्र
137.	केसोराम इण्डस्ट्रीज लि.	21.11.2008	गोंदखारी	महाराष्ट्र
138.	कमल स्पंज स्टील एण्ड पावर लि.	21.11.2008	तेसगोरा-बी/रूद्रापुरी	मध्य प्रदेश
139.	रेवती प्रा. लि.	21.11.2008	तेसागोरा-बी/रूद्रापुरी	मध्य प्रदेश
140.	इलेक्ट्रोथर्म (इण्डिया) लि.	21.11.2008	भास्करपारा	छत्तीसगढ़
141.	ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि.	21.11.2008	भास्करपारा	छत्तीसगढ़
142.	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि.	27.02.2009	धमोधोरिया (कल्याणेश्वरी)	पश्चिम बंगाल
143.	जिंदल स्टील एण्ड पावर लि.	27.02.2009	रामचदी प्रोमोशन ब्लाक	उड़ीसा
144.	स्ट्रेटजिक एनर्जी टेक्नोलाजी सिस्टम्स लि.	27.02.2009	अरकपाल श्रीरामपुर का नार्थ	उड़ीसा
		2009-10 (जून, 2009 तक)		
145.	रूंगटा माइन्स लि.	28.05.2009	मेदनीराई	झारखण्ड
146.	कोहिनूर स्टील (प्रा.) लि.	28.05.2009	मेदनीराई	झारखण्ड
147.	टाटा स्टील लि.	28.05.2009	गणेशपुर	झारखण्ड

1	2	3	4	5
148.	आधुनिक थर्मल एनर्जी लि.	28.05.2009	गणेशपुर	झारखण्ड
149.	एएमआर आयरन एण्ड स्टील्स प्रा. लि.	29.05.2009	बंदेर	महाराष्ट्र
150.	सेंचुरी टैक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	29.05.2009	बंदेर	महाराष्ट्र
151.	जे. के. सीमेंट लि.	29.05.2009	बंदेर	महाराष्ट्र
152.	सनफ्लेग आयरन स्टील लि.	29.05.2009	खाप्पा एण्ड विस्त.	महाराष्ट्र
153.	डालमिया सीमेंट (भारत) लि.	29.05.2009	खाप्पा एण्ड विस्त.	महाराष्ट्र
154.	मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लि.	03.06.2009	राजगमर डीपसाइड (फुलाक डील नाला का साउथ)	छत्तीसगढ़
155.	टोपबर्थ स्टील प्रा. लि.	03.06.2009	राजगमर डीपसाइड (फुलाक डील नाला का साउथ)	छत्तीसगढ़
156.	आईएसटी स्टील एण्ड पावर लि.	17.06.2009	दाहेगांव/मकरधोकरा IV	महाराष्ट्र
157.	गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि.	17.06.2009	दाहेगांव/मकरधोकरा IV	महाराष्ट्र
158.	लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि.	17.06.2009	दाहेगांव/मकरधोकरा IV	महाराष्ट्र
159.	करनपुरा एनर्जी लि. (जेएसईबी की एसपीवी)	26.06.2009	मौर्या	झारखण्ड

जननी सुरक्षा योजना के लक्ष्य

3453. श्री राजू शेट्टी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही जननी सुरक्षा योजना और 'मातृत्व अनुदान योजना' के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु को रोकने के लिए कोई निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों तथा उनमें से प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में उक्त योजनाओं के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी नहीं। जननी सुरक्षा योजना गरीब गर्भवती महिलाओं के मध्य संस्थागत प्रसवों को बढ़ाने वाला शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित मांग आधारित कार्यकलाप है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु की जांच करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु अनुपात को कम करना है। भूतपूर्व राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना जिसका संचालन मार्च, 2005 तक हुआ था, को अप्रैल, 2005 से जननी सुरक्षा योजना के तहत शामिल कर लिया गया है और राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना के तहत मिलने वाले लाभ जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भी मिलते रहेंगे।

(ग) वर्ष 2008-09 के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में जननी सुरक्षा योजना का कार्य निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
	1	2
अधिक ध्यान दिए जाने वाले पूर्वोत्तर राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.08
2.	असम	3.29
3.	मणिपुर	0.11
4.	मेघालय	0.11

1		2
5.	मिजोरम	0.14
6.	नागालैण्ड	0.14
7.	सिक्किम	0.03
8.	त्रिपुरा	0.18
अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य		
1.	बिहार	10.00
2.	छत्तीसगढ़	2.25
3.	हिमाचल प्रदेश	0.11
4.	जम्मू और कश्मीर	0.07
5.	झारखण्ड	4.78
6.	मध्य प्रदेश	11.38
7.	उड़ीसा	3.09
8.	राजस्थान	9.17
9.	उत्तर प्रदेश	15.64
10.	उत्तराखण्ड	0.66
अधिक ध्यान न दिए जाने वाले बड़े राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	4.50
2.	दिल्ली	0.24
3.	गोवा	0.01
4.	गुजरात	2.13
5.	हरियाणा	0.46
6.	कर्नाटक	3.31
7.	केरल	1.36
8.	महाराष्ट्र	2.24
9.	पंजाब	0.68
10.	तमिलनाडु	3.87
11.	पश्चिम बंगाल	3.17
अधिक ध्यान न दिए जाने वाले छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2.	चंडीगढ़	0
3.	दादर एवं नगर हवेली	0
4.	दमन और दीव	0
5.	लक्षद्वीप	0
6.	पुदुचेरी	0.05
	कुल योग	84.26

फ्लोराइड और संदूषित जल से होने वाले रोग

3454. श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः
श्री मदन लाल शर्माः
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः
श्री संजय धोत्रेः
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़ेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अनेक बीमारियां अत्यधिक फ्लोराइड एवं संदूषित जल के उपयोग के कारण होती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान राज्य-वार मृत व्यक्तियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीयकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) पीने के पानी में उच्च फलोराइड की मात्रा से दन्त फलोरोसिस, कंकाल फलोरोसिस और गैर-कंकाल फलोरोसिस इत्यादि जैसे कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं।

पानी के मल-दूषण से हैजे, तीव्र अतिसारीय रोग, विषाणुज यकृत शोथ और टायफायड ज्वर 'आन्त्र ज्वर) जैसे जल जन्य रोग

होते है। वर्ष 2006-08 के दौरान जल जन्य रोगों से होने वाले रोगों और मौतों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I, II, III और IV में दिया गया है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के 27 राज्यों/संघ क्षेत्रों के 275 से अधिक जिलों में पीने के पानी में उच्च स्तर में फलोराइड की मात्रा पाई गई है।

(ङ) भारत सरकार ने वर्ष 2004 में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एकीकृत रोग निगरानी परियोजना चलाई है। यह एक विकेन्द्रीकृत राज्य आधारित रोग निगरानी परियोजना चलाई है। यह एक विकेन्द्रीकृत राज्य आधारित रोग निगरानी कार्यक्रम है जिसका इरादा शीघ्रातिशीघ्र जल जन्य रोगों सहित संचारी रोगों के प्रकोपों का पता लगाना और आसन्न रोग प्रकोपों को नियंत्रित करने के लिए इससे संबंधित तीव्र अनुक्रिया तैयार करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेय जल आपूर्ति विभाग से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार विश्व बैंक वित्त पोषित ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई परियोजना केरल, कर्नाटक, उत्तरांचल और पंजाब जैसे विभिन्न राज्यों में चल रही है। महाराष्ट्र राज्य के अनुसार ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई परियोजना हेतु अनुमोदित सहायता की धनराशि 181 मिलियन अमरीकी डालर है। यह परियोजना 29.10. 2003 से शुरू हो गई है और इसके सितम्बर, 2009 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

जर्मनी सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्रों को पीने के पानी और सफाई सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के तीन जिलों में क्रियान्वित किए जा रहे जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के अन्तर्गत 23.826 मिलियन मार्क प्रदान किए हैं। यह परियोजना मार्च, 2007 में शुरू हो गई है और इसके पूरा होने का समय दिसम्बर, 2009 तक बढ़ा दिया गया है।

विवरण I

भारत में 2006-08 के दौरान हैजा के रोगियों और उसके कारण होने वाली मौतों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006		2007		2008*	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	20	0	80	0	153	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	सूचित नहीं	सूचित नहीं	0	0
3.	असम	0	0	0	0	सूचित नहीं	सूचित नहीं
4.	बिहार	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
5.	छत्तीसगढ़	2	0	10	0	0	0
6.	गोवा	सूचित नहीं	सूचित नहीं	38	0	0	0
7.	गुजरात	100	2	66	0	50	0
8.	हरियाणा	9	0	22	0	27	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	सूचित नहीं	0	0
11.	झारखण्ड	0	0	सूचित नहीं	2	सूचित नहीं	सूचित नहीं
12.	कर्नाटक	80	1	117	1	254	1
13.	केरल	12	0	5	0	7	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	1	0	14	0

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	महाराष्ट्र	284	0	527	0	96	0
16.	मणिपुर	0	0	2	0	सूचित नहीं	सूचित नहीं
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	35	0	सूचित नहीं	सूचित नहीं
21.	पंजाब	24	0	11	0	12	0
22.	राजस्थान	0	0	1	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	213	0	297	0	990	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तराखंड	0	0	1	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	6	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	133	0	176	0	236	0
29.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	9	0	28	0	15	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	1052	0	1212	0	824	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	2	0
	कुल	1939	3	2635	3	2680	1

स्रोतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य निदेशालयों की साप्ताहिक रिपोर्टें
*वर्ष 2008 के आंकड़े अनन्तिम हैं

विवरण II

भारत में 2006-08 के दौरान सूचित गम्भीर अतिसार संबंधी रोगों के रोगियों और उसके कारण होने वाली मौतों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006		2007		2008*	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1215659	124	1516795	198	1748983	16
2.	अरुणाचल प्रदेश	32032	30	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	सूचित नहीं	सूचित नहीं	293648	911	93712	745
4.	बिहार	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
5.	छत्तीसगढ़	95202	13	125463	11	142919	36
6.	गोवा	77631	0	10322	0	11672	0
7.	गुजरात	382056	4	337610	3	331979	2
8.	हरियाणा	285342	42	265006	30	224203	45
9.	हिमाचल प्रदेश	347055	28	341266	33	342870	17
10.	जम्मू और कश्मीर	519317	32	421371	0	416725	4
11.	झारखण्ड	147752	1	59563	6	70505	4
12.	कर्नाटक	939221	1279	828026	80	723128	84
13.	केरल	475510	4	450107	12	364147	1
14.	मध्य प्रदेश	318935	88	577770	302	549421	148
15.	महाराष्ट्र	695723	93	825044	199	990299	401
16.	मणिपुर	13614	17	21745	16	12136	3
17.	मेघालय	178260	33	120435	60	131505	38
18.	मिजोरम	18063	20	17356	10	20143	41
19.	नागालैंड	17398	0	16048	6	15543	0
20.	उड़ीसा	373748	40	455004	68	458576	69
21.	पंजाब	182451	64	185825	84	180720	31
22.	राजस्थान	318169	21	228597	38	354799	38
23.	सिक्किम	51433	8	45032	9	42506	3
24.	तमिलनाडु	225853	42	109758	140	427860	16
25.	त्रिपुरा	159520	69	133993	19	126471	39
26.	उत्तराखंड	94746	6	87961	18	85591	29
27.	उत्तर प्रदेश	284709	55	575496	137	406439	107
28.	पश्चिम बंगाल	2622968	964	2592432	1118	2681699	829
29.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	22752	2	19506	4	24477	0
30.	चंडीगढ़	7871	0	10715	7	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दादरा और नगर हवेली	74661	4	50178	3	60748	1
32.	दमन और दीव	109	0	283	0	3721	0
33.	दिल्ली	94398	85	160773	70	100919	79
34.	लक्षद्वीप	7316	0	6679	0	4701	0
35.	पांडिचेरी	137443	8	103832	11	81922	15
	कुल	10213917	3176	10993639	3603	11231039	2841

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य निदेशालय की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्टें

*वर्ष 2008 के आंकड़े अनन्तिम हैं

विवरण III

भारत में 2006-08 के दौरान सूचित हैपेटाइटिस के रोगियों और उसके कारण होने वाली मौतों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006		2007		2008*	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	17846	28	10382	47	8195	71
2.	अरुणाचल प्रदेश	553	6	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
3.	असम	सूचित नहीं	सूचित नहीं	5351	0	2175	0
4.	बिहार	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
5.	छत्तीसगढ़	1491	2	4215	0	1724	0
6.	गोवा	15	0	41	0	88	0
7.	गुजरात	9396	16	3486	7	2940	3
8.	हरियाणा	3983	11	2115	2	1872	5
9.	हिमाचल प्रदेश	835	11	3667	4	1783	7
10.	जम्मू और कश्मीर	5882	0	7204	0	6000	0
11.	झारखण्ड	51	0	713	1	395	3
12.	कर्नाटक	14980	24	11305	30	9328	25
13.	केरल	7018	6	6768	14	10030	24
14.	मध्य प्रदेश	2499	9	7220	18	8329	42
15.	महाराष्ट्र	43215	131	17089	59	7207	34
16.	मणिपुर	346	0	335	2	356	0

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मेघालय	294	2	71	0	275	0
18.	मिजोरम	546	11	348	8	489	11
19.	नागालैंड	235	0	106	1	127	0
20.	उड़ीसा	2687	38	2370	18	1812	21
21.	पंजाब	3829	17	5911	15	6880	10
22.	राजस्थान	3869	78	1292	16	2000	6
23.	सिक्किम	290	2	189	7	153	2
24.	तमिलनाडु	10075	15	1968	41	1939	13
25.	त्रिपुरा	2768	15	2250	3	1146	5
26.	उत्तराखंड	3381	0	2802	18	2658	15
27.	उत्तर प्रदेश	3716	6	3204	20	1136	12
28.	पश्चिम बंगाल	7433	205	4566	104	4206	122
29.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	213	4	341	3	229	1
30.	चंडीगढ़	267	5	516	34	-	-
31.	दादरा और नगर हवेली	126	3	65	0	453	2
32.	दमन और दीव	3	0	28	0	76	0
33.	दिल्ली	4080	42	4633	59	5760	54
34.	लक्षद्वीप	86	0	102	0	112	0
35.	पांडिचेरी	615	7	402	13	567	22
	कुल	152623	694	110055	544	90440	510

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य निदेशालयों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्टें
*वर्ष 2008 के आंकड़े अनन्तिम हैं

विवरण IV

भारत में 2006-08 के दौरान सूचित आंत्र ज्वर (टाइलफाइड) के रोगियों और उसके कारण होने वाली मौतों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006		2007		2008*	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	135550	12	124644	18	1331774	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	9098	23	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	सूचित नहीं	सूचित नहीं	4166	37	1955	75
4.	बिहार	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
5.	छत्तीसगढ़	21474	6	38854	0	39825	0
6.	गोवा	68	0	425	0	1232	1
7.	गुजरात	7290	0	5724	1	4918	0
8.	हरियाणा	5688	4	6638	1	10584	1
9.	हिमाचल प्रदेश	26327	5	21360	0	24029	2
10.	जम्मू और कश्मीर	42369	0	61085	0	58046	0
11.	झारखण्ड	4707	284	12209	0	37598	5
12.	कर्नाटक	96147	5	61610	5	545.72	16
13.	केरल	6219	2	4261	4	5920	5
14.	मध्य प्रदेश	28654	29	46863	38	62746	37
15.	महाराष्ट्र	39663	8	67661	14	81188	8
16.	मणिपुर	2421	2	5278	1	3341	1
17.	मेघालय	5709	1	37124	2	7280	0
18.	मिजोरम	1392	2	909	2	1395	9
19.	नागालैंड	4187	0	6458	5	8044	0
20.	उड़ीसा	15387	9	26734	22	33667	9
21.	पंजाब	17008	3	19855	6	20927	4
22.	राजस्थान	14084	131	6072	0	15052	8
23.	सिक्किम	428	2	315	0	217	0
24.	तमिलनाडु	96626	4	24037	128	86178	1
25.	त्रिपुरा	19195	21	2618	4	4328	4
26.	उत्तराखंड	15020	2	10447	0	9649	0
27.	उत्तर प्रदेश	42648	13	82387	53	48806	31
28.	पश्चिम बंगाल	101835	70	118940	82	136543	74
29.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	3055	0	689	1	1675	0
30.	चंडीगढ़	360	1	422	3	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दादरा और नगर हवेली	646	0	688	0	1541	0
32.	दमन और दीव	33	0	50	0	434	0
33.	दिल्ली	13774	18	21198	24	16248	28
34.	लक्षद्वीप	6	0	2	0	11	0
35.	पांडिचेरी	1936	1	637	1	1038	2
	कुल	789004	658	820360	452	916161	338

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य निदेशालयों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्टें
*वर्ष 2008 के आंकड़े अनन्तिम हैं

[अनुवाद]

सीआईएल द्वारा गांवों का चतुर्दिक विकास

3455. श्री निशिकांत दुबे:
डॉ. चरण दास महन्त:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा गांवों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं वन रोपण सहित चतुर्दिक विकास हेतु आवंटित तथा व्यय की गई निधियों का कम्पनीवार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त उद्देश्य हेतु निधियों में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप लाभन्वित हुए गांवों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान कोल इण्डिया लि. और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और पौधरोपण सहित गांवों के परिधीय विकास के तहत कम्पनीवार, राज्यवार और वर्षवार आबंटित और वास्तव में व्यय की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत है:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

कम्पनी और राज्य	2006-07		2007-08		2008-09	
	आबंटित राशि	व्यय	आबंटित राशि	व्यय	आबंटित राशि	व्यय (अनंतिम)
	1	2	3	4	5	6 7
ईसीएल पश्चिम बंगाल एंड झारखण्ड	23.88	22.84	21.89	22.11	27.45	25.64
बीसीसीएल, झारखण्ड एंड पश्चिम बंगाल	17.56	16.41	19.00	24.42	19.28	22.27
सीसीएल झारखण्ड	50.23	43.98	33.65	38.73	40.24	32.89

	1	2	3	4	5	6 7
डब्ल्यूसीएल, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश	33.66	37.16	32.88	36.82	39.65	50.51
एनसीएल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़	72.33	67.39	74.47	81.76	89.87	102.61
एमसीएल, उड़ीसा	24.53	18.11	22.81	26.35	29.04	27.53
एनसीएल, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश	36.23	22.75	38.83	27.11	33.11	27.32
एनईसी, असम	1.40	2.56	1.31	2.71	1.84	8.99
जोड़	259.82	231.20	244.84	260.01	280.48	297.76

जहां तक मौजूदा वर्ष अर्थात 2009-10 के दौरान उपर्युक्त गतिविधियों के लिए निधियों के आबंटन का संबंध है, इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा वर्ष 2008-09 की तुलना में इसमें वृद्धि की जाएगी।

(घ) लाभान्वित गांवों के ब्यौरे से संबंधित सूचना की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

देश में कोयला भण्डार

3456. श्री प्रदीप माझी:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयला कम्पनियों द्वारा दोहन के लिए कितनी मात्रा में भूगर्भीय कोयले के भण्डार तथा कोयले भण्डार की पहचान की गई है; और

(ख) खनन के लिए शेष कोयला भण्डारों की पहचान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की नवीनतम सूची के अनुसार देश में कुल कोयला संसाधन 01.04.2009 की स्थिति के अनुसार 267.21 बिलियन टन है। इसमें से लगभग 141 बिलियन टन कोल इण्डिया लि. (सीआईएल) द्वारा दोहन हेतु पहचान की गई है और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (एसीसीसीएल) के कमाण्ड क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश के गोदावरी घाटी कोलफील्ड) में 3.89 बिलियन टन के खननयोग्य निष्कर्षण योग्य भण्डारों की पहचान की गई है।

(ख) निर्दिष्ट तथा अनुमानित श्रेणियों के अधीन संसाधनों को प्रमाणित श्रेणी में लाने के लिए अन्वेषण प्रयासों को तेज किया गया है जिनके आधार पर खनन हेतु संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है।

पाकिस्तान में सिक्ख धर्मस्थलों तक एक्सप्रेस लिंक

3457. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान में करतारपुर साहिब तथा भारत में डेरा बाबा नानक में स्थित ऐतिहासिक सिक्ख धर्मस्थलों के बीच सीधा एक्सप्रेस लिंक बनाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): अक्टूबर 2005 में विद्यमान धार्मिक स्थलों की यात्रा संबंधी प्रोतोकोल, 1974 के संशोधन हेतु एक प्रारूप पाकिस्तान को सौंपा गया था। प्रारूप में तीर्थयात्रियों और साथ ही यात्रा के लिए करतारपुर साहिब सहित नियत धार्मिक स्थलों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के संबंध में पाकिस्तान की ओर से उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की जून, 2008 में भारत की यात्रा के दौरान हमारी ओर से यह प्रस्ताव किया गया था कि भारत की ओर से एक दल तीर्थ यात्रा के तौर-तरीके तैयार करने के लिए करतारपुर साहब भेजा जा सकता है।

[हिन्दी]

वन भूमि पर अतिक्रमण

3458. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों के एक बड़े क्षेत्र पर भू-माफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार कितने प्रतिशत वन क्षेत्र पर कब्जा है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता मिली है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) ऐसी कोई रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हजयात्रा का कार्य अल्पसंख्यक मंत्रालय को देना

3459. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हज यात्रा का कार्य विदेश मंत्रालय से अंतरित कर अल्पसंख्यक मंत्रालय को देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी नहीं। हज अधिनियम, 2002 ने विदेश मंत्रालय को हज संबंधी कार्य के लिए नोडल मंत्रालय बनाया है।

एस्पिरिन के दुष्प्रभाव का अध्ययन

3460. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकित्सा पत्रिका 'लांसेट' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार स्वस्थ लोगों द्वारा हृदयघात एवं स्ट्रोक को रोकने की दवा के रूप में एस्पिरिन का सेवन खतरनाक हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) लांसेट में छपी रिपोर्ट के अनुसार पहले किसी रोग के न होने की स्थिति में (स्वस्थ व्यक्तियों में) प्राथमिक रोकथाम में एस्पिरिन का प्रभाव अनिश्चित होता है क्योंकि गम्भीर वैस्कूलर रोगों में कमी का बड़े रक्तस्रावों में हुई वृद्धि हेतु आकलन किए जाने की आवश्यकता है। द्वितीयक रोकथामी जांचों में एस्पिरिन के समाविष्ट होने से रक्तस्रावी स्ट्रोक में मामूल वृद्धि के साथ गम्भीर वैस्कूलर रोगों में बड़ी कमी आई है लेकिन कुल स्ट्रोक और कोरोनेरी रोगों में लगभग 5वें हिस्से तक की कमी आई है। तथापि, इसके रोजाना उपयोग से गेस्टोइन्टेस्टीनल रक्तस्राव जैसे प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए बुनियादी रोकथाम के लिए एस्पिरिन सावधानी से ली जानी चाहिए।

[हिन्दी]

जल संसाधन विकास में पूंजी निवेश

3461. श्री जगदीश शर्मा:
श्री चन्द्रकान्त खैरे:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में जल से संबंधित मुद्दे पर कोई टिप्पणी/सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख सिफारिशें क्या हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) देश में जल संसाधन के विकास में नये पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, एशियन डेवलपेंट बैंक के शहरी क्षेत्र कार्यो का लक्ष्य जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रणाली तथा अन्य शहरी सुविधाओं की गुणवत्ता एवं निरन्तरता में सुधार करना है। चालू परियोजनाओं की कुशलता में वृद्धि करने, फिजूलखर्ची कम करने तथा प्रचालन एवं प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से अनेक तकनीकी और सुधारात्मक उपायों को शामिल किया गया है।

(ग) जल संसाधन विकास राज्य का का विषय है तथा इसकी परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों तथा प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार, कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन इत्यादि की स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देश में जल संसाधनों के विकास के लिए पूंजी निवेश वर्ष 2007-08 में 5580 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 8553.70 करोड़ रूपये हो गया है तथा वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्तावित निवेश 9700 करोड़ रूपये है।

[अनुवाद]

परमाणु पार्को की स्थापना

3462. श्री वैजयंत पांडा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में परमाणु पार्को की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उड़ीसा सहित देश में ऐसे पार्क कहां-कहां पर होंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सहकार के आधार पर अधिक क्षमता वाले 6 से 10 रिएक्टरों से युक्त 6,000 से 10,000 मेगावाट-ई क्षमता के परमाणु पार्को को तटीय स्थलों पर स्थापित करने की योजना है, सरकार ने दो तटीय स्थलों-तमिलनाडु में कुडनकुलम और महाराष्ट्र में जैतापुर के मामले में 'सिद्धांतत:' अनुमोदन दे दिया है, स्थल चयन समिति द्वारा उड़ीसा में पट्टी-सोनापुर स्थित स्थल सहित और अधिक तटीय स्थलों का मूल्यांकन, उनकी क्षमता का पता लगाने के लिए किया गया है।

युवा संसद प्रतियोगिता

3463. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **ससंदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक वर्ष राज्यों के सभी विद्यालयों एवं कॉलेजों में युवा संसद प्रतियोगिता होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने राज्यों ने इन प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया है; और

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान यह प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ख) नहीं महोदय। तथापि अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि सभी राज्यों को केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुरूप युवा संसद योजना को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाने चाहिएं। केन्द्रीय योजना सभी विद्यालयों में नहीं केवल चुने हुए विद्यालयों में प्रतियोगिताओं के आयोजन को देखती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों एवं कॉलेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं को चलाना राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		सहायता की राशि (रु.)
1.	2006-07	(i)	हरियाणा	99,985/-
2.	2007-08	(ii)	हरियाणा	1,11,315/-
		(iii)	मिजोरम	1,00,000/-
3.	2008-09	(i)	हरियाणा	1,99,891/-
		(ii)	कर्नाटक	1,91,782
				2,00,000/-

पर्यावरण अनुसंधान

3464. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पर्यावरण एवं उसके प्रबंधन पर कोई अनुसंधान शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियां आवंटित की गईं हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र एवं एनजीओं के माध्यम से भी पर्यावरण अनुसंधान को अनुमति प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय अपनी अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) स्कीम के तहत विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक निकायों और विश्वविद्यालयों, जो पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, में अभिज्ञात विशेष बल देने वाले क्षेत्रों में पर्यावरणीय अनुसंधान के बहु-आयामी पहलुओं में अनुसंधान परियोजनाओं को सहयाता कर रही है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान अनुसंधान और विकास के तहत 6.0 करोड़ रुपये की धनराशि आंबटित की गई है।

एनआरएचएम की समीक्षा

3465. श्री गुरूदास दासगुप्तः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए एक विस्तृत कार्यढांचा प्रचालित किया गया है।

इसमें एकीकृत वेब आधारित स्वास्थ्य प्रबधन सूचना प्रणाली शामिल है जो प्रमुख मापदण्डों पर कार्यक्रम की प्रगति संकलित करती है। आवधिक सर्वेक्षणों जैसे कि जिला स्तर परिवार सर्वेक्षण (डीएलएचएस), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) आदि भी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्याकलापों के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। कार्यक्रम की प्रगति की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा करने के लिए क्षेत्र में आवधिक समीक्षा मिशन भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रगति का दस्तावेज तैयार करने के लिए विषयगत और भौगोलिक आधार पर गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकन भी किए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियमित एमआईएस, सर्वेक्षण रिपोर्टो और प्रयोगकर्ता की अनुक्रियाओं के मुकाबले ट्राइएन्गूलेशन की प्रक्रिया के जरिए प्रमुख कार्यक्रम घटकों को समुदाय स्तर पर वैधता प्रदान की जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रमुख कार्यकलापों की राज्यवार प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में विकेन्द्रित नियोजन एवं कार्यन्वयन के माध्यम से राज्यों में जन स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली के व्यापक पनुरूद्धार की परिकल्पना की गई है। समुदाय को निवारक, संवर्धनात्मक एवं उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्णतः कार्यशील, समुदाय स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीत स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली स्थापित करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस प्रकार वर्ष के दौरान राज्यों में किए जाने के लिए अनुमोदित कार्यकलाप सम्बन्धित राज्य की वार्षिक पीआईपी से लिए गए है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के ढांचे में विहित समय सीमा के दौरान चालू वर्ष में पूरी की जाने वाली पहलों में निम्नलिखित शामिल हैः-

* सभी आशाओं का चयन किया जाना और उनकों तैनात किया जाना।
* 1.95 लाख ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां गठित की जानीं और उनकों असम्बद्ध निधियां प्रदान की जानीं।
* सभी उप केन्द्रों को 2 एनएम की तैनाती से सुदृढ़ किया जाना और साझा खाता प्रचलित किया जाना।
* सभी जिला अस्पतालों को सुदृढ़ किया जाना।
* सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियां प्रचलित की जानी।
* सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को स्थानीय स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए असम्बद्ध निधियां और वार्षिक अनुरक्षण अनुदान दिया जाना।
* सभी जिलों में चलती-फिरती चिकित्सा यूनिटें प्रचलित की जानी।

विवरण

दिनांक 15.5.2009 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थिति

क्र.सं. छव.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आशा		ग्रा.स्वा.स्व.स.	संयुक्त खाता	24x7 वाल सुविधा केन्द्र	प्रथम रेफरल एकक	संविदात्मक जनशक्ति					जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी (लाख में)
		चयन	प्रशिक्षण					चिकित्सक एवं विशेषज्ञ	आयुष चिकित्सक	स्टाफ नर्स	पश चिकित्सक	सहायक नर्स धात्री	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अधिक ध्यान दिए जाने वाले गैर-पूर्वोत्तर राज्य													
1.	बिहार	67506	57362	0	2	625	76	244	0	2906	0	5896	20.04
2.	छत्तीसगढ़	60092	60092	18603	16653	553	112	369	225				5.01
3.	हिमाचल प्रदेश	2512	9923		2071	204.00	51	292	0	239	421	0	0.30
4.	जम्मू और कश्मीर	9764	9500	6788	5215	135	53	184	357	231	342	297	0.33
5.	झारखण्ड	39556	38764	30011	10000	226.00	32	707	163		1200	3204	7.56
6.	मध्य प्रदेश	42777	38499	21282	21282	408	81	319	0	45	0	1359	27.38
7.	उड़ीसा	34252	34117	28238	17712	105	131	9	1167	263	14	703	10.53
8.	राजस्थान	42000	39569	40478	10742	928	100	0	601	3704	0	2429	20.84
9.	उत्तर प्रदेश	134434	129076	51150	51150	990	121	189	428	2250	138	1411	26.08
10.	उत्तराखंड	9923	0023	0	1634	121	72	0	1	101	0	57	1.48
अधिक ध्यान दिए जाने वाले पूर्वोत्तर राज्य													
11.	अरुणाचल प्रदेश	3364	2523	2642	2642	86	10	57	26	79	0	20	0.18
12.	असम	26225	26225	26816	24085	410	59	295	232	2112	661	4334	8.40
13.	मणिपुर	3225	3225	3470	2711	36	1	106	68	79	490	427	0.24
14.	मेघालय	6108	4521	5352	2309	8	3	13	20	18	0	125	0.14
15.	मिजोरम	978	978	817	786	49	8	33	10	202	53	373	0.41
16.	नागालैण्ड	1700	1700	1278	1278	54	11	71	21	113	75	251	0.22
17.	राजस्थान	636	552	637	637	28	1	32	3	53	12	48	0.07
18.	त्रिपुरा	7076	6737	1040	1021	789	4	0	60	0	0	32	0.53
अधिक ध्यान न दिए जाने वाले बड़े राज्य													
19.	आंध्र प्रदेश	70700	68500	21916	21916	1026	194	0	0	121	118	9505	8.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	गोवा	0	0	303	303	21	2	2		0	0	25	0.01
21.	गुजरात	24065	898	17751	17429	354	148	1419	773	365	270	0	5.62
22.	हरियाणा	13152	5000	5331	5287	207	67	26		179	260	2174	0.92
23.	कर्नाटक	27195	3378	20000	20000	1228	79	1007	669	3349	98	1035	7.97
24.	केरल	22949	8346	18003	18003	337	65	876	91	1495	136	0	3.55
25.	महाराष्ट्र	14195	8242	39392	38578	851	469	407	272	50	36	5045	8.24
26.	पंजाब	16388		12001	2858	169	137	90	98	589	589	0	1.72
27.	तमिलनाडु	0	0	15158	15158	2836	291	100	0	4128	0	0	8.24
28.	पश्चिम बंगाल	12765	13613	13312	6670	610	61	60	0	0	51	0	11.46
अधिक ध्यान न दिए जाने वाले छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र													
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49	43	49	49	23	1	26	0	21	108	81	0.01
30.	चंडीगढ़	0	0	0	10	2	3	12	4	15	132	61	0.07
31.	दादरा और नगर हवेली	107	0	0	0	7	1	7	7	5	34	28	0.01
32.	दमन और दीव	0	0	28	0	4	3	7	1	0		0	0.00
33.	दिल्ली	2266	0	0	0	35	20	295	0	73	155	630	0.31
34.	लक्षद्वीप	85	85	0	0	7	1	7	0	0	0	6	0.01
35.	पुडूचेरी	0	0	92	92	24	5	11	24	4	35	77	0.11
	कुल	696044	581391	401938	3189281	12785	2373	9172	5321	22789	5426	39833	186.83

[हिन्दी]

मोरारजी देसाई समाधि स्थल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करना

3466. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई के 'अभयघाट' समाधि स्थल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितना खर्च आने की सम्भावना; और

(घ) राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इस स्मारक के निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) श्री मोरारजी देसाई का 'अभय घाट' नामक स्मारक साबरमती नदी के तट पर जिला खेड़ा, गुजरात में बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य जुलाई, 1997 में शुरू हुआ तथा मार्च, 1999 में पूरा हुआ।

टीकाकरण कार्यक्रम

3467. श्री संजय सिंह चौहान:
श्रीमती प्रिया दत्त:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या में से आधे बच्चों का अत्यावश्यक प्रतिरक्षण/टीकाकरण नहीं हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के टीकाकरण की औसत प्रतिशतता क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षो एवं चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी निधियां जारी की गईं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) वर्ष 2007-08 में हुए अद्यतन जिला स्तरीय सर्वेक्षण-3 के अनुसार देश में बच्चों (12-23 महीने) की पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज 54.1 प्रतिशत है। इसी सर्वेक्षण के अनुसार 11.3 प्रतिशत बच्चों (12-23 महीने) में कोई प्रतिरक्ष नहीं पाया गया।

(ख) इसमें कारण है:-

(1) उच्च ड्राप आउट दर अर्थात लाभार्थी समय सूची के अनुसार खुराकों को पूरा नहीं करते।

(2) स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों तक खराब पहुंच के कारण छूटी हुई जनसंख्या।

(ग) व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्राय: नियमित सेवाओं के एक भाग के रूप में प्रदान किया जाता है न कि अभियानों के रूप में। जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के अनुसार राज्यवार कवरेज संलग्न विवरण I के ए-10, ए-11 और ए-12 स्तम्भों में निर्दिष्ट है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए है।

विवरण I

चुने हुए मुख्य राज्य सूचक-कुल

राज्य	ए1	ए2	ए3	ए4	ए5	ए6	ए7	ए8	ए9	ए10	ए11	ए12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	54.1	47.3	34.4	9.3	5.3	75.4	19.1	47.0	52.6	89.9	63.8	54.1
आंध्र प्रदेश	65.3	65.1	60.3	2.1	3.1	95.9	40.6	71.8	7.56	97.9	80.4	68.5
असम	49.7	31.2	10.7	12.9	4.4	74.8	8.6	35.3	409	841	60.7	510
बिहार	32.4	28.4	250	16.4	8.7	593	4.6	27.7	319	81.4	54.4	41.4
चंडीगढ़	756	70.7	288	4.4	1.1	843	30.2	73.6	78.5	963	86.1	731
छत्तीसगढ़	497	47.1	41.3	7.6	5.0	796	13.7	18.1	296	95.0	72.5	60.8
दादरा और नगर हवेली	58.9	47.7	40.7	7.5	8.1	72.0	231	48.6	60.0	859	65.7	523
दमन और दीव	62.4	519	413	5.8	6.8	95.8	433	640	69.4	982	887.8	835
दिल्ली	661	555	22.9	7.7	2.8	91.6	33.6	686	71.8	92.1	77.1	67.7
गोवा	45.0	35.9	23.1	99	8.4	990	90.8	96.3	97.8	97.7	90.3	886
गुजरात	61.6	54.3	41.5	6.7	5.5	71.5	19.9	56.5	62.1	880	64.0	55.5
हरियाणा	62.0	54.5	363	79	3.4	873	13.3	46.9	53.4	877	71.2	61.8
हिमाचल प्रदेश	702	68.1	45.1	6.3	33	86.6	31.4	48.2	510	98.7	90.3	826
जम्मू और कश्मीर	54.1	41.2	240	90	4.5	84.7	29.0	553	59.3	939	71.4	63.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
झारखण्ड	34.9	30.8	24.6	13.8	7.5	55.9	9.1	17.8	250	85.5	63.3	54.8
कर्नाटक	618	60.8	56.7	3.9	6.3	90.2	561.1	651	715	96.8	85.0	78.8
केरल	62.3	53.1	461	5.6	6.8	99.8	72.3	99.4	99.4	992	86.7	79.0
लक्ष्यद्वीप	27.4	16.6	9.6	7.1	9.5	99.6	67.8	90.3	95.7	1000	923	669
मध्य प्रदेश	562	53.1	45.1	7.6	5.5	61.8	8.6	47.1	501	85.2	49.6	38.5
महाराष्ट्र	638	62.6	51.5	5.4	5.2	918	339	63.6	69.4	95.8	79.1	69.3
मेघालय	22.9	16.8	83	108	12.6	55.5	14.5	24.4	290	77.ग्र9	45.9	34.3
मिजोरम	53.9	535	35.9	4.1	7.7	89.5	330	55.9	63.5	92.6	67.6	55.3
उड़ीसा	470	378	256	10.2	5.0	84.1	23.3	443	50.9	94.4	74.5	63.1
पुडूचेरी	59.4	57.5	487	6.9	4.9	92.8	48.6	991	99.4	95.8	86.6	806
पंजाब	693	2.9	326	6.5	20	83.3	14.3	633	77.1	943	85.5	789
राजस्थान	57.0	54.0	40.5	7.0	4.4	566	6.6	455	52.7	83.6	568	50.0
सिक्किम	71.1	61.1	21.8	11.3	2.3	95.2	27.6	49.8	56.9	98.5	88.7	77.9
तमिलनाडु	599	67.8	53.8	5.9	4.1	989	51.8	941	056	99.5	89.6	81.6
त्रिपुरा	86.5	40.8	139	8.0	2.6	67.4	13.3	46.3	473	89.9	47.4	385
उत्तर प्रदेश	38.4	26.7	16.5	187	7.1	84.4	3.3	24.5	30.1	73.6	39.7	311
उत्तराखंड	60.1	57.7	395	9.6	5.2	55.4	15.6	300	3555	91.2	72.6	63.3
पश्चिम बंगाल	72.7	53.3	337	65	2.6	96.1	19.6	49.2	51.6	96.2	83.8	75.8

नोटः ए1-सीपीआर कोई प्रणाली, ए2-कोई आधुनिक प्रणाली, ए3-महिला नसबंदी, ए4-लिमिटंग हेतु अपूरित आवश्यकताः, ए5-स्पेसिंग हेतु अपूरित आवश्यकता, ए6-कोई भीए एएनसी, ए7-पूर्ण एएनसी, ए8-संस्थागत प्रसव, ए9-सुरक्षित प्रसव, ए10-बीसीजी, ए11-डीपीटी-3, ए12-पूर्ण प्रतिरक्षण

विवरण II

वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक नेमी प्रतिरक्षण (आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल) के तहत जारी निधियां

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
	1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.07	000	000	000
2.	आंध्र प्रदेश	360	4.26	620	000
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.97	0.82	0.82	000
4.	असम	1.12	1096	1107	000

1		2	3	4	5
5.	बिहार	990	20.85	1447	000
6.	चंडीगढ़	0.01	0.08	000	000
7.	छत्तीसगढ़	4.21	026	000	000
8.	दादरा व नगर हवेली	0.03	000	000	000
9.	दामन और दीव	0.02	0.01	000	000
10.	दिल्ली	0.29	0.28	0.13	000
11.	गोवा	0.07	000	0.04	0.32
12.	गुजरात	000	5.95	000	0.00
13.	हरियाणा	158	1.07	148	0.52
14.	हिमाचल प्रदेश	0.00	000	000	000
15.	जम्मू सम्भाग	0.61	0.73	000	000
16.	झारखण्ड	085	2.13	200	000
17.	कर्नाटक	095	100	718	000
18.	केरल	0.36	1.59	000	059
19.	लक्ष्यद्वीप	0.06	000	000	000
20.	मध्य प्रदेश	5.70	740	460	000
21.	महाराष्ट्र	108	227	746	0.84
22.	मणिपुर	012	057	000	000
23.	मेघालय	095	013	0.76	0.00
24.	मिजोरम	0.67	000	0.68	0.00
25.	नागालैंड	0.36	045	084	000
26.	उड़ीसा	6.36	4.75	1.54	000
27.	पुडूचेरी	0.01	000	0.10	0.00
28.	पंजाब	136	0.84	1.12	000
29.	राजस्थान	0.75	2.15	12.16	000
30.	सिक्किम	0.27	0.18	000	000
31.	तमिलनाडु	3.60	4.83	099	107
32.	त्रिपुरा	0.25	0.15	043	000

	1	2	3	4	5
33.	उत्तर प्रदेश	2049	4644	31.13	000
34.	उत्तराखंड	0.50	1.26	2.38	000
35.	पश्चिम बंगाल	6.75	5.37	7.00	000
36.	अन्य	140	000	000	000
	कुल योग	75.33	126.78	114.58	3.34

[अनुवाद]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत लाइसेंस की मंजूरी

3468. श्री संजय निरूपम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत बने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा नियुक्ति लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा खाद्य स्थापना केन्द्रों के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इसलिए ऐसी कम्पनियों जिन्हें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत लाइसेंस दिया गया है, का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

धूम्रपान के हानिकारक परिणामों के बारे में जागरूकता

3469. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत धूम्रपान महामारी से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2010 तक एक वर्ष में लगभग एक मिलियन मौतें होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) धूम्रपान के हानिकारक परिणामों के बारे में लोगों में जागरूकता का सृजन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) न्यु जर्नल आफ मेडिसिन, 2008 (358) में प्रकाशित हुए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2010 तक एक वर्ष में धूम्रपान से 1 मिलियन मौतें होने की सम्भावना है।

वर्ष 2003 में बनाए गए 'सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार व वाणिज्य का विनियमन, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, 2003' का उद्देश्य तम्बाकू के उपभोग को निरूत्साहित करना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(i) सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान की मनाही;

(ii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन की मनाही;

(iii) अवयस्कों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की मनाही;

(iv) शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की मनाही; और

(v) सभी तम्बाकू उत्पाद के पैकेटों पर विशिष्टीकृत चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी का अनिवार्य प्रदर्शन।

भारत सरकार ने 27 राज्यों के 42 जिलों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्यापक रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं:–

1. राज्य तम्बाकू नियंत्रण कक्ष और जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बनाकर तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 के कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्य का क्षमता निर्माण:
2. तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्कूल शिक्षकों इत्यादि का प्रशिक्षण;
3. तम्बाकू के दुष्प्रभावों और कानून के अंतर्गत उपबन्धों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन प्रचार के साधन/सूचना शिक्षा व सम्प्रेषण अभियान; और
4. तम्बाकू उत्पाद परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करना।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रथम ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे–भारत (गेट्स) आयोजित कर रहा है। गेट्स का मुख्य उद्देश्य तम्बाकू के इस्तेमाल की राज्यवार व्याप्तता दर को प्रमाणित करना और तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता/जानकारी के स्तरों का पता लगाना है।

सरकार ने तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों (धुंआ और धुंआरहित रूप) के बारे में व्यापक रूप से जन जागरूकता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रानिक और मुद्रण प्रचार साधनों के द्वारा गहन अभियान शुरू किया है।

[हिन्दी]

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए पृथक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य सेवा निगमों की स्थापना

3470. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण होने वाले विभिन्न रोगों के लिए पृथक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, तदनुसार यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे बाढ़ प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संबंधित राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की स्थापना करें।

तथापि, केन्द्र सरकार नियमित रूप से राज्यों/संघ क्षेत्रों को स्वास्थ्य क्षेत्र बाढ़ प्रबंधन (बाढ़ हेतु आकस्मिक योजना) के लिए दिशानिर्देश जारी करती है। इस आकस्मिक योजना के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कैंपों की स्थापना, स्थानिक मारी निगरानी आदि की स्थापना के रूप में प्रशासनिक प्रबंधों के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान किये जाते हैं।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य सेवा की स्थापना

3471. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सभी चिकित्सा संस्थाओं को वितरण हेतु दवाओं तथा अन्य चिकित्सा सहायक सामग्रियों की खरीद के लिए चिकित्या सेवा निगमों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में एक मंत्रीमण्डल नोट तैयार किया गया है। इसे अन्य मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किया गया है ताकि उनसे टिप्पणियां एवं सूचनाएँ प्राप्त हो सकें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क का निर्माण

3472. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नोएडा में बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक पार्क तथा संग्रहालय के निर्माण के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त निर्माण की वैधता की पड़ताल के लिए किसी जांच का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा सैक्टर 95 स्थित उद्यान, जिला गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में नवीनकरण परिरक्षण और सौन्दर्यकरण के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश के एसईआईएए ने नोएडा प्राधिकरण को सूचित किया था कि चूंकि

परियोजना का कुल भू-क्षेत्र 3,34,334 वर्ग मीटर (33.43 हैक्टेयर) है और कवर किया गया गतिविधि क्षेत्र 9,542 वर्ग मीटर है, इसलिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 14.09.2006 की अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं होती है।

(ग) से (ङ) कुछ शिकायतों के प्राप्त होने पर केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, के मुख्य वन संरक्षक, नेतृत्व में एक निरीक्षण दल ने स्थल का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति उत्तर प्रदेश सरकार को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की गई थी कि वे स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर अपेक्षित स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की टिप्पणियों सहित वास्तविक रिपोर्ट भेजें।

बिलों की प्रतिपूर्ति में विलम्ब

3473. श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री के. डी. देशमुख:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि सी.जी.एच.एस औषधालयों को दवाओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता अक्सर हड़ताल पर चले जाते हैं क्योंकि उनको सरकार से समय पर भुगतान नहीं मिलता है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सहित देश में सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को चिकित्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल सरकार से देय भुगतान नहीं पाने के कारण रोगियों की चिकित्सा के लिए अनिच्छुक हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षो के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ङ) अस्पतालों/दवा वितरकों के लम्बित बिलों का शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को कोई कठिनाई न हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) आखिरी बार तिरूवनंतपुरम में 29.10.2007 से 2.11.2007 तक की अवधि के दौरान प्राधिकृत केमिस्टों ने सीजीएचएस द्वारा उनसे इंडेंट की गइ औषधों की आपूर्ति करने से इन्कार किया था। तत्पश्चात स्थानीय प्राधिकृत केमिस्टों द्वारा औषधों की आपूर्ति करने से इन्कार करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विगत तीन वर्ष के दौरान अस्पतालों को किए गए भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	करोड़ रू.
2006-07	349.47
2007-08	438.45
2008-09	498.00

(ङ) वर्तमान प्रणाली निर्विघ्न रूप से कार्य कर रही है।

[अनुवाद]

सी.आई.सी तथा एस.आई.सी. को अनुदेश

3474. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों को व्यक्तिगत आयुक्त के बेंच का गठन किए जाने के बारे में अनुदेश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निदेश सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(ख) की व्याख्या पर आधारित था;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सरकारों को सलाह दी है कि शिकायतों और अपीलों पर निर्णय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 2(ख) अथवा धारा 2(ट) जैसा भी मामला हो, में यथा परिभाषित संबंधित आयोगों द्वारा किया जाना चाहिए और न कि आयोग की बेंचों द्वारा

क्योंकि अधिनियम में बेंचों के गठन के लिए कोई प्रावधान समाहित नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यय नहीं की गई एमपीलैड निधियां

3475. श्री रामसिंह राठवा: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले क्षेत्रों के विकास के लिए आशयित एमपीलैड योजना के अन्तर्गत काफी राशि व्यय नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बसावट वाले क्षेत्रों के विकास के लिए संसद सदस्यों द्वारा कार्यो की अनुशंसा करने का प्रावधान दिशा-निर्देशों में पहली बार तब शामिल किया गया था, जब नवम्बर, 2005 में इनमें संशोधन किया गया था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित इन प्रावधानों को लागू करने का दायित्व जिला प्राधिकारियों का है। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जिला प्राधिकारियों को निदेश भी दिए जाते हैं। मंत्रालय को, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए जिला प्राधिकारियों के पास अव्ययित पड़ी अत्यधिक राशि के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) इस संबंध में एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। नवम्बर 2005 में जारी दिशा-निर्देश अभी भी प्रचलन में है।

अवसंरचना क्षेत्र में निवेश

3476. श्री राजैया सिरिसिल्ला: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अवसंरचना क्षेत्र में वर्ष 2009-10 के दौरान 64,500 करोड़ रुपये का निवेश आकृष्ट हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) 2009-10 में विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रकों के व्यय के ब्यौरे वर्ष के अंत में ही उपलब्ध हो सकेंगे।

नियुक्ति/स्थानान्तरण के लिए जाति पहचान

3477. डॉ. के. एस. राव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति/स्थानान्तरण/तैनाती के लिए उनके जीवन वृत्त में जाति पहचान के क्या कारण है;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान तथा चालू वर्ष में कितने अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया तथा इनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे; और

(ग) प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती/पदभार दिए जाने के लिए चयन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अधिकारियों के हित की रक्षा के लिए क्या तंत्र है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) अधिकारियों को, प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण पदों के लिए उनके आवेदन पत्रों में उनका अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति दर्जा दर्शाने को कहा जाता है, ताकि उनके संबंधित मंत्रालय आदि उनके आवदेन पत्रों को आयोजित करने पर विचार करे और वे मंत्रालय/विभाग आदि भी जिनके अधीन पद भरे जाने हैं, इन श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा पदों को उपयुक्त अनुपात में भरने के प्रयास करें।

(ख) सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि अब कभी भी कोई मंत्रालय आदि अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों को किसी अन्य मंत्रालय आदि में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजने का प्रस्ताव करता है, तो अन्य पात्र कर्मचारियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के पात्र कर्मचारियों पर भी विचार किया जाए। ऐसे मंत्रालय/विभाग, जिनके नियन्त्रण में पद भरे जाने हैं, अन्य पात्र कर्मचारियों पर भी विचार किया जाए। ऐसे मंत्रालय/विभाग, जिनके नियंत्रण में पद भरे जाने हैं; अन्य पात्र कर्मचारियों के

साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे पात्र कर्मचारियों के मामलों पर भी विचार करें और जहां भरे जाने वाले पदों की संख्या सामान्य रूप से पर्याप्त है, वहां नियुक्त मंत्रालय आदि को यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसे पदों को उपयुक्त अनुपात में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा भरा जाता है।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा मितव्ययिता को प्रोत्साहित करने हेतु योजनाएं

3478. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार ने अपने सदस्यों में मितव्ययिता, स्वसहायता तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भण्डार ने सरकार की खरीद नीति के विपरीत स्टोरों को सीधे माल की आपूर्ति करने के लिए वेंडरों को अनुमति दी है;

(घ) क्या केन्द्रीय भण्डार ने अपने सदस्यों के लिए किसी शैक्षणिक पाठ्यक्रम का आयोजन किया है जैसा कि एम.एस.सी.एस. अधिनियम, 2002 की धारा 27 में उपबंध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारी जो सोसायटी के सदस्य भी होते हैं, ने सदस्यों के परस्पर लाभ के लिए एक क्रेडिट एण्ड थ्रिफ्ट सोसायटी का गठन किया गया है। सोसाइटी के उद्देश्य आवश्यक प्रयोजनों के लिए इसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियां के सृजन द्वारा सदस्यों के आर्थिक हित का संवर्द्धन करना; उनके नैतिक, शैक्षणिक एवं शारीरिक सुधारों के संवर्द्धन हेतु विशेष रूप से सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए कार्यकलापों को शुरू करना; तथा सदस्यों में मितव्ययिता, सहायता एवं परस्पर सहायता की भवना और आदत विकसित करने के लिए अभिकल्पित अन्य उपायों को शुरू करना है।

(ग) केन्द्रीय भण्डार, केन्द्रीय भण्डार बोर्ड के अनुमोदन से इसके द्वारा अपनाई गई खरीद नीति का पालन कर रहा है। गोदाम के लिए आवश्यक बड़ी जगह तथा गोदाम से भण्डार गृहों तक परिवहन सुविधा से संबंधित आधारभूत ढाँचे की कमी के कारण कुछ समान पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से भी लिए जाते हैं जो खरीद नीति के अनुसार सीधे भण्डारगृहों में सामानों की आपूर्ति करते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्रीय भण्डार निम्नलिखित क्षेत्रों में शैक्षिक/प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित कर चुका है:

(i) ग्राहकों में परस्पर विचार-विमर्श

(ii) व्यापार कार्य

(iii) सम्प्रेषण कौशल

[हिन्दी]

खाद्य तेल में खतरनाक वसा संघटकों की उपस्थिति

3479. श्री एस. एस. रामासुब्बू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंटर फार साइंस एण्ड एनवायररमेंट (सी. एस. ई.) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार खाद्य तेल में ट्रान्स वसा के सूक्ष्मात्रिक तत्व पाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बाजार में ऐसे उत्पादों की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है आम्र स्वास्थ्य जोखिम पैदा करने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जनवरी 2009 में विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र द्वारा प्रकाशित की गई एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार खाद्य तेल में ट्रान्स वसा का स्तर (30 नमूनों के विश्लेषण के आधार पर) इस प्रकार सूचित किया गया:-

खाद्य तेल (21 नमूने)-0.1-3.3 प्रतिशत
वनस्पति (7 नमूने)-9.4-23.7 प्रतिशत
देशी घी (1 नमूना)-5.3 प्रतिशत
मक्खन (1 नमूना)-3.7 प्रतिशत

(ग) से (ङ) खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण नियम 1955 खाद्य तेलों और वसा में ट्रान्स वसा अम्ल (टी.एफ.एज.) की कोई सीमा निर्धारित नहीं करते हैं। वनस्पति में टी.एफ.एज की सीमा निर्धारण करने के मुद्दे पर भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में विचार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी दिनांक 19.09.2008 (19.03.2009 से प्रभावी) की अधिसूचना सा.का.नि. 684 (ङ) के तहत निम्नलिखित को अनिवार्य बनाया है:–

* यह घोषित करना कि हाइड्रोजनेटिड वनस्पति वसा अथवा बेकरी शॉर्टनिंग युक्त उत्पादों में लेबल पर घोषित करना होगा कि इसमें ट्रान्स वसा अम्ल है।
* कि यदि उत्पाद के लेबल पर यह दावा किया गया हो कि यह उत्पाद ट्रान्स वसा अम्लों से रहित है, तब ट्रान्स वसा अम्लों की मात्रा 0.2 ग्राम प्रति सर्विंग से अधिक नहीं होगी।

[अनुवाद]

जनजातीय संस्कृति के संवर्धन के लिए अनुदान

3480. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से जनजातीय संस्कृति, संग्रहालय तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के संवर्धन के लिए निजी संस्थानों को अनुदान देने की कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) अनुदान की प्रकृति क्या है तथा ऐसे अनुदानों को दिए जाने के मानदण्ड/मानक क्या हैं; और

(घ) देश में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, बचाव तथा संवर्धन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें किस तरीके से समन्वय करती हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नया एंथ्रैक्स टीका

3481. श्री के. जे. एस. पी. रेड्डीः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में एक औषधि निर्माता कम्पनी द्वारा एक नए एंथ्रैक्स टीका विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में नए टीके का विपणन कब तक किए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी, हां। मेसर्स पेनिशिया बायोटेक लिमिटेड, नई दिल्ली ने देशी तरीके से रिकॉंबिनेन्ट आधारित नई एंथ्रेक्स वैक्सीन विकसित की है जो कि भारतीय जनता में नैदानिक मूल्यांकन चरण 2 बी के तहत है।

कैंसर अनुसंधान केन्द्र

3482. श्री जी. एम. सिद्देश्वरः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में कैंसर अनुसंधान केन्द्रों का विकास करने एवं आधुनिकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) इस मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और अनुसंधान कार्यकलाप करने के लिए देश में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की स्थापना करने और उन्नयन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय केंसर केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम केरल
सीएनसीआई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात
किदवई मेमोरियल इंस्टीयूट ऑफ ऑनकोलोजी, बंगलौर, कर्नाटक	एम. एन. जे इन्स्टीयूट आफ आन्कोलोजी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश

आर. सी. आई (डब्ल्यू आईए), अडियार, चैन्नई, तमिलनाडु	पांडिचेरी क्षेत्रीय कैंसर सोसायटी, (जिपमेर पाण्डिचेरी)
क्षेत्रीय कैंसर नियंत्रण सोसायटी, शिमला, हिमालच प्रदेश	टाटा स्मारक अस्पताल, मुम्बई, महाराष्ट्र
कैसंर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार
आई आर सी एच. (एम्स) नई दिल्ली	आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर न्यास एवं अनुसंधान संस्थान, (आरसीसी) बीकानेर, राजस्थान
आर. एस. टी. अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, नागपुर, महाराष्ट्र	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, पं. बी.डी.शर्मा स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,रोहतक हरियाण
पं. जेएनएम मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल (आरसीसी), रायपुर छत्तीसगढ़	सिविल अस्पताल, आइजोल, मिजोरम
स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश
शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, मणिपुर, इम्फाल	कैंसर अस्पताल, त्रिपुरा अगरतला
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध अस्पताल, बक्शी नगर, जम्मू	

स्तनपान

3483. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्तनपान का सन्देश फैलाने के लिए मां के दूध के स्थान पर दिए जाने वाले बाल खाद्य पदार्थो तथा अन्य स्थानापन्नों पर प्रतिबंध लगाने को है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास भारतीय महिलाओं द्वारा स्तनपान नहीं कराए जाने के कारण शिशुओं की मौत का कोई ब्यौरा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार सरकार ने अब तक किसी शिशु खाद्य पदार्थ और अन्य स्थानापन्नों पर कोई रोक नहीं लगाई है। तथापि शिशु दुग्ध स्थानापन्नों, दूध पिलाने की बोतलें और शिशु खाद्य पदार्थो (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 जिसे वर्ष 2003 में संशोधित किया गया स्तनपान को वाण्ज्यिक प्रभावों से बचाता है और इसको बढ़ावा देता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दवाओं का आयात

3484. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जीवन रक्षक दवाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए विदेशों से इनका आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन दवाओं का आयात किया गया;

(ग) आयातित दवाओं का निर्माण किन विनिर्माण कम्पनियों द्वारा किया गया था तथा किन-किन देशों से इनका आयात किया गया; और

(घ) देश में ऐसी जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गरीब रोगियों को मुफ्त चिकित्सा

3485. श्री यंशवत लागुरी:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैसे निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम में गरीब मरीजों की चिकित्सा रियायती दर पर किए जाने का कोई प्रावधान है जिन्हें सरकार द्वारा रियायती दरों पर भूमि का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों/नर्सिंग होम के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें किन शर्तों एवं निबन्धनों के अंतर्गत भूमि का आबंटन किया गया था;

(ग) क्या ये अस्पताल/नर्सिंग होम उन शर्तों तथा निबन्धों का पालन नहीं कर रहे हैं जिनके अन्तर्गत उन्हें भूमि का आबंटन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चूककर्ताओं के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, राज्य में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों के कार्यकरण की निगरानी और विनियमित करना सम्बन्धित राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय की "सामाजिक न्याय बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारी एवं अन्य" नामक रिट याचिका संख्या 2866/2002 के निर्देशों के अनुसरण में उन सभी निजी अस्पतालों को जिन्हें निम्न दरों पर भूमि आबंटित की गई है, 25% आपोडी और 10% आईपीडी तक नि:शुल्क उपचार प्रदान करने की शर्त का अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

सी. पी. सी. बी. को प्राधिकरण का दर्जा

3486. श्री राकेश सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्राधिकरण का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्राधिकरण के अन्तर्गत राज्य प्रदूरूषण नियन्त्रण बोर्ड भी आएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) पर्यावरणीय विधानों के अनुपालन की मानीटरी और प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण तथा पर्यावरणीय नियोजन और प्रबन्धन में सुधार लाने के लिए पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है जो कि अवधारणात्मक चरण पर है। प्राधिकरण को स्थापित करने के लिए समय-सूची और ब्यौरों को औपचारिक रूप दिया जाना अभी बाकी है।

[अनुवाद]

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3487. श्री एल. राजगोपाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी) का कार्यान्वियन राज्य क्षेत्र योजना के रूप में करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार सीसएडीपी के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार कितनी परियोजनाएं शुरू की गयी हैं;

(घ) गत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी राशि का आबंटन किया गया; और

(ङ) कार्यक्रम के परिणामस्वरूप क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जी, हां। कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम को 1600 करोड़ रूपये के परिव्यय से 11वीं पंचवर्षीय योजना के चार वर्षो (2008-09 से 2011-12) के लिए राज्य क्षेत्र स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया है।

(ग) और (घ) आज की स्थिति के अनुसार चल रही कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन परियोजनाओं तथा पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों (आन्ध्र प्रदेश सहित) को जारी की गई केन्द्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्टो के अनुसार इस स्कीम 2008-09 में खेत सम्बन्धी विकास (ओएफडी) कार्यो के तहत शामिल क्षेत्र 429.705 हजार हेक्टेयर है।

विवरण

कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन परियोजनाओं तथा जारी की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम में चल रही परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई निधि (यूनिट लाख रुपये में)			
			2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (जून, 09 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	*0	*0	*0	*0
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	188.129	238.585	250.000	0.000
3.	असम	3	0.000	0.000	594.610	0.000
4.	बिहार	6	0.000	0.000	0.000	1000.000
5.	छत्तीसगढ़	3	1423.203	0.000	0.000	0.000
6.	गोवा	1	0.000	0.000	0.000	0.000
7.	गुजरात	2	0.000	3057.660	0.000	0.000
8.	हरियाणा	3	1998.541	2332.219	4411.190	0.000
9.	हिमाचल प्रदेश	8	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	जम्मू और कश्मीर	14	606.810	777.610	1292.830	0.000
11.	झारखण्ड	2	0.000	0.000	0.000	0.000
12.	कर्नाटक	8	3030.017	5771.293	1500.000	0.000
13.	केरल	4	0.000	0.000	0.000	0.000
14.	मध्य प्रदेश	6	892.224	490.066	0.000	589.670
15.	महाराष्ट्र	10	0.000	622.268	2623.630	0.000
16.	मणिपुर	3	207.038	184.073	554.470	195.530
17.	मेघालय	1	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	मिजोरम	2	15.000	6.428	0.000	0.000
19.	नागालैण्ड	1	15.098	19.431	0.000	0.000
20.	उड़ीसा	13	494.834	1101.905	2976.250	0.000
21.	पंजाब	3	2434.398	3589.235	6091.130	0.000

1	2	3	4	5	6	7
22.	राजस्थान	5	1143.792	1804.383	4630.310	0.000
23.	राजस्थान	2	0.000	0.000	0.000	0.000
24.	तमिलनाडु	7	1607.354	1740.481	0.000	1050.000
25.	त्रिपुरा	1	0.000	0.000	0.000	0.000
26.	उत्तर प्रदेश	13	4537.521	5746.302	7094.760	0.000
27.	उत्तराखंड	4	205.805	0.000	409.920	0.000
28.	पश्चिम बंगाल	4	88.962	232.578	0.000	0.000
	कुल	134	18888.717	27713.517	32429.100	2835.200

*1.4.2009 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के पास 1663.628 लाख रुपये की राशि खर्च की जानी बाकी है इसलिए राज्य को कोई अतिरिक्त निधि नहीं दी जा सकी।

संग्रहलाय के निर्माण के लिए सहायता

3488. श्री एन. चेलुवस्या स्वामी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशेषकर कर्नाटक में नए संग्रहालयों के निर्माण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी योजनाएं हैं तथा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित राज्य सरकारों को राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी राशि जारी की गई;

(ग) क्या गुजरात तथा कर्नाटक सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अपने-अपने राज्यों में नए संग्रहालयों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को कोई कार्य योजना प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) "क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता" नामक एक स्कीम 1992-1993 से सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। उक्त स्कीम वर्ष 2008 में संशोधित की गई तथा इसमें नए संग्रहालय स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल किया गया। अभी तक केवल एक राज्य सरकार अर्थात् राजस्थान ने संशोधित स्कीम के तहत बारों में नया संग्रहालय स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। वर्ष 2008-09 के दौरान उक्त परियोजना हेतु 100 लाख रू. की प्रारम्भिक सहायता राशि मंजूर की गई

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों को धूम्रपान मुक्त बनाना

3489. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वालन्टरि हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश लोग कार्यस्थलों को धूम्रपान मुक्त बनाने के उद्देश्य से बनाए गए नियमों से अनभिज्ञ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक स्थानों और कार्यो स्थलों को धूम्रपान मुक्त जोन बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कार्यस्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) इस मंत्रालय को नियम, 2008 जो कि कार्यस्थलों को धूम्रपान मुक्त बनाने से सम्बन्धित है, पर वॉलन्टरि हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा किए गए किसी सर्वेक्षण के बारे कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ और (ङ) सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 को जीएसआर संख्या 417(ई) दिनांक 30 मई, 2008 के तहत अधिसूचित किया गया है जो 2 अक्टूबर, 2008 को लागू हुए जिनके द्वारा सभी सार्वजनिक स्थलों में कार्यस्थल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि शामिल हैं। उक्त नियम, 2008 के अनुसार अनुसूची-III में उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी, अधिनियम, 2003 की धारा 4 का उल्लंघन कर किए गए अपराधों पर कार्रवाई करने और उनका शमन करने के लिए सक्षम हैं।

[अनुवाद]

नई अमरीकी सरकार में भारत-अमरीका सम्बन्ध

3490. श्री असाद्दीन ओवेसी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका में नई सरकार के आने के बाद अमरीका के साथ अपने सम्बन्धों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका की नई सरकार ने भारत के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाने में उत्सुकता दर्शाई है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यापार, रक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई सरकार से भारत को कितनी सहायता की सम्भावना है;

(ङ) इससे भारत की विदेश नीति पर कितना प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या नीति अपनाई जाने की सम्भावना है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम.कृष्णा): (क) से (घ) भारत और अमरीका की सरकारों ने दोनों देशों के बीच पूर्व के कार्यकलापों के दौरान प्राप्त हुई द्विपक्षीय उपलब्धियों पर निर्मित संबंधों को और ठोस एवं प्रगाढ़ बनाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। राष्ट्रपति ओबामा और उनके प्रशासन ने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ही वर्तमान द्विपक्षीय सहभागिता को जारी रखने की अपनी उत्सुकता और प्रतिबद्धता के साथ-साथ सम्बन्धों को साझे हित के क्षेत्र में सहयोग के उच्चतर स्तर तक ले जाने के लिए नई पहलों के माध्यम से आगे बढ़ाने की अपनी इच्छा से अवगत कराया है। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की 17-21 जुलाई, 2009 तक की भारत यात्रा के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं वाणिज्य, शान्ति और सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत बनाने और जलवायु परिवर्तन, आतंक-रोधी, देशांतरगामी महामरी एवं निरस्त्रीकरण जैसे आम चिन्ता वाले वैश्विक मुद्दों में सहयोग और पहलों के प्रति एक संशोधित द्विपक्षीय वार्ता तंत्र की घोषणा की गई।

(ङ) और (च) भारत की विदेश नीति निरन्तर संयुक्त राज्य अमरीका की तुलना में हमारे राष्ट्रीय हितों से निर्देशित होती रहेगी। यह भारत सरकार के हित में है कि वह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय भागीदारी को परस्पर लाभकारी वैश्विक भागीदारी के स्तर तक मजबूत बनाए।

[हिन्दी]

मेडिकल सीटों में कमी

3491. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एम सी आई) ने महाराष्ट्र सहित देश के मेडिकल कॉलेजों में कुछ सीटों की कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और मेडिकल कॉलेज-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन कॉलेजों, जहां सीटें कम की गई हैं, में सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों पर भास्कर मेडिकल कॉलेज, येंकापल्ली, आन्ध्र प्रदेश और कोनासीमा आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान फाउन्डेशन, अमलापुरम, आन्ध्र प्रदेश की एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 से कम करके 100 कर दी है। कॉलेज प्राधिकारियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों के आधार पर सीटों में कमी की है।

[अनुवाद]

विदेश में कोयला संसाधनों के लिए धनराशि

3492. श्री समीर भुजबल: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त उद्यम के माध्यम से विदेश में कोयला संसाधनों में निवेश के प्रयोजनार्थ धनराशि की निगरानी और विनियम के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना तथा सदस्यता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति की सदस्यता के लिए क्या मानदण्ड/मानक निर्धारित किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी, नहीं। संयुक्त उद्यम के माध्यम से विदेशों में कोयला संसाधनों में निवेश हेतु निधियों की निगरानी करने और विनियमित करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, सरकार ने कोल इण्डिया लि. (सीआईएल)/स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया लि. (सेल)/राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल)/राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) तथा राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एनटीपीसी) के बीच संयुक्त उद्यम के माध्यम से विशेष प्रयोजन व्हीकल के गठन का अनुमोदन कर दिया है जो इन्टरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा. लि. (आईसीवीएल) नामक कम्पनी के रूप में पंजीकृत की गई है। आईसीवीएल का प्रयोजन भागीदार कम्पनियों की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए विदेशों में कोयला संसाधनों में निवेश करना है। एसपीवी को 10,000 करोड़ रूपये की प्राधिकृत पूंजी तथा 3,500 करोड़ रू. प्रारम्भिक प्रदत्त पूंजी रखने का अनुमोदन किया गया है, जिसमें भागीदार कम्पनियों का अंशदान निम्नवत होगा:

सीआईएल	:	1000 करोड़ रू.
एसएआईएल	:	1000 करोड़ रू.
आरआईएन	:	500 करोड़ रु.
एनएमडीसी	:	500 करोड़ रु.
एनटीपीसी	:	500 करोड़ रु.

भागीदार कम्पनियों की शेयरधारिता के आधार पर आईसीवीएल निदेशक बोर्ड का गठन किया गया है तथा इसमे सीआईएल और सेल के दो-दो सदस्य हैं और एनएमडीसी, आरआईएलएल और एनटीपीसी के एक-एक सदस्य है।

आईसीवीएल के प्रस्तावों की तेजी से मंजूरी के लिए सरकार ने सचिवों की समिति का गठन किया है। इस्पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के सचिव उक्त समिति के सदस्य हैं।

राष्ट्रीय पार्कों का समुचयन

3493. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागरहोल नेशनल पार्क का समुचयन करके इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के अंतर्गत इस पार्क में अनेक नए जानवर लाए जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस पार्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए इसमें अन्य परिवर्तन किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) शुरू में, नागरहोल को 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा अन्तिम अधिसूचना जारी करने के द्वारा 2003 में राष्ट्रीय पार्क की स्थिति तक समुन्नयन किया गया। अनेक वर्षो से, शुरू किए गए प्रबन्धन हस्तक्षेपों का परिणाम, पार्क का सम्पूण सुधार रहा, जिसका परिणाम फ्लोर और फाउना की सुरक्षा और संरक्षण रहा। अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रोटोकॉल के प्रयोग द्वारा, 2006 में, क्षेत्र के प्रभावी प्रबन्धन का स्वतन्त्र मूल्यांकन किया गया तथा नागरहोल की "अच्छा" श्रेणी में रखा गया। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क का रख-रखाव, विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुमोदित प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाता है। यह सचमुच एक अन्तरराष्ट्रीय ख्याति का उद्यान है। तथापि, पार्क में नए पशुओं को लाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्राणी उद्यानों में जानवरों की संख्या में कमी

3494. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राणी उद्यानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इन पार्कों में जानवरों की संख्या में तेजी से कमी आने के कारणों का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) "अत्यंत संकटपन्न" और दुर्लभ प्रजाति के जानवरों को बचाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) देश में 196 मान्यता प्राप्त प्राणि उद्यान हैं। मान्यता प्राप्त प्राणि उद्यानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) प्राणि उद्यानों में प्राणियों की संख्या में तेजी से कमी नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण ने भारतीय प्राणि उद्यानों में परिसंकटमय वन्य प्राणि प्रजातियों की योजनात्मक समन्वित संरक्षण ब्रीडिंग के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के अंतर्गत 70 ऐसी प्रजातियां अभिज्ञात की गई हैं। कार्यक्रम के तहत ली गई प्रजातियों की सूची संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण-I

मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची (1896)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थापना का नाम	टाईप का नाम	शहर का नाम
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	बायोलोजिकल पार्क, चिड़ियाटापू	छोटा चिड़ियाघर	पोट ब्लेयर
2.	आन्ध्र प्रदेश	डीयर पार्क-सत्यम् प्रौद्योगिकी केन्द्र	मिनी चिड़ियाघर	रंगा रेड्डी
3.	आन्ध्र प्रदेश	डीयर पार्क, चित्तूर रिजर्व वन	मिनी चिड़ियाघर	चित्तूर (पूर्व) डिवीजन
4.	आन्ध्र प्रदेश	डीयर पार्क, काण्डलेरू	मिनी चिड़ियाघर	कण्डालेरू
5.	आन्ध्र प्रदेश	डीयर पार्क, केसोराम सीमेंट	मिनी चिड़ियाघर	बंसत नगर
6.	आन्ध्र प्रदेश	डीयर पार्क, एनएफसीएल ग्रीन बेल्ट	मिनी चिड़ियाघर	काकीनाड़ा
7.	आन्ध्र प्रदेश	डीयर पार्क, तिरूमाला हिल्स	मिनी चिड़ियाघर	चिंतूर
8.	आन्ध्र प्रदेश	जी.वे.के इण्डस्ट्रीज डीयर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	हैदराबाद
9.	आन्ध्र प्रदेश	हिमायत सागर मिनी चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	रंगा रेड्डी
10.	आन्ध्र प्रदेश	इंदिरा गांधी प्राणि उद्यान	बड़ा चिड़ियाघर	विशाखापट्नम
11.	आन्ध्र प्रदेश	करीमनगर डीयर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	करीम नगर
12.	आन्ध्र प्रदेश	किन्नेरसारी डीयर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	किन्नेरसारी
13.	आन्ध्र प्रदेश	नेहरू प्राधि उद्यान	बड़ा चिड़ियाघर	हैदराबाद
14.	आन्ध्र प्रदेश	पिल्लालमारी डीयर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	पिल्लालमररी काम्पलैक्स, मेहबूब नगर
15.	आन्ध्र प्रदेश	संघी डीयर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	संघी नगर
16.	आन्ध्र प्रदेश	श्री वेंकटेश्वर प्राणि उद्यान	बड़ा चिड़ियाघर	तिरूपति
17.	आन्ध्र प्रदेश	वन विज्ञान केन्द्र, हंटर रोड, हनामकोंडा	मिनी चिड़ियाघर	वरांगल
18.	आन्ध्र प्रदेश	डीयर पार्क, जवाहर झील पर्यटन परिसर	मिनी चिड़ियाघर	शमीरपेट

1	2	3	4	5
19.	आन्ध्र प्रदेश	पशुओं के लिए करूणा समिति और प्रकृति बचाव केन्द्र	बचाव केन्द्र	विशाखापटट्नम
20.	आन्ध्र प्रदेश	पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु विशाखा समिति बचाव केन्द्र	बचाव केन्द्र	पाक्के
21.	अरूणाचल प्रदेश	बीयर पुनरूद्धार और संरक्षण हेतु केन्द्र	बचाव केन्द्र	मिआओ
22.	अरूणाचल प्रदेश	मायओ मिनी चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	मिआओ
23.	अरूणाचल प्रदेश	मिनी चिड़ियाघर, रोईंग	मिनी चिड़ियाघर	रोईंग
24.	अरूणांचल प्रदेश	बायालोजिकल उद्यान, इटानगर	छोटा चिड़ियाघर	इटानगर
25.	असम	असम राज्य चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान	बड़ा चिड़ियाघर	गुवाहाटी
26.	असम	मूनलाइट सर्कस	सर्कस	खेलमाटी
27.	असम	रिहनो सर्कस	सर्कस	लखीमपुर
28.	असम	वन्यजीव पुनरूद्धार और संरक्षण केन्द्र	बचाव केन्द्र	गोलाघाट
29.	असम	बिजनी हिरण पार्क	मिनी चिड़ियाघर	बोंगईगांव
30	बिहार	संजय गांधी बायोलॉजिकल पाक्र	बड़ा चिड़ियाघर	पटना
31.	छत्तीसगढ़	काननपंछारी चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	बिलासपुर
32.	छत्तीसगढ़	मैत्री बाघ चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	भिलाई
33.	छत्तीसगढ़	नंदन वन चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	रायपुर
34.	दादर और नगर हवेली	शेर सफारी-वसेना	मिनी चिड़ियाघर	वसोना
35.	दिल्ली	ए.एन झा हिरण पार्क, हौज खास	मिनी चिड़ियाघर	हौज खास (नई दिल्ली)
36.	दिल्ली	राष्ट्रीय चिड़ियाघर लोजिकल पार्क	बड़ा चिड़ियाघर	उसगौ
37.	गोआ	बोंडला चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	अहमदाबाद
38.	गुजरात	ग्रेट गोल्डन सर्कस	सर्कस	अहमदाबाद
39.	गुजरात	इंड्रोडा प्राकृतिक पार्क	मध्यम चिड़ियाघर	गांधी नगर
40.	गुजरात	कमला नेहरू चिड़ियाघर लॉजिकल पार्क	बड़ा चिड़ियाघर	अहमदाबाद
41.	गुजरात	सक्कर बौग चिड़ियाघर	बड़ा चिड़ियाघर	चिड़ियाघरनागढ़
42.	गुजरात	सत्याजी बाउग	माध्यम चिड़ियाघर	बड़ोदरा
43.	गुजरात	सर पीटर सकॉट नेचर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	जामनगर
44.	गुजरात	सुन्दर वन नेचर डिस्कवरी सेंटर	मिनी चिड़याघर	जोधपुर टेकरा (अहमदाबाद)
45.	गुजरात	डा. श्याम प्रसाद मुखर्जी चिड़ियाघर लॉजिकल उद्यान	छोटा चिड़ियाघर	सूरत

1	2	3	4	5
46.	गुजरात	राजकोट चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	राजकोट
47.	हरियाणा	हिरण पार्क, हिसा	मिनी चिड़ियाघर	हिसार
48.	हरियाणा	हनुमान वाटिका, बचाव केन्द्र	बचाव केन्द्र	गुड़गांव
49.	हरियाणा	मिनी चिड़ियाघर, भिवानी	मिनी चिड़ियाघर	भिवानी
50.	हरियाणा	मिनी चिड़ियाघर, पिपली	मिनी चिड़ियाघर	पिपली
51.	हरियाणा	रोहतक चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	रोहतक
52.	हरियाणा	वन्यजीव बचाव केन्द्र	बचाव केन्द्र	गुड़गांव
53.	हरियाणा	गिद्ध संरक्षण ब्रिडिंग केन्द्र	बचाव केन्द्र	पिंजौर
54.	हरियाणा	हिरण पार्क, मेहम	बचाव केन्द्र	जी.टी.रोड के समीप, मेहम
55.	हिमाचल प्रदेश	धौलाधार नेचर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	गोपालपुर
56.	हिमाचल प्रदेश	बचाव और पुनर्वास घर	बचाव केन्द्र	टुटी केन्डी
57.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन नेचर पार्क	छोटा चिड़ियाघर	कुफरी
58.	हिमाचल प्रदेश	सराहन फेसेन्ट्री	मिनी चिड़ियाघर	सराहन
59.	हिमाचल प्रदेश	रेणुका मिनी चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	सिरमौर
60.	हिमाचल प्रदेश	रेवालसर मिनी चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	मंडी
61.	हिमाचल प्रदेश	नेहरू फेसेन्ट्री	बचाव केन्द्र	मनाली
62.	जम्मू और कश्मीर	कश्मीर चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	श्रीनगर
63.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	राम नगर (जम्मू)
64.	झारखण्ड	भगवान सिरसा बायोलॉजिकल पार्क	मध्यम चिड़ियाघर	रांची
65.	झारखण्ड	बिरसा मृग विहार	मिनी चिड़ियाघर	कालीमाटी
66.	झारखण्ड	जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क	छोटा चिड़ियाघर	बोकारो
67.	झारखण्ड	टाटा स्टील जुलोजिकल पार्क	छोटा चिड़ियाघर	जमशेदपुर
68.	झारखण्ड	मुग्गर ब्रिडिंग सेंटर (मूटा चिड़ियाघर)	मिनी चिड़ियाघर	म्यूटा
69.	कर्नाटक	डियर पार्क, एन.एम.डी.सी. लि.	मिनी चिड़ियाघर	डोनीमलाई
70.	कर्नाटक	कैवारा तपोवन, चिंतामणी ताल्लुक	मिनी चिड़ियाघर	कोलार
71.	कर्नाटक	मिनी चिड़ियाघर ए. एम. गुडी बलवाना	मिनी चिड़ियाघर	चित्रदुर्गा

1	2	3	4	5
72.	कर्नाटक	मिनी चिड़ियाघर गेंडे कट्टे	मिनी चिड़ियाघर	हासन
73.	कर्नाटक	मिनी चिड़ियाघर एवं चिल्ड्रेन पार्क	मिनी चिड़ियाघर	गुलबर्गा
74.	कर्नाटक	नामडाचिलूम डियर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	तुमकूर
75.	कर्नाटक	नेशनल पार्क, बनेघाटा प्राणि उद्यान	लार्ज चिड़ियाघर	बंगलौर
76.	कर्नाटक	श्री चामराजेन्द्र प्राणि उद्यान	लार्ज चिड़ियाघर	मैसूर
77.	कर्नाटक	तुंगभ्रदा डैम मिनी चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	बेल्लारी
78.	कर्नाटक	वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केन्द्र	रिसर्च सेंटर	बंगलौर
79.	कर्नाटक	डॉ. के. शिवराम कारन्थ जिलीकुला जैवीय पार्क	लार्ज चिड़ियाघर	मंगलौर
80.	कर्नाटक	टाइगर एण्ड लॉएन सफारी	स्मॉल चिड़ियाघर	शिमोगा
81.	कर्नाटक	इन्दिरा प्रिय दर्शनी संग्रहालय अनागोडू	मिनी चिड़ियाघर	दावणगेरे ताल्लुक
82.	कर्नाटक	डियर पार्क एट श्री किश्रेत्रा, सोगल सौडाटी	मिनी चिड़ियाघर	बेलगाम
83.	कर्नाटक	कितूर रानी चेन्नमा निसर्ग धामा मिनी चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	बेलगाम
84.	कर्नाटक	पीपल फॉर एनीमल-बचाव केन्द्र	रिसर्च सेंटर	बंगलौर
85.	कर्नाटक	चिल्ड्रन पार्क एण्ड चिड़ियाघर (गादग चिड़ियाघर)	स्मॉल चिड़ियाघर	गडाग
86.	कर्नाटक	बिलेरी चिल्ड्रन पार्क-कॅम-चिड़ियाघर (बिलेरी चिड़ियाघर)	स्मॉल चिड़ियाघर	बेल्लारी
87.	केरल	अमेरी सर्कस	सर्कस	कालीकट
88.	केरल	जेमेनी सर्कस	सर्कस	वरम
89.	केरल	ग्रेट बॉम्बे सर्कस	सर्कस	तिल्लीचेरी
90.	केरल	ग्रेट रेमेन सर्कस	सर्कस	कोचीन
91.	केरल	हिल पेलेस चिड़ियाघर, एरनाकोलम	मिनी चिड़ियाघर	एरनाकोलम
92.	केरल	जमुना सर्कस	सर्कस	रायगढ़
93.	केरल	राज कमल सर्कस	सर्कस	धर्मादम
94.	केरल	स्नेक पार्क, मेलेमपुजा	मिनी चिड़ियाघर	मेलेमपुजा
95.	केरल	स्टेट म्यूजियम एण्ड चिड़ियाघर	मिडियम चिड़ियाघर	थ्रिसुर
96.	केरल	तिरूवन्नतापुरम चिड़ियाघर	लार्ज चिड़ियाघर	तिरूवन्नतपुरम
97.	केरल	जम्बो सर्कस	सर्कस	वरम
98.	केरल	कोडनाडु चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	कोडानाडु
99.	केरल	लॉएन सफारी पार्क एट नय्यर डेम (नय्यार मिनी चिड़ियाघर)	मिनी चिड़ियाघर	तिरूवन्नतपुरम

1	2	3	4	5
100.	केरल	श्री लोक नायक जय प्रकाश नारायन समिति वन डियर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	वलायार
101.	केरल	परासिनिक कडावु रेप्टाइल पार्क	मिनी चिड़ियाघर	कन्नूर
102.	मध्य प्रदेश	गांधी जेलोजिकल पार्क	मिडियम चिड़ियाघर	ग्वालियर
103.	मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणि संग्रहालय चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	इंदौर
104.	मध्य प्रदेश	वन विहार नेशनल पार्क चिड़ियाघर	लार्ज चिड़ियाघर	भोपाल
105.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद म्यूनिसीपैलेटी चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	औरंगाबाद
106.	महाराष्ट्र	लेपर्ड रेसक्यु सेंटर	रिसर्च सेंटर	मनिकडोह
107.	महाराष्ट्र	महाराजा शाहजी छत्रपति चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	कोलापुर
108.	महाराष्ट्र	महाराजबाग चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	नागपुर
109.	महाराष्ट्र	रेम्बो सर्कस	सर्कस	पुणे
110.	महाराष्ट्र	स्नेक पार्क शिक्षण मण्डल	मिनी चिड़ियाघर	कोलापुर
111.	महाराष्ट्र	द ग्रेट रायल सर्कस	सर्कस	नमाडिक
112.	महाराष्ट्र	वीरमाता जीजाबाई भौंसले उद्यान एण्ड चिड़ियाघर	मिडियम चिड़ियाघर	मुम्बई
113.	महाराष्ट्र	राजीव गांधी जुलोजिकल पार्क एण्ड वाईल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर	मिडियम चिड़ियाघर	पुणे
114.	महाराष्ट	निसर्ग कर्वा बहीनाबाई चौधरी प्राणि संग्रहालय	स्मॉल चिड़ियाघर	चिचिंवाड पुणे
115.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	शोलापुर
116.	महाराष्ट्र	एमेटीस ऐनीमल आर्क	रिसर्च सेंटर	वर्धा
117.	महाराष्ट्र	संजय गांधी नेशनल पार्क एण्ड चिड़ियाघर	मिनी चिड़याघर	बोरीवल्ली
118.	मणिपुर	मणिपुर जुलोजिकल गार्डन	मिडियम चिड़ियाघर	इम्फाल
119.	मेघालय	नेहरू पार्क चिड़ियाघर, दनक करगी, तुरा	मिनी चिड़याघर	अखोनगिनी तुरा
120.	मेघालय	लेडी हयाद्री पार्क एनीमल लैंड (मेघालय चिड़ियाघर)	स्मॉल चिड़ियाघर	शिलांग
121.	मिजोरम	डियर पार्क थेजवाल	मिनी चिड़ियाघर	थेजवाल
122.	मिजोरम	ऐजवाल चिड़ियाघर (मिजोरम चिड़ियाघर)	स्मॉल चिड़ियाघर	ऐजवाल
123.	नागालैंड	नागालैंड जुलोजिकल पार्क रंग पहाड़	मिनी चिड़ियाघर	दीमापुर
124.	उड़ीसा	डियर पार्क बरहाम पुर यूनिट	मिनी चिड़ियाघर	बरहामपुर
125.	उड़ीसा	पापाहांडी	मिनी चिड़ियाघर	नवरंगपुर
126.	उड़ीसा	घड़ियाल रिसर्च एण्ड कंजर्वेशन यूनिट	मिनी चिड़ियाघर	टीकरपारा
127.	उड़ीसा	एचएएल डियर पार्क, कोरापुट	मिनी चिड़ियाघर	सुनाबेडा
128.	उड़ीसा	हरशिंकर डियर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	बालनगिरी

1	2	3	4	5
129.	उड़ीसा	कपीलाश चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	धेनकनाल
130.	उड़ीसा	म्यूनिसीपैलेटी डियर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	कटक
131.	उड़ीसा	नंदनकानन बायलॉजिकल पार्क	लार्ज चिड़ियाघर	भुनेश्वर
132.	उड़ीसा	तपतापानी डियर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	परलाखेमुंडी
133.	उड़ीसा	वाइल्ड ऐनीमल्स कंर्जवेशन सेंटर	स्मॉल चिड़ियाघर	मोतीझरा, सम्मबलपुर
134.	उड़ीसा	इंदिरा गांधी पार्क चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	राउलकेला
135.	उड़ीसा	कुनेरिया डियर पार्क, नयागढ़ फॉरेस्ट डि.	मिनी चिड़ियाघर	नयागढ़
136.	पंजाब	डियर पार्क, बीर तालाब	मिनी चिड़ियाघर	भटिंडा
137.	पंजाब	डियर पार्क, निलॉन	मिनी चिड़ियाघर	लुधियाना
138.	पंजाब	लुधियाना चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	लुधियाना
139.	पंजाब	महेन्द्रा चौधरी जुलोजिकल पार्क	लार्ज चिड़ियाघर	छतबीर, चंडीगढ़
140	पंजाब	डियर पार्क, बीर मोती बाग (पटियाला चिड़ियाघर)	स्मॉल चिड़ियाघर	पटियाला
141.	राजस्थान	बीकानेर चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	बीकानेर
142.	राजस्थान	डियर पार्क, श्री गोवर्धन ट्रस्ट	मिनी चिड़ियाघर	उदयपुर
143.	राजस्थान	जयपुर चिड़ियाघर	लार्ज चिड़ियाघर	जयपुर
144.	राजस्थान	जोधपुर चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	जोधपुर
145.	राजस्थान	कोटा चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	कोटा
146.	राजस्थान	पंचवटी डियर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	पिलानी
147.	राजस्थान	सफारी पार्क, हरिदासजी-की-मगरी	मिनी चिड़ियाघर	उदयपुर
148.	राजस्थान	उदयपुर चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	उदयपुर
149.	सिक्किम	हिमालयन जुलोजिकल पार्क,	मिनी चिड़ियाघर	गैंगटॉक
150.	तमिलनाडु	अमीरधी चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	वेलोर
151.	तमिलनाडु	अरिगनार अन्ना जुलोजिकल पार्क	लार्ज चिड़ियाघर	वेंडलुर चेन्नई
152.	तमिलनाडु	चैन्नई स्नेक पार्क ट्रस्ट	मिडियम चिड़ियाघर	गिंडी चैन्नई
153.	तमिलनाडु	चिलड्रन्स कॉरनर	मिडियम चिड़ियाघर	गिंडी चैन्नई
154.	तमिलनाडु	कुरुम्बा पट्टी जुलोजिकल पार्क	मिनी चिड़ियाघर	स्लेम
155.	तमिलनाडु	मद्रास क्रोकोडायल बैंक ट्रस्ट/सेंटर फॉर हरपेटुलोजी	लार्ज चिड़ियाघर	महाबलीपुरम
156.	तमिलनाडु	शिवगंगा गार्डन मिनी चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	तंजावुर

1	2	3	4	5
157.	तमिलनाडु	वीओसी पार्क मिनी चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	कॉयम्बटुर
158.	तमिलनाडु	तिरूचेरा पल्ली चिड़ियाघर, तिरूचेरापल्ली	मिनी चिड़ियाघर	तिरूचेरापल्ली
159.	त्रिपुरा	सेपाहीजाला जुलोजिकल पार्क	लार्ज चिड़ियाघर	सोपाही जाला अगरतला
160.	उत्तर प्रदेश	अपोलो सर्कस	सर्कस	वाराणसी
161.	उत्तर प्रदेश	ग्रेट अपोलो सर्कस	सर्कस	हमीरपुर
162.	उत्तर प्रदेश	कानपुर जुलोजिकल पार्क	लार्ज चिड़ियाघर	कानपुर
163.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ जुलोजिकल पार्क	लार्ज चिड़ियाघर	लखनऊ
164.	उत्तर प्रदेश	नवाबजंग डियर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	उन्नाव
165.	उत्तर प्रदेश	राजमहल सर्कस	सर्कस	हमीरपुर
166.	उत्तर प्रदेश	सारनाथ डियर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	वाराणसी
167.	उत्तर प्रदेश	वन प्राणि उद्यान, आईवीआरआई	मिनी चिड़ियाघर	इजजत नगर, बरेली
168.	उत्तर प्रदेश	विनोद वन मिनी चिड़ियाघर, रामगढ़ (गोरखपुर जुलोजिकल पार्क)	मिनी चिड़ियाघर	गोरखपुर
169.	उत्तर प्रदेश	डियर पार्क, इफको टाउनशिप, अंदा	मिनी चिड़ियाघर	बरेली
170.	उत्तर प्रदेश	आगरा बीयर रेस्क्यू फेसिलिटी	रिसर्च सेंटर	आगरा
171.	उत्तराखण्ड	पंडित गोंविंद बल्लभपंत हाई आल्टिटयूट चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	नैनीताल
172.	उत्तराखण्ड	मलासी डियर पार्क (देहरादून बायोलोजिकल पार्क)	मिनी चिड़ियाघर	देहरादून
173.	उत्तराखण्ड	डियर पार्क, नारायण तिवारी देवल (अल्मोड़ा चिड़ियाघर)	मिनी चिड़याघर	अल्मोड़ा
174.	पश्चिम बंगाल	अदीना डियर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	माल्डा
175.	पश्चिम बंगाल	अजंता सर्कस	सर्कस	कोलकाता
176.	पश्चिम बंगाल	अलीपुर जुलोजिकल गार्डन	लार्ज चिड़ियाघर	कोलकाता
177.	पश्चिम बंगाल	एशियाई सर्कस	सर्कस	कोलकाता
178.	पश्चिम बंगाल	कोलकता स्नेक पार्क	मिडीयम चिड़ियाघर	बाडु कोलकाता
179.	पश्चिम बंगाल	इम्पायर सर्कस	सर्कस	कोलकाता
180.	पश्चिम बंगाल	फेमस सर्कस	सर्कस	कोलकाता
181.	पश्चिम बंगाल	गर चुमुक (उलुघटा) डियर पार्क	मिनी चिड़ियाघर	हाबड़ा
182.	पश्चिम बंगाल	कोहिनूर सर्कस	सर्कस	कोलकाता
183.	पश्चिम बंगाल	कुमारी कंगासबूती डियर पार्क, बोनपाकुरिया	मिनी चिड़ियाघर	बोनपाकुरिया, बांकुरा
184.	पश्चिम बंगाल	मार्बल पैलेस चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	कोलकाता

1	2	3	4	5
185.	पश्चिम बंगाल	नटराज सर्कस	सर्कस	कोलकाता
186.	पश्चिम बंगाल	ऑलम्पिक सर्कस	सर्कस	कोलकाता
187.	पश्चिम बंगाल	पदमजा नायडु हिमालयन जलो. पार्क	स्मॉल चिड़ियाघर	दर्जिंग
188.	पश्चिम बंगाल	पगमार्क्स-पीएफए शांति निकेतन रेस्क्यु सेंटर	रेस्क्यु सेंटर	कोलकाता
189.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल स्नेक पार्क और प्रयोगशाला, बाडु	मिनी चिड़ियाघर	बाडु कोलकाता
190.	पश्चिम बंगाल	वेस्टन सर्कस	सर्कस	ऐलियट
191.	पश्चिम बंगाल	कुंजनगर इको-पार्क	मिनी चिड़ियाघर	जलपाइगुडी
192.	पश्चिम बंगाल	साऊथ खेरबारी लेपर्ड सफारी एण्ड रिहेबिलिटशेन सेंटर	मिनी चिड़ियाघर	मदारीहाट
193.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया मिनी चिड़ियाघर, सुरुलिया	मिनी चिड़ियाघर	पुरुलिया
194.	पश्चिम बंगाल	रामना बागान मिनी चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	बर्दमान
195.	पश्चिम बंगाल	रसिक बील मिनी चिड़ियाघर	मिनी चिड़ियाघर	कूचविहार
196.	पश्चिम बंगाल	झाड़ ग्राम चिड़ियाघर	स्मॉल चिड़ियाघर	झाड़ग्राम

विवरण-II

भारत में पशुओं की बंधक प्रजातियों और भाग लेने वाले चिड़ियाघरों, समन्वयन चिड़ियाघरों का ब्यौरा देते हुए आयोजित समन्वित संरक्षित प्रजनन के लिए ली गई अभिज्ञात संकटापन्न वन्य पशुओं की प्रजातियों की सूची

क्रम संख्या	प्रजातियों के नाम	समन्वयन चिड़ियाघरों का नाम	भाग लेने वाले चिड़ियाघरों के नाम	पशुओं की बंधक प्रजातियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	एशियाई शेर (पन्थेरा लियो)	जूनागढ़	हैदराबाद, भोपाल, नई दिल्ली, राजकोट	80
2.	बंगाल टाइगर (पन्थेरा टिगरिस)	भोपाल	नई दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर, छतबीर, चैन्नई	145
3.	स्नो लियोपार्ड (मन्थेरा अन्सिया)	दार्जिलिंग	लेह, कुफरी, नैनीताल, गंगटोक	18
4.	लाड लियोपार्ड (पन्थेरा नेबुलोसा)	सिपाहीजाला	गुवाहाटी	14
5.	एशियाई चीता (एसिनोई)	चिड़ियाघरनागढ़	--	--
6.	गोल्डन कैट (केटोपुमा टेमिनिका)	गुवहाटी		3
7.	तिब्बतेन वुल्फ (केनिस हिमालयेनसिस)	दार्जिलिंग	गंगाटोक, नैनीताल, कुफरी	21
8.	ग्रे वुल्फ (केनिस लुपुस)	चिड़ियाघरनागढ़		
9.	जंगली कुत्ता क्यूआन अल्यिनस)	विशाखापट्टनम	चैन्नई	30
10.	ब्राउन बीयर (उर्सस अर्कटोस)	कुफरी	लेह	2

1	2	3	4	5
11.	सन बीयर (हेलारकटस मोल्यानुस)	ऐजवल	गुवहाटी	2
12.	रेड पांडा (एलुरस फलजेंस)	दार्जिलिंग	गंगटोक, याचुली	18
13.	बिटरांग (आर्कटिन्टिस बिन्टरांग)	सिपाईजाला	गुवाहाटी, आईजोल	13
14.	स्मूथ कोटिड और (लुत्रोगलेपपिसिलारा)	अहमदाबाद		
15.	मालाबार जियान्ट मिलहरी-(स्तुफा इंडिका)	पिलिकुला	चैन्नई, पुणे	
16.	इंडियन पैंगोलिन (मेनिस ासिकाउडाटा)	भुवनेश्वर	--	8
17.	लायन टैल्ड मंकी (मेकका साइलेन्स)	चैन्नई	मैसूर, त्रिवेन्द्रम	60
18.	पिग टैल्ड मंकी (मेकका नेमेस्त्रिना)	सिपाहीजाला	गुवाहाटी	18
19.	स्टम्प टेल्डमंकी (मकाका रेडिएट)	ऐजवल	गुवाहाटी	51
20.	फाईरिज लीफ मंकी (ट्राचिपिटेकस फाईरी)	सिपाहीजला	--	14
21.	क्रैस इंटिग मंकी (मकाका फैसिकुलेरिस)	चिड़ियाटापू (पोर्ट ब्लेयर)	--	12
22.	नीलगिरि लंगूर (सेम्नोपिथेकसगी)	चेन्नई	मैसूर	27
23.	गोल्डन लंगूर (ट्राचीपिथेकसगी)	गुवाहाटी	गुवाहाटी के समीप द्वीप	14
24.	चेप्ड लंगूर (ट्राचीपिथेकस पिलीटस)	रंगापहाड़	--	6
25.	हुलोक गिब्बन (हुलोक ल्यूकोनिज्स)	ईटानगर	आईजोल, गुवाहाटी सिपाहीजला	11
26.	रिनोसेरोज (रिनोसेरोज यूनीकोरनिस)	गुवाहाटी	पटना, नई दिल्ली, कानपुर	36
27.	इंडियन बिसन (बोस गाउरस)	मैंसूर	चैन्नई, बाँदला	37
28.	वाईल्ड बेफेलो (बुबालस बुबालिस)			
29.	वाईल्स एस (इक्कूस हेमिओनस खूर)	चिड़ियाघरनागढ़	--	11
30.	हिमालयन तहर (हॅमिट्रेगस जेमलाहिकस)	गंगटोक	दार्जिलिंग, कुफरी चोपटा	3
31.	नीलगिरी तहर (नीलगिरिट्रेगस हाइलोकूरयस)	ऊटी	--	1
32.	मारखोर (कैप्रा फेलक्रोनेरी)	पहलगांव	--	-
33.	ब्ल्यू शीष (पिस्युडोईस नायाउर)	गंगटोक	दर्जिलिंग	-
34.	सेरोव (नेमोहेइडस सुमात्राएनिस)	गुवाहाटी	मणिपुर	6
35.	स्वाम्प डीयर (करवस दुबाउसेली)	लखनऊ	जाल्दापाड़ा डब्ल्यूएलएस	115
36.	सम्प डीयर (हार्ड सफॅस-सी. डी. ब्रान्देरी)	बिलासपुर		
37.	थामिन डीयर (करवस एल्डी)	मणिपुर	गुवाहाटी, कोलकाता, नई दिल्ली	177
38.	माउस डीयर (ट्रैगुलस मेमिन्ना)	हैदराबाद	भुवनेश्वर	13
39.	मस्क डीयर (मोस्चुरा क्राई सोगेस्टर)	चोपटा	गुलमार्ग, गंगटोक, कुफरी	11
40.	हँगुल कर्वस्इलाफुस हैंगूल)	शिकारगढ़	--	1
41.	रू (पथोलोप्स होडग सोनी)	लेह	--	2

1	2	3	4	5
42.	चिंकारा (गजेलिया बेनेट्टी)	मेहम	चिड़ियाघरनागढ़, गांधीनगर, छातबीर	
43.	सोसिंगा (टेट्रासेरस क्वाड्रिकोरनिस)	चिडियाघरनागढ़	तिरूपति, रांची	
44.	पिग्मी होग (सुस सल्वानियस)	बसिस्ता	गुवहाटी	112
45.	हेस्पिड हेयर (कैपरोलेगस हिसपिडस)	बसिस्ता	गुवाहाटी	
46.	बड़ी गिलेहरी (रेटुफा इंडिका)	रांची		
47.	गंगेटिक डौल्फिन (प्लाटानिस्का गंगेटिका गंगेटिका)	पटना		
48.	हिमालयन मोनल (लोफोफोरस इम्पेजेनस)	मनाली	दार्जिलिंग, गंगटोक	23
49.	बल्ड फीजेन्ट कुएन्टस (इथगिनिस	गंगटोक	दार्जिलिंग	--
50	चियर फीजेन्ट (कैटुअस वालिची)	चैल	अल्मोड़ा	48
51.	हयूम्स फीजेन्ट (सिरमेटिकस हयूमी हयूमी)	आईजोल	--	4
52.	ग्रे पीकॉल फीजेन्ट (पिलोप्लेकट्रॉन बाईकैलकेरेटम)	गुवाहाटी	कोलाकाता, दार्जिलिंग	60
53.	स्केलेटरस (मिशमी) मोनल (लोफोफोरस स्केलेटरी)	याचुली	--	--
54.	तिब्बतेन इयर्ड फीसेन्ट (क्रोसोपटिलोन हारमनी)	याचुली	--	--
55.	टेम्मिंक ट्रेगोपन (ट्रेगोपन टेम्मिंकी)	याचुली	--	--
56.	ब्लिथ्स ट्रैगोपन (ट्रैगोपन ब्लिथी)	कोहिमा	--	12
57.	वेस्टर्न ट्रैगोपन (ट्रैगापन मिलानोसिफेलस)	सहारल	--	8
58.	स्टाईर ट्रैगोपन (ट्रैगोपन सतिरा)	दार्जिलिंग	गंगटोक	2
59.	ग्रे जंगल फॉब्ल (गेलस सोनेराति)	तिरूपति	चैल, नई दिल्ली, आईजोल	33
60.	रेड जंगल फॉब्ल (गेलस गेलस गेलस)	मोरनी	हैदराबाद	209
61.	मालाबार ग्रे हॉनीबिल (ओकीसेरोज गिस्युअस)	कोडानाडु (केरल)	हैदराबाद	
62.	मालाबार पाईड हॅर्नसिल (एंथाकोसेरोज	कोडानाडु (केरल)	हैदराबाद	
63.	वल्चर्स (व्हाईट बैक्ड वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर, आदि)	पिजौंर	हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, भुवनेश्वर, राजाभटखावा, गुवाहाटी	93
64.	फेल्कॉन्स (ईगल्स, हॉजिस, केस्ट्राल, हरिअर, एसिपिटर आदि)	छतबीर	जयपुर	3
65.	बस्टार्डस (ग्रेट इंडियन बस्टार्डस, लेजेर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, हबारा बस्टर्ड)	--	--	1
66.	निकोबार पिजन (कैलोएनाज निकोबारिका)	चिड़ियाटापू पोर्ट ब्लेयर	अहमदाबाद, कोलकाता	42
67.	किंग कोबरा (आफियोफेगस हन्नाह)	पिलिकुला	बंगलूरू, मामलापुरम	35
68.	वाटर मॉनिटर (वारानस सेल्वेटर)	चिड़ियाटापू पोर्ट ब्लेयर	मामालापुरम	40
69.	पैटेंड रूफ टर्टल (कचुगा कचुगा)	कुरैल	मामालापुरम	2
70.	हिमालयन सालामंदर (टिलेटोट्रीटॉन वेरू कोसम)	दार्जिलिंग	--	9

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

3495. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का चरण I वर्ष 1997 से वर्ष 2005 तक कार्यान्वित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के छत्र के अधीन प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का चरण II भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 से पांच वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में कुल प्रजनन दर, नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात में कमी करना है।

इस कार्यक्रम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों को आवश्यकता आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों को आवश्यकता आधारित कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) तैयार करने की छूट प्रदान की जाती है। राज्य स्वामित्व, आंतरिक और अंत: क्षेत्रीय समाभिरूपता, विकेंद्रीकरण, संभारतंत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन कार्य का ढांचा, अभिनव नीतियों का प्रयोग और निजी तथा गैर सरकारी संगठन क्षेत्र की भागीदारी में बढ़ोत्तरी करना इस कार्यक्रम के मुख्य घटक है। इस कार्यक्रम ने परिवार कल्याण क्षेत्र में एक क्षेत्र व्यापी नीति अपनाई है।

(ग) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए आर सी एच-2 फ्लेक्सिबल पूल के अन्तर्गत आबंटन निर्युक्ति और व्यय

		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
क्र.सं.	राज्य	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.61	0.42	0.47	0.59	0.66	0.25	0.88	
2.	आंध्र प्रदेश	113.25	108.12	141.34	132.70	144.08	146.74	187.22	
3.	अरुणाचल प्रदेश	4.48	7.50	11.17	11.29	7.63	14.62	12.92	
4.	असम	113.26	66.11	159.09	91.08	194.09	153.19	314.78	
5.	बिहार	160.91	19.79	49.75	179.84	201.84	227.56	266.36	
6.	चंडीगढ़	1.26	0.30	0.93	0.44	1.66	1.44	2.23	
7.	छत्तीसगढ़	40.62	35.19	35.76	64.17	48.58	36.68	77.12	
8.	दादरा और नगर हवेली	0.58	0.25	0.34	0.35	0.46	0.54	0.55	
9.	दमन और दीव	0.56	0.21	0.25	0.19	0.36	0.28	0.39	
10.	दिल्ली	20.63	4.87	14.08	14.14	26.84	16.73	34.07	
11.	गोवा	1.91	0.52	1.43	0.29	1.93	1.03	3.32	
12.	गुजरात	75.73	51.64	61.10	46.22	99.67	117.19	125.09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	हरियाणा	31.36	20.71	29.82	21.05	40.72	32.14	52.12	
14.	हिमाचल प्रदेश	9.34	2.76	10.18	6.13	11.46	7.24	22.54	
15.	जम्मू और कश्मीर	15.05	5.20	12.22	11.11	19.19	12.57	37.34	
16.	झारखण्ड	52.53	12.95	44.33	20.81	63.46	162.28	99.79	
17.	कर्नाटक	78.87	41.21	64.25	72.52	97.69	110.52	130.37	
18.	केरल	47.59	13.84	57.17	45.19	60.86	89.45	78.71	
19.	लक्षद्वीप	0.53	0.17	0.16	0.19	0.14	0.73	0.15	
20.	मध्य प्रदेश	117.11	109.04	264.25	327.93	147.79	344.87	194.07	
21.	महाराष्ट्र	144.53	40.53	62.92	98.53	183.51	176.35	239.19	
22.	मणिपुर	10.06	4.62	13.64	7.40	17.35	8.72	28.16	
23.	मेघालय	10.02	3.58	12.97	4.07	16.46	5.05	27.23	
24.	मिजोरम	3.90	8.43	6.86	6.57	5.53	8.69	10.62	
25.	नागालैण्ड	8.39	5.06	11.28	4.16	14.36	12.02	23.54	
26.	उड़ीसा	71.36	37.23	106.25	95.18	87.76	119.74	117.97	
27.	पुडूचेरी	1.30	1.10	1.26	1.31	1.87	1.65	2.41	
28.	पंजाब	36.30	11.17	29.38	19.22	46.33	42.37	60.05	
29.	राजस्थान	109.57	82.25	157.07	186.00	135.62	279.00	181.50	
30.	राजस्थान	2.24	1.61	3.11	2.47	3.66	3.50	6.46	
31.	तमिलनाडु	92.61	62.42	78.46	74.23	116.80	90.97	153.55	
32.	त्रिपुरा	13.42	4.36	17.93	5.22	23.66	9.67	37.85	
33.	उत्तर प्रदेश	322.43	87.12	155.80	240.91	394.43	458.26	533.68	
34.	उत्तराखंड	16.31	6.52	14.10	14.58	18.53	39.47	31.45	
35.	पश्चिम बंगाल	119.60	28.39	117.88	73.14	147.01	91.44	198.32	
	अन्य	0.00	0.00		0.00	3.00	0.00	3.00	
	महा योग	1848.22	885.20	1747.00	1879.22	2384.99	2822.95	3295.00	0.00

नोटः मंत्रालय में वर्ष 2009-10 के आबंटन के मुकाबले व्यय के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

नोटः व्यय में पिछले वर्षों के अण्ययित बकाया शामिल है।

[हिन्दी]

बच्चों का बोरवेलों में गिरना

3496. श्री मिथिलेश कुमारः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बच्चों के बोरेवलों में गिरने की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और केरल राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार बच्चों के बोरेवालों में गिरने की 10 घटनाओं की रिपोर्ट है।

(ख) आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने सभी संबंधित अभिकरणों को सुरक्षा उपायों, जैसे परित्यक्त कुओं को भरकर बंद करना तथा उन्हें ढकने के प्रावधान के लिए भी अनुदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

ग्यारहवीं और बारहवीं योजनाओं के दौरान कोयले का उत्पादन

3497. श्री अर्जुन चरण सेठीः क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक कोयले का अनुमानित उत्पादन कितना है; और

(ख) इन योजनाओं के अंत तक कुल कोयला उत्पादन में उड़ीसा सहित प्रत्येक राज्य का योगदान कितना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्थापित कार्यदल द्वारा लगाए गए उत्पादन अनुमान के अनुसार 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षो में कुल कोयला उत्पादन क्रमशः 680 मि. टन और 1055 मि. टन होगा।

(ख) इस योजना अवधियों के अन्त तक सीआईएल और एससीसीएल के कुल कोयला उत्पादन में उड़ीसा सहित प्रत्येक का अंशदान निम्नवत हैः

(मि. टन. में)

राज्य	अनुमानित कोयला उत्पादन	
	2011-12	2016-17
पश्चिम बंगाल	23.62	25.94
झारखण्ड	130.38	172.06
उड़ीसा	137.00	197.00
उत्तर प्रदेश	17.00	12.00
मध्य प्रदेश	71.22	86.28
छत्तीसगढ़	99.29	128.00
महाराष्ट्र	38.49	39.22
असम	3.50	3.50
जोड़ सीआईएल	520.50	664.00
आंध्र प्रदेश (एससीसीएल)	40.80	45.00
जोड़	561.30	709.00

औषधि लाइसेंस के अंतर्गत विटामिन 'सी' की बिक्री

3498. श्री उदय सिंहः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विटामिन 'सी' की बड़ी मात्रा को औषधि के रूप में स्वीकृति नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी औषधि की बिक्री को देश में व्यापारियों को जारी किए गए औषधि लाइसेंस के अंतर्गत विनियमित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जी नहीं, औषध होने के कारण देश में विटामिन सी का आयात प्रविष्टियों के विभिन्न पत्तनों में स्थित केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन कार्यालयों के द्वारा आयात

अनुज्ञप्तियों या पशुचारा कोटि के उत्पादों के मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर सीमा शुल्क विभाग के जरिए किया जाता है।

सिंहों की घटती संख्या

3499. श्री प्रभातसिंह पी. चौहानः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सिंहों की संख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो संगणनाओं और चालू संगणना के दौरान गिर सिंहों सहित सिंहो की संख्या का राजयवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में सिंहों का बयान के लिए कोई सिंह परियोजना शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना की शुरूआत से इस पर खर्च की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी नहीं। देश में सिहों की आबादी कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। गुजरात के गिर वनों में सिंह पाए जाते हैं। वर्ष 2001 और 2005 के दौरान किए गए आकलन के अनुसार गिर वनों में सिंहों की आबादी क्रमशः 327 और 351+ 10 रही है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा सिंहों के संबंध में कोई भी समर्पित परियोजना शुरू नहीं की गई है तथापि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" (राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता की पूर्व स्कीम) के अन्तर्गत सिंहों और इसके पर्यावासों के संरक्षण के लिए लक्षित विभिन्न कार्यो को करने के लिए मंत्रालय, गुजरात राज्य सरकार को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। गुजरात के सुरक्षित क्षेत्रों को, जो सिंहों की आश्रय देते हैं, पिछले तीन वर्षो के दौरान स्कीम के अन्तर्गत जारी धन राशि की ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(लाख रूपये में)

अभयारण्यों का नाम	वर्ष		
	2006-07	2007-08	2008-09
गिर अभयारण्य	37.40	40.00	32.00
मिथियाला अभयारण्य	15.68	8.00	2.70
पानिया अभयारण्य	7.70	12.00	4.94

[हिन्दी]

दामोदर नदी के नीचे कोयला भण्डार का खनन

3500. श्री गणेश सिंहः क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दामोदर नदी के नीचे कोयला भण्डारों के अन्वेषण के लिए ऊर्जा मंत्रालय तथा कोयला विभाग की कोई संयुक्त समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ)कोयला भण्डारों का खनन कब तक शुरू होने की सम्भावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) भारत सरकार ने दामोदर नदी तथा बोकारों एव कारगली क्षेत्र रेलवे लाइन के नीचे अवरूद्ध मध्यम कोकिंग कोयले के विभिन्न विकल्पों के विनिंग का अध्ययन करने की दृष्टि से प्रारम्भिक स्वरूप की तकनीकी-आर्थिक जांच करने के लिए 1975 में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी।

(ख) इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत थे:

(i) दामोदर नदी को परिवर्तित करने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन ताकि नदी तल के नीचे पड़े कोकिंग कोयला भण्डारों का निष्कर्षण किया जा सके।

(ii) नदी तल के नीचे कोयले के निष्कर्षण के लिए तरीकों, यदि कोई हों, की तुलना में ऐसे परिवर्तन की आर्थिकियों का अध्ययन।

(iii) रेलवे लाइन के नीचे अवरूद्ध कोयले के निष्कर्षण हेतु नदी के डायवर्जन अथवा उसके बिना रेलवे लाइन के डायवर्जन के लिए योजनाएं तैयार करना।

(iv) उपर्युक्त प्रस्ताव में शामिल लागत का अनुमान लगाना।

इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की:

(i) बोकारों तथा कारगली क्षेत्रों में रेलवे लाइन तथा दामोदर नदी के नीचे अवरूद्ध मध्यम कोकिंग कोयले को रिलीज करने हेतु उनके द्वारा बताए गए मार्गो के साथ रेलवे लाइन तथा दामोदर नदी को डायवर्ट किया जाए।

(ii) सरकार इस मामले में शीघ्र निर्णय ले और अन्तिम रूप से बताए गए मार्गो के साथ-साथ डायवर्जन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ अभिकरण को भेजे।

(iii) डायवर्जन का कार्य इस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि यह बोकारो, कारगली एवं छलकारी खानों के मौजूदा जीवनकाल की समाप्ति से पहले पूरा हो जाए जिसका अनुमान 8 वर्ष लगाया गया है। तदनुसार रेलवे लाइन के डायवर्जन का कार्य पहले किया जाए और जैसे ही दामोदर नदी के डायवर्जन का विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होता है, इस कार्य को अतिशीघ्र निष्पादित किया जाए।

(ग) रेलवे लाइन के डावर्जन अर्थात फुसरों-जारंगडीह रेल डायवर्जन (पीजेआरडी) की परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा 1982 में स्वीकृत की गई थी। भारत सरकार ने 1983 में दामोदर नदी के डायवर्जन (डीआरडी) हेतु अग्रिम कार्रवाई के प्रस्ताव (एएपी) को अनुमोदन कर दिया था।

(घ) दामोदर नदी डायवर्जन (डीआरडी) हेतु प्रारम्भिक पूंजी निवेश 2.0 करोड रु. था जिसे 1993 में संशोधित कर 5.60 करोड़ रु. किया गया था। 1.4.2009 तक परियोजना पर 9.75 करोड़ रु. व्यय हुआ है।

सीएमपीडीआईएल ने अपनी प्रारूप परियोजना रिपोर्ट (मार्च, 2009) में कोयला खनन परियोजना पर 2100 करोड़ रु. के पूंजी व्यय का उल्लेख किया है। डीआरडी तथा पीजेआरडी पर व्यय का अद्यतनकृत आकलन दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) तथा राइट्स लि. से अभी प्राप्त होना है।

(ङ) चूंकि सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रारूप रिपोर्ट जांच के प्रारम्भिक स्तरों पर है, इस स्तर पर कोयले का खनन कब तक शुरू होगा, इसके बारे में समय बताना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

अन्य वर्ग पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटे का क्रियान्वयन

3501. श्री टी.आर.बालू: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गो के लिए पदों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) सभी मंत्रालयों/विभागों को अन्य पिछड़े वर्गो के लिए लक्षित आरक्षित रिक्तियों को निर्धारित कोटा के अनुसार भरे जाने को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए है। अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों तथा अनुदेशें का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों तथा विभागध्यक्षों के नियंत्रण के अधीन कार्यालयों में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए है। इन अनुदेशों का उल्लघंन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज संबंधी एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन

3502. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2009 में 60वां इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज के साथ इसका पांचवां एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन का विषय क्या है तथा इसमें कितने देशों में भाग लेने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग (आईसीआईडी), जल संसाधन मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से 6-11 दिसम्बर 2009 के दौरान पांचवें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन (एआरसी) ओर अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी) की 60वीं बैठक का आयोजन कर रहा है। एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन (एआरसी) का विषय "तकनीकी उन्यन एवं उत्तम प्रचालन और अनुरक्षण करके सिंचाई परियोजनाओं की दक्षता में सुधार करना है। सम्मेलन के उप विषय (क) सार्वजनिक/राज्य प्रचलित सिंचाई

प्रणाली तथा सेवाओं का आधुनिकीकरण (ख) सिंचाई विकास एवं प्रबंधन में सार्वजनिक/जिनी सहभागिता (ग) कृषि संबंधी जल निकासी में एकीकृत दृष्टिकोण (घ) आधुनिक सिंचाई प्रबंधन की क्षमता का विकास (ङ) जल संसाधनों की उपलब्धता और फसल उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव (च) जल संसाधनों की हिस्सेदारी संबंधी कानूनी पहलू है। समापन दिवस में भूमि जल पुनर्भरण संबंधी का विशेष सत्र आयोजित करने की भी योजना है। आईसीआईडी ने सूचित किया है कि लगभग 60 देशों के शिष्ट मण्डलों द्वारा इसमें हिस्सा लेने की संभावना है।

नवजात शिशुओं की मौत संबंधी यूनीसेफ की रिपोर्ट

3503. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनीसेफ की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में विश्व में बच्चों की मौत के मामले में भारत को पहले स्थान पर रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं, यूनिसेफ की रिपोर्ट "स्टेट ऑफ वर्ल्डस चिल्ड्रन, 2009" के अनुसार, पांच वर्षो से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर के संदर्भ में भारत को अवरोही क्रम में 49वें रैंक पर रखा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदण्ड

3504. श्री जोस के. मणि: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) के चिकित्सा सहायता देने संबंधी मानदण्डों को देश में सरकारी/निजी अस्पतालों द्वारा अपनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के उक्त मानदण्डों क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के सहयोग से काम करता है। यह जनता की आम स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन हेतु दिशा निर्देशों का समय-समय पर स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ आदान-प्रदान करता है। इन दिशा-निर्देशों को देश में समुचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के राष्ट्री स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत हमारी जरूरतों/स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर शामिल किए जाने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बाद में पर्याप्त रूप से अनुकूल बनाया जाता है।

चिकनगुनिया का टीका

3505. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकनगुनिया की बीमारी को फैलने से रोकने के लिए देश में इसके टीके का आविष्कार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी नहीं। अब तक चिकनगुनिया के लिए किसी टीके का आविष्कार नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा निष्क्रिय टीका विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। टीका अभी जन स्वास्थ्य के उपयोगार्थ तैयार नहीं है।

अनुवांशिक रूप से संवर्द्धित फसल

3506. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुवांशिक रूप से संवर्द्धित उत्पादों संबंधी जैव सुरक्षा हेतु कोई विनियामक तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीएम अनाजों और सब्जियों को निर्बाध रूप से जारी किए जाने के परिणामस्वरूप पर्यावरण और जनता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उच्चतम न्यायालय ने जी एम फसलों के परीक्षण, खेती और परीक्षणों के नतीजों को सार्वजनिक करने के बारे में कोई निर्देश दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत रूल्स ऑफ द मैन्यफैक्चर, यूज, इम्पोर्ट एण्ड स्टोरेज आफ हेजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म/जेनेटिकली इजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स, 1989 बनाए है और इन्हें जारी किया है। इन नियमों में अनुसंधान के क्षेत्र तथा जीएमओ के विनिर्माण उपयोग, आयात, निर्यात, भण्डारण और उनके बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों तथा पूरे देश में उन से बने उत्पादों संबंधी कार्यकलापों को शामिल किया गया है। अनुवांशिक रूप से मोडीफाइड उत्पादों के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य सुरक्षा पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए जैव सुरक्षा दिशानिर्देशों से इन नियमों को सहायता मिली है। दिशानिर्देश और प्रोटोकाल नियमित रूप से अद्यतन किए जा रहे हैं और 'द ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनामिक को-आपरेशन एण्ड डेवलपमेंट', कोडेक्स एलीमेंटरियस कमीशन एण्ड इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार हैं।

(ग) देश में अविनियमित अनाज और सब्जियों को रिलीज करने के संबंध में मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कठोर मानक जैसे कि (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सिफारिश किए गए मिनिमम इण्डिया सीड सर्टीफिकेशन स्टैडर्ड्स के अनुसार फसल विशेष पृथक्करण दूरी तथा जैविक और वास्तविक अवरोधों को रखना (ii) फील्ड ट्रायल शुरू करने से पहले 0.01 प्रतिशत लेवल आफ डिटेक्शन पर मिलावट के स्तर की जांच करने के लिए एक वेलीडेटिउ इवेंट विशिष्ट प्रोटोकाल प्रस्तुत करना, और (iii) फील्डट्रायल्स के लिए जिम्मेदार एक लीड साइंटिस्ट पद नामित करने के अनुपालन के अधीन जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति दी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के माननीय उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि बीटी कॉटन और बीटी बैंगन के जैव सुरक्षा आंकड़े पब्लिक स्कूटनी के लिए वेबसाइड www.envfor.nic.in और www.dbtbiosafety.nic.in पर उपलब्ध हैं। आगे यह प्रतिबद्धता है कि अध्ययन पूरा हो जाने के बाद अन्य फसलों का जैव सुरक्षा आंकड़ा भी बेवसाइटों पर डाल दिया जाएगा।

(ज) भारत सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करेगी।

[हिन्दी]

जाली पासपोर्ट

3507. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जाली पासपोर्टो की अनेक घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) जी हां।

(ख) वर्ष-वार सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) पासपोर्टो की धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्थापित तंत्र में निम्नलिखित शामिल है:

(i) पासपोर्ट पुस्तिकाओं में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय शुरू करना;

(ii) पासपोर्ट पुस्तिकाओं में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय शुरू करना;

(iii) नेट पर पासपोर्ट सूचना सुविधा सेवा (पीआईएसओएन) शुरू करना, जो कि भारत में प्रवेश एवं प्रस्थान स्थलों पर आप्रवासन अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है:

(iv) पारगमन में खाली पासपोर्ट पुस्तिकाओं की चोरी रोकने के लिए इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस (आईएसपी), नासिक से प्रकाशित सभी पासपोर्टो की खेप को संवेदनशील

सामग्री के रूप में अधिनामित किया जाता है तथा डाक विभाग प्राप्तकर्ता को उनकी प्राप्ति होने तक अधिकाधिक सतर्कता सुनिश्चित करता है।

(v) पासपोर्टों के अदान-प्रदान के लिए एक जांच व अनुवीक्षण प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें निर्धारित अवधि में खेप प्राप्त न होने पर स्वचालित सचेतक व्यवस्था शामिल है।

(vi) पासपोर्ट सेवा परियोजना के अंतर्गत पासपोर्ट जारी होने तक इंडिया सिक्युरिटी प्रेस (आईएसपी) से एकीकृत पासपोर्ट आदान प्रदान जांच प्रणाली शुरू की जाएगी।

[अनुवाद]

विदेश में बसे भारतीयों की विशेषज्ञता का उपयोग

3508. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विकास के लिए विदेश में बसे भारतीयों की विशेषता का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां।

(ख) मंत्रालय ने ग्लोबल इण्डियन नेटवर्क ऑफ नॉलेज (ग्लोबल इंक) नामक एक डायस्पोर ज्ञान नेटवर्क विकसित करने की एक नई पहल की है। यह एक ज्ञान बैंक के रूप में कार्य करेगा। ग्लोबल इंक एक इलैक्ट्रानिक मंच है जो विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय मूल के लोगों, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में न केवल अपने निवास के देश में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है, को भारतीय मूल के लोगों, जिन्हें भारत में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर ज्ञान परियोक्ताओं के साथ जोड़ेगा। यह नेटवर्क एक महत्वपूर्ण नीतिगत चिन्तन सागर के रूप में कार्य करेगा। लक्षित निष्कर्ष विकास पर विचारों को एकत्र करना, विकास के सम्मुख चुनौतियों का सामना करने के प्रमुख तत्वों का पता लगाना और अभिनव तथा तकनीकी हस्तक्षेपों की मार्फत समाधानों का पता लगाना और रूपरेखा तैयार करना होगा।

(ग) ग्लोबल इंक पोर्टल इस समय विकसित किया जा रहा है। यह एक ज्ञान हस्तांतरण मंच के रूप में कार्य करेगा और यह भारत के विकास प्रयास में प्रवासी भारतीयों के ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशलों की सरणी विकसित करेगा।

[हिन्दी]

रोपवे निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

3509. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरात्त्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से ग्वालियर शहर से ग्वालियर किले तक एक रोपवे के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) जी, नहीं। यह प्रस्ताव इस बात की जांच करने के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति को भेजा गया है कि क्या प्रस्तावित रोपवे किसी भी तरह से भूदृश्य को बिगाड़ तो न देगा तथा ऐतिहासिक इमारतों में अनुचित हस्तक्षेप का कारण तो नहीं बनेगा। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस मामले पर उपयुक्त निर्णय लेगा।

प्रमुख नदियों/जलाशयों के स्तर में निरन्तर कमी

3510. श्री अनन्त कुमार हेगड़े:
श्री उदय सिंह:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष में देश के प्रमुख नदी बेसिनों के जल स्तर में निरन्तर कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रमुख नदी बेसिनों तथा जलाशयों में पानी की पर्यापत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान तथा चालू वर्ष में सृजित जल भंडारण क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या युक्तिसंगत जल वितरण हेतु भूमिगत जलाशयों के निर्माण की सरकार की योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जलाशयों में मुख्य नदियों तथा भण्डारणों के जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से निरंतर कमी के बारे में कोई उल्लेखनीय प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जल भण्डारण क्षमता के सृजन की विभिन्न परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाती हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की गई सूचना के आधार पर, समय-समय पर जलाशयों की कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता का आकलन किया जाता है। वर्ष 2004 तक कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता लगभग 213 बिलियन धन मीटर (बीसीएम) आंकी गई थी जो कि 2007 में बढ़कर 225 बीसीएम हो गई है।

(ङ) और (च) सरकार वर्षा जल संचयन और जलभृत्तों के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देती है जोकि भूमिगत जलाशय के रूप में कार्य करता है। XI वीं योजना के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 1978.71 करोड़ रुपये की अनुमनित लागत से "डगवेलों के द्वारा भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण" नामक स्कीम शुरू की गई है।

अवैध भ्रूण हत्या

3511. श्री महेश जोशी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के नर्सिंग होम्स में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बालक शिशु तथा कन्या शिशु भ्रूण हत्या की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से रिकार्ड के गैर-अनुरक्षण के 152 मामलों, भ्रूण के लिंग के बारे में बताने के 125 मामलों और प्रसव/गर्भधारण पूर्व नैदानिक सुविधाओं के बारे में विज्ञापन के 37 मामलों की सूचना मिली है। सूचित किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपायों में अधिनियम के उल्लंघन का पता लगाने और छापे मारने के लिए एक राष्ट्रीय निरीक्षण एवं अनुवीक्षण समिति का गठन, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के जरिए अनुवीक्षण, विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण तंत्रों के जरिए इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा करना, न्यायपालिका और जल अभियोजकों सहित स्टेकहोल्डरों को सुग्राही बनाना, कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करना, सहायक नर्स धात्री और प्रत्याशित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के जरिए सामुदायिक जागरूकता प्रदान करना तथा क्लिनिकों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा और ऑनलाइन फार्म-एफ भरने के सुविधा प्रदान करना शामिल है।

खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान

3512. श्री रमेश बैस:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान आतंकवादी गुटों से संबंधित खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत को क्या लाभ होने की सम्भावना है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) और (ख) प्रधानमंत्री ने 16.7.2009 को शर्म-अल-शेख में नाम शिखर सम्मेलन के दौरान अलग से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच सहमति हुई कि दोनों देश किसी भावी आतंकी खतरे के संबंध में वास्तविक समय, विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।

(ग) यदि पाकिस्तान से वास्तविक-सम, विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य सूचना प्राप्त होती है तो यह आतंकी खतरों का मुकाबला करने में उपयोगी हो सकेगा।

भारत-नेपाल संधि, 1950

3513. योगी आदित्यनाथ: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1950 में भारत और नेपाल द्वारा हस्ताक्षरित 'शान्ति एवं मित्रता संधि' की समीक्षा हेतु नेपाल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संधि में संशोधन से दोनों देशों के संबंधों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम.कृष्णा): (क) से (घ) सितम्बर 2008 में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहाल "प्रचंड" की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की विशिष्ट विशेषताओं को पूरी तरह स्वीकारते हुए दोनों पक्षों के बीच 1950 की शांति और मित्रता संधि तथा अन्य करारों की समीक्षा, समायोजन और उन्हें अद्यतन बनाने पर सहमति हुई। यह सहमति हुई थी कि इस प्रयोजन के लिए विदेश सचिवों के स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। इस मामले पर आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

[अनुवाद]

भारतीय अवसंरचना पर फिक्की-डेलोहट

3514. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिक्की-डेलोहट ने देश के अवसंरचना क्षेत्र के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा इसमें किन-किन खमियों की ओर इंगित किया गया है तथा अध्ययन में उनके समाधान हेतु क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय आरम्भ किए गए हैं अथवा आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी हां।

(ख) फिक्की-डेलोहट ने देश के अवसंरचना क्षेत्रक पर एक अध्ययन किया है। अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ था कि देश के प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रक अत्यधिक सघन (कन्जस्टिड) है। चूंकि, भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र दर पर वृद्धि हो रही है, यह सघनता (कंजेशन) अर्थव्यवस्था के विकास और सक्षमता को बाधित कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया गया था कि अवसंरचना क्षेत्रक में निवेशक का विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ग) निम्नलिखित के लिए एक अवसंरचना संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का गठन किया गया है:

(i) 150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले, विशेष रूप से, ऊर्जा, रेलवे, सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, सिंचाई, ग्रामीण आवास और शहरी स्लमों की सफाई पर विशेष बल सहित शहरी विकास से संबंधित सभी अवसंरचना से संबद्ध प्रस्तावों पर विचार करना और उनके संबंध में निर्णय लेना;

(ii) विशिष्ट परियोजनाओं में निजी क्षेत्रक निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए अपेक्षित अनुमोदन दिए जाने सहित अवसंरचना क्षेत्रक में निवेश बढ़ाने के लिए अपेक्षित उपायों अर्थात् राजकोषीय, वित्तीय, संस्थागत और विधिक उपायों पर विचार करना और निर्णय लेना।

(iii) सभी अवसंरचनात्मक क्षेत्रकों के लिए निष्पादन के वार्षिक पैरामीटर और लक्ष्य निर्धारित करना।

(iv) अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।

आर्थिक लाभ की दृष्टि से न्यायसंगत होते हुए भी वित्तीय लाभ के मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली प्रतिस्पर्धात्मक बोली परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2006 में एक व्यवहार्यता अंतराल निधियन स्कीम अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना पूंजी लागतों का 20% तक उपलब्ध कराया जा सकता है।

तमिलनाडु में बांधों का सुधार

3515. श्री के. सुगुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से विश्व बैंक द्वार वित्तपोषित की जाने वाली बांध पुनर्स्थापना एवं सुधार परियोजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव में कौन-कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार से विश्व बैंक के वित्त पोषक के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली बांध पुनर्स्थापन एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) में शामिल करने के लिए 675 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में राज्य के 104 बांधों का बांध सुरक्षा पुनर्स्थापन कार्यो (उपचारी उपायों और मूलभूत सुविधाओं सहित) तथा बांध सुरक्षा संबंधी संस्थागत सुद्‌ढ़ीकरण कार्य करने की योजना है।

विश्व बैंक द्वारा बांध पुनर्स्थापन एवं सुधार परियोजना संबंधी मूल्यांकन प्रक्रिया पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

रॉ हेतु विधिक ढांचा

3516. श्री मनीष तिवारी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कौन-सी विधि/संविधि है जो अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध (रॉ) को इसके कार्य/शासनादेश प्रभावोत्पादक व प्रभावी ढंग से निष्पादित करने की शक्तियों/प्राधिकार प्रदान करती है;

(ख) क्या सरकार का विचार स्पष्ट रूप से परिकल्पित कानून के रूप में एक विधिक ढांचा मुहैया कराने का है ताकि रॉ प्रभावी रूप से और पारदर्शिता के साथ कार्य करने में सक्षम हो सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संगठन के कार्यकरण हेतु विधिक ढांचा सरकार की योजना मुहैया कराने के लिए कब तक विधान लाने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इस संगठन की सेवाओं की निगरानी हेतु अमरीकी कांग्रेस की इंटेजिलेंस सेलेक्ट कमेटी की तर्ज पर एक समिति गठन करने का भी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध वर्ष 1968 में स्थापित किया गया था और यह मंत्रिमण्डल सचिवालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऐसी कोई पृथक/विशिष्ट संविधि नहीं है जो अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध के कार्य/शासनादेश को शासित करती हो। तथापि देश में समूची आसूचना प्रणाली की जांच-पड़ताल करने वाली आसूचना तंत्र टास्क फोर्स की रिपोर्ट के पश्चात वर्ष 2000 में अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध के कार्यक्षेत्र और शासनादेश को दर्शाने वाले एक औपचारिक चार्टर को भारत सरकार ने औपचारिक रूप से स्वीकृत किया है।

(ख) यह चार्टर अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध की भूमिका और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जो इस संगठन को प्रभावी रूप से कार्य करने में समर्थ बनाता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(छ) और (ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट सेवा केन्द्रों का खोला जाना

3517. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री निशिकान्त दुबे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश के इंदौर सहित देश में नए पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) देश में नए पासपोर्ट कार्यालायों/पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थानों की पहचान करने के लिए क्या मानदण्ड हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): (क) से (ग) सरकार ने वर्तमान पासपोर्ट कार्यालयों के नेटवर्क के तहत पासपोर्ट सेवाओं की सुपुर्दगी में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) आरम्भ की है। इस परियोजना के वर्तमान क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) की स्थापना की जा रही है। सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की संख्या के आधार पर पीएसके के लिए स्थानों की

पहचान की गई है। प्रस्तावित पीएसके स्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सरकार को आशा है कि पासपोर्ट सेवा परियोजना के क्रियान्वयन से पासपोर्ट सम्बन्धी सेवाओं का समय पर पारदर्शी एवं प्रभावी सुपुर्दगी सुनिश्चित हो सकेगी।

विवरण

पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके)

प्रस्तावित पासपोर्ट सेवा केन्द्र का वितरण

पासपोर्ट कार्यालय	वर्तमान पासपोर्ट कार्यालय स्थानों पर पीएसके	नये स्थानों पर प्रस्तावित पीएसके	पीएसके की कुल सं.
1	2	3	4
		नये स्थापित होने वाले पीएसके	
दिल्ली	दिल्ली 1, दिल्ली 2	गुड़गांव	3
मुम्बई	मुम्बई 1, मुम्बई 2, मुम्बई 3	कोई नहीं	3
हैदराबाद	हैदराबाद 1, हैदाराबाद 2, हैदराबाद 3	विजयवाड़ा, निजामाबाद, तिरूपति	6
चेन्नई	चेन्नई 1, चेन्नई 2, चेन्नई 3	कोई नहीं	3
बंगलौर	बंगलौर 1, बंगलोर 2	हुबली, धारवाड़, मंगलोर	4
अहमदाबाद	अहमदाबाद 1, अहमदाबाद 2,	बड़ौदा, राजकोट	4
कोचीन	कोचीन	त्रिसुर, अलापुजा, एर्नाकुलम, कोट्टायम ग्रामीण	5
जालन्धर	जालन्धर 1, जालन्धर 2	होशियारपुर 3	
त्रिवेंद्रम	त्रिवेंद्रम	कोलम, त्रिवेन्द्रम ग्रामीण	3
चण्डीगढ़	चंडीगढ़	लुधियाना, अम्बाला	3
त्रिची	त्रिची 1, त्रिची 2	तंजावुर	3
कोलकाता	कोलकाता	बहरामपुर	2
लखनऊ	लखनऊ	वाराणसी, कानपुर गोरखपुर	4
जयपुर	जयपुर	जोधपुर, सीकर	3
कोझीकोड	कोझीकोड 1, कोझीकोड 2	कुन्नुर 1, कुन्नुर 2	4
थाणे	थाणे	नासिक	2
पुणे	पुणे	कोई नहीं	1
पटना	पटना	कोई नहीं	1
विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम	कोई नहीं	1
सूरत	सूरत	कोई नहीं	1

1	2	3	4
भोपाल	भोपाल	कोई नहीं	1
गाजियाबाद	गाजियाबाद	कोई नहीं	1
बरेली	बरेली	कोई नहीं	1
मालापुरम	मालापुरम	कोई नहीं	1
नागपुर	नागपुर	कोई नहीं	1
अमृतसर	अमृतसर	कोई नहीं	1
कोयम्बटूर	कोयम्बूटर	कोई नहीं	1
मदुरै मदुरै	तिरूनेलवेली शहर		2
कुल			**68**
		पासपोर्ट कार्यालयों के साथ स्थित पीएसके	
भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	कोई नहीं	1
रांची	रांची	कोई नहीं	1
गुवाहाटी	गुवाहाटी	कोई नहीं	1
पणजी	पणजी	कोई नहीं	1
जम्मू	जम्मू	कोई नहीं	1
श्रीनगर	श्रीनगर	कोई नहीं	1
शिमला	शिमला	कोई नहीं	1
रायपुर	रायपुर	कोई नहीं	1
देहरादून	देहरादून	कोई नहीं	1
कुल			9
कुल कार्यालय			77

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक अस्पताल/औषधालय

3518. **श्री नरहरि महतोः**
श्री नृपेन्द्र नाथ रायः
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदारः
श्री अर्जुन चरण सेठीः
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलियाः
श्री मदन लाल शर्माः
श्री संजय धोत्रेः
श्री प्रताप राव गणपतराव जाधवः
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़ेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में राज्य-वार कितने आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक अस्पताल/औषधालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष ब के दौरान

देश में नए आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक अस्पतालों/औषधालयों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में निजी क्षेत्र की कम्पनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषध पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) 1.04.2008 के अनुसार देश में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक अस्पतालों/औषधालयों की कुल संख्या दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) 11वीं योजना अवधि के दौरान कुल 67.51 करोड़ रूपये की लागत से शिलांग, मेघालय में एक उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। आयुष विभाग सम्बन्धित अवसंरचना के उन्नयन तथा औषधों और उपस्करों की आपूर्ति के लिए सहायता उपलब्ध कर रहा है। 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षो के दौरान 2,475 बाहिरंग रोगी विभाग क्लीनिक, 148 विशेषीकृत उपचार केन्द्र और 46 आयुष स्कंध खोले जाने के साथ लगभग 18,000 औषधालयों को आवश्यक औषधों की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता दी गई थी। इस सम्बन्ध में 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षो के दौरान कुल खर्च की गई राशि 259.30 करोड़ रूपये थी।

(घ) और (ङ) जी, हां। महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों से 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(च) आयुष विभाग देश में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) स्कीम के अंतर्गत आरोग्य मेले, संगोष्ठी और कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। केन्द्र प्रायोजित स्कीम "आयुष संस्थानों का विकास" के अंतर्गत वर्तमान आयुष स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर संस्थानों को सुदृढ़ और उन्नयनकृत करने/नए संस्थानों को खोलने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आयुष विभाग उन आयुष अस्पतालों और औषधालयों को भी निधियां प्रदान कर रहा है जो एलौपैथिक अस्पतालों के अंतर्गत केन्दों का संचालन कर रहे हैं।

विवरण

1.4.2008 के अनुसार भारत में आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक अस्पताल और औषधालयों की राज्यवार/पद्धतिवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य	आयुर्वेद		होम्योपैथी	
		अस्पताल	औषधालय	अस्पताल	औषधालय
1	2	3	4	5	6
क.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**				
1.	आंध्र प्रदेश	9	557	6	286
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	2	44
3.	असम	1	380	3	75
4.	बिहार	11	311	11	179
5.	छत्तीसगढ़	9	634	3	52
6.	दिल्ली	10	148	2	98
7.	गोवा	1	5	1	59
8.	गुजरात	47	1046	16	216
9.	हरियाणा	8	472	1	20

1	2	3	4	5	6
10.	हिमाचल प्रदेश	25	1109	1	14
11.	जम्मू और कश्मीर	2	273		
12.	झारखण्ड	1	122	2	54
13.	कर्नाटक	130	561	21	43
14.	केरल	124	740	33	525
15.	मध्य प्रदेश	34	1427	22	146
16.	महाराष्ट्र	55	469	45	
17.	मणिपुर			1	9
18.	मेघालय	4	20	7	40
19.	मिजोरम				1
20.	नागालैण्ड		85	1	115
21.	उड़ीसा	8	624	6	603
22.	पंजाब	15	507	5	107
23.	राजस्थान	100	3539	9	177
24.	सिक्किम	1	1		1
25.	तमिलनाडु	7	43	9	46
26.	त्रिपुरा	1	55	1	93
27.	उत्तर प्रदेश	1771	340	8	1482
28.	उत्तराखंड	7	467	1	60
29.	पश्चिम बंगाल	4	295	12	1220
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	5	1	8
31.	चंडीगढ़	1	6	1	5
32.	दादरा और नगर हवेली		3		1
33.	दमन और दीव		1		
34.	लक्षद्वीप		2		1
35.	पुडूचेरी	1	16		7
	कुल (क)	2389	14337	231	5787
	ख. सीजीएचएस एवं केंद्रीय सरकार संगठन	27	223	5	223
	कुल (क एवं ख)	2416	14560	236	6010

आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत-राज्य सरकारें एवं संबंधित अभिकरण।

कैंसर रोगी कोष

3519. श्री तथागत सत्पथी:
श्री वैजयंत पाण्डा:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले कैंसर रोगियों को उनके उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल में कैंसर रोगी कोष (सी.पी.एफ.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितने बी.पी.एल. कैंसर रोगियों की पहचान की गई है;

(घ) बी.पी.एल. रोगियों के उपचार हेतु अब तक कितनी धनराशि जारी/उपयोग की जा चुकी है; और

(ङ) इस कोष का किस प्रकार से प्रयोग तथा निगरानी की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि की स्थापना गरीबी रेखा से नीचे के कैंसर पीड़ित रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की है। कैंसर रोगी निधि को देश में गरीबी रेखा से नीचे के कैंसर पीड़ित रोगियों के विनिर्दिष्ट उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले 100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अन्दर पृथक् समग्र निधि के रूप में स्थापित किया गया है।

इस निधि का प्रबन्ध एवं अनुवीक्षण राष्ट्रीय आरोग्य निधि की प्रबन्ध एवं प्रविधि समिति के जरिए किया जाएगा।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों में लगे गैर-सरकारी संगठन

3520. श्री जगदीश ठाकोर:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और केरल में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों में लगे गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इनमें से प्रत्येक संगठन को राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के दुरूपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संगठनों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां

3521. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों में देश में पाकिस्तान की ओर से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान को एक आतंकवादी राज्य घोषित करने और अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में सामाजिक संगठनों/व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) और (ख) पाकिस्तान और द्वारा सर्वोच्च स्तरों पर दिये गये आश्वासनों के बावजूद हम पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकवादी हमलों से बार-बार और गम्भीर रूप से प्रभावित होते रहे हैं। पाकिस्तान ने 6 जनवरी 2004 और 24 सितम्बर, 2008 को भारत को आश्वासन दिया था कि वह किसी भी तरीके से अपने भूक्षेत्र का

उपयोग भारत के विरूद्ध निर्देशित आतंकवादी हमलों के लिए किये जाने की अनुमति नहीं देगा। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है जिससे कि आगे हमले न होने पाएं और ऐसे हमलों के लिए जिम्मेदार साजिशकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

(ग) और (घ) सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संगठनों में आतंकवाद के मुद्दे को उठाया है।

(ङ) और (च) सरकार को आतंकवाद के सम्बन्ध में नागरिकों और सगंठनों से अनेक अनुरोध और अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

[अनुवाद]

अस्पतालों में एड्स रोगियों से भेदभाव

3522. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कतिपय सरकारी अस्पतालों में एड्स के रोगियों के उपचार में डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा उदासीनता, भेदभाव तथा लापरवाही वाले व्यवहार की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए डॉक्टरों और कर्मचारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) स्वास्थ्य के राज्य का विषय होने की वजह से ऐसी जानकारी का केन्द्रीय तौर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है। जहाँ दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, एड्स के रोगियों के उपचार में डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा उदासीनता, भेदभाव तथा लापरवाही वाले व्यवहार की किसी भी घटना की कोई सूचना नहीं मिली है।

बी.पी.एल जनसंख्या के अनुमानों में अन्तर

3523. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के अनुमान के अनुसार भारत की 28 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन गुजार रही है जबकि, मीडिया में आया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त खाद्य आयुक्त सक्सेना पैनल का अनुमान है कि 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्यों ने योजना आयोग द्वारा तैयार बी.पी.एल. आंकड़ों को नकार दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दोनों के अंतर के विवाद को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग पांच वर्षो के अंतराल पर कराए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण से लगाता है। नवीनतम अनुमान के अनुसार वर्ष 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 301.7 मिलियन है जोकि कुल आबादी का 27.5% है। उच्चतम न्यायालय ने 14.02.2006 के अपने आदेश में यह कहा है कि खाद्य मामलों के अधिकार से संबंधित अगली बीपीएल जनगणना की कार्यप्रणाली उच्चतम न्यायालय के आयुक्तों के साथ विचार-विमर्श करके ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डिजाइन की जाएगी। तदनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) रहने वाले ग्रामीण परिवारों, जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता दी जा सके, की पहचान करने के लिए कार्य प्रणाली की सिफारिश करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। देश में बी. पी.एल. आबादी का अनुमान लगाना इस विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ विषयों में शामिल नहीं है। विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाता

है, अत: डॉ. सक्सेना की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह को अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार देश में बी.पी.एल. आबादी का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

हाथी अभ्यारण्य

3524. डॉ. चरण दास महन्त: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में एक हाथी अभ्यारण्य बनाने की स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संशोधित प्रस्ताव का इस क्षेत्र में हाथियों को आवाजाही पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में दो हाथी रिजर्वो के सृजन हेतु स्वीकृति दी है। इनमें से एक अनुमोदित हाथी रिजर्व बदलखोल मनोरा और तमारपिंगला से संबंधित है जो 1048.30 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और अन्य हाथी रिजर्व लेमरू है जो 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक में है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार डिलीवरी प्रणाली

3525. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गई स्वास्थ्य परिचर्या डिलीवरी प्रणाली ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन के पश्चात् अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान तथा चालू वर्ष में ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या डिलीवरी प्रणाली पर राज्य-वार कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) ने राज्यों में जन स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली को अभूतपूर्व स्तर पर पुनर्जीवित कर दिया है और इसने कार्यान्वयन हेतु ढांचे में निहित अनुमोदित समय सीमा के अनुसार प्रगति की है।

मुख्य कार्यकलापों जिनके कारण वांछित लक्ष्य हासिल किए गए है, में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संस्थागत ढांचे की स्थापना करने से संबंधित कार्यकलाप, अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण (नए निर्माण-कार्य एवं उन्नयन तथा नवीकरण), महत्वपूर्ण मानव संसाधनों का संवर्धन (संविदात्मक व्यक्तियों की तैनाती, उपलब्ध एच आर को बहु-कौशलयुक्त बनाने, 6.96 लाख से अधिक प्रशिक्षित आशा की तैनाती इत्यादि सहित उपायों के जरिए), संभारतंत्रों एवं प्रबंधन के यौक्तिकीकरण (कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों की स्थापना, विकेन्द्रीकृत प्रापण प्रोटोकाल इत्यादि जैसे उपायों के जरिए) तथा सामुदायिक अधिकारिता (ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई समितियों, रोगी कल्याण समितियों इत्यादि के प्रचालन जैसे उपायों के जरिए) शामिल हैं।

विगत तीन वर्षो के दौरान एन आर एच एम के अंतर्गत राज्यवार व्यय का संलग्न विवरण में दिया गया है।

स्वास्थ्य बीमा का उपयोग कई राज्यों में जोखिम पुलिंग के लिए एवं स्वास्थ्य वित्तपोषण साधन के रूप में किया जा रहा है। एन आर एच एम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पी आई पी) में प्रस्तावित बीमा प्रतिमानों का राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा मूल्यांकन एवं अनुमोदन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों सहित पात्र नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आवंटन, निर्मुक्ति एवं व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	निर्मुक्ति*
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	43820.13	10762.92
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2214.66	40.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	3627.34	1042.58
4.	असम	44787.16	15586.14
5.	बिहार	45654.14	14202.55
6.	चंडीगढ़	430.55	114.94
7.	छत्तीसगढ़	20111.98	5338.97
8.	दादरा व नगर हवेली	239.27	53.27
9.	दमन व दीव	152.89	25.90
10.	दिल्ली	6173.17	2022.58
11.	गोवा	849.81	268.47
12.	गुजरात	29204.60	9288.05
13.	हरियाणा	9801.86	3286.71
14.	हिमाचल प्रदेश	6538.18	1962.56
15.	जम्मू और कश्मीर	11753.34	2592.42
16.	झारखण्ड	19748.30	3941.00
17.	कर्नाटक	31704.12	10226.51
18.	केरल	16900.78	3360.06
19.	लक्षद्वीप	2098.66	12.00
20.	मध्य प्रदेश	38824.69	12279.76
21.	महाराष्ट्र	49303.10	15871.75
22.	मणिपुर	5238.20	1607.27
23.	मेघालय	5043.65	1386.48
24.	मिजोरम	4899.08	867.23श
25.	नागालैण्ड	4468.58	1263.19
26.	उड़ीसा	26291.33	7990.64
27.	पुडूचेरी	2689.66	114.50
28.	पंजाब	11873.66	4225.10
29.	राजस्थान	36897.69	11983.25
30.	राजस्थान	7135.43	503.45
31.	तमिलनाडु	34639.32	11404.86
32.	त्रिपुरा	8623.25	2058.64
33.	उत्तर प्रदेश	92784.15	31410.40
34.	उत्तराखंड	6887.93	2061.26
35.	पश्चिम बंगाल	40387.16	12254.55
	कुल	671797.82	201409.96

*प्रथम तिमाही व्यय 31 जुलाई, 2009 तक देय है। 30 जून, 2009 तक 6 राज्यों से प्राप्त व्यय रिपोर्ट के अनुसार 211.38 करोड़ रु. का पहले ही उपयोग किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आवंटन, निर्मुक्ति एवं व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	63555.08	60956.38	722738.44
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	591.68	759.33	920.29

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	4674.74	3629.39	5784.53
4.	असम	62354.99	59692.69	72496.69
5.	बिहार	73489.78	75409.54	66096.68
6.	चंडीगढ़	626.55	279.84	489.89
7.	छत्तीसगढ़	25054.55	24180.46	15335.22
8.	दादरा व नगर हवेली	270.98	188.68	228.36
9.	दमन व दीव	215.16	123.34	182.85
10.	दिल्ली	8043.22	7651.01	4295.24
11.	गोवा	1265.23	1365.32	885.22
12.	गुजरात	40873.80	32904.69	53727.15
13.	हरियाणा	14986.06	14585.23	23052.85
14.	हिमाचल प्रदेश	7584.08	6092.99	9710.75
15.	जम्मू और कश्मीर	14273.88	7227.64	10661.45
16.	झारखण्ड	25803.45	24081.22	37181.21
17.	कर्नाटक	45197.70	42363.06	41808.49
18.	केरल	24852.00	21669.46	38795.10
19.	लक्षद्वीप	1964.79	504.79	1339.30
20.	मध्य प्रदेश	58595.12	68359.08	66821.60
21.	महाराष्ट्र	73206.50	53742.52	89635.83
22.	मणिपुर	6743.17	5605.16	5842.82
23.	मेघालय	6369.62	4257.56	4665.20
24.	मिजोरम	4902.26	3820.65	5814.80
25.	नागालैण्ड	5715.96	5480.21	5534.76
26.	उड़ीसा	37382.65	37511.10	31436.43
27.	पुडुचेरी	2932.65	1688.60	705.29
28.	पंजाब	17995.54	17367.12	17610.92
29.	राजस्थान	56332.09	76709.19	85826.27
30.	राजस्थान	7913.77	3954.05	8558.53

1	2	3	4	5
31.	तमिलनाडु	50137.18	48975.93	59891.54
32.	त्रिपुरा	10351.98	8206.89	6556.11
33.	उत्तर प्रदेश	146125.86	122080.88	136139.57
34.	उत्तराखंड	9867.89	8605.59	12178.64
35.	पश्चिम बंगाल	61924.69	51139.34	42098.35
	कुल	972174.62	901167.93	1035046.37

*एन आर एच एम के अंतर्गत व्यय वैक्सीनों एवं गर्भनिरोधकों की खरीद के लिए केन्द्र स्तर पर सीधे भी किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 के अंतर्गत सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आवंटन, निर्मुक्ति एवं व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	59469.64	57358.08	47270.28
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	309.35	834.06	13728.77
3.	अरुणाचल प्रदेश	4763.99	4409.87	16817.19
4.	असम	64021.44	60498.76	60041.76
5.	बिहार	53727.17	29913.21	32524.79
6.	चंडीगढ़	444.14	445.89	13415.22
7.	छत्तीसगढ़	22010.09	18172.61	26546.52
8.	दादरा व नगर हवेली	184.71	144.01	13436.00
9.	दमन व दीव	171.03	54.93	13357.23
10.	दिल्ली	6263.27	4284.82	15950.07
11.	गोवा	1132.50	458.05	13871.04
12.	गुजरात	35551.01	38487.72	38304.62
13.	हरियाणा	12805.64	10616.51	20145.03
14.	हिमाचल प्रदेश	6628.01	5089.51	17972.25
15.	जम्मू व कश्मीर	11568.64	15818.20	19567.66

1	2	3	4	5
16.	झारखण्ड	22496.74	14774.18	22929.29
17.	कर्नाटक	38559.28	28688.36	31650.35
18.	केरल	23477.09	28938.76	28309.99
19.	लक्षद्वीप	138.96	30.36	13288.81
20.	मध्य प्रदेश	69333.41	60802.78	44331.78
21.	महाराष्ट्र	58074.64	64381.83	49991.87
22.	मणिपुर	6511.40	4915.24	16743.41
23.	मेघालय	6138.28	4234.63	16088.97
24.	मिजोरम	3720.02	3197.14	18192.81
25.	नागालैण्ड	5452.20	4367.60	17135.76
26.	उड़ीसा	38058.00	38076.83	32742.09
27.	पुडुचेरी	883.24	428.38	13824.21
28.	पंजाब	15338.41	10068.54	21511.85
29.	राजस्थान	56206.02	64484.90	47671.49
30.	राजस्थान	1721.34	3409.54	14341.48
31.	तमिलनाडु	42548.14	54200.89	44239.42
32.	त्रिपुरा	8473.02	7834.28	16471.06
33.	उत्तर प्रदेश	115924.15	110948.23	71665.15
34.	उत्तराखंड	8661.92	8255.76	18488.52
35.	पश्चिम बंगाल	535786.87	51180.69	33486.59
	कुल	854334.74	809805.15	936053.32

*एन आर एच एम के अंतर्गत व्यय वैक्सीनों एवं गर्भनिरोधकों की खरीद के लिए केन्द्र स्तर पर सीधे भी किया जाता है।

[हिन्दी]

जल संरक्षण एवं प्रबंधन

3526. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री भरत राम मेघावल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न प्रयोजनों हेतु पानी की उपलब्धता की तुलना में उसकी कुल आवश्यकता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से जल संरक्षण एवं प्रबंधन के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) एकीकृत जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की आवश्यकता का आकलन किया है। एनसीआईडब्ल्यूआरडी के वर्ष 2050 के लिए विभिन्न उपयोगों हेतु जल की कुल आवश्यकता के आकलन का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। जल आवश्यकता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। देश में उपलब्ध जल की कुल मात्रा 1869 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) का आकलन किया गया है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्यवार जल की कुल उपलब्ध मात्रा का आकलन नहीं किया गया है।

(ख) और (घ) सतही और भूमि दोनों जल संसाधनों की उपयोगिता हेतु वृहद, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई स्कीमों के बारे में विचार करने, योजना तथा कार्यान्वयन का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम, जल निकायों की मरम्मत, नवीनकरण और पुनरूद्धार तथा डगवेलों से भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

विवरण I

एकीकृत जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय आयोग के आकलन के अनुसार विभिन्न उपयोगों के लिए जल की कुल आवश्यकता

क्र.सं.	उपयोग	वर्ष 2050 तक जल की कुल मांग	
		कम	अधिक
1	2	3	4
1.	सिंचाई	628	807
2.	घरेलू	90	111
3.	उद्योग	81	81
4.	विद्युत	63	70
5.	अंतर्देशीय नौवहन	15	15
6.	बाढ़ नियंत्रण	0	0
7.	पर्यावरण (1) वनरोपण	0	0
8.	पर्यावरण(2) पारिस्थितिकी	20	20
9.	वाष्पन हानि	76	76
	कुल	973	1180

विवरण II

विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले कुल अनुमानित जल का राज्यवार सार

(बिलियन घन मीटर में)

उपयोग	वर्ष 2050 तक सभी उपयोगों के लिए जल की कुल आवश्यकता	
	कम	अधिक
1	2	3
आंध्र प्रदेश	90.2	109.8
अरुणाचल प्रदेश	12.3	12.6
असम	37.6	50.1
बिहार	77.2	106.6
गोवा	0.8	0.9
गुजरात	49.6	56.8
हरियाणा	31.2	31.6
हिमाचल प्रदेश	6.5	6.7
जम्मू और कश्मीर	12	15.5
कर्नाटक	46.3	58.8
केरल	25.3	30.9
मध्य प्रदेश	82.6	113.6
महाराष्ट्र	83.7	101.5

1	2	3
मणिपुर	2.4	5.1
मेघालय	2	2.2
मिजोरम	1.1	1.2
नागालैड	6	6.1
उड़ीसा	41.4	49.1
पंजाब	47.1	47.5
राजस्थान	57.2	59.6
सिक्किम	0.7	0.8
तमिलनाडु	52.2	61.7
त्रिपुरा	6.6	6.9
उत्तर प्रदेश	144.8	171.6
पश्चिम बंगाल	52.6	66.4
संघ राज्य क्षेत्र	3.5	4

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई सहायता

(करोड़ रुपये में)

स्कीमों/कार्यक्रमों का नाम	वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान	चालू वर्ष
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	15345.50	1749.73
कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार	98.09	35.83
डगवेलों द्वारा भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण	140.09	33.87
कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीब्ल्यूएम) कार्यक्रम	790.32	28.35

सुबर्नरेखा बहुउद्देशीय परियोजना

3527. श्री मधु कोड़ाः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या झारखण्ड में सुबर्नरेखा बहुउद्देशीय परियोजना तथा जकटी बांध को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) उड़ीसा में सुबर्न रेखा (स्वर्णरेखा नहीं) बहुउद्देशीय परियोजना को 15.06.1984 को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी जिसमें पश्चिम बंगाल और झारखण्ड (पूर्व में बिहार राज्य के अंतर्गत) की गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। झारखण्ड में सुबर्नरेखा (स्वर्णरेखा नहीं) बहुउद्देशीय परियोजना और नाक्टी डैम के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

(ख) से (ङ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाल्कों द्वारा अवैध गतिविधियां

3528. श्री हेमानंद बिसवालः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को बाल्कों द्वारा भूमि का अतिक्रमण किए जाने तथा वनों की कटाई संबंधी गतिविधियों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाल्कों कंपनी अब भी निजी तथा राजस्व भूमि के अतिक्रमण की अवैध गतिविधियों में लगी है तथा विद्युत संयंत्र के निर्माण हेतु हरे-भरे वृक्षों को काट रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेशः) (क) से (घ) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खान पेंशन योजना

3529. डॉ. जी. विवेकानन्द: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1998 की खान पेंशन योजना में प्रत्येक तीन वर्ष बाद योजना की समीक्षा करने संबंधी उपबंध था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) किसी विशिष्ट समय के पश्चात पेंशन में संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 की धारा 21(1) के अधीन कोयला खान भविष्य निधि संगठन के न्यासी बोर्ड (बीओटी) द्वारा नियुक्त एक बीमांकक द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष पेंशन निधि का मूल्यांकन करने का प्रावधान है। बीमांकन की सिफारिशों को आयुक्त द्वारा न्यासी बोर्ड (बीओटी) के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

अब तक उपलब्ध्य कराए गए पेंशन निधिा के मूल्यांकन के आधार पर न्यासी बोर्ड (बीओटी) ने पेंशन के संशोधन के लिए कोई सिफारिश नहीं की है। इस प्रकार कोयला खान पेंशन योजना, 1998 की शुरूआत अर्थात 31.03.1998 से पेंशन में कोई संशोधन नहीं हुआ है। इस समय पेंशन निधि का मूल्यांकन सौंप दिया गया है और इसे राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, फरीदाबाद द्वारा किया जा रहा है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान

3530. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो में तथा चालू वर्ष के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में विभिन्न राज्यों की जीडीपी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न राज्यों का राज्य-वार हिस्सा कितना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) पिछले तीन वर्षो 2005-06 से 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में देश के सकल घरेलू उत्पाद का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2005-06 से 2007;08 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न राज्यों का राज्य-वार हिस्सा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

चालू मूल्यों पर कारक लागत पर देश का सकल घरेलू उत्पाद और राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) जी एस डी पी

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2005-2006	2006-2007	2007-2008
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	236034	269173	312509
2.	अरुणाचल प्रदेश	2918	3400	3683
3.	असम	57817	63769	70440
4.	बिहार	79560	99767	114722
5.	झारखण्ड	54879	63229	69253
6.	गोवा	13262	15248	17215

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	219780	254533	एन ए
8.	हरियाणा	106732	130033	153087
9.	हिमाचल प्रदेश	25689	28603	32220
10.	जम्मू और कश्मीर	26537	29030	31793
11.	कर्नाटक	186209	200922	233802
12.	केरल	124389	142470	162415
13.	मध्य प्रदेश	116932	130571	142500
14.	छत्तीसगढ़	50999	57806	68036
15.	महाराष्ट्र	438731	508836	590995
16.	मणिपुर	5065	5343	5704
17.	मेघालय	6319	6959	7605
18.	मिजोरम	2721	2996	3305
19.	नागालैण्ड	5667	एन ए	एन ए
20.	उड़ीसा	78953	93374	106466
21.	पंजाब	108653	121189	138467
22.	राजस्थान	128621	148849	169919
23.	राजस्थान	1830	2070	2353
24.	तमिलनाडु	234837	276917	304989
25.	त्रिपुरा	9388	10282	एन ए
26.	उत्तर प्रदेश	276969	309834	344346
27.	उत्तरांचल	26172	29709	एन ए
28.	पश्चिम बंगाल	229928	266353	303705
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1698	2009	एन ए
30.	चंडीगढ़	10362	12130	14253
31.	दिल्ली	105815	125282	143911
32.	पांडिचेरी	6213	7194	8129
	अखिल-भारत जीडीपी	3282385	3779385	4320892

स्रोत: क्रम सं. 1-32 के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, और अखिल भारत के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
एन ए: उपलब्ध नहीं

विवरण II

चालू मूल्यों पर देश की कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में राज्यों का हिस्सा कुल जीडीपी में जीएमसडीपी का हिस्सा (%)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2005-2006	2006-2007	2007-2008
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.19	7.12	7.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.09	0.09	0.09
3.	असम	1.76	1.69	1.63
4.	बिहार	2.42	2.64	2.66
5.	झारखण्ड	1.67	1.67	1.60
6.	गोवा	0.40	0.40	0.40
7.	गुजरात	6.70	6.73	एन ए
8.	हरियाणा	3.25	3.44	3.54
9.	हिमाचल प्रदेश	0.78	0.76	0.75
10.	जम्मू और कश्मीर	0.81	0.77	0.74
11.	कर्नाटक	5.67	5.32	5.41
12.	केरल	3.79	3.77	3.76
13.	मध्य प्रदेश	3.56	3.45	3.30
14.	छत्तीसगढ़	1.55	1.53	1.57
15.	महाराष्ट्र	13.37	13.46	13.68
16.	मणिपुर	0.15	0.14	0.13
17.	मेघालय	0.19	0.18	0.18
18.	मिजोरम	0.08	0.08	0.08
19.	नागालैण्ड	0.17	एन ए	एन ए
20.	उड़ीसा	2.41	2.47	2.46
21.	पंजाब	3.31	3.21	3.20
22.	राजस्थान	3.92	3.94	3.93
23.	राजस्थान	0.06	0.05	0.05
24.	तमिलनाडु	7.15	7.33	7.06
25.	त्रिपुरा	0.29	0.27	एन ए

1	2	3	4	5
26.	उत्तर प्रदेश	8.44	8.20	7.97
27.	उत्तरांचल	0.80	0.79	एन ए
28.	पश्चिम बंगाल	7.00	7.05	7.30
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.05	एन ए
30.	चंडीगढ़	0.32	0.32	0.33
31.	दिल्ली	3.22	3.31	3.33
32.	पांडिचेरी	0.19	0.19	0.19

स्रोत: क्रम सं. 1-32 के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, और अखिल भारत के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
एन ए: उपलब्ध नहीं

नये फार्मेसी कॉलिजों की स्थापना

3531. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से राज्य में नये फार्मेसी डिग्री कॉलिजों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) नए फार्मेसी कालेजों की स्थापना करने के बारे में गुजरात सरकार का कोई प्रस्ताव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

अस्थि अवशेष के विसर्जन हेतु वीजा

3532. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं को भारत में अस्थि अवशेष के विसर्जन हेतु वीजा जारी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान के बीच 1982 के वीजा समझौते के अनुसार पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीजा जारी किए जाते हैं। आवेदन प्रपत्र में दी गई आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करने पर तथा सत्यापन प्रक्रियाओं के पूरा होने पर पाकिस्तानी राष्ट्रिक धार्मिक उद्देश्यों सहित वीजा जारी किए जाने के पात्र हैं।

[अनुवाद]

कतिपय प्रजातियों की घटती संख्या

3533. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लाल पाण्डा, भूरे भालू एवं नीलगिरी लंगूर सहित विभिन्न विलुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या घट रही है जैसा कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी जे ड ए) द्वारा बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त पशुओं के संरक्षण हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित/उपयोग की गई है;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त कार्य हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त पशुओं के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारतीय चिड़ियाघरों में लाल पांडा और भूरे भालू सहित विभिन्न संकटापन्न प्रजातियों की तादाद में कोई सामान्य कमी नहीं आई है। तथापि, नीलगिरी लंगूर की संख्या में चिड़ियाघरों में पिछले तीन वर्षो में थोड़ी-सी कमी आई है। वर्ष 2004-05 में 6 विभिन्न भारतीय चिड़ियाघरों में 28 नीलगिरि लंगूर थे। बुढ़ापे, निमोनिया, एनोरिक्सिया और हेपिटाइटिस के कारण मैंसूर चिड़ियाघर और कोयम्बटूर चिड़ियाघर प्रत्येक में दो मौते हुई थीं। मंत्रालय में इन प्रजातियों की वन्य आबादी में कमी को दर्शाने वाली कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता (वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास के रूप में पुन: नामित) और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दौरान विभिन्न संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल आबंटित और उपयोग की गई धनराशि नीचे दी गई है।

करोड़ रुपये में

क्रम संख्या	स्कीमों का नाम	दसवीं पंचवर्षीय योजना		ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग (मार्च 2009 तक)
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता (वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास)	350.00	236.85	800.00	143.47
2.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	80.57	84.43	115.00	29.91

(ङ) भारतीय चिड़ियाघरों में अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने एक नियोजित समन्वित प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 70 ऐसे वन्य पशु प्रजातियों को शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

एआईबीपी के अंतर्गत विशेष दर्जा हेतु मापदण्ड

3534. श्री देवजी एम. पटेल:
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड और प्रक्रिया क्या है; और

(ख) विशेष राज्यों की श्रेणी में जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल करने हेतु किस प्रक्रिया/शर्तो को अपनाया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है जिनमें विशेष ध्यान दिए जाने वाली कई विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं में (i) पर्वतीय और कठिनाई वाले भूभाग (ii) कम जनसंख्या घनत्व और /अथवा जनजातीय जनसंख्या का पर्याप्त हिस्सा (iii) पड़ोसी देशों की सीमाओं सहित महत्वपूर्ण स्थान (iv) आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और (v) राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति शामिल है। इस श्रेणी के राज्यों का संसाधन आधार कम होता है और वे अपनी विकासमत्क जरूरतों के लिए संसाधन जुटाने की स्थिति में भी नहीं होते हैं फिर भी इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इनमें से कई राज्य पूर्व के छोटे संघराज्य क्षेत्रों अथवा कुछ अन्य राज्यों के जिले से बने होते थे जिनमें अनिवार्य रूप से ओवरहेड्स और प्रशासनिक अवसंरचना का सृजन शामिल था जो कि उनके संसाधन आधार के अनुपात से बाहर था।

इस समय 11 विशेष श्रेणी वाले राज्य हैं अर्था, अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड।

विशेष श्रेणी के दर्जे के संबंध में निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा लिया जाना होता है जो कि ऐसा करने के लिए एकमात्र सक्षम निकाय है।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने 11.10.1990 को आयोजित अपनी 42वीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया कि असम और जम्मू एवं कश्मीर को अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की भांति वही अनुदान ऋण अनुपात (90:10) दिया जाए।

पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को संघ राज्य क्षेत्र/राज्य के जिलों (सिक्किम को छोड़ कर) को राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेने पर विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया।

साहनी की शहादत हेतु स्मारक

3535. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला–मुजफ्फरपुर, थाना–मीनापुर के उब्बा साहनी और वंगूर साहनी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शहादत को प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी याद में स्मारक बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्मारक का निर्माण किस स्थान पर किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) डॉ. पी. एन. चोपड़ा सम्पादित 'हू इज हू ऑफ इण्डियन मार्टर्स' शीर्षक से मौजूदा प्रकाशन, जिसे भारत सरकार द्वारा 1969–1973 के बीच तीन खण्डों में प्रकाशित किया गया था, में उब्बा साहनी और वंगूर साहनी के नाम शामिल नहीं हैं।

यह मंत्रालय 'राष्ट्रीय स्मारकों के विकास तथा अनुरक्षण' हेतु स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता अनुदान प्रदान करने की स्कीम चला रहा है जिसके तहत राष्ट्रीय स्मारकों के विकास और अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम में यह भी प्रावधान है कि अनुदान, नए भवनों के निर्माण के लिए नहीं दिया जाएगा।

उपर्युक्त स्कीम में निम्नलिखित तीन श्रेणियों के तहत स्मारकों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है:

(1) केन्द्र सरकार की पहल पर स्थापित स्मारक (इस समय, केन्द्र सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है)।

(2) राज्य सरकार तथा/अथवा नागरिक निकाय की पहल पर स्थापित स्मारक।

(3) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्थापित स्मारक।

[अनुवाद]

एक्सीलरेटेड प्रोग्राम ऑफ रिस्टोरेशन एण्ड रिजेनरेशन ऑफ फारेस्ट

3536. श्री राजनाथ सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक्सीलरेटेड प्रोग्राम ऑफ रिस्टोरेशन एण्ड रिजेनरेशन ऑफ फारेस्ट कवर हेतु एक नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) इसके क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन–से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) एक नई राज्य योजना स्कीम नामशः ए. सी.ए.फार. एक्सीलरेटेड प्रोग्राम ऑफ रिस्टोरेशन एण्ड रिजेनरेशन ऑफ फारेस्ट कवर' 500 करोड़ रु. के आबंटन के साथ वर्ष 2009–10 के केन्द्रीय बजट में पेश की गई है।

अवसंरचना परियोजना को वित्तीय सहायता

3537. डॉ. संजीव गणेश नाईक: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक जारी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सहायता कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) राज्य में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लिग्नाइट का उत्पादन

3538. श्री मदल लाल शर्मा:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री संजय धोत्रे:
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री सुभाष बापूराव वानखेडे:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई लिग्नाइट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की लिग्नाइट के उत्पादन और आपूर्ति में सुधार करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान बेचे गए कोयले और लिग्नाइट की वर्ष-भर और राज्य-वार मात्रा और मूल्य कितना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) पिछले 3 वर्षो तथा चालू वर्ष (2009-10) के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के संबंध में लिग्नाइट के उत्पादन तथा आपूर्ति की ब्यौरे निम्नवत हैं:

(मि. टन में)

वर्ष	उत्पादन	को आपूर्ति	
		एनएलसी के विद्युत संयंत्र	अन्य
2006-07	21.014	18.438	2.068
2007-08	21.586	19.925	2.333
2008-09	21.307	18.567	2.135
2009-10 (06/2009 तक)	5.852	5.662	0.596

(ख) और (ग) जी, हां। लिग्नाइट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नेयवेली (खान-II विस्तार) में 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता तथा राजस्थान (बरसिंगसर लिग्नाइट खान) में 2.1 मिलियन टन प्रति वर्ष की लिग्नाइट खानों को सरकार द्वारा क्रमशः अक्टूबर और दिसम्बर, 2004 में स्वीकृत किया गया था। खनन उपकरण निर्मित करके स्थापित कर दिए गए हैं तथा नयी खानों से लिग्नाइट का उत्पादन वर्ष 2009-10 के दौरान शुरू हो जाने की सम्भावना है।

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा बेची गई लिग्नाइट की वर्ष वार मात्रा तथा कीमत निम्नवत है:

वर्ष	लिग्नाइट की बिक्री			
	आन्तरिक खपत		अन्य को बिक्री	
	मात्रा (मि.टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (मि.टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
2006-07	18.438	1424.84	2.068	230.30
2007-08	19.925	2017.49	2.333	266.37
2008-09	18.567	2458.01	2.135	246.61
2009-10 (06/2009 तक)	5.662	610.50	0.596	70.47

पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष मे ंकोल इंडिया लि. की कोयला उत्पादन कम्पनियों द्वारा बेची गई कोयले की वर्ष-वार और राज्य-वार मात्रा और कीमत निम्नवत है:

(बेची गई मात्रा मिलियन टन में तथा बिक्री मूल्य करोड़ रुपये में)

राज्य	2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010 (जून, 2009 तक) (अनं.)	
	बेची गयी मात्रा	बेचे गए कोयले का मूल्य	बेची गयी मात्रा	बेचे गए कोयले का मूल्य	बेची गयी मात्रा	बेचे गए कोयले का मूल्य	बेची गयी मात्रा	बेचे गए कोयले का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम बंगाल	18.348	2905.20	15.598	2639.84	16.282	3081.74	4.052	780.02
झारखंड	71.435	7392.93	73.572	7865.48	79.238	9365.68	18.660	2063.31
उड़ीसा	76.421	3712.74	83.626	4347.08	91.284	5383.39	23.659	1352.10
मध्य प्रदेश	59.181	5890.52	67.575	6898.17	71.448	8097.85	16.247	1919.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़	73.713	4735.41	82.669	5551.89	90.440	6602.00	23.359	2000.79
महाराष्ट्र	35.507	3626.67	37.389	4040.92	38.226	4681.81	9.411	974.72
उत्तर प्रदेश	12.034	1008.36	10.835	942.40	12.016	1145.19	2.863	243.39
असम	1.182	237.69	1.200	228.09	835	278.19	.215	66.39
कुल	347.821	29509.54	372.464	32513.90	399.769	38635.88	98.466	9400.13

[हिन्दी]

एमपीलैड के अन्तर्गत निधियों के आबंटन हेतु मानदण्ड

3539. श्री उमाशंकर सिंहः क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एमपीलैड के अंतर्गत निधियों के आबंटन हेतु मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार योजना के अंतर्गत किसी विशेष संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर निधियों का आबंटन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत, प्रत्येक संसद सदस्य प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की राशि का पात्र है।

(ख) से (घ) एमपीलैड योजना की शुरुआत से ही आबंटन का आधार संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र रहा है, चाहे उसमें विधान सभा क्षेत्रों की संख्या क्षेत्रों की संख्या कितनी ही हो। इसको बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया से होने वाली मौतें

3540. श्री सुदर्शन भगतः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया से सैंकड़ों लोगों की मृत्यु होती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान झारखण्ड राज्य में मलेरिया से कितने लोगों की मौत हुई हैं; और

(ग) जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) क्योंकि मलेरिया सुदूर के एवं वनके दुर्गम क्षेत्रों जहां ज्यादातर जनजातीय लोग रहते हैं, में बड़े पैमाने में व्यापत है, ऐसे क्षेत्रों में मौतें मलेरिया के कारण होती हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान झारखण्ड राज्य में मलेरिया के कारण मरने वाले व्यक्तियों की सूचित संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	झारखण्ड मे मलेरिया के कारण हुई मौते
2006	4
2007	31
2008	36

(ग) सरकार का देश में मलेरिया नियंत्रण (न कि उन्मूलन) का कार्यक्रम है। देश में और ज्यादा गहन रूप से जनजातीय मलेरिया स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में मलेरिया के प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है:

(1) मामले की जल्द जाँच तथा द्रुत नैदानिक परीक्षणों और पादप वंश आधारित संयोजन चिकित्सा (ए सी टी) प्रदान करते हुए उपचार करना।

(2) निरीक्षित भीतरी अवशिष्ट छिड़काव (आई.आर.एस), वेक्टर नियंत्रण के लिए मच्छरदानियों का वितरण और साथ ही साथ समुदाय के स्वामित्व वाल मच्छरदानियों का उपचार।

(3) समुचित सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आई.ई.सी.) क्रिया-कलापों का संचालन करते हुए समुदाय को जागरूक करना।

(4) उच्च मलेरिया स्थानिकमारी वाले दो हजार जिलों, जो प्रमुख तौर पर जनजातीय हैं, का पता लगाया गया है और उन्हें एड्स, टी. बी. तथा मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक निधि तथा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत कवर किया जा रहा है।

नहरों द्वारा भूमि की सिंचाई

3541. श्री गोरखनाथ पाण्डेय: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां नदियां और नहरें सिंचाईं का प्रमुख साधन हैं;

(ख) देश में कुल कृषि भूमि का राज्य-वार कितना प्रतिशत नदियों और नहरों द्वारा सिंचित है;

(ग) क्या नहरों का पानी सभी लाभान्वितों तक पहुंच पाता है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं तथा इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) देश में मार्च, 2008 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, 104.4 मिलियन हेक्टेयर (एमएमए) की सिंचाई क्षमता सृजित की गई। वृहद और मध्यम सिंचाई से सृजित सिंचाई क्षमता 43.01 मिलियन हेक्टेयर है तथा सतही लघु सिंचाई से सृजित सिंचाई क्षमता 14.57 मिलियन हेक्टेयर है वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की नहर प्रणाली के द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के मामले में लघु सिंचाई से अधिक है।

(ख) वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता की राज्यवार प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सृजित एवं प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच अंतर के संबंध में अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता और लखनऊ के भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षो से पता चलता है कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर पानी नहर के अंतिम सिरे के लाभग्राहियों तक नहीं पहुंचता है। इस अध्ययन में पहचान किए गए कारणों में नहर में गाद जमा होना, नहर में खरपतवार का उगना, अपर्याप्त रखरखाव तथा ऊपरी छोर के किसानों द्वारा अधिक सिंचाई करने की प्रवृत्ति आदि है। जल संसाधन मंत्रालय, सृजित सुविधाओं के कुशल उपयोग के लिए कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यन्वयन कर रहा है। सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) पर भी समुचित बल दिया गया है।

विवरण

मार्च 2008 तक कुल सृजित सिंचाई क्षमता में वृहत एवं मध्यम सिंचाईं परियोजनाओं की सहायता से सृजित सिंचाई क्षमता का प्रतिशत

राज्य	कुल सृजित सिंचाई क्षमता मे वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सहायता से सृजित सिंचाई क्षमता का प्रतिशत
1	2
आंध्र प्रदेश	54.90
असम	33.33
बिहार	38.58
छत्तीसगढ़	74.69
गोवा	57.14
गुजरात	52.52
हरियाणा	57.29
हिमाचल प्रदेश	11.76
झारखण्ड	47.24
जम्मू और कश्मीर	34.43
कर्नाटक	56.96
केरल	61.24
मध्य प्रदेश	39.49
महाराष्ट्र	50.00
मणिपुर	57.14
उड़ीसा	54.74
पंजाब	42.90

1	2
राजस्थान	54.50
तमिलनाडु	42.59
त्रिपुरा	12.50
उत्तर प्रदेश	26.84
उत्तराखंड	34.52
पश्चिम बंगाल	30.53

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी सम्मेलन

3542. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डीः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार शरणार्थियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1951 की पुष्टि करने का है; और

(ख यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पशुओं के साथ अत्याचार

3543. श्री मधु गौड यास्खीः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में परिक्षण हेतु पशुओं के साथ अत्याचार किए जाने की घटना सरकार के ध्यान में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसंधान के प्रयोजनार्थ रखे गए जानवरों को स्टेनलेस स्टील के पिंजरों तथा स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर वातावरण में रखा जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इस संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन जानवरों पर प्रयोग संबंधी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण (सी पी सी एस ई ए) के प्रयोजनार्थ समिति के मानकों एवं दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है। इन जानवरों के स्वास्थ्य की नियमित तौर पर जांच की जाती है।

पासपोर्ट जारी करना

3544. श्री निशिकांत दुबेः
श्रीमती दर्शना जरदोशः
श्री अंजनकुमार एम. यादवः
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय-वार एवं वर्ष-वार पासपोर्ट जारी करने से संबंधित कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं और कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यालयों में लंबित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पासपोर्ट कार्यालियों में कदाचार के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी पासपोर्ट कार्यालय-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम.कृष्णा): (क) विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष जनवरी-जून, 2009 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट जारी करने हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा जारी किए गए पासपोर्टो की संख्या विवरण I में दी गई है।

(ख) 8.7.2009 की स्थिति के अनुसार नये आवेदनों हेतु 30 दिन और पुनः जारी किए जाने वाले आवेदनों हेतु 15 दिन की

निर्धारित लक्ष्य तिथि के बाद पासपोर्ट कार्यालय-वार लंबित आवेदनों की संख्या संबंधी सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में स्टाफ की कमी है। सरकार ने पासपोर्ट सेवा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) में समूह "क" और "ख" में 197 पद तथा समूह "ख के 219 पदों को अनुमोदित किया है। सरकार पदोन्नति द्वारा तथा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए पासपोर्ट कार्यालयों में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठा रही है। फरवरी 2009 में कर्मचारी चयन आयोग को 193 अवर श्रेणी लिपिकों हेतु मांगपत्र भेजा गया है। कर्मचारी चयन आयोग को अधिसूचित की गयी विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक की रिक्तियों की सूची संलग्न विवरण II में दी गई है। पासपोर्ट कार्यालयों में उच्चतर स्तर के पदों को जनवरी, 2009 में विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति द्वारा भरा गया है। आशा है कि कर्मचारी चयन आयोग से नियमित स्टाफ वर्ष के दौरान तैनात हो जाएगा।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों तथा जनवरी-जून 2009 के दौरान प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदनों जारी किए गए पासपोर्टों तथा 8.7.2009 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या

क्षे.पा.का./पा. का. का नाम	2006 में प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदनों की संख्या	2006 में जारी पासपोर्ट की संख्या	2007 में प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदनों की संख्या	2007 में जारी पासपोर्ट की संख्या	2008 में प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदनों की संख्या	2008 में जारी पासपोर्ट की संख्या	जनवरी-जून, 2009 प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदनों की संख्या	जनवरी-जून, 2009 में जारी पासपोर्टो की संख्या	8.7.2009 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अहमदाबाद	237044	242363	271278	276396	272609	280415	148559	145918	2638
अमृतसर#	0	0	0	0	53306	34190	50720	41088	14317
बंगलौर	241202	271941	270124	279812	321287	310436	136492	135297	23091
बरेली	60404	57327	67906	64280	70852	65950	37038	27369	19136
भोपाल	78132	71097	81127	83826	69394	70187	37530	29943	23223
भुवनेश्वर	38616	34813	39642	44542	46620	49938	23361	22643	14699
चंडीगढ़	250131	244664	283233	278411	294120	307760	131187	133632	38066
चैन्नई	291916	300503	299488	305238	292756	307433	103942	99565	44584
कोचीन	203212	205028	215411	241205	249626	249513	89976	92060	12888
कोयंबटुर##	0	0	0	0	20926	11409	38814	32130	11263
देहरादून###	0	0	0	0	20668	14314	21941	22237	3578
दिल्ली	242415	249174	247712	227330	272075	280168	155909	137295	59759
गाजियाबाद	70059	65957	79784	83250	93610	92645	63311	51220	4005
गुवाहाटी	27056	23711	29870	27254	35036	31872	18615	13056	13042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हैदराबाद	382121	403895	392869	4000266	373172	372001	163331	128117	69516
जयपुर	154353	132406	159989	188573	195568	174081	82291	78730	54087
जालंधर	201527	204765	223463	215750	198787	191409	65503	75886	6623
जम्मू	16795	13419	17872	17113	15937	16938	11524	9131	9647
कोलकाता	156539	152210	182224	170306	232897	200007	109462	94774	54297
कोझीकोड	236375	250350	169180	170070	193747	195112	99658	100651	10141
लखनऊ	228262	169023	268647	303118	332521	334233	183849	161309	18768
मदुरै####	0	0	2965	346	149670	131602	62917	64894	7475
मल्लापुरम्	42348	21056	138731	153689	155941	152176	76225	72221	9489
मुम्बई	261004	263770	299028	294019	298577	293651	145289	136207	3830
नागपुर	41912	38401	50174	46701	56768	59701	31947	25728	3113
पणजी	25660	25630	28825	28421	30381	30755	15460	14389	1367
पटना	96990	75949	147395	119206	206974	164020	93204	86176	90158
पुणे	97609	168243	109971	107955	119895	120786	59614	58730	12894
रायपुर#####	0	0	412	46	22101	16115	11932	11399	13221
रांची	27359	24317	31757	33409	42286	38409	22001	29404	15479
शिमला######	0	0	17022	11947	27292	26257	12342	12543	1758
श्रीनगर	13757	11906	15616	13897	15247	14812	23417	8593	24603
सूरत	80000	78246	90773	96980	87901	89479	433358	442228	5001
ठाणे	114812	115819	142229	139669	149925	151497	78135	71361	7789
त्रिची	279713	303684	287862	285627	143907	177306	64314	67090	7788
त्रिवेंद्रम	137150	141280	151104	149135	164699	163077	68402	68433	7734
विशाखापटनम	88241	80821	82172	83773	83234	90737	29708	32277	531
योग	4422714	4441768	4895855	4941560	5411312	5310391	2611278	2433724	719598

-अमृतसर में जून, 2008 में खोला गया।

-कोयंबटूर में सितंबर, 2008 में खोला गया।

-देहरादून में जून, 2008 में खोला गया।

-मदुरै में दिसंबर, 2007 में खोला गया।

-रायपुर में दिसंबर, 2007 में खोला गया।

-शिमला में मार्च, 2007 में खोला गया।

विवरण II

विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिकों का आबंटन

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय	कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजा गया मांगपत्र
1.	अहमदाबाद	20
2.	अमृतसर	9
3.	बंगलौर	12
4.	भोपाल	2
5.	भुवनेश्वर	5
6.	चेन्नै	7
7.	कोयंबटूर	10
8.	देहरादून	2
9.	गुवाहाटी	16
10.	जयपुर	6
11.	कोलकाता	13
12.	मदुरै	5
13.	मल्लापुरम	13
14.	मुम्बई	10
15.	नागपुर	7
16.	पणजी	3
17.	पटना	4
18.	पुणे	17
19.	रायपुर	7
20.	रांची	5
21.	शीमला	7
22.	सुरत	10
23.	विशाखापट्टनम	3
	योग	193

भारतीय शांति सैनिक

3545. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संयुक्त राष्ट्र को विभिन्न देशों में शांति बनाए रखने के अभियान में सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अन्य देशों की तुलना में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत का योगदान कितना है;

(ग) उक्त शांति अभियानों में कितने भारतीय सैनिक हताहत हुए है; और

(घ) मारे गए उक्त सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): (क) और (ख) जी हां। 30 जून, 2009 की स्थिति के अनुसार 9 (नौ) संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियानों के लिए भारत 8607 सैनिकों, पुलिस और सैन्य प्रेक्षकों का योगदान दे रहा है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं। तुलनात्मक दृष्टि से भारत ऐसा तीसरा सबसे बढ़ा अंशदाता है। शांतिरक्षा कार्रवाइयों में देशवार योगदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) 30 जून, 2009 तक संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा कार्रवाइयों में भारत के 131 सैनिक हताहत हुए।

(घ) दिनोंक 20 जनवरी, 1998 के संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 51/177 के अनुसार शांतिरक्षा कार्रवाइयों में मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मुआवजा दिया जाता है।

विवरण I

संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान शांति रक्षा कार्रवाइयों में भारत की भागीदारी (30 जून, 2009 की स्थिति के अनुसार)

मिशन	योगदान	संख्या
1	2	3
यूएनआईएफआईएल लेबनान	पैदल बटालियन	898
एमओएनयूसी डीआर कांगो	सैनिक, स्टाफ अधिकारी और	4248
	सैन्य प्रेक्षक	48
	संगठित पुलिस एकक (2)	246

1	2	3
यूएनडीओएफ गोलन हाइट्स	सैनिक	193
यूएनएमआईएल लाइबेरिया	महिला संगठित पुलिस एकक	128
यूएनएमआईएस सूडान	सैनिक	2,606
	सैन्य प्रेक्षक	17
	असैनिक पुलिस	38
यूएनओसीआई आइवरी कोस्ट	सैन्य प्रेक्षक	08
यूएनएफआईसीवाईपी साइप्रस	असैनिक पुलिस	07
यूएनएमआईटी पर्वी तिमोर	असैनिक पुलिस	19
	सैन्य प्रेक्षक	1
एमआईएनयूएसटीएएच हैती	असैनिक पुलिस	150
	कुल योग	8,607

विवरण II

संयुक्त राष्ट्र अभियानों में सैन्य एवं पुलिस भागीदारी की रैकिंग (30 जून, 2009 के अनुसार)

1.	पाकिस्तान	10,603
2.	बंग्लादेश	9,982
3.	भारत	8,607
4.	नाइजीरिया	5,960
5.	नेपाल	4,148
6.	रवांडा	3,584
7.	जॉर्डन	3,231
8.	घाना	3,159
9.	मिस्त्र	2,956
10.	इटली	2,690
11.	उरुग्वे	2,533
12.	इथोपिया	2,394
13.	चीन	2,153
14.	सेनेगल	2,127
15.	दक्षिण अफ्रीका	1,983
16.	फ्रांस	1,879
17.	इंडोनेशिया	1,617
18.	मोरक्को	1,561
19.	बेनीन	1,349
20.	ब्राजील	1,346
21.	पोलैंड	1,149
22.	स्पेन	1,094
23.	श्री लंका	1,040
24.	मलेशिया	913
25.	कीनिया	881
26.	अर्जेंटीना	857
27.	टोगो	821
28.	जांबिया	723
29.	फिलीपींस	592
30.	नाइजर	579
31.	तुर्की	564
32.	चिली	543
33.	आस्ट्रेलिया	522
34.	टयूनिशिया	504
35.	आयरलैंड	465
36.	बोलीबिया	441
37.	कोरिया गणराज्य	390
38.	जांबिया	377
39.	उक्रेन	375
40.	पुर्तगाल	345
41.	रूस	328
42.	ग्वाटेमाला	288
43.	यूनाइटेड किंगडम	283

44.	जर्मनी	282	74.	अल्बानिया	63
45.	फिजी	268	75.	नामीबिया	60
46.	मंगोलिया	258	76.	ग्रीस	59
47.	बेल्जियम	246	77.	कंबोडिया	58
48.	पेरू	233	78.	नीदरलैंड	54
49.	यमन	226	79.	जिबुती	54
50.	स्लोवाकिया	212	80.	चाड़	50
51.	नार्वे	209	81.	मेडागास्कर	39
52.	कनाडा	176	82.	जापान	39
53.	मालदीव	168	83.	न्यूजीलैंड	39
54.	क्रोएशिया	155	84.	थाइलैंड	35
55.	कोट डी आइवरी	155	85.	डेनमार्क	30
56.	जिम्बावे	133	86.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	26
57.	तंजानिया	131	87.	जमाइका	26
58.	केमरून	119	88.	सर्बिया	24
59.	अल सल्वाडोर	116	89.	किर्गीस्तान	24
60.	आस्ट्रेलिया	110	90.	सिंगापुर	23
61.	फिनलैंड	100	91.	बोसनिया और हर्जेगोविना	23
62.	गिनी	97	92.	कोलंबिया	22
63.	रोमानिया	96	93.	कांगो डीआर	22
64.	इक्वाडोर	96	94.	समोआ	20
65.	हंगरी	93	95.	स्विटजरलैंड	18
66.	संयुक्त राज्य अमेरिका	93	96.	वनुआतु	18
67.	बुरकिना फासो	92	97.	होंडुरास	12
68.	प्राग	90	98.	चेक गणराज्य	10
69.	माली	89	99.	मोजांबिक	9
70.	उगांडा	88	100.	मोलदोवा	6
71.	सिया लियोन	86	101.	अल्जीरिया	6
72.	बुरुंडी	76	102.	ब्रुनेई	5
73.	स्वीडन	73	103.	तजाकिस्तान	5

104.	लीबिया	5
105.	ग्रेनाडा	3
106.	कतर	3
107.	स्लोवेनिया	3
108.	लक्जमबर्ग	3
109.	गेबोन	3
110.	पलाऊ	2
111.	आइसलैंड	2
112.	साइप्रज	2
113.	ईरान	2
114.	मोटीनिग्रो	2
115.	इस्टोनिया	2
116.	बुल्गानिया	1
117.	मेसेडोनिया एफवाईआर	1
118.	कजाकिस्तान	1

रोजगार सृजन

3546. श्री रायपति सांबासिवा राव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू एन फूड एण्ड एग्रीक्लचर ऑर्गेनाइजेशन (एफ ए ओ) ने हाल ही में यह बताया है कि सतत एन प्रबंधन में निवेश करके 10 मिलियन नए हरित रोजगार सृजित किए जा सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एफएओ के अनुमानों के मद्देनजर भारतीय संदर्भ में सतत वन विकास के माध्यम से रोजगार सृजन की संभावना का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराने का है;

(ग) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षो के दौरान सतत वन विकास को प्रोत्साहन देने हेतु क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी नहीं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं। वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय स्तर नीतिगत मामलों के लिए नोडल बॉडी के रूप में कार्य करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय में सतत वन प्रबन्धन (एस एफ एम) प्रकोष्ठ गठित किया गया है। सभी राज्यों को संबंधित राज्य। संघ शासित प्रदेशों के वन विभागों में वर्किंग योजना से डील करने के लिए अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर अनुरूप एस एफ एम प्रकोष्ठ सृजित करने के निवेदन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस एफ एम उद्देश्यों की उपलब्धियों हेतु साधन के रूप में मानदण्ड और सूचकों के विकास की अनुवर्ती कार्रवाई हेतु मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर एस एफ एम के लिए 8 मानदंड और 37 सूचक भी विकसित किए हैं। इन मानदंडों और सूचकों को देश में विभिन्न राज्यों में प्रारम्भिक परीक्षण के बाद राष्ट्रीय वर्किंग योजना कोड में उपयुक्त रूप से शासित किया जायेगा। मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित की गई सभी वानिकी स्कीमें वनों के सतत विकास के सिद्धान्त पर आधारित हैं।

विदेशों में यूरेनिय खानों का अधिग्रहण

3547. श्री वैजयंत पांडा:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में न्यूक्लियर रिएक्टरों को यूरेनियम की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के मद्देनजर अन्य देशों में यूरेनियम खानों का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में नए यूरेनियम खानों का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, रूस, नामिबिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान जैसे अन्य देशों में कंपनियों के साथ, यूरेनियम के गुणधर्मों में भागीदारी की संभावना का पता लगा रहा है

(ग) जी, हां।

(घ) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इडिया लिमिटेड झारखण्ड में मोहुलडीह नामक स्थान पर एक नई खान, और आन्ध्र प्रदेश में तुम्मल्लापल्ली नामक स्थान पर एक खान तथा एक संसाधन संयंत्र का निर्माण कर रहा है यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का विचार, आन्ध्र प्रदेश में लंबापुर-पेड्डागट्ट नामक स्थान पर खानें तथा मिल, कर्नाटक में गोगी नामक स्थान पर एक खान और मेघालय में किलेंग पेंगडेंगसोहियांग, मावथाबाह नामक स्थान पर एक खान तथा मिल स्थापित करने का है।

हिम तेन्दुओं की घटती संख्या

3548. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षो से हिम तेंदुओं की संख्या में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या इनके संरक्षण हेतु कोई परियोजना शुरु की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) स्नो लेपर्ड हिमालय क्षेत्र की प्रबल ऊंचाइयों में पाया जाने वाला सार्वधिक दुग्राहा पशु है। स्नोलेपर्ड की पारिस्थितिकी और आबादी के बारे में बहुत कम जानकारी है। भारत में स्नोलेपर्ड की आबादी में कमी दर्शाने वाली कोई रिपोर्ट मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है। यद्यपि देश में स्नोलेपर्ड का कोई व्यापक, सुस्पष्ट आकलन नहीं किया गया है, एक अनुमान के अनुसार भारत में 400 से 700 स्नोलेपर्ड हैं।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 20 जनवरी 2009 को, निम्नालिखित उद्देश्यों के साथ "स्नोलेपर्ड परियोजना" शुरु की गई।

(1) वन्यजीव संरक्षण के लिए भूपरिदृश्य-स्तरा दृष्टिकोण को सुसाध्य बनाना।

(2) मौजूदा सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को पुनर्गठित करना और सुरक्षित क्षेत्र प्रबंध को बेहतर बनाना।

(3) सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवन संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क विकसित करना और पारिस्थितिकीय रूप से उत्तरदायी विकास को बढ़ावा देना।

(4) स्नोलेपर्ड के लिए संरक्षण और रिकवरी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

(5) वन्यजीवन सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के लिए ठोस उपायों को बढ़ावा देना।

(6) मानव-पुश भिडंत की बेहतर समझ और प्रबन्ध को बढ़ावा देना।

(7) अवक्रमित भूपरिदृश्य का जीर्णोद्वार करना।

(8) संरक्षण के लिए ज्ञान आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और वन्यजीव प्रबंध के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क।

(9) प्राकृतिक संसाधनों पर मौजूदा मानव जाति दबावों को कम करना।

(10) संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना।

वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (घटक-अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार 'स्नोलेपर्ड परियोजना' के तहत परिकल्पित कार्यो को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। प्रति वर्ष राज्य सरकारों से परिचालनों की वार्षिक योजना के रूप में प्राप्त प्रस्तावों पर केन्द्र सरकारों द्वारा कोषों की उपलब्धता और आवश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरा होने की शर्त पर विचार किया जाता है।

पिछले वित्तीय वर्ष (2008-09) के दौरान इस घटक के अन्तर्गत संबंधित राज्यों को जारी धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	धनराशि लाख रुपये में
1.	जम्मू और कश्मीर	126.00
2.	उत्तराखण्ड	86.40

[हिन्दी]

कोल लिंकेज को रद्द किया जाना

3549. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी/सरकारी क्षेत्र की कंपनियां देश में विशेषकर उड़ीसा एवं झारखण्ड राज्य में रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु उनको आवंटित कोल लिंकेज का उपयोग करने में असमर्थ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और रक्षित विद्युत संयंत्रों की क्षमता कितनी है और उन कंपनियों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन रक्षित विद्युत संयंत्रों के कोल लिंकेज को रद्द कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त कंपनियों को कोल लिंकेज को पुर्नआबंटित करने हेतु कोई निदेश जारी करने का हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) 22/23 अक्तूबर 2008 को हुई स्थायी लिकेज समिति (दीर्घावति) की बैठक के दौरान समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, उन केप्टिव विद्युत संयंत्रों को जारी लिंकजों की स्थिति की समीक्षा की, जहां न तो संयंत्र स्थापित किए गए हैं और न ही कोयले की आपूर्ति के लिए कोयला कम्पनियों के साथ ईधन आपूर्ति करार सम्पन्न किए गए हैं। समिति ने उन मामलों के लिंकेजों को रद्द करने की सिफारिश की जिनमें यह महसूस किया गया है कि लिंकेज धारक ने परियोजना की स्थापना नहीं की है अथवा जहां परियोजना की स्थापना में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। तथापि, बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित करते समय सक्षम प्राधिकारी ने निदेश दिया कि इन मामलों का आगे समीक्षा हेतु पुन: अवलोकन किया जाए। तद्नुसार, कोल इंडिया ने इन मामलों की समीक्षा करने और अपनी व्यापक स्थितियां एवं सिफारिशें मंत्रालय को भेजने के निदेश दिए। इस प्रकार समीक्षा किए गए मामलों में से ऐसे 25 मामले थे, जिनमें लिंकेज धारक ने संबंधित कोयला कम्पनियों के उन पत्रों का जवाब नहीं दिया, जिनसे उसके परियोजना की स्थिति अथवा उन मामलों, जहां मंजूर किए गए लिंकेज हेतु परियोजना के लिए ब्लाक आंवटित किए गए हैं, को मांगा गया था, इसलिए इन लिंकजों को तत्काल निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, यदि परियोजना विकासकर्ता अपनी परियोजना के लिए नए सिरे से आश्वासन पत्र प्राप्त करने हेतु पुन: आवेदन करना चाहता है तो नयी कोयला वितरण नीति के अनुसार यह निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार ऐसा कर सकता है। जिन मामलों में लिंकेजों को समाप्त करने का अनुमोदन हुआ है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उन मामलों की सूची जिनमें लिंकजों को समाप्त करने का अनुमोदन हुआ है

क्र.सं.	यूनिट का नाम	क्षमता (एमडब्ल्यू)	स्थान तथा राज्य	मात्रा (एनटीपीए में)	कोयला कम्पनी
1	2	3	4	5	6
			आन्ध्र प्रदेश		
1.	जीएमआर टेक्नोलोजिज एंड इंडस्ट्रीज लि, एपी	16	शंकली रीगिड़ आमामलावालासा मांदम, श्रीकाकुलाम आन्ध्र प्रदेश	0.036	एमसीएल
			छत्तीसगढ़		
2.	सुनील स्पंज प्रा. लि.	16	प्लाट न.-96 एंड 97, फेस-2, सीत्तारा इंडस्ट्रीयल, ग्रोथ सेन्टर, छत्तीसगढ़	0.094	एसईसीएल

1	2	3	4	5	6
3.	देवी आयरन एंड पावर प्रा. लि.	24	ग्राम-तांडा, मोहंदी रोड ब्लाक, धारशिवा, रायपुर छत्तीसगढ़	0.141	एसईसीएल
4.	शिवालय इस्पात एंड पावर प्रा. लि.	16	गुमा उरला रोड, ग्राम-कारा, जिला-रायपुर सीजी	0.094	एसईसीएल
5.	रामेश्वरम स्टील एंड पावर प्रा. लि.	12	ग्राम-बादेगुमदा, घरगोदा, रायगढ़ छत्तीसगढ़	0.071	एसईसीएल
6.	श्री श्याम इस्पात इंडिया प्रा. लि.	12	ग्राम-तराईमल, तहसील घरगोदा, जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़	0.071	एसईसीएल
7.	एम.एस.पी.स्टील एंड पावर लि.	16	ग्राम-जामगांव, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़	0.094	एसईसीएल
8.	अग्रवाल स्पांज प्रा. लि.	16	सीलतारा इंडस्ट्रियल एरिया, रायपुर छत्तीसगढ़	0.094	एसईसीएल
9.	एनआर स्पांज प्रा.लि.	12	गांव-बाहेसर, सीलतारा इंडस्ट्रीयल, ग्रोथ सेन्टर, रायपुर, छत्तीसगढ़	0.071	एसईसीएल
10.	वन्दना जेएमजी पावर एंड स्टील लि.	12	प्लाट न. 33, भानपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, पो. अ. बीरगांव, रायपुर छत्तीसगढ़	0.077	एसईसीएल
			उड़ीसा		
11.	आरती स्टील लि.	40	घान्टीखाल, कटक, उड़ीसा	0.023	एमसीएल
12.	केआर एलोएस लि.	25	के. आर.एलॉएस, उड़ीसा	0.169	एमसीएल
13.	ओसीएल आयरन एंड स्टील लि.	8	गावं-लैमलोई, पो.आ.-गरवाना, राजगंगपुर, उड़ीसा	0.047	एमसीएल
14.	बिन्दल स्पांज लि.	8	शुनाखानी, एकाघारिया, पी.पी. तालचर टाउन, जिाल-अंगुल, उड़ीसा	0.047	एमसीएल
15.	एल एंड टी	60	रायागादा, जिला-उड़ीसा	0.570	एमसीएल
16.	हिंडालकों इंडस्ट्रीज	725	लापांगा-उड़ीसा	3.060	एमसीएल
			राजस्थान		
17.	एसआरएफ लि.	12	गांव, झीवान, तहसील-तिजारा, जिला-अलवर, राजस्थान	0.060	सीसीएल

1	2	3	4	5	6
			उत्तर प्रदेश		
18.	धामपुर शुगर मिल्स. लि.	23	धामपुर, यू.पी.	0.125	सीसीएल
19.	डीएसएम शुगर, रौजागांव	22	रौजागांव, बाराबंकी, यू.पी.	0.120	एसईसीएल
			पश्चिम बंगाल		
20.	नियो मेटालिक्स लि.	50	गांव-गोपालपुर दुर्गापुर, जिला-बर्दवान, पश्चिम बंगाल	0.220	ईसीएल
21.	ब्राहमी इन्पेक्स प्रा. लि.	50	मौजा-बसुधा एंड राजमाधवपुर पी. ओ.-बरजोरा, जिला-बंकुरा, पश्चिम बंगाल	0.115	ईसीएल
22.	श्याम स्टील इंडस्ट्रीज	50	मौजा-बृन्दावंनपुर, पी.ओ.बेलीटोर, जिला-बंकुरा, पश्चिम बंगाल	0.115	ईसीएल
23.	रोहित फेरो टेक लि.	30	बिष्णुपुर जिला-बंकुरा, पश्चिम बंगाल	0.138	ईसीएल
24.	हावड़ा गैसेस लि.	12	वार्ड न. जी-4ए, मंगला-पुर इंडस्ट्रीयज स्टेट, रानीगंज, जिला-बर्दवान, पश्चिम बंगाल	0.055	ईसीएल
25.	श्याम फेरो एलोएस	25	अंगदपुर बर्दवान, पश्चिम बंगाल,	0.137	एमसीएल

स्वास्थ्य परियोजनाओं में अनियमितताएं

3550. श्री जगदम्बिका पालः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री सुशील कुमार सिंहः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व बैंक ने तपेदिक और मलेरिया के उन्मूलन एवं एचआईवी/एड्स नियंत्रण से संबंधित पांच परियोजनाओं में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विस्तृत जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(च) क्या विश्व बैंक भारत में स्वास्थ्य परियोजनाओं को धन दिए जाने को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) 11 जनवरी, 2008 को विश्व बैंक ने 5 स्वास्थ्य क्षेत्र परियोजनाओं, जिन्हें 1997 से 2006 के अंत तक भिन्न-भिन्न अवधियों के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा था की समीक्षा के आधार पर एक विस्तृत कार्यान्वियन समीक्षा रिपोर्ट का आदान-प्रदान किया था। एक परियोजना राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र के अधीन थी। पांच स्वास्थ्य क्षेत्र परियोजनाएं हैं: (1) संशोधित राष्ट्रीय क्ष्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी-I) (8 मई 1997 से 31 मार्च 2006) (124.8 मीलियन अमेरिकी डालर) (2) संवर्धित मलेरिया नियंत्रित परियोजना (ईएमसीपी) 27.10.1997 से 31 दिसम्बर,

2005) (114 मिलियन अमेरिकी डॉलर) (3) उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (ओएचएसडीपी) (8 सितम्बर, 1998 से 31 मार्च, 2006) 82.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (4) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-II (एनएसीपी-II) (11 सितम्बर, 1999 से 31 मार्च, 2006 तक) (193.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और (5) खाद्य औषध क्षमता निर्माण परियोजना (एफडीसीबीपी) (17 अक्टूबर, 2003 से 30 जून, 2008 तक) (54 मिलियन अमेरिकी डॉलर) सभी परियोजनाएं पहले ही समाप्त हो गयी हैं। जहां तक एड्स और क्षयरोग का संबंध है, उत्तरवर्ती परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है।

इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने मिलिभगत होने, बोली में चालाकी बरतना, सिविल कार्यो में कमी, स्टाफ की कमी के कारण उपकरणें को संस्थापित ने करना आदि जैसे प्रापण, निरीक्षण और कार्यान्वयन से संबंधित कमियों के संकेतकों के बारे में उल्लेख किया है। सूचित की गई अधिकांश कमियां जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत प्रापणों से संबंधित हैं जो राज्य स्तर पर कार्यान्वित किये जाते हैं।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में बहुत-सी कमियां हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बात पर बल देते हुए विश्व बैंक द्वारा अंगीकृत विधि में कमियों पर अपनी प्रतिक्रिया पहले ही व्यक्त कर दी हैं कि विश्व बैंक ने समीक्षा के दौरान अथवा समीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले किसी भी कार्यक्रम अधिकारी के साथ चर्चा नहीं की। इन चर्चाओं ने रिपोर्ट में उठाए गए अधिकतर मुद्दों को स्पष्ट कर दिया होता। यदि ऐसा कर दिया गया होता तो अधिकांश अनुमान भिन्न-भिन्न होते।

भारत सरकार सभी स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों चाहे वे घरेलू रूप से वित्तपोषित हों अथवा बाह्मा रूप से, की कमियों अथवा अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। संरचनात्मक कमियां जो पूववर्ती कार्यक्रमों में नोट की गईं, उन पर उत्तरवर्ती कार्यक्रमों में ध्यान दिया गया है। जब कभी ऐसी अनयिमितताएं सरकार के ध्यान में आयी हैं, विगत में जहां कहीं अपेक्षित था, समुचित कार्रवाईयां की गयी है। की गई कुछ आपराधिक, दाण्डिक और अनुशासनिक कार्रवाइयां इस प्रकार हैं:

(i) सूचित मिलीभगत के आरोपों के आधार पर जुलाई, 2005 में दो फर्मो अर्थात् मैसर्स नेस्टर फार्मास्यूटिकल्स और मैसर्स प्योर फार्मा के साथ व्यापार को समाप्त किया गया। अंतत, मैसर्स प्योर फार्मा लिमिटेड को दिनांक 31.07.2008 तक काली सूची में डाल दिया गया। तथापि, मैसर्स प्योर फार्मा के साथ व्यापार करने के इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रतिसंहरण किया गया/ उसे वापिस ले लिया गया। मैसर्स नेस्टर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने निलम्बन के विरूद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 6969/2007 दायर की है और न्यायालयों के निर्देशानुसार इस फर्म को काली सूची में डालने की प्रक्रिया को आस्थगित रखा गया है।

(ii) केंद्रीय जांच ब्यूरों द्वारा मैसर्स प्योर फार्मा और मैसर्स नेस्टर फार्मास्यूटिकल्स के विरूद्ध एक मामला पंजीकृत किया गया और जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कुछ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।

(iii) प्रापण सहायता अभिकरणों से दो अधिकारियों (हॉस्पिटल सर्विसेस कन्सल्टेंसी कार्पोरेशन के श्री एम.पी.गुप्ता और हिंदुस्तार लेटेक्स लिमिटेड के श्री बसंत भट्ट) जो प्रापण अनियमितताओं में तथाकथित रूप से सम्मिलित थे, को 2006 में निलम्बित कर दिया गया।

बसंत भट के विरूद्ध जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर उसे निर्दोष ठहराया गया है। श्री एम. पी.गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अग्रिम चरण में है।

इसके अलावा, रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद, निम्नलिखित कार्रवाइयां की गई हैं:-

(i) प्रापण, कार्यान्वयन एवं निरीक्षण से संबंधित विश्व बैंक की रिपोर्ट में बतलाई गई कमियों को दूर करने के लिए विशिष्ट कार्यकलापों एवं समय-सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक के साथ गहन विचार-विमर्श करने के बाद एक संयुक्त कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

(ii) छत्तीसगढ़ एवं कर्नाटक से संबंधित तीन नए मामलों को आगे की जांच-पड़ताल के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों को सुपुर्द किया गया। इनमें से एक ही पहचान लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के विश्लेषण के जरिए की गई। ये मामले जांच-पड़ताल के अग्रिम चरण में है। ऐसे ही एक मामले में, उड़ीसा सरकार ने एक आपराधिक मामला दर्ज किया है और विभागीय कार्यवाहियां शुरू की हैं।

(iii) उड़ीसा सरकार ने राज्य स्वास्थ्य प्रणाली रिपोर्ट से संबंधित विश्व बैंक की रिपोर्ट में बतलाई गई सभी कमियों की जांच करने के लिए पूर्ण सतर्कता जांच का आदेश दिया है।

(च) और (छ) जी, नहीं। विश्व बैंक नई परियोजनाओं के लिए भी निधियां प्रदान कर रहा है। 'राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग

नियंत्रण एवं पोलियों उन्मूलन परियोजना' नामक एक नई परियोजना जिसमें 5 वर्षों की अवधि के लिए 521 मिलियन यूएसडी की राशि निहित होगी तथा जो 2008-09 से शुरू होगी, को विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह 6 मार्च, 2009 से प्रभावी हो गई है।

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय

3551. श्री एंटो एंटोनी: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रवासी भारतीयों संबंधी आंकड़ें उपलब्ध हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां। विभिन्न देशों में प्रवासी भारतीयों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

क्र.सं.	देश	प्रवासी भारतीयों की अनुमानित संख्या	अनिवासी भारतीय	भारतीय मूल के लोग
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	3,500	3,500	0
2.	अलबानिया	15	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	अल्जीरिया	450	447	3
4.	अंडोररा	121	81	40
5.	अंगोला	1,000	700	300
6.	एंटीगुआ और बरबुडा	640	30	610
7.	अर्जेंटिना	1,400	300	1,100
8.	अर्मेनिया	560	550	10
9.	अरूबा	300	50	250
10.	ऑस्ट्रेलिया	3,81,000	1,47,000	2,34,000
11.	ऑस्ट्रिया	20,000	3,510	16,490
12.	अजरबैजान	685	635	50
13.	बाहामास	410	400	10
14.	बहरीन	314,365	3,13,362	1,003
15.	बांग्लादेश	10,000	10,000	00
16.	बारबोडास	3,330	330	3,000
17.	बेलारूस	632	630	2
18.	बेल्जियम	17,000	7000	10,000

1	2	3	4	5
19.	भूटान	0	0	0
20.	बोल्विया	39	20	19
21.	बोस्निया और हर्जेगोविना	30	30	0
22.	बोतस्वाना	11,000	9,000	2,000
23.	ब्राजील	1,000	800	200
24.	ब्रुनेई दारूस्सलाम	7,000	7,000	00
25.	बुल्गारिया	275	175	100
26.	बुरकिना फासो	155	150	05
27.	बुरूंदी	250	200	50
28.	कम्बोडिया	345	345	0
29.	कनाडा	10,00,000	2,00,000	8,00,000
30.	केप वर्डे आइलैंड	12	12	0
31.	केमान आइलैंड	860	850	10
32.	चिले	1,180	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
33.	चीन	24,767	24,000	767
34.	चीन (हांग कांग)	37,250	23,000	14,250
35.	चीन (ताईवान)	2,525	2,500	25
36.	कोमोरोस	1,025	10	1,015
37.	कोंगो (लोतांत्रिका गणराज्य)	4,000	3600	400
38.	कोस्टा राइस	32	30	2
39.	कोट डी 'आईवोर	450	446	04
40.	क्रोटिया	38	25	13
41.	क्यूबा	07	02	05
42.	साइप्रस	2700	2675	25
43.	चेक गणराज्य	500	400	100
44.	डेनमार्क	6,196	4,069	2,127
45.	दिजबोटी	380	375	05
46.	डोनिनिका (कॉमनवेल्थ ऑफ)	530	30	500

1	2	3	4	5
47.	डोमिनिकन गणराज्य	15	05	10
48.	ईस्ट टिमोर	65	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
49.	मिश्र	2,500	2,400	100
50.	इल स्लावाडोर	25	24	01
51.	इक्वेटारियल गुनिया	100	100	00
52.	इरीट्रिया	500	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
53.	इस्टोनिया	75	65	10
54.	इथोपिया	2,005	2,000	05
55.	फिजी	3,10,833	740	3,10,093
56.	फिनलैंड	1,700	1,150	550
57.	फ्रांस	65,000	10,000	55,000
58.	फ्रांस (रियूनियन आइलैंड)	2,85,160	10,160	2,75,000
59.	गाम्बिया	103	101	2
60.	जोर्जिया	150	150	0
61.	जर्मनी	70,495	42,495	28,000
62.	घाना	7,100	7,000	100
63.	ग्रीस	12,060	12,000	60
64.	ग्रेनाडा	5,100	100	5,000
65.	गोटेमाला	24	21	3
66.	गुनिया (रिपब्लिक ऑफ)	270	270	00
67.	गुनिया बिस्साऊ	31	31	0
68.	गुआना	3,50,300	300	3,50,000
69.	हेयती	08	03	05
70.	होनडुरास	52	06	46
71.	हंगरी	178	150	28
72.	आइसलैंड	222	51	171
73.	इंडोनेशिया	85,000	15,000	70,000
74.	ईरान	638	576	62

1	2	3	4	5
75.	ईराक	9,000	8,995	5
76.	इरिलैंड	5000	4400	600
77.	इजरायल	64,200	4,200	60,000
78.	इटली	70,652	69,830	822
79.	जमाइका	53,500	3,500	50,000
80.	जापान	20,638	20589	49
81.	जोर्डन	6,025	6,000	25
82.	कजाकिस्तान	2,550	2,500	50
83.	कीनिया	79,000	9,000	70,000
84.	किरीबाटी	14	4	10
85.	कोरिया (डीपीआर)	00	00	00
86.	कोरिया (रिपब्लिक ऑफ)	6,100	6,000	100
87.	कुवैत	5,79,378	5,79,058	320
88.	किरजिस्तान	300	300	00
89.	लाओ, पीडीआर	125	110	15
90.	लातविया	40	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
91.	लेबनान	2	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
92.	लिसोथो (किंगडम ऑफ)	1,200	800	400
93.	लिबेरिया	959	950	09
94.	लीबिया	15,000	15,000	00
95.	लायछटेंस्टेन (प्रिसपेलिटी)	03	03	00
96.	लिथोनिया	71	70	01
97.	लक्जमबर्ग	500	200	300
98.	मासडिनिया	06	06	00
99.	मेडागास्कर	20,000	500	19,500
100.	मलेशिया	20,50,000	1,50,000	19,00,000
101.	मालावी	5,000	500	4,500

1	2	3	4	5
102.	मालदीवस	21,196	21,195	01
103.	माली	35	32	3
104.	माल्टा	311	300	11
105.	मार्शल आइलैंड (पिपब्लिक ऑफ)	14	14	11
106.	मोरिटानिया	33	32	1
107.	मॉरिशस	8,77,808	15,000	8,62,808
108.	माइक्रोनेसिया	03	03	0
109.	मोल्दोवा	15	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
110.	मंगोलिया	46	45	1
111.	मोटेसेराट	210	10	200
112.	मोरक्को	211	195	16
113.	मोजाम्बिक	21,000	1,000	20,000
114.	म्यनमार	25,01,056	1,056	25,00,000
115.	नाम्बिया	180	150	30
116.	नोरू	21	4	17
117.	नेपाल	4,87,500	1,12,500	3,75,000
118.	नीदरलैंड	2,01,000	21,000	1,80,000
119.	नीदरलैंड एंटिलस	4700	1450	3250
120.	न्यूजीलैंड	107,000	37,000	70.000
121.	निकारगुआ	16	15	01
122.	नाइजर	40	40	00
123.	नियू	03	03	0
124.	नोवे	7,622	2,374	5,248
125.	ओमान	5,50,353	5,50,000	353
126.	पाकिस्तान	0	0	0
127.	पलाऊ (रिपब्लिक ऑफ)	05	05	00
128.	पानामा	6500	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
129.	पपुआ न्यू गुनिया	775	775	0
130.	पारागुए	400	70	330
131.	पीरू	130	94	36
132.	फिलिपीन्स	50,000	47,000	3,000
133.	पोलैंड	1,642	1,500	142
134.	पुर्तगाल	77,000	7,000	70,000
135.	कतर	4,35,300	4,35,000	300
136.	रोमानिया	800	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
137.	रशियन फेडरेशन	13,550	13,500	50
138.	रवांडा	540	500	40
139.	सामोआ	70	40	30
140.	साओ टोम एंड प्रिंसिप (रिपब्लिक ऑफ)	03	00	03
141.	सऊदी अरब	17,89,056	17,88,457	599
142.	सेनेगल	187	180	7
143.	सर्बिया एंड मोटेनिग्रो (स्टेट ऑफ)	28	21	7
144.	सेइचेलेस	5,000	4,653	347
145.	सियरा लीयोन	637	630	07
146.	सिंगापुर	7,04,360	2,73,600	4,30,760
147.	स्लोवाक गणराज्य	60	35	25
148.	स्लोवानिया	30	10	20
149.	सोलोमन आइलैंड	20	20	0
150.	दक्षिण अफ्रीका	15,38,500	18,000	15,20,500
151.	स्पेन	25,000	8,000	17,000
152.	श्रीलंका	1,501,700	1,700	1,500,000
153.	सेंट किट्स एंड नेविस	320	300	20
154.	सेंट लुसिया	5,250	250	5000
155.	सेंट निन्सेंट एंड द ग्रेनेडिन्स	3,050	50	3,000

1	2	3	4	5
156.	सूडान	8,000	5,000	3,000
157.	सूरीनाम	1,40,300	300	1,40,000
158.	स्वाजीलैंड	350	100	250
159.	स्वीडन	22,000	4,000	18,000
160.	स्वीट्जरलैंड	14,273	9,127	5,146
161.	सिरिया	650	643	07
162.	तजाकिस्तान	400	396	4
163.	तंजानिया	50,000	5,000	45,000
164.	थाईलैंड	90,000	20,000	70,000
165.	टोगो	302	300	02
166.	त्रिनिडाड एंड टोबेगो	5,51,500	1,500	5,50,000
167.	टयूनिशिया	112	107	05
168.	तुर्की	342	325	17
169.	तुर्कमेनिस्तान	300	300	0
170.	तुर्कस एंड केकोस आइलैंड	810	800	10
171.	युगांडा	20,000	15,000	5,000
172.	उक्रेन	3,000	2950	50
173.	संयुक्त अरब अमीरात	15,00,000	14,97,089	2,911
174.	ब्रिटेन	15,00,000	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
175.	संयुक्त राज्य अमेरिका	22,45,238	9,27,283	13,17,955
176.	उरूगुए	70	70	0
177.	उजबेकिस्तान	120	120	0
178.	वेनोतु	50	50	0
179.	वेनजुएला	150	100	50
180.	वियतनाम	826	800	26
181.	यमन	1,11,000	11,000	1,00,000
182.	जाम्बिया	13,000	4,000	9,000
183.	जिम्बावे	10,500	500	10,000

[हिन्दी]

भारतीय दूतावासों में कर्मचारी

3552. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूतावास विभिन्न कार्यो को करने के लिए स्थानीय भारतीयों को ही तरजीह देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें दी गई सुविधा सहित लाभों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम.कृष्णा): (क) और (ख) जी हां, यदि उनके पास आवश्यक योग्यताएं और वांछित दस्तावेज हैं।

(ग) भारतीय दूतावासों में स्थानीय भर्ती से लिए गए कर्मचारियों को, जिनमें भारतीय राष्ट्रिक भी शामिल हैं, महंगाई सूचकांक से जुड़े वेतन, बोनस और उपदान का भुगतान किया जाता है। राजदूतावास स्थानीय विनियमों के आधार पर इन कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा बीमा के लिए योगदान करता है।

[अनुवाद]

एनआरएचएम हेतु कृतिक बल

3553. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी गरीबों में तीन साल से कम आयु के 57 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात आधे से भी कम हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शहरी गरीबों का स्वास्थ्य सूचकांक निरंतर गिर रहा है और गत वर्षो में यह स्थिति खराब होती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या शहरी स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा गठित कृतिक बल ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं; और

(च) यदि हां तो इन सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005-06) में उपलब्ध सूचना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 3 वर्ष से कम उम्र के 30.1% बच्चे कम भार वाले होते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंश 43.7% है।

(ग) ग्रामीण/शहरी जनसंख्या के लिए शिशु मृत्यु दर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऐसा देखा जा सकता है कि इन दरों में कालान्तर में गिरावट हो रही है।

(घ) और (ङ) शहर के गरीब लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए भारत सरकार ने शहरी स्वास्थ्य परिचर्या के लिए कार्य नीतियों पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सलाह देने के लिए जून 2005 में एक कार्यदल गठित किया है। इस कार्यदल ने सामान्य रूप से शहरी जनसंख्या तथा विशेषतौर पर शहर के गरीब लोगों की स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत करने की अनुशंसा की।

(च) कार्यदल की सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

विवरण

निवास स्थान के आधार पर मृत्यु दर

क्र.सं.	भारत/बड़े राज्य	शिशु मृत्यु दर											
		कुल				ग्रामीण				शहरी			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	भारत	58	58	57	55	64	64	62	61	40	40	39	37
1.	आंध्र प्रदेश	59	57	56	54	65	63	62	60	39	39	38	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	असम	66	68	67	66	69	71	70	68	38	39	42	41
3.	बिहार	61	61	60	58	63	62	62	59	47	47	45	44
4.	छत्तीसगढ़	60	63	61	59	61	65	62	61	52	52	50	49
5.	दिल्ली	32	35	37	36	48	64	42	41	30	33	36	35
6.	गुजरात	53	54	53	52	62	63	62	60	38	37	37	36
7.	हरियाणा	61	60	57	55	66	64	62	60	47	45	45	44
8.	हिमाचल प्रदेश	51	49	50	47	54	50	52	49	15	20	26	25
9.	जम्मू और कश्मीर	49	50	52	51	51	53	54	53	37	39	38	38
10.	झारखण्ड	49	50	49	48	51	53	52	51	34	33	32	31
11.	कर्नाटक	49	50	48	47	54	54	53	52	38	39	36	35
12.	केरल	12	14	15	13	13	15	16	14	9	12	12	10
13.	मध्य प्रदेश	79	76	74	72	84	80	79	77	56	54	52	50
14.	महाराष्ट्र	36	36	35	34	42	41	42	41	27	27	26	24
15.	उड़ीसा	77	75	73	71	80	78	76	73	58	55	53	52
16.	पंजाब	45	44	44	43	50	49	48	47	36	37	36	35
17.	राजस्थान	67	68	67	65	74	75	74	72	42	43	41	40
18.	तमिलनाडु	41	37	37	35	45	39	39	38	35	34	33	31
19.	उत्तर प्रदेश	72	73	71	69	75	77	75	72	53	54	53	51
20.	पश्चिम बंगाल	40	38	38	37	42	40	40	39	32	31	29	29

स्रोतः नमूना पंजीयन प्रणाली, महापंजीयक, भारत

संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका

3554. श्री सी. शिवासामीः
श्री गुरुदास दासगुप्तः
श्री नित्यानंद प्रधानः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए चालू वर्ष के दौरान कोई नवीन पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या समस्याएं आ रही हैं;

(ग) इनसे उबरने उबरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) से (ग) 15 सितम्बर 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार पर, अपने अनौपचारिक पूर्ण सत्र में फरवरी 2009

से पहले, बातचीत शुरू करने संबंधी निर्णल यिा था। भारत इन अंतर-सरकारी वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। हालांकि विभिन्न देश/देशों के समूह इस विषय पर विभिन्न मत रखते हैं, भारत ने सदस्यता की स्थायी और अस्थायी दोनों ही श्रेणियों में विस्तार करने का आह्वान किया है।

(घ) भारत ने संयुक्त राष्ट्र गतिविधियों के सभी पहलुओं में प्रमुख भूमिका निभायी है जैसे विउपनिवेशन, रंगभेद-विरोध, गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, शांति सुरक्षा, वैश्विक निरस्त्रीकरण, आतंकवाद विरोध तथा संयुक्त राष्ट्र सुधार। विस्तृत सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी हेतु संयुक्त राष्ट्र में इसकी भूमिका को बड़ी संख्या में देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनाएं

3555. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार पूरी की गई ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश सहित देश में चल रही प्रत्येक परियोजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जल संसाधन मंत्रालय वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए किसी केन्द्र प्रायोजित/क्षेत्रीय स्कीम का संचालन नहीं करता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंटरपोल नोटिस से नाम हटाया जाना

3556. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री रमेश बैस:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरपोल से इटली के व्यापारी ओतावियों क्वात्रोची का नाम उनके रेड कार्नर नोटिस की सूची से हटाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार के अनुरोध पर क्वात्रोची का नाम रेड कार्नर नोटिस की सूची से हटा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) एक रेड कार्नर नोटिस जारी करने के लिए अनुरोध संबंधित जांच अभिकरण से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों की इंटरपोल विंग द्वारा प्राप्त किया गया है जिसने इसे फिर इंटरपोल सामान्य सचिवालय, लियान, फांस को अग्रेषित कर दिया। इसी तरह, अनुरोधकर्ता जांच अभिकरण रेड कार्नर नोटिस को वापस लेने के लिए केवल एक निर्णय ले सकती है।

(ख) ओतावियों क्वात्रोची के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस, भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अंतर्गत अपरोधों के लिए मामला आर.सी.1.ए/90-ए.सी.यू-IV-एस. आई.जी. में विशेष जज, दिल्ली द्वारा दिनांक 06.02.1997 को उसके विरूद्ध गिरफ्तारी हेतु जारी किए गए गैर जमानती वारंट के आधार पर जारी किया गया था। भारत के विद्वान महाधिवक्ता की राय प्राप्त करने के बाद, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने इस आधार पर रेड कार्नर नोटिस को वापस लेने के लिए इंटरपोल से अनुरोध किया कि गैर जमानती वारंट, जिसके आधार पर रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया था, अधिक समय तक वैध नहीं है और मि. क्वात्रोची का मलेशिया और अर्जेटीना दोनों से प्रत्यार्पण करने के प्रयास असफल हो गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के अनुरोध पर, इंटरपोल ने ओतावियों क्वात्रोची के विरूद्ध रेड कार्नर नोटिस दिनांक 25 नवम्बर, 2008 को रद्द कर दिया है।

मेडिकल प्रश्न पत्र का लीक होना

3557. श्री लालजी टन्डन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एम्स द्वारा आयोजित मेडिकल परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने के मामले की सूचना मिली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गत वर्षों में देशभर से मेडिकल परीक्षा में इस प्रकार के घोटाले की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान मेडिकल परीक्षा में इस प्राकर के घोटाले के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ङ) उस पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार एमबीबीएस और एम.डी. स्तर की प्रवेश परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को 01.06.2009 को आयोजित की जाने वाली वर्ष 2009 की एम बी बी एस प्रवेश परीक्षा के अभिकथित रूप से लीक हुए प्रश्न पत्र की प्रति के साथ-साथ गाजियाबाद पुलिस से एक सूचना प्राप्त हुई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने शिकायत की पूरी-पूरी जांच की और उसे झूठा पाया क्योंकि अभिकथित रूप से लीक हुआ पत्र परीक्षा के असली पत्र से मेल नहीं खाता है।

(ग) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर तीन माह के अंदर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दक्षिण कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना

3558. डॉ. मिर्जा महबूब बेग: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दक्षिण कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका अनुमोदन कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्मारकों का अतिक्रमण

3559. श्री पूर्णमासी राम:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 200 से भी अधिक केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक (सीपीएम) अवैध अतिक्रमण के अन्तर्गत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सीपीएम स्थलों पर किस प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है; और

(घ) सीमीएम स्थलों को अनधिकृत अतिक्रमण से बचाने/सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) जी, हां। तीव्र शहरीकरण, भूमि पर बढ़ते दबाव, वाणिज्यीकरण आदि जैसे अनेक घटकों की वजह से केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर अवैध अतिक्रमण की घटनाएं हुई हैं। अतिक्रमण वाले स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों की राज्य-वार सूची दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा निगम, 1959 के प्रावधानों के तहत मंडलों के अधीक्षण पुरातत्वविदों को अतिक्रमण हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियों प्रत्यायोजित की गई हैं।

उन्हें सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए सम्पदा अधिकारी की शक्तियों भी सौपी गई हैं। इस प्रकार के अवैध कार्यकलापों को रोकने तथा अतिक्रमणों को हटाने के लिए वे नियमित आधार पर जिला प्राधिकारियों और राज्य पुलिस से बातचीत भी करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अतिक्रमण की संभावना वाले सभी संवदेनशील स्मारकों पर राज्य पुलिस, होमगार्ड तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं।

जहां कहीं व्यवहार्य और आवश्यक होता है, वहां केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के चारों ओर बाड़ लगाने के पयास किए गए हैं।

विवरण

ऐसे केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची जहां अतिक्रमण किया गया है

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान/जिला
1	2	3
1.	**आगरा मण्डल**	
	उत्तर प्रदेश	
1.	1. बरहिया का ताल	इतिमादपुर, आगरा
2.	2. जामा मस्जिद	इतिमादपुर, आगरा
3.	3. जामा मस्जिद	आगरा
4.	4. उत्खनित स्थल	कंकाली टीला, मथुरा
5.	5. कोटा टीला	मथुरा
6.	6. गेटवे तथा सराय, एकदिल	इटावा
7.	7. मस्जिद तथा सराय	खुदागंज, फर्रूखाबाद
8.	8. कन्नौज के पुराने किले के नाम से प्रसिद्ध टीला	--
9.	9. लाखा मंडप के नाम से प्रसिद्ध टीला, बरनावा	बड़ौत, बागपत, जिला बागपत
10.	10. खानकाह फतेहपुर सीकरी	आगरा
11.	11. खाटिया खाना, फतेहपुर सीकरी	आगरा
12.	12. लाल दरवाजा फतेहपुर सीकरी के पास किला दिवार	आगरा
13.	13. जगनेर किला	आगरा
2.	**औरंगाबाद मण्डल**	
	महाराष्ट्र	
14	1. बारह इमामों का कोटला	अहमदनगर
15.	2. मक्का मस्जिद	अहमदनगर
16.	3. लादमोद के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन स्थल	नेवासा, अहमदनगर
17.	4. बीबी का मकबरा	औरंगाबाद
18.	5. प्राचीन स्थल, पैठन	पैठन, जिला औरंगाबाद
19.	6. एलोरा गुफाएं	एलोरा, जिला औरंगाबाद
20.	7. गृशनेश्वर मंदिर	एलोरा जिला औरंगाबाद
21.	8. पटना स्थित देवी मंदिर	पटना, जिला जलगांव

1		2	3
22.	9.	चंगदेव मंदिर	चांदेव, जिला जलगांव
23.	10.	बालापुर किला	बालापुर, जिला अकोला
24.	11.	अंचलेश्वर मंदिर	चन्द्रपुर
25.	12.	महाकाली मंदिर	चन्द्रपुर
26.	13.	महल के अवशेष तथा दरवाजे सहित किला दीवार, बलारशा	बलारशा, जिला चन्द्रपुर
27.	14.	मार्कडदेव स्थित मंदिर समूह	तालुक चामोरशी, जिला गड चिरोली
28.	15.	तपोनेश्वर मंदिर	तपोना, जिला यक्तमाल
3.		**बंगलौर मण्डल**	
		कर्नाटक	
29.	1.	गौरीश्वरा मंदिर	येलंदुर
30.	2.	सोमेश्वरा मंदिर	कोलार
31.	3.	चेलुवनारयाआना मंदिर	मेलकोटे
32.	4.	जैन मकबरे	मूदाबीदरी
4.		**भोपाल मण्डल**	
		मध्य प्रदेश	
33.	1.	सात खण्डा नामक गौड किला तथा शाहबुर्ज नामक राजघाट पर मीनार एवं इसमें स्थित मंदिर	मंडला, जिला मंडला
34.	2.	भीमबैठका स्थित प्रागैतिहासिक शैलाश्रम	जिला राजसेन
35.	3.	गौरीझामर स्थित गौरीझामर किला	जिला सागर
5.		**भुवनेश्वर मंडल**	
		उड़ीसा	
36.	1.	बाराबटी किला	कटक
37.	2.	खंडिगिरि तथा उदयगिरि गुफाएं	भुवनेश्वर
38.	3.	सिसुपालगढ़	भुवनेश्वर
6.		**चेन्नई मंडल**	
		तमिलनाडु	
39.	1.	महापाषाणी स्थल, त्रिरूप्पोरूर	कांचीपुरम जिला

1		2	3
7.		**चंडीगढ़ मंडल**	
		पंजाब	
40.	1.	मडफोर्ट नामक टीला	अबोहर, जिला फिरोजपुर
41.	2.	पृथ्वीराज चौहान का किला	हांसी, हिसार, हरियाणा
42.	3.	प्राचीन स्थल, थेह	पोलार, सिवान, जिला कैथल
43.	4.	प्राचीन स्थल, खोकरा कोट	जिला रोहतक
44.	5.	थेर टीला, सिरसा	जिला सिरसा
45.	6.	मुगल सराय के गेटवे, घरोंदा	घरोंदा
46.	7.	जरासंध का किला नामक प्राचीन स्थल,	जिला करनाल
47.	8.	मुगल कोस मीनार	अम्बाला सिटी, जिला अम्बाला
8.		**दिल्ली मंडल (रा. रा. क्षेत्र दिल्ली)**	
48.	1.	नीली मस्जिद, हौजखास	हौजखास
49.	2.	प्राचीन मस्जिद, पालम	पालम
50.	3.	कुदसिया मस्जिद, कुदसिया गार्डन	कुदसिया गार्डन
51.	4.	लाल किला के निकट सुनहरी मस्जिद, दिल्ली किला	लाल किला के निकट, दिल्ली किला
52.	5.	पुराना किला (इन्द्रप्रस्थ), दो मील दक्षिण में	(इन्द्रप्रस्थ) दो मील दक्षिण में
53.	6.	तुगलकाबाद, बदरपुर जेल	बदरपुर
54.	7.	बेगमपुरी मस्जिद, बेगमपुर	बेगमपुर
55.	8.	सराय शाहजी, शिवालिक मालवीय नगर के निकट	मालवीय नगर
56.	9.	राजपुर (म्यूटिनी कब्रिस्तान), पुराना राजपुर कैन्टूमेंट, उत्तर जिला	पुराना राजपुर कैंटूमेंट
57.	10.	डी. एरेमाओं कब्रिस्तान	किशनगंज
58.	11.	मोहल्ला बुलबुलीखाना में रजिया बेगम का मकबरा, शाहजहानाबाद	शाहजहानाबाद
9.		**देहरादून मंडल (उत्तराखण्ड)**	
59.	1.	महाशु मंदिर	हनोल, चकराता, देहरादून
60.	2.	गंगोलीहाट स्थित मंदिर	गंगोलीहाट, पिथैरागढ़
61.	3.	आदिबद्री मंदिर समूह	आदिबद्री, चमोली
10.		**धारवाड़ मंडल**	
		कर्नाटक	
62.	1.	अली शहीद पीर मस्जिद	बीजापुर (पूर्व)
63.	2.	अल्लाहपुर गेट	बीजापुर (पूर्व)

1	2	3
64.	3. अम्बर खाना	बीजापुर (पूर्व)
65.	4. बड़ी कमान	बीजापुर (पूर्व)
66.	5. बहमनी गेट	बीजापुर (पूर्व)
67.	6. बथुल्ला खान की मस्जिद	बीजापुर (पूर्व)
68.	7. किला दीवार (मंगोली गेट से बहमनी गेट तक)	बीजापुर (पूर्व)
69.	8. संरक्षित क्षेत्र में गोलगुम्बज तथा अन्य संरचनाए	बीजापुर (पूर्व)
70.	9. हाजी हसर साहेब का मकबरा	बीजापुर (पूर्व)
71.	10. मंगोली गेट अथवा फतेह गेट	बीजापुर (पूर्व)
72.	11. किला दीवार की खाइयां (बहमनी गेट से मंगोली गेट तक)	बीजापुर (पूर्व)
73.	12. मुबारक खान महल	बीजापुर (पूर्व)
74.	13. मुस्तफाबाद गन	बीजापुर (पूर्व)
75.	14. मुस्तफा खान मस्जिद	बीजापुर (पूर्व)
76.	15. नाथगन गेट	बीजापुर (पूर्व)
77.	16. नव गुम्बज	बीजापुर (पूर्व)
78.	17. पादशाहपुर गेट	बीजापुर (पूर्व)
79.	18. मुबारक खान मस्जिद के उत्तर में वाटर पैवलियन	बीजापुर (पूर्व)
80.	19. जल मीनार संख्या 114 एवं असर महल के दक्षिण के अभिलेख	बीजापुर (पूर्व)
81.	20. चिन्च दीदी मस्जिद के दक्षिण में जल मीनार संख्या 115	बीजापुर (पूर्व)
82.	21. नव गुम्बज के उत्तर पश्चिम तथा कवास खान के महल के पश्चिम में जल मीनार संख्या 142	बीजापुर (पूर्व)
83.	22. बड़ी कमान के दक्षिण में जल मीनार संख्या 147	बीजापुर (पूर्व)
84.	23. मक्का मस्जिद के उत्तर पूर्व में जल मीनार संख्या 286	बीजापुर (पूर्व)
85.	24. साडा बुर्ज	बीजापुर (पश्चिम)
86.	25. शाहपुर गेट	बीजापुर (पश्चिम)
87.	26. जोरापुर गेट	बीजापुर (पश्चिम)
88.	27. मक्का गेट	बीजापुर (पश्चिम)
89.	28. गन फरंगी शाहीबुर्ज	बीजापुर (पश्चिम)
90.	29. सरवद मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)

1	2	3
91.	30. लांडा खासबा गन	बीजापुर (पश्चिम)
92.	31. असर महल के सामने छोटा पैवेलियन	बीजापुर (पश्चिम)
93.	32. वाटर पैवेलियन	बीजापुर (पश्चिम)
94.	33. अरकिला खाई	बीजापुर (पश्चिम)
95.	34. चिन्च दीदी मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
96.	35. अन्डु मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
97.	36. इब्राहिम पुरानी जामी मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
98.	37. गुम्मट बावड़ी	बीजापुर (पश्चिम)
99.	38. सिकन्दर शाह मकबरा	बीजापुर (पश्चिम)
100.	39. याकूब दाबुली महल (30)	बीजापुर (पश्चिम)
101.	40. इक्लास खान मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
102.	41. शाह नवाज खान की मस्जिद/मकबरा	बीजापुर (पश्चिम)
103.	42. मोती दरगा (महल)	बीजापुर (पश्चिम)
104.	43. हैदर खान का मकबरा	बीजापुर (पश्चिम)
105.	44. नित्यनवरस मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
106.	45. मकबरा संख्या 47	बीजापुर (पश्चिम)
107.	46. सुनेरी मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
108.	47. चांद बावड़ी के निकट मकबरा संख्या 22	बीजापुर (पश्चिम)
109.	48. मस्जिद कटिजापुर	बीजापुर (पश्चिम)
110.	49. तोरवी गांव से ताज बावड़ी के दक्षिण पश्चिम में भाट बावडत्रे से जाने वाला एक्वेडक्ट	बीजापुर (पश्चिम)
111.	50. चांद बावड़ी	बीजापुर (पश्चिम)
112.	51. मुल्ला मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
113.	52. जहान बेगम की मस्जिद की जंजीरी मस्जिद (20)	बीजापुर (पश्चिम)
114.	53. मलिक संदल मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
115.	54. किला	गुलबर्गा
116.	55. खान जहान बरीद के मकबरे	बीदर
117.	56. बीदर किला (भीतरी और बाहरी)	बीदर

1		2	3
11.		**गुवाहाटी मंडल**	
		असम	
118.	1.	श्री सूर्यपहाड़ खण्डहर	जिला गोलपाड़ा
119.	2.	शैलकृत गुफाएं	जोगीघापा, जिला बोगाईगांव
120.	3.	कचारी खण्डहर	खासपुर, जिला कचार
121.	4.	चतुरदास देवता का मंदिर	उदयपुर, जिला दक्षिण त्रिपुरा
12.		**हैदराबाद मंडल**	
		आन्ध्र प्रदेश	
122.	1.	गोलकोंडा किला	हैदराबाद
13.		**जयपुर मंडल**	
		राजस्थान	
123.	1.	चित्तोड़गढ़ किला	चित्तोड़गढ़
124.	2.	रणथम्भौर किला	रणथम्भौर
14.		**लखनऊ मंडल**	
		उत्तर प्रदेश	
125.	1.	बारा स्थित लघु उच्च टीला	इलाहाबाद
126.	2.	झूसी स्थित समुद्रगुप्त तथा हंसगुप्त का ध्वस्त किला	इलाहाबाद
127.	3.	सालार सैफुददीन का मकबरा	बहराइच
128.	4.	रजब सालार अलियास हटीला सालार का मकबरा	बहराइच
129.	5.	जामा मस्जिद	बांदा
130.	6.	जनरल व्हाइट लॉक्स फोर्स की स्मृति में स्मारक	बांदा
131.	7.	असोथर स्थित विस्तृत ईट स्ट्रन टीला	फतेहपुर
132.	8.	खाजुहा स्थित बाग बादशाही	फतेहपुर
133.	9.	हथगांव स्थित हाथीखाना मस्जिद अथवा जयचन्द मस्जिद	फतेहपुर
134.	10.	चौकोर टीला, खैराई स्थित मंदिर का स्थल	फतेहपुर
135.	11.	टिकरिया विस्तृत टीला एवं हिन्दू मूर्ति समूह	फतेहपुर
136.	12.	कुरारी चार मंदिर	फतेहपुर
137.	13.	टाउन हाल से लगे नगर निगम उद्यान में 974 ईसवी का वर्गाकार वलुई प्रस्तर स्तम्भ जिस पर सम्राट महिपाल देव का अभिलेख उतीकर्ण है	फतेहपुर

1	2	3
138.	14. बहुबेगम का मकबरा	फैजाबाद
139.	15. सुजाउद्दौला का मकबरा (गुलाब बारी)	फैजाबाद
140.	16. हाजी इकबाल का मकबरा	फैजाबाद
141.	17. पिहानी स्थित नवाब सदरजहान का मकबरा	हरदोई
142.	18. खसौर स्थित स्मारकीय मकबरा	हरदोई
143.	19. गंडवा, बांकेरगढ़ के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध ईट टीला	हरदोई
144.	20. सुमेरपुर स्थित जैन मंदिर टीले	हमीरपुर
145.	21. पंच महल परिसर, झांसी किला	
146.	22. बिठुर स्थित टीला	कानपुर सिटी
147.	23. स्मारकीय कुआं उद्यान	कानपुर सिटी
148.	24. सूबेदार का तालाब	कानपुर सिटी
149.	25. बेहटा, घाटपुर स्थित मंदिर के अहाते में तीन मूत्रियां एवं एक गुप्त स्तम्भ	कानपुर देहात
150.	26. बानपुर स्थित बुदेला मंदिर	ललितपुर
151.	27. बानपुर स्थित जैन मंदिर	ललितपुर
152.	28. पंच मारहिया के सामने बड़ा मंदिर, मदनपुर	ललितपुर
153.	29. सिरोन खुर्द स्थित जैन मंदिर एवं तोरण अथवा गेटवे	ललितपुर
154.	30. कैसरबाग बस स्टैंड के निकट कब्रिस्तान कैसर पासंद	लखनऊ
155.	31. अमीनाबाद स्थित कलन-की-लाट	लखनऊ
156.	32. सुप्रु मार्ग पर चिरिया झील स्थित ब्रिटिश कब्रिस्तान	लखनऊ
157.	33. लखनऊ फैजाबाद रोड पर स्थित दो कब्रिस्तान, 4.5 मील	लखनऊ
158.	34. जनाब-ए-आलिया का मकबरा	लखनऊ
159.	35. बारा इमामबाड़ा (असाफउद्दौला का इमामबाड़ा)	लखनऊ
160.	36. आसफी मस्जिद	लखनऊ
161.	37. मकबरा शाहनजफ अथवा गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा	लखनऊ
162.	38. रोजा-ए-काजमें/काजमें भवन	लखनऊ
163.	39. पिक्चर गैलरी	लखनऊ
164.	40. हुसैनाबाद स्थित जामा मस्जिद	लखनऊ

1		2	3
165.	41.	छोटा इमामबाड़ा/मुहम्मद अली शाह का मकबरा	लखनऊ
166.	42.	तहसीन अली मस्दिज	लखनऊ
167.	43.	अमजद अली शाह का मकबरा	लखनऊ
168.	44.	शेर दरवाजा/नील का गेट	लखनऊ
169.	45.	कैसरबाग गेट	लखनऊ
170.	46.	जनरल वाली कोठी	लखनऊ
171.	47.	करबला तालकटोरा	लखनऊ
172.	48.	दारगाह हजरत अब्बास	लखनऊ
173.	49.	दियनत-दौला करबला	लखनऊ
174.	50.	मलका जहान करबला	लखनऊ
175.	51.	नसीरूद्दीन हैदर का करबला, डालीगंज	लखनऊ
176.	52.	नगरम टीला	लखनऊ
177.	53.	पहारनगर टिकुरिया टीला	लखनऊ
178.	54.	सिकेहावाली कोठी	लखनऊ
179.	55.	जामा मस्जिद	महोबा
180.	56.	कीरत सागर झील	महोबा
181.	57.	मदन सागर झील	महोबा
182.	58.	विजय सागर झील	महोबा
183.	59.	उरवारा स्थित एक सपाट छत वाला मंदिर	महोबा
184.	60.	पठारी कादिन स्थित बड़ा हौज	महोबा
185.	61.	इसौली मस्जिद	सुल्तानपुर
186.	62.	मंझन गांव नामक बड़ी डीह एवं चारों कोनों पर ईट मीनारें	सुल्तानपुर
187.	63.	कुट्टी शत्रुहन दास नामक टीला	स्रावस्ती
188.	64.	छोटा गोलाकार टीला, टंडवा	स्रावस्ती
189.	65.	बांगेरमऊ स्थित कुरबान मोहम्मद का मकबरा	उन्नाव
190.	66.	पुरानी नवाबी मस्जिद	अम्बेडकर नगर
15.		**मुम्बई मण्डल**	
		महाराष्ट्र	
191.	1.	शोलापुर किला	जिला शोलपुर
192.	2.	अर्द्धनारी नटेश्वर मंदिर	वेलापुर, जिला शोलापुर

1		2	3
193.	3.	रायगढ़ किला	जिला रायगढ़
194.	4.	कोलाबा किला	अलीबाग, जिला रायगढ़
195.	5.	सोनार भाट के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध टीला	नालासोपारा (गास), जिला ठाणे
196.	6.	स्मारक समूह, अगरकोट	जिला रायगढ़
197.	7.	जगेश्वरी गुफाएं	जिला मुम्बई, सुबुरबन
198.	8.	ब्रहमपुरी स्थित प्राचीन स्थल	जिला कोल्हापुर
199.	9.	भूलेश्वर महादेव मंदिर	मलसिरास, जिला पुणे
200	10.	हीराकोट पुराना किला	अलीबाग, जिला रायगढ़
201.	11.	बसाइन किला	बसाई, जिला ठाणे
202.	12.	गुफा के ऊपर पुर्तगाली मठ एवं इससे लगी पहाड़ी पर बड़ी वाच टावर, मण्डापेश्वर	जिला मुम्बई, सुबुरबन
203.	13.	दिलावर खान का मकबरा, राजगुरू नगर	जिला पुणे
204.	14.	मलवान स्थित सिंधुदुर्ग किला	जिला सिंधुदुर्ग
16.		**पटना मण्डल**	
		बिहार	
205.	1.	शेरशाह मकबरा	सासाराम
206.	2.	बौद्ध स्तूप	केसरिया, जिला चम्पारन
17.		**रांची मण्डल**	
		झारखण्ड	
207.	1.	कुलूगरहा, बासपट के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध प्राचीन टीला एवं इससे लगी भूमि, सर्वेक्षण भूखण्ड संख्या 1095 एवं 1096	इटारगढ़, खण्ड गमहरिया, जिला सरायकेला खार्सवान
208.	2.	पुराना किला एवं प्राचीन हौज स्थल	रुअम, खण्ड मुसाबनी, जिला पूर्व सिंहभूम
209.	3.	असुर स्थल	खुंटीटोला, खण्ड खुंटी, जिला रांची
210.	4.	असुर स्थल	कुंजला, खण्ड मुरहू, जिला रांची
211.	5.	असुर स्थल	सरीदकेल, खण्ड खुंटी, जिला रांची
212.	6.	असुर स्थल	कथरटोली, खण्ड मुरहू जिला रांची
213.	7.	असुर स्थल	हंसा, खण्ड मुरहू, जिला रांची

1	2	3
18.	**रायपुर मण्डल (छत्तीसगढ़)**	
214.	1. दन्तेश्वरी मंदिर	दंतेवाड़ा जिला
215.	2. चैतुरगढ़ किला	लेफा, जिला कोरबा
216.	3. कोटमी किला	कोटमी, बिलासपुर
217.	4. रामचन्द्र मंदिर	राजिम, रायपुर
218.	5. सीता बेंगरा गुफाएं	रामगढ़ हिम उदयापुर, सरगूजा
219.	6. जोगीमरा गुफाएं	रामगढ़ हिम उदयापुर, सरगूजा
19.	**श्रीनगर मण्डल (जम्मू एवं कश्मीर)**	
220.	1. राजा सुचेत सिंह की रानी का प्राचीन किला एवं समाधि	रामनगर, जिला उधमपुर
221.	2. प्राचीन महल	रामनगर, जिला उधमपुर
222.	3. प्राचीन स्थल एवं अवशेष	बुर्जहोम, श्रीनगर
223.	4. हेमिस मठ	हेमिस, जिला लेह
224.	5. फियांग मठ	फियांग, जिला लेह
225.	6. लिकिर मठ	जिला लेह
226.	7. लामायुरू मठ	लामायुरू, जिला लेह
227.	8. मैत्रेय की शैलकृत मूर्ति	मूलबेग, जिला कारगिल
228.	9. अलची, लद्दाख स्थित बौद्ध मठ	मठ परिसर के भीतर एक आधुनिक अवासीय भवन एवं गेस्टहाउस का निर्माण किया गया है। प्रबंधन ने मंजश्री एवं लोतस्वा लाखंग के अहाते में एक रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है।
229.	10. शे महल	शे, लद्दाख
20.	**शिमला मंडल (हिमाचल प्रदेश)**	
230.	1. गौरी शंकर मंदिर	नग्गर, तहसील कुल्लू, जिला कूल्लू
231.	2. नरबदेश्वर मंदिर	सजानपुर, तहसील तीरा सुजानपुर, जिला हमीरपुर
21.	**त्रिसूर मंडल (केरल एवं तमिलनाडु)**	
232.	1. बेकल किला 16वीं शताब्दी ईसवी	पल्लीकेरे, पल्लीकेरे पंचायत, कासरगोड
233.	2. किला 16वीं शताब्दी ईसवी के अवशेष	थंगासेरी, थंगासेरी पंचायत, कोल्लम तालुक, कोल्लम
234.	3. किला (यक्कारादेसम) 16वीं शताब्दी ईसवी	पलक्कड, पलक्कउ नगर निगम, पलक्कड

1	2	3
235.	4. अंजेंजो किला 17वीं-18वीं शताब्दी ईसवी	अंजेंजों, अंजेंजों पंचायत, तिरूवनन्तपुरम
236.	5. जैन मंदिर 14वीं शताब्दी ईसवी	किडंगनाड, सुल्तान बैटरी, सुल्तानबैटरी पंचायत, वायनाड
237.	6. दफन गुफा (प्राचीन स्थल) 500 शताब्दी ईसा पूर्व से 500 शताब्दी ईसवी	कंडानासेरी, कंडानासेरी पंचायत पोस्ट मट्टम त्रिसुर
22.	**बड़ोदरा मंडल (गुजरात)**	
238.	1. मलिक असम की मस्जिद	अहमदाबाद
239.	2. सैयद उस्मान मस्जिद, अहमदाबाद	उस्मानपुरा/अहमदाबाद
240.	3. छोटी प्रस्तर मस्जिद, अहमदाबाद	पालदी/अहमदाबाद
241.	4. दरियाखान मकबरा, अहमदाबाद	दूधेश्वर के पीछे/अहमदाबाद
242.	5. अच्युत बीबी की मस्जिद, अहमदाबाद	दूधेश्वर/अहमदाबाद
243.	6. ढेलका स्थित बहलोल खान मस्जिद	ढोलका/अहमदाबाद
244.	7. प्राचीन स्थल गोहिलवाड टिम्बो	अमरेली जिला
245.	8. पहाड़ी के शिखर पर ध्वस्त हिन्दू मंदिर एवं जैन मंदिर	पावागढ़/गोधरा पंचमहल
246.	9. नवाब सरदार खान रोजा एवं इसकी अहाता दीवार	जमालपुर/अहमदाबाद
247.	10. मीर अबू तुरब मकबरा, अहमदाबाद	जमालपुर/अहमदाबाद
248.	11. राम लक्ष्मण मंदिर, बारादिया	बारादिया/जिला जामनगर
249.	12. शाह कुपई मस्जिद, अहमदाबाद	करियन खास बाजार/अहमदाबाद

सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण

3560. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री विलास मुत्तेवार:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई विधेयक पुर:स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ङ) सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में कोई भी विधेयक प्रस्तुत कने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग हेतु केन्द्रीय सहायता

3561. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

तकनीकी सहायता जैसे कार्यक्रम के अनुवीक्षण के लिए दिशानिर्देश, कलंक और भेदभाव में कमी, अशक्तता निवारण और चिकित्सा पुनर्वास, कुष्ठ मामलों का शीघ्र पता लगाना और उपचार करना आदि के लिए केन्द्र से प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को कुष्ठ मामलों का बहुऔषध उपचार मुफ्त प्रदान किया जाता है। पिछले 3 वर्षो और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदान की गई और उपयोग की गई सहायता

(लाख रुपये में)

	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
राज्य का नाम	सहायता	व्यय	सहायता	व्यय	सहायता	व्यय	सहायता	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	113.41	140.81	174.91	170.12	196.49	205.97	214.67	31.46
अरुणाचल प्रदेश	75.39	60.67	130.51	36.02	146.61	77.29	76.00	प्राप्त नहीं
असम	88.91	119.64	161.77	46.84	181.73	52.90	130.00	प्राप्त नहीं
बिहार	358.42	134.90	290.97	134.56	326.88	12.78	260.67	प्राप्त नहीं
छत्तीसगढ़	209.99	186.12	130.09	69.83	146.14	149.95	159.79	प्राप्त नहीं
गोवा	17.45	7.40	7.03	4.52	7.90	6.64	12.42	1.26
गुजरात	157.93	129.17	159.15	104.75	178.79	128.43	179.27	प्राप्त नहीं
हरियाणा	38.72	46.92	64.39	52.34	72.34	49.32	107.00	प्राप्त नहीं
हिमाचल प्रदेश	49.02	51.27	64.39	43.96	72.34	38.77	71.80	1.26
जम्मू और कश्मीर	61.16	42.47	57.52	32.03	64.62	35.00	85.54	प्राप्त नहीं
झारखण्ड	320.04	95.92	162.01	56.62	182.00	114.03	172.00	प्राप्त नहीं
कर्नाटक	59.21	126.81	136.40	107.45	153.23	153.10	170.32	6.30
केरल	36.57	53.90	102.43	14.65	115.23	31.11	110.00	प्राप्त नहीं
मध्य प्रदेश	250.49	237.17	136.76	126.29	153.64	170.76	257.08	प्राप्त नहीं
महाराष्ट्र	210.96	267.96	196.56	156.08	220.82	303.21	300.34	प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मणिपुर	31.50	47.63	41.84	22.48	47.00	44.95	51.33	प्राप्त नहीं
मेघालय	42.19	13.58	42.29	17.24	47.51	29.40	41.00	प्राप्त नहीं
मिजोरम	45.23	34.81	58.12	12.23	65.29	25.93	44.42	प्राप्त नहीं
नागालैण्ड	78.22	43.43	43.46	37.67	48.82	65.93	52.23	प्राप्त नहीं
उड़ीसा	242.20	219.03	147.96	107.55	166.20	135.75	186.25	प्राप्त नहीं
पंजाब	62.92	42.21	68.09	63.29	76.49	90.17	130.30	प्राप्त नहीं
राजस्थान	76.47	109.48	125.41	82.00	140.89	142.06	163.73	1.50
सिक्किम	23.00	21.31	33.11	19.65	37.20	23.73	29.64	1.44
तमिलनाडु	138.53	148.78	150.38	91.64	168.94	132.70	200.26	4.32
त्रिपुरा	21.00	15.96	35.64	3.47	40.04	7.23	31.20	3.64
उत्तरांचल	81.80	82.57	76.64	54.38	86.43	38.00	70.89	1.28
उत्तर प्रदेश	432.98	463.25	454.06	380.57	510.09	421.13	576.80	प्राप्त नहीं
पश्चिम बंगाल	275.96	237.69	287.29	169.13	322.74	174.76	247.55	6.94
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.118	4.76	11.23	4.99	12.62	6.86	17.59	प्राप्त नहीं
चंडीगढ़	11.00	6.30	10.21	4.97	11.47	9.57	13.46	प्राप्त नहीं
दादरा नगर हवेली	9.00	6.89	7.54	4.98	8.47	10.40	16.50	प्राप्त नहीं
दमन दीव	15.00	7.58	17.52	6.69	19.68	प्राप्त नहीं	8.92	0.10
दिल्ली	61.00	40.02	55.65	36.26	62.52	47.67	92.70	प्राप्त नहीं
लक्षद्वीप	7.00	0.78	2.03	0.00	2.28	प्राप्त नहीं	4.94	प्राप्त नहीं
पांडिचेरी	11.15	9.57	6.34	6.85	7.12	6.00	14.07	प्राप्त नहीं
कुल	3725.00	3256.76	3650.00	2282.10	4100.56	2941.50	4300.68	60.10

सुवर्णरेखा नहर तथा नकाटी बांध परियोजना

3562. श्री मधु कोडा:
डॉ. भोला सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, सकरी नहर परियोजना और नकाटी बांध परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना-वार कितनी निधियां स्वीकृत और जारी की गयी हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का कार्य अभी तक भी अधूरा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) इन परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(च) इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य-वार कुल कितना क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ङ) झारखण्ड में सुबर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में, चांडिल बांध 90% पूरा हो गया है, इचा बांध 30% पूरा हो गया है और गालूडीह बैराज 98% पूरा हो गया है। झारखण्ड सरकार द्वारा खरकई बांध पर कार्य अभी भी प्रारंभ किया जाना है। चांडिल बायीं तट नहर (एल बी सी) 95% पूरा हो गया है। इचा एल बी सी और दायी तट नहर (आर बी सी) प्रत्येक 30% पूरी हो गई है। झारखण्ड सरकार द्वारा गालूडीह एल बी सी और खरकई एल बी सी पर कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है।

पश्चिम बंगाल में सुबर्णरेखा बैराज परियोजना के संबंध में, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अब तक केवल अवसंरचनात्मक कार्य ही प्रारंभ किए गए हैं और उनके द्वारा वास्तविक परियोजना कार्य प्रारंभ नहीं किए गए हैं।

उड़ीसा में सुबर्णरेखा सिंचाई परियोजना के संबंध में, जम्बीरा बांध (लघु भाग) और जम्बीरा दायीं मुख्य नहर पूरी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, सुबर्णरेखा मुख्य नहर के लिए 99% मिट्टी का काम भी पूरा हो गया है।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि गिरीडीह, हजारीबाग, नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिलों के सूखा प्रवण क्षेत्र में 67. 67 हजार हेक्टेयर भूमि में सिचाई सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 1974-75 में ऊपरी सकरी जलाशय परियोजना नामक एक सिंचाई स्कीम तैयार की गई थी। उसी बीच, 20.11.2000 से बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 अधिनियमित किया गया और यह परियोजना झारखंड और बिहार राज्यों के बीच झारखंड में बांध स्थल और बिहार में बकसोटी वीयर स्थल की एक अन्तर्राज्यीय परियोजना बन गई। सकरी नदी के जल का बंटवारा करने के लिए समझौते के मसौदे को अंतिम रूप देने के वास्ते दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकें आयोजित की गई हैं परन्तु अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है।

झारखंड सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नकाटी जलाशय परियोजना के 678 मीटर लम्बे मिट्टी के बांध, 29.50 मीटर लंबे स्पिलवे और 15.00 से 487.00 तक इसके चेन से गेट सहित मुहाने और मुख्य नहर संबंधी कार्य अब तक पूरे हो गए हैं और इस परियोजना को मार्च, 2010 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार समय-समय पर लागू कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्माणधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उनको प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार ए आई बी पी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता/अनुदान के रूप में अब तक सुबर्णरेखा सिंचाई परियोजना (उड़ीसा) को 598.50 करोड़ रुपये और सुबर्णरेखा बैराज परियोजना (पश्चिम बंगाल) को 13.288 करोड़ रुपये की राशि की गई है।

(च) इन परियोजनाओं को पूरा करते हुए सृजित किए जाने की लिए परिकल्पित सिंचाई क्षमता का राज्य वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्रम. संख्या	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	चरम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में)
1.	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	झारखंड	236.850
2.	सुबर्णरेखा बैराज परियोजना	पश्चिम बंगाल	114.198
3.	सुबर्णरेखा सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	187.460
4.	ऊपरी सकरी जलाशय परियोजना	बिहार/झारखंड	67.670
5.	नकाटी जलाशय परियोजना	झारखंड	2.250

वैश्विक तापन

3563. श्री अर्जुन मुंडा:
श्री वरूण गांधी:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक तापन बढ़ रहा है और देश में विभिन्न पशुधनों के लिए यह विनाशकारी सिद्ध हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में वैश्विक तापन के प्रभाव का आकलन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वैश्विक तापन के प्रभाव से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) 'इंडियाज नेशनल कम्यूनिकेशन टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेंट चेंज' (2004 में प्रकाशित) के तत्वाधान में क्षेत्रीय और अखिल भारतीय स्तर पर मीन सीजनल एंड एन्यूवल सफ्रेस टेंप्रेचर' विषय पर किए गए अध्ययनों से 1901-2000 के दौरान 0.4 डिग्री सेल्सियस की दर से तापन होने का संकेत मिलता है।

वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि भारत की पशुधन प्रजातियों में तापमान में होने वाले बदलावों के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता है। ग्लोबल वार्मिग के कारण पशुधन की उत्पादकता और स्वास्थ्य पर कोई विनाशकारी प्रभावों की अब तक कोई सुचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) भारतीय संदर्भ में प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कृषि, जल, स्वास्थ्य, ढांचागत सुविधाएं और समुद्री जल स्तर में वृद्धि के संबंध में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और संवेदनशीलता मूल्यांकन पर अध्ययन इस समय प्रगति पर हैं। ये अध्ययन भारत के द्वितीय राष्ट्रीय पत्र तैयार करने के एक भाग के रूप में किए गए समय प्रगति पर हैं। ये अध्ययन भारत के द्वितीय राष्ट्रीय पत्र तैयार करने के एक भाग के रूप में किए गए हैं। इसके अलावा, 2007 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन विषय पर गठित विशेषज्ञ समिति ने भी विभिन्न क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया है।

(ङ) सरकार जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति अवगत है और उसने इस संबंध में कदम उठाए हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की रणनीति को रेंखाकित करने हेतु 30 जून, 2008 को जारी की गई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना में उन कदमों को रेखांकित किया गया है जिनसे देश को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलित होने और भारत के विकास पथ की परिस्थितिकीय सततता को बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे।

[अनुवाद]

नया आव्रजन कानून

3564. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नया आव्रजन कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार का विधेयक कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) उन बेईमान एजेंटों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं जो अन्य राष्ट्रों में जाने वाले व्यक्तियों को धोखा देते हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) सरकार का विचार नया आव्रजन कानून बनाने का है। प्रस्तावित विधान का उद्देश्य उत्प्रवास को एक सरल, पारदर्शी, प्रभावी और मानवीय आर्थिक प्रतिक्रिया में बदलना, कानूनी उत्प्रवास को कारगर बनाना, अवैध उत्प्रवास और मानव तस्करी को रोकना, नीतिपरख भर्ती प्रणालियां लागू करना, उत्प्रवासियों के संरक्षण और कल्याण को बढ़ावा देना, और छात्र आवागमन और उनसे जुड़े मामलों का प्रबंध करना है। मंत्रिमडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विधेयक के प्रारूप को अंतः परामर्शो की मार्फत अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) सरकार एक ई-प्रशासन परियोजना कार्यान्वित कर रही है जो यथाशीघ्र आधार पर प्रवासी रोजगार के लिए भर्ती पर नजर रखेगी और धोखेबाज भर्ती एजेंटों द्वारा की जाने वाली किसी अनुचित कार्रवाई को रोकेगी/उसका पता लगाएगी।

सरकार ने भर्ती एजेंटों के लिए बैंक गारंटी को दस लाख रुपये से बढ़ाकर बीस लाख रुपये करने, अवोदन शुल्क को पांच हजार रुपये से 25 हजार रुपये करने और एजेंटों द्वारा सेवा प्रभारों के रूप में एकत्र किए जाने वाली अधिकतम दस हजार रुपये की राशि को 45 दिन की मजदूरी के समान, अधिकतम 20 हजार रुपये के आधार पर बढ़ाने के लिए 9 जुलाई, 2009 से उत्प्रवास अधिनियम, 2009 में संशोधन किया है।

इसके अतिरिक्त, उत्प्रवासियों को शोषण से संरक्षण में वृद्धि करने के उद्देश्य से भर्ती एजेंटों के साथ-साथ विदेशी नियोक्ताओं को भी अतिरिक्त कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपे हैं।

अच्छी भर्ती प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के लिए भर्ती एजेंटों के लिए एक मूल्य निर्धारण प्रणाली भी विकसित की जा रही है।

स्वास्थ्य लेखापरीक्षा

3565. श्री अनंत कुमारः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना देश के नागरिकों की स्वास्थ्य लेखापरीक्षा' कराने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार की देश के नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी लेखा परीक्षा कराने की कोई योजना नहीं है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए भारत सरकार की भूमिका राज्यों के अनुरोध के अनुसार तकनीकी सहायता, केन्द्रीय स्कीमों, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों राष्ट्रीय कार्यक्रमों के जरिए और अन्तर को पूरा करने के लिए वित्त पोषण सहायता प्रदान करने तक सीमित है। सरकार देश के सभी नागरिकों को वहनीयता के आधार पर गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्य के साथ भागीदारी करके जनस्वास्थ्य प्रणाली का व्यापक नवीनीकरण शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में समुदाय को निवराक, उन्नायन और रोगहर सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पूर्ण रूपेण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाल, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली परिकल्पित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ नियमित स्वास्थ्य प्रबंध सूचना पद्धति के लिए प्रोटोकॉल, आवसिक पर्यवेक्षण समीक्षा मिशन और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा शामिल है। समुदाय के स्वास्थ्य के मुख्य संकेतक इन स्रोतों से लिए जाते हैं।

इको क्लब

3566. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इको क्लब चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान इन क्लबों को मुहैया कराई गयी वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके द्वारा चलायी जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2008-09 के दौरान 111609 इको-क्लबों को वित्तीय सहायता दी गई थी। सहायता प्रदान किए गए इको-क्लबों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण I में संलग्न है।

(ग) गत तीन वर्षो और मौजूदा वर्ष के दौरान इन क्लबों को दी गई वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(घ) इको-क्लबों द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा विवरण III में संलग्न है।

विवरण I

राज्य/संघ शासित प्रदेश	इको-क्लबों की संख्या 2008.09
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)	346
आंध्र प्रदेश	5750
असम (पूर्वोत्तर)	4695
बिहार	8473
चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	115
छत्तीसगढ़	3932
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	2000
गुजरात	6500
हरियाणा	5000
हिमाचल प्रदेश	3000
जम्मू और कश्मीर	5500
कर्नाटक	8000
केरल	3500
महाराष्ट्र	8898
मध्य प्रदेश	12000
उड़ीसा	7500
पुडुचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	550

1	2
पंजाब	5000
राजस्थान	8000
तमिलनाडु	7500
त्रिपुरा (पूर्वोत्तर)	600
पश्चिम बंगाल	4750
कुल	111609

विवरण II

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2006.07 धनराशि (रुपये)	2007.08 धनराशि (रुपये)	2008.09 धनराशि (रुपये)	2009.10 धनराशि (रुपये)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	15466250	15697500	15697500	–
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)	–	–	896112	–
अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर)	16209929	–	–	–
असम (पूर्वोत्तर)	–	–	1213583	–
बिहार	–	19598456	23080000	–
छत्तीसगढ़	10715207	10741500	10741500	–
चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	303338	322750	324529	–
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	4237079	4066733	4887587	–
गोवा	1357625	1323190	–	–
गुजरात	16750000	17712500	17745000	–
हरियाणा	13242978	–	13242978	–
हिमाचल प्रदेश	4391975	–	7877425	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	14300000	–
कर्नाटक	–	23189957	18648000	–
केरलं	9119252	–	9439500	9447375
मध्य प्रदेश	20160000	32160000	32760000	–
महाराष्ट्र	23730000	23253249	23635348	–
मणिपुर (पूर्वात्तर)	3663018	3663018	–	–
नागालैण्ड (पूर्वोत्तर)	5652500	5247500	–	539500

1	2	3	4	5
उड़ीसा	16100000	–	20275000	–
पुडुचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	–	1477270	1519640	–
पंजाब	11390000	13552500	13650000	–
राजस्थान	21440000	21440000	21725002	–
तमिलनाडु	20099609	20107802	20327027	–
त्रिपुरा (संघ शासित क्षेत्र)	1680000	1680000	1680000	–
उत्तराखंड	–	5111829	–	–
उत्तर प्रदेश	9683084	–	–	–
पश्चिम बंगाल	12730000	12350000	13585000	–
कुल	226661044	236143254	298350731	9986875

विवरण III

इको-क्लबों द्वारा शुरू किए गए कार्यकलाप निम्नलिखित हैं-

i. विद्यालय में पर्यावरणीय मुद्दों पर सेमिनारों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, व्याख्यानों और लोक प्रिय वार्ताओं का आयोजन करना।

ii. प्रदूषित और अवक्रमित स्थलों, वन्यजीव पार्कों आदि सहित पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के क्षेत्र दौरे करना।

iii. पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने की दृष्टि से सार्वजनिक स्थानों पर रैलियां, मार्च, मानवश्रृंखलाएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित करना।

iv. स्कूल कैम्पस में तथा उसके बाहर कार्रवाई आधारित कार्यकलाप, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता प्रयास आदि करना।

v. किचन गार्डन तैयार करना, वर्मीकम्पोस्टिंग गड्ढ़े बनाना, स्कूल में जल-संचयन प्रणाली तैयार करना, पेपर री-साइक्लिंग प्रैक्टिस करना आदि।

vi. प्रदूषण श्रोतों की सूचियां तैयार करना और उन्हें एनफोर्समेंट एजेंसियों को अग्रसारित करना।

vii. सार्वजनिक स्थानों पर मल त्याग करने के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और खाना खाने से पहले हाथ धोने जैसी निजी स्वच्छता आदतों का प्रचार करना।

viii. स्कूल कैम्पस में और उसके बाहर सार्वजनिक स्थानों, जैसे पार्कों, बगीचों का रखरखाव करना।

ix. अनाधिकृत स्थानों में कूड़ा डालने, अस्पतालों के अपशिष्ट का असुरक्षित ढंग से निस्तारण करने आदि जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से अनुचित कार्यों के विरूद्ध कार्रवाई करना।

[हिन्दी]

बच्चों से निकाले गए रक्त की बिक्री

3567. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में बच्चों का रक्त निकालने और उसे बेचने के काम में संलिप्त रैकेट का पर्दाफाश हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अपराध में संलिप्त डाक्टरों और मेडिकल पेशेवरों के विरूद्ध सरकार तथा भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से अन्य ऐहतियाती उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा उपलब्ध

कराई गई सूचना के अनुसार ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं आचार-शास्त्र) विनियम, 2002 में यह प्रावधान किया गया है कि व्यावसायिक कदाचार से संबंधित कोई भी शिकायत अनुशासनिक कार्रवाई के लिए समुचित आयुर्विज्ञान परषिद, के समक्ष लाई जाए। व्यावसायिक कदाचार की कोई भी शिकायत मिलने पर, समुचित आयुर्विज्ञान परिषद जांच करेगी और पंजीकृत चिकित्सक को व्यक्तिगत रूप से अथवा याचिकाकर्ता द्वारा सुनवाई का अवसर देगी। यदि चिकित्सक व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो समुचित आयुर्विज्ञान परिषद, ऐसा दंड दे सकती है अथवा अपराधी पंजीकृत चिकित्सक का नाम रजिस्टर से हटाने का निर्देश दे सकती है। रजिस्टर से नाम काटे जाने की सूचना स्थानीय प्रेस और साथ-ही-साथ विभिन्न आयुर्विज्ञान संघ/सोसायटी/निकायों के प्रकाशनों में भी खुले तौर पर प्रचारित की जाएगी।

[अनुवाद]

संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क

3568. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास संरिक्षत क्षेत्र नेटवर्क हेतु कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों की मंशा रिजर्व में मुख्य क्षेत्रों से स्वैच्छिक रूप से चले जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) देश में पहले से ही सुरक्षित क्षेत्रों का बड़ा नेटवर्क है। इसमें 99 राष्ट्रीय पार्क, 575 वन्यजीव अभ्यारण्य, 45 संरक्षण रिजर्व और 4 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन सहित वन्यजीव संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है।

(ग) से (ङ) क्रमशः बाघ रिजर्वो और सुरक्षित क्षेत्रों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से ग्रामों के स्वैच्छिक पुनस्थापना हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात, "बाघ परियोजना" और "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" उपलब्ध कराई गई हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधिक के दौरान, स्वैच्छिक पुनर्स्थापन पैकेज को 1.00 लाख रुपये प्रति परिवार से 10.00 लाख रुपये प्रति परिवार तक बढ़ाया गया है। राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को अनुरोध किया गया है कि बाघ रिजर्वो और सुरक्षित क्षेत्रों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लोगों के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन हेतु मौजूदा स्कीमों के इन प्रावधानों का उपयोग करें। पिछले वित्त वर्ष (2008-09) के दौरान बाघ रिजर्वो से ग्रामों की पुनर्स्थापना हेत राज्य/संघशासित प्रदेश की सरकारों को "बाघ परियोजना" के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले वित्त वर्ष (2008-09) के दौरान "बाघ परियोजना" के अंतर्गत ग्रामों/व्यवस्थापना की पुनर्स्थापना का अधिकार हेतु जारी की गई निधि के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि (लाख रुपये)
1.	मध्य प्रदेश	1324.49
2.	राजस्थान	2142.00
3.	उड़ीसा	350.00
	कुल	4086.49

संसद सदस्यों का हज कोटा

3569. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री पी. सी. मोहन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हज यात्रा हेतु सीटों की सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों (एम. पी.) के लिए कोई कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षो तथा मौजूदा वर्ष के दौरान वर्ष-वार कितनी सिफारिशें प्राप्त हुईं और स्वीकृत की गईं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान हज यात्रियों को वर्ष-वार कुल कितनी राज-सहायता प्रदान की गई?

विदेश राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी हां। प्रत्येक संसद सदस्य हज के लिए दो व्यक्तियों की सिफारिश कर सकता है।

(ग) माननीय संसद सदस्यों से भारी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं, जिन पर विधिवत विचार किया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान, हालांकि हज 2009 की प्रक्रिया जारी है, फिर भी माननीय सदस्यों से नियमित रूप से सिफारिशें प्राप्त हो रही हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त और स्वीकृत सिफारिशों की कुल संख्या निम्नलिखित है:

2006	1866
2007	770
2008	1037

(घ) वर्तमान वर्ष की प्रक्रिया अभी भी जारी है, परन्तु आंकड़ों में वृद्धि होने की आशा है। उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई। सरकार प्रति व्यक्ति मात्रा 12,000 रु. की राशि लेकर हज यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को राज सहायता प्रदान करती है।

विवरण

वर्ष	यात्रा करने वाले हज यात्रियों की वास्तविक संख्या	हज यात्रा की कुल यात्रा लागत (रु)	प्रत्येक हज यात्री द्वारा भुगतान की गयी राशि	प्रति यात्री राजसहायता (रु.)	कुल हज यात्रियों के लिए कुल राजसहायता (रु. करोड़ में)
2005	80786	35000	12000	23000	185.81
2006	99926	40000	12000	28000	280
2006-II	108373	44111	12000	32111	367
2007	110000	47182	12000	35182	387

सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए आचार संहिता

3570. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों इत्यादि सहित सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए कोई आचार संहिता है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) गृह मंत्रालय ने मंत्रियों (केन्द्र तथा राज्य दोनों) के लिए आचार संहिता का प्रतिपादन किया है जिसका पालन केन्द्र में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य से तथा राज्य में मुख्य मंत्री/मंत्रियों से करने की अपेक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की समीक्षा

3571. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री मदन लाल शर्मा:
श्री संजय धोत्रे:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री सुभाष बापूराव वानखेडे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न रोगों के प्रकट होने के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में एचआईवी/एड्स को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा चलाए गए/प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं। 1983 में तैयार की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित निर्धारक कारकों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ समीक्षा की गई थी, जिससे 2002 में तैयार की गई संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मार्ग प्रशस्त हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। एच आई वी/एडस को पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में शामिल कर लिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हाथी आदान-प्रदान नीति

3572. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कई वर्षो बाद अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के साथ हाथियों के आदान-प्रदान नीति का नवीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी नहीं यह एक चालू प्रक्रिया है। चिड़ियाघर अपने संचयन में हाथियों सहित विभिन्न वन्य पशु प्रजातियों की बहुत छोटी संख्या को डील करते हैं। यद्यपि पशुओं का नियमित आदान प्रदान बंदी-स्थिति में रखे पशुओं के आनुवांशिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य है, आदान-प्रदान के द्वारा नए और विदेशी पशुओं को प्राप्त कर जैव विविधता संरक्षण के लिए चिड़ियाघर पर्यटकों के बीच जागरुकता, सहानुभूति और प्रेम पैदा करने के लिए भी आवश्यक है। भारतीय चिड़ियाघरों और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच भारतीय हाथी सहित वांछित प्रजातियों के अतिरेक पशुओं का आदान प्रदान एक सतत प्रक्रिया है।

सांसदों के निजी सचिवों को के.स.स्वा.यो. सुविधा

3573. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सांसदों के निजी सचिवों अथवा वैयक्तिक सहायकों को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार के केवल सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। संसद सदस्यों के निजी सचिव या वैयक्तिक सहायक केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं होते और इसलिए वे केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आईसीएमआर द्वारा भूमि का हस्तांतरण

3574. श्री मधु गौड़ यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा अधिकारिक उपयोग हेतु किए गए भूमि अधिग्रहण को निजी सहकारी सोसायटी को हस्तांतरित कर दिए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इस मामले में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या सरकार ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच के आधार पर कोई जांच दल गठित किया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, (आई सी एम आर) ग्रुप आवासीय सोसायटी, नोएडा के अधिकारियों के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत आई सी एम आर को अग्रेषित की गई थी जिसकी जांच आई सी एम आर के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की गई थी। आई सी एम आर द्वारा अभिकथनों संबंधी जांच रिपोर्ट की प्रति इस मंत्रालय को प्रति भेजते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी सी सी) को भेजी गई थी।

(ग) समाचार-पत्रों की रिपोटों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इस मामले पर कुछ संस्तुतियां की हैं; तथापि सी ए जी की ओर से अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा कोयले से सम्बद्ध ग्राहकों पर छापे

3575: श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने कोयला उपभोक्ताओं के घरों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान सी. बी. आई. द्वारा ली गई तलाशियां/छापामारी का ब्यौरा क्या है साथ ही इस प्रकार की सभी तलाशियों/छापामारियों का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सी.बी.आई. की सिफारिशों के आधार पर संबद्ध उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति बंद कर दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां। सीआईएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दस लिंक्ड कोयला उपभोक्ताओं के घरों पर छापे मारे थें।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में सूचना के आधार पर दस लिंक्ड कोयला उपभोक्ताओं को कोयला आपूर्तियां बन्द कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

गांधी विरासत स्थल मिशन

3576. श्री एस. एस. रामासुब्बू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गांधी विरासत स्थल मिशन आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या गांधी से जुड़ी हुई सामग्री के संरक्षण तथा प्ररिरक्षण के लिए केन्द्रों की स्थापना का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, श्री गोपालकृष्ण गांधी की अध्यक्षता में 10 अप्रैल, 2006 को एक पैनल गठित किया जिसे गांधी विरासत स्थलों के विकास हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया था। उक्त पैनल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। पैनल की सिफारिशों के आधार पर गांधी विरासत स्थलों के परिरक्षण/विकास सहित गांधी जी की मूर्त तथा अमूर्त विरासत हेतु गांधी विरासत स्थल मिशन स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय कानूनों का प्रवर्तन

3577. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विख्यात पर्यारणविदों ने गुजरात सहित देश में विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के खराब प्रवर्तन पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा साथ ही राज्यों द्वारा किस सीमा तक उनका प्रवर्तन लागू किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरणीय कानूनों के प्रवर्तन की कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह समीक्षा कब की गई थी तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) कुछ सिविल सोसायटी समूहों ने देश

में विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने के बारे में चिंता व्यक्त की है। उदाहरण के लिए कुछ समूहों ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की है विशेषत: इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा स्थापित कुछ समितियों के गठन के संबंध में जिनके प्रतिनिधियों के मध्य हितों पर विवाद है। ऐसी सभी समितियां में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्गठित की गई हैं कि सदस्यों में कोई हितों का संभावित विवाद न हो।

(ग) से (ङ) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 अम्ब्रैला विधान है। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विभिन्न नियम और अधिसूचनाएं जारी की हैं। इन अधिनियमों और नियमों की पुनरीक्षा इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ समय-समय पर इनके कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर की जाती है। उदाहरणत: पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना शुरुआत में जनवरी, 1994 में तैयार की गई थी और 14 सितम्बर, 2006 को संशोधित की गई थी। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2000, नवम्बर, 2000 में तैयार की गई थी और तदंतर अक्टूबर, 2002 में संशोधित की गई थी। जैव चिकित्सा अपशिष्ट 'प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1998 में तैयार की गई और वर्ष 2000 और 2003 में संशोधित की गई खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हाथलन) विनियमावली 1989 में तैयार की गई और इसके स्थान पर खतरनाक अपशिष्ट (प्रबधन, हथालन और सीमापार संचालन) विनियमावली 2008 ने लिया।

ये विधान और नियम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा लागू किए जा रहे हैं। ये एजेंसियां पर्यावरणीय कानूनों के प्रवर्तन की पुनरीक्षा के लिए सांविधिक बैठकें आयोजित करती है।

मद्यपान और रैगिंग पर समिति

3578. श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मद्यपान पर व्यसन मुक्तिकृएक विचार जो रैगिंग के गंभीर मामलों तथा मद्यपान के बीच अंतरंग संबंध से उपजा हैद्व के उपाय सुझाने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) समिति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त समिति की मौजूदा स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केरल विश्वविद्यालय बनाम परिषद, प्रिंसिपल, कालेज, केरल और अन्य के मामले में रिट याचिका संख्या 2009 की 887 में दिनांक 08.05.2009 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उस विभाग ने राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज परिसर टांडा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में शराब पीने की समस्या की जांच करने और तत्काल इस लत को छुड़ाने के उपाय सुझाने के लिए दिनांक 9 जून, 2009 को निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति गठित की है:-

1. डा. अंजु धवन, एसोसिएट प्रोफेसर, मनश्चिकित्सा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
2. डा. समीर मल्होत्रा, पूर्व सहायक प्रोफेसर, मनश्चिकित्सा, अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
3. डा. प्रकाश सरण, सहायक प्रोफेसर, मनश्चिकित्सा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा दवाओं का क्लीनीकल परीक्षण

3579. डॉ. के. एस. राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परीक्षण औषधियों तथा प्रयोगशालाओं के कतिपय क्लीनीकल परीक्षण के संबंध में आंकड़ों को गलत पाया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसीज) द्वारा देश में मानव पर परीक्षण औषधियों को विनियमित करने संबंधी मौजूदा दिशानिर्देश अशक्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि प्रायोगिक औषधों के कतिपय नैदानिक परीक्षण जामनगर, गुजरात में एक अस्पताल में एक अन्वेषक द्वारा झूठे दस्तावेज बनाकर के लिए किए गए थे। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी डी एस सी ओ) द्वारा

किए गए प्रश्न के उत्तर में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने सूचना दी है कि अन्वेषक ने झूठी नीतिपरक समिति गठित की और जाली हस्ताक्षर एवं स्टाम्प/मुहरों के साथ कई जाली पत्र तैयार किए तथा इन्हें औषध परीक्षण शुरू करने के लिए विभिन्न कंपनियों को प्रस्तुत किया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने यह भी सूचना दी कि सिटी बी डिवीजन पुलिस स्टेशन, जामनगर में 02.04.09 को पुलिस शिकायत दर्ज की गई है।

(ग) से (ङ) देश में नैदानिक परीक्षणों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियत के अंतर्गत पर्याप्त उपबंध मौजूद है। नैदानिक परीक्षण को औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम के नियम 122 घक, 122 घकक, 122 घख, 122 ङ एवं अनुसूची म में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं एवं दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। अनुसूची एम में यह भी अधिदेश है कि नैदानिक परीक्षण उत्तम नैदानिक पद्धतियों, सी डी एस सी ओ स्वास्थ्य सेवा महादिनेशक, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। देश में नैदानिक परीक्षण औषध महानियंत्रक (भारत) तथा संबंधित नीतिपरक समिति के अनुमोदन के बाद ही शुरू किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, देश में नैदानिक परीक्षणों के लिए विनियमों को सख्त बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:-

1. 15 जून, 2009 से उक्त तारीख को या उसके बाद अनुमत सभी नैदानिक परीक्षणों को अध्ययन में प्रथम रोगी को नामांकित करने से पूर्व www.ctri.in में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद रजिस्ट्री में पंजीकृत कराना अनविार्य कर दिया गया है। ऐसे पंजीकरण से नैदानिक परीक्षणों में शामिल सभी पणधारियों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार होगा।

2. 21.8.2007 को राज्य सभा में पुर: स्थापित औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक 2007 में नैदानिक परीक्षण के लिए पृथक विनियामक उपबंध निहित है।

3. नैदानिक अनुसंधान संगठन के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे लोगों की टिप्पणियों के लिए सी डी एस ओ वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योजना

3580. श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश की प्रशासनिक मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के विरूद्ध क्या कार्य योजना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) सरकार भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं की अपनी नीति को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाकर यह जीवन के सभी से भ्रष्टाचार को समापत करने के लिए क्रमिक रूप से आगे बढ़ रही है। यह स्वच्छ प्रशासन देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान एक सतत प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में नीतियां प्रतिपादित कर दी गई हैं और उनमें, बदलते हुए परिवेश में और अधिक प्रभावी और क्रियाशील बनाने में क्रम में समय-समय पर निरंतर संशोधन किया जा रहा है। मुख्यत: सचिव और विभागाध्यक्ष अपने मंत्रालय/विभाग में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। भ्रष्टाचार से निबटने और विभिन्न प्रशासनिक/विधायी उपायों क्षरा प्रणाली में और अधिक पादर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं।

(i) भंडाफोड़ करने वालों (विसल ब्लोअर्स) से सम्बन्धित संकल्प, 2004 का जारी किया जाना;

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(iii) सतर्कता पर वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की एक निवारक उपाय के रूप में पूर्व-सक्रिय भागीदारी;

(iv) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदार्शिता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा व्यापक अनुदेश जारी किया जाना;

(v) सरकार की मुख्य प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाए जाने के बारे में संगठनों को सलाह देते हुए, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी किये गए;

(vi) भारत उन देशों में से एक है जिसने भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(viii) नागरिक चार्टर जारी करना।

(ग) निरोधक उपाय जिन्हें लोक सेवाओं में सेवा शर्तों को संचालित करने वाली विभिन्न आचरण नियमावलियों द्वारा विधिवत बल प्रदान किया गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करते हैं। सरकार ने एक सिविल सेवा विधेयक बल प्रदान किया गया है, भ्रष्टाचार का प्रारूप तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सिविल ऑपरेशन में आचार-नीति का एक उच्च मानक सुनिश्चित करने; प्रत्येक सिविल सेवा कर्मचारी से क्षमता तथा निष्ठा; सावधानी और परिश्रम; जिम्मेदारी; ईमानदारी; वस्तुनिष्ठता तथा निष्पक्षता के साथ बिना भेदभाव के और कानून के अनुसार शासकीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा करते हुए तथा सुकर बनाते हुए भारत में सिविल सेवाओं के विनियमन हेतु एक सांविधानिक आधार प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

वन, वन्यजीव तथा पर्यावरण का संरक्षण

3581. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री गणेश सिंहः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान वन, वन्यजीवों तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या योजना बनाई गई और लागू की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ सरकार विश्व बैंक तथा किसी अन्य एजेंसी द्वारा राज्य-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उन्हें आवंटित की गई निधियों का पूर्ण उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वनों, वनों के संरक्षण, वन्यजीवन और पर्यावरण के साथ पिछले 3 वर्षो के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित सरकारों को, अपनी स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत पिछले 3 वर्षो (2006-07 से 2008-09) के दौरान और वर्तमान वर्ष 2009-10 के दौरान अब तक दी गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य सरकारों द्वारा अनुदानों का पूर्णतया उपयोग किया गया है जिस उद्देश्य के लिए ये मंजूर किए गए थे। आवधिक रिपोर्ट/स्कीमों/परियोजनाओं पर उपयोगिता प्रमाण पत्र इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसाकि राज्य सरकारों/संघ शासित सरकारों द्वारा अपेक्षित हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

पिछले 3 वर्षों के दौरान व्यय और वर्तमान वर्ष के लिए स्कीमवार आबंटन।

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्कीम के प्रकार	2006-07 व्यय	2007-08 व्यय	2008-09 व्यय	2009-10 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
	पर्यावरण					
1.	**पर्यावरणीय मानीटरिंग एवं गर्वनेंस**	**सीएस**	**42.71**	**43.43**	**41.21**	**40.80**
	1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण		37.57	37.50	34.50	34.50
	2. पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण एवं आयोग तथा ट्रिब्यूनल की स्थापना		2.93	3.51	3.28	2.80
	3. ईआईए के तहत कार्यकलाप		2.21	2.42	3.43	3.50

1	2	3	4	5	6	7
2.	**प्रदूषण उपशमन**	**सीएस**	**20.46**	**19.36**	**21.79**	**32.07**
	1. निवारण रणनीतिकों के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण उपशमन		0.95	0.96	1.10	1.50
	2. प्रदूषण उपशमन, पर्यावरण पीएल हेतु सहायता		6.02	4.34	5.00	5.00
	3. क्लीन प्रौद्योगिकी		1.47	3.44	2.94	3.05
	4. सीईटीपी		4.36	3.91	4.40	5.02
	5. परिसंकटमय घटक प्रबंधन		7.66	6.71	8.35	17.50
3.	**संरक्षण एवं विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास**	**सीएस**	**51.66**	**45.52**	**59.31**	**59.21**
	1. बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंण्डिया (बीएसआई)		9.12	9.80	133.80	14.19
	2. जालोजिकल सर्वे ऑफ इंण्डिया (जेडएसआई)		10.60	10.53	16.28	14.07
	3. जीबीपएचआईईडी		8.64	850	12.20	12.00
	4. बॉटनिकल उद्यानों को सहायता		1.74	1.74	2.05	2.20
	5. टेक्सोनामी क्षमता निर्माण		2.26	2.13	2.86	2.75
	6. जैव विविधिता संरक्षण		5.09	3.15	3.30	4.00
	7. राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन स्कीम (एनएनआरएमएस)		9.89	4.80	3.03	4.00
	8. अनुसंधान और विकास		4.32	4.78	5.79	6.00
4.	**प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पारिविकास**	**सीएसएस**	**79.10**	**90.78**	**74.65**	**75.00**
	1. कोरल, मैगोव नमभूमि का संरक्षण		16.27	17.08	18.72	19.00
	2. वापोस्फेयर रिजर्व		8.90	10.49	10.94	11.00
	3. राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना		53.93	63.21	44.99	45.00
5.	**पर्यावरण, सूचना, शिक्षा और जागरुकता**	**सीएस**	**56.03**	**71.08**	**75.10**	**94.82**
	1. पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता		36.17	38.44	46.99	53.50
	2. एनएमएनएस		4.67	5.44	7.27	17.30
	3. उत्कृष्ट केन्द्र		7.30	6.99	7.71	8.50
	4. एनविस		4.87	4.87	5.74	6.50
	5. सूचना प्रौद्योगिकी		2.03	15.00	7.02	9.02

1	2	3	4	5	6	7
	6. पर्यावरण सूचना प्रणाली को मजबूत करना				0.37	0.00
	7. पर्यावरण परियोजना की स्थिति		0.99	0.34	0.00	
6.	**ताज संरक्षण समेत और पर्यटन केन्द्रों में पर्यावरणीय प्रबंधन**	**सीएसएस**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
7.	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलाप**	**सीएस**	**13.10**	**16.78**	**12.31**	**19.01**
	1. आईसी कार्यकलाप		2.84	2.64	3.04	4.28
	2. जीओआई-यूएनडीपी-सीसीएफ		3.51	6.27	5.44	7.47
	3. जलवायु परिवर्तन		4.06	4.03	3.43	7.25
	4. ईएपी/अन्य ईएपी, जिसमें ईपीसीओ भी शामिल है के लिए राज्य को सहायता अनुदान		0.90	2.00	0.36	0.01
	5. सिविल निर्माण एकक		1.79	1.84	0.04	
8.	**राष्ट्रीय तटरक्षा प्रबंधन**	**सीएस**		**0.48**	**1.53**	**15.50**
9.	**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)**	**सीएसएस**	**285.21**	**257.73**	**281.24**	**532.33**
	1. एनआरसीडी		4.46	4.80	5.25	6.33
	2. एनआरसीपी		280.75	252.93	275.99	526.00
	कुल पर्यावरण एवं परिस्थितिकी		**548.27**	**545.16**	**567.14**	**868.75**
	वानिकी तथा वन्यजीव					
10.	**वन तथा वन्यजीव संस्थानों को सहायता अनुदान**	**सीएस**	**82.51**	**84.67**	**117.33**	**117.28**
	1. आईसीएफआरटी		60.03	61.99	90.23	89.93
	2. आईपीआईआरटीआई		4.25	5.00	5.00	5.14
	3. आईआईएफएम		6.23	6.68	7.00	7.00
	4. डब्ल्यूआईआई		12.00	11.00	15.10	15.21
11.	**वानिकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण**	**सीएस**	**9.79**	**10.01**	**11.30**	**19.51**
	1. भा. वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण		1.44	1.33	2.58	2.00
	2. डीएफई		3.00	4.09	3.48	4.00
	3. आईजीएनएफए		5.35	4.59	5.24	5.51
	4. अन्य सेवाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण					2.00
	5. वानिकी कार्मिकों का विदेशी प्रशिक्षण					5.00

1	2	3	4	5	6	7
	6. अन्य स्टेक होल्डरों का प्रशिक्षण					1.00
12.	**ग्रिगारियस फलोब्रिंग ऑफ मूली (मेला-केना वेसिफेरा वांस)**	**सीएसएस**	**24.82**	**20.78**	**14.93**	**0.00**
13.	**वन प्रबंधन का इन्टेफिकेशन (पूर्ववर्ती आईएफपीएस) स्कीम**	**सीएसएस**	**48.65**	**67.78**	**75.57**	**76.00**
14.	**वन प्रभावों की सुदृढ़**	**सीएस**	**11.47**	**11.42**	**21.17**	**19.63**
	1. भारतीय सर्वेक्षण		4.91	5.08	5.35	5.80
	2. क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करना		6.56	6.06	14.15	11.33
	3. राष्ट्रीय वानिकी सूचना प्रणाली			0.02	0.40	0.50
	4. गैर टिम्बर वन उत्पाद संसाधानों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय संबंधित कार्यक्रम					0.50
	5. लकड़ी और गैर लकड़ी वन संसाधनों हेतु सर्टिफिकेशन कार्यक्रम			0.26	1.27	1.50
15.	**वन्यजीव प्रभावों को मजबूत करना**	**सीएस**	**24.94**	**21.72**	**22.03**	**22.58**
	1. वन्यजीव अपराध नियंत्रण		2.77	2.82	3.73	4.08
	2. केन्द्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण		22.17	18.90	18.30	18.50
16.	**वन्यजीव हेविटेट का एकीकृत विकास**	**सीएस**	**55.50**	**63.64**	**79.50**	**80.00**
17.	**प्रोजेक्ट टाइगर**	**सीएसएस**	**37.13**	**65.30**	**157.45**	**243.13**
	1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण		35.34	64.35	157.00	240.13
	2. जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण जीविका सुधार परियोजना		1.79	0.95	0.45	3.00
18.	**हाथी परियोजना**	**सीएसएस**	**15.50**	**16.41**	**21.38**	**21.50**
19.	**राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड (एनएईबी)**	**सीएस**	**23.23**	**29.12**	**25.34**	**31.00**
	1. एनएईबी		14.03	19.21	14.84	20.50
	2. ईको-टास्क फोर्स		9.20	9.91	10.50	10.50
20.	**राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम**	**सीएसएस**	**292.57**	**392.93**	**345.61**	**345.62**
21.	**पीआरई माध्यम से वनीकरण**	**सीएसएस**		**0.00**	**0.00**	**10.00**
22.	**प्राणी कल्याण**	**सीएस**	**20.74**	**20.79**	**24.89**	**25.00**
	कुल वानिकी एवं वन्यजी		**646.85**	**804.57**	**916.50**	**1011.25**
	कुल योग: पर्यावरण, वन और वन्यजीव		**1195.12**	**1349.73**	**1483.64**	**1880.00**

सीएस: केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम सीएसएस: केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

विवरण II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्कीमवार/राज्वार जारी निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1.	वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास	आंध्र प्रदेश	1.43	1.68	0.92	
		अरुणाचल प्रदेश	0.79	1.25	1.93	
		असम	1.62	0.82	1.61	
		बिहार	0.11	0.04	0.38	
		छत्तीसगढ़	3.78	3.79	3.23	
		गोवा	0.05	0.32	0.42	
		गुजरात	3.29	3.32	3.19	1.41
		हरियाणा	0.60	0.70	0.86	
		हिमाचल प्रदेश	2.62	2.33	2.42	1.39
		जम्मू और कश्मीर	1.74	2.22	4.71	1.88
		झारखण्ड	0.99	0.98	1.00	
		कर्नाटक	4.91	6.31	6.25	3.71
		केरलं	3.62	4.94	8.65	2.99
		मध्य प्रदेश	7.59	8.00	6.13	
		महाराष्ट्र	2.24	3.31	3.90	
		मणिपुर	0.97	1.06	1.00	0.34
		मेघालय	0.38	0.65	0.58	
		मिजोरम	1.36	1.69	2.89	
		नागालैण्ड	0.16	0.19	0.28	
		उड़ीसा	3.41	3.57	5.77	
		पंजाब	0.03	0.00	0.40	
		राजस्थान	2.07	3.47	4.15	3.34
		सिक्किम	1.40	1.59	1.88	1.12
		तमिलनाडु	2.05	2.75	7.28	4.06

1	2	3	4	5	6	7
		त्रिपुरा	0.31	0.36	0.00	
		उत्तर प्रदेश	2.90	3.32	3.07	
		उत्तराखण्ड	1.00	0.77	2.16	
		पश्चिम बंगाल	3.57	3.56	3.46	
		अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.58	0.83	0.73	0.86
		चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	
		दमन द्वीव	0.00	0.04	0.06	
		दादरा और नगर हवेली	0.15	0.12	0.16	
		लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	
		दिल्ली	0.00	0.00	0.00	
		कुल	**55.72**	**63.98**	**79.47**	**21.10**
2.	जैवमंडल रिजर्व	असम	0.14	0.25	0.40	0.4
		अरुणाचल प्रदेश	0.38	0.35	0.30	
		छत्तीसगढ़	0.65	0.32	1.34	
		कर्नाटक	0.25	0.32	0.47	
		केरल	1.09	2.08	1.04	0.63
		मध्य प्रदेश	1.24	0.87	1.37	
		मेघालय	1.24	0.87	1.37	
		उड़ीसा	0.83	1.10	0.25	0.5
		सिक्किम	0.58	0.59	0.50	
		तमिलनाडु	0.79	1.31	1.70	1.6
		उत्तराखण्ड	0.80	0.73	0.60	0.25
		अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				0.15
		पश्चिम बंगाल	0.79	0.64	1.08	
		कुल	**7.94**	**8.86**	**9.35**	**3.53**

1	2	3	4	5	6	7
3.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	आंध्र प्रदेश	47.85	67.96	25.38	25.31
		बिहार	0.07	0.00	0.00	
		गुजरात	0.00	0.25	1.49	
		गोवा	0.00	0.70	0.00	
		हरियाणा	7.77	3.15	20.80	
		झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	
		कर्नाटक	0.00	2.75	2.25	
		केरल	0.00	1.00	1.00	
		मध्य प्रदेश	4.15	6.75	3.35	0.9
		महाराष्ट्र	10.09	5.21	0.35	
		नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	
		उड़ीसा	11.04	7.06	16.44	
		पंजाब	15.35	44.30	0.00	
		राजस्थान	0.00	0.00	0.00	
		तमिलनाडु	82.72	18.40	9.52	
		उत्तर प्रदेश	38.65	37.66	105.60	60.9
		उत्तराखण्ड	8.25	3.37	2.50	15
		पश्चिम बंगाल	18.00	23.70	29.60	20
		दिल्ली	26.50	14.87	47.57	
		सिक्किम	5.05	4.79	5.00	
		कुल	**275.49**	**241.92**	**270.85**	**122.11**
4.	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	
		जम्मू और कश्मीर	30.00	31.66	12.50	10.71
		कर्नाटक	4.50	2.59	4.84	
		महाराष्ट्र	2.30	1.00	0.76	1.00
		तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	
		राजस्थान	0.00	13.44	13.53	
		उत्तराखण्ड	7.33	4.28	3.40	

1	2	3	4	5	6	7
		उत्तर प्रदेश	1.49	1.00	4.00	
		उड़ीसा	1.00	0.00	1.00	
		मध्य प्रदेश	4.58	8.75	0.60	
		केरल	0.00	0.00	0.00	
		राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (सामान्य)	0.00	0.00	0.00	
		नये प्रस्ताव	0.00	0.00	0.00	
		कुल	**52.31**	**62.72**	**44.63**	**11.71**
5.	मैंग्रोव्स कोरल रीफ्स और नम भूमियों का संरक्षण और प्रबंधन	आंध्र प्रदेश	0.53	0.34	0.47	
		असम	0.82	0.50	0.00	
		गोवा	0.04	0.05	0.15	
		गुजरात	2.49	2.40	2.24	
		हिमाचल प्रदेश	0.83	0.40	0.30	
		जम्मू और कश्मीर	0.31	0.33	1.29	
		केरल	0.92	0.15	0.26	
		कर्नाटक	1.59	0.34	इ	
		मणिपुर		0.30		
		उड़ीसा	0.80	1.56	1.13	0.7
		पंजाब	1.05	1.03	0.74	0.31
		राजस्थान	0.61	0.53	0.13	
		तमिलनाडु	0.87	1.46	4.16	0.91
		त्रिपुरा			0.25	
		पश्चिम बंगाल	1.77	2.41	3.99	0.49
		अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				
		मिजोरम	0.18	0.53	0.72	
		महाराष्ट्र				
		मध्य प्रदेश	0.19	0.49	0.43	0.11

1	2	3	4	5	6	7
		उत्तर प्रदेश	0.76	0.29	1.20	0.57
		उत्तराखण्ड			0.02	
		आर एवं डी	0.97	0.95	1.14	0.34
		सिक्किम				
		लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.10	
		कुल	**14.73**	**14.06**	**18.72**	**3.43**
6.	हाथी परियोजना	आंध्र प्रदेश	0.65	0.60	045	0.05
		अरुणाचल प्रदेश	0.61	0.55	0.65	
		असम	0.75	1.44	1.75	
		झारखण्ड	0.74	1.32	0.80	
		छत्तीसगढ़	0.80	0.84	0.60	
		कर्नाटक	1.68	2.13	2.49	
		केरल	1.69	1.48	3.57	
		मेघालय	0.62	0.68	0.50	
		नागालैण्ड	0.52	0.27	.17	
		उड़ीसा	1.54	1.49	1.81	
		तमिलनाडु	1.53	1.25	2.69	1.70
		त्रिपुरा	0.00	0.12	0.29	
		उत्तर प्रदेश	0.06	0.55	0.58	
		उत्तराखण्ड	1.53	1.26	2.09	
		पश्चिम बंगाल	1.61	1.86	1.76	
		महाराष्ट्र	0.25	0.57	0.78	
		मिजोरम		0.01		
		हरियाणा	0.50	0.00	0.00	
		कुल	**15.08**	**16.42**	**20.98**	**1.75**
7.	बाघ परियोजना	आंध्र प्रदेश	0.35	0.74	0.57	
		अरुणाचल प्रदेश	2.37	1.10	2.46	
		असम	0.87	0.96	10.92	

1	2	3	4	5	6	7
		बिहार	0.37	0.98	0.50	
		छत्तीसगढ़	0.10	0.35	1.70	
		झारखण्ड	.156	0.45	1.15	
		कर्नाटक	2.68	11.60	6.90	
		केरल	1.09	1.53	2.67	
		मध्य प्रदेश	7.59	29.76	4.11	
		महाराष्ट्र	2.30	2.96	4.11	
		मिजोरम	1.15	0.83	2.41	
		उड़ीसा	1.50	0.43	6.26	
		राजस्थान	1.01	4.11	27.09	
		तमिलनाडु	0.85	0.45	6.91	
		उत्तराखण्ड	1.60	2.02	4.63	
		उत्तर प्रदेश	.075	1.35	4.18	
		पश्चिम बंगाल	1.77	3.09	2.28	
		कुल	**27.91**	**62.71**	**154.73**	**0.00**
8.	एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम	आंध्र प्रदेश	0.00	1.80	2.70	
		अरुणाचल प्रदेश	1.92	3.08	2.82	
		असम	1.90	4.96	4.00	
		बिहार	1.33	0.84	0.94	
		छत्तीसगढ़	3.71	6.13	4.64	
		दमन और द्वीव	0.00		0.18	
		दादरा और नगर हवेली	0.04			
		गोवा	0.29	0.19	0.27	
		गुजरात	4.00	5.69	4.62	3.84
		हरियाणा	1.68	0.96	1.12	
		हिमाचल प्रदेश	0.00	1.24	2.61	
		झारखंड	1.12	2.22	2.77	
		कर्नाटक	1.23	1.60	2.65	2.02

1	2	3	4	5	6	7
		केरल	1.68	2.84	4.67	3
		मध्य प्रदेश	3.25	6.65	5.66	
		महाराष्ट्र	1.03	2.33	2.32	
		मणिपुर	3.95	144	2.07	
		मेघालय	1.50	0.86	1.89	
		मिजोरम	2.30	4.14	4.10	2.41
		नागालैण्ड	3.38	3.65	2.22	
		उड़ीसा	0.76	1.80	2.34	
		पंजाब	1.00	1.00	1.34	
		राजस्थान	1.00	1.00	1.50	
		सिक्किम	1.42	1.21	2.74	
		तमिलनाडु	1.58	4.31	3.90	
		त्रिपुरा	1.62	0.99	1.56	1.08
		उत्तर प्रदेश	1.35	2.36	2.55	1.43
		उत्तराखण्ड	5.09	2.83	3.05	3.17
		पश्चिम बंगाल	2.18	1.87	3.38	
		कुल	**50.31**	**67.99**	**74.61**	**16.95**
9.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश	11.06	9.97	11.54	3.03
		छत्तीसगढ़	13.05	42.71	25.66	4.65
		गुजरात	17.52	30.93	25.75	5.45
		हरियाणा	9.20	12.93	20.14	9.52
		हिमाचल प्रदेश	11.56	7.43	6.72	0
		जम्मू और कश्मीर	5.83	8.13	8.47	0.14
		कर्नाटक	23.54	31.02	15.46	2.05
		मध्य प्रदेश	15.83	13.84	22.55	8.17
		महाराष्ट्र	15.93	29.92	21.87	0.33
		उड़ीसा	14.07	19.01	21.63	0.81
		पंजाब	3.36	5.88	3.30	0

1	2	3	4	5	6	7
		राजस्थान	5.62	2.50	7.32	0
		तमिलनाडु	17.22	9.46	8.86	0
		उत्तर प्रदेश	11.88	36.77	30.80	18.07
		उत्तराखण्ड	11.52	12.39	9.24	3.1
		गोवा	0.00	0.00	0.00	0
		झारखण्ड	19.03	24.56	26.32	3.56
		बिहार	4.94	6.92	6.48	1.1
		केरल	12.75	8.81	9.45	0.12
		पश्चिम बंगाल	7.00	7.23	9.06	0.67
		अरुणाचल प्रदेश	2.93	4.85	3.25	
		असम	13.60	8.58	9.78	2.09
		मणिपुर	7.78	12.37	9.51	0.7
		नागालैण्ड	7.22	7.75	6.64	2.45
		सिक्किम	7.41	11.28	6.63	1.1
		त्रिपुरा	4.37	5.02	0.89	1.34
		मिजोरम	13.09	16.75	13.61	2.78
		मेघालय	5.44	5.94	4.69	0
		कुल	**292.75**	**392.95**	**345.62**	**71.23**
10.	मूलीबांस का पुष्पण	अरुणाचल प्रदेश	0.65	0.50	0.25	
		असम	0.00	6.00	5.65	
		मणिपुर	3.03	3.00	1.00	
		मेघालय	0.00	3.50	0.50	
		मिजोरम	10.33	6.50	5.00	
		नागालैण्ड	4.22	1.00	0.00	
		त्रिपुरा	6.07	6.30	2.50	
		आईसीएफआई	0.70	0.20	0.10	
		कुल	**25.00**	**27.00**	**15.00**	
11.	साझा बहि: स्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी)	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.72	

1	2	3	4	5	6	7
		गुजरात	2.12	1.37	0.44	
		महाराष्ट्र	2.23	2.52	3.24	
		कुल	**4.35**	**3.89**	**4.40**	
12.	खतरनाक पदार्थ प्रबंधन	अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0.00	
		अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.00	0.00	
		आंध्र प्रदेश	0.40	0.30	0.57	
		बिहार	0.05	0.00	0.00	
		गुजरात	1.13	0.05	0.46	
		कर्नाटक	0.67	0.00	0.00	
		केरल	0.83	0.00	0.00	
		महाराष्ट्र	0.25	0.85	1.60	
		मणिपुर	0.05	0.00	0.04	
		उड़ीसा	0.00	0.00	0.08	
		पुदुचेरी	0.04	0.00	0.00	
		पश्चिम बंगाल	0.23	0.00	0.03	
		उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.17	
		पंजाब	0.00	0.00	0.21	
		कुल	**3.67**	**1.20**	**3.16**	
13.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)	आंध्र प्रदेश	0.24	0.1	1.08	
		असम	0.12	0.29	0.88	
		बिहार	0.11	0.13	0.15	
		छत्तीसगढ़	0.14	0.03	0.12	
		गोवा	0.23	0.08	0.14	
		गुजरात	0.56	0.24	0.34	
		हरियाणा	0.01	0.05	0	
		हिमाचल प्रदेश	0.35	0.46	0.41	
		झारखण्ड	0.18	0.27	0.14	

1	2	3	4	5	6	7
		कर्नाटक	0.37	0.12	0.25	
		केरल	0.27	0.43	0.41	
		मध्य प्रदेश	0.16	0.12	0.39	
		महाराष्ट्र	0.32	0.75	0.69	
		मणिपुर	0.05	0.16	0.01	
		मेघालय	0.1	0.05	0.11	
		मिजोरम	0.01	0.05	0.9	
		नागालैण्ड	0.17	0.03	0.07	
		उड़ीसा	0.22	0.19	0.24	
		पंजाब	0.12	0.19	0.12	
		राजस्थान	0.32	0.37	0.31	
		सिक्किम	0.03	0.02	0.08	
		तमिलनाडु	0.3	0.2	0.09	
		त्रिपुरा	0.05	0	0.02	
		उत्तर प्रदेश	0.52	0.16	1	
		उत्तराखण्ड	0.07	0.09	0.04	
		पश्चिम बंगाल	0.04	0.25	0.31	
		चंडीगढ़	0.17	0.1	0.12	
		लक्षद्वीप	0	0	0	
		पांडिचेरी	0.04	0.01	0.01	
		कुल	**5.27**	**4.94**	**7.62**	
14.	प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0	0.04	
		आंध्र प्रदेश	0	0.05	05	
		असम	1.09	0.14	0.26	
		बिहार	0	0	0	
		छत्तीसगढ़	0.15	0	0	
		चंडीगढ़	0.13	0.13	0.12	
		दिल्ली	0.28	0.27	0.3	

1	2	3	4	5	6	7
		गुजरात	0	0	0	
		गोवा	1.03	0	0.59	
		हिमाचल प्रदेश	0	0.26	0	
		जम्मू और कश्मीर	0	0	0	
		झारखण्ड	0	0	0	
		केरल	0.55	032	0	
		लक्षद्वीप	0.04	0	0	
		महाराष्ट्र	0	0	0.35	
		मणिपुर	0	0.35	0.15	
		मध्य प्रदेश	0.75	0.16	0.63	
		मेघालय	0.27	0.02	0.04	
		मिजोरम	0.12	0.19	0.16	
		नागालैण्ड	0.09	0.2	0.25	
		उड़ीसा	0	0	0.05	
		पंजाब	0.16	0	0	
		राजस्थान	0	0	0	
		सिक्किम	0.05	0.02	0.01	
		त्रिपुरा	0.65	0.59	0.09	
		उत्तर प्रदेश	0	0	0	
		उत्तराखण्ड	0	0.01	0	
		पश्चिम बंगाल	0	0	0	
		कुल	**5.38**	**3.16**	**3.54**	

के.स.स्वा.यो. के औषधालायों को नकली दवाओं की आपूर्ति

3582. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दवा निर्माताओं द्वारा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को घटिया गुणवत्ता वाली/नकली दवाओं की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के कितने मामलों की जानकारी दी गई;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार द्वारा के.स.स्वा.यो. के औषधलयों को आपूर्ति की जा रही दवाओं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किस तंत्र की स्थापना की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

(च) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो (एम एस डी) एवं हास्पिटल सर्विसेज कन्सलटेंशी कारपोरेशन लिमिटेड (एच एस सी पी) सी जी एच एस को आपूर्ति हेतु विनिर्माताओं/प्राधिकृत वितरकों से थोक में औषधों का प्रापण करते हैं। औषधों का भौतिक निरीक्षण किया जाना होता है। प्रत्येक बैच से नमूने लिए जाते हैं और सी जी एच एस एवं एम एस डी के तीन सदस्यों वाले एक संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा संहिताकरण किया जाता है। विश्लेषणात्मक जांच के लिए प्रत्यूक नमूने को सरकार द्वारा अनुमोदित दो प्रयोगशालाओं में तत्काल ही भेजा जाता है संतोषजनक विश्लेषणात्मक गुणवत्ता रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद ही औषधें सी जी एच एस को आपूर्ति के लिए तैयार हो जाती है। गुणवत्ता जांच प्रक्रिया में प्राय: न्यूनतम 30 दिनों का समय लगता है।

[हिन्दी]

विस्थापित लोगों को रोजगार

3583. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **कोयला मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 8 मई, 2009 को कोल इंडिया लि. की सभी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशकों की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार ने विस्थापित लोगों विशेष रूप से उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुकंपा के आधार पर कंपनी-वार कितने परिवारों/व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया गया है;

(ङ) इस संबंध में आज तक लंबित मामलों की संख्या क्या है; और

(च) इस प्रकार के मामलों को कंपनी-वार कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सभी सहायक कम्पनियों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) की 31वीं बैठक 8 मई, 2009 को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, वे निम्नानुसार है:

1. कम्पनियों का वास्तविक तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन।
2. उपकरण का कार्य-निष्पादन (हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी)।
3. साइड डिस्चार्ज लोडर्स/लोड हाल डम्पर्स की उपलब्धता, उपयोग तथा उत्पादकता।
4. सुरक्षा कार्य-निष्पादन।
5. जनशक्ति की स्थिति।
6. सीआईएल की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति का कार्यान्वयन।
7. राष्ट्रीय कोयला वेतन करार के प्रावधानों के अन्तर्गत आश्रितों की नियुक्ति और भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार, सीआईएल की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर एंड आर) नीति के प्रावधानों को ध्यान में रखकर प्रदान किया जाता है। कुछ राज्यों में, रोजगार सम्बन्धित राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अनुसार प्रदान किया जाता है। सीआईएल की आर एंड आर नीति में उच्चतर शैक्षिक योग्यताओं के अनुसार रोजगार प्रदान करने का कोई पृथक प्रावधान नहीं है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्मारकों की निर्देशिका तैयार करना

3584. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से असुरक्षित तथा अज्ञात स्मारकों की व्यापक निर्देशिका तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां, कर्नाटक सरकार से वर्ष 2003 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें अपने असंरक्षित तथा स्मारकों का प्रलेखन करने हेतु केन्द्र सरकार से 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता की मांग की गई थी।

(ग) पूरे देश में स्मारकों, स्थलों तथा पुरावशेषों पर एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन शुरू किया गया है। मिशन ने अन्य बतों के साथ-साथ कर्नाटक राज्य के सभी असंरक्षित तथा उपेक्षित स्मारकों का प्रलेखन भी शुरू किया है। इस प्रयोजन के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति बनाई गई है।

एलटीसी दावों के लिए परिवार सम्बन्धी मानदण्ड

3585. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का दावा करने तथा एलटीसी लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी तथा एयर इण्डिया, रेलवे आदि सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों के लिए परिवार की परिभाषा के लिए पृथक मानदण्ड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एलटीसी लाभ के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) उन सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार की परिभाषा एकसमान है जो केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 और इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अनुदेशों से शासित होते हैं। ये नियम एयर इण्डिया, रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं, जो सम्बन्धित संगठनों द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार उन पर लागू अन्य यात्रा रियायतों के लिए पात्र हो।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत और चीन के बीच हॉटलाइन

3586. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति को हॉटलाइन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस पर कितना व्यय होगा;

(घ) क्या इस प्रकार की हॉटलाइनें अन्य देशों के साथ भी चल रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आगामी वर्षो में अन्य देशों के साथ आरंभ किए जाने हेतु प्रस्तावित नई हॉटलाइनों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): (क) से (च) चीनी पक्ष ने प्रस्ताव किया है कि सर्वोच्च स्तर पर नियमित सम्पर्क बनाए रखने के लिए चीनी प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच एक हॉटलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों देशों के बीच इसके तकनीकों और अन्य तौर-तरीकों पर चर्चा चल रही है। भारत और रूस के बीच एक हॉटलाइन वर्तमान में कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

एमपीलैड निधियों का दुरूपयोग

3587. श्री मिथिलेश कुमार: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चौदहवीं लोक सभा के दौरान दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर एमपीलैड निधियों को जारी किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या चौदहवी लोक सभा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा एमपीलैड योजना के तहत अग्रेषित कुछ प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लघन के बारे में सरकार को संसद सदस्यों के अलावा जनता से भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतें सामान्यतया कार्यो की मंजूरी में विलंब, कार्यो को निष्पादित करने/पूरा करने में विलंब, एमपीलैड्स निधि के दुर्विनियोजन, एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन, एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित है। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार को जांच एवं रिपोर्ट देने के लिए भेजा जाता है। इन रिपोर्टो में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो मंत्रालय मामले के आधार पर उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई और/अथवा निधि की प्रतिपूर्ति करने की सिफारिश करता है।

(घ) और (ङ) एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला प्राधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों से प्राप्त अनुशंसाओं की जांच की जाती है तथा अपात्र एवं अनुपयुक्त प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से ऐसा विवरण नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

अवक्रमित खानें

3588. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयला खनन के लिए क्रमित और अवक्रमित क्षेत्रों के बीच भेद करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) सरकार द्वारा अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) देश में राज्य-वार प्रत्येक अवक्रमित खान की स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण मानदण्डों का उल्लंघन

3589. श्री रामसिंह राठवा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत संयंत्र तथा इस्पात संयंत्र सहित कतिपय औद्योगिक इकाइयां पर्यावरणीय नियमों का उल्लघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इन संयंत्रों द्वारा राज्य-वार कितनी फ्लाई ऐश निकालकर फेंकी गई;

(घ) क्या पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इन संयंत्रों के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सर्वाधिक प्रदूषित पाए गए राज्यों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) देश में ऐसे 23 ताप विद्युत संयंत्र हैं जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो (एसपीसीबी) द्वारा निर्धारित किए गए उत्सर्जन मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अपालन कर रहे इन विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण I संलग्न किया गया है। प्रमुख समेकित (इन्टीग्रेटेड) लौह और इस्पात संयंत्रों (13) के मामले में कोई उल्लंघन नहीं देखा गया सिवास झारखंड में टाटा स्टील की एक कोक ओवन बैटरी में विविक्त कण के लिए स्टेक उत्सर्जन मानकों से अधिक है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा संयंत्र को बैटरी का बंद करने की अनुसूची (शेडयूल) प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ग) देश में कुल उड़न राख (फ्लाई ऐश) उत्सर्जन 112.29 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीए) है, जिसमें से 58.37 एम टीए उपयोग में लाया गया है और 53.92 एमटीए का तालाबों में निपटान किया गया है। विद्युत संयंत्रों से राजयवार फ्लाई ऐश उत्सर्जन का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इन संयंत्रों का प्रभाव देखने के लिए अभी तक कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) ने वर्ष 2000-2001 के दौरान "रिहान्द नगर, जिला

सोनभद्र, उत्तर प्रदेश की नजदीकी आबादी पर क्रोनिक रेसपिरेटरी इलनेस पर बेसलाईन स्वास्थ्य सर्वेक्षण" शीर्षक से अध्ययन कराया है। इस क्षेत्र में क्रोनिक ब्रोन्काईट्सि सामान्य समस्या है।

(ङ) पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के राज्य विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन के कारण अत्यधिक प्रदूषित पाए गए है। सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई निम्नलिखित है:-

- सभी चूककर्ता विद्युत संयंत्रों को पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध रीति से उपाय करने के लिए कहा गया है।
- के. प्र. नि बोर्ड द्वारा संबंधित संयंत्रों को मानदंडों का अनुपालन करने हेतु निदेश देने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो को वायु अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत निदेश जारी किए गए हैं।
- अपालन कर रहे संयंत्रों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को बैंक गॉरन्टी जमा करने के लिए कहा गया है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पर्यावरणीय सर्विलांस ख्ववाड (ईएसाएस) के अंतर्गत अनुपालन सत्यापित करने के लिए निरीक्षण किया गया है।

विवरण I

अनुपालन नहीं कर रहे विद्युत संयंत्रों की राज्य वार सूची

क्र. सं.	ताप विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य
1	2	3
1.	कोठा-गुडेम	आंध्र प्रदेश
2.	रामागुंडेम-बी	आंध्र प्रदेश
3.	बरौनी	बिहार
4.	पतरातु	झारखण्ड
5.	बोकारो-बी, डीवीसी	झारखंड
6.	सिक्का	गुजरात
7.	कच्छ लिग्नाईट	गुजरात
8.	कोरबा (पूर्व)	छत्तीसगढ़
9.	पानीपत	हरियाणा
10.	अमरकंटक	मध्य प्रदेश
11.	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश
12.	नासिक	महाराष्ट्र
13.	कोराडी	महाराष्ट्र
14.	चंद्रपुर	महाराष्ट्र
15.	परली	महाराष्ट्र
16.	पारस	महाराष्ट्र
17.	ओबरा	उत्तर प्रदेश
18.	हरदुआगंज	उत्तर प्रदेश
19.	परीक्षा	उत्तर प्रदेश
20.	न्यू कोसीपोर, सीईएससी	पश्चिम बंगाल
21.	दुर्गापुर परियोजनाएं लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
22.	बंडेल	पश्चिम बंगाल
23.	मेटटूर, टीएनईबी	तमिलनाडु

विवरण II

भारत में विद्युत संयंत्रों से फ्लाई ऐश

राज्य	कोयला खपत एमटीए	राख सृजन एमटीए	राख उपयोग	राख पौंड्स में निपटान की गई
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	31.217	12.095	7.326	4.77
बिहार	5.655	2.063	0.658	1.405

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	19.771	8.019	3.05	4.965
दिल्ली	5.609	1.823	2.486'	.0.67
गुजरात	19.245	5.989	2.201	3.79
हरियाणा	7.515	2.912	0.601	2.31
कर्नाटक	6.91	1.6	1.04	0.56
झारखण्ड	6.334	2.441	2.019	0.42
मध्य प्रदेश	28.1637	9.38	3.23	6.15
महाराष्ट्र	29.987	10.517	2.927	7.59
उड़ीसा	23.836	8.971	2.262	6.71
पंजाब	16.78	5.59	3.613	1.98
राजस्थान	12.154	3.646	5.786'	.2.15
तमिलनाडु	35.674	8.998	4.572	4.42
उत्तर प्रदेश	51.187	17.431	7.641	9.78
पश्चिम बंगाल	31.819	10.812	8.935	1.88
	331.857	112.288	58.368	53.92

एमटीए-मिलियन टन प्रतिवर्ष

*एक्सेस बैकलोग के कारण अधिक उपयोगिता

चिकित्सा कालेजों/संस्थानों में रिक्त पद

3590. श्री टी.आर. बालू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम्स सहित चिकित्सा कालेजों/संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में आरक्षित पदों को भरे जाने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों (अ. जा.) अनुसूचित जनजातियों (अ. ज. जा.) तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अ. पि. व.) के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु पर्यापत संख्या में योग्य उम्मीदवार नहीं पाए गए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस प्रकार के कुछ रिक्त पदों को सामान्य श्रेणी में अंतरित कर दिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अवैध पशुशालाएं

3591. श्री गणेश सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा 'पीपल फॉर एनीमल' ने यह उद्घाटन किया है कि अनेक चिकित्सा कॉलेज/विश्वविद्यालयों में मौजूद पशुशालाएं अवैध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संगठन द्वारा ऐसे कितने कॉलेजों/संस्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वाइन फ्लू वैक्सीन की आपूर्ति

3592. श्री राकेश सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में दस लाख स्वाइन फ्लू वैक्सीन की आपूर्ति हेतु अमरीकी कम्पनी से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कम्पनी के पास निर्धारित समय के भीतर वैक्सीन निर्माण करने हेतु प्रौद्योगिकी मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) सचिव (स्वास्थ्य अनुसंधान) के अंतर्गत गठित समिति ने एच1एन1 इन्फ्लूएंजा के लिए टीका बनाने की संभावना की खोज की है। तीन भारतीय कंपनियों ने रूचि दर्शाई है और उनमें इन्फ्लएंजा के टीके का विनिर्माण करने की क्षमता है। इन सभी कंपनियों ने तीव्र विनियामक अनापत्ति और बुकिंग आर्डर के संबंध में न्यूनतम प्रतिबद्धता के लिए सरकार से सहायता का अनुरोध किया है। सचिव (स्वास्थ्य अनुसंधान) से इन कंपनियों से बातचीत करने के लिए कहा गया है।

(ख) से (घ) तीन कंपनियों (सीरम इंस्टीच्यूट, पेनेसिया बायोटैक और भारत बायोटैक) को एच1एन1 टीके के लिए सीड-स्ट्रेन का प्रापण करने के लिए आयात अनुज्ञप्ति दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के देशी कार्यालय से बीज विषाणु प्रदान करने का अनुरोध किया गया है जिसने उन संपर्क की सूचना दी है जहां से ये टीका विषाणु प्राप्त किए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर रिपोर्ट

3593. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर श्री रघुराम जी राजन की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसमें दी गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालाय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हाँ।

(ख) समिति की सिफारिशें वृहद आर्थिक ढांचा, वित्त की व्यापक सुलभता, कार्यक्षेत्र में सुधार, अधिक कार्यसक्षम बाजारों के सृजन और विकास अनुकूल विनियामक पर्यावरण तथा क्रेडित हेतु सुदृढ़ अवसंरचना के सृजन के क्षेत्रों के लिए हैं।

(ग) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रहा है। इसने रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विनियामकों को उनकी टिप्पणियों हेतु भेज दी हैं।

सामाजिक वानिकी हेतु निधियां

3594. श्री प्रभात सिंह पी. चौहान: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गुजरात सहित देश में कोई सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी निधियां जारी/उपयोग की गई है;

(घ) क्या इस कार्य की निगरानी के लिए कोई निगरानी एजेंसी है;

(ङ) क्या सरकार इस कार्यक्रम के तहत निःशुल्क पौध रोपण का रिकार्ड रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय, देश में गुजरात सहित राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनपी), केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम, वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरणों (एफडीए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंध समितियों (जेएफएमसी) के द्वि-स्तरीय विकेन्द्रित व्यवस्था के माध्यम से अवक्रमित वनों और सीमपवर्ती क्षेत्रों के पुनरूद्धव की ओर लक्षित है।

(ग) विगत तीन वर्षो के दौरान के अंतर्गत जारी की गई राज्य-स्तरीय निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) कार्यक्रम की मानीटरी, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की विषय निर्वाचन समिति और राज्य स्तर पर राज्य स्तर की निर्वाचन समिति द्वारा की जाती है।

(ङ) यह कार्यक्रम निःशुल्क पौध रोपण प्रदान नहीं करता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय वनीकरण और पारि विकास बोर्ड राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां

(करोड रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11.06	9.97	11.54
2.	छत्तीसगढ़	13.05	42.69	25.66
3.	गुजरात	17.52	30.93	25.75
4.	हरियाणा	9.20	12.93	20.14
5.	हिमाचल प्रदेश	11.56	7.43	6.72
6.	जम्मू और कश्मीर	5.83	8.13	8.47
7.	कर्नाटक	23.54	31.02	15.46
8.	मध्य प्रदेश	15.83	13.84	22.55
9.	महाराष्ट्र	15.93	29.92	21.87
10.	उड़ीसा	14.07	19.01	21.63
11.	पंजाब	3.36	5.88	3.30
12.	राजस्थान	5.62	2.50	7.32
13.	तमिलनाडु	17.22	9.46	8.86
14.	उत्तर प्रदेश	11.88	36.77	30.80
15.	उत्तराखंड	11.52	12.39	9.24

1	2	3	4	5
16.	गोवा	0.00	0.00	0.00
17.	झारखण्ड	19.03	24.56	26.32
18.	बिहार	4.94	6.92	6.48
19.	केरल	12.75	8.81	9.45
20.	पश्चिम बंगाल	7.00	7.23	9.06
	कुल (अन्य राज्य)	**230.92**	**320.38**	**290.62**
21.	अरुणाचल प्रदेश	2.93	4.85	3.25
22.	असम	13.60	8.58	9.78
23.	मणिपुर	7.78	12.37	9.51
24.	नागालैण्ड	7.22	7.75	6.64
25.	सिक्किम	7.41	11.28	6.63
26.	त्रिपुरा	4.37	5.02	0.89
27.	मिजोरम	13.09	16.75	13.61
28.	मेघालय	5.44	5.94	4.69
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	**61.83**	**72.55**	**55.00**
	कुल योग	**292.75**	**392.93**	**345.62**

जीएम बीजों का फसल परीक्षण

3595. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री मोहन जेना:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों ने बैगन, चावल, कपास आदि के आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) बीजों के फसल परीक्षण के संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त राज्य सरकारों की राय/सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उड़ीसा राज्य में बीटी बैंगन संबंधी परीक्षण किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय को टी.के. बोस, सदस्य, पश्चिम बंगाल राज्य कृषि आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि वर्ष 2007 के दौरान पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में कराए जा रहे बीटी ओकरा फील्ड ट्रायलस अवैध है क्योंकि मैसर्स महाराष्ट्र सीड्स प्रा. लि. (मेहिको) ने राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति और स्तरीय समितियों, जोकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित परिसंकटमय आर्गेनिज्मों (एचएमओ)/आनुवंशीक रूप से इंजिनियर्ड आर्गोनिज्मस (जीएमओ) अथवा सैलों के विनिर्माण, प्रयोग आयात निर्यात और भण्डारण नियामावली, 1989 के तहत अधिसूचित का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है। यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त नियमावली के अनुसार जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) आनुवांशिकीय रूप से रूपांतरित फसलों के फील्ड परीक्षणों की अनुमति देने के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। तथापि, जीईएसी द्वारा दिए गए अनुमोदनों

के बारे में संबंधित राज्य सरकारों की एजेंसियों को सूचित किया जाता है। तदनंतर, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लगभग सभी जिलों में और विभिन्न एग्रो-क्लाईमेटिक जोनों में बड़ी संख्या में कृषि फार्म्स राज्य में उपलब्ध है और इसलिए भविष्य में किसानों से लीज पर ली गई भूमि की बजाय सरकार के कृषि फार्मो में सभी तरह के फील्ड परीक्षणों की अनुमति दी जाए। जीईएसी ने उपर्युक्त सुझाव पर सहमति प्रकट की है।

(घ) और (ङ) विलगीकरण दूरी को बनाए रखने के लिए भूमि की उपलब्धता न होने के कारण उड़ीसा राज्य में बीटी बैंगन पर परीक्षण नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

इंजेक्टेबल पोलियों वैक्सीन

3596. श्री महेश जोशीः
श्री रायापति सांबासिवा रावः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह (आईईएजी) ने पोलियों के उन्मूलन के लिए इंजेक्टेबल पोलियों वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इंजेक्शन की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षण कराये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। भारत में अत्याधुनिक स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों विशेषरूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में डब्ल्यु पी वी 1 के हाल ही के प्रकोप और वैक्सीन प्रभावकारिता के विशिष्ट मुद्दों और बहुत ही युवा बच्चों में सीरा परिवर्तन में निष्क्रिय पोलियों वैक्सीन की अनुपूरक खुराक के संभावित लाभ को देखते हुए मौजूदा कार्यनीतियों को संपूरक बनाने के लिए आई ई ए जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के 9 प्रमुख अत्यधिक खतरे वाले जिलों में सर्वाधिक प्रतिरक्षण अंतराल वाले बच्चों को लक्ष्य बनाते हुए 'स्टैण्ड एलोन फार्म्यूलेशन' और अभियान मोड़ में आई पी वी की एक अनुपूरक खुराक देने की सिफारिश की।

(ग) और (घ) मोनोवेलेंट टाइप1 मुख सेव्य पोलियों वैक्सीन (एम ओ पी वी1) की एक खुराक की तुलना में अन्तः त्वचा और अन्तः मांसपेशीय तौर पर दिए गए काम्बीनेशन आई पी वी की एक अनुपूरक खुराक द्वारा अभिप्रेरित हामोरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए मुरादाबाद जिले में एक नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है। इस अध्ययन को अभी पूरा किया जाना है।

विकास संबंधी कार्यकलापों के कारण वृक्षों/ वन क्षेत्र की कमी

3597. श्री यशवंत लागुरीः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा उड़ीसा, पंजाब और उत्तराखंड में शुरू की गई विभिन्न सड़क और विकास परियोजनाओं के भाग के रूप में बहुत सारे वृक्षों को काटा गया था अथवा काटा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप काटे गए अथवा काटे जाने वाले वृक्षों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वृक्षों और वन क्षेत्र की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण हेतु राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अनिवार्य वनीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में वृक्षारोपण के तहत कितने वृक्ष लगाए गए हैं और कुल कितना क्षेत्र कवर किया गया है; और

(ङ) वनीकरण को सुनिश्चित करने और इसकी निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सड़क और विकास संबंधी अन्य परियोजनाओं के लिए परियोजना की आवश्यकता के अनुसार कभी-कभी वन भूमि पर उगने वाले वृक्षों को काटा जाता है। संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के राज्य वन विभाग ऐसे वृक्षों की कटाई का रिकार्ड रखते हैं। केन्द्र सरकार ने अब तक 3.14 लाख हेक्टेयर वन भूमि के वनेतर उपयोग सहित सड़कों और विकास संबंधी अन्य परियोजनाओं से संबंधित 10,744 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

(ग) से (ङ) गत तीन वर्षों (अप्रैल, 2007 से) के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण के लिए आवंटित धन उपलब्ध न होने के कारण

कोई पतिपूरक वनीकरण कार्य शुरू नहीं किया गया था। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रतिपूरक वनीकरण पुनः शुरू करने के लिए राज्य काम्पा के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और उन्हें सूचित किया है। प्रतिपूरक वनीकरण सुनिश्चित करने और उसकी मॉनीटरी के लिए राष्ट्रीय काम्पा सलाहकार परिषद की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।

भारत-चीन सीमा विवाद

3598. योगी आदित्यनाथ: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन और भारत के बीच सीमा विवाद अभी भी हल नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विवाद के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जा रहें हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर में लगभग 38000 वर्ग किमी भारतीय भू-भाग चीन के कब्जें में है। इसके अलावा 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" के अंतर्गत पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में 5180 वर्ग किमी भारतीय भू-भाग गैर कानूनी रूप से चीन को सौंप दिया था। चीन अरुणाचल प्रदेश में लगभग 90,000 वर्ग किमी तथा भारत-चीन सीमा के मध्य क्षेत्र में लगभग 2000 वर्ग किमी भारतीय भू-भाग गैर-कानूनी रूप से दावा करता है।

22-27 जून, 2003 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान दोनों पक्ष सीमा समाधान के लिए समग्र द्विपक्षीय संबंधों की रूपरेखा के राजनैतिक परिप्रेक्ष्य का पता लगाने के लिए प्रत्येक ओर से एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने पर सहमत हुए थे। अब तक विशेष -प्रतिनिधियों की 12 बैठकें हो चुकी हैं। पहली पांच बैठकों के परिणामस्वरूप 11 अप्रैल, 2005 को चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान "भारत-चीन सीमा मुद्दे के समाधान के लिए राजनैतिक मानदंड तथा मार्गदर्शन सिद्धान्तों से संबंधित करार" पर हस्ताक्षर हुए थे। यह सीमा मुद्दे का राजनैतिक समाधान करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा परिकल्पित तीन स्तरीय प्रक्रिया के पहले चरण का समापन था। दूसरे चरण में दो विशेष प्रतिनिधि अंतिम पैकेज समाधान के स्वरूप का पता लगा रहे हैं, जिसमें भारत-चीन सीमा के सभी क्षेत्र शामिल हैं। अंतिम चरण में दोनों पक्षों की ओर से नागरिक, सैनिक व सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा मानचित्र एवं जमीन पर वास्तविक सीमा का निर्धारण व सीमांकन शामिल होगा।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में परमाणु आयुधों की सुरक्षा

3599. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के परमाणु आयुधों के तालिबान के हाथों में पड़ने की संभावना के संबंध में वहां के राष्ट्रपति द्वारा हाल में दिए गए वक्तव्य की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई एहितियाती उपाय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम.कृष्णा): (क) जी हां।

(ख) 5 जून, 2009 को जर्मन पत्रिका "डेर स्पीगेल" के साथ एक साक्षात्कार में पाकिस्तान के राष्ट्रपति से पूछा गया था कि आपकी पत्नी बेनजीर भुट्टों, जिनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, ने आशंका व्यक्त की थी कि आपके देश के परमाणु हथियार इस्लामी उग्रवादियों के हाथों में आ सकते हैं। क्या आप इस आशंका से सहमत हैं? राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि यदि इस देश में लोकतंत्र विफल होता है, तथा यदि विश्व इस लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता, तो एसी कोई भी घटना संभव है।

(ग) और (घ) सरकार अपने नागरिकों तथा भू-भाग की सुरक्षा कायम रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक

3600. श्री उदय सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में त्राइस्त, इटली में जी-8 आउटरीच बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) उक्त बैठक के परिणामस्वरूप होने वाले संभावित लाभ क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम.कृष्णा): (क) जी हां।

(ख) बैठक के दौरान नेताओं ने भारत-पाकिसतन संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। विदेश मंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री की इन भावनाओं से अवगत कराया कि हम भारत-पाकिस्तान संबंधों में मौजूद क्षमताओं का पारस्परिक लाभ उठाने एवं इनका उपयोग करने के लिए काफी हद तक संबंधों में तनाव के कारणों पर मूल रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए आगे आकर पाकिस्तान से मिलने के लिए तैयार हैं और इसका मुख्य कारण पाकिस्तान आधारित तत्वों द्वारा भारत पर आतंकवादी हमले हैं।

(ग) ऐसी द्विपक्षीय बैठकें बहुपक्षीय सम्मेलनों के अवसर पर होती हैं तथा हमारी चिंता से संबंधित मुद्दों को अन्य देशों के समकक्षों के समक्ष रखने में उपयोगी हैं।

कनिष्क घटना पर सूचना का आदान प्रदान

3601. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कनाडा सरकार ने दुखद कनिष्क घटना संबंधी रिपोर्ट की सूचना का आदान-प्रदान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मुद्दे को कनाडा सरकार के साथ उठाया है/उठाए जाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कनाडा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) 1 मई, 2006 को कनाडा सरकार ने माननीय जॉन सी. मेजर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की जिसे आतंकियों द्वारा 23 जून, 1985 को आकाश में ही बम से उड़ाई गई एयर इंडिया की उड़ान 182 (कनिष्क) की जांच-पड़ताल करनी थी। यह जांच फरवरी 2008 में पूरी हो गयी। आयोग द्वारा जांच आयोग की रिपोर्ट अभी तक कनाडा सरकार को नहीं सौंपी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा भारत में सरकार के नियमों का अनुपालन

3602. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत स्थित संयुक्त राष्ट्र एवं इससे संबद्ध एजेन्सियों के कार्यालय अपने कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित नियमों/आदेशों को भारत में यथाविद्यमान रूप में मानते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत आम चुनाव में चुनाव के दिन कार्यालयों को बंद रखने के सरकार के निदेश इन कार्यालयों पर लागू होते हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम.कृष्णा): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र और भारत स्थित उसके संबद्ध अभिकरणों को विदेश मंत्रालय द्वारा एक मॉडल नियोजन संविदा प्रदान की गयी है जिसमें उन न्यूनतम शर्तो का उल्लेख है जिनका प्रस्ताव भारतीय कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। वे मॉडल संविदा के अंतर्गत उल्लिखित शर्तो से अधिक लाभ का प्रस्ताव कर्मचारियों को प्रदान कर सकते हैं। वे विदेश मंत्रालय द्वारा उल्लिखित न्यूनतम शर्तो को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के रोजगार संबंधी संविदाएं तैयार कर सकते हैं।

(ग) और (घ) हालांकि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय अपने स्वयं के छुट्टी कैलेंडर का अनुपालन करते हैं, तथापि उनसे आशा की जाती है कि वे भारतीय नागरिकों को आम चुनाव में मतदान के दिन अपने अधिकार का प्रयोग करने की छूट देंगे।

बचपन में होने वाले निमोनिया की रोकथाम

3603. श्री के. सुधाकरण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बचपन में होने वाला निमोनिया की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम की ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन्स एण्ड इम्यूनाइजेशन (जीएवीआई) द्वारा विश्वस्तर पर निगरानी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से इस बीमारी की रोकथाम के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस टीके की कम प्रभाविता की सूचना दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में उक्त बीमारी के लिए गुणवत्ता वाले टीका की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से लागू नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर की दृष्टि से लागू नहीं।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर की दृष्टि से लागू नहीं।

(छ) भारतीय राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण टीकों के सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यू आई पी) और निजी बाजार में उनके उपयोग से पहले टीकों की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं की जांच करता है। भारतीय औषध महानियंत्रक के अंतर्गत 'केन्द्रीय औषद मानक नियंत्रण संगठन' देश में किसी भी टीके को अनुज्ञापन देने से पूर्व उसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता की समीक्षा और जांच करता है।

यह तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि केवल वही टीके बाजार में उपलब्ध हों जो गुणवत्ता के निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

भारतीयों के स्विस बैंक में खाते

3604. श्री बसुदेव आचार्य:
डॉ. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्विस बैंक में खाते रखने वाले भारतीयों के बारे में जानकारी लेने के संबंध में जर्मन सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जमा पैसे को लाने के लिए जर्मन सरकार से प्राप्त जानकारी को देने हेतु किसी क्षेत्र से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भारत में पैसे वापस लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम.कृष्णा): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेश नीति की समीक्षा

3605. श्री प्रहलाद जोशी:
श्री लालजी टन्डन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की विदेश नीति की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): (क) और (ख) भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य देश के उदात्त स्व-हित को सुरक्षित रखना है। इस नीति के कुछ मानदंड इस प्रकार हैं-अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता, गुट निरपेक्ष विश्व दृष्टिकोण और समानता एवं न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदनिर्देशित एक बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के सद्‌गुणों में विश्वास।

सरकार मौजूदा स्थिति पर निरंतर नजर रखती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन मूल्यों एवं सिद्धांतों का समझा जाए और इन्हें दैनिक अपेक्षाओं के तदनुरूप बनाया जाए।

पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी सहायता का भारत के विरूद्ध दुरुपयोग

3606. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री के. डी. देशमुख:
डॉ. भोला सिंह:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री लालजी टन्डन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमेरिकी प्रशासन के समक्ष इस बात की चिंता प्रकट की है कि पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी सहायता का भारत के विरुद्ध गतिविधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अमेरिकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) और (ख) हमने पाकिस्तान द्वारा उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए दी जाने वाली अमरीकी सैन्य सहायता को पाकिस्तान द्वारा पारंपरिक हथियारों की खरीद कर उसे भारत के विरुद्ध तैनात करने से उत्पन्न खतरों के संबंध में अमरीका को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। अमेरिकी सरकार ने हमारी चिंताओं को नोट कर लिया है।

(ग) भारत सरकार देश की सुरक्षा कायम रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के प्रति प्रतिबद्ध है।

वापस भेजे गए छात्रों के अध्ययन हेतु व्यवस्था

3607. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेश से भारत भेजे गए भारतीय छात्रों तथा नागरिकों के अध्ययन हेतु व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-योजना तैयार की जा रही है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): जी नहीं।

भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत वन क्षेत्र

3608. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री रामकिशुन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से ऐतिहासिक महत्व के वन क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत लाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मधुमेह के मामलों पर अध्ययन

3609. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स ने मधुमेह से पीड़ित लोगों अथवा इस रोग से पीड़ित होने के जोखिम से गुजर रहे लोगों की संख्या के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मधुमेह की व्यापत्ता के संबंध में अनेक अध्ययन किए हैं। 1972 में किए गए एक अध्ययन में छह प्रमुख भारतीया शहरों के मधुमेह के मूल्यांकन को शामिल किया गया। तत्पश्चात भारत तथा भारतीय प्रवासियों के संबंध में एक और अध्ययन किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए हाल के एक अध्ययन से प्रदर्शित हुआ कि शहरी दिल्ली में वयस्कों में मधुमेह की व्याप्तता करीब 10% थी जबकि हरियाण के ग्राम क्षेत्र में यह 4% थी।

[अनुवाद]

जी-8 शिखर सम्मेलन

3610. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परमाणु ईधन चक्रण की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों को किसी के बारे में जी-8 देशों की घोषणा के पाठ के क्या प्रभाव पड़ेंगे;

(ख) क्या यह सच है कि संवर्धन एवं पुन: प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी की भारत को बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है तथा क्या सरकार समूह-8 देशों के साथ इसे हटाने का मुद्दा उठाना चाहती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर जी-8 देशों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह-एन एसजी द्वारा लिए गए सर्वसम्मत निर्णय का विरोधाभासी है जबकि उसमें जी-8 देश भी एक पक्ष थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) सरकार ने अप्रसार पर जी-8 ला-आकिला वक्तव्यों को देखा है जो कि संवर्धन एवं पुन: प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के फैलाव से जुड़े खतरों के प्रसार से संबंधित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह ने 6 सितम्बर, 2008 को भारत विशेष निर्णयों को स्वीकार किया है, जिसमें एनएसजी के सदस्यों के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग करने के लिए भारत को स्पष्ट छूट प्रदान की गयी है। एनएसजी के निर्णयों में जैसा कि परिकल्पित है, सरकार असैनिक नाभिकीय सहयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर एनएसजी से परामर्श करती है।

सरकारी मंत्रालयों की संख्या कम करने संबंधी सिफारिशें

3611. श्री राजैया सिरिसिल्ला: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के अधीन कम मंत्रालय बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) जी, हां। प्रशासनिक सुधार आयोग ने "भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा" नामक उसकी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि मंत्रालयों की संख्या को 55 से कम करके लगभग 20-25 करने के उद्‌देश्य से निकटता से संबंधित विषयों के आपस में समूहन द्वारा भारत सरकार के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। आयोग की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

होली के त्यौहार के दौरान मिलावटी रंग

3612. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होली के त्यौहार के दौरान बाजार में उपलब्ध रंग मिलावटी है और ये व्यक्तियों के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने होली के त्यौहार के दौरान व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर रंगों के कु-प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन/अनुसंधान कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कातचातिवु द्वीपसमूह को पुनः प्राप्त करना

3613. श्री के. सुगुमार:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कातचातिवु द्वीपसमूह को पुनः प्राप्त करने हेतु कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) और (ख) जी नहीं। भारत सरकार मानती है कि 1974 और 1976 में श्रीलंका के साथ हुए करारों के अंतर्गत श्रीलंका के साथ हमारी समुद्री सीमा समाधान हो चुका है। इन दोनों करारों को बाद में संसद के समक्ष रखा गया था।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, श्री पवन कुमार बंसल।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 553/15/09]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 554/15/09]

(2) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नॉलाजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नॉलाजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 555/15/09]

(4) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 556/15/09]

(5) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 496 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 497 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 498 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 499 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 500 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 502 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 503 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 504 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय वन सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 505 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 506 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 507 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 557/15/09]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 558/15/09]

(2) (एक) नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की सिफारिशों पर की गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 559/15/09]

(3) वर्ष 2009-2010 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 560/15/09]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 561/15/09]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2009 जो 9 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 512 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 562/15/09]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 6 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1243 (अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 114 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1268 (अ)जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित चेयरपर्सन, दस सदस्य और एक सदस्य सचिव से मिलकर बनने वाले नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का पुनर्गठन किया गया है।

(तीन) का.आ. 1675 (अ) जो 9 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित चेयरमेन, तेरह सदस्य और एक सदस्य सचिव से मिलकर बनने वाले गुजरात कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी नामक प्राधिकरण का गठन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

(चार) का.आ. 1676 (अ) जो 9 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित चेयरमेन, आठ सदस्य और एक सदस्य सचिव से मिलकर बनने वाले आन्ध्र प्रदेश कोस्टल जोन मैंनेजमेंट अथॉरिटी नामक प्राधिकरण का गठन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 563/15/09]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 564/15/09]

(3) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षीत लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 565/15/09]

(5) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षीत लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 566/15/09]

(7) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 567/15/09]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 23 के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 19 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 431(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 568/15/09]

(2) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 569/15/09]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. गांधी सेलवन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 570/15/09]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 571/15/09]

(5) (एक) नेशनल एकेडेमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडेमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 572/15/09]

(7) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 9 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 157 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 573/15/09]

अपराह्न 12.02 बजे

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 120वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी पर प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिवः मैं अदीस अबाबा (इथोयोपिया) में 5 से 10 अप्रैल, 2009 तक आयोजित अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 120वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी पर प्रतिवेदन का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 574/15/09]

अपराह्न 12.13 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे।

(एक) तमिलनाडु के कुडलकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली)**:** महोदया, गत वर्षों में विद्युत की मांग कई गुना बढ़ी है लेकिन आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। देश के अनेक राज्यों विद्युत की अत्याधिक कमी से जझ रहे हैं। तमिलनाडु में विद्युत की अत्यधिक कटौती हो रही है और लगभग 1200 मेगावाट की कमी है। इससे घरेलू, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।

इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की संकल्पना की थी। 20 नवंबर, 1988 को भारत सरकार और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच एक समझौता हुआ था। लेकिन, 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यह परियोजना अधार में लटक गई।

वर्तमान में, दो रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन पी सी आई एल) को उम्मीद है कि प्रथम इकाई चालू होने पर 2.50 रुपए प्रति यूनिट से कम दर पर विद्युत बेची जा सकती है। 2008 में इस स्थान पर छह अतिरिक्त रिएक्टरों के निर्माण के लिए वार्ता शुरू हुई। ऐसी उम्मीद है कि प्रत्येक रिएक्टर की क्षमता 1000 मेगावाट होगी।

इनमें से पहली इकाई दिसंबर 2007 में और दूसरी इकाई दिसंबर 2008 में चालू होने की उम्मीद थी लेकिन, रूस से उपस्कर आपूर्ति न होने के कारण काफी विलंब हो चुका है। अंततः, पहली इकाई को दिसंबर 2009 और दूसरी इकाई को मार्च 2010 के आसपास चालू किया जाएगा। तमिलनाडु में 1000 मेगावाट से भी ज्यादा विद्युत की कमी के मुख्य कारणों में से एक कुडनकुलम परियोजना चालू होने में हुआ विलंब है।

*सभापटल पर रखे माने गए।

अत: मै, केन्द्र सरकार से तमिलनाडु में कुडनकुलम परियोजना को समय पर पूरी करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(दो) पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र होशियारपुर का अधिकतर भाग पहाड़ी है जिसे कन्डी क्षेत्र भी कहा जाता है। यद्यपि होशियारपुर जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है परन्तु यहां कुछ भी वांछित सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। प्राकृतिक आपदाओं ने इस क्षेत्र के नागरिकों का जीना दूभर कर रखा है। आज भी कन्डी क्षेत्र लोग मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आने जाने के साधनों से वंचित हैं। इस क्षेत्र में गरीब लोगों की जनसंख्या अधिक है। या तो वे भूमिहीन हैं अथवा थोड़ी-थोड़ी जमीन के मालिक हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एवं हिमालय प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों को भारत सरकार ने विशेष पैकेज देकर वहां के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास किया है, परन्तु होशियारपुर का यह पहाड़ी स्थान जो कि हिमाचल का गेटवे कहलाता है, सुविधाओं से वंचित है।

भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की तरह होशियारपुर कन्डी क्षेत्र को विशेष औद्योगिक पैकेज दें।

(तीन) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, बाराबंकी और अन्य समीपस्थ जिलों में 'नील गाय' के कारण फसलों की क्षति से सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. निर्मल खत्री (फैजाबाद): किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद वह तमाम प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहता है, जिस पर उसको दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की उचित व्यवस्था नहीं है। चाहे वह सूखा हो, अतिवृष्टि हो, बाढ़ हो या ओलावृष्टि हो। एक और समस्या हमारे इलाके जनपद फैजाबाद, बराबंकी (उत्तर प्रदेश) व अन्य इलाकों में बड़ी विकट हो चली है वह है नील गायों द्वारा किसानों की फसलों को बचाने के लिए। अब तो यह व्यक्ति पर भी हमलावर हो जाते हैं।

नील गायों के प्रकोप से किसानों का बचाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाये।

(चार) दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यकरण में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी): जन संचार माध्यमों के क्षेत्र में निजी प्रचालकों के प्रवेश और फलने-फूलने के बावजूद इस देश की अधिकतर जनसंख्या के लिए समाचारों और मनोरंजन का मुख्य साधन दूरदर्शन और आकाशवाणी ही है। गत वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई उदार नीतियों के परिणामस्वरूप ज्यादा निजी प्रचालक इस क्षेत्र में आए हैं और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। दृश्य और श्रव्य क्षेत्र में प्रचालकों की बढ़ी हुई संख्या के बावजूद जनसंचार क्षेत्र प्रभावी और सक्षम सरकारी संस्थाओं की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में समाज के सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षा में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकार को इन संस्थाओं के प्रभावी कार्यकरण को कमजोर करने वाले विभिन्न कारणों अर्थात कर्मचारियों की कमी और उनकी समस्याओं का समाधान न होने, का समाधाान करना चाहिए। इन संस्थाओं के कार्यकरण में एक व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न मुद्दों के समाधान के समय मैं आपसे दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए गए कार्यक्रम अधिकारियों पर भी ध्यान देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इनको दो दशकों से भी लंबे कार्यकाल के दौरान कोई प्रोगति नहीं मिलती।

जबकि गत वर्षों के दौरान देश में जनसंचार माध्यमों में वृद्धि हो रही है, इस क्षेत्र की दो मुख्य सरकारी संस्थाएं अर्थात आकाशवाणी और दूरदर्शन, कमजोर हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता और व्यवसायीकरण के मद्देनजर इन दोनों संस्थाओं को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

(पांच) देश में बिजली की कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को वर्ष 2008 में 73,050 मिलियन यूनिट विद्युत की कमी का सामना करना पड़ा। 73,050 मिलियन-यूनिट की कमी मुख्यत: बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में थी।

इन राज्यों की विद्युत की खपत कुल मांग का 80 से 90 प्रतिशत है।

इस बात को देखते हुए कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या का केवल 56 प्रतिशत अथवा 78 मिलियन परिवारों को बिजली उपलब्ध नहीं है, यदि आपूर्ति की स्थिति में सुधार नहीं होता, तो मांग और आपूर्ति का यह अन्तर आने वाले समय में बढ़ता जाएगा।

सरकार ने अनुमान लगाया है कि विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2012 तक 200,000 मेगावाट (एम डब्ल्यू) से अधिक स्थापित क्षमता की आवश्यकता होगी, जोकि देश की वर्तमान उपलब्धता से 60 प्रतिशत अधिक है।

वर्तमान में, भारत में पन बिजली की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 26 प्रतिशत है, जोकि 1960 के दशक में 50 प्रतिशत थी, जबकि गैस सहित तापीय उत्पादन लगभग 66 प्रतिशत है।

नाभिकीय ऊर्जा देश के कुल विद्युत उत्पादन का केवल तीन प्रतिशत है और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जिनमें पवन ऊर्जा सबसे अहम है, का योगदान लगभग 5 प्रतिशत है।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति में अंतर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाये।

(छह) मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में रसायन विनिर्माता इकाइयों द्वारा उत्सर्जित गैसों और जनित प्रदूषण जो मानव जीवन तथा पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है, पर नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन नागदा में ग्वालियर केमिकल इण्डस्ट्रीज एवं आर्केमा केमिकल इण्डस्ट्रीज द्वारा निर्मित एल्यूमिनियम क्लोराइड से निकलने वाली क्लोरिन गैस तथा एसिड से आम जनजीवन, फसलें, चंबल नदी का जल प्रभावित हो रहा है। ग्वालियर केमीकल इण्डस्ट्रीज, आर्केमा केमिकल इण्डस्ट्रीज को मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा लाइसेंस देकर विदेशी कम्पनियों के साथ एग्रीमेंट के साथ दोनों इण्डस्ट्रीज को बेचा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में सन् 1984 में भोपाल स्थित अमेरिकन कम्पनी यूनीयन कार्बाइड से गैस रिसने के कारण एक बहुत हादसा हो गया था। इसी प्रकार ग्वालियर केमिकल इण्डस्ट्रीज एवं आर्केमा केमिकल इण्डस्ट्रीज द्वारा निर्मित एल्यूमिनियम क्लोराइड से निकलने वाली क्लोरिन गैस तथा एसिड से भी बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना है।

(सात) मध्य रेल के मंडल कार्यालय को मुम्बई से नागपुर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): वर्तमान में मध्य रेल का मण्डल कार्यालय मुम्बई में स्थित है। मुम्बई, पश्चिम रेल का मुख्यालय होने और वहां मध्य रेल का मण्डल कार्यालय भी स्थित होने के कारण मुम्बई में पहले ही भीड़-भाड़ है। इसलिए मध्य रेल के मण्डल कार्यालय को मुम्बई से नागपुर स्थानांतरित करने से न केवल मुम्बई में भीड़-भाड़ कम होगी, बल्कि इससे नागपुर के लोगों को आवश्यक रेल सुविधाएं प्राप्त होंगी। नागपुर को देश के बिल्कुल मध्य में स्थित होने का दर्जा प्राप्त है। वस्तुतः नागपुर पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर है और समय की यह मांग है कि रेलवे इसका लाभ उठाए और बेहतर टर्मिनल सेवाएं उपलब्ध कराए।

नागपुर कोयला, खाद्यानों, सीमेंट, फल इत्यादि हेतु मुख्य ट्रांस-शिपमेंट केन्द्र है। नागपुर से कोलकाता, भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 100 से अधिक रेलगाड़ियां गुजरती हैं। कुछ रेलगाड़ियां तो नागपुर से ही प्रारंभ होती हैं। नागपुर में मण्डल कार्यालय की स्थापना हेतु आवश्यक सवसंरचना उपलब्ध है। यद्यपि, कुछ मण्डल कार्यालय काफी छोटे स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, परन्तु नागपुर, जो कि महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है और मुख्य औद्योगिक और आर्थिक शहर के रूप में विकसित हो रहा है, की अनदेखी की जा रही है इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि मध्य रेल के मण्डल कार्यालय को मुम्बई से नागपुर स्थानांतरित किया जाए।

(आठ) उत्तर-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कालोनियों को नियमित करने तथा अनिवार्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): राजधानी दिल्ली में कई सौ अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत किया गया है, लेकिन इनमें अभी तक सीवर, जल, विद्युत, सड़क की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं, जिसके कारण इन कालोनियों में रहने वाले लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नियमित की गयी कालोनियों की स्थिति अन्य कालोनियों की अपेक्षा बहुत ही बदतर है। वहां की नियमित की गयी कालोनियों में विकास संबंधी कार्य पूर्ण रूप

से ठप्प पड़े हुए हैं। इस क्षेत्र की कालोनियों में भी जरूरी नागरिक सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के कारण नागरिकों को भारी पेरशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में, विशेषकर उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी आबादी होते हुए भी इस क्षेत्र को आबादी के हिसाब से पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नियमित की गयी कालोनियों में सीवर, जल, विद्युत, सड़क की सुविधायें अविलम्ब उपलब्ध करवाये जाने तथा इस क्षेत्र की जिन अनाधिकृत कालोनियों को अब तक नियमित नहीं किया गया है, उनको भी शीघ्र नियमित किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के साथ-साथ क्षेत्र को आबादी के अनुपाल में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(नौ) विभिन्न दवा निर्माता कंपनियों द्वारा विभिन्न ब्राण्ड नाम के जरिए बेची जा रही कॉमन जेनरिक दवाओं के मूल्यों में अंतर पर नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान जीवन रक्षक, दवाइयों के दामों में भारी अंतर की ओर दिलाना चाहता हूं। एक ही प्रकार की दवा के विभिन्न दवा कम्पनियों के रेट में भारी अंतर है। यह अंतर दो गुना से लेकर पांच गुने का है। कम्पनियां जेनरिक नाम के साथ-साथ ब्राण्ड नाम से भी दवा बनाती हैं और डॉक्टर ब्राण्ड नाम से दवा अपने दवाई के पर्चे में लिखते हैं, जिससे कम्पनियों को करोड़ों का फायदा होता है। कम्पनी के ब्राण्ड नाम से दवा लिखने पर डॉक्टरों को विभिन्न प्रकार से पुरस्कृत किया जाता है। वैसे तो नियमानुसार डॉक्टर को जेनरिक नाम से दवा लिखने का प्रावधान है, पर ऐसा होता नहीं है। एक तुलनात्मक चार्ट इस प्रकार से है:-

दवा का जेनरिक नाम	ब्राण्ड नेम	कंपनी का नाम	मूल्य	ब्राण्ड नेम	कंपनी का नाम	मूल्य	ब्राण्ड नेम	कंपनी का नाम	मूल्य
सिप्रोफलॉक्सिन 500 एम.जी.	सिप्रोबिड	कैडला	63.57 10 गोली	सेफरॉम	सेक्क्सी	98.60 10 किलो	जेक्सान	एफ.डी.सी	45.33 10 गोली
डायक्लोफेनिक 100 एम.जी.	वेरोरॉन	नोवाटिस	44.00 10 गोली	रिलिक्सिल	फ्रेन्को इंडिया	19.50. 10 गोली	हैलोरान	हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक	8.92 10 गोली
ओ फलोक्सासिन 200 एम.जी.	जेंसिन	सेक्क्सी	87.50 10 गोली	सेरीबिड	पोवेन्टिस	310.00 10 गोली	हरपू	मर्क	35.00 10 गोली
न्मोस्लाइड 100 एम.जी.	नोवल	मेनकाइन्ड	16.00 10 गोली	नाइस	डॉ. रेड्डी	32.00 10 गोली	निलाइड	कैन्डला	23.00 10 गोली
सेट्रीजिन	सेटजिन	ग्लैक्सों	37.00 10 गोली	सेटरिन	डॉ. रेड्डी	28.00 10 गोली	कोम	मेनकाइन्ड	11.00 10 गोली
मेथिकोबोलामिन इंजेक्शन	न्यूरोकाइन्ड	मेनकाइन्ड	9.99 1 एम.एल.	रैजुप्युशन	फोडस	59.00 1 एम.एल.	मेथाईकोबाल	मेनकाइन्ड	95.00 1 एम.एल.
ओन्डेस्ट्रान इंजेक्शन	ओन्डेम	वर्जन हेल्थ केयर	14.44 2 एम.एल.	जोफर	सन फार्मा	30.00 2 एम.एल.	पेंसिसेड	इफका	14.90 2 एम.एल.
नेन्ड्रोलोन डेकोनेट इंजेक्शन	डेकान्यूरोफेन	इन्ड स्वीफट	83.26	डिकनबाल	एलमेंट	79.95	मेन्डेक	जक्सनपाल	105.00
सी-जाईड इंजेक्शन	फोर्टम	ग्लैक्सों	397.60 1 एम.एल.	सी-जाईड	एम क्योर	106.95 1 एम.एल			

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एह ही दवा के मूल्य में जो अंतर है जिससे अपभोक्ताओं को अधिक राशि देनी पड़ती है। इसलिए इसकी जांच कराई जाए।

(दस) राजस्थान को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को विशेष दर्जा देने की मांग काफी समय से की जा रही है ताकि उदार शर्तों पर केन्द्रीय ऋण सहायता की सुविधा ली जा सके। विशेष वर्ग के राज्यों के लिए परियोजनाओं की लागत की 90 प्रतिशत एवं साधारण वर्ग के राज्यों के लिए परियोजनाओं की लागत की 25 प्रतिशत राशि केन्द्रीय अनुदान के रूप में दी जाती है, अगर राजस्थान को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है तो राज्य के लिए त्वरित सिंचाई कार्यक्रमों का संचालन करना असंभव होगा। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष वर्ग के राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। राज्य का 2/3 हिस्सा थार रेगिस्तान व सूखा क्षेत्र है, जहां बार-बार अकाल पड़ते हैं। राजस्थान का काफी हिस्सा जनजातीय क्षेत्र है, भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े होने के कारण भी यह अति संवेदनशील है, राज्य में वर्षा बहुत कम होती

है। अत: राज्य के विकास को गति देने हेतु यह अति आवश्यक है कि जम्मू-कश्मीर, हरियाणा एवं उत्तर पूर्वी राज्य की तरह राजस्थान राज्य को भी विशेष दर्जा दिया जाये।

(ग्यारह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (भिंड): राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 ग्वालियर-भिण्ड-इटावा को जोडता है इसी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 92 उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में मिलता है तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश वाहन इसी राजमार्ग से निकलते हैं। इस सड़क की हालत बहुत खराब है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 पर बढ़ते हुए ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए 4 लेन का मार्ग बनाये जाने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

(बारह) गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वीरवाड़ा रेलवे स्टेशन को गम्भोई में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन साबरकांठा, गुजरात में अहमदाबाद-उदयपुर के रास्ते में हिम्मत नगर मीटर गेज रेलवे लाइन पर वीरवाड़ा नाम से एक रेलवे स्टेशन है। वास्तव में वीरवाड़ा स्टेशन केवल वाटडा गांव के लोगों के लिए ही है। यह स्टेशन इस क्षेत्र के आस-पास के गांवों के लोगों के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है और सुविधाजनक भी नहीं है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वीरावाड़ा स्टेशन को गम्भोई गांव के निकट शिफ्ट किया जाए और इसका नाम भी वीरावाड़ा के बजाय गम्भोई स्टेशन रखा जाए, क्योंकि गम्भोई गांव के आस-पास साबरकांठा जिले के 50 अन्य गांव है। गम्भोई इस क्षेत्र के वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है। यह हिम्मत नगर के बाद स्थित है। यह रेलवे लाइन गम्भोई से होकर निकलती है। अत: वीरावाड़ा स्टेशन को गम्भोई में शिफ्ट रेल प्रशासन के लिए अधिक सुविधाजनक होगा।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले में रेल उपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रामकिशुन (चन्दौली): उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली में कई रेल लाइनें बिछाई गई हैं जिससे जनपद कई भागों में बंट गया है। इन रेलवे लाइनों पर ओवर ब्रिज न होने से जनता को जिले के एक कोने से दूसरे कोने तक आने-जाने में काफी कठिनाई और परेशानी उठानी पड़ती है तथा कई रेलवे लाइनों को पार करना पड़ता है। गेट बन्द होने की हालत में आम जनता का काफी समय प्रतीक्षा करने में ही लग जाता है। जिला मुख्यालय तथा अस्पताल आदि स्थानों पर जाने में असुविधा होती है। कभी-कभी रेलवे फाटक बन्द होने से मरीजों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। नक्सल प्रभावित जिला होने के नाते भी प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रशासन के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में दिक्कत होती है। इस जनपद में मुगलसराय-गया-हावड़ा लाइन, मुगलसराय-पटना लाइन तथा मुगलसराय-वाराणसी, मुगलसराय-इलाहाबाद लाइनों ने पूरे जनपद को 4-5 भागों में बांट के रख दिया है। इन लाइनों पर अधिक सवारी गाड़ियों एवं मालगाड़ियों का आवागमन होने से रेलवे फाटक बहुत देरी तक बन्द रहते हैं जिससे आम जनता का कीमती समय बर्बाद होता है। न व्यापारी अपना व्यापार ठीक से कर पाता हैं, न ही स्कूल कालेज जाने वाले छात्र समय से स्कूल पहुंच पाते हैं।

अत: सदन के माध्यम से मेरा माननीय रेल मत्री जी से अनुरोध है कि जनहित में चन्दौली जिला मुख्यालय स्थित रेलवे लाइन, गया, मुगलसराय स्थित चन्दौली-सैदपुर मार्ग तथा अलीनगर से सकलडीहा मार्ग के मटकुट्टा रेलवे गेट एवं सैयदराजा जमनिया मार्ग के रेलवे गेट पर ओवर ब्रिजों का तत्काल निर्माण कार्य कराए जाने की मांग करता हूं।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के सूखा-प्रभावित बलिया और देवरिया जिलों के किसानों को विशेष वित्तीय दिए जाने की आवश्यकता

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): जनपद बलिया व जनपद देवरिया समेत सम्पूर्ण पूर्वाचल में भयंकर सूखा पड़ा है जिससे खरीफ की बुआई भी नहीं कर सका है। जो कुछ बुआई हुई है वह भी सूख रह है। पशु-पक्षी, जनजीवन इस भंयकर सूखे के कारण काफी परेशान हैं। केन्द्र सरकार इस स्थिति में विशेष पैकेज देकर किसानों को इस विपदा से उबारने के लिए यथाशीघ्र कारगर उपाय करने का कष्ट करें।

(पन्द्रह) बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर रेल पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान राष्ट्रहित एवं जनहित की समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए मेरा कहना है कि बिहार प्रांत के सपौल में कोसी नदी पर महासेतु रेल मार्ग का निर्माण कार्य 2009 तक पूरा होना था, किन्तु बजट में खर्च के हिसाब से धन की नगण्य व्यवस्था एवं कार्य के धीमी गति से चलने से ऐसा प्रतीत होता है कि 2015 तक भी महासेतु का निर्माण नहीं हो सकेगा एवं मिथिलांचल की चिर-परिचित मांग सपना बनकर रह जाएगी।

माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि कोसी महासेतु पर रेल लाइन का निर्माण कार्य त्वरित गति से चलाने का प्रबंध करने का कष्ट करें जिससे कि जनता की समस्या का निदान हो सके।

(सोलह) चेन्नई, तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूवन्नामलाई): लोकतंत्र सामान्यत: उस कानून का शासन है जिसका निर्माण लोगों के उन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिनके चुनाव के लिए लोग मतदान करते हैं और निर्णय करते हैं। जब दो दल यह महसूस करते हैं कि वे कानून के अनुसार ठीक है तो कानूनी विवाद होता है। अपने विवादों को सुलझाने के लिए वे न्याय के लिए न्यायालय जाते हैं। लेकिन यदि उस न्याय में विलंब हो तो वह और कुछ नहीं बल्कि न्याय से वंचित करता है। अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायालयों में मुकदमें लंबे समय तक लंबित न रहें क्योंकि लोग न्यायिक प्रणाली के जाल में उलझे रहते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, स्वयं हमारे उच्चतम न्यायालय में, ही कम से कम पचास हजार मुकदमें लंबित हैं। देश भर से लोग जो लोग इन मुकदमों से संबंधित है, उन्हें अपने निवास स्थानों से अक्सर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आना पड़ता है। इन मुकदमों के त्वरित निपटान के जरिए यह खर्च और बहुमूल्य समय की बरबादी से बचा जा सकता है।

न्यायिक सुधार आरंभ करने से पूर्ण हम विभिन्न राज्यों की राजधानियों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना कर सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने यह मामला केन्द्र और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ उठाया है। अत: मैं केन्द्र सरकार और विधि मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ विचार-विमर्श करें और सर्वप्रथम चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयास करें जैसा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है।

(सत्रह) उड़ीसा को त्वरित बिजली विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन निधि शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): त्वरित बिजली विकास और सुधार कार्यक्रम (एपी डीआरपी) में एसईबी/ 'यूटिलिटीज' को उनका कार्य निष्पादन सुधारने और हानियों को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन घटक है। उड़ीसा सरकार ने वर्ष 2003-04 के लिए 264.94 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का दावा करते हुए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। यद्यपि उड़ीसा में वितरण नेटवर्क का निजीकरण हो चुका है, राज्य सरकार का हिस्सा 49 प्रतिशत है और जी आर आई डी ओ राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। फिर भी, भारत सरकार ने कहा है कि 'ए पी डी आर पी के अंतर्गत सहायता निजी कंपनियों के लिए नहीं है। ऐसा दृष्टिकोण विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए अग्रणीय प्रयासों के लिए दंड देने के समान है और इससे उड़ीसा विद्युत सुधार अधिनियम, 1995 और विद्युत अधिनियम, 2003 का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है जिनका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था।

उड़ीसा ने दसवीं योजना के दौरान ए पी डी आर पी के अंतर्गत व्यापक प्रोत्साहन राशि खोया है क्योंकि इसका कार्यान्वियन निजी वितरण कंपनियों के जरिए किया गया था। मैं सरकार से इस प्रोत्साहन राशि को शीघ्र जारी करने का अनुरोध करता हूं जिसका उपयोग केवल इस क्षेत्र के लाभ के लिए ही नहीं बल्कि राजस्व हानियां कम करने हेतु 'यूटीलिटीज' को प्रोत्साहन/प्रेरणा देने के लिए भी किया जाएगा।

(अठारह) आंध्र प्रदेश में पलर नदी पर रेल पुल के निर्माण को रोक दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुप्पम के गणेशपुरम में पलार नदी पर बांध बनाने के निर्णय संबंधी विचलित कर देने वाले समाचार से तमिलनाडु में बेचैनी फैल गई है। बांध के निर्माण से बैल्लोर, तिरूवलूर, तिरूवन्नामलाई, कांचीपुरम और चेन्नई में सिंचाई और पेयजल आवश्यकताएं प्रभावित होंगी। केन्द्रीय जल आयोगों के अध्यक्ष में दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक बुलाई और मामले का निपटारा न होने तक आंध्र प्रदेश से बांध का निर्माण न करने के लिए कहा। मैं समझता हूं कि स्थिति नाजुक है। भारत सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और आंध्र प्रदेश को तत्काल निर्माण कार्य रोकने का अनुदेश देना चाहिए।

(उन्नीस) डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने तथा उन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): सारे संचार माध्यमों के विकास के बावजूद आज पोस्टल विभाग की महत्ता कम नहीं हुई है। पोस्टल विभाग का अधिकतम काम इस विभाग के ई.डी. कर्मचारियों ने संभाल रखा है। लगभग डेढ़ शताब्दी से ई.डी. कर्मचारी पोस्टल विभाग की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्यरत है। न्याय की दृष्टि से आज जरूरत है कि ई.डी. कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाए तथा न्याय से वंचित इन कर्मचारियों

को पेंशन देने की योजना का भी लाभ मिले तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से भी इन ई.डी. कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाए।

अपराह्न 12.04 बजे

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, अब सभा नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। इस समय शून्य काल नहीं होगा, यह बाद में शाम में होगा। हमने इस चर्चा के लिए दो घंटे निर्धारित किए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से संक्षेप में बोलने का अनुरोध करती हूं। श्री बसुदेव आचार्य चर्चा आरंभ करेंगे।

...*(व्यवधाान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी)**:** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि जीरों आवर में बोलने के लिए मौका देंगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः नहीं, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया था।

श्री मुलायम सिंह यादवः दो मिनट बोलने दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः जी नहीं, बाद में। अभी नहीं। जो भी बात थी, आप कह चुके हैं। देखिये, प्राइस राइज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ऐसा सबने कहा है। उसके लिए दो घंटे का समय है। उस समय का हम पूरा-पूरा सदुपयोग करना चाहते हैं। उसमें से एक क्षण भी व्यर्थ न हो यह सबकी इच्छा है। बसुदेव आचार्य जी, आप कृपया शुरू करें।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा मदद कीजिए हमारी। ...*(व्यवधान)*

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर)**:** आपने कहा था कि जीरो आवर में बात सुन ली जाएगी। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने यह कहा था कि बाद में सुनेंगे। ...*(व्यवधान)* आपने कहा है।

अध्यक्ष महोदयाः जो कुछ भी आपको कहना था, वह सुबह कह लिया। वह रिकार्ड में चला गया। जीरो आवर की कोई बात नहीं है। अभी कोई जीरो आवर नहीं है। श्री बसुदेव आचार्य जी, आप बोलिये। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः आपने हमें समय देने की बात कही थी। दो मिनट समय देने की बात कही थी आपने! आपने कहा था कि प्रश्न काल के बाद आप मौका देंगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः केवल बसुदेव आचार्य जी की बात रिकार्ड में जाएगी। कृपया आप आरंभ करें।

...*(व्यवधान)* *

अपराह्न $12.04^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)**:** अध्यक्ष महोदया ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः प्राइस राइज पर डिसकशन शुरू हो गया है। बसुदेव आचार्य जी, आप कृपया शुरू करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्यः महोदया, सामान्यतः इस पर चर्चा की गई थी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप शांत हो जाइए। हमने यह बात नहीं कही थी।

[अनुवाद]

उन बातों के लिए मेरा नाम न लें जो मैंने नहीं कही।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः हमने नहीं कहा था।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयाः मुलायम सिंह जी प्रश्न काल के शुरू में इस मुद्दे को उठा चुके हैं और वह रिकार्ड में भी चला गया है। अब आप यह डिस्कशन कृपया शुरू होने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः सभा अपराह्न 12.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्रीमती सुमित्रा महाजन पीठासीन हुईं।)

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में–जारी

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया (श्रीमती सुमित्रा महाजन): अब श्री बसुदेव आचार्य बालेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः माननीय मुलायम सिंह जी, आप पहले दो-तीन मिनट बोल कर अपनी बात उठा चुके हैं। आचार्य जी, आप अपनी बात प्रारम्भ करें। केवल बसुदेव आचार्य जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः क्या आप महंगाई पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयाः कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा केवल बसुदेव आचार्य की बात ही कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित की जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदयाः कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

सभापति महोदयाः बसुदेव आचार्य जी, आप बात करना नहीं चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः अगर आप महंगाई पर चर्चा नहीं चाहते हैं तो बात अलग है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः मुलायम सिंह जी, आपको पहले दो मिनट बोलने का समय मिल चुका है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः बसुदेव आचार्य जी अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं...।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयाः सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.17 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.00 बजे

(लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए।*)

सदस्य द्वारा निवेदन

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर, दादरी में गैस आधारित विद्युत परियोजना शुरू किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, केवल आप बोलिए। आपके पीछे जो माननीय सदस्य खड़े हैं, कृपया उन्हें बैठने के लिए कहिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी)**:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने गाजियाबाद में एक पॉवर प्लांट की स्थापना की स्वीकृति दी थी। वह 37,500 मेगावाट का प्लांट गैस आधारित है। हम लगातार केन्द्रीय सरकार से गैस देने की प्रार्थना करते रहे, लेकिन उसने गैस नहीं दी। अगर केन्द्र सरकार उक्त गैस आधारित विद्युत प्लांट को गैस दे देती, तो उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अन्य प्रान्तों में बिजली पहुंच जाती और अंधेरे प्रदेशों में रोशनी हो जाती। उत्तर प्रदेश को तो केवल 13-14 सौ मेगावाट बिजली की जरूरत थी, लेकिन ये गैस नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका विषय हो गया। अब आप बैठ जाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव: अभी नहीं हुआ है।

महोदय, ये गैस नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्लांट के लिए केन्द्र सरकार गैस दे।

महोदय, दूसरी बात यह है कि देश में बिजली का संकट है और बिना बिजली के आम आदमी परेशान है। जब यह मामला हाईकोर्ट में गया, तो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि उक्त प्लांट हेतु सरकार का गैस देनी चाहिए। हाईकोर्ट में सरकार ने कोई पैरवी नहीं की। अब केन्द्र सरकार हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गई है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है?

सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई? बिजली पैदा करने के लिए उस प्लांट को गैस केन्द्र सरकार को देनी है, लेकिन गैस नहीं दी जा रही है। सरकार यह भी बताना नहीं चाहती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरे अनुसार यह सरकार एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहती है। *...(व्यवधान)* हमारे लिए कहते हैं कि हम अनिल अम्बानी से मिले हुए हैं। *...(व्यवधान)* हमें कोई मतलब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका विषय हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव: अभी नहीं हुआ है। हमें बिजली चाहिए। केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई? उस प्लांट को गैस नहीं देनी पड़े, इसलिए यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। यानी गैस को रोकने के लिए यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। इससे 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान एन.टी.पी.पी. को होगा। सरकार एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। सरकार का यह कदम खुल्लमखुल्ला, जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने के बराबर है। देश का विकास बिजली के बिना सम्भव नहीं है। प्लांट को गैस नहीं देने के कारण एन.टी.पी.सी., जो सरकारी संस्था है, उसे 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार सप्रीम कोर्ट में क्यों गई है? सरकार देश को 30 हजार करोड़ रुपए का घाटा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गई?

उपाध्यक्ष महोदय: आपका विषय हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विषय तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक सरकार की ओर से उत्तर सदन में नहीं आ जाएगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? उपाध्यक्ष महोदय, जब तक जबाव नहीं आएगा, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। 30 हजार करोड़ रुपए का घाटा सरकार के उपक्रम को इसलिए दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाना चाहती है। हम पर आरोप लगाए जाते हैं। यदि अनिल अम्बानी और मुकेश अम्बानी का विवाद है, तो यह दो उद्योगपतियों का विवाद है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: विषय तो आपने सदन में प्रस्तुत कर दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदय, उत्तर प्रदेश में बिजली प्लांट को केन्द्र सरकार गैस नहीं देना चाहती है, फिर दूसरे सूबों में इसी प्रकार के बिजली के प्लांट तीन जगह और लग रहे हैं, वहां गैस क्यों दी जा रही है? उत्तर प्रदेश को आप अंधरे में क्यों रखना चाहते हैं? दिल्ली में बिजली की परेशानी है, राजस्थान में बिजली की कमी है और हरियाणा में कठिनाई है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आइटम नंबर 12.

श्रीमती सुषमा स्वराज की तरफ से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उनकी तरफ से सदन में श्री यशवन्त सिन्हा को चर्चा प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाए।

श्री मुलायम सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। हमारी बात का उत्तर माननीय मंत्री महोदय दें, हम यह अनुरोध करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य, श्री मुलायम सिंह का भाषण रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। माननीय सदस्य श्री यशवंत सिन्हा के अतिरिक्त अन्य किसी भी माननीय सदस्य का भाषण रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदयः बाकी की बात रिकार्ड नहीं होगी, आपकी ही रिकार्ड होगी।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग)**:** उपाध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप लोग कृपया बैठ जायें। आपने अपनी बात रख दी है। अब सरकार अपना जवाब देगी या नहीं देगी, यह सरकार पर निर्भर है, इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप लोग कृपया बैठ जाइये, सदन को चलने दीजिए। श्री यशवंत सिन्हा जी।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः यशवंत सिन्हा जी, आप शुरू कीजिए। रिकार्ड में सिर्फ यशवंत सिन्हा जी की बात जाएगी। कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मेरी इस बात पर माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह जी सहमत होंगे कि जब हाउस में एकदम कोई मसला उठाया जाता है कि सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट में गई या क्या मसला है, वह यहां इस वक्त हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना मैं विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जो बात यहां कही जाती है, मैं उस बात को हमारे जो सम्बन्धित मंत्री हैं, उनके इल्म में जरूर ले आता हूं।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः ठीक है, आपके विषय में मंत्री जी ने बोल दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादवः नहीं, वह सवाल नहीं आया। मेरा कहना है कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी जवाब दे सकते हैं, विदेश मंत्री भी जवाब दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है, नहीं तो प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं, कोई तो जवाब दे सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसलः महोदय, यह विषय प्रश्न-काल के तुरंत बाद उठाया गया और सभा 2 घंटे के लिए स्थगित हो गई। सभा में कोई कार्यवाही नहीं हो सभी। पुनः उसी विषय को उठाया जा रहा है ...*(व्यवधान)* क्या सभा की कार्यवाही को इस तरह रोका जाएगा और हम किसी विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। . ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य, आपकी बात आपने रख दी है, सरकार ने भी सुन ली है। सरकार उचित समय पर जवाब देगी, आज आप हाउस चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः जवाब कब देंगे, समय बता दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः यह हमारा डिसाइड करने का काम नहीं है, यह सरकार का काम है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया सदन को चलने दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी)**:** आप एक तिथि बता दें कि कब जवाब देंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः यह काम चेयर से नहीं होता है।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः यह देश का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री यशवंत सिन्हा!

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमारः मंत्री जी का इस पर जवाब आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया सदन को चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): यह मामला इन्होंने सदन के संज्ञान में ला दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

(लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई)

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*)

सदस्य द्वारा निवेदन

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर, दादरी में गैस आधारित विद्युत परियोजना शुरू किए जाने के बारे में–जारी

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः कृपया शान्त हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी)**:** अध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि सरकार की तरफ से उत्तर आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, आप सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः मंत्री जी मेरी बात सुनकर ही बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं इनकी एक-एक बात का जवाब नहीं दे सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप सुबह बोल चुके हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसलः मुलायम सिंह जी, आज चार बार ऐसा हो चुका है। ...*(व्यवधान)* सुबह क्वैश्चन आवर से पहले, क्वैश्चन आवर के बाद और बाद में भी इस बारे में दो बार जिक्र होता रहा है। इन्होंने यह बात उठाई है। मैं आपके माध्यम से सदन को इतना ही बताना चाहता हूं और इन्हें विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि संबंधित मंत्री इस पर सोमवार को अपनी स्टेटमैंट दे देंगे, वे रिस्पोंड कर देंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अब शान्त हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): आज की चर्चा के लिए सूचीबद्ध मुद्दा, कीमतों में वृद्धि-पर सभा में चर्चा क्यों नहीं हुई? क्या अनिल अम्बानी इतने महत्वपूर्ण हैं कि कीमतों में वृद्धि से संबंधित मुद्दे को सभा में चर्चा की सूची से निकाल दिया जाएगा? ...*(व्यवधान)* कार्य मंत्रणा समिति में हम मूल्य वृद्धि पर चर्चा के लिए समय स्थित करते हैं। ...*(व्यवधान)* मूल्यवृद्धि का मुद्दा एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर चर्चा के लिए आपने श्री बसुदेव आचार्य नाम पुकारा है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है ...*(व्यवधान)* सदस्यगण, देश के सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलत विषय पर चर्चा के लिए यहां आ रहे हैं लेकिन सभा मे इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। किसी का गैस लाइन ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः यह सब कार्यवाही वृतांत में सम्मानित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः वे प्राइस राइज के बारे में बात कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। आज प्राइम राइज पर डिसकशन थी लेकिन नहीं हो पाया। उनकी चिन्ता है, वे बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्यायः यह निंदनीय है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कुछ समय बाद ही हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला रहे हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे और इसके लिए समय तय करेंगे।

अपराह्न 3.02 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

प्रधानमंत्री के हाल के विदेश दौरों से उत्पन्न मुद्दे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः अब सभा नियम 193 के अधीन चर्चा करेगी। श्री यशवंत सिन्हा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा के लिए समय मुकर्रर किया। मैं इस बात का भी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने नेता का भी आभारी हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दें पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया। हाल के दिनों में दिल्ली मैट्रो के कई पिलर्स क्रैक कर गए, कुछ गिर भी गए। उसकी जांच अलग चल रही है लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं के दौरान इस देश की विदेश नीति के जो पिलर्स थे, उसमें बहुत सारे क्रैक पड़ गए हैं, बहुत सारे गिर गए हैं। देश की विदेश नीति बराबर राष्ट्रीय सहमति के आधार पर चली है। जो भी सरकार में होता है, वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्षी दलों को भी विश्वास में लेता है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होती है और फिर आगे की रणनीति तय की जाती है ताकि देश में वह सहमति बनी रहे। मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से यह सहमति लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वह परम्परा ही समाप्त हो गई कि सबको विश्वास में लेकर साथ चलना चाहिए। पाकिस्तान के संबंध में हमारी जो परम्परागत नीति रही, उसमें राष्ट्रीय सहमति एक बहुत ही मजबूत आधार था। मुझे लगता है, मैडम, शायद यह पहला मौका है जब इतने महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति न केवल चरमरा गयी, क्रैक हो गयी बल्कि ध्वस्त हो गयी, वह पिलर ही गिर गया। शायद यह पहला मौका है। मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मुम्बई पर जो हमला हुआ था, वह सिर्फ एक साधारण आतंकवादी हमला या घटना नहीं थी, मुम्बई पर हमला हमारे देश की सम्प्रभुता पर हमला था, वह पाकिस्तान का भारत के ऊपर हमला था। मुंबई हमले के बाद इसी सदन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जिसे मैं यहां कोट कर रहा हूं:

[अनुवाद]

''सबसे पहले हमें आतंकवाद का केन्द्र, जो पाकिस्तान में है, से सख्ती से और प्रभावी रूप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सहमति बनानी होगी। आतंकवाद की अवसंरचना को हमेशा के लिए नेस्तानाबूद करना होगा। प्रधानमंत्री ने इस सभा को यह भी सूचित किया कि उन्होंने उनसे मुलाकात करने वाले अनेक राष्ट्रध्यक्षों और सरकारों के मुखियाओं को बताया कि भारत केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य नीति के उपकरण के तौर पर आतंकवाद का प्रयोग अब स्वीकार्य नहीं है।''

महोदया, ये मेरे शब्द नहीं है; ये भारत के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। उसके बाद 16 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जरदारी से येकातेरिनबर्ग में मुलाकात की और उनको चेताया जिसे दुनिया भर ने सुना। उन्होंने उनको बताया:

> ''मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मेरा अधिकार आपको यह बताने तक सीमित है कि पाकिस्तान भूमि का प्रयोग भारत के विरूद्ध आतंकवाद के लिए न किया जाए।''

[श्री यशवंत सिन्हा]

यह कड़े शब्द; जिनके लिए हम सभी को अपने प्रधानमंत्री पर अत्यंत गर्व महसूस हुआ, यह हमारे प्रधानमंत्री थे जो चुनाव में विजयी होकर आए थे आत्मविश्वासी, स्पष्ट वक्ता थे जिन्होंने पाकिस्तान और बाकी दुनिया को कहा था, ''हमसे न उलझे''। उन्होंने यह संदेश दिया और हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश की ओर से यह संदेश दिया।

...(व्यवधान)

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी): यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री की उपलब्धि है।

श्री यशवंत सिन्हा: मैं जब भी वे प्रशंसनीय कार्य करेंगे, उनकी प्रशंसा करूंगा।

एक माह से भी कम समय में, शर्म-अल-शेख में, इस कथित स्थिति से बिलकुल उल्टी स्थिति थी और एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। उस संयुक्त वक्तव्य में अनेक बिन्दु हैं और मैं उनमें से मुख्य बिन्दुओं को बारी-बारी से बताता हूं। ये क्या बिन्दु हैं,

''उन्होंने भारत-पाक संबंधों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर विचार किया।

[मैं **द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों** पर जोर दे रहा हूं।]

दूसरी बात, दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद दोनों देशों के लिए मुख्य खतरा है।

तीसरे, प्रधानमंत्री श्री सिंह ने मुंबई हमले के हमलावरों को दंड देने की आवश्यकता दोहराई। प्रधानमंत्री गिलानी ने आश्वासन दिया कि पाकिस्तान इस संबंध में सब कुछ करेगा।

चौथे, प्रधानमंत्री गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में खतरों के बारे में कुछ सूचना है।

पांचवें, दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। आतंकवाद पर कार्यवाही का संयुक्त वार्ता प्रक्रिया से न जोड़ा जाए और दोनों को अलग-अलग रखा जाए।''

छठा बिन्दु यह है कि प्रधानमंत्री श्री सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों सहित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सातवां बिन्दु यह है कि प्रधानमंत्री सिंह ने भारत का हित दोहराया। कृपया ध्यान दे कि प्रधानमंत्री सिंह ने दोहराया कि भारत का हित एक स्थिर, लोकतांत्रिक, इस्लामिक, गणतांत्रिक पाकिस्तान में निहित है। और अंत में, दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश भविष्य में संभावित खतरों के प्रति विश्वसनीय, कार्यवाही योग्य सूचना का तुरंत आदान-प्रदान करेंगे। दोनों विदेश सचिव, जितनी बार भी आवश्यक हो, मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्रियों को रिपोर्ट देंगे जो आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर मुलाकात करेंगे।

अब, हम इन मुद्दों को संयुक्त वक्तव्य से लेते हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखा है। पहला यह है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विदक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर चर्चा की। यह केवल सीमा पार से आतंकवाद तक सीमित नहीं थी। यह केवल आतंकवाद की उन घटनाओं के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने तक सीमित नहीं थी जिन्हें उसने हमारी पवित्र धरती पर अंजाम दिया है, हमने, प्रधानमंत्री ने, द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर चर्चा की। इसलिए, समूचे मामले ने विस्तृत रूप ले लिया दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देशों के लिए आतंकवाद मुख्य खतरा है, तो वे भारत और पाकिस्तान को समकक्ष रख देते हैं। हमलावर और पीड़ित के बीच अंतर को भुला दिया गया, पूर्णत: भुला दिया गया क्योंकि हम दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं। अत:, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले और आतंकवाद को झेलने वाले का प्रश्न ही कहां है? फिर पाकिस्तान ने आश्वासन दिया कि वह मुंबई हमले के दोषियों को सजा दिलाने के लिए अपनी सीमाओं के भीतर सब कुछ करेगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा है कि उनके पास निश्चित ही जमात-उद-दवा के हाफिज सईद के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। मैंने स्वयं हमारे लब्ध प्रतिष्ठित गृह मंत्री को टेलीविजन चैनलों को यह बताते हुआ सुना कि हमने हाफिज सईद को दंडित करने के लिए पाकिस्तान को पर्याप्त साक्ष्य दे दिए हैं और फिर भी पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं कि भारत ने साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं, उन्होंने हाफिज सईद को मुक्त कर दिया है, हाफिज सईद के विरूद्ध कुछ भी लंबित नहीं है। मुंबई हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता को पाकिस्तान ने खुला छोड़ दिया है। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और हम कहते हैं कि वे सभी आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

अब, मैं बलूचिस्तान पर आता हूं। बलूचिस्तान का जिक्र ही क्यों शामिल किया गया? हमारे पास छिपाने लायक कुछ नहीं है। हां, नि:संदेह हमने छिपाने लायक कुछ नहीं किया। महोदया, अन्य अनेक मुद्दों पर हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अत: क्या हम उन सब मुद्दों को द्विपक्षीय दस्तावेज में शामिल करेंगे जिन पर हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है? इस बात का क्या कोई तर्क है कि क्योंकि हमारे पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है इसलिए हम इसे द्विपक्षीय दस्तावेज में रखेंगें? मैं अभी समाचार पत्रों की कुछ रिपोर्टे पढ़ रहा था क्योंकि अब पाकिस्तान ने इस संयुक्त वक्तव्य की स्याही सूखते ही आधिकारिक स्तर पर, गृहमंत्री स्तर पर और प्रधानमंत्री स्तर पर बलूचिस्तान की बाते

शुरू करनी आरंभ कर दी है और आज, पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान संदर्भ को पूरी तरह सिद्ध करेगा। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में भारत की संलिप्तता को उचित समय पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखेंगे और उन्होंने भारत पर बलूचों को हथियारों की आपूर्ति करने का गंभीर आरोप लगाना है। उन्होंने अफगानिस्तान स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर उन्हें प्रशिक्षित करने और उन्हें धन और हथियार देने का आरोप लगाया है। महोदया, अफगानिस्तान में वाणिज्यिक दूतावास स्थापित होने के समय से ही पाकिस्तान यह आरोप लगाता रहा है। मेरे प्रतिष्ठित सहकर्मी, पूर्व विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह यहां मौजूद हैं। उनके कार्यकाल के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि हम अफगानिस्तान में ये चार वाणिज्यिक दूतावास स्थपित करेंगे। तब से पाकिस्तान को बेचैनी हो रही है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सभा को बताना चाहता हूं कि भारत के विदेश मंत्री के रूप में मैंने अफगानिस्तान की यात्रा की और वहां दो घंटे नहीं बल्कि दो दिन गुजारे और मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि अफगानिस्तान के लोगों में भारत के लिए कितना आदर है। इस आदर और प्यार को महसूस करने के लिए आपको वहां जाना होगा।

[हिन्दी]

उनका भारतीय लोगों के साथ बहुत प्यार मुहब्बत है। जहां-जहां मैं गया, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिखाई और बहुत सम्मान किया, इसलिए हमें किसी पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान और भारत में जो मित्रता है, वह टाइमटेस्टेड मित्रता है, वह सदियों की मित्रता है। इस मित्रता को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, पाकिस्तान तो बिलकुल नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने जी तोड़ परिश्रम किया है कि भारत अपने कॉनसोलेट्स को वहां बंद कर दे। उन्होंने अफगान सरकार से इसकी शिकायत की, प्रेजीडेंट करजई ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे नकार दिया। उन्होंने अमेरिकंस को जाकर शिकायत की, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे नकार दिया। उसके बाद जब वे हार गए, तक उन्होंने हमारी काबुल अम्बेसी के ऊपर आतंकवादी हमला किया और हमारे लोग मारे गए, राजनयिक मारे गए, हमारे डिफेंस अटैशे मारे गए तथा दूसरे लोग भी मारे गए। दुनियाभर में इस बात की चर्चा हुई, क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ था। सीआईए ने इंटरसेप्ट्स पकड़े। भारत सरकार के साथ उस सूचना को शेयर किया, जिसमें साबित हुआ कि हकानी का हाथ था, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है। उसे कहकर आईएसआई ने हमारे दूतावास पर हमला कराया। अब ज्वायंट स्टेटमेंट में बलूचितस्तान को ले आए और यह सारा मामला अब थमने वाला नहीं है। मेरा अगर कुछ भी अनुभव विदेश नीति के बारे में हैं, तो मैं चेतावनी के स्वर में इस बात को कहना चाहता हूं कि बलूचिस्तान भारत को आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ देने वाला है। हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाऐंगे, पाकिस्तान का प्रतिनिधि खड़ा हो कर हमारे खिलाफ बलूचिस्तान की बात उठाएगा और हम शर्मिंदा हो कर उनके सामने झुकेंगे। आज ही बीबीसी पर मैंने देखा, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अहमद रशीद का एक लेख है, जिस बात की तरफ कई लोगों ने इशरा किया, उसने बिलकुल साफ कहा है कि-

[अनुवाद]

> ''16 जुलाई को जब पाकिस्तान और भारतीय नेता मिले, तब प्रधानमंत्री यूसूफ रजा गिलानी ने भारतीय प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह को एक खुफिया दस्तावेज प्रदान किया जिसमें अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान को अस्थिर करने में भारत की कथित भूमिका के बारे में बताया गया था। इसमें अलगाववादी उग्रवाद के लिए बलूच आतंकियों को धन देना तथा बलूचिस्तान प्रान्त में प्रशिक्षण देना और पाकिस्तान तालिबान, विशेषरूप से इसके नेता बैतुल्ला महसूद को सहायता उपलब्ध कराना सम्मिलित है।''

[हिन्दी]

मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि जब वे इस डिबेट में इंटरविन करें, तो सदन का विश्वास में लेते हुए जरूर बताएं कि क्या उन्हें ऐसा कोई डोजियर मिला या नहीं मिला।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि मुझे इस प्रकार का कभी कोई दस्तावेज नहीं दिया गया।

श्री यशवंत सिन्हाः मुझे खुशी है। किसी संवाददाता के बजाए अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करेंगे। मैंने यह विषय सिर्फ इस वजह से उठाया क्योंकि मैं यह चाहता था कि प्रधानमंत्री जी खड़े हों और इस सभा में यह बताये कि इस प्रकार का कोई दस्तावेज उन्हें नहीं दिया गया और और हम कहेंगे कि फिलहाल इस मुद्दों का समाधान हो गया है।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): वास्तव में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। यही मुख्य बात है।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हाः बहुत चर्चा इस बात की हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों इस बात के लिए तैयार हो गए कि टैरिज्म और कम्पोजिट डायलॉग प्रौसेस लिंक नहीं होगा।

[श्री यशवंत सिन्हा]

[अनुवाद]

वास्तव में संयुक्त वक्तव्य में यह कहा गया है कि वे एक दूसरे से जुड़े नहीं होगें ओर इस बात पर जोर दिया कि उन्हें एक साथ नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

दूबारा उस बात को जैसे न कहा कि 'सभी मुद्दों और सभी लम्बित मुद्दें' उसी तरह कहा कि

[अनुवाद]

उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें एक साथ नहीं किया जाएगा। अब मैंने सुना है कि सरकार के 'स्पीन डॉक्टरर्स' इस समय क्रियाशील हैं।

[हिन्दी]

और सलैक्टिव लीक मीडिया में होती रही है। बहुत तरह की बातें मीडिया के थ्रू आई हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि डीलिंक्ड अगर हो गया, और उन्हें एक साथ नहीं किया जाएगा तो आप इसे किस कटैक्स में पढ़ेंगे? क्योंकि जब एक ज्वाइंट स्टेटमेंट प्रधान मंत्री जी ने इसके पहले राष्ट्रपति मुशर्रफ के साथ 2005 में इशू किया था तो उसें साफ तौर पर कहा गया था आतंकवाद को शांति प्रक्रिया रोकने नहीं दी जाएगी। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसी दिन बयान जारी करके कहा कि इसका मतलब आप आतंकवादियों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप आतंकवाद करते रहो और हम बातचीत भी करते रहेंगे। वे खुद उस लाइन पर नहीं चल पाए, यह दूसरी बात है। डीलिंक नहीं होगा। वह डीलिंक हो जाएगा, उसके बाद हम यह कह रहे हैं कि सभी मुद्दे, सभी लम्बित मुद्दों सहित जब आप ऑल इश्यूज कह रहे हैं तो उसमें ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्यों नहीं इंक्लूडेड हैं? ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज से क्या मतलब है और अगर मुझे जरा भी इन चीजों का ज्ञान है तो मैडम, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भारत पाकिस्तान के कटैक्स्ट में आप ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज की बात करते हैं तो उसमें जम्मू-कश्मीर शामिल होता है और पाकिस्तानियों ने इस बात को स्पष्ट किया है। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज का मतलब जम्मू और कश्मीर है। मुझे कोई एतराज नहीं है, कम्पोजिट डॉयलॉग में जम्मू और कश्मीर भी एक मुद्दा है। आप बात कीजिए। हमें जम्मू और कश्मीर के बारे में भी कुद नहीं छुपाना है। लेकिन उससे बचकर स्पिन डॉक्टर गवर्नमेंट को यह बता रहे हैं कि बड़ा भारी अचीवमेंट हमारा हो गया कि 'के' अक्षर नहीं आया। बड़ा भारी अचीवमेंट हो गया तो आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्यों लिखा हैं?

[अनुवाद]

पूरी विनम्रता से साथ मैं भारत के प्रधानमंत्री, प्रजातांत्रिक सामाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र भारत के प्रधानमंत्री यह पूछना चाहता हूं कि वे पाकिस्तान को पाकिस्तान का इस्लामिक गणतंत्र कहने के लिए क्यों सहमत हुए? क्या भारत पाकिस्तान के इस्लामिकरण में लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

कल अगर पाकिस्तान वाले खुद तय करें

[अनुवाद]

तो हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएगें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हाः क्या भारत वचनबद्ध है, क्या भारत चाहता है कि पाकिस्तान सदैव इस्लामिक राष्ट्र रहे। क्या मतलब है? यह एक वक्तव्य है, यह वाक्य कोई संयुक्त वक्तव्य नहीं है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री ने दिया हो।

[हिन्दी]

इस बात को भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हैं जिसमें हम कहते हैं पाकिस्तान। बहुत आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम अपनी तरफ से कभी नहीं कहते हैं। वे कहें, हमें इसे कहने की क्या जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हाः महोदया, पाकिस्तान इन्फार्मेशन शेयरिंग है कि टेररिज्म के बारे में हम एक दूसरे के साथ रियल टाइम क्रेडेबल इन्फार्मेशन शेयर करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यही तो नीयत थी जब हमने हवाना में कहा कि हम ज्वाइंट टेरर मेकेनिज्म बनाएंगे। पाकिस्तान के साथ कम्पोजिट

डॉयलाग में टेररिज्म भी एक मुद्दा है। दोनो मुल्कों के होम सैक्रेट्री समय-समय पर मिलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। इससे भी संतुष्ट न होते हुए प्रधानमंत्री जी ने हवाना में वर्ष 2006 में अलग से दोनों मुल्कों के बीच ज्वाइंट टेरर मेकेनिज्म बनाया। अब हम 2006 से 2009 की बात कर रहे हैं, क्या इन तीन वर्षों में दोनों मुल्कों के बीच रियल टाइम क्रेडेबल इन्फार्मेशन शेयरिंग नहीं हुआ? हमारे पास अमेरिकन दस्तावेज हैं जिसमें अमेरिकन्स ने कहा कि वे इसमें एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं, इन दोनों देशों की इन्टेलिजेंस एजेंसियों को साथ ला रहे हैं और इन दोनों के बीच जब मतभेद होता है तब वे इसमें जज का काम करते हैं, इसके साथ वे एन्श्योर कर रहे हैं कि दोनों देशों की इन्टेलिजेंस एजेंसियां साथ मिलकर काम करें। जब सितंबर में यूएन जनरल असैम्बली का सेशन होगा तब दोनों देशों के विदेश मंत्री आपस में मिलेंगे। लेकिन इससे पहले ही हम कर रहे हैं- जब कभी जरूरी होगा विदेश सचिव बैठक करेंगे। अभी जुलाई खत्म हो रहा है, अगस्त का एक महीना बचा है। सितंबर में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी लेकिन जब भी अवाश्यक हो कितनी बार मिलेंगे? पांच बार मिलेंगे? दस बार मिलेंगे? क्या बात करेंगे?

महोदया, मैं बहुत गंभीरता के साथ इन बात को कहना चाहता हूं कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट शर्म अलशेख में इश्यू हुआ, शायद इसकी स्याही भी नहीं सूखी होगी जबकि दोनों प्रधानमंत्रियों ने उस स्टेटमेंट को चिथड़े-चिथड़े करके फेंक दिया। शायद दुनिया में दो देशों के बीच ऐसा कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं हुआ होगा जिसका इन्टरप्रेटेशन इतना वाइडली अपार्ट है जैसा कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने किया। प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने बाहर निकलते कहा-

[अनुवाद]

"यह पाकिस्तान की बड़ी राजनयिक जीत हैं।"

मैंने स्वयं यह सुना था। वे आए और कहा कि यह पाकिस्तान की बड़ी राजनीतिक जीत थी। उन्होंने इस संयुक्त वक्तव्य की व्याख्या इस प्रकार की कि भारत संयुक्त वार्ता प्रक्रिया पुनः जीवित करने के लिए सहमत हुआ था।

[हिन्दी]

हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा जब वे शर्म अल-शेख में मीडिया को मिले। शायद इनको जाकर किसी ने बताया होगा पाकिस्तानियों ने लीड ले लिया है, आप भी मीडिया को मिलाए। ये मीडिया को एक घंटे के बाद मिले और कहा-

[अनुवाद]

"जब तक आतंकवाद से नहीं निपटा जाता और आतंक की अवसंरचना को समाप्त नहीं किया जाता तब तक मैं आम लोगों के राय को नहीं मान सकता"

माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत की आवाम की राय आपके साथ तब तक मेल नहीं रख सकती जब तक पाकिस्तान को इन दो मुद्दों-आतंकवाद अवश्य खत्म हो और पाकिस्तान स्थित आतंकी अवसंरचना वहां से सदा के लिए खत्म हो-पर सहमत नहीं कर लेते।

[हिन्दी]

ये सब कुछ हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ? जब यहां देश में इस बात की चर्चा शुरू हुई कि प्रधानमंत्री जी शरम-अलशेक से क्या करके आ गए तब सरकार के स्पिन डॉक्टर एक्टिव हो गए। ...*(व्यवधान)* अब हमारे विदेश राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, बहुत अनुभवी हैं। इनसे ज्यादा डिप्लोमेसी में अनुभव किसका होगा? इन्होंने यूनाइटेड नेशन्स में काम किया है। यूनाइटेड नेशन्स में तो खाली डिप्लोमेसी होती है। इन्होंने क्या कहा

[अनुवाद]

नहीं, नहीं यह मात्र एक राजनयिकपत्र हर कोई विधिक दस्तावेज नहीं। इसे राजनयिक पत्र मत मानिये। यह एक संयुक्त वक्तव्य था।

[हिन्दी]

यह सरकार पहले तो भूल गई थी, लेकिन अब जनवरी 6, 2004 के उस स्टेटमैन्ट की दुहाई देती है, जो प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय इश्यु हुआ था, जब वह इस्लामाबाद सार्क समिट के लिए गए थे।

[अनुवाद]

मुझे उन्हें याद दिलाने दीजिए कि यह केवल एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य था। यह कोई संयुक्त वक्तव्य नहीं था। 6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में जो जारी किया गया था वह संयुक्त प्रेस वक्तव्य था।

[हिन्दी]

और आज आप ही की सरकार उसकी दुहाई देती है, जब मैंने प्रधानमंत्री जी को कोट किया, जब उन्होंने कहा

[अनुवाद]

पाकिस्तानी क्षेत्र को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैसी भाषा थी? यह भाषा 6 जनवरी, 2004 के वक्तव्य की थी। मुझे यह कहते हुए अफसोस है। फिर किसी पदाधिकारी ने कहा कि यह बैड ड्राफ्टिंग है और मामला यहीं पर नहीं रूका, उन्होंने

[श्री यशवंत सिन्हा]

कहा बैड ड्राफ्टिंग है, ये बाते हुई हैं। बुरी ड्राफ्टिंग और ये बातें हुई; यह विधिक दस्तावेज नहीं है, यह मात्र एक राजनयिक पत्र है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार उठकर इस सदन में आज बोल दें कि हम नहीं मानते, वह बैड ड्राफ्टिंग है।

अब जो भी हुआ, जो भी परिस्थिति थी। लेकिन विदेशी मामलों को मेरा जितना अनुभव है मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब ड्राफ्टिंग होती है और खासकर जब समिट मीटिंग्स होती है तो ड्राफ्ट अचानक तैयार नहीं हो जाता। ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए बहुत समय लगाया जाता है। ड्राफ्ट के एक-एक शब्द को देखा जाता है। ड्राफ्ट में कोमा, फुल स्टॉप कहां है, उसे भी देखा जाता है और हर चीज पर ध्यान देने के बाद ही ड्राफ्ट फाइनलाइज होता है। फिर किस तरह ड्राफ्ट बना। मैंने किसी अखबार में पढ़ा, फिर स्पिन डाक्टर्स के सहारे, कि नहीं, नहीं, वहां तो दोनों प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए मिले, उसके बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों को बुलाकर कहा कि हम लोगों की यह बातचीत हो गई है, अब इस पर ड्राफ्ट कर लो और दो घंटे दोनों विदेश सचिव बैठकर ड्राफ्टिंग करते रहे। विदेश मंत्री जी कहां थे, मुझे पता नहीं। लेकिन दोनों ड्राफ्टिंग करते रहे और उसके बाद उन्होंने अपने-अपने प्रिंसिपल्स को ड्राफ्ट दिखाया होगा और तब ड्राफ्ट अप्रूव हुआ होगा। मुझे भी वर्ष 2004 के ड्राफ्ट का कुछ अनुभव है और मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब इस तरह का फाइनल ड्राफ्ट श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने आया तो उन्होंने एक-एक लाइन, एक-एक शब्द पढ़ा और उसके बाद उसमें अमैन्डमैन्ट सजैस्ट किया। इस-इस वाक्य को इस वाक्य के पहले ले जाओ और जो लोग बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर वे लोग नहीं माने तब, हम लोगों के इस्लामाबाद से जाने का समय हो रहा था और प्रधानमंत्री, श्री वाजपेयी ने कहा कि अगर वे मानेंगे तो यह इश्यु होगा और नहीं मानेंगे तो हम घर जायेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्टेटमैंट जारी हो। कोई जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग के बाद कोई स्टेटमैंट जारी हो और हमें सूट नहीं करता है, हम स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे। हम लोगों ने आगरा में स्टेटमैंट नहीं किया। नहीं हुआ, बातचीत हुई, नतीजा नहीं निकला, स्टेटमैंट जारी नहीं होगा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा

[अनुवाद]

मैं आधी से अधिक दूरी तय करने के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा हूं कि वे पूरे रास्ते चलते रहे हैं। वे पाकिस्तानी शिविर तक गए हैं और ठीक वैसा हीं किया जैसा उन्होंने कहा था आधा रास्ता क्या है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया, मैं आप से कहना चाहती हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए बैठ जाइये। व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न है।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 353 को उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें यह कहा गया है:

> ''किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी [पर्याप्त अग्रिम सूचना] न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके''

[हिन्दी]

मैडम, यह कह रहे हैं कि ...*(व्यवधान)* * पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में कौन जा रहा है।

[अनुवाद]

इसका लोप किया जाए।

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्य, मुझे इस बात की जांच करनी होगी। आप ने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः श्री सिन्हा, कृपया आपनी बात जारी रखिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हाः अध्यक्ष महोदया, मैं इस मामले पर प्रधानमंत्री जी से चन्द सवाल करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः मैं इसकी जांच करूंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हाः मैं माननीय प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि वे इनका उत्तर देने की कृपा करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि संयुक्त वक्तव्य के बाद

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास में कमी आई है या वृद्धि हुई है? दूसरा प्रश्न 16 जून को यह है कि राष्ट्रपति जरदारी से मिले थे और जब वे 16 जुलाई को प्रधानमंत्री गिलानी से शर्म-अल-शेख में मिले थे, के बीच क्या परिवर्तन हुआ? इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? क्या हुआ है? तीसरा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के संबंध में पहले से ही ढिढोंरा पीट रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। इसलिए मैं वह प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। फिर हवाना में 2006 में स्थापित आतंक विरोधी तंत्र की उपलब्धियां क्या हैं? प्रधानमंत्री ने इसके बारे में अपने 4 अप्रैल, 2005 के संयुक्त वक्तव्य में कहा है। इस वक्तव्य में जोर-शोर से यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया अब रूकने वाली नहीं है। क्या वे इस बात को अभी भी कायम हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया नहीं रूकेगी और अपनी इच्छानुसार अपना काम जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

फिर भी यह चलता रहेगा? पाकिस्तान के मसले पर मैं प्रधानमंत्री जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि इतिहास की शुरूआत सन् 2004 से नहीं हुई जिस दिन वह प्रधानमंत्री बने। भारत-पाकिस्तान संबंधों का एक लम्बा इतिहास है। मेरा कहना है कि जो भी इन लम्बे संबंधों के डगर हैं, ठहराव हैं, मुकाम हैं, उन्हें इग्नोर करके चलेगा, तब भी उसे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी।

अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी ने मुशर्रफ साहब से बात की, हमने भी की। मुशरर्फ साहब जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी-

[अनुवाद]

"इन द लाइन ऑफ फायर"

[हिन्दी]

आप इस पुस्तक को पढ़िये।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में राष्ट्रपति के रूप में वे उस पुस्तक को लिख रहे हैं और जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो भारत के बारे में उनकी सोच के बारे में, मैं आपको बता दूं।

[हिन्दी]

भारत उनका शत्रु देश है। ऐसा उन्होंने पचास जगह पर लिखा है कि भारत हमारा शत्रु देश है।

[अनुवाद]

मैंने उनको यहां शिकस्त दी; कारगिल एक बड़ी सफलता थी।

[हिन्दी]

आप इस तरह के लोगों को डील कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य के भाषण में जो भी असंसदीय हो उसे विलोपित किया जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो शरम-अल-शेख में हुआ है, सातों समुद्र का पानी इकट्ठा करके अगर उस शर्म को धोने का प्रयास हम लोग करेंगे तो वह शर्म नहीं धुलने वाली है।

[अनुवाद]

दुनिया भर के महासागर भी शर्म-अल-शेख की शार्मिदगी को नहीं धो सकती ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया, इंडिया टुडे में बहुत से लोगों ने लिखा है। लेकिन इंडिया टुडे ने इस सरकार का इतना समर्थन किया, इतना समर्थन किया कि हमारे जैसे लोग न्युक्लीयर डील के मामले में परेशान हो गये थे। इश्यू ऑफ्टर इश्यू वे न्यूक्लिसर डील में सरकार का समर्थन करते रहे। इंडिया टुडे ने अपने लेटेस्ट अंक में फ्रंट पेज पर टिमिड इंडिया कहा है। इसमें अंदर की तरफ लिखा है कि

[अनुवाद]

"शर्म-अल-शेख में समर्पण के परिणामस्वरूप, ऐसी छवि बनी है कि भारत पर दबाव डाला जा सकता है।" उन्होंने कहा है।

[हिन्दी]

महोदया, इसके बाद प्रधानमंत्री जी इटली में लाकिला गये। इसमें दो इश्यू हैं, एक क्लाइमेट चेंज का इश्यू है, मैं अभी प्रश्न काल में सुन रहा था और श्री जयराम रमेश जी ने कहा कि हम क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस को स्वीकार नहीं करेंगे, कैप्स को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो दो डिग्री सेल्सियस कम करने

[श्री यशवंत सिन्हा]

की बात हुई है, वहां तक लिमिट करने की बात हुई है और दूसरी बात पीकिंग की हुई है,

[अनुवाद]

यह पीक होना चाहिए।

[हिन्दी]

महोदया, मैं आपके माध्यम से थोड़े शब्दों में सदन में कहना चाहता हूं कि आज

[अनुवाद]

अमेरिका में ग्रीन हाउस गैसों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 20 टन है।

[हिन्दी]

भारत का स्थान पर-कैपिटा-एमीशन में 137वां है। अगर आप इसके ऊपर कैप स्वीकार कर लेंगे कि प्रतिबंध लगे

[अनुवाद]

उस पीकिंग फार्मूले के अनुसार हम केवल तीन टन तक सीमित हो जाएंगे

[हिन्दी]

इसीलिए मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस सदन में खड़े होकर आश्वस्त करें कि भारत किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करेगा। कोपनहेगन में जब क्लाइमेंट चेंज का कांफ्रेंस होगा तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस सदन को सूचना देना चाहता हूं कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑलरेडी इस संबंध में एक कानून पास कर दिया है। जिसके अंतर्गत जो देश अमेरिका के स्टैंडर्ड पर नहीं चलेंगे, उन देशों की उन वस्तुओं के ऊपर जो अमेरिका को निर्यात होंगी, वे प्यूनिटिव टैरिफ लगायेंगे। यूएस ट्रेंड रिप्रेजेंटेटिव्स को यह अधिकार दिया गया है, वह बिल सीनेट से पास होगा और उसके बाद लॉ बन जाएगा। आज मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार ने इस इश्यू पर झुकने का काम किया तो हम इस इश्यू पर भी सरकार को आड़े हाथों लेंगे।

महोदया, इसके बाद न्यूक्लियर डील के बारे में आया कि

[अनुवाद]

ईएनआर-परिष्करण और पुनः संशोधन प्रौद्योगिकी

[हिन्दी]

हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारे नेता सदन यहां बैठे हैं, इन्होंने दूसरे सदन में बयान दिया कि

[अनुवाद]

हमें ज्यादा चिंता नहीं है

[हिन्दी]

तो किसी अखबार वाले ने पूछा कि

[अनुवाद]

''क्या आपको कम चिंता है? यदि आपको ज्यादा चिंता नहीं है क्या आपको बिलकुल चिंता नहीं है? क्या आपको थोड़ी सी चिंता है?

[हिन्दी]

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि, इस पर बहुत बहस हुई जुलाई 2008 के बाद जब इसी सदन में पिछली सरकार ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, जैसे हम सब लोगों ने न्यूक्लियर डील को भूलने का काम किया। न्यूक्लियर डील के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पार्लियामेंट के सामने आएंगे, वे नहीं आए। हमने किसी ने चर्चा नहीं मांगी और इसलिए हम भूल गये कि हमारा जो वन-टू-थ्री एग्रीमेंट यूएस के साथ हुआ था, जब वह अमेरिका इनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स नहीं देगा। इसके बाद यह भी लिखा है कि वह एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के साथ काम करेगा ताकि कोई और दूसरा देश वह टैक्नोलॉजी और इक्विपमेंट भारत को न दे पाए। अब यहां पर अपने डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि नहीं, नहीं हम री-प्रोसेस करेंगे। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गये, यहां खबर छपी कि प्रेसीडेंट सरकोजी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम फ्रांस से जो फ्यूल लेंगे, उसे वह री-प्रोसेस कर सकते हैं, रूस से कर सकते हैं। री-प्रोसेसिंग का सवाल नहीं है, सवाल है

[अनुवाद]

पुनः संशोधन के लिए प्रौद्योगिकी और उपकरणों का है।

[हिन्दी]

हम अभी तक जो अपना फ्यूल खर्च करते रहे हैं, उसका री-प्रोसेसिंग तो करते ही हैं। अमेरिका ने सिर्फ यह कंडीशन लगाई है कि अमेरिका से हम जो लेंगे, उसके लिए हमें एक विशेष संयंत्र

बनाना पड़ेगा। हम अपने इक्विपमैंट से, अपने पैसे से, अपनी टैक्नोलॉजी से उसको बनाएंगे और उसके बाद वह हमें परमीशन देगा या नहीं, यह आगे की बात है। यह बिल्कुल साफ है कि नॉन एनपीटी मुल्क जिसमें भारत है उसको किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। इसमें इन्होंने खुद कहा जब ये अमेरिका गए और उस समय के राष्ट्रपति बुश के साथ इनकी शायद अंतिम मुलाकात हुई तो सदन को याद होगा, उन्होंने कहा–

[अनुवाद]

''श्री बुश भारत के लोग आपको प्यार करते हैं''

[हिन्दी]

वही मिस्टर बुश ने जब 10 सितम्बर को अपना प्रैजीडैंशियल रिकमंडेशन भेजा, उसमें उन्होंने कहा– हम नहीं देंगे भारत को सैंसिटिव टैक्नोलॉजी। कोंडेलीजा राइस ने सदन की जो हाउस कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, हाउस ऑफ रेप्रैजेन्टेटिव्स की, उसके अध्यक्ष हार्वर्ड बैरमैन को यह एश्योरेंस दिया–

[अनुवाद]

केवल भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित न करने का प्रश्न नहीं है, बल्कि हम 'एन एस जी' के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगें कि 'एन एस जी' प्रतिबंध लगाए।

[हिन्दी]

एनएसजी में जितने 45 मैम्बर्स हैं, उसमें चीन को छोड़कर इन्हीं आठ देशों के पास कैपेबिलिटी है कि वह टैक्नोलॉजी और इक्विपमैंट दे सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया। एनएसजी में अभी सहमति नहीं हुई है, लेकिन लाक्विला, इटली में जो स्टेटमैंट उन्होंने दिया, उसमें इन्होंने उसको मना कर दिया। क्या हम कहें कि अमेरिका दोषी हैं? नहीं। क्योंकि अमेरिका ने बराबर स्पष्ट किया है हम लोग भी बराबर स्पष्ट करते रहे। प्रधानमंत्री जी दोनों सदनों में खड़े होकर कहते रहे–

[अनुवाद]

पूर्ण असैन्य नाभिकीय सहयोग और व्यापार।

[हिन्दी]

इन्होंने कहा नहीं मानेंगे, अगर इस तरह का प्रतिबंध लगेगा। मेरे पास उनके सारे स्टेटमेंट हैं जो उन्होंने दोनों सदनों में दिये हैं। मैं क्या कहूं? मैं इतना ही कह सकता हूं बहुत दुख के साथ कि प्रधानमंत्री जी ने जितने प्लैजेस दिये दोनों हाउसेस को, उसको तोड़ने का काम उन्होंने किया है,

[अनुवाद]

वे अपने वादे निभाने में विफल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

महोदया, अंतिम मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं। इस सदन में मैंने उठाया था अंतिम उपयोग से जो एग्रीमेंट हुआ था। अंतिम उपयोग से एग्रीमेंट हमने क्यों किया यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। उस दिन विदेश मंत्री जी सदन में आए। जो स्टेटमेंट इन्होंने किया, उसमें सिर्फ दो वाक्य हैं अंतिम उपयोग एग्रीमेंट के बारे में, मॉनीटरिंग एग्रीमेंट के बारे में। हम जितने अंधकार में पहले थे, उतने ही अंधकार में आज भी है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से और विदेश मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब वे जवाब देने के लिए खड़े हों तो सदन को विश्वास में लेते हुए बताएं कि अंतिम उपयोग से एग्रीमेंट में उन्होंने अमेरिका के साथ क्या किया है? इसी बीच में फिर स्पिन डॉक्टर्स गवर्नमेंट के चालू हो गए। चालू हो गए तो उन्होंने क्या कहा–एनडीए जब शासन में थी तो हमने भी अमेरिका से वैपन लोकटिंग राडार्स खरीदे थे। उसमें मीडिया में यहां तक कहलवाया गया कि उसमें अंतिम उपयोग से एग्रीमेंट लगा हुआ है। यह भी कहा गया कि अमेरिकन इंस्पैक्टर्स ने आकर यहां पर उन राडार्स की जांच भी की। मैं यहां कहना चाहता हूं, मेरे पास सरकारी फाइलें नहीं हैं, आपके पास सरकारी फाइलें हैं, कृपया खड़े होकर स्पष्ट करें कि जब हमने वैपन्स लोकेटिंग राडार 2002 में अमेरिका से खरीदा तो क्या उसमें अंतिम उपयोग से एग्रीमेंट था? मेरी सूचना है कि नहीं थी। आप सदन को गुमराह करेंगे तो मेरे पास उस दस्तावेज की कॉपी है। मैं बता दूंगा कि क्या लिखा है। समझे? ...*(व्यवधान)* इसलिए आप यहां पर ज्यादा हल्ला-गुल्ला मत कीजिए। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या किया है, सदन को विश्वास में लीजिए। अंतिम उपयोग से एग्रीमैंट का मतलब क्या होता है? एन्डसूस एग्रीमेंट, क्लाइमेंट चेंज, न्यूक्लियर डील और पाकिस्तान, चार जा बड़े-बड़े खम्भे थे, जिस पर हमारी विदेश नीति टिकी हुई थी, वह मेट्रों की तरह ध्वस्त हो गई है। मेट्रों को उठाने के लिए कंक्रीट का पिलर तो फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन विदेश नीति का पिलर, जिस पर इस देश की प्रतिष्ठा टिकी हुई है, वह अगर गिर जाए तो हमारी प्रतिष्ठा गिरती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: व्यवधान उत्पन्न न करें। कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हाः महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेश नीति में इतनी भयानक भूल, इतने कम समय में, शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कि इतने कम समय में हमने एक के बाद एक गलती की है। मैं नहीं जानता कि आज भारत की विदेश नीति कहां पहुंच गई है।

श्री पी.सी. चाको (थ्रिसूर): अध्यक्ष महोदया, हम बहुत ध्यान और दिलचस्पी से इंतजार कर रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता, एक अनुभवी विदेश नीति विशेषज्ञ और पूर्व विदेश मंत्री उस मुद्दे पर कुछ प्रकाश डालेंगे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं।

महोदया, मुझे कहना चाहिए कि यशवंत सिन्हा जी, अपने पूरे अनुभव और उपलब्ध सूचना तथा स्पष्ट रूप से बोलने के बावजूद वह बात सिद्ध नहीं कर पाए जिस पर वह बहस कर रहे थे। वे कमजोर मामलों में बहस करने में दक्ष रहे हैं लेकिन आज वे अपने प्रयास में बुरी तरह विफल रहे हैं।

मैं समझता हूं कि, कम से कम वे अपने दल के कल के संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक की पदयात्रा के कार्यक्रम का औचित्य सिद्ध कर पाएंगे। यशवंत सिन्हा जी ने न केवल पूरी सभा को बल्कि अपने दल को भी निराश किया है। मैंने पीछे बैठे उनके साथियों के चेहरे देखे और उनके मित्रों के निष्प्रभ चेहरे इस बात का पर्याप्त सबूत हैं कि वे अपने दल के साथियों को भी आश्वस्त नहीं कर पाए।

महोदया, मेरी यह आशा उचित थी कि जिस प्रकार श्री यशवंत सिन्हा ने एक बार हमारे वित्त मंत्री की प्रशंसा की थी, उसी प्रकार, इन आरोपों के जो उनके दृष्टिकोण के औचित्य को सिद्ध करने की एक परंपरा है, के बाद वे कम से कम हमारे माननीय प्रधानमंत्री की प्रशंसा में दो शब्द कहेंगे। उन्होंने वह भी नहीं किया। मुझे वास्तव में इसके लिए खेद है।

महोदया, उन्हें मेट्रों रेल के स्तंभों, में कुछ दरारें दिखाई दी हैं जो हम सबने देखी है। उन्हें हमारी विदेश नीति के स्तंभों में भी कुछ दरारें दिखाई दी हैं जो हममें से कोई भी नहीं देख पाया है ...*(व्यवधान)* महोदया, कुछ ऐसा भी था जो मैं भी उन्हें बताऊंगा और यदि उनकी रूचि हो तो वे धैर्यपूर्वक सुन सकते हैं।

महोदया, हमारी विदेश नीति के स्तंभ तब नहीं हिले बल्कि तब हिले थे जब पूर्व विदेश मंत्री एक बस में बैठकर यहां से लाहौर गए थे। जिस समय वे लाहौर पहुंचे उस समय हमारी विदेश नीति के स्तंभ हिल रहे थे क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक भारत में घुसपैठ कर रहे थे।

महोदया, उन्होंने ठीक कहा है कि मुंबई पर हमला भारत की संप्रभुता पर हमला था। हां, हम सहमत हैं। यह बात हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त वक्तव्य में भी स्पष्ट रूप से दोहरायी थी–मैं उन शब्दों को बाद में पढ़ूंगा। लेकिन महोदया, एक और हमला हुआ था, जिस समय हम यहां सभा में बैठे हुए लोग नहीं भूल सकते। यह तब हुआ था जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे। माननीय आडवाणी जी इस देश के गृह मंत्री थे। भारतीय संसद के इसी दुर्ग पर हमला हुआ था। ...*(व्यवधान)* मुंबई का स्मरण करना अच्छा है। हम हमेशा मुंबई का स्मरण करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया उनकी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाकोः लेकिन जब संसद पर हमला हुआ ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाएं। कृपया उनकी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाकोः जैसा कि एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, कि लौह पुरूष, भाजपा के लौह पुरूष, जब गृह मंत्री थे तब वे सो रहे थे और संसद पर हमला हो गया। यह आमने-सामने की लड़ाई थी। यह लगभग भारत के खिलाफ युद्ध था।

अपराह्न 3.56 बजे

(**श्रीमती सुमित्रा महाजन** *पीठासीन हुईं*)

संसद पर हमले के बाद क्या हुआ? फिर आगरा शिखर सम्मेलन हुआ। यशवंत सिन्हा पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की वार्ता के खिलाफ हैं। क्या भारत का ऐसा दृष्टिकोण है? क्या देश का ऐसा रूख है कि हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे, हम किसी अन्य देश के साथ वार्ता नहीं करेंगे? खेद है, यशवंत सिन्हा जी, इस देश का यह रूख नहीं हैं। हम देश में वार्ता के पक्ष में है और आपके प्रधानमंत्री चर्चा के लिए पूरी तैयारी के साथ आगरा गए। वहां क्या हुआ? राष्ट्रपति मुशर्रफ आगरा आए। आपने उनकी मेजबानी की और उनको ताजमहल ले जाया गया। पूरा देश देख रहा था। वापस जाकर उन्होंने भारत पर आरोप लगाया। वहां

यही सब हुआ। आगरा की बैठक संसद पर हमले की पृष्ठभूमि में हुई थी। कृपया इस बात को मत भूलिये। आप कई उदाहरण दे सकते हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनको मैं उद्धृत कर सकता हूं जब आपने कभी भी आत्म-सम्मान का ध्यान नहीं रखा जब आपने पाकिस्तान के साथ मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री जिस भाषा में बोल रहे हैं उस भाषा में बोलने की कभी भी आपकी हिम्मत नहीं हुई। मैं उद्धृत करना चाहता हूं:

''प्रधानमंत्री सिंह ने मुंबई हमलों के अपराधियों को सजा दिए जाने की बात दोहराई। प्रधानमंत्री गिलानी ने यह आश्वासन दिया कि पाकिस्तान इस संबंध में वह सब कुछ करेंगा जो उसके अधिकार में हैं।''

क्या पाकिस्तान कभी सहमत हुआ है अथवा कभी भी पूर्व में इस तरह की बात की है? क्या यशवंत सिन्हा जी हमें बता सकते हैं? पाकिस्तान हमेशा यह कह रहा था कि हमें मुंबई हमले से कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि कसाब पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। पाकिस्तान सदैव कहता रहा है कि ''हम इसकी चिंता क्यों करें? हमे इससे कोई सरोकार नहीं है, हम कोई जांच करने वाले नहीं है।'' जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि उस अपराध को अजाम देने वालों को सजा मिलनी चाहिए, श्री गिलानी की क्या प्रतिक्रिया थी? यशवंत सिन्हा जी, आप कृपया इसे मान लीजिए, जब देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, तो देश की भावना क्या हो सकती है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप अपने ही व्यक्ति को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको: सभापति महोदया, यह और भी दिलचस्प है। वे जनता के नाम में बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)* माननीय यशवंत सिन्हा जी, प्रमुख विपक्षी दल के प्रवक्ता हैं, भाजपा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे देखे कि कम से कम इतना साहस रखे की जनता की ओर से बोल सकें। यह एक ऐसा दल है जिसने चुनाव से पूर्व ही प्रधानमंत्री का भी चुनाव कर लिया था। किसी भी दल ने चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का चुनाव कभी नहीं किया। लेकिन जनता ने उनको सिरे से खारिज दिया। आज यह दल जनता की ओर से बोलने का दावा कर रहा है। यहां एक प्रधानमंत्री बैठे हैं जिन्हें देश की जनता का समर्थन प्राप्त है। एक व्यक्ति है जो भाजपा की ओर से बोले जो ऐसा दल है जिसे जनता ने नकार दिया है। आप किस आधार पर जनता की ओर से बोल रहे हैं?

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए कृपया जनता की ओर से मत बोलियें, आप अपनी ओर से बोलियें।

महोदया, कुछ ऐसे उदाहरण है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। भाजपा की सरकार जब राष्ट्रपति मुशर्रफ से वार्ता करने के लिए आगरा गई उन दिनों भाजपा के अंदरूनी हलको में एक दिलचस्प कहानी चल रही थी। सभापति महोदया, आप भी संभवत: इस बारे में जानती होगी। इस देश के गृहमंत्री को भी पता नहीं था कि आगरा में क्या होने वाला है। उन दिनों यही चर्चा थी। श्री आडवाणी जी का कहना था कि आगरा में क्या हो रहा है उन्हें ज्ञात नहीं है। अन्त में देश का अपमान करते हुए मुशर्रफ आगरा से जाते समय इस देश के विरुद्ध एक वक्तव्य जारी कर पाए, ये सारे तथ्य हैं। *...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: उस समय आडवाणी जी आगरा में उपस्थित थे।

[हिन्दी]

आप क्या बोल रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप बैठिए। आप अपने टाइम पर बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री चाको, आपको अब समाप्त करना होगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. चाको: महोदया, कृपया उनसे कहिये कि वे मेरे भाषण में व्यवधान न डाले। यहां तक की वरिष्ठ सदस्य भी व्यवधान डाल रहे हैं। क्या किया जाए। *...(व्यवधान)*

अब मैं समग्र वार्ता के मुद्दे पर आता हूं, यही मुख्य बिंदु है जिसकी व्याख्या श्री यशवंत सिन्हा कर रहे थे। हम वार्ता के पक्ष में हैं। कब समग्र वार्ता शुरू होगीं, हमने इसे बहुत ही स्पष्ट कर दिया है इसे समग्र वार्ता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसी बात की उन्होंने शिकायत की है। 'समग्र वार्ता से सम्बद्ध' का

[श्री पी. सी. चाको]

मतलब क्या है? महोदया, कोई व्यक्ति इसे सामान्य सच से भी पढ़ सकता है, और कोई इसे सूक्ष्मता से पढ़ेगा। ऐसा नहीं है श्री यशवंत सिन्हा जी इसको समझ नहीं सकते हैं। वे बात को तोड़-मरोड़ रहे हैं और इस सभा को गुमराह कर रहे हैं। महोदया, चाहे वार्ता हो या न हो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कार्रवाई करें। इस वाक्य का यही अर्थ है। हम चाहते है कि पाकिस्तान तत्काल आतंक विरोधी कार्रवाई करे। आतंकवाद के विरूद्ध किसी भी कार्यवाही में विलंब नहीं किया जा सकता है, पाकिस्तान को आतंकवाद के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के विरूद्ध कार्रवाई करे। भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त सभा यह घोषणा भी है कि दोनों देशों द्वारा आतंकवाद के खिलाफ हर तरह के प्रयास किए जाएगें। इसका मतलब है कि समग्र वार्ता कभी हो सकती है। हम समय के बारे में निर्णय लेंगे, निर्णय हमें लेना है और हम निर्णय लेंगे कि वार्ता कब शुरू होगी, इसके साथ ही हम वार्ता के लिए भी तैयार है। यह बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है।

महोदया, आप पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों को देख सकती है। प्रारंभ में पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं था कि मुंबई में उसी के नागरिकों ने समस्या उत्पन्न की है। अब आप देख सकती हैं कि उन्होंने क्या किया है। महोदया, यह हमारे प्रधानमंत्री और इस देश के विदेश मंत्री की राजनयिक सफलता है। वे इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। श्री यशवंत सिन्हा पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और एक पूर्व नौकरशाह भी है।

महोदया, इस क्षेत्र में क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने उन पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जिनका मुंबई की घटना से संबंध है। उन आतंकियों पर पाकिस्तान में मुकदमा शुरू किया जाएगा। हम खुश नहीं है और हम इससे संतुष्ट नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आप मुम्बई की इस घटना से जुड़े सभी लोगों पर मुकदमा चलाएं जब तक ऐसा नहीं होगा हम संतुष्ट नहीं होगें। अब, प्रक्रिया शुरू हो गई है। पाकिस्तान रक्षात्मक रूख अपना रहा है। अभी तक वह कह रहा था कि पाकिस्तान का इससे कोई संबंध नहीं है। अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि और कहा कि ''हां, कसाब, पाकिस्तान नागरिक है। हमने उनमें से पांच पर मुकदमा चलाया है। हमारी जांच जारी है।'' यह किसकी सफलता है। श्री यशवंत सिन्हा को यह बताना चाहिए।

महोदया, आज इस सरकार ने जो कुछ उपलब्धि हासिल की है उसका दसवां हिस्सा भी तत्कालीन भाजपा सरकार नहीं हासिल कर सकी थी। महोदया, इसके साथ ही मैं अभी भी यह दोहराना चाहता हूं कि भारत ने एक रूख अपनाया है। भारत ने सख्त रूख अपनाया है आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत समग्र वार्ता के लिए तभी तैयार होगा जब पाकिस्तान भारत की मांग के अनुसार मुंबई की घटना में संलिप्त सभी दोषियों पर मुकदमा चलाने के लिए ठोस कार्रवाई करेगा। समग्र वार्ता के लिए समय नियत करने का अधिकार हमारा है और हम इस बारे में निर्णय लेगें।

महोदया, कुछ बहुत ही दिलचस्प उल्लेख किया जा रहा है। यह उल्लेख बलूचिस्तान के बारे में है। श्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वक्तव्य में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया हो। उन्होंने कहा कि चर्चा के बाद वक्तव्य में बलूचिस्तान का उल्लेख है और उन्होंने इसे ऐसा कहा जैसे कोई पहाड़ टूट जाएगा। वे जानना चाहते हैं कि इसमें बलूचिस्तान का उल्लेख क्यों किया गया है।

महोदया, बलूचिस्तान पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। यदि पाकिस्तान बलूचिस्तान के बारे में उल्लेख करना चाहता है हम, इसका विरोध क्यों करें। मैं उनके जिरह का तर्क मेरी समझ में नहीं आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर हमारी मंतारणकीय वार्ता और चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। यह हमारा आतंरिक मामला है। हमने ऐसा होने ही नहीं दिया। मैं समझता हूं कि श्री यशवंत सिन्हा जी, जब जिम्मेदारी के पद पर आसीन थे तब उन्हें यह रवैया अपनाना था कि अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज में पाकिस्तान का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। हमने इस दस्तावेज में पाकिस्तान का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन बलूचिस्तान का इस दस्तावेज में उल्लेख है। ठीक है, यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। यदि इसे पाठ में शामिल किया जाता है तो इससे हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमने कोई योगदान नहीं दिया है। हमने उनके साथ वार्ता नहीं की है। यह हमारे ऊपर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता। यदि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके पास बलूचिस्तान के बारे में कोई जानकारी है, ठीक है, हमें जानकारी देने दीजिए। कोई भी जानकारी देने दीजिए। हम दुनिया के किसी भी भाग में किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाला बात आतंक की स्पष्ट शब्दों में निंदा करते हैं। इस पाठ का यही संदेह है।

इसके साथ ही केवल बलूचिस्तान की उल्लेख कर देने में कोई हानि नहीं है। देश भक्ति का पाठ हमें कौन पढ़ा रहा है। मुझे खेद है। इस सभा में मैने पहले भी कहा है- कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री ने एक खूंखार आतंकवादी को एक विशेष विमान में कंधार ले गए थें ...*(व्यवधान)*

इतना जल्दी आप इसे कैसे भूल गए? शाहनवाज हुसैनजी, आप इसे कैसे भूल सकते हैं? ...*(व्यवधान)* लोग इसे कभी भी नहीं भूला पाएंगे। ...*(व्यवधान)* हमारे संसद पर हमले के बाद आप लोग आगरा मे जश्न मना रहे थे। एक खूंखार आतंकवादी को

कंधार में ले जाकर छोड़ने के बाद आप कांग्रेस पर दोष लगा रहे हैं। देश भक्ति के मामले में हमें भाजपा से सबक सीखने की जरूरत नहीं है।

महोदया, यह पूछा गया कि माननीय प्रधानमंत्री इस बात से क्यों सहमत हो गए कि पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र है। यह बहुत ही दिलचस्प है। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार पाकिस्तान एक इस्लामी गणतंत्र है। ...*(व्यवधान)* आप सहमत हो सकते हैं अथवा नहीं लेकिन यह इतिहास का हिस्सा है।

यशवंत सिन्हा जी, हर मुद्दे में गलती मत निकालिए आप एक वरिष्ठ व्यक्ति है। हम कुछ बातों के लिए आपका फिर भी सम्मान करते हैं। आप केवल भाजपा में दल बदलकर गए हैं। आप मूलरूप से भाजपाई नहीं है। ...*(व्यवधान)* आप हर मुद्दे में गलती कैसे निकाल सकते हैं।

महोदया, पड़ोस में क्या हो रहा है। बंगलादेश, भूटान, नेपाल, चीन और श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। हमारे चारों तरफ अच्छे संबंध हैं। आप भी सत्ता में थे। आज स्थिति क्या है? पिछले 365 दिनों में हमने जो प्राप्त किया आपने 10 वर्षों में भी उसका दसवां हिस्सा भी नहीं प्राप्त किया। मैं आपको चुनौती देता हूं। . ..*(व्यवधान)*

मुझे खुशी है कि और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वक्तव्य के बाद यह मुद्दा उठाया। यहां से राष्ट्रपति भवन तक के पद यात्रा का आपका प्रयास निष्फल रहा। माननीया राष्ट्रपति जी को आश्चर्य हुआ होगा कि आप लोगों ने यह अभ्यावेदन दिया। लेकिन आप इस देश में लोगों को धोखा नहीं दे सकते। आप कोशिश कर सकते हैं। आप फिर भी कोशिश करते रह सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: कृपया राष्ट्रपति जी का यहां उल्लेख न करें। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाको: लेकिन हाल के आम चुनाव में, इस निर्णय के बाद भी यदि आप विश्वस्त नहीं है तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। यहां तक की भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि आपको इस देश के लोगों की सोच के बारे में पता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

महोदया, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम यह चाहते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में व्यवहार करे। हमने पाकिस्तान के समक्ष यह बहुत साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को उचित व्यवहार करना चाहिए। मैं इससे बेहतर शब्दावली नहीं सोच सकता। वे खराब मसौदा तैयार करने और अच्छे मसौदे आदि की बात करते हैं। जो लोग अच्छा मसौदा तैयार करते थे वे उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इसमें सही चेतावनी है जो भारत अपने उन पड़ोसियों को देना चाहता है जो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे अच्छा व्यवहार करे। उनको यही संदेश दिया गया है।

यह एक सामान्य वक्तव्य है वास्तव में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में संयुक्त वक्तव्य जारी किए जा रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन हमें खुशी है कि एक वक्तव्य जारी किया गया है। हमें खुशी है कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सहमत हो गया है। हमें खुशी है कि पाकिस्तान इस बात के लिए सहमत हो गया है चाहे वह पालन करे अथवा न करे, यह समय बताएगा। ...*(व्यवधान)* समग्र वार्ता भविष्य की कार्य सूची में है। समय के बारे में हम तय करेंगे।

आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई एक तात्कालिक मुद्दा है। जो हमने पहले कह दिया है। वे तिल का ताड़ बना रहे हैं। वे गलत संदेश देना चाहते हैं। वे बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं। वे लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि देर से ही सही भाजपा अपनी गलती महसूस करेगी और इस प्रकार के भ्रामक प्रचार करने से बाज आएंगे।

इन्ही शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी)**:** सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। प्रत्येक देश की विदेश नीति होती है और उसमें सर्वोपरि है राष्ट्र का हित। दूसरी बात, जितने ज्यादा से ज्यादा देश हमारे मित्र बन सकें, वह सफल विदेश नीति होती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपना बयान देंगे, तब स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चाई क्या है? लेकिन देश और आम-जनता में संदेश चला गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि आप कितनी भी सफाई दें, लेकिन गलत संदेश चला गया है कि पाकिस्तान के साथ जो बातचीत हुई, वह दबाव में हुई। ...*(व्यवधान)* मैं कहना कोई और शब्द चाहता था, लेकिन ठीक है, दबाव में हुई। हम इतना जरूर कहेंगे कि जो विदेश नीति है, जो स्थापित हुई है, उससे आप हटे तो जरूर हैं, क्योंकि या तो इतनी कड़ाई के साथ आपने सामयिक बयान न दिया होता, जिस कड़ाई के साथ आपने कहा कि हम कोई बातचीत नहीं कर सकते, जब तक कि जो आतंकवादी हमारे यहां आए, जिन्होंने मुंबई मे निर्दोष लोगों की हत्यायें की, हमला किया, जब तक पाकिस्तान उनको सजा नहीं देता या उन्हें हिंदुस्तान के हाथ में पकड़कर नहीं

[श्री मुलायम सिंह यादव]

देता है। यह मांग पूरे देश की, पूरे सदन की और आपकी खुद की थी।

सबसे पहला सवाल यही है कि बातचीत क्यों हुई? जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी, जैसी करनी चाहिए थी और इसके बाद उन्होंने उनको आपके हवाले नहीं किया, तो पहले ही सोच-समझकर बयान देना चाहिए था। आप बयान से पलटे हैं। आप बयान से पलट गए, उससे ठीक उलटा हो गया और पाकिस्तान से बातचीत हो गयी। यह बातचीत क्यों हुई, किस शर्त के आधार पर हुई?

दूसरी बात यह है कि कितनी गलतियां होंगी? क्या ईरान के संबंध में गलती नहीं हो रही है? आज हम आपको सावधान करना चाहते हैं। आप जरा इतिहास पढ़िए कि ईरान ने कब हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया? जब यूएनओ में हम अकेले पड़ गए थे, तब अकेले ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन उस ईरान के साथ क्या आपने बात की? विदेश नीति में, अपने देश के मित्र बनाने की बहुत सारी बातें होती है। अमेरिका के साथ जो आपकी बातचीत हुई, क्या ईरान के संबंध में उससे कोई बात हुई? ईरान पर अमेरिका घात लगाए बैठा हुआ है, जैसा उसने ईराक के साथ किया। इसलिए आप भी कम दोषी नहीं है। ईराक के मामले में हम इसी सदन में थे और बहुत मजबूती के साथ हम खड़े रहे थे। कई नेताओं की और विपक्ष की बातचीत दादा सोमनाथ चटर्जी के चैंबर में हुई थी। उस समय आप निंदा नहीं कर सके। कुछ और नहीं कर सकते थे, लेकिन निंदा भी नहीं कर सके। फिर आपने फैसला यह किया कि हिंदी में लिख दो निंदा और अंग्रेजी में हल्का शब्द, डिप्लोर लिख दिया। आपकी हिम्मत नहीं हो सकी कि निदां करें। ...*(व्यवधान)* सुषमा जी हैं, नहीं, अब क्या कहें। ...*(व्यवधान)* शब्द का इंटरप्रिटेशन किया गया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: हर एक का उठकर बोलना आवश्यक नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह ठीक है कि विदेश नीति में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, लेकिन गलतियां हुई हैं। हम उन गलतियों के बारे में जरूर कहेंगे कि ये बार-बार न हों। बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उस गलती को, कुछ भी हो, कैसे भी हो, ताशकंद में, उसे बरदाश्त नहीं कर सकते। हम अपने इतने महान प्रधानमंत्री को खो बैठे हैं। किन परिस्थितियों में क्या बीमारी की वजह से, क्या झटका लगा, क्या आशंका हुई, क्या देश से जो खबरें गयी, वह गलत को बरदाश्त नहीं कर सके या कुदरती गलती हुई। इसी तरह से पाकिस्तान के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि युद्ध होता है, तो हिंदुस्तान जीतता है और बातचीत होती है, तो उसमें हिंदुस्तान हारता है। यह हम स्वीकार करते हैं, जो अभी बातचीत हुई, उसमें हम जीते नहीं है।

बातचीत में हमें जीतना चाहिए। उस बातचीत में हम नहीं जीते हैं, हम पीछे रह गए। आप पीछे रह गए क्योंकि आप पिछली विदेश यात्रा में कह चुके थे। जी-8 की मीटिंग में दोहा राउंड के 2010 तक पूरा करने का आश्वासन देना हमारी घोषित नीति के खिलाफ है। जो हमारी नीति है, उस नीति के बारे में हम बार-बार दोहराते रहे हैं कि हम गुटनिरपेक्ष नीति से हट रहे हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति जो आजादी के बाद तय हुई थी, उसमें बहुत लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसकी नेहरू जी ने अगुवाई की थी और हमारी गुटनिरपेक्ष नीति के चलते दुनिया के तमाम देशों को यह उम्मीद हो चुकी थी जो पिछड़े थे, गरीब थे, छोटे मुल्क थे, कि हिन्दुस्तान गुटनिरपेक्ष की नीति चलाएगा तो उससे हमारी मदद होगी। इस तरह से छोटे और कमजोर देशों में एक सुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी। प्रधानमंत्री जी, हमें यह विचार करना पड़ेगा कि अब हम कहां खड़े हैं और हमें कहां जाना था। अभी कहां खड़े हैं और आगे कहां जाना है। इस पर आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम यह जरूर जानते थे कि विदेश नीति के मामले में आपको बहुत अनुभव है। आपने विदेश नीति के बारे में कई तरह से काम किया है। आप विदेश मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत अनुभव है जिस पर हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन उस अनुभव के अनुसार आपकी कहीं न कहीं कमजोरी आई है। आप इस संदेश को पूरे देश की जनता में कैसे ठीक कर पाएंगे, यह देखना आपका काम है। इससे हम भी संतुष्ट नहीं हैं। हम कहना चाहेंगे कि इससे पहले कमलनाथ जी और जेटली जी का स्टैंड फिर भी सही था। यह मानना पड़ेगा, माननीय जसवंत सिंह जी, विदेश मंत्री रहे, वह हमारे साथ थे। श्री जेटली और कमलनाथ जी ने जो स्टैंड लिया था, वैसा स्टैंड क्यों नहीं लिया गया, यह विदेश मंत्री जाने कि क्या वजह थी। कमलनाथ जी ने जो अच्छा काम किया था, उस बारे में हम लम्बा भाषण नहीं देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं दोनों की बात कह रहा हूं कि श्री अरूण जेटली और कमलनाथ जी का स्टैंड अच्छा था। लेकिन आपने भी एक स्टैंड नहीं लेने दिया। ...*(व्यवधान)* डीएमके के विदेश मंत्री श्री मारन अभी नहीं है। उन्होंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया था। फिर पता चला कि आपके यहां से उन्हें टेलीफोन चला गया। ...*(व्यवधान)* माननीय जोशी जी, आप मिनिस्टर थे। मारन साहब ने जो स्टैंड लिया था, वह बहुत अच्छा स्टैंड था। किसानों के लिए, खेती के लिए, पैदावार के लिए लिया था, लेकिन उसके बाद यहां से टेलीफोन चला गया तो उन्हें थोड़ा सा हटना पड़ा। ऐसा नहीं हैं, गलतियां हो रही हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, उनकी गलती भारी है। यह सही है कि विदेश नीति सर्वसम्मति से ही चलती है। देश के हित में चलती हैं, देश सर्वोपरि है। संबंध सर्वोपरि नहीं है, देश हित सर्पोपरि है। अच्छे संबंध चाहे किसी से भी हों, लेकिन जहां तक देश का सवाल है, देश पहले है। सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने जो आया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जरदारी

ने कहा। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा, अपने यहां चलाए जा रहे आतंकवादी कैम्पों को नहीं तोड़ेगा, तब तक पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं हो सकती, यह आपका स्पष्ट बयान है। फिर पाकिस्तान से बात क्यों हुई? क्या वजह है? यदि आप इसे स्पष्ट करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अभी जो शर्म-अल-शेख में गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक हुई, उसमें जो साझा बयान जारी किया गया है, उसमें हमारे यहां से दो भूलें हैं। मैं इसे देश के हित में दो भूलें मानता हूं क्योंकि आतंकवाद को आपकी वार्ता से अलग कर दिया गया। इसका सीधा अर्थ है पाकिस्तान कैसा भी आतंकवाद करता रहे, कोई वार्ता होती ही नहीं है।

आतंकवाद तो पहला मुद्दा था। आतंकवाद से हमारे देश का अपमान हुआ है। मुंबई में आकर पाकिस्तान के आतंकवादी हमला कर जाएं? उनमें से एक आतंकवादी पकड़ा भी गया, उससे तो सारा भेद आपको मिल गया, इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा आपको, उससे ज्यादा सफाई और कौन देगा। जब एक आतंकवादी पकड़ा गया है, तो सारी जानकारी आपको मिल गयी होगी। अगर पता चल गया है, तो इस सदन को बताना चाहिए कि आपने क्या-क्या किया? कहां पर उसकी योजना बनी थी? कौन से षडयंत्रकारी थे? कहां-कहां और वे हमले करना चाहते हैं? हिन्दुस्तान का और क्या नुकसान करना चाहते हैं वे आतंकवादी? पार्लियामेंट पर हमला हो चुका है, अब और वे आतंकवादी कहां हमला करना चाहते हैं? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। हम लोग जितने भी समाजवादी हैं, वे सभी पड़ोसी देशों एवं अन्य देशों से दोस्ती चाहते हैं, दोस्ती होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि आपके दोस्त ज्यादा से ज्यादा हों, विरोधी कम से कम हों, वही सफल राजनीति और सफल विदेशनीति होती है। दोस्त कितने बने? मैंने उस दिन भी कहा था, दोस्ती अलग है और सम्बन्ध अलग बात है। इस बात का आप ध्यान रखें। अभी आपके पड़ोसी देशों में दोस्त कौन हैं? आप बताएं कि पड़ोसी देशों में कौन-कौन हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान तो होने का सवाल नहीं है, चीन आपका दोस्त नहीं है, और तो और हमारा आश्रित देश नेपाल भी नहीं है। अभी मैं चार दिनों के लिए नेपाल गया था, नेपाल की पूरी जनता आपके साथ है, लेकिन वह भी आपका दोस्त नहीं बन पा रहा है। श्रीलंका बुरे दिनों में हमारे साथ रहा, वर्ष 1962 की लड़ाई में अगर कोई देश हमारे साथ खड़ा हुआ था, तो वह श्रीलंका था। क्या आज श्रीलंका आपका दोस्त है? दोस्त नहीं है, सम्बन्ध अच्छे हो सकते हैं। दोस्ती और अच्छे सम्बन्ध में भेद समझ लेना। आज आपका दुनिया में जो कोई भी दोस्त हो, उसका नाम प्रधानमंत्री जी या विदेश मंत्री जरूर यहां बताएं, जिससे देश की जनता और हम लोग समझ सकें। हमें भी राजनीति करनी है, बोलना है, कहीं जाना है, हमारी पार्टियों से सवाल पूछे जाते हैं, हम भी तो जवाब दे सकें कि फलां देश हिन्दुस्तान के दोस्त हैं। आज हम कहां पहुंच गए हैं, आज हिन्दुस्तान को कोई दोस्त है ही नहीं। सम्बन्ध अच्छे कितने रह सकते हैं, कब तक रह सकते हैं, वह अलग बात है, लेकिन दोस्त कोई नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि विदेशनीति को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाइए। अगर दोस्त हिन्दुस्तान अब नहीं बना पाएगा तो कब बना पाएगा। इन्दिरा जी के वक्त अपना जहाजी बेड़ा भेजकर अमेरिका ने धमकी दी थी, लेकिन इन्दिरा जी धमकी के आगे नहीं झुकी थी। उन्होंने मना कर दिया था, तब तो हिन्दुस्तान इतना मजबूत भी नहीं था। आज हिन्दुस्तान इतना मजबूत है, हर तरह से मजबूत है, उस समय से, वर्ष 1970-71 से ज्यादा मजबूत है, कई गुना मजबूत है, तो आज हिम्मत क्यों नहीं हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर देश का सम्मान और स्वाभिमान बचाना है, मजबूत करना है तो इच्छाशक्ति, संकल्पशक्ति और साहस, ये तीन चीजें होना अनिवार्य हैं। लेकिन आज इनमें से एक भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। संकल्प था, अब वह भी हट गया। इच्छाशक्ति भी दिखाई नहीं दे रही है और साहस दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान का इतना साहस कि वह हमें परेशान कर दे। हम पाकिस्तान से दोस्ती चाहते हैं, हम यह मानकर चलते हैं कि हमारा छोटा भाई है, लेकिन पाकिस्तान की इतनी हिम्मत होती है। हम उससे कितने गुना ज्यादा हैं, बड़े हैं, हमारी फौज भी ज्यादा है, टेरिटरी भी ज्यादा और उससे हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, फिर भी वहां से आतंकवादी आकर मुंबई पर हमला कर दें? आपकी पार्लियामेंट पर हमला कर दें, जहां चाहे वहां हमला कर दें? इतनी हिम्मत हो गयी है उनकी? इसकी वजह क्या है? कारगिल पर कब्जा कर लें, एक साल पहले जाकर वहां बैठ जाएं, पूरा खाने-पीने का इंतजाम कर ले, तो उनको आपका डर क्यों नहीं है? हमला करने में आपसे दुश्मनी करने में, शत्रुता करने में पड़ोसी देशों की हिम्मत क्यों हो रही है? वे क्यों नहीं डरते हैं? इसके लिए मैंने बात दिया है, तीन चीजें चाहिए-संकल्पशक्ति, इच्छाशक्ति और साहस। इन पर आपको विचार करना होगा। यही देश के हित में है।

जहां तक हस्ताक्षर का सवाल है, यह सही है कि सारी दुनिया में इस चर्चा से पाकिस्तान को लाभ हुआ है, हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है। अगर आप विपक्ष को विश्वास में नहीं लेंगे तो क्या होगा? जब पाकिस्तान से टूटकर बंगलादेश बना, तब दुनिया में हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए किसको भेजा गया था? उस समय जयप्रकाश जी को विश्व में हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए भेजा गया था कि इतने लोग बंगला देश से आ रहे हैं, शरणार्थी आ रहे हैं। उनके लिए हम कहां से खाना दें, उन्हें कहां ठहराएं? उस समय पूरी दुनिया में जयप्रकाश जी ने हिंदुस्तान का पक्ष रखा था। हमारे जयप्रकाश जी से उस समय बहुत मतभेद थे। उस समय हमें

बहुत परेशान किया गया था और इमरजेंसी भी लागू की गयी थी। सब कुछ इंदिरा जी ने किया था लेकिन एक मामले में मैं इंदिरा जी की तारीफ करता हूं उन्हें याद करता हूं कि इस मामले में इंदिरा जी ने जयप्रकाश जी को विश्व में भेजा था। इस मामले में इंदिरा जी का कोई जवाब नहीं था। जयप्रकाश जी ने सारी दुनिया में हमारे पक्ष में वातावरण बनाया और तब इंदिरा जी ने पाकिस्तान पर हमला किया था। तब पाकिस्तान से टूटकर बंगलादेश बना। पाकिस्तान टूटा तो क्या पाकिस्तान उस बात को भूल जाएगा? आपने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिये थे, उस बात को पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता है। अगर आप उसके दोस्त बन जाते हैं तो हम तुरंत आपको माला पहना देंगे। यह सही है, यह देश का सवाल है। राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन राजनीति में नाम किसका रहेगा, जो बड़ा काम करके जाएगा, चमत्कारी काम करके जाएगा। आप कहते हैं कि हमने समर्थन दिया, तो समर्थन तो हमने आपकी वजह से दिया। बार-बार हमसे आप लड़ रहे थे। अभी माननीय बहनजी मुझसे बहुत लड़ गयी कि आपने समर्थन दे दिया। मैंने कहा कि आप सरकार गिराओगे तो सरकार को समर्थन अब भी दे देंगे, सरकार गिरने नहीं देंगे। लेकिन अपनी नीतियों और सिद्धांतों से मैंने कोई समझौता नहीं किया है। अगर आप नीतियां बदल देते, तो स्थितियां ऐसी नहीं होती। अभी आपके अध्यक्ष जी को सुना तो वही मंदिर-मस्जिद की बात, कहां भूख है, कहां रोजगार है, कहां खेती है, कहां किसान है, क्या व्यापार धंधा है, क्या रणनीति हो रही है, क्या विदेश नीति की चर्चा हो रही है, हिन्दुस्तान कहां है लेकिन आपको मंदिर-मस्जिद अभी तक दिखाई देता है। मंदिर-मस्जिद को अब कौन पूछता है? मंदिर-मस्जिद पर हमारा-आपका झगड़ा थोड़े ही हुआ था, हम तो तमाशबीन थे। यहां सब तमाशबीन बैठे थे, इस बात को याद रखना, लड़ तो हम और जोशी जी रहे थे।

अपराह्न 4.27 बजे

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुई*)

उन दिनों को हम जानते हैं। उन दिनों को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि 11 दिन मुझे एक घंटा भी सोने नहीं दिया गया, तब हम मस्जिद की हिफाजत कर पाये थे। लेकिन आप मंदिर-मस्जिद से हट ही नहीं रहे हैं। यहां पर इच्छा-शक्ति, संकल्प-शक्ति है ही नहीं।

हमारी सेना मजबूत, हमारी खेती मजबूत, हमारा सब कुछ मजबूत है। मैं पंजाब के लोगों की सराहना करता हूं, आज पंजाब सीमा पर अच्छा रोल अदा कर रहा है। आज वहां किसी प्रकार की अशांति नहीं है। कुछ और प्रदेशों में जैसे सीमा पर नफरत फैल रही है या अशांति है लेकिन पंजाब की सीमा पर आज शांति है। यह देश के लिए और हमारे लिए शुभ है। जब भी देश पर कोई कठिनाई या हमला होता है तो सबसे पहले उसका दंश पंजाब झेलता है। लेकिन आज पंजाब शांत है और यह हमारे लिए अच्छी बात है। मैं कुछ उन सूबों का नाम लेना चाहता हूं बुरा मान जाएंगे, वहां दूरियां आपस में हैं। ...*(व्यवधान)*

कुछ ऐसी बातें थी जो मैं कहना चाहता था और वे मैंने कह दी है। माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जो बातें कह दी हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, यह मैं पहले ही कह चुका हूं, लेकिन बेपरवाह, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपके दबाव में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जनता साथ है, सेना पूरी मजबूत है, किसी की हिम्मत नहीं है, आप जो हस्ताक्षर कर आये हो, उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा)**:** महोदया, 26/11 मुम्बई का जो हमला था, उस हमले के बाद एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से अपने-अपने वक्तव्य दिए गए, चाहे वह गृह मंत्री हो, चाहे वह फौज के मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो। जितने बयान इस तरफ से दिए गए, उतने ही बयान पाकिस्तान की तरफ से भी दिए गए। इस बारे में प्रधानमंत्री जी के बयान भी शामिल हैं। सारी परिस्थिति को देख कर हमने अपनी जगह निश्चित की कि हम वार्ता नहीं करेंगे, जब तक कि क्रास बार्डर टेरेरिज्म समाप्त न हो जाए। यह हमने तय नहीं किया था, आपकी तरफ से आपके मंत्रियों ने तय किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 62 वर्ष हो गए हैं, यह सिलसिला जारी है और मैं नहीं मानता हूं कि यह सरकारों के हाथ की चीज है। इतिहास ने जिस तरह से देश के हिस्से किए, महात्मा जी को छोड़कर, इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, हम इस तरह खड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ युद्ध कीजिए। वे हालात पहले आपके हाथ में थे, लेकिन अब नहीं हैं। जो परम्परागत फौज थी, उसकी लड़ाई से हम लोग जीतते थे, वह हालत आज नहीं है। 26/11 पर इतनी तरह के बयान दिए गए, वे किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिए। आपकी सरकार की तरफ से आपके अधिकारियों ने दिए, प्रधानमंत्री जी ने भी दिए। गिलानी साहब का और प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, उसमें आतंकवाद और वार्ता, दोनों साथ-साथ चल सकते हैं, आपने यह तय कर लिया। आपने माना और उन्होंने माना, सवाल यह नहीं है। आप देश में उन्माद खड़ा करते हैं, मैं कभी-कभी कहता हूं कि उन्माद हो और सोचा-समझा एक आंदोलन हो। घटनाएं होती है और हम उसके साथ बहते हैं। आज हालत यह है कि आपका जो वक्तव्य है, वह संयुक्त है। न्यूक्लिर डील बहुत दूर की बात नहीं है, बहुत विस्तार से न्यूक्लियर डील के बारे में बताया गया, मैं उस पर अपने विचार नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे बोलने का समय कम है। उस पर केवल सरकार के बयान नहीं थे, वामपंथियों को छोड़ कर बाकी सब लोगों के थे और अंत में तो मुलायम

सिंह जी ने न्यूक्लियर डील के खिलाफ लखनऊ में सम्मेलन किया था तथा बाद में उस पर समर्थन भी हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): हम सोमवार को जवाब दे देंगे।

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया आपसी संवाद मत कीजिए।

श्री शरद यादव: बिजली देने का वायदा किया था। आप दोनों के बीच में क्या करार हुआ, वह पता नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो न्यूक्लियर डील थी, उस पर आपकी सरकार के मंत्री से लेकर आपकी पार्टी एकाकार थी।

आपसे ज्यादा आपकी पूरी पार्टी युद्ध में रत थी। कांग्रेस पार्टी की नेता भी उसमें शरीक थी। पूरी मजबूती से आप दोनों जैसे वॉलीवॉल खेलते हैं, बाकायदा आप गोल कर रहे थे। लेकिन इस मामले में मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और आपके बीच में *...(व्यवधान)* सुनाई नहीं पड़ रहा है आप क्या कह रहे हैं। *...(व्यवधान)* फुटबॉल में गोल होता है।*...(व्यवधान)* मैं शब्द बदल गया। मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूं। *...(व्यवधान)*

हॉकी का गोल होता है तो पार्टी और आपकी सरकार दोनों गोल कर रहे थे और इस बयान के बाद पार्टी के स्पोक्समैन जो हैं, मैं दूरदर्शन देखता हूं, मैं दूसरे चैनल कम देखता हूं लेकिन दूरदर्शन पर मैंने देखा कि आपके जितने स्पोक्समैन थे, वे जवाब की जगह बगलें झांक रहे हैं। यानी यह जो फर्क हैं, यही अन्तर बताता है कि यह जो आपका वक्तव्य आया है, इसमें कहीं न कहीं दुविधा में आप भी हैं। आपको भी कहीं न कहीं लगता है कि जो आपने कदम उठाया है, वह कदम देश के लिए सही नहीं है। जो बलूचिस्तान है, हम लोगों ने बचपन में काबलीवाला किस्सा पढ़ा है, जो बलूचिस्तान है, उसमें सीमान्त गांधी थे। जिस बात को हम अकेला भुगत रहे हैं, महात्मा गांधी जी के साथ एक आदमी था- सीमान्त गांधी, अब्दुल गफ्फार खां। मैंने जब होश संभाला, मैं जब यूनिवर्सिटी का प्रेसीडेंट था, तो सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में पहली बार कहीं उनका स्वागत हुआ तो वह मेरे विश्वविद्यालय में हुआ था। वह अकेले बलूचिस्तान के ऐसे आदमी थे, हिन्दुस्तान की जो जंग है, आजादी की लड़ाई है, दोनों तरफ के लोग कहते हैं कि इस आजादी को अंजाम देने का काम यदि किसी आदमी ने महात्मा गांधी के बाद किया तो दो-चार आदमियों में जिनका नाम आता है, उनमें वह नाम सीमान्त गांधी हैं। वह देश के बंटवारे के खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को आप भेड़ियों के सामने डाल रहें हैं।*...(व्यवधान)* फलूचिस्तान बलूचिस्तान से बिल्कुल लगा हुआ है। *...(व्यवधान)* उनका असर यहां भी था। आंदोलन में जो लोग थे, वे यहां के ही थे। अगर आप उसकी ज्योग्राफी से ऊपर छेड़खानी करेंगे तो मैं अकेले भूगोल भर की बात नहीं कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* बलूचिस्तान जो है, अकतूलिस्तान जो है, वह सब मिला हुआ इलाका है और उसके बाद गांधी का असर यहां तक सारे फ्रन्टियर में, सारे नार्थ-ईस्ट में था। आपने उसका जिक्र कर दिया। आप कहते हैं, पी.सी. चाक्को बोल रहे थे कि कोई बड़ा भारी मुद्दा नहीं है। आप गजब बात कह रहे हैं। 60 वर्ष में जब उसका जिक्र नहीं है तो अब जो उसका जिक्र हुआ और जो सीधी बात है कि हमारी भावनाओं, यानी इस देश में या फलूचिस्तान से लेकर बलूचिस्तान में चाहे वह पूरा का पूरा अफगान है, हमारे और उनके बीच में एक सहज मानवीय संवेदनाओं का आदान-प्रदान है। बगैर कहे, बगैर बोले, वे महसूस करते हैं कि हम उनके मित्र हैं और हम महसूस करते हैं कि वे हमारे मित्र हैं। इसका जिक्र कभी नहीं होता। हमने इसका जिक्र किया। जिक्र चाहे वह सिर्फ नाम के वास्ते हुआ और इस जिक्र के बाद आपकी सरकार के मुल्हाजिम है, यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यशवंत सिन्हा नहीं कर रहे हैं, मुलायम सिंह नहीं कह रहे हैं, आपकी सरकार के जो मुलाजिम हैं, जो शर्म-अल-शेख में थे, वे कहते हैं कि जो वकतव्य बना है, उसमें जो ड्राफ्टिंग है, उसमें थोड़ी-बुहत इधर-उधर गड़बड़ हो गई हैं।

गजब बात है कि भारत सरकार से इसी के लिए तनख्वाह पा रहे हो, इसी चीज के लिए अफसर हो और जब ड्राफ्टिंग हुई तो हिन्दुस्तान में आकर बोल रहे हो कि यह गलती ड्राफ्टिंग में हो गई, बैड ड्राफ्टिंग है। यह गजब बात है।*...(व्यवधान)* विदेश मंत्री है, विदेश सचिव हैं। विदेश सचिव यह बात आकर कहे और अभी तक भी कन्टीन्यु करे? या तो आप सही हैं या वे सही हैं। हिन्दुस्तान को जानने का हक है कि बैड ड्राफ्टिंग थी या सही ड्राफ्टिंग थी, सही थी या गलत थी। देश की सरकार की दो जीभ नहीं हो सकती हैं। एक बात मुलाजिम बोले और दूसरी बात देश का प्रधानमंत्री बोले, इस तरह दो जुबान नहीं हो सकती है। आप चुप है, आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। देश दुविधा में है। देश महसूस करता है कि गड़बड़ हो गई। आप नहीं महसूस कर रहे लेकिन देश महसूस करता है। देश इसलिए महसूस करता है क्योंकि बयान में दो जुबान हैं मुलायम सिंह जी दो जुबान का देश जब तक रहेगा तब तक यह किसी से मुकाबला नहीं कर सकता है हिन्दुस्तान की लाचारी और बेबसी रोज बढ़ेगी। गरीबी और कंगाली का समुद्र खड़ा होगा। लूट यहां से वहां तक होगी जब तक देश मजबूत नहीं होगा, जब तक दो जीभ चलेंगी*...(व्यवधान)* आप कह रहे थे राज्य मंत्री बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं। अरे भाई, यूएनओ को कौन सुन रहा है? मुझे याद है जब वे हिन्दुस्तान आने वाले थे तब मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था। यूएनओ के सैक्रेट्री दक्षिण अफ्रीका, घाना के कोफी अन्नान यहां आना चाहते थे और यहां की सरकार उदासीन थी। यह बात मुझे कहनी नहीं

[श्री शरद यादव]

चाहिए। मैंने यह बात कही कि वे आना चाहते हैं तब यूनाइटेड नेशन खड़ा रहा और इराक, अफगानिस्तान पर हमला हो गया। मंत्री जी यूएनओ में रहे हैं, वहां रहने के बाद यहां हारकर चले आए। मैं नहीं मानता, वे कह रहे हैं कि यह दो मुल्कों के बीच में ट्रीटी नहीं है, करार नहीं है। हां, मैं पाकिस्तान की तरफ से कमजोरी मानता हूं, वहां यह भी पता नहीं चल रहा कि जरदारी साहब मजबूत हैं या गिलानी साहब मजबूत हैं। लेकिन मैं गिलानी साहब की चतुराई को मान गया कि वे शर्म अल-शेख में जाकर आपके साथ एक ऐसा वक्तव्य लेकर बोल गए और पाकिस्तान जाते ही शोर मचा दिया-जीत गए जीत गए। हमारे यहां यूपीए, कांग्रेस पार्टी है, यहां आप जरूर खड़े है लेकिन आप दोनों के बीच बोली और भाषा का कोई तालमेल नहीं है। आपके बीच में कोई एक समबोध नहीं है, समलक्ष्य नहीं है और फिर आप कहते हैं कि कोई गड़बड नहीं हुई। जिस तरह से 26-11 को इस तरफ या उस तरफ से जितने बयान आए, गजब हो गया जो मंत्री हैं वे भी बोल रहे हैं, डिफेंस मंत्री है, वे भी बोल रहे हैं, विदेश मंत्री भी बोल रहे हैं, ऐसा लगा कि ताल ठोक रहे हैं। आप एक से एक बयान दे रहे हो और फिर जाकर कहते हो कि आतंकवाद और वार्ता में कोई अंतर्विरोध नहीं है। यह गजब बात है। मैं मानता हूं कि अंतर्विरोध है। यदि आपने ताकत के साथ कहा होता कि जब तक आतंकवाद वहां खत्म नहीं होगा तब तक हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे। आपने कहने के बाद पलटने का काम किया। 26-11 को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ, वहां जो स्थिति हुई है, उसमें वार्ता भी चलती रहेगी और आतंकवाद का घालमेल, वहां से यहां चलता रहेगा। इस बारे में यशवंत सिन्हा और बहुत से माननीय सदस्य बोले हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): 13 दिसम्बर 2001 के बाद बस बंद कर दी, रेल बंद कर दी, हाई कमिश्नर को वापिस बुला लिया लेकिन फिर बात क्यों शुरू कर दी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी के अलावा किसी और की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: जगदम्बिका पाल जी, मैं आपकी बात समझ गया, आ कह रहे हैं कि ससंद पर हमले के बाद हमने बस यात्रा की।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जगदम्बिका पाल: आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिया और फिर आने टॉक शुरु कर दी, उसका क्या कारण था?

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महादेया, मैं इनकी बात पर ज्यादा बोलना इसलिए नहीं चाहता कि हम बैठे हैं तो आप वहां किसलिए बैठे हैं। आप कब तक इतिहास की चर्चा करके अपने गुनाहों को दबाने का काम करेंगे।...*(व्यवधान)* आप गुनाहों को कब तक दबाते रहेंगे? आज हर मंत्री खड़ा होता है...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात समझ गया हूं। अब हर मंत्री खड़ा होता है। पिछली एनडीए की सरकार में क्या हुआ। एनडीए में यह गलती हो गई, एनडीए में वह गलती हो गई। भाई ठीक है, यदि गलती हो गई तो हम यहां बैठे हैं। कोई न कोई गलती हमसे हुई है। हम यहां बैठे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सदन से चले जाएं। आपका जो कहना है उसका मतलब यह है कि हमने संसद पर हमला होने के बाद बस यात्रा खोली तो वह संदर्भ अलग है। उस पर यदि बहस करना चाहें तो आप ले आइये, हम उस पर जरूर बहस करेंगे। हम यह भी कह रहे हैं कि उसमें यदि कहीं गलती हो गई तो हमारे जैसा आदमी मान जायेगा। सवाल सीधा है, मैं यह कह रहा हूं कि 26/11 के बाद आपने जिस तरह से देश के अंदर वातावरण बनाने का काम किया और फिर उसके बाद आप पूरी तरह से पलटी खाकर रिवर्स गियर में चलाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे देश आहत है।

[अनुवाद]

आपसे कोई बताये या न बताये, लेकिन मैं बता रहा हूं और जो लोग 26/11 के बाद आपकी आरती उतार रहे थे, गीत गा रहे थे, घंटी बजा रहे थे, तबला बजा रहे थे, हारमोनियम बजा रहे थे, संगीत की सभा चल रही थी। वह सभा आज बिगड़ी हुई है। कोई कुछ बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई अलग सारंगी बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। आज सबके स्वर अलग-अलग हैं। पहले एक साथ जो बाजा बज रहा था, वह आज सब अलग-अलग हो गये हैं। सबके स्वर अलग-अलग हो गये हैं। वह वहीं नहीं हुआ, देश में नहीं हुआ, अखबारों में नहीं हुआ, मीडिया में नहीं हुआ, आपकी सरकार में भी स्वर अलग-अलग हैं। पार्टी मौन है, पार्टी बोलती है कि सरकार बोलगी, ठीक जवाब देगी। परंतु बहुत दिनों के बाद बोले। प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा कि यह क्या चल रहा है तो बयानबाजी इतने तक आई है। सीधी बात है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं एंड यूजर के मामले में नहीं जाता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज कैसी हालत में है, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन आजादी के साथ ही हमने अपने हिस्से कर लिये और हिस्से करके इस देश का 30-40 फीसदी पैसा हम फौज पर खर्च करते हैं और वे भी फौज पर खर्च करते है। इसके बाद

हम जनता के बीच में संकल्प के साथ अपनी तरफ से कोई स्टैंड लेते हैं, किसी जगह खड़े होने की कोशिश करते हें, उससे फिर हम हट जाते हैं। हम बाकायदा संकल्प लेते हैं, लेकिन उस संकल्प के कोई मायने नहीं है, क्योंकि उस संकल्प पर हम चलने का काम नहीं कर रहे हैं।

महोदया, मैं निश्चित तौर पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो हालात है, उन्हें बनाने में कोई सरकार नहीं बदली है। पहले भी आपकी सरकार थी और अब फिर आपकी सरकार है। जब हालात बदले नहीं हैं तो मुम्बई पर जो हमला हुआ था, सरकार के जरिये उसके ऊपर आपने पूरे देश भर को साथ में लिया था। उस समय जब मुम्बई में मोमबत्ती जला रहे थे, मेरा बस चलता, कोई मेरी बात को लिख रहा होता तो वह कह रहे थे कि चलो मुख्यमंत्री से दो मिनट में इस्तीफा ले लेते हैं। मेरे ख्याल से वे लोग वोट डालने भी नहीं जाते, वे सब लोग वहां इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने वाले लोगों के साथ आपने स्वर में स्वर मिलाया। आपने सोचकर, सब तरह से विचार करके स्थिति को देखा। आप कहते हो कि वार्ता के बगैर काम नहीं चलेगा। यदि आपकी यह बात सही है तो फिर 26/11 के बाद आपने पूरे देश में जो हालात बनाये थे, हम तब भी उसके विरोध में थे और आज भी विरोध में है। आप ही सरकार में थे, आपकी पार्टी थी, फिर आपने यह उन्माद क्यों खड़ा किया? फिर उन्माद के बाद यह वार्ता क्यों शुरु कर रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद का हमला जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आयी है। मैं प्रधानमंत्री जी से देश की विदेश नीति को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिये निवेदन कर रहा हूं। नेपाल के संबंधों को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी से दो बार मिला हूं। हम दुनिया के देशों में ज्यादा कहीं गये नहीं है। मैं अकेला आदमी 35 वर्षो से यहां हूं। मैं विदेश इसलिये नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा देश दिक्कत में है, हमें बाहर जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। यहां के गरीब और लाचार लोग ज्यादा सोये हुये हैं, तकलीफ और दिक्कत में है। मैं कहीं नहीं गया। मैं इतना जरूर जानता हूं कि उस देश की विदेश नीति तभी ठीक होती है...*(व्यवधान)* लाल सिंह जी, आप पीछे बैठकर क्यों बोलते हैं, आप कहिये मैं जवाब दूंगा। आप ऐसा मत करें।

अध्यक्ष महोदया: यादव जी, आप चेयर को संबोधित कर के बोलिये।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। अगर छेड़ना है तो पार्लियामेंट में चलता है। मैं जगदम्बिका पाल जी से भी कह रहा था। क्या कहना चाहते हैं, बोलिये?

अध्यक्ष महोदया: आप शान्त रहें।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया जी, यह ठीक नहीं है। जब पीछे से बोलते हैं तो हाल गूंज जाता है। अगर सभा में ऐसे कोई बोल दे तो गड़बड़ हो जाती है और हम डिरेल हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि इस देश में विदेश नीति 62 साल से आम सहमति के साथ चलती रही। हो सकता है कि हम बातचीत करने में चर्चा करने में आपसे असहमत हों, या सहमत हों। आप सब काम करके फिर सदन में आते हैं। पिछले 15-20 साल से दुनिया का बाजार खुला है। दुनिया बदली है। मैं नही कह रहा हूं कि आप इतने ताकतवर हैं। जिस देश की जनता मजबूत होती है, वह देश मजबूत होता है। चीन का आदमी कहीं चला जाये, उसकी विदेश नीति मजबूत है। उनके यहां ऐसी गरीबी नहीं है जैसी यहां लूट मची हुई है। वहां और यहां की गरीबी में फर्क है। सीधी बात यह है कि विदेश नीति में सहमति है। अगर आप चाहते तो विरोधी दल के नेता श्री आडवाणी जी को बुलाकर बात करते, क्या आपने बातचीत की? कांग्रेस को तो नया जनादेश मिला है, आपका हौसला बढ़ाना चाहिये था, मन और दिल बड़ा होना चाहिये था। विदेश नीति आम सहमति से होती है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि मुम्बई में हमले के बाद देश में एक आम सहमति बनी थी कि देश में हमले के बाद पाकिस्तान से तब तक वार्ता नहीं की जायेगी जब तक देश से आतंकवाद खत्म नहीं होता। आने पहले या अब कहा होता तो ठीक होता। इसलिये मेरी विनती है कि विदेश नीति आम सहमति से होनी चाहिये, इसमें चाहे आपका प्रधानमंत्री हो या हमारी पार्टी का हो। हमारी सरकार भी 10-11 महीने रही, उसके बाद पांच साल रही। कांग्रेस की सरकार ज्यादा लम्बे समय तक चली है। विदेश नीति बनाने में कांग्रेस का ज्यादा योगदान रहा है। जो आम सहमति थी, वह अब खंडित हो रही है। वह आम सहमति अब बहस में आ रही है। आज चाहे यशवंत सिन्हा हों या मुलायम सिंह जी हों, चाहे मैं हूं, हम निश्चित तौर पर यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप सहमति का रास्ता आम सहमति की परम्परा है वह खंडित हो रही है। अगर विदेश नीति खंडित होगी तो चाहे आपका पक्ष हो या हमारा पक्ष हो, तकलीफ होती है।

तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हम कई तरह कि दिक्कत और हालात में फंसे है। मुलायम सिंह जी ने ठीक बात कही कि हमारे चारों तरफ जो देश हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता यारी का नहीं है। रिश्ता तो है, लेकिन वह यारी का नहीं है, दिलों का नहीं है और दिलों के मेल के बगैर कोई रास्ता नहीं बनता है। निश्चित तोर से हम जब से आजाद हुए हैं, पहले हम रूस के बाजू में छिपे हुए थे। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप अमेरिका से दोस्ती मत कीजिए, दोस्ती हो, लेकिन इस दोस्ती में ख्याल रखा जा कि कि हमारे राष्ट्रीय हित कहीं उनके दबाव में खूंटी पर न टंग जाएं। हम यह देख सकते हैं, हम यह कर सकते हैं, हमारे

[श्री शरद यादव]

देश का जो पुरूषार्थ है, हमारे देश की जो इतनी बड़ी आबादी है उसके मुकाबले हम उतनी बुरी हालत में नहीं है, उतने पीछे नहीं है। चीन हमसे सात, आठ गुणा आगे चला गया है, लेकिन हमारी हालत भी ऐसी नहीं है। आप यदि ठीक से संकल्प के साथ कोई रास्ता पकड़ेंगे तो हम आपसे अलग नहीं है, हम आपके साथ है, लेकिन इस बयान पर महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं सरकार के साथ सहमत नहीं हूं। मैं वार्ता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसी वार्ता कि हम लगातार आतंकवाद के शिकार होते रहें, हमारे बेबस और लाचार लोग यहां से वहां तक मरते रहें। मैं इसके बारे में एक बात कहूंगा कि पूरी दुनिया में एक वातावरण बना था, सारी दुनिया मुम्बई हमले को महसूस करती थी और उससे पूरी दुनिया मर्माहत हुई थी। उस मर्माहत को आपने थोड़ी दूर तक ले जाने का काम भी किया था, लेकिन शर्म-अल-शेख में जो आपका संयुक्त वक्तव्य है, उसने उस धारणा को चोट पहंचाने का काम किया है। दुनिया में हमारा जो समर्थन बढ़ा था, वह समर्थन भी आज डावांडोल है। इससे अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की फौज और उनका जो इलाका है स्वात घाटी, जहां रेडियों मुल्ला रहता है। स्वात घाटी में अमेरिका और पाकिस्तान की फौज दोनों साथ-साथ लड़ रही हैं।

अध्यक्ष महोदया: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव: वे तो उनके हितों को देखकर ही बात करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अमेरिका अपने हितों के अनुसार, हमारे हितों के अनुसार नहीं, अपने हितों के अनुसार बहुत से काम करता रहेगा। मैं यह महसूस करता हूं। अमेरिका के साथ हमारा झुकाव, मैं कई बातों को देखकर कहता हूं कि यहां बुश साहब आये थे तो जो बम सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, वे महात्मा गांधी जी की समाधि पर चले गये थे।

अध्यक्ष महोदया: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव: महोदया, यह सीधी बात है कि हमें महसूस होता है कि इसमें अमेरिका अपने हितों के लिए हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। जो आम सहमति से जो विदेश नीति चली है, जिस आम सहमति से हमने 62 वर्ष इस देश को चलाया है, इस मामले में राज और सरकार और ट्रेजरी बैंच और अपोजिशन का कोई मामला नहीं है। आप इस आम सहमति को फिर से कायम कीजिए और यह वक्तव्य देश को ठीक तरह से आगे लेकर कीजिए। हम ऐसा महसूस करते हैं कि वह काम अधूरा है, इसलिए आम सहमति खंडित हुई है, विखंडित हुई है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, शर्म-अल-शेख के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य और इटली में जी-8 देशों की बैठक में जो मैंने कहा उस पर मैं श्री यशवंत सिन्हा, श्री मुलायम सिंह जी, श्री शरद यादव जी की टिप्पणियों के लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं सभी मुद्दों का उल्लेख करूंगा और सभी मुद्दों को स्पष्ट करूंगा।

अपराहन 5.00 बजे

अध्यक्ष महोदया, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं हम इस सत्य को नहीं झुठला सकते कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। दोनों देशों को अच्छा पड़ोसी होना चाहिए। यदि हम अच्छे पड़ोसी की तरह शांतिपूर्वक रहते हैं तो हम दोनों देश अपनी ताकत अपनी जनता के सामने आने वाली कई समस्याओं का समाधान करने, दक्षिण एशिया में करोड़ों व्यक्तियों को कष्ट देने वाली अत्यधिक गरीबी की समस्या का समाधान करने पर लगा सकते हैं। यदि दानों देशों के बीच सहयोग हो और विरोध न हो तो उससे व्यापार, पर्यटन और विकास के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खुल जायेंगे जिससे दोनों देशों में समृद्धि आएगी।

इसलिए, पाकिस्तान के साथ शांति से रहने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना हमारे काफी हित में है परंतु, हमारे ऐसे मजबूत इरादों के बावजूद यदि हमारे देश में और विदेश में हमारे नागरिकों को मारने और घायल करने के लिए पाकिस्तानी जमीन से आतंकवादी हमले होते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह राष्ट्र का दृष्टिकोण है और मैं इस पर कायम हूं।

महोदया, मैंने बार-बार कहा है और मैं इसे अब फिर दोहराता हूं। भारत में किसी भी सरकार के लिए पाकिस्तान के साथ अपने संबंधो को सामान्य करने की दिशा में कार्रवाई करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान अपनी जमीन को भारत के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि के लिए इस्तेमाल करने से रोकने की अपनी वचनबद्धता को पूरी तरह से नहीं निभाता है।

मेरे मित्र यशवंत सिन्हा ने उल्लेख किया कि यह वचनबद्धता मेरे विशिष्ट पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से की गई थी और इसे पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ मेरी प्रत्येक बैठक में दोहराया गया है। भारत की जनता आशा करती है कि इन आवश्वासनों को पूरा किया जाएगा और यह सरकार इसे साझा राष्ट्रीय सहमति मानती है।

महोदया गत वर्ष नवम्बर में मुम्बई पर हमले से हमारे राष्ट्र को आघात पहुंचा और इससे पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों को

प्रभावित किया। भारत में तीन दिन तक लोग हमले की वास्तविकता और भय को झेलते रहे जो अब भी हमें सताता है। भारत की जनता की मांग है कि ऐसा भविष्य में दोबारा न हो।

पिछले सात महीनों में हमने अपने नियंत्रणधीन सभी प्रभावी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपायों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए एक नीति का पालन किया कि पाकिस्तान विश्वसनीयता और निष्ठा के साथ कार्रवाई करे जैसा कि हम किसी सभ्य राष्ट्र से आशा करते हैं।

हमलों के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लश्कर-ए-तैयबा और इसके फ्रंट संगठन जमात-उद-दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने मुंबई हमलों के सरगना जाकिर उर्रहमान लाखवी सहित संगठन से जुड़े चार व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए।

हमने अति कठिन परिस्थितियों में बहुत संयम बरता परंतु यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान को कार्रवाई करनी होगी। दिनांक 5 जनवरी 2009 को हमने पाकिस्तान को आतंकवादियों के साथ सांठ-गांठ का ब्यौरा सौंपा जिसका खुलासा हमारे जांचकर्ताओं द्वारा किया गया था। कुछ कार्रवाई की गई और पाकिस्तान ने फरवरी 2009 में और उसके बाद पेरिस और शर्म-अल-शेख के लिए मेरे प्रस्थान से पूर्व दो अवसरों पर अपनी जांच की प्रगति के बारे में हमें औपचारिक रूप से जवाब दिया।

नवीनतम डोजियर 34 पृष्ठ का दस्तावेज है जिसमें योजना और घटनाक्रम, पाकिस्तान की विशेष संघीय जांच एजेंसी दल द्वारा की गई जांच, दर्ज की गई एफ आई आर, और हिरासत में रखे गए अभियुक्तों और घोषित अपराधियों का ब्यौरा है। यह दस्तावेज इस्तेमाल किए गए संचार नेटवर्कों पाकिस्तान में वित्तपोषण अभियान और पाकिस्तान में की गई बरामदगी, और मानचित्रों लाइफ-बोट्स, नौवहन प्रशिक्षण संबंधी सूचना, असूचना मैन्युबल बैक रैक्स आदि का ब्यौरा उपलब्ध कराता है।

हमें यह दस्तावेज पाकिस्तान ने दिया है। इसके अनुसार जांच में नि:संदेह यह सिद्ध हो गया कि लश्कर-ए-एयबा उग्रवादियों ने इन हमलों की साजिश रची थी, इनका वित्त पोषण और इन्हें कार्यरूप दिया था। जाकी-उर-रहमान लख्वी और जरार शाह सहित पांच आरोपी पकड़े गये हैं और इन्हें अन्य तेरह को घोषित अपराधी माना गया है। इनके विरुद्ध पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अधिनियम और अन्य संगत कानूनों के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया गया है।

हमें बताया गया है कि जांच लगभग पूर्ण है और अब मुकदमा चलाया जाएगा। हमसे कुछ और जानकारी मांगी गई है और वह जानकारी हम शीघ्र ही उपलब्ध करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदया, यह पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत में हुए आतंकी हमले की जांच के परिणामों से हमें औपचारिक रूप से अवगत कराया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं पुन: यह बात दोहराता हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है यह भी पहली बार हुआ कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके नागरिकों और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने भारत में वीभत्स आतंकी हमला किया।

अध्यक्ष महोदया, वास्तविकता यह है कि यह जानकारी उससे कहीं ज्यादा है, जो एनडीए सरकार अपनी लम्बी-चौड़ी बातचीत के बावजूद पाकिस्तान से कभी निकलवा पाई थी। एनडीए की यह शासनकाल सच्चाई वह पाकिस्तान से कभी भी वह नहीं मनवा पाए थे, जोकि उसने अब स्वीकार किया है। इसलिए मैं पूर्ण सम्मान के साथ श्री यशवंत सिन्हा से कहता हूं कि यूपीए सरकार को विपक्ष से इस संबंध में कोई पाठ लेने की आवश्यकता नहीं है कि विदेशी मामलों पर कार्रवाई कैसे की जाए या राष्ट्र को आतंकी हमलों से किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए।

अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों को नोट करते हुए मुझे यह कहना है कि वह लोग अभी इसकी तह तक नहीं गया है हमें आशा है कि जांच में तत्काल प्रगति होगी और मानवता के विरुद्ध इस घिनौने अपराध को करने वालों की अनुकरणीय दण्ड दिया जायेगा। हमें यह साक्ष्य चाहिए कि उन आतंकवादी समूहों और उनके उग्र संगठनों को अवैध हथियार रहित और बंद करने के लिए कार्रवाई की जा रही है जोकि अभी भी पाकिस्तानी जमीन से कार्यरत है और जो हमारे देश के लिए गम्भीर खतरा बने हुए है।

अध्यक्ष महोदया, अंतिम विश्लेषण में सच्चाई यह है कि हमारे सभी साथियों के बावजूद जो और साथी हम बनाना चाहते हैं जैसा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा—आधुनिक विश्व शक्ति स्वरूप का कड़वा सच यह है कि जब हमें आंतरिक सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करनी होती है, तो हमें स्वय पर निर्भर रहना होगा। स्व-सहायता ही श्रेष्ठ सहायता है। हमारी रक्षा क्षमताओं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे और हमारे आपातकालीन अनुक्रिया-तंत्र को मजबूती प्रदान करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इन मामलों को उच्चतम वरीयता और ध्यान दे रही है।

हमारी रक्षा सुरक्षा और आसूचना तंत्र को आधुनिक युक्तिसंगत और मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक विस्तृत योजना समय-बद्ध ढंग से कार्यान्वित की जा रही है। सरकार आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सतर्कता बरत रही है। वास्तविक समय आधार

[डा. मनमोहन सिंह]

पर संवर्धित सूचना और आसूचना का आदान प्रदान सुनिश्चत करने हेतु कदम उठाए गए हैं। हमने किसी भी स्रोत से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद को बिल्कुल बरदाश्त न करने की नीति अपनाई है।

महोदया, रक्षा के क्षेत्र में हमारी तटीय और समुद्री सुरक्षा में व्यापक सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सेना, नौसेना और वायु सेना के आधुनिकीकरण हेतु प्रमुख शस्त्र प्रणलियों और प्लेटफॉर्मों की बड़े पैमाने पर अधिग्रहण करने की मंजरी दी गई है। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के कल्याण में सुधार हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम अपनी संप्रभुता, एकता और अखण्डता के प्रति किसी भी खतरे से अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए पूर्ण प्रयास और व्यय करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह इस महान राष्ट्र की किसी भी सरकार का पुनीत और परम कर्तव्य है।

अध्यक्ष महोदया, हम किसी अन्य देश के साथ बातचीत द्वारा आतंकवाद को खत्म करने के अपने संकल्प या रुख से पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान स्थित आतंकवाद से प्रभावित अन्य प्रमुख महाशक्तियां भी पाकिस्तान से बातचीत करने में लगी हैं। जब तक हम पाकिस्तान से सीधे बातचीत नहीं कर लेते तब तक हमें ऐसा करने के लिए तीसरी पार्टी पर निर्भर रहना पड़ेगा। मेरा इस सम्मानित सभा से यह निवेदन है कि इसकी प्रभावकारिता और दक्षिण एशिया का दीर्घावधि में क्या मत होना चाहिए। इस मार्ग विशिष्ट की काफी कठिन सीमाएं है दक्षिण एशिया के मामलों में विदेशी शक्तियों का बढ़ता हस्तक्षेप हमें पसंद नहीं है। इसलिए मेरा बल देकर और विश्वास के साथ यह कहना है कि बातचीत और बचनबद्धता श्रेष्ठ भावी मार्ग है। पिछले एक दशक से पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का इतिहास ऐसा ही रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में लाहौर दौरे का राजनीतिक दृष्टि से साहसी निर्णय लिया। इसके बाद कारगिल और इंडियन एयरलाइन्स के विमान का कंधार में अपहरण हुआ। फिर भी उन्होंने जनरल मुशर्रफ को आगरा आने का निमंत्रण दिया और पुन: शांति बहाल करने का प्रयास किया। राष्ट्र ने 2001 में संसद पर हुए दुस्साहसी हमलों को देखा। तब हमारे संबंधों में एकदम कठिन पड़ाव आया। दोनों देशों के सशस्त्र बल पूर्णत: मुस्तैद रहे। परन्तु श्री वाजपेयी इससे प्रभावित नहीं हुए, जैसा कि एक राजनेता को होना भी नहीं चाहिए। वर्ष 2004 में वह इस्लामाबाद गए, जहां एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिससे आपसी संबंधों के लिए एक दृष्टिकोण तय हुआ। मैं सभा को याद कराना चाहता हूं कि विपक्षी दलों ने हिम्मतवाले उन कदमों का समर्थन किया। मैं श्री वाजपेयी के दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं और मैंने पाकिस्तान के साथ निपटने में उनकी कुंठा को भी महसूस किया है।

येक्तरिनबर्ग में राष्ट्रपति जरदारी और शर्म-अल-शेख में प्रधानमंत्री गिलानी के साथ हुई मेरी बैठकों में मैंने उन्हें अपनी चिन्ताओं और अपेक्षाओं को कड़े-से-कड़े शब्दों में समझाया। मैंने उन्हें हमारे लोगों पर लगातार हो रहे आतंकी हमलों के कारण भारत के लागों के गहरे आक्रोश और आघात के बारे में अवगत कराया। मैंने उन्हें यह बताया कि उन सभी उग्रवादी समूहों की गतिविधियों पर स्थाई तौर रोक लगाई ही जानी चाहिए जिनसे भारत को खतरा है। मैंने उन्हें विभिन्न आतंकी संगठनों के बीच कोई अंतर न करने का आग्रह किया। मैंने उन्हें बताया है कि यह कहना पर्याप्त नहीं है कि स्वयं पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है। उन्हें वैसी ही राजनीतिक इच्छाशक्ति दर्शाएं और उनकी पूर्वी सीमा पर चल रहे आतंकी समूहों के विरुद्ध उसी सख्ती और सततता से कार्यवाही करे, जैसी कि वे अपनी पश्चिमी सीमा पर समूहों के विरुद्ध कर रहे हैं।

राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री गिलानी दोनों ने मुझे यह आश्वस्त किया कि पाकिस्तान सरकार गंभीर है और मुम्बई नरसंहार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

श्री यंशवंत सिन्हा ने मुझसे पूछा कि पहले राष्ट्रपति जरदारी और बाद में प्रधानमंत्री गिलानी के साथ मेरी बैठक में क्या अंतर था। इसी बीच वह दस्तावेज आ गया, जिसमें वही प्रगति दिखाई गई थी जिसे मैं पहले ही इंगित कर चुका था। यद्यपि यह प्रगति पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने मुझसे पूछा: "क्या आप पाकिस्तान पर विश्वास करेंगे? मुझे दोनों पड़ोसियों के संबंधों के बारे में यह कहना है कि श्रेष्ठ दृष्टिकाण वही होगा जो पूर्व राष्ट्रपति रेगन ने एक बार कहा था विश्वास करें, परन्तु उसकी जांच पड़ताल कर ले।" यदि हम युद्ध न चाहते हों तो। हमारे पास आगे बढ़ने का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री गिलानी दोनों ने मुझे बताया कि मुंबई पर हमला करने वाले हमारे नियंत्रण में नहीं थे। मैंने कहा कि इससे हमें संतुष्टि नहीं होगी और यह सुनिश्चित करना उनकी सरकार का कर्तव्य था कि उनकी जमनी से ऐसी घटनाओं को अंजाम न दिया जाए। मैंने उन्हें बताया कि इस प्रकार का दूसरा हमला हमारे संबंधों को अत्यधिक तनावपूर्ण बना देगा और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उन्हें सभी संभव उपाय करने चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, शर्म-अल-शेख से लौटने के पश्चात् मैंने संसद में एक वक्तव्य दिया जिसमें न केवल प्रधानमंत्री गिलानी के साथ मेरी मुलाकात के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य को स्पष्ट और विस्तारपूर्वक बताया गया बल्कि जो हमने चर्चा की थी वह भी बताया गया।

मैं दोहराना चाहता हूं कि हाल ही में हमारी मुलाकात के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जान गए हैं कि हम एक सार्थक वार्ता तभी कर सकते है जब वे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी जमनी का किसी भी प्रकार से प्रयोग न होने देने की अपनी प्रतिबद्धता का अक्षरश: पालन

करेगें। यही संदेश तब दोहराया गया था जब विदेश मंत्रियों और विदेश सचिवों की मुलाकात हुई थी।

मैं उसी बात पर कायम हूं जो मैंने संसद में कही थी कि इस संबंध में हमारी दृष्टिकोण नहीं बदला है।

इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उस वक्तव्य में कहा गया है कि पाकिस्तान चाहे आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करे या न करे, हम सभी मुद्दों पर संयुक्त वार्ता करते रहेंगे। यह ठीक नहीं है। संयुक्त वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया गया है कि आतंकवाद पर कार्यवाही को वार्ता से नहीं जोड़ा जा सकता। पाकिस्तान भली भांति जानता है कि आतंकवाद एक घातक और वैश्विक खतरा होने के नाते, कोई भी सभ्य देश इसके खात्मे के लिए शर्ते नहीं थोप सकता है। यह एक नितांत और बाध्यकारी अनिवार्यता है जो समस्त वार्ता की पुन: शुरुआत पर निर्भर नहीं हो सकती है। संयुक्त वक्तव्य में ही दोनों पक्ष भावी आतंकवादी खतरों से संबंधित विश्वसनीय और कार्यवाही योग्य सूचना का तुरंत आदान-प्रदान करने के लिए सहमत हुए।

अध्यक्ष महोदया, जब मैंने प्रधानमंत्री गिलानी से पाकिस्तान से आतंकवाद के बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि काफी पाकिस्तानियों का सोचना है कि भारत ब्लूचिस्तान में दखलंदाजी कर रहा है, मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान में जो भी अस्थिरता पैदा कर रहा हो, उससे हमारा कोई हित नहीं है और न ही पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी कोई गलत मंशा है। हमारा विश्वास है कि एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध पाकिस्तान जो पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहे, वही भारत के हित में है।

मैंने उनको बताया और मैं यहां पुन: कह रहा हूं कि दोनों देशों की किसी भी चिंता पर चर्चा करने में हमें कोई डर नहीं है। यदि कोई शंकाएं हैं तो हम उस पर चर्चा करने और उसे दूर करने के लिए तैयार हैं। मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तानी नेताओं ने मुझे कई बार कहा है कि अफगानिस्तान स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पाकिस्तानी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। यह पूर्णत: गलत है। कंधार और जलालाबाद में 60 वर्ष से हमारे वाणिज्यिक दूतावास हैं। हमारे वाणिज्यिक दूतावास सामान्य कूटनीतिक कार्य करते हैं और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहायता कर रहे हैं जहां हम वृहत सहायता कार्यक्रम चला रहे हैं। जिससे अफगानिस्तान की आम जनता को लाभ हो रहा है। लेकिन हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री गिलानी को बताया कि हमारी नीति सर्वविदित है। यदि पाकिस्तान के पास कोई साक्ष्य है—और उन्होंने मुझे कोई साक्ष्य नहीं दिया है, कभी भी कोई डोजियर नहीं दिया गया—हम इसे देखना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि शांति के लिए प्रयास उतना पाकिस्तान के हित में है जितना हमारे हित में है। पाकिस्तान को अपने देश पर आतंकवाद को हावी होने से पहले ही इसे समाप्त कर देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वहां की वर्तमान सरकार इस बात को समझती है। संभव है कि यह बहुत मजबूत न हो लेकिन मुझे बताया गया कि मौजूदा नेतृत्व कार्यवाही की आवश्यकता को समझता है। प्रधानमंत्री गिलानी के साथ आए उनके सांसदों ने मुझे बताया कि अब पाकिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध राजनीतिक सहमति है। इससे कड़े निर्णय लेने में नेतृत्व के हाथ मजबूत होंगे जो उनके देश में आतंकवाद और उसके प्रायोजकों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा था, हमारा उद्देश्य पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति कायम करना है जहां हम एक साझे भविष्य और साझी समृद्धि से बंधे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि दोनों देशों में ज्यादातर लोग शांति चाहते हैं। दोनों देशों में अधिकांश लोग दोनों देशो के बीच मौजूद उन समस्याओं का सम्मानजनक हल चाहते हैं जो काफी लम्बे समय से चली आ रही हैं और हम अतीत के विद्वेष को समाप्त करना चाहते हैं। हमें यह पता है, लेकिन विगत में इस मार्ग में बाधाएं आई हैं। इसके परिणामस्वरूप, शांति के दुश्मनों को मौका मिला है। वे हमारे अलगाव को स्थाई और दो देशों के बीच अत्यधिक दूरी को पैदा करना चाहते है। अपने जनता के हित में और दक्षिण एशिया में समृद्धि और शांति के हित में हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करना हूं कि पाकिस्तान को आतंकवाद को हराने की शक्ति और हिम्मत मिले जो न केवल भारत पाकिस्तान के बीच शांति अपितु दक्षिण एशिया का भविष्य भी खराब करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यदि वे दृढ़ता और साहस दिखाते हैं तो हम उनसे आगे बढ़कर मिलेंगे।

क्षितिज पर कुछ अनिश्चितताएं है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा है, पड़ोसी के साथ व्यवहार-दो परमाणु शक्तियां-विगत में जो कुछ हुआ उसे भूलकर एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, अंधा विश्वास नहीं बल्कि विश्वास करो और परखो। वर्तमान में, हम किस पर सहमत हुए हैं? लोग कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रीय सहमति को तोड़ा है। मैं इस बात से इंकार करता हूं कि आतंकवाद को सहन न करने के लिए हमने किसी राष्ट्रीय सहमति को तोड़ा है और दोनों देशों के बीच सभी असहमतियों और चिंताओं पर व्यापक वार्ता तभी हो सकती है जब पाकिस्तान आतंकवाद पर प्रभावी कार्यवाही करें।

वर्तमान में हम केवल इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों देशों में विदेश सचिव बैठक करेंगे। दोनों विदेश सचिव संयुक्त वक्तव्य से पहले भी बैठक करते रहे हैं। इसके अलावा, हम इस

[डा. मनमोहन सिंह]

बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों विदेश मंत्री महासभा की बैठक के समय मुलाकात करेंगे। दोनों विदेश मंत्री संयुक्त वक्तव्य जारी होने से पहले भी मिलते रहे हैं। हाल ही में वे त्रिस्ते में मिले थे। मैं राष्ट्रपति जरदारी से रूस में मिला। मैं इस वक्तव्य से पहले भी प्रधानमंत्री गिलानी से मिला था। इस प्रकार, व्यवहारिक रूप से हम केवल इस बात पर सहमत हुए हैं कि जब भी आवश्यकता होगी, विदेश सचिवों की बैठक होगी और उसके बाद महासभा की बैठक के समय दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक होगी।

क्या इस संबंध में हमें अपना रुख त्यागना पेड़ेगा? क्या रुख में नर्मी लानी होगी? मेरा पूरा विश्वास है कि पड़ोसी के रूप में वार्ता के विकल्प खुले रखना हमारा दायित्व है, देखिए, आज विश्व में क्या हो रहा है।

अमरीका और ईरान पिछले 30 वर्षो से कट्टर दुश्मन थे। परंतु अब वे वार्ता के लिए बाध्य हैं। पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है और यदि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहते तो हैं तो धीरे-धीरे वार्ता जारी रखने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है यूं ही भरोसा न कर सच्चाई का पता लगा कर ही पाकिस्तान से वार्ता करना एकमात्र संभावित तरीका है।

महोदया अब मैं उन तीन अन्य मुद्दों पर आता हूं जिन्हें माननीय यशवंत सिन्हा जी ने उठाया है। एक मुद्दा निर्धारित उपयोग (एड यूज) हेतु निगरानी समझौते से संबंधित है जो हमने रक्षा खरीद के लिए अमरीका के साथ किया है। महोदया, हमारी सरकार सहित सभी सरकारें निर्यात किए गए रक्षा उपस्कर और प्रौद्योगिकियों का निर्धारित आयोग लिए जाने और उन्हें गलत हाथों में जाने से रोकने का विशेष ध्यान रखती है।

1990 के दशक के उत्तरार्द्ध से भारत सरकार और अमरीका सरकार ने अमरीकी उच्च प्रौद्योगिकी रक्षा उपस्कर और आपूर्तियों के अयात हेतु निर्धारित उपयोग संबंधी निगरानी समझौता किया है। इन समझौतों पर उत्तरोत्तर भारत सरकारों द्वारा प्रत्येक मामले में इस समझौते से पूर्व इस पर विचार-विमर्श किया गया था सरकार ने केवल उन उपायों को ही स्वीकार किया है जो पूर्णत: हमारी संप्रभुता और सम्मान के अनुरूप हैं।

अब हमने अमरीका के साथ व्यपाक समझौता किया है जो कि भविष्य की ऐसी आपूर्तियों पर लागू होगा जिन्हें भारत चुनता है। व्यापक समझौता करके हमने पूर्वानुमान की प्रणाली लागू की है अन्यथा हमें हरेक मामले में तदर्थ आधार पर ऐसा समझौता करना पड़ता।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें अपने रक्षा बलों के आधुनिकीकरण हेतु विश्व में उपलब्ध सभी प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमारे देश के लिए खतरा बढ़ रहा है और हमें इन खतरों से निपटने के लिए सक्षम होना चाहिए तथा हमें उनसे आगे होना चाहिए। हमारी सेनाएं विश्व में कहीं भी उपलब्ध सर्वोत्तम उपस्कर प्राप्त करने की हकदार हैं। इसलिए रक्षा उपकरणों के हमारे आयात के स्रोतों की अधिकतम संभावित विविधिकरण करना भी हमारे हित में है।

महोदया मैं आपको आश्वासन देता हूं और आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने सभी पूर्वोपाय किए हैं। समझौते में ऐसी कोई भी शर्त नहीं है जिससे भारत की संप्रभुता से समझौता होता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है-मैं दोहराता हूं कि निरीक्षण और संबंधित मामलों के बारे में अमरीका द्वारा किसी एकतरफा कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के पास संयुक्त परामर्श, द्वारा सत्यापन प्रक्रिया सहित संयुक्त रूप से निर्णय लेने का संप्रभु अधिकार है। कोई भी सत्यापन अनुरोध किए जाने के बाद होगा; सत्यापन तभी होगा जब दोनों देश तिथि और स्थान के संबंध में सहमत हों। किसी सैन्य स्थल अथवा संवदेनशील क्षेत्रों के तटस्थानिक निरीक्षण अथवा उनमें जाने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। निर्धारित उपयोग संबंधी निगरानी व्यवस्था की यही स्थिति है।

अध्यक्ष महोदया, श्री यशवंत सिन्हा ने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा इस तरह उठाया है जैसे कि मानों हमने अपना रवैया बदल लिया है ऐसा कुछ नहीं है। इटली में विश्व की आठ बड़ी अर्थव्यवस्था की जी-8 देशों के साथ बैठक हुई थी। भारत को इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। 17 अन्य देश उपस्थित थे। तथापि मुझे यह उल्लेख करना चाहिए। कि ला-अकिला में स्वीकृत पमुख आर्थिक मंच घोषणा पत्र भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन नीति की घोषणा नहीं है और न ही यह भारत और अन्य देश के बीच द्विपक्षी या देशों के बीच घोषणा पत्र है। यह एक ऐसा घोषणा पत्र है जो 17 विकसित और विकासशील देशों के साझा दृष्टिकोण की दर्शाता है। चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया और मेक्सिको विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे घोषणा-पत्र इसलिए आवश्यक रूप से सामान्यत: विविध देशों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों और स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है ।

कुछ हलकों में यह तर्क दिया जा रहा है कि घोषणा पत्र में वैज्ञानिक इस मत का उल्लेख किया जाना कि वैश्विक तापमान दो डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, यह जलवायु परिवर्तन के विषय में भारत की स्थित में महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है और यह हमें उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्यों को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सकता है। यह दृष्टिकोण घोषणा-पत्र विषय वस्तु एकपक्षीय और भ्रामक व्याख्या है।

भारत का विचार है, जिसे निरंतर विश्व के सभी मंचों में व्यक्त किया गया है कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। ऐसा वर्तमान में हो रहा है तथा इसके प्रतिकूल परिणाम भारत जैसे विकासशील देशों पर सर्वाधिक पड़ेंगे। दो डिग्री सेंटीग्रेड की न्यूनतम वृद्धि का उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा वैज्ञानिक राय को प्रतिबिंबत करता है जो वैश्विक तापमान में वृद्धि के खतरों के बारे में भारत की राय पुष्टि करता है। यह सच है कि भारत ने पहली बार किसी दस्तावेज में दो डिग्री सेंटीग्रेड के संदर्भ को संभावित शुरुआती मार्गदर्शक कार्रवाई के रूप में स्वीकार किया है परन्तु यह वैश्विक तापमान में वृद्धि संबंधी हमारी उक्त स्थिति के पूर्णत: अनुरूप है।

वैश्विक तापमान में वृद्धि की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित करने मात्र से आर्थिक मंच में प्रतिनिधित्व करने वाले भारत और अन्य विकासशील देशों के उत्सर्जन में कमी लाने वाले दायित्व स्वत: अनिवार्य नहीं बन जाते हैं। इस मामले में मुझे यह उल्लेख करना कि हमारी और चीन की स्थिति लगभग एक जैसी है और हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उस देश के साथ अपनी स्थिति का समतल करते रहे हैं।

इसके बिल्कुल विपरीत वैश्विक तापमान में वृद्धि का जितना अधिक खतरा होगा विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन कमी संबंधी लक्ष्यों को बढ़ाने की उतनी ही अधिक जिम्मेदारी होगी। इसलिए, भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया सहित 37 विकासशील देशों ने बहुपक्षीय वार्ताओं में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें विकसित देशों से 1990 को आधार मानते हुए वर्ष 2020 तक कम से कम 40 प्रतिशत के कमी लाने वाले लक्ष्यों को स्वीकार करने के लिए कहा गया है।

महोदया, प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच घोषणा पत्र जलवायु परिवर्तन संबंधी युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कनवेंशन विशेष रूप से समता कि सिद्धांत और साझा परंतु भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्वों का संबंधित क्षमताओं से जुड़े। सिद्धान्तों और प्रावधानों को दोहराता है।

जैसा कि हम भली भांति परिचित है, जलवायु परिवर्तन संबंधी युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कनवेशंन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य केवल विकसित देशों पर लागू होते हैं। विकासशील देश सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके द्वारा किसी भी कमी संबंधी बढ़ती हुई पूरी लागत की पूर्ण क्षतिपूर्ति विकसित देशों द्वारा वित्तीय और प्रौद्योगिकीय संसाधनों के अंतरण द्वारा करनी ही होगी। इसे प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच घोषणा पत्र में पूर्णत: प्रतिबिंबित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अन्य विकासशील देशों के समर्थन से भारत द्वारा जोर दिए जाने पर घोषणा पत्र, में यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति सम्मिलित है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई करने में विकासशील देशों की सर्वोच्च प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। इससे यह संदेह दूर हो जाना चाहिए कि भारत ऐसी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए दबाव में होगा जो आर्थिक विकास प्रक्रिया की धीमा कर सकती है।

महोदया, संवर्द्धन और पुन: प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों पर जी-8 के निर्णय के संबंध में कुछ सदस्यों ने जुलाई में ला-अकिला शिखर सम्मेलन में अप्रसार के बारे में जी-8 देशों द्वारा जारी किए गए वक्तव्य तथा संर्वद्धन तथा प्रसंस्करण मदों और प्रौद्योगिकियों के अंतरण के बारे में दिए गए संदर्भ के मुद्‌दे को उठाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह चिंता व्यक्त की गई है। कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों अर्थात भारत जैसे देशों को संवर्द्धन और पुन: मदों प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी अंतरण रोकने के लिए कतिपय देशों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय असैनिक परमाुण सहयोग प्राप्त करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। गत वर्ष सितम्बर में इस उद्‌देश्य के अनुरूप भारत में परमाणु आपूर्तिकता समूह (एन.एस.जी.) से बिना शर्त पूर्ण मैं दोहराता हूं कि बिना शर्त पूर्ण छूट प्राप्त की जो कि भारत के लिए ही थी। उस समय भी कुछ शर्त थोपने के प्रयास किए गए परंतु हमें बिना शर्त पूर्ण छूट प्राप्त हुई जिसका अर्थ है कि 45 देशों वाले परमाणु आपूतिकर्ता समूह अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सभी प्रौद्योगिकियों के अंतरण हेतु सहमत हो गए हैं।

दिनांक 6 सितम्बर 2008 को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा स्वीकृत, भारत के साथ असैनिक परमाणु सहयोग वक्तव्य में अंतर्राष्ट्रीय असैनिक परमाणु सहयोग प्राप्त करने के बदले में भारत की पारस्परिक वचनबद्धताएं और कार्रवाई सम्मिलित है। हमें आशा है कि संवर्द्धन और प्रसंस्करण मदों तथा प्रौद्योगिकी अंतरण से संबंधित परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का कोई भी भावी निर्णय एन एस जी द्वारा भारत को प्रदान किए गए विशेष दर्जे को ध्यान में रखेगा। एन एस जी ने अच्छी तरह यह जानते हुए हमें बिना शर्त पूरी छूट दी है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

ऐसे अंतरण पर एन एस जी द्वारा प्रतिबंध के लिए सभी 46 देशों में सहमति की आवश्यकता होगी।

एन एस जी द्वारा भारत को दी गई छूट परामर्श की व्यवस्था करता है और इस तरह हम निकाय के साथ कार्य रहेंगे ताकि वैश्विक नाभिकीय समुदाय द्वारा भारत को प्रदान विशेष दर्जे को ध्यान में रख कर कोई भी निर्णय लिया जाए।

जहां तक जी-8 का संबंध है, तथ्य यह है कि जी-8 समूह के साथ स्वत: हमारा कोई सिविल नाभिकीय सहयोग समझौता नहीं

[डॉ. मनमोहन सिंह]

हुआ है। यद्यपि हमने फ्रांस, रूप और अमरीका के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं।

मैंने यह पहले भी कहा था और मैं इसे दोहरा रहा हूं। जब मैंने जी-8 वक्तव्य पढ़ा मैंने इस मामले को फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उठाया था। उन्होंने मुझे उदारतापूर्वक बताया कि जहां तक फ्रांस का संबंध है इन प्रौद्योगिकियों के अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वस्तुत: उन्होंने स्वयं कहा। उन्होंने कहा "यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे सार्वजनिक करूं तो मैं ऐसा करने के लिए भी तैयार हूं।" इस क्षेत्र में जहां तक मेरी समझ है नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में ऐसी कोई सहमति नहीं है कि भारत को इस प्रौद्योगिकी के पुन: संसाधन और संवर्धन से रोका जाए।

महोदया, चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने संवर्धन और पुन: संसाधन मदों प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु पूर्व शर्तों को स्वीकार करने संबंधी मुद्दे को उठाया है। मैं, एक बार पुन: श्री यशवंत सिन्हा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लंबित वैश्विक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के कारण भारत के गैर-नाभिकीय शस्त्र राष्ट्र के रूप में परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि संवर्धन और पुन: संसाधन मदों और प्रौद्योगिकी के अंतरण का भारत में विदेश से आए प्रयुक्त ईंधन के पुन: संसाधन के और ऐसे ईंधन का हमारी अपनी सुरक्षा सुविधाओं के लिए प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

महोदया, अंतत: मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि भारत को संपूर्ण नाभिकीय ईंधन चक्र की पूर्ण विशेषज्ञता हासिल है, और इसमें संवर्धन और पुन: संसाधन प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। हमारे पास अपनी मजबूत ई एण्ड आर अवसंरचना है। हमारा घरेलू तीन चरणीय नाभिकीय उर्जा कार्यक्रम पूर्णत: स्वदेशी और आत्मनिर्भर है। हमारा स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम और संबद्ध प्रौद्योगिकी हमें उन कुछ गिने चुने देशों में शामिल करती है, जिनके पास आधुनिकतम प्रौद्योगिकियां है। संवर्धन और पुन: संसाधन मदों और प्रौद्योगिकी का भारत के लिए अंतरण पूर्ण अंतरराष्ट्रीय सिविल नाभिकीय सहयोग का भाग है, जो हमारे तीन चरणीय कार्यक्रम में गति लाने में सहायक होगा।

महोदया, मेरा मानना है कि मैंने सभी मुख्य मुद्दों का सही उत्तर दिया है। माननीय विदेश मंत्री वाद-विवाद समाप्त करेंगे। वे अन्य पहलुओं पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): माननीय प्रधानमंत्री जी, आने बहुत विस्तृत जवाब दिया, लेकिन आपकी बात में से दो प्रश्न क्लाइमेट चेंज और ईएनआर पर निकलते हैं। आपने बोला है, इसलिए मैं कह रही हूं कि आप जवाब देकर चले जाइयें, मैं अपनी बात पांच मिनट में कह दूंगी। क्लामेंट चेंज पर आने कॉमन बट डिफरेनशिएटेड रिस्पोन्सिबिलिटी की बात की। यह वही सिद्धांत है कि जो जितना बिगाड़े, वह उतना सुधारे। वह अपनी जिम्मेदारी दूसरे देशों पर न डाले। कॉमन बट डिफरेनशिएटेड रिस्पोन्सिबिलिटी का सिद्धांत रियो-डी-जेनेरियो में भी आया, जब यूएन फ्रेमवर्क कंवेशन आई और उसके बाद क्योटो-प्रोटोकॉल में भी आया। क्योटो-प्रोटोकॉल को आज तक अमरीका ने रेक्टीफाई नहीं किया। लेकिन आपने अभी कहा कि वहां मल्टीलेटरल नेगोशिएशन्स में ब्राजील, साउथ-अफ्रीका-मैक्सिको सब आपके साथ आ रहे थे। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि अब मल्टीलेटरल नेगोशिएशन्स में बाकी देशों का साथ हमें मिल रहा था तो भारत ने हेलरी क्लिंटन के आने के समय बाईलेटरल नेगोशिएशन्स में अपने आपको एंगेज क्यों किया? बाइलेटरल नेगोशिएशन्स में अमरीका का चीफ नेगोशिएटर टॉड स्टर्न जब यहां आया तो भारत के पर्यावरण राज्य मंत्री ने यह कहा कि हम इन शर्तों को नहीं मानते, तो उसने उनकी बात कहने से, इस बात को मानने से इंकार कर दिया कि भारत तो वहां मान चुका। जी-17 के देशों में भारत मान चुका तो आपकी बात मैं यहां स्वीकार नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कॉमन बट डिफरेनशिएटेड रिस्पोन्सिबिलिटी के तहत जो मल्टीलेटरल नेगोशिएशन्स चल रही थीं, उनसे अलग एक इतने बड़े विकसित देश के साथ, भारत जैसे विकासशील देश ने अलग से नेगोशिएशन्स करने की बात क्यों की? महोदया, मैंने कहा था कि मेरे दो प्रश्न हैं। पहला-क्लाइमेंट चेंज के बारे में और दूसरा-ईएनआर के बारे में। क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने कह दिया है। मेरा दूसरा सवाल ईएनआर के बारे में है, जिसके बारे में यशवंत सिन्हा जी ने थोड़ा सा जिक्र किया था कि भारत अमरीका परमाणु समझौते के तहत एक स्टेट आफ दि आर्ट रिप्रोसेसिंग फेसिलिटी इस्टेब्लिश करने की बात यहां की है। जब जी-8 ने आप पर बैन लगा दिया, तो एक पुर्जा भी आपकों यहां से मिलने वाला नहीं है। फ्यूल का सवाल नहीं है, सवाल टेक्नोलोजी ट्रांसफर का है। जब एक भी पुर्जा आपको उसके लिए मिलने वाला नहीं है, तो क्या बहुत बड़ा बोझ भारत ने अपने ऊपर नहीं ले लिया है? मैं ये दो सवाल पूछना चाहती हूं।

[अनुवाद]

डॉ. मनमोहन सिंह: महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कंवेन्शन की रूपरेखा के बाहर कोई भी द्विपक्षी बातचीत नहीं हुई है। चर्चाए हुई हैं, जब हम द्विपक्षीय बैठकें करते हैं तो विभिन्न विषयों पर चर्चाए होती हैं। परन्तु ये बातचीत नहीं है। यह वार्ता मंच फ्रेमवर्क कंवेन्शन, कोपनहोगन प्रक्रिया का भाग है और रहेगा। इसे देखने का यही सही तरीका है। हम जी-8 में

जो भी चर्चा करते हैं, यह सब सहमति बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों को खोजने के लिए निर्मित किया गया है। ये बातचीत मंच तो बिल्कुल नहीं है।

अब ई एण्ड आर सुविधाओं के संबंध में 123 समझौता समर्पित पुन: संसाधन सुविधा की व्यवस्था करता है। इसके लिए बातचीत पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए एक समय-सीमा थी जिसके अंदर ये बातचीत पूरी की जानी थी। वे सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि पुन: संसाधन सुविधा में किसी तरह की परेशानी आएगी। सबसे पहले यह निश्चित नहीं है कि 45 सदस्यीय नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह जी-8 के निर्णय का समर्थन करेंगे या नहीं। विगत में भी ऐसे प्रयास किए गए थे। परन्तु मेरा मानना है कि भारत जैसे देश में अनेक लोगों का ऐसा विश्वास है कि भारत को अलग नजर से देखा जाना चाहिए और यही वह मजबूत आधार है जिसने आम सहमति नहीं बनने दी जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, हमारी विदेश नीति के स्तंभ जिनका श्री यशवंत सिन्हा द्वारा उल्लेख किया गया था मैं तभी से दरारे आने शुरू हो गई थी जब बीजेपी सत्ता में थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया हमने देखा है कि कैबिनेट स्तर का मंत्री अमरीका के जूनियर मंत्री श्री स्ट्रोब टलबोट से एक दिन लंदन में, दूसरे दिन वाशिंगटन, न्यूयार्क और फिर किसी अन्य स्थान पर गुप्त रूप से मिले थे। हमने अपनी विदेश नीति सी टी बी टी और एन पी टी हस्ताक्षर के संबंध में भी सहमति देखी है।

हमारी विदेश नीति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, हमने देखा है कि जब अमरीका द्वारा ईराक पर हमला किया गया था, तत्कालीन सरकार ने ईराक पर हुए निर्दयतापूर्ण हमले की निन्दा नहीं की थी।

हमें तीन दिनों तक दोनों सभाओं की कार्यवाहियों को रोकना पड़ा था। आप उस समय राज्य सभा में थे। हमें सभा की कार्यवाही को तीन दिनों तक रोकना बाधित करना पड़ा था, सभा को तीन या चार दिनों तक रोकना पड़ा था और फिर सरकार ने एक नरम संकल्प पर सहमति जताई अर्थात "निन्दा" करने के स्थान पर 'अफसोस जताया। हमें इसकी आशंका थी। इसलिए यूपडी-I के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में विदेश नीति संबंधी पैराग्राफ में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति होगी और अमरीका के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, परन्तु यह रणनीतिक संबंध नहीं होंगे।

माननीय प्रधानमंत्री ने इटली और मिस्र से वापस लौटने पर सभा में वक्तव्य दिया उसी दिन जिस दिन वे इटली और मिस्र से वापस लौटे थे, जहां उन्होंने आखिर में एक पैराग्राफ कहा था और मैं उसे यहां उद्धृत कर रहा हूं:

"भारत पाकिस्तान के साथ सहयोगात्मक संबंध चाहता है और समझौता ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा शांति और सौहार्द के साथ स्थिर और समृद्ध दक्षिण एशिया का सपना पूरा किया जा सकता है।"

मैं इस तर्क से सहमत हूं। परन्तु पूर्ववर्ती पैराग्राफ में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा:

> "पाकिस्तान के साथ किसी सार्थक वार्ता का प्रारंभ उनके द्वारा उनकी प्रतिबद्धता के अक्षरक्ष: अनुपालन से ही हो सकता है, जिसमें उनके देश का इस्तेमाल किसी भी रूप में भारत के विरुद्ध आतंकी कार्यकलापों के लिए न करने दिया जाए।
>
> इसके बाद उन्होंने कहा:
>
> "आतंकवाद पर कार्यवाही को संयुक्त वार्ता से नहीं जोड़ा जा सकता और इसलिए अन्य घटनाओं की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों देश किसी भी भावी आंतकी हमले पर समुचित समय, विश्वसनीय और कार्ययोज्य सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।"

यह वक्तव्य ही विरोधाभासी है। हम इस बात से भी सहमत हैं कि वार्ता की आवश्यकता है क्योंकि अनेक लंबित मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना है। परन्तु आतंकियों के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और पाकिस्तान पर आंतकियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए। पिछले वर्ष 26 नवम्बर को हुए अपराध से जुड़े लोगों को दंड मिलना चाहिए। परन्तु कैसे?

जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी सार्थक वार्ता का प्रारंभ उनके द्वारा उनकी प्रतिबद्धता के अक्षरक्ष: अनुपालन से ही हो सकता है, जिसमें उनके देश का इस्तेमाल किसी भी रूप में भारत के विरूद्ध आतंकी कार्यकलापों के लिए न करने दिया जाए, और फिर आतंकियों के विरूद्ध कार्यवाही को अलग करना, आंतकवाद पर कार्यवाही को संयुक्त वार्ता से न जोड़ना, आपस में विरोधाभासी हैं।

यह अमरीका के दबाव के तहत किया गया है। इस संयुक्त वक्तव्य में बलूचिस्तान को भी इस समझौते में शामिल किया गया है। यह भी अमरीका के दबाव में किया गया है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

महोदया, प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि इस मुद्दे को सभा में उठाया गया था।

जब लोक सभा और राज्य सभा में हमने भारत-अमरीका नाभिकीय समझौते पर चर्चा की थी, हमने अनेक बार अपनी आशंका व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री ने अनेक बार कहा था और आज भी कहा था, कि यह नाभिकीय मुख्यधारा और तकनीकी अस्वीकृति काल से भारत के दशकों के पृथक्करण के अंत को इंगित करता है। उन्होंने इस सभा में भी यह कहा था, परन्तु हमने अनेक बार इंगित किया था कि छूट पूर्ण छूट नहीं है। यह केवल जी-8 बैठक में ही नहीं परन्तु इससे पूर्व भी बताया गया है कि जिस छूट का हमारी सरकार दावा करती है वह पूर्ण छूट नहीं है क्योंकि हम हाइड एक्ट और 123 समझौते को अलग नहीं कर सकते। आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तब उन्होंने संदेह व्यक्त किया था कि पता नहीं सभी 45 'एन एस जी' देश उस प्रस्ताव से सहमत होंगे अथवा नहीं। यदि स्थिति यह थी तो जो आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि ई एन आर प्रौद्योगिकी का आयात करने के संबंध में कोई शर्त है तो यह मुद्दा जी-8 बैठक में कैसे उठाया गया? यदि संयुक्त राज्य अमरीका ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है कि परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी हमारे देश को संवर्धन प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं होगी तो यह मुद्दा जी-8 में कैसे उठाया गया? न केवल संयुक्त राज्य अमरीका ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि यद्यपि समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, यह केवल रिएक्टर और नाभिकीय ईंधन तक सीमित नहीं होगा बल्कि संयुक्त राज्य अमरीका अन्य सभी 'एन एस जी' देशों से हमारे देश को यह प्रौद्योगिकी न देने के लिए कहेगा। अत: हमारे देश को कोई संवर्धन प्रौद्योगिकी नहीं मिलेगी।

नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का क्या होगा? हम तीसरे चरण–यूरेनियम से प्लूटोनियम और उससे थोरियम तक पहुंचना चाहते हैं। नाभिकीय ईंधन की आपूर्ति के लिए हमारे देश को अन्य देशों पर निर्भर रखने के पीछे संयुक्त राज्य अमरीका की क्या मंशा है?

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, यह चर्चा कल जारी रहेगी।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब शून्य काल में अविलंबनीय लोक महत्व के मामले लिए जाएंगे। श्री आर. के. सिंह पटेल।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): अध्यक्ष महोदया, क्या मैं एक बात कह सकता हूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया व्यवधान न डालें। यह शून्य काल है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री पटेल आप बोलना आरंभ क्यों नहीं करते?

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, क्या मैं एक बात कह सकता हूं? इस चर्चा को आगे जारी रखना...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। देश में वर्ष 2001-2002 की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का सर्वे हुआ था और गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले तमाम लेगों के बीपीएल कार्डस बनाये गये थे। आज देश में बीपीएल परिवारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसलिए नये सिरे से बीपीएल परिवारों का सर्वे तथा बीपीएल कार्डों का सत्यापन कराकर नये बीपीएल कार्ड्स दिया जाना जरूरी है। क्योंकि बीपीएल कार्डधारकों को केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारों की तमाम सुविधाओं का लाभ दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदया: आपकी बात आ गई है, अब आप समाप्त करिये।

श्री आर.के. सिंह पटेल: इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बांदा और चित्रकूट जिलों में बीपीएल परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा है और 2001 की जनगणना के अनुसार उनको कार्ड नहीं दिये हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि नये मानक के अनुसार नये सिरे से उन्हें बीपीएल कार्ड्स जारी किये जाएं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): महोदया, यह पश्चिम बंगाल स्थित माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन' नामक एक सरकारी उपक्रम के बारे में है, जिसके लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर भरसक प्रयास कर रही है और भारी उद्योग विभाग के साथ चर्चा हो चुकी है। एक वर्ष पूर्व इस बंद पड़े सरकारी उपक्रम को पुन: चालू करने के लिए कोल इंडिया, दामोदर घाटी निगम और अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बीच चर्चा हुई थी। इस सरकारी उपक्रम ने 1970 से खनन गतिविधियों के लिए वास्तव में बहुत सेवा प्रदान की है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) ने 50:50 अंशधारिता से एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एन बी पी पी एल) के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी आरंभ की है।

महोदया मेरा केन्द्र सरकार से यह निवेदन है। इस संयुक्त उद्यम समझौते पर जनवरी में हस्ताक्षर किये गए थे और विद्युत संयंत्र उपस्कर विनिर्माण के लिए यह कंपनी अप्रैल 2008 में पंजीकृत की गई थी।...*(व्यवधान)* इस प्रकार की 'ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए सरकारी क्षेत्र का उपक्रम खोलने हेतु माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन की समस्त संपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया समाप्त कीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बंस गोपाल चौधरी: मै चाहता हूं कि भारी उद्योग विभाग इस प्रकार के नए उद्योगों के लिए पहल करे।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदया आपका धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान सुपारी के मूल्यों में आई अत्यधिक गिरावट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इससे केवल केरल के बल्कि कर्नाटक, गोवा और हमारे देश के अन्य भागों के किसान भी प्रभावित हुए हैं। लगभग 3 लाख सुपारी उत्पादक और इस पर लगभग 15 लाख लोग आश्रित हैं। लगभग 4 वर्ष पूर्व एक किलोग्राम सुपारी का मूल्य 160 रुपया था। अब, घटकर 40 रुपए अथवा 50 रुपया रह गया है। किसानों के लिए अपनी सुपारी बेचना भी संभव नहीं है क्योंकि कोई इसे खरीदने के तैयार नहीं है। यह विशेषत: अप्रतिबंधित आयात के कारण है, जिसकी सरकार ने अनुमति दे दी है। अत: सुपारी उत्पादकों का अनुरोध उन्हें एक विशेष पैकेज देने का है और वे चाहते हैं कि सरकार इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कुछ कदम उठाए। अन्यथा इन किसानों के लिए उस द्वारा लिया गया ऋण चुकाना भी अत्यंत मुश्किल हो जाएगा और हमें पुन: आत्महत्या की घटनाएं सुनाई देंगी।

डॉ. जी. विवेकानन्द (पेड्डापल्ली): यह कृष्णा-गोदावरी बेसिन में उत्पादित की जा रही गैस के संबंध में है। रिलायंस ने पहले ही उत्पादन आरंभ कर दिया है। इस समय वह कम्पनी 40 मिलियन घन मीटर उत्पादन कर रही है और इसके प्रतिदिन 80 मिलियन घनमीटर तक पहुचने की उम्मीद है। जैसा कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में पहले ही यह कहा है कि गैस एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति है और आंध्र प्रदेश में इस गैस पर आधारित अनेक विद्युत संयंत्र, उर्वरक संयंत्र और अन्य अनेक इकाइयां स्थापित हो गई है। हमारा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार रिलायंस को पहले आंध्र प्रदेश को गैस की आपूर्ति करने का निर्देश दे क्योंकि इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश में हो रहा है।

महोदया आंध्र प्रदेश पहले ही किसानों को नि:शुल्क बिजली देने की योजना कार्यान्वित कर रहा है। अत: गैस से बिजली उत्पादन करना आंध्र प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा, रामगुंडम ताप विद्युत स्टेशन के लिए गैस की आवश्यकता है। यह एक ऐसा सरकारी उपक्रम है जो बंद पड़ा है और इसे कृष्णा-गोदावरी बेसिन से गैस की आवश्यकता है। मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री से देश के अन्य भागों को आपूर्ति करने से पूर्व आंध्र प्रदेश की इकाईयों को प्रतिदिन 20 मिलियन घन मीटर आबंटित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां एक और सरकार देश की जनता पर अरबों रुपया खर्च कर रही है, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर, वहीं दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अमानवीयता की हद तक जा रहे हैं। दूध जैसी वस्तु जिसे हम पौष्टिक मानते हैं, वहां दूध भी नकली बन रहा है। इसको बनाने में यूरिया और अन्य कैमिकल्स का उपयोग हो रहा है। जो दूध नकली नहीं है, वह भी जनता की नजरों में और बच्चों के लिए जहर साबित हो रहा है। क्योंकि आक्सीटोसिन नाम के इंजैक्शन का उपयोग जानवरों के लिये किया जा रहा हैं, तब उनका दूध निकाला जाता है। यह एक ऐसा हॉरमोन है जिसका अधिक उपयोग मस्तिष्क की ग्रंन्थियों पर विपरीत और हानिकारक असर डालता है। घी बनाने में भी हड्डियों का चूरा और जानवरों की खाल और उसके मांस में से चर्बी निकालकर उसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार फल और सब्जियां भी सुरक्षित नहीं हैं। सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह संक्षेप में बताइये।

श्री राकेश सिंह: अध्यक्ष महोदया, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं यह विषय पिछले 15 दिनों से उठाना चाह रहा था। सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिये विभिन्न तरह के इंजैक्शनों का उपयोग हो रहा है। फलों को पकाने और अधिक समय तक बाजार में रखने के लिये अलग-अलग तरह के रसायनों का उपयोग हो रहा है। खोया भी नकली आ रहा है। सब से बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि सिर्फ मुझे नहीं मालूम बल्कि अलग-अलग समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न इलैक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से पूरे देश की जनता ने इसे अनेकों बार देखा है। इसके बाद भी केन्द्र की सरकार मौन क्यों है? आखिर तब तक इस महत्वपूर्ण विषय को हम राज्यों पर छोड़ते रहेंगे?

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में कोई कड़ा कानून बनायें और विशेष रूप से दूधा जैसी वस्तु को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करें ताकि उसके मूल्य पर भी नियंत्रण हो सके और उसकी गुणवत्ता पर भी हम ध्यान दे सकें।

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): अध्यक्ष महोदया, बिहार बिजली का जो संकट है, मैं उसकी ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झारखण्ड राज्य बनने के बाद सारी विद्युत उत्पादन क्षमता झारखंड के पास चली गई जबकि बिहार की आबादी 70 प्रतिशत रही। बरौनी और मुजफ्फरपुर मुख्य ताप बिजली घर बिहार में रह गये जिनमें नगण्य बिजली पैदा होती है। इसे राष्ट्रीय सम्पदा मानना चाहिये। जिन राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम बिजली है, केन्द्र से कम से कम राष्ट्रीय औसत के आधार पर बिजली उपलब्ध करायी जानी चाहिये जब तक उनके यहां उत्पादन क्षमता पैदा नहीं हो जाती। बिहार सरकार ने नयी विद्युत परियोजाएं स्थापित करने के लिये चार साल पहले कोल लिंकेज और प्रोसेंसिग के लिये पैसा जमा कर दिया है। भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बरौनी और मुजफ्फरपुर थर्मल पॉवर स्टेशन के विस्तार की लम्बी अवधि के कोल लिंकेज को दूर करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। बिहार की हालत यह है। कि वहां 2500 मेगावाट बिजली की जरूरत है। महोदया, हमारा 1500 मेगावाट का कोटा निर्धारित है, भीषण सूखे का संकट है और हमें 800-900 मेगावाट बिजली मिल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अविलंब बिहार को पर्याप्त बिजली देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री ओ.एस. माणियन (मईलादुतुरई): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान चेन्ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे पर एक सहायता पटल स्थापित करने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रतिदिन सैकड़ों पुरुष और महिलाएं रोजगार के लिए खाड़ी और अन्य देशों में जाते हैं। उनमें से अधिकतर केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होते हैं। उन्हें केवल तमिल भाषा ज्ञान होता है। लेकिन उन्हें अंग्रेजी भाषा में मुद्रित आप्रवास प्रपत्र भरने के लिए कहा जाता है। इससे यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई होती है। और उन्हें आसपास मौजूद लोग की सहायता लेनी पड़ती है। यह बताया गया है कि कुछ लोगों प्रपत्र भरने के लिए उनसे 500 रुपए वसूल करते हैं। विदेश से चैन्ने आने वाले लोगों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इन यात्रियों की सहायता के लिए हवाई अड्डे के आप्रवास खंड में तमिल और अंग्रेजी जानने वाले अधिकारियों सहित एक सहायता पटल स्थापित किया जाना चाहिए। मैं सरकार से इन यात्रियों के लिए तमिल भाषा में मुद्रित आप्रवास प्रपत्र उपलब्ध कराने का भी अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं उसके आसपास करीब 11 मरूस्थलीय जिले हैं और वहां पर नील गाय और हिरण हैं। हालांकि हम उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन किसान यह सोचने लग गये हैं कि हम बच्चों को पालें या इन्हें पालें। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत मुश्किल से फसल होती है और कभी उसे हिरण खा जाते हैं, कभी नील गाय खा जाती है। मैं भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां पर भी 10 या 15 किलोमीटर के बीच में कोई गवर्नमेंट लैंड एवलेबल हैं, उनमें पॉकेट बनाकर हिरणों की रक्षा के लिए कोई स्कीम बनायें ताकि कंटीले तार या चारदीवारी बनाकर उनकी रक्षा कर सकें। नील गायों के लिए भी चारदीवारी बनाकर घास उगा दें ताकि वे उसे खा सकें। इससे किसानों के बच्चे भी पल सकेंगे और किसान देश में अन्न का उत्पादन भी कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदया: केन्द्र सरकार से आप क्या चाहते हैं?

श्री अुर्जन राम मेघवाल: मैं केन्द्र सरकार से चाहता हूं कि इसके लिए कोई स्कीम बनायें ताकि किसानों की फसलों की रक्षा हो सके और हिरण और नील गाय की भी रक्षा हो सके।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, मैं भूतल परिवहन मंत्रालय का ध्यान बिहार के एनएच की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आप भी इधर-उधर जाते होंगे, जब हम बिहार

में जाते हैं, तो देखते हैं कि जितने एनएच हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है। उसमें गड्ढ़े हैं, कहां गड्ढ़ा है, कहां सड़क है सड़क में गड्ढ़ा है या गड्ढ़ा में सड़क है, कुछ पता नहीं चलता है। सड़क में इतने गड्ढ़े है कि उसमें धान की खेती कर लों, पानी लगा है, ऐसी बदतर हालत है। अन्य राज्यों में जैसे फोर लेन और सिक्स लेन कार्यवाही चल रही है वैसी बिहार में क्यों नहीं करायी जाती? भूतल परिवहन मंत्रालय, एनएच और एनएचआई, सभी बिहार की तरफ से उदासीन हैं। हम लोगों की कमर टूट रही है, हड्डी टूट रही है। क्या केंद्र सरकार को वहां कम सीटें मिली हैं, इसका बदला हमसे क्यों चुकाया जा रहा है, वह क्यों हमारी कमर तुड़वा रही है?

अध्यक्ष महोदया: केंद्र सरकार से आप क्या चाहते हैं, वह संक्षेप में बताइए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: इस ओर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिए। सीवान को छोड़कर बिहार के सभी जिले, 200 पिछड़े जिलों की सूची में शामिल है। उस ओर विशेष ध्यान देकर उन सड़कों की तत्काल मरम्मत करायी जाए और चार-लेन और सिक्स-लेन सड़कों को बनाकर हमें भी अच्छे परिवहन और यातायात की सुविधा दी जाए।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद ई. टी. बशीर (पोन्नानी): महोदया, मेरा निवेदन उन 40 कैदियों में संबंध में है जो श्रीलंकाई कारागार में कैद हैं। उनमें से अधिकांश लोगों ने कारागार में 16 वर्ष तक का समय पूरा कर लिए है। वास्तव में उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप बहुत ही मामूली है। वहां सजा हुई है। श्रीलंका में आजीवन कारावास का मतलब होता है पूरा जीवन काल है। वहां हमारे देश जैसा नहीं है। उन्हें आजीवन कारावास में रहना पड़ेगा। तीन कारागारों में 40 से ज्यादा कैदी हैं। उनकी स्थिति वास्तव में दयनीय है। वास्तव में उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वे बीमारी और ऐसी परेशानियों से पीड़ित उन्होंने कई बार अभ्यावेदन दिए है लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कोई बात नहीं सुनी गई है। ये कैदी मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के गरीब लोग हैं। सुनवाई के दौरान, मुकदमे में सही ढंग से अपनी पैरवी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वे बहुत ही गरीब परिवार के हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह कृपया इसमें हस्तक्षेप करे और इस मुद्दे को श्रीलंकाई सरकार के साथ उठाए और इन गरीब अभागें कैदियों की रिहाई के लिए आगे आए।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक गंभीर बात पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी कालाहांडी में इस साल 20000 हैक्टेयर जमीन में तेल रिवर का पानी आने से वाटरलॉगिंग हो गई जिससे किसानों का नुकसान हुआ है। हर साल इस तरह से पानी आता है और 30000 से 40000 हैक्टयेर जमीन को नुकसान होता है। कालाहांडी में नदी किनारे रहने वाले किसानों का दुख कभी खत्म नहीं होता है। एक समय में कालाहांडी में अकाल हुआ करता था। इस ओर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक रिवर एम्बैंकमैंट बनाने की योजना बनी है किसानों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए। इसमें 663 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके रिवर एम्बैंकमैंट बनाए जाएं ताकि आने वाले दिनों में किसान इस बाढ़ से बच सकें।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्षा जी, हमारे शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रीगा चीनी मिल से बहुत पॉल्युशन होता है। इस चीनी मिल से चीनी उत्पादन के उपरांत बचे हुए कचरे का फैलाव होता है और वह खुले स्थान में बहता रहता है जिसका विस्तार रीगा से बेलसण्ड तक है। इससे उस इलाके में लंबे समय से काफी प्रदूषण है जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्या इसके लिए चीनी मिल में कोई प्लांट लगाएगी जिससे प्रदूषण रोका जाए। इसका सभी जगह पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका कोई उपाय किया जाए।

[अनुवाद]

श्री एम. के राघवन (कोझीकोड)**:** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे मेरे चुनाव क्षेत्र कोझिकोड में व्याप्त एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करने के लिये अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। पिछले महीने से ही वहां भयंकर रूप से ज्वर फैला हुआ है और प्रतिदिन हजारों लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे है। इतनी बड़ी संख्या में अचानक आने वाले मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। पच्चासी प्रतिशत मरीजों में चिकन गुनिया की बीमारी पाई गई है। जिसमें शरीर के जोड़ बुरी तरह प्रभावित होते हैं और मरीज कुछ सप्ताह के लिए चल फिर नहीं पाता हैं। शेष 15 प्रतिशत मरीज डेंगू बुखार वील की बीमारी और वायरल बुखार से पीड़ित है इस गंभीर स्थिति के अतिरिक्त वहां जी.वी. लक्षण वाली बीमारी भी फैली हुई है। इनमें से अधिकांश लोग गरीब हैं। इस रोग से प्रभावित इन लोगों को कई सप्ताह शय्या पर पड़ा रहना पड़ता है और काम न कर पाने पर कोई आमदनी ना होने के कारण, उनकी स्थिति दयनीय है। जब तक वे रोग से मुक्त नहीं हो जाते इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सहायता और सभी प्रकार की वित्तीय सहायता की जरूरत है।

[श्री एम. के. राघवन]

महामारी के रूप में ज्वर का फैलना इस क्षेत्र में खराब स्वच्छता स्थितियों और जन स्वास्थ्य की ओर संकेत करता है। भारत के माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे समस्या के अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समूह भेंजे और भविष्य में ऐसी बीमारी को रोकने के लिए उपचारात्मक कदम उठाएं।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): माननीय अध्ययक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से देश का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है नौजवानों का, युवाओं का, छात्रों का-उस वर्ग की एक गंभीर समस्या आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश का राष्ट्रीय आंदोलन रहा हो. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इतने विस्तार में नहीं, संक्षेप में बोलिये।

श्री धर्मेन्द्र यादव: मैडम प्लीज। हमारे देश का राष्ट्रीय आंदोलन रहा हो या जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन रहा हो, हर आंदोलन में और देश के निर्माण में नौजवानों और छात्रों की विशेष भूमिका रही है। जहाँ देश के अंदर युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की हर स्तर पर चर्चा चल रही है, सत्ता के गलियारों में भी चल रही है, मीडिया में भी चल रही है और हर जगह चल रही है कि छात्रों और नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए, वहाँ बड़ी अजीब विडंबना है कि जो केन्द्र सरकार छात्रों और नौजवानों को इतना आगे बढ़ाने का ढिंढोरा पीटर रही है, उस केन्द्र सरकार की देख रेख में चलने वाले अधिकांश विश्वविद्यालयों के छात्र संघ आज पूरी तरह से भंग पड़े हुए है। जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बीएचयू हो अथवा देश के किसी भी कोने का विश्वविद्यालय हो, अधिकांश छात्रसंघों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। उससे भी गंभीर विडंबना यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि वर्ष 2005 में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना था, जब तक वह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में चला, तब तक वहां छात्रसंघों के लगातार चुनाव होते रहे और छात्रों के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया गया। लेकिन जब से वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना है, तब से वहां आज तक एक बार भी चुनाव नहीं हुए हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि हर तरह की ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वकीलों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन राजनीति की नर्सरी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह बताइए।

श्री धर्मेन्द्र यादव: छात्रसंघों के चुनावों को बहाल करने की कृपा केन्द्र सरकार करे, आपके माध्यम से हम प्रार्थना करना चाहते हैं।

महोदया, नौजवानों को संरक्षण दिया जाए, इसके लिए विशेष रूप से आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया, लाल बहादुर शास्त्री शताब्दी समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने शास्त्री जी के पैतृक स्थान राम नगर को गंगा नदी के कटान से बचाने के लिए और वहां पक्का घाट बनाने के लिए एक कार्य योजना बनायी थी। उसके लिए धन भी है। वह डीएम के खाते में है। लेकिन वन विभाग और पर्यावरण विभाग ने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। उसी के बगल में हमारी पूर्व सरकार ने एक पुल बनाया था, जहां से लाल बहादुर शास्त्री जी गंगा के उस पार जाया करते थे। उनके पैतृक स्थान को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में हमारी पूर्व सरकार, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने घोषित किया था। वन विभाग और पर्यावरण विभाग द्वारा दूसरे कार्यों पर तो अनुमति प्रदान कर दी गयी, लेकिन भारत सरकार के वन और पर्यावरण विभाग ने पूरी तरह से उस कार्य योजना को रोक दिया है, जिसमें गंगा कटान को रोकने के लिए धन दिया गया था और वहां एक सुंदर घाट शास्त्री जी के नाम से बनाने का प्रावधान है।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए। केन्द्र से क्या चाहिए, वह बताइए।

श्री रामकिशुन: महोदया, उस पर करीब चालीस से पचास लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वन विभाग और पर्यावरण विभाग को यह निर्देश जारी किया जाए कि जो उस पर प्रतिबंध लगा है, उस प्रतिबंध को तत्काल समाप्त किया जाए और उस घाट को और गंगा कटान के कार्य को पूरा कराया जाए। यही मेरी केन्द्र सरकार से मांग है। अपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा कल पूर्वाहन 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.23 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 30 जुलाई, 2009/8 श्रावण 1931 (शक) के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	361
2.	श्री अनंत कुमार हेगड़े श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	362
3.	श्री महाबल मिश्रा श्री अनंत कुमार	363
4.	डॉ. महेश जोशी श्री एन. चेलुवरया स्वामी	364
5.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	365
6.	श्री रमेश बैस श्री राधा मोहन सिंह	366
7.	श्री यशवंत लागुरी श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	367
8.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	368
9.	योगी आदित्यनाथ श्री एस. एस. रामासुब्बू	369
10.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान श्री रामसिंह राठवा	370
11.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर श्री बलीराम जाधव	371
12.	श्री मोहन जेना श्री रामकिशुन	372
13.	श्री नामा नागेश्वर राव	373
14.	श्री के. सुगुमार	374
15.	श्री कौशलेन्द्र कुमार श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	375
16.	श्री उदय सिंह	376
17.	श्रीमती जयाप्रदा श्री प्रबोध पांडा	377
18.	श्री मनीष तिवारी	378
19.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	379
20.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	380

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	3604
2.	आदित्यनाथ, योगी	3513, 3598
3.	अडसुल, श्री आनंदराव	3469, 3503, 3550, 3553
4.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	3392, 3552
5.	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	3602
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3406, 3444, 3491, 3583
7.	अनंत कुमार श्री	3565
8.	एंटोनी, श्री एंटो	3437, 3551
9.	अर्गल, श्री अशोक	3398, 3446
10.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	3473, 3606, 3609
11.	बालू श्री टी. आर.	3425, 3501, 3590
12.	बाबा श्री के. सी. सिंह	3449
13.	बाबर, श्री गजानन ध.	3446, 3523
14.	बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल	3532, 3534, 3567
15.	बैस, श्री रमेश	3512, 3556
16.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	3457
17.	बलराम, श्री पी.	3419
18.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	3518, 3538, 3571
19.	बेग, डॉ. मिर्जा महबूब	3444, 3558
20.	भगत, श्री सुदर्शन	3540
21.	भुजबल, श्री समीर	3407, 3492
22.	बिसवाल, श्री हेमानंद	3528
23.	चौहान, श्री संजय सिंह	3467
24.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	3499, 3594

1	2	3
25.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3428
26.	चित्तन, श्री एन.एस. वी.	3464
27.	चौधरी, श्री अधीर	3525
28.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	3465, 3554
29.	देवरा, श्री मिलिंद	3409
30.	देशमुख, श्री के.डी.	3473, 3606
31.	ध्रुवनारायण, श्री आर.	3411, 3493, 3584
32.	धोत्रे, श्री संजय	3454, 3518, 3538, 3571
33.	दुबे, श्री निशिकांत	3455, 3517, 3544
34.	दत्त, श्रीमती प्रिया	3467
35.	गद्दीगौदर, श्री पी. सी.	3431, 3505
36.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	3531
37.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3508, 3543, 3572, 3574
38.	गांधी, श्रीमती मेनका	3435, 3447, 3506, 3595
39.	गांधी, श्री वरुण	3563
40.	हेगड़े श्री अनंत कुमार	3510, 3606
41.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	3454, 3547
42.	जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव	3454, 3518, 3538, 3571
43.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	3604
44.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	3387, 3404
45.	जाखड़ श्री बद्रीराम	3422
46.	जरदोश, श्रीमती दर्शना	3544
47.	जयाप्रदा, श्रीमती	3569
48.	जेना, श्री मोहन	3595
49.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	3474, 3564

1	2	3
50.	जोशी, श्री कैलाश	3421
51.	जोशी, श्री महेश	3511, 3596
52.	जोशी डॉ. मुरली मनोहर	3442, 3510, 3606
53.	जोशी, श्री प्रहलाद	3605
54.	कलमाड़ी, श्री सुरेश	3439, 3610
55.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3424, 3461, 3510, 3549 3560
56.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	3508, 3572
57.	कोड़ा, श्री मधु	3527, 3562
58.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	3608
59.	कुमार, श्री मिथिलेश	3415, 3496, 3587
60.	कुमार, श्री शैलेन्द्र	3432, 3607
61.	लागुरी, श्री यशवंत	3387, 3485, 3597
62.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3389, 3466, 3480, 3559, 3577
63.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3517, 3560
64.	महन्त, डॉ. चरण दास	3443, 3455, 3524
65.	महतो, श्री नरहरि	3388, 3448, 3518
66.	माझी, श्री प्रदीप	3440, 3456, 3545
67.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	3385, 3388, 3448, 3518
68.	मणि, श्री जोश के.	3429, 3504
69.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	3434
70.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	3414
71.	मेघवाल, श्री भरत राम	3413, 3446, 3526
72.	मैन्या, डॉ. थोकचोम	3451
73.	मोहन, श्री पी. सी.	3569
73.	मोहन, श्री पी. सी.	3569

1	2	3
74.	मुंडा, श्री अर्जुन	3426, 3563
75.	मुत्तेमवार, श्री विलास	3456, 3459, 3473, 3560
76.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	3537
77.	नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	3436
78.	निरुपम, श्री संजय	3468
79.	निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद	3412
80.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3405, 3490, 3523, 3560, 3593
81.	पाल, श्री जगदम्बिका	3441, 3550
82.	पांडा, श्री वैजयंत	3462, 3519, 3547
83.	पांडा, श्री प्रबोध	3523
84.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	3549
85.	पाण्डेय, श्री गोरखनाथ	3541
86.	पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार	3472
87.	पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	3452, 3533, 3570, 3606
88.	पटेल, श्री देवजी एम.	3534
89.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	3466
90.	पटेल, श्री बाल कुमार	3601
91.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3440, 3456, 3545
92.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	3410, 3495, 3586
93.	प्रधान, श्री नित्यानंद	3554
94.	पुनिया, श्री पन्ना लाल	3470, 3510, 3555
95.	राघवन, श्री एम. के.	3417
96.	राजगोपाल, श्री एल.	3402, 3487, 3506
97.	राजेन्द्रन, श्री सी.	3463, 3548
98.	राम, श्री पूर्णमासी	3384, 3559
99.	रामासुब्बू, श्री एस. एस.	3445, 3479, 3576

1	2	3
100.	रामकिशुन, श्री	3608
101.	राव, डॉ. के एस.	3387, 3477, 3579
102.	राव, श्री नामा नागेश्वर	3514, 3599
103.	राव, श्री रायपति सांबासिवा	3460, 3546, 3596
104.	राठवा, श्री रामसिंह	3475, 3589
105.	रावत, श्री अशोक कुमार	3430, 3521
106.	राय, श्री रूद्रमाधव	3390, 3494, 3585
107.	रेड्डी श्री गुथा सुखेन्द्र	3542, 3573
108.	रेड्डी श्री एम. राजा मोहन	3433
109.	रेड्डी श्री एम. श्रीनिवासुलु	3450, 3507 3522
110.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	3483, 3580
111.	रेड्डी श्री के.जे.एस.पी.	3399, 3481, 3578
112.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	3388, 3448, 3518
113.	साहू श्री चंदूलाल	3452
114.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3408, 3568
115.	सत्पथी, श्री तथागत	3403, 3452, 3519, 3549
116.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	3418, 3497, 3518, 3588
117.	शर्मा, श्री जगदीश	3461
118.	शर्मा, श्री मदन लाल	3454, 3518, 3538, 3571
119.	शेट्टी, श्री राजू	3453
120.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	3416, 3469, 3503, 3553
121.	शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव	3432, 3530, 3566
122.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	3482
123.	सिंह, डॉ. भोला	3562, 3606
124.	सिंह, श्री गणेश	3420, 3500, 3581, 3591
125.	सिंह, श्री राधा मोहन	3512, 3556, 3606

1	2	3
126.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	3535
127.	सिंह, श्री राजनाथ	3536
128.	सिंह, श्री राकेश	3401, 3486, 3592
129.	सिंह, श्री सुशील कुमार	3384, 3395, 3478, 3550, 3575
130.	सिंह, श्री उदय	3498, 3510, 3600
131.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3427, 3507
132.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	3442, 3461
133.	सिंह, श्री उमाशंकर	3539
134.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	3393, 3476, 3611
135.	शिवासामी, श्री सी.	3445, 3554, 3613
136.	सुधाकरण, श्री के.	3603
137.	सुगावनम, श्री ई. जी.	3394
138.	सुगुमार श्री के.	3515, 3613
139.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	3391, 3502, 3519
140.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	3484, 3520, 3581
141.	सुशान्त, डॉ. राजन	3423

1	2	3
142.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	3488, 3582
143.	टन्डन, श्री लालजी	3397, 3557, 3605, 3606
144.	तिवारी, श्री मनीष	3516
145.	ठाकोर, श्री जगदीश	3438, 3520
146.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	3386, 3489, 3612
147.	थामराईसेलवन, श्री आर.	3400
148.	तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	3447, 3509
149.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3458, 3544
150.	वेणुगोपाल, डॉ. पी.	3471
151.	वर्मा, श्री ऊषा	3396
152.	विवेकानन्द, डॉ. जी.	3529
153.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	3526, 3561
154.	वानखेडे, श्री सुभाष बापूराव	3454, 3518, 3538, 3571
155.	यादव श्री अंजनकुमार एम.	3485, 3544
156.	यादव, श्री ओम प्रकाश	3446
157.	यास्खी, श्री मधु गौड	3543, 3572, 3574

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	362, 375
संस्कृति	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	
पर्यावरण और वन	:	361, 367, 370, 380
विदेश	:	366, 369, 376, 378
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	363, 364, 365, 368, 371, 372, 374, 377, 379
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
जल संसाधन	:	373

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	3516
परमाणु ऊर्जा	:	3390, 3462, 3547
कोयला	:	3399, 3443, 3452, 3455, 3456, 3492, 3497, 3500, 3529, 3549, 3575, 3583, 3588
संस्कृति	:	3431, 3466, 3480, 3488, 3509, 3535, 3559, 3576, 3584, 3608
पृथ्वी विज्ञान	:	
पर्यावरण और वन	:	3388, 3398, 3405, 3408, 3409, 3411, 3414, 3418, 3422, 3423, 3435, 3439, 3447, 3448, 3449, 3450, 3458, 3464, 3472, 3486, 3493, 3494, 3499, 3506, 3524, 3527, 3528, 3533, 3536, 3546, 3548, 3563, 3566, 3568, 3572, 3577, 3581, 3589, 3591, 3594, 3597

विदेश	:	3440, 3445, 3451, 3457, 3459, 3490, 3507, 3512, 3513, 3517, 3521, 3532, 3542, 3544, 3545, 3552, 3554, 3569, 3586, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3604, 3605, 3606, 3607, 3610, 3613
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	3389, 3391, 3397, 3400, 3401, 3403, 3404, 3406, 3407, 3412, 3416, 3417 3419, 3420, 3421, 3424, 3433, 3438, 3453, 3454, 3460, 3465, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3473, 3479, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3489, 3491, 3495, 3498, 3503, 3504, 3505, 3511, 3518, 3519, 3520, 3522, 3525, 3531, 3540, 3543, 3550, 3553, 3557, 3558, 3561, 3565, 3567, 3571, 3573, 3574, 3578, 3579, 3582, 3590, 3592, 3596, 3603, 3609, 3612
प्रवासी भारतीय कार्य	:	3508, 3551, 3564
संसदीय कार्य	:	3463
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	3384, 3487, 3395, 3425, 3427, 3429, 3434, 3441, 3474, 4577, 3478, 3501, 3556, 3560, 3570, 3580, 3585, 3611
योजना	:	3410, 3430, 3437, 3476, 3514, 3523, 3537, 3593,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	3428
अंतरिक्ष	:	3394
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	3392, 3415, 3442, 3475, 3530, 3539, 3587
जल संसाधन	:	3385, 3386, 3393, 3396, 3402, 3413, 3426, 3432, 3436, 3444, 3446, 3461, 3487, 3496, 3502, 3510, 3515, 3526, 3534, 3541, 3555, 3562